शुद्धि पत्रक ।

अनुक्रमणिका ।

पृष्ट.		अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
१६.	(क)	पारसी गाथा.	पोरसी गाथा.	१७
	(ख)	पारसी नापो.	पोरसी नापो.	१
३४.		सवैया.	च्यार कषाय सवैया.	१८
३६.		स्तवन.	च्यार प्रकारे जीव जावे.	२०
३७.	(ग)	न्हालदेनी देशी	दश पच्चखाण	२१
३९.		न्हालदे की देशी.	छपर पुराणा.	१
४१.		चौईसी गोपीचंद नी देशी.	चोईसी.	३
४२.		चोवीस तीर्थंकर का स्तवन.	चोवीसी.	४

पृष्ट.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
७.	अयोग्यवंत.	योग्यवंत.	९
११.	परिग्रह.	परिग्रह.	१
१४.	तिथि.	तिर्थि (तिरथी)	७
१५.	यथो (२)	थयो	१६

ष्ट.	नाम द्वार.	चायक.	उपशम.	क्षयोप-सम.	वेदक.
११.	सयंतर द्वार.	आंतरो नहीं.	जघन अंतर मुहूर्त उत्कृष्टो देशउणो अर्ध पुद्गल परावर्तन.	उपसम माफक	उपसम माफक
१२.	अंतरद्वार.	चायक में आंतरो नहीं.	उपसम रो आंतरो ज० अं० मु उत्कृष्टो आंतरो पड़े तो देश उणो अर्ध पुद्गल परावर्तन.	उपसम माफक.	उपसम माफक

२३. चायकरी स्थिति ज०उ० एक समय, बाद चायक फरसे.

२३. दायकरी वेदक. चायकरी वेदक. १

२३. मिथ्यातरी स्थिति तीजे भांगे जघन अंतर मुहूर्त उत्कृष्टो देशउणो अर्ध पुद्गल. आंतरो पड़े तो जघन अंतर मुहूर्त उत्कृष्टो ६६ सागर भाझेरो.

पृष्ट.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
२७.	क्लेश.	कलेश.	२
२७.	शीतलता.	संतोष (धैर्य)	८

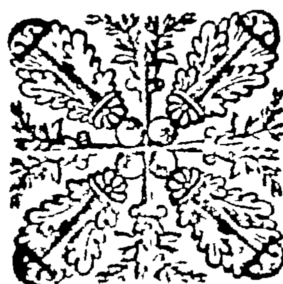
पृष्ट.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
२९.	परसाण.	परखाम.	८
३१.	लिप्त रहे तिण.	लिपट रहे पिण.	२
३३.	विंपय.	त्रिपय.	६
३३.	शीतल.	शील.	१६
३५.	वधाय.	वधवा.	१६
३९.	नया करुर्मा को.	नये कर्म्मां का.	२
४०.	मोह.	मांहे.	८
४४.	हुतो.	हुवो.	१४
४५.	तु निवल कर्म्म, महा सबल,	तु निबल, कर्म महा सबल,	२
४५.	काउसग.	काउसग्ग.	२३
४६.	तेरे.	तेआरे (ज्यारे.	८
४६.	पड्ल.	पोछल.	९
४८.	सतगुरू.	सत्गुरू.	१५
५७.	चिज,	चीज.	१
८३.	सवरिथ.	सर्वार्थ.	४
८९.	वदल.	वाद्ल.	२१
१०५.	काढां.	सेंह काढां	१८
१०५.	मयज.	सगज.	१८
१०६.	इक.	एक.	१२
१०६.	काग्ज.	काग ज.	१३
१०६.	सांसारै.	सांसोरे.	२२
१०७.	चेतावणे.	चेतावणि.	१०

पृष्ट.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
१०७.	रक्षा.	(राख्या)	१९
१०८.	कुड़ कपट मेलो त्यागने.	कुड़ कपट (मेलो) त्यागने.	१
१०८.	इसड़ा.	घणा.	४
१०८.	देवो.	देखो.	६
१०८.	नव नवा.	नेया नेया.	८
१०८.	चितवेजी.	चिंतवोजी.	१३
१०९.	कादिमो.	कारिमो.	१४
११०.	निंदा.	निद्रा.	१०
१११.	करोध.	करोध,	६
१११.	वादल.	वादल,	१८
११२.	सुक्खम.	सुक्खं,	५
११२.	परिग्रह.	परिग्रह,	१०
११३.	दोह.	दोय.	९
११३.	रेखी.	रेखा.	१४
११४.	गज चढे.	गज चढ (चढये)	१
११४.	फासफ.	फासुक.	४
११४.	चितवे.	चितवे.	५
११४.	चरखान.	चरण.	७
११५.	ते.	ने.	५
११५.	फल.	फस.	१७
११५.	विचद.	विच.	१९
११६.	रचतो.	चरचतो,	६

पृष्ट.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पंक्ति.
१२०.	नाड़ी.	नारी.	१०
१२०.	जावंती.	जावतो.	२१
१२१.	वहु.	छहु.	२३
१२२.	पाठ.	पाट.	१७
१२२.	शील.	लील.	२३
१२५.	पाठयो.	पड़यो.	१
१२५.	अमत्याख्यानी	अमत्याख्यान.	७
१२५.	मौर.	मोरी.	१२
१२५.	विरती.	व्रति.	१३
१२७.	दियो.	देउ.	३
१२७.	आंकणो.	आंकणी.	३
१२७.	सांभलो,	संभाल लो.	७
१२६.	एकल.	एकलदत्त.	७
१३०.	लवलेश.	लवलेश.	८
१३०.	किम.	हुं किम.	६
१३०.	लंपट.	हुं लंपटी.	६
१३०.	तिणसु.	तिहासु.	१२
१३०.	हाथ.	आथ.	
१३०.	ताहरा.	ताहरो.	२०
१३१.	मुद्गर.	मुग्ध (मुंढां.)	१
१३१.	करूजी.	कहुजी.	४
१३१.	विख.	विष.	१३
१३३.	जुग.	जग.	५

		१४					१५					१६		
१	३	५	४	२	१	४	५	३	२	३	४	५	१	२
३	१	५	४	२	४	१	५	३	२	४	३	५	१	२
१	५	३	४	२	१	५	४	३	२	३	५	४	१	२
५	१	३	४	२	५	१	४	३	२	५	३	४	१	२
३	५	१	४	२	४	५	१	३	२	४	५	३	१	२
५	३	१	४	२	५	४	१	३	२	५	४	३	१	२

		१८					१९					२०		
२	३	५	४	१	२	४	५	३	१	३	४	५	२	१
३	२	५	४	१	४	२	५	३	१	४	३	५	२	१
२	५	३	४	१	२	५	४	३	१	३	५	४	२	१
५	२	३	४	१	५	२	४	३	१	५	३	४	२	१
३	५	२	४	१	४	५	२	३	१	४	५	३	२	१
५	३	२	४	१	५	४	२	३	१	५	४	३	२	१





दोहा

केवल ज्ञानी को सदा, वंदु बेकर जोड़ ।
गुरु मुखसे धारण करो, अपनी ज़िद को छोड़ ॥१॥

जिन वचन तहमेव सच, समभाव नहिं ताण ।
जतनासुं बांचो सही, एह प्रभू की वाण ॥ २ ॥



* श्रीजिनेन्द्रायनमः *

दोहा ॥

शासनपति श्री वीर जिन त्रिभुवन दीपक जाण ।
भवदधी तारण तरण वाहण सम भगवान ॥१॥

चरण कमल युगतेहना, वंदे इन्द्रदीनेन्द ।
चन्द नरेन्द फनीन्द तसु सेवे सुरनर वृन्द ॥२॥

तासु कृपा से ऊद्धरया जीव असंख सुज्ञान ।
लही शीव पद भव ऊदधि तरि अजर अमर सुखथान ॥३॥

तसु मुखथी वाणी खरि जिम श्रावण बरसात ।
अनन्त नयात्म ज्ञानथी भविजन दुःख मिटात ॥४॥

ते वाणी सद्गुरु मुखे जे भवि हृदय धरन्त ।
स्वपर भेद विज्ञान रस अनुभव ज्ञान लहंत ॥५॥

उत्तम नर भव पायकर शुद्ध सामग्री पाय ।
जो न सुणे जिन बचन रस अफल जमारो जाय ॥६॥

ते माटे भवि जीवकूं अवश ऊचित एककाज ।
जिनवाणी प्रथम ही श्रवण अनुक्रम ज्ञान समाज ॥७॥

जिनवाणी के श्रवण बिन शुद्ध सम्यक् न होय ।
सम्यक् बिन आतम दरश चारित्र गुण नहिं जोय ॥८॥

शुद्ध सम्यक् साधन बिना करणी फल शुभ बंद ।
सम्यक् रत्न साधन थकी मिटे तिमिर सविधन्ध ॥९॥

समकित भेद जिन वचन में भेद पर्याय विशेष ।
भिन्न मुख्य दोय प्रकार है ताको भेद अलेम्व ॥१०॥

निश्चय अरु व्यवहार नय ए दोनुं परिमाण।
दधि मथने घृत काढ़वा ते तो न्याय पिछाण ॥११॥
देव धर्म गुरु आस्ता तजे कुदेव कुधर्म।
ए व्यवहार सम्यक्त कही बाह्य धर्मनो मर्म ॥१२॥
निश्चय सम्यक्त नो सही कारण छे व्यवहार।
ए समकित आराधना निश्चय पण अवधार ॥१३॥
निश्चय सम्यक् जीवते पर परिणति रस त्याग।
निज स्वभाव में रमणता शिवसुखनो ए भाग ॥१४॥
बेहुं सम्यक्त तदलहे समझे नव तत्व ज्ञान।
नय निक्षेप परमाण सुं स्याद् वाद परिमाण ॥१५॥
द्रव्य क्षेत्र इत्यादी तथा काल भाव विज्ञान।
सामान्य विशेष समझते होय नयात्मक ज्ञान ॥१६॥
शरण जिन चौविसमा परणमु पद अरविंद।
वर्ते पंचम काल में शासन जस सुख कंद ॥१७॥
जिन वाणिना स्वादनो मत करजो कोई हांस।
स्याद् वाद नय शुद्ध करो ये म्हारी अरदास ॥१८॥

शब्दार्थ वाहण [जहाज] चरणकमल [पग] युग [दोय] दीनेन्द [सूरज] नरेन्द [राजा] फनीन्द [नागकुमार देव] वृन्द [बहुत] उद्धरया [विस्तार किया] शिवपद [मुक्ति] भव उदधि [संसार समुद्र] नयात्मक [सातनययुक्त आत्म ज्ञान से भरी हुई] विज्ञान [जानपना] लहंत [लिया] दरश [दरसना] तिमर [अन्धकार] सविघन्ध [सब दुख] मर्म [सार] आराधना [साधना] अवधार [जानना] परपरिणति [परस्वभाव] तदलहे [याने तदपासे]

अथ प्रथम पांच सम्यक्तना भेद लिख्यते ।

उपसमिक, अंतरमहुर्त स्थिति ॥ १ ॥ सास्वादान खड़ावलि स्थिति ॥ २ ॥ क्षायोपशमिक, सागर ६६. साधिक ॥ ३ ॥ वेदक, एक समय ॥ ४ ॥ क्षायिक साधिक सागर ३३, संसार माहें रहे, पछे सिद्ध थाय, ते छते पहला च्यार सम्यक्त सादि सपर्य वशित जाणवा, छहेलो सादि अपंजवशित जाणवो ।

हिव सम्यक्त पामवानि विधी लिख्यते ।

प्रथम उपशम सम्यक्त ते किम पामे, जिणे जीवे प्रथम कदे सम्यक्त लाधो नहीं, ते जीवने जेतीवार अकामनिर्जराए करी, आउषा टाली, सात कर्मनी स्थिति, एक कोड़ा कोड़ी, सागरोपम, माहे थई होवे, तेतली वार जीव चोखे मन परिणामे करी मिथ्यात्व कर्म्म पुद्गलना अर्थोर्द्ध, त्रिपुंज करे, ते माही पहेलो पुंज, अंतरमहुर्त माहे भोगवी, आत्म प्रदेशथी अलगो क्षय करी, बीजो जे पुंज उदय नहीं छे ते उपशमावे (भस्मे ढांकित अग्निनी परे) अंतर मोहोर्त उदय आवशे, इसै विचाले वर्तती जीव अजाग्रत अवस्था लेवी, हिवे ए सम्यक्त आवे तो केतली वार जीवने आवे ते कहे ।

उत्कृष्टो एक जीवने संसार माहे आवे तो पांच वार आवे, इधको न आवे, हिवे ए सम्यक्त केतले गुण ठाणे

होवे, ते कहे छे, चौथे गुणठाणा थी मांडी इग्यारमा गुण ठाणा तांई होवे ॥ १ ॥

उपशम सम्यक्त लहे, सम्यक्तनी रोधक सात प्रकृती छे अनन्तानु वंधीया कषाय ४ दर्शन मोहनी ३ ए सात उदयागत खपावे अनुदयागत ने उपसमावे ।

बीजो सम्यक्त कहे छे, उपशम सम्यक्त माहे वर्त्तता थकां जे प्रथम मिथ्यात्वनो, बीजो पुंजकीधो छे, (पुंज) ढ़गला तेह नावली, तीन पुंज कीजे, ते मांहि प्रथम अत्युज्वल १, (अत्युज्वल) अतिस्वच्छ बीजो अर्द्ध उज्वल २, तीजो मलिन३, उज्वलते सम्यक्त मोहनी १, अर्द्ध उज्वलते मिश्र-मोहनी २, मलिन ते मिथ्यात्व मोहनी ३, ते माहेथी मलिन पुंजउदय आवे, तिवारे प्रथम उपशम सम्यक्त ने छेहले एक समय थाकते, अथवा षडावली थाकते, फिरी अनंता नुबंधीया कषायनी उदय होवे, तेतली वार डोहलुथको बीजो सास्वदान सम्यक्त कहिये, जिम कोई खीर, खांड घृत जिमीने तेवमतां पिण तेहनो स्वादआवे, तिमते उपशम सम्यक्तवमतां अनंतानुबंधीया कषाय ने उदय थये छते एक समय अथवा छ आवली सम्यक्तनो स्वाद देवे, तेभणी, सास्वादन सम्यक्त कहीये, पछेवली मिथ्यात्व अनुभवे, ए सम्यक्त संसार माहे भमता थकां जीव ने अनुभवे तो उत्कृष्टो पांचवार पामे, अधिको न पामे, गुणठाणो बीजो हुवे ॥ १ ॥

हिवे क्षायोपशम सम्यक्त कहे छे।

पाछलि जे मिथ्यात्व ना तीन पुंज कह्या, ते मध्ये उज्वल पुद्गल पुंज, जे सम्यक्त मोहनीय कर्म्म, जेतीवार जीवने उदय आवे, तेतलीवार तीजी क्षायोपशम सम्यक्त कहीये, ए सम्यक्त ने विषे दर्शन सप्तक जे पूठलि कह्या तेना विपाकथी उदय नथी, पिण प्रदेशथी, अनुभवे छे, ए सम्यक्त एक जीव ने संसार मांहे भमता थकां आवे तो असंख्याती वार आवे, चौथा गुणठाणा थी मांडी सातमा गुणठाणा तांई होवे ॥ २ ॥

हिवे वैदक सम्यक्त लिख्यते।

पाछलि तीन पुंज कह्या, जे मिथ्यात्वना, तेमांहे उज्वल पुद्गल पुंज जे सम्यक्त मोहनीनो, ते पिण क्षायक भावे आवे तियारे खपावे, ते खपावतां, २ छेहला समय थाकते तिवारे वैदक सम्यक्त कहीये, कांइ एक सम्यक्त मोहनी-यना पुद्गल वेदे छे, पिण सर्व वेदे तो नहीं, ते माटे सम्यक्त जीव ने आवे तो एकवार आवे चउथा गुणठाणा थी सातमां तांई होवे ॥ ३ ॥

हिवे क्षायिक सम्यक्त कहे छे।

ए दर्शन सप्तक जे पाछलि कह्या ते सर्वथा क्षय होवे, तिवारे क्षायिक सम्यक्त होवे, ए सम्यक्त चौथा गुणठाणा थी मांडी चवदमां तांई होवे, अने गुणठाणा

अतीत ने पण होवे, क्षायिक भावनी आदि छे पिण अंत नथी, ते माटे एक वार जीव ने आवे, हिवे ए सम्यक्त पांच मध्ये क्षायिक सम्यक्त अरूपी छे, दर्शन सप्तक ते शुद्ध सम्यक्तना आच्छादक तेहनो सर्वथा क्षय थयो छे, निरावर्ण छे, केवल जीव स्वभाव छे, ते माटे बीजा चार सम्यक्त कथंचिद् रूपी जाणवा दर्शन सप्तनो सर्वथा क्षय हुओ नहीं, तीणहें करी सावर्णि छे, निर्मल जीव स्वभाव प्रगट्यो नहीं, ते माटे अरूपी न कहीये, तिमवली रूपी पिण न कहीये, रूप ते पुद्गल धर्म्म छे, अने ए चेतन धर्म्म छे, पिण पुद्गल मिश्रित अशुद्ध भावे छे, ते माटे जे सर्वथा रूपि नहीं, तिम सर्वथा अरूपी पिण नहीं, तेहने कथंचित् रूपी कथंचित् अरूपी पिण कहीये ।

॥ इति पांच सम्यक्त विचार सम्पूर्णम् ॥



हिवे सम्यक्त नव प्रकारे—तेहना नाम ।



१. द्रव्य सम्यक्त ते श्री तीर्थंकर देवजीना वचनां उपरे परतीति आणे, तहत करी माने, गुरूनो पकड़ायो सम्यक्त जिम गुरु कहे तिमहिज करे पिण भेदाभेद जाणे नहीं ते द्रव्य सम्यक्त कहीये ॥ १ ॥

२. बीजो भाव सम्यक्त ते आरीसानी परेजिम आरीसा में घट प्रगट दीसे, तिम भेदानुभेद सहित परमार्थ जाणे, तेहने भाव सम्यक्त कहिये ॥ २ ॥

३. निश्चय सम्यक्त ते देव गुरुधर्म का गुणा के विषे अयोग्यवंत होय, अने ज्ञान दर्शन चारित्र ने विषै शुद्ध परिणाम प्रवर्ते ते निश्चय सम्यक्त कहीये ॥ ३ ॥

४. व्यवहार सम्यक्त ते समताना रस करीने होय, तेहना ६७ भेद ते कहे छे ।

च्यार सद्दहण ।

१. नवतत्व जाणवानो उद्यम करे ।

२. सूत्र सिद्धान्त का जाण आचार्यादिक जिन्हों की शुद्ध मन से सेवा करे ।

३. जिन मारग गोपी ने आपणो मत चलावो तियकी संगत न करे ।

४. सम्यक्त से भ्रष्ट होय तिकेरो अती परिचय न करे।

दूसरी तरह से (पाठान्तर) भेद ४।

१. परमार्थ नो परिचय करे।

२. परमार्थना जाणकारनी सेवा करे ।

३. धर्म्म पायने वम्यो तेहनी संगत वर्जे ।

४. कुतीर्थियोंनी संगत वर्जे ।

हिवे तीन लिङ्ग ।

१. जिम किनर जातिना देवता गीत नाद ने एकाग्रह चित्त देइने सुणे, तिम सूत्र सिद्धान्त का उपदेश सुणे ॥ १ ॥

२. जिम भुखाने अन्न उपरे अभिलाप होय, तिम शील, दया, क्षमादि, पालवा उपर अभिलाष होय ॥ २ ॥

३. चतुर्विध संघ आदि देइने सर्व जीव ने साता उपजावे ॥ ५ ॥

पाठान्तर इसी का दूसरा ।

१. जिम तरुण पुरुष रंग राग उपर राचे तिम वीतरागनी वाणी उपर राचे ।

२. तीन दिन को भूखो पुरुष खीर खांड को भोजन आदर सहेत करे तिम वीतरागनी वाणी आदर सहित सुणे ।

३. जिम अणभणिया ने भणीवारी चाह होय, अने भणवानी जोगवाई मिल्याथी हर्षवंत होय, तिम वीतरागनी वाणी सुणीने हर्षवंत होय ॥ ३ ॥

दश प्रकार का विनय ।

१. अरीहंतजी की विनय भक्ति करे।
२. सिद्धजी की विनय भक्ति करे।
३. आचार्यजी की विनय भक्ति करे।
४. उपाध्यायजी की विनय भक्ति करे।
५. स्थिवरजी की विनय भक्ति करे।
६. कुलकी विनय भक्ति करे।
७. गच्छ समुदायनी विनय भक्ति करे।
८. चतुर्विध संघनी विनय भक्ति करे।
९. साधर्मि की विनय भक्ति करे।
१०. क्रियावन्त की विनय भक्ति करे।

पाठान्तर इसी का ।

१. अरीहंतजी का विनय।
२. सिद्धजी का विनय।
३. आचार्यजी का विनय।
४. उपाध्यायजी का विनय।
५. स्थिवरजी का विनय।

४. सम्यक्त से भ्रष्ट होय तिकेरो अती परिचय न करे।

दूसरी तरह से (पाठान्तर) भेद ४।

१. परमार्थ नो परिचय करे ।

२. परमार्थना जाणकारनी सेवा करे ।

३. धर्म्म पायने बम्यो तेहनी संगत वर्जे ।

४. कुतीर्थियोंनी संगत वर्जे ।

हिवे तीन लिङ्ग ।

१. जिम किनर जातिना देवता गीत नाद ने एकाग्रह चित्त देइने सुणे, तिम सूत्र सिद्धान्त का उपदेश सुणे ॥ १ ॥

२. जिम भुखाने अन्न उपरे अभिलाष होय, तिम शील, दया, क्षमादि, पालवा उपर अभिलाष होय ॥ २ ॥

३. चतुर्विध संघ आदि देइने सर्व जीव ने साता उपजावे ॥ ५ ॥

पाठान्तर इसी का दूसरा ।

१. जिम तरुण पुरुष रंग राग उपर राचे तिम वीतरागनी वाणी उपर राचे ।

२. तीन दिन को भूखो पुरुष खीर खांड को भोजन आदर सहेत करे तिम वीतरागनी वाणी आदर सहित सुणे ।

३. जिम अणभणिया ने भणीवारी चाह होय, अने भणवानी जोगवाई मिल्याथी हर्षवंत होय, तिम वीतरागनी वाणी सुणीने हर्षवंत होय ॥ ३ ॥

दश प्रकार का विनय।

१. अरीहंतजी की विनय भक्ति करे।
२. सिद्धजी की विनय भक्ति करे।
३. आचार्यजी की विनय भक्ति करे।
४. उपाध्यायजी की विनय भक्ति करे।
५. स्थिवरजी की विनय भक्ति करे।
६. कुलकी विनय भक्ति करे।
७. गच्छ समुदायनी विनय भक्ति करे।
८. चतुर्विध संघनी विनय भक्ति करे।
९. साधर्मि की विनय भक्ति करे।
१०. क्रियावन्त की विनय भक्ति करे।

पाठान्तर इसी का।

१. अरीहंतजी का विनय।
२. सिद्धजी का विनय।
३. आचार्यजी का विनय।
४. उपाध्यायजी का विनय।
५. स्थिवरजी का विनय।

६. तपस्विजी का विनय ।

७. बहुसुत्रीजीनो विनय ।

८. संभोगी नो विनय ।

६. चार तीर्थनो विनय ।

१०. साधर्मि का विनय ।

हिवे सम्यक्तनी तीन परीक्षा ।

१. श्री अरीहंत देवजी ने तो देव जाणे ।

२. श्री सुसाधु महा पुरुषांने गुरु जाणे ।

३. दया क्षमा ये धर्म जाणे ।

पाठान्तर तीन शुद्धता ।

१. मन शुद्धता मनें करी श्री वीतराग देवने धावे ।

२. वचन शुद्धता वचने थकी गुणग्राम श्री वीतराग देवना करे ।

३. काया शुद्धता, कायायें करी श्री वीतराग देव ने नमस्कार करे ।

हिवे लक्षण पांच ।

१. सम, शत्रु मित्र उपर सरीपा भाव रखे ।

२. समवेग, वैराग्य भाव राखे ।

३. निर्वेद, आरंभ परिग्रह सुं निवर्ते (छोड़े)।

४. अनुकंपा, पर जीवने दुखी देखीने करुणा करे, तथा मारते जीवने छोड़ावे।

५. आस्तिकता, जीवादिक द्रव्यना सूक्ष्म भाव सांभली ने मुजावे नहीं, याने जिन वचन उपर आस्ता (विश्वास) राखे दृढ़ रहे ।

सम्यक्तना पांच दुषण (अनाचार)।

१. शंका—श्री जिन वचन मांहे संदेह (शंका) राखे तो दोष अर्थात् जिन वचन पर निसंख पणे वर्ते तो दोष टले।

२. कंखा—अन्य तीर्थि नो आडम्बर देखीने चाह करे तो दोष लागे, अनेरा धर्म्म की वांछा करे नहीं तो दोष टले ।

३. वितिगच्छा—करणीरे फल माहे संदेह आणे, वा, साधु साध्वीना मलिन वस्त्र देखीने दुगंच्छा करे तो दोष अतिचार लागे, श्री तीर्थंकर देवजीनी आज्ञा सहेत, करणी करे छे, ते उपर वितिगच्छा आणे नहीं, तो दोष टले ।

४. परपाषंडी पशंस—अनेरा तीर्थि की कीर्ति करे तो दोष अतिचार लागे, परदर्शणि की प्रशंसा शोभा गुण कीर्ति करे नहीं तो दोष टले ।

५. परपाषंडी संथव—अन्य तीर्थिरे पासे जाणो आणो राखे, तथा संगत करे तो दोष अतिचार लागे, परपाषंडी को परचो संग करे नहीं तो दोष टले ।

हिवे सम्यक्तना पांच भूषण ।

१. जिन शासन के विषय चतुराई राखे और धीरजवंत होय ।

२. जिन मारगने तथा गुणांने दिपावे ।

३. जिन शासन विषय सुसाधु, साध्वी गुणवान् तिणो की भक्ति सेवा करे ।

४. अनेरा पुरुष ने धर्म के विषे स्थिर करे ।

५. चतुर्विध संघनी सेवा करे ।

हिवे सम्यक्तना आठ प्रभाविक ।

१. जिण काले जेटला सूत्र होय, ते भणी अन्य जीवों ने प्रतिबोधी उन्नति करे ।

२. धर्म कथा कहने में चतुर होय ।

३. प्रत्यक्ष दृष्टान्त पूर्वक अन्य धर्मी से वाद कर धर्म दीपावे ।

४. निमित्त ज्ञाने करी भूत भविष्यत् वर्तमान की वात कहे ।

५. विकट तपस्या करी धर्म की उन्नति करे।

६. अनेक प्रकार की विद्या का जाणकार होय।

७. चुर्ण अंजनादिक सिद्ध करी होय, तिणे करी धर्म की उन्नति करे।

८. कविता जोड़कला करी धर्म्म की उन्नति करे।

हिवे ६ आगार लिख्यते।

१. राजा के आग्रह से (हठ से) अन्यतिर्थि को वंदना करे तो सम्यक्त भांगे नहीं।

२. वहुत सज्जनादिक के कहने से अन्य तिर्थि को वंदनादि करे तो सम्यक्त भांगे नहीं।

३. जोरावर तथा बलवन्त के केहने से अन्यतिर्थि को वंदनादि करे तो सम्यक्त भांगे नहीं।

४. देवता के कहने से अन्य तिर्थि को वंदनादि करने से सम्यक्त भांगे नहीं।

५. माता पिता तथा गुरुआदिक के हठ से अन्य तिर्थि को वंदनादि करे तो सम्यक्त भांगे नहीं।

६. दुकाल पड्या अथवा अटविने विषे भूला पड्या अन्य तिर्थि ने वंदनादि करने से सम्यक्त भांगे नहीं।

हिवे सम्यक्त की ६ जयणा (यत्ना) ।

१. अन्यतिर्थि देवगुरु ने वंदे नहीं ।

२. अन्यातिर्थिना गुणग्राम करे नहीं ।

३. अन्यतिर्थि सु पहिली बोल्या वना आप बोले नहीं ।

४. अन्यतीर्थिनी वार वार परिचय संगत करे नहीं ।

५. अन्य तिर्थि ने चार प्रकार नो दान देई सरावना न करे ।

६. अन्य तिर्थि ने वस्तु देता निर्जरा जाणे नहीं ।

हिवे सम्यक्तना छ स्थानक ।

१. चारित्र धर्म्म रूपी वृक्ष अने सम्यक्त रूपी मूल (बीज) ।

२. चारित्र धर्म्म रूपीयो नगर अने सम्यक्त रूपी दरवजा ।

४. चारित्र धर्म्मरूपी महेल अने सम्यक्त रूपी नीव ।

३. चारित्र धर्म्म रूपी आभूषण (गहणा) सम्यक्त रूपी मंजुस (संदुक) ।

५. चारित्र धर्म्म रूपी वस्तु (क्रियाणो) अने सम्यक्त रूपी दुकान ।

६. चारित्र धर्म्म रूपी भोजन अने सम्यक्त रूपी थाल ।

ह्विे सम्यक्त्वनी छ भावना ।

१. जीव द्रव्य का चेतना लक्षण छे ।
२. जीव द्रव्य नित्य शास्वतो छे ।
३. जीव आठ कर्म्मों का कर्ता छे ।
४. जीव कर्म्मों का भोक्ता छे ।
५. भव्य जीव आठ कर्म्म क्षय करी मोक्ष पामे ।
६. ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष का उपाय छे ।

पाठान्तर भावना ।

१. अनित्य भावना, ते संसारना सर्व पदार्थ धन जोबन, शरीर, कुटुम्बादि सर्व अनित्य छे अथीर छे विनाश पामे ऐसो चिंतवे ते भावना भरतेश्वरजी ने भाई ।

२. अशरण भावना, ते जीव ने रोग मरण पीड़ादिक आवे तो बंधव कुटुम्ब परिवार नो सरनो नहीं ते दुख आपदा पड्या निवारसके नहीं ते भावना अनाथीजी भाई ।

३. संसार भावना ते यो जीव कर्म्म करीने चार गती चौरासी लाख जीवायोनि माहि परिभ्रमण करीने बाप फिटी बेटो यथो, बेटो फिटी बाप यथो ते भावना शालीभद्रजी ने भाई ।

३. एकत्व भावना, ते यो जीव परलोक थकी एकलो ही आयो अने एकलो ही जासी, भला बुरा कर्म्म एकलो ही भोगवसि ते भावना नम्मिराजा ने भाई ।

५. अशुचि भावना ते यो शरीर सदा ही अशुचिनो भाजन छे, मांस लोही नख नसा जाले करीने तथा चामड़ी करीने विट्यो छे, तेहने धोयां शुचि न होवे इम चिंतवे ते भावना सनतकुमारजी चक्रवार्ति जी ने भाई ।

अन्य भावना धन कुटुम्ब सब मेरे से जुदा है ते भावना मृगापुत्रजी ने भाई । यह सड़सठ भेद व्यवहार सम्यक्त के जाणवा ।

हिवे पांचवा सम्यक्त कहे छे ।

ते गुरूनां उपदेश विना जाति स्मरण ज्ञाने करी उपजे, मृगापूत्रनी परे तथा अशुचा केवलीनी परे जिनधर्म्म विना सुणीया सांचो श्रद्धे ते निसर्ग सम्यक्त कहीजे ।

६ हिवे छट्ठा सम्यक्त कहे छे ।

उपदेश रूची ते गुरूना उपदेश सांभली पामे ते गुरु समिपे देव गुरु धर्म्मना गुण सांभली तेहने सांचा श्रद्धे, तहत करी जाणे, तेहने उपदेश रुचि सम्यक्त कहीजे ।

७ हिवे सातवां सम्यक्त कहे छे ।

क्रिया रुचि ते शुद्ध क्रिया थकी निपजे ते सिद्धान्त माहि भगवंत ने शुद्ध आचार कह्या छे तिम हीज प्रवर्ते ते क्रिया रुचि कहिजे ।

हिवे आठमो रोचक सम्यक्त कहे छे ।

ते रूचि थकी उपजे, तेहना भेद दश ते निचे मुजिब जाणवा ।

१. निसंक रूची ते जाति स्मरणादि ज्ञाने करीने जीवादिक पदार्थ जाणे और दया पालवानी रूची उपजे ते द्रव्य थकी, क्षेत्र थकी, काल थकी, भाव थकी श्री तीर्थंकर देवजी ने जेहवा भाव कह्या छे तेहवा ही श्रद्धे ।

२. उपदेश रूची ते छदमस्थ तथा केवलीना उपदेश थकी जीवादिक पदार्थ साभलीने तेवाहीज श्रद्धे ।

३. आज्ञा रूची ते जिणां थकी रागद्वेष अज्ञानादिक गया छे, ते एहवा तीर्थंकर गणधर तथा आचार्यादिकनी अभिलाषा आणिने आज्ञा कुं सेवे ।

४. सूत्र रूची, ते आचारंगादि इग्यारे अंग तथा उपांग सूत्र सिद्धांत भणीने जीवादिक पदार्थ नो जाणपणो करी श्रद्धा लावे ।

५. बीज रूची ते एक पद भणवे करीने घणापद जाणे, अथवा एक जीव आदि देईने घणा जीवादिक पदार्थ ने विषे मति विस्तरे, जिम पाणिने विषै तेल नो बिंदुओ थोड़ो थको घणो विस्तरे अथवा, एक बीज थकी अनेक बीज उपजे ते बीज रूची कहीये ।

६. अभीगम रूचि ते आचारांगादि अंग दृष्टि वाद प्रमुख चउदा पूर्व सूत्र सिद्धांत का अर्थ सहित अच्छि तरह जाणपणो करे ।

७. विस्तार रूची ते धर्मास्ति कायादि षट् द्रव्यों को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ओपमा प्रमाण, आगम प्रमाण, नैगम नय संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ नय, एवं भूत नय, चार निक्षेपाये करी सर्व भाव जाणे ।

८. क्रिया रूची ते श्रद्धापूर्वक पंच महाव्रत बारा भेदे तप, दश प्रकार का विनय पांच सुमति, तीन गुप्ति ने विषय, भाव सहित क्रिया करवानी रूची उपजे ।

९. संखेप रूचि ते बोधादि अन्य मतियों ना शास्त्र तथा तयोना गुरू आदिकनी श्रद्धाने विषे, उपयोग रहित छे, अने स्व समय ने विषे पिण कुसल नथी पिण जीवादि पदार्थ ने विषे संक्षेप मात्र श्रद्धा करे, तेहने संक्षेप रूचि कहीये ।

१०. धर्म्म रूचि ते श्री तीर्थंकर देवजी ने धर्म्म कह्यो छे ते भाव सहित श्रद्धे, तथा जीवादिक नव पदार्थ स्वसमयादिक ने विषे परिचय करी शुद्ध श्रद्धा आणे, तथा शुद्ध श्रद्धा क्रियावान गुरूनी सेवा करे, एवं दश प्रकार रोचक सम्यक्त का भेद जाणवा ।

नवमा दीपक सम्यक्त कहे छे ।

ते दिपक जिम अनेरि ठामें तो उजालो करे, अने आपणे तले अंधारो राखे तिम अभव्य जीव उपदेश द्वारा अन्य जीवों ने सम्यक्त पमाड़े शुद्ध धर्म्म में स्थापन करे, पिण पोते सम्यक्त रहित तेहने दिपक सम्यक्त कहीये ।



१ नाम द्वार	क्षायक	उपशम	क्षय उपशम	वेदक
२ लक्षण द्वार	७ प्रकृति खपावे अनन्तानु बधी ४ क्रोध, मान, माया लोभ, सम्यक्त मो-हिनी, मिश्रमोहिनी मिथ्यात्व मोहिनी	७ प्रकृति उपशमावे	४ खपावे १ उपशमावे २ खपावे तथा उपशमावे.	१ वेदे ६ खपावे तथा उपशमावे
३ आवण पावण द्वार	मनुष्य गती में आवे ४ गती में पावे	४ गती में आवे ४ गती में पावे	४ गती में आवे ४ गत्ती मे पावे	४ गती में आवे ४ गती में पावे
४ द्रव्य प्रमाण द्वार	अनता.	असख्याता	असख्याता	असख्याता.
५ स्थिति द्वार	सादि अनत आदि है अत नहीं	अतर मुहुर्त	जघन्य अतर मो-हुर्त उत्कृष्ट ६६ सागर जाजेरी	ज० अतर मु-हुर्त उ० ६६ सागर जाजेरी.
६ [illegible]	[illegible]	[illegible]	नहीं	नहीं

नाम द्वार	क्षायक	उपशम.	क्षय उपशम	वैदक.
निरतर द्वार	८ समय तक निरतर आवे	आवलिकारे असख्यात मे भाग	आवलिकारे असख्यात मे भाग	आवलिकारे असख्यात में भाग
: अतर द्वार	आतरो नहीं	देश ऊणो आधो पुद्गल परावर्तन.	देश ऊणो आधो पुद्गल परावर्तन	देश ऊणो आधो पुद्गल परावर्तन.
: आकर्ष द्वार	एक वार आये पीछे जावे नहीं	एक भव मे ज० १ वार उ० २ वार आवे घणा भाव मे ज० २ वार उ० ५ वार	१ भव आश्री ज० १ वार उ० प्रत्येक हजार वार, घणा भव ज० २ वार उ० असख्याति	क्षय उपशम माफिक.
० स्पर्शना द्वार	समुच्चय लोक फरसे	७ राज माठेरो फरसे	७राज माठेरो फरसे	. ७ राज माठेरो फरसे.
:१ अल्पा बहुत्व द्वार.	क्षायकरा धणी अनता	सवसे थोडा उपशम सम्यक्त राधणी	क्षय उपशम-राधणी असख्यात गुणा	वैदक सम्यक्त राधणी स-ख्यात गुणा

अथ उदय विचार लिख्यते ।

मिथ्यात्व ने उदय जीव अज्ञान पणुं पामे अष्टकर्म उदै अश्रद्धपणुं पामे, जोगने उदै लेश्या पामे, अप्रत्याख्यानी ना उदै अविरति पामे, मोहने उदै क्रोधादि ४ पामे, कषाय मोहनी ने उदै वेदत्रिक पामे, नाम कर्म ने उदै गती ४ मध्ये परिभ्रमण पामे, मिथ्यात्व मोहनी ने उदै मिथ्यात्व पामे ।

(इति उदय विचार सम्पूर्णम् .)

अथ परमाधामियों के कार्य।

१. अंब परमाधाम्मी नारकी ने हणे छेदे, उछाले, २. अंबरसी कटका करी पचावे, ३. श्याम चपेटे मारे, ४. शवल कालेजा वसा काटे, ५. रुद्र त्रिसुले उपाड़ी नाखे, ६. विरूद्र अंगोपांग छेदइ, ७. काल शुला करी पचावे, ८. महाकाल शरीरनां सूक्ष्म सूक्ष्म खंडोखंड करे, ९. असिपत्र खड्ग सारीषे पाने छैदे, १०. धनुधपति बाणे करी मारे, ११. कुंभी कुंभी माहे पचावे, १२. वालूग वेलू माहे पचावे, १३. वेतरणी नाम परमाधम्मी बेतरणी नदिनो पानी पावे, १४. खारस्सर नामा परमाधर्मी कांटां माहे सुवाड़े, १५. महाघोष सींहनादे करी भय उपजावे।

(इति परमाधम्मी कार्य सम्पूर्णम्.)

अथ श्री ज्ञान बहोतरि लिख्यते ।

दोहा ।

प्रणमु श्री परमात्मा, धरि सत्गुरु को ध्यान ।
कछुक आतम बोधको, करुं बहुतर ज्ञान ॥ १ ॥

१. पहले बोले, महा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाय करके आपणि आतमा आलस्य प्रमाद और मोह में दिन गमावे सो माहा मूर्ख जाणवो ।

२. दूसरे बोले, धर्म्म की सर्व सामग्री पायके आत्मारो साधन नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

३. तीसरे बोले पुण्य रूप पुंजि तो साथ लायो नहीं और सुखी होवारे वास्ते घणी हाय २ करे अधिक तृष्णा बधावे सो माहा मूर्ख ।

४. चौथे बोले, कोई पुण्य रा उदय सुं ज्ञानरी प्राप्ति हुई, लोभ शत्रुने दुखदाई जाण्यो, फिर संतोष नहीं राखे सो माहा मूर्ख ।

५. पांचवे बोले, कोई सत्गुरु की कृपा सुं ज्ञान रत्न पायो, तिणसुं अथिरज पणुं खोटो जाण्यो, फिर संसार सम्बन्धि कष्ट आय पड़े, तिनारे धीरजता न राखे सो माहा मूर्ख ।

. ६. छठे बोले, ज्ञान पायो तिणसुं करी संसार असार जाण्यो, फिर झूठ बोल प्रपंच करे, क्लेश वढावे सो माहा मूर्ख ।

७. सातमें बोले, आत्मारी शक्ति प्रमाणे सौगन व्रत पच्चखाण नहीं करे, केई दुष्ट जीव सौगन लेकर भांगे सो माहा मूर्ख ।

८. आठमें बोले, पूर्व जन्मरा पापरा उदय करी दुख आवे, तिवारे आत्मारे विषे ज्ञान विचारी शीतलता नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

९. नवमे बोले, साता वेदनीरे उदय करी सुख आवे तिवारे अभिमान करे, धर्म रत्न विशार देवे सो माहा मूर्ख ।

१०. दशमे बोले, ज्ञान बढ़ावा को उपाय तो नहीं करे और संसार बढ़ावा का घणा खोटा उपाय करे सो माहा मूर्ख ।

११. ईग्यारमे बोले, उत्तम ज्ञानि की संगत पाय कर आपणि आत्मा राग द्वेष रहित निर्मल नहीं करे, अथवा उपाय नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

१२. वारमे वोले, ज्ञान वानरी सेवा भक्ति करीने आपणि आत्मा उज्वल पाप रहित न करे सो माहा मूर्ख ।

१३. तेरमे वोले, व्रत पच्चखाणरे विषय दृढ़ता नहीं राखे कष्ट पड़े तिवारे धर्म्म ने छोड़ देवे सो माहा मूर्ख ।

१४. चवदमे बोले, संसारी कामारो तो नियम राखे, और आखा दिवस मांहि दोय घड़ी धर्म्म कार्य्य करवा को नियम राखे नहीं सो माहा मूर्ख ।

१५. पन्नरमें बोले, कोई उत्तम जीव धर्म रो उपदेश देवे, हितरी शिक्षा कहे तिण उपर रीस करे सो माहा मूर्ख।

१६. सोलमे बोले, ज्ञान रत्न पायो तिणसुं संसार असार जाणे और मोह ममता दुखदाई, संसार वृद्धि रा कारण जान्या फिर मोह ममता दुखदाई संसार री वृद्धि रा कारण वढ़ावे सो माहा मूर्ख ।

१७. सतरमे वोले, थोड़ासा जीववारे वास्ते माहा आरंभ करे, कषाय करे, पर जीवां ने दुख उपजावे, अथवा घणा भय उपजावे सो माहा मूर्ख ।

१८. अठारमे बोले, आपणो चैतन्य अनादि काल रो काम क्रोध, लोभ मोह, अज्ञान रूप बंधन में पड्यो है तिणने छुड़ावारो उपाय नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

१९. उन्निसमें बोले, पापी दुष्टी जीव पार की ऋद्धि तथा घणो परिवार देखी आप पोते झुरे, और मन में खोटा विकल्प करे, ऐसी ऋद्धि मने क्यों नहीं मिली सो माहा मूर्ख ।

२०. वीसमें बोले, दुष्ट जीव पर का अवगुण देखे, आपणा अवगुण देखे नहीं आछो गुणवान देखी तीण माहि खोट काडे सो माहा मूर्ख ।

२१. इक्कविसमें बोले, सुखी होवारे अर्थे जीभ का स्वाद अर्थे तथा कामभोग सेवा अर्थे घणा पाप करे, घणा छल भेद करीने परिग्रह भेलो करे सो माहा मूर्ख ।

२२. बाविसमें बोले देहने पोखवारे अर्थे जीभ का स्वाद अर्थे तथा कामभोग सेवा अर्थे घणा जीवा को नाश करे सो माहा मूर्ख ।

२३. तेइसमें बोले, सर्व जीवां ने आपणी आत्मा सरीखा जाण कर फिर दया रा प्रमाण नहीं राखे सो माहा मूर्ख ।

२४. चोविसमें बोले, बचन बिचारने बोलणो, पाप सहित, हाँसि सहित, भय सहित, अन्याय सहित, सराप सहित, ऐसा बचन नहीं बोलना, बोले सो माहा मूर्ख ।

२५. पच्चिसमें बोले, बिना अर्थ दिन गमावे मनुष्य जन्म का वक्त सहज में बिकथा मॉहि दिन गमावे सो माहा मूर्ख ।

२६. छव्विसमें बोले, ज्ञानवान होय, पांच इन्द्रिय के भोग की इच्छा बधावे, मन इन्द्रिय ने बश नहीं करे सो माहा मूर्ख।

२७. सत्ताविसमें बोले, ज्ञानवान होय के अभिमान करे, तथा पापकर्ता मन में शंका, भय नहीं लावे सो माहा मूर्ख ।

२८. अट्ठाइसमें बोले, बिना प्रयोजन मन ने ऊंच, नीच, ठिकाणे दौड़ावे, रूपवान स्त्री देखी चाहना करे अने कुसंकल्प विकल्प मनसुं उठावे, घणा पाप कर्म बांधे सो माहा मूर्ख ।

२९. उनत्तीसमें बोले, छति शक्ति निरोग शरीर पाय कर तपस्यादि न करे सो माहा मूर्ख ।

३०. तीसमें बोले, पूर्व जन्मरी कमाईरा जोगसुं अशुभ कर्म भोगवतां, घणो हाय विलाप करे और अति, रुद्र, ध्यान चिंतवें सों माहा मूर्ख ।

३१. इकत्तिसमें बोले, मनुष्य जन्म पायकर आत्म तत्व नहीं विचारे, अच्छा धर्म्म कारज की चिंतवना नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

३२. बत्तिसमें बोले, धर्म्मी पुरुष आत्मार्थि आत्म-साधन करता देखी, तिणांरी निन्दा करे, तिणां उपरी द्वेष धरे, ईर्षा करे, तिणारो अपवाद करे तथा हासि करे सो माहा मूर्ख ।

३३. तेत्तिसमें बोले, श्री भगवंत वीतराग रा वचन मांहि प्रतीत नहीं राखे, मन माहि शंका कंखा करी आपरो जन्म बिगाड़े सो माहा मूर्ख ।

३४. चौत्तिसमें बोले, महा मोटा गुणवान उत्तम पुरुष तेहना गुणग्राम नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

३५. पेंत्तिसमें बोले, संसार रूप दावानल, माहि काम, क्रोध, लोभ, मोहे करीने लिप्त रहे तिण बलति आग मांहि सुं सार वस्तु धर्म्म रत्न नहीं काढ़े सो माहा मूर्ख ।

३६. छत्तिसमें बोले, अनंता काल रुलतां घणां पुण्य रां उदय सुं मनुष्य रूप साताकारि विश्राम पायो, फिर पायकर विश्रामरी जग्यां क्लेश बढ़ावे, आत्मा ने फिर दुख मांहे पटके सो माहा मूर्ख ।

३७. सेत्तिसमें बोले, गया काल में अनंता जन्म मरण करया, अनंता दुख देख्या तिणने विसारे सो माहा मूर्ख ।

३८. अड़त्तिसमें बोले, इण जन्मने विषे उत्तम कार्य नहीं करे, अथवा छति शक्ति पर उपकार नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

३९. उगनचालिसमें बोले, आयुष्यरो चपल पणो देख फेर संसार मांहि, राचो मांचो रहे, म्हारो थारो करे सो माहा मूर्ख ।

४०. चालिसमें बोले बिना घृत होम्या तृष्णा रूप अग्नि से ज्वाला उठ रही है तिण माहि फिर परिग्रह रूप घृत होमने शीतल कियो चहावे सो माहा मूर्ख ।

४१. इगतालिसमें बोले नरकरी अनंती वेदना शास्त्र मांहि सांभलि हिया मांहि अच्छि तरह जाणिने फ़ेर आतमा ने समझावे नही, पाप करता वर्जे नही सो माहा मूर्ख ।

४२. बयालिसमें बोले, जरा अवस्था आय जावे, जोर बिरलाय जावे, हाथ पांव थक जावे, ऐसी बेहालत में होजावे, आपणि दृष्टि सुं देखे तो पिण आपणा मन ने समझावे नहीं, और हाय २ धन धन करतोहिज रहे सो माहा मूर्ख ।

४३. तयालिसमें बोले, अज्ञानि जीव आखो दिवस हाय विकल्प में, धन्धा में पूरो करे, रात्रि प्रमाद मांहि पूरि करे पिण दोय घड़ी समता समाधि लायकर आपणी आत्मारो साधन नहीं करे, साठ हाथरी डोर कुआ मांहि नाखे पिण दोय हाथ डोर आपणा हाथ मांहि नहीं राखे सो माहा मूर्ख ।

४४. चमालिसमें बोले, बिना प्रयोजन जीव आपणी आत्माने दुर्गति माहि पटके, झूठो उपदेश देवे, पापरो उपदेश देवे, खोटी २ कुविद्या लोकांने सिखावे, महा मोटा अनर्थ करावे सो माहा मूर्ख ।

४५. पेत्तालिसमें बोले जगत् चलाचल मरतो प्रत्यक्ष देखे है, पिण मन मांहि मरवारो भय नहीं लावे, और लक्ष्मि परिवार सर्व स्थिर करी जाणे, पिण क्षण मांहि विनाश होय जायगा ऐसी नहीं विचारे सो माहा मूर्ख ।

४६. छीयालिसमें बोले, मूर्ख जीव संसार रा कारज अकाम है, जाणिने तो सकाम कर जाणे, और आपणा निज ज्ञान ने प्रगट करणे मे अनंता काल रा दुःख दूर होय

जावे ऐसो मोटो काम है तिणने अकाम करी जावे सो माहा मूर्ख ।

४७. सेत्तालिसमें बोले, अज्ञानि जीव आपखो नाम कर्म्म वढ़ावा की तथा कीर्ति वढ़ावा की अनेक आरंभ करे महा मोटा पाप करे है, कुछ भय नहीं राखे, पिण अनेक भवांरे विषय दुख भुगतना पड़ेगा, ऐसो विचार नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

४८. अड़तालिसमें बोले, पूर्व भवरी कमाईरा जोग सुं लक्ष्मि पायकर पाप कर्म्म करतां वर्जे नहीं सो माहा मूर्ख ।

४९. उगनचासमें बोले, केई अज्ञानि जीव शक्ति होय जद तो धर्मध्यान करी आत्मारो कल्याण करे नहीं, फिर वृद्ध अवस्था में इन्द्रियां हिण पड़ जावे तब तिणरी इच्छा करे पिण वण नहीं सके जैसे आग लाग्या कुओ खुदावारो उपाय करे सो माहा मूर्ख ।

५०. पचासमें बोले, शीतल, संतोष, क्षमा, दया, गम्भीरता, धैर्य, इत्यादि अनेक भला २ गुणांरो वढ़ावारो अभ्यास नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

५१. इकावनमें बोले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, निंदा, ईर्षा, कपटाई, इत्यादिक अनेक अशुभ कार्य नहीं छोड़े सो माहा मूर्ख ।

४२. बयालिसमें बोले, जरा अवस्था आय जावे, जोर बिरलाय जावे, हाथ पांव थक जावे, ऐसी बेहालत में होजावे, आपणि दृष्टि सुं देखे तो पिण आपणा मन ने समझावे नहीं, और हाय २ धन धन करतोहिज रहे सो माहा मूर्ख ।

४३. तयालिसमें बोले, अज्ञानि जीव आखो दिवस हाय विकल्प में, धन्धा में पूरो करे, रात्रि प्रमाद मांहि पूरि करे पिण दोय घड़ी समता समाधि लायकर आपणी आत्मारो साधन नहीं करे, साठ हाथरी डोर कुआ मांहि नाखे पिण दोय हाथ डोर आपणा हाथ मांहि नहीं राखे सो माहा मूर्ख ।

४४. चमालिसमें बोले, बिना प्रयोजन जीव आपणी आत्माने दुर्गति माहि पटके, झूठो उपदेश देवे, पापरो उपदेश देवे, खोटी २ कुविद्या लोकांने सिखावे, महा मोटा अनर्थ करावे सो माहा मूर्ख ।

४५. पेत्तालिसमें बोले जगत् चलाचल मरतो प्रत्यक्ष देखे है, पिण मन मांहि मरनारो भय नहीं लावे, और लक्ष्मि परिवार सर्व स्थिर करी जाणे, पिण क्षण मांहि विनाश होय जायगा ऐसी नहीं विचारे सो माहा मूर्ख ।

४६. छीयालिसमें बोले, मूर्ख जीव संसार रा कारज अकाम है, जाणिने तो सकाम कर जाणे, और आपण निज ज्ञान ने प्रगट करणे से अनंता काल रा दुःख दूर होय

जावे ऐसो मोटो काम है तिणने अकाम करी जावे सो माहा मूर्ख ।

४७. सेत्तालिसमें बोले, अज्ञानि जीव आपणो नाम, कर्म्म वढ़ावा की तथा कीर्ति वढ़ावा की अनेक आरंभ करे महा मोटा पाप करे है, कुछ भय नहीं राखे, पिण अनेक भवांरे विषय दुख भुगतना पड़ेगा, ऐसो विचार नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

४८. अड़तालिसमें बोले, पूर्व भवरी कमाईरा जोग सुं लच्छि पायकर पाप कर्म्म करतां वर्जे नहीं सो माहा मूर्ख ।

४९. उगनचासमें बोले, केई अज्ञानि जीव शक्ति होय जद तो धर्मध्यान करी आत्मारो कल्याण करे नहीं, फिर वृद्ध अवस्था में इन्द्रियां हिण पड़ जावे तब तिणरी इच्छा करे पिण बण नहीं सके जैसे आग लाग्या कुओ खुदावारो उपाय करे सो माहा मूर्ख ।

५०. पचासमें बोले, शीतल, संतोष, क्षमा, दया, गम्भीरता, धैर्य, इत्यादि अनेक भला २ गुणांरो वढ़ावारो अभ्यास नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

५१. इकावनमें बोले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, निंदा, ईर्षा, कपटाई, इत्यादिक अनेक अशुभ कार्य नहीं छोड़े सो माहा मूर्ख ।

५२. बावनमें बोले, धर्म की बात तथा श्रद्धा नहीं राखे, धर्म्म करतां आलस करे, काल चक्र माथा ऊपरि घूम रह्यो है, छिण एकरो भरोसो नहिं और अज्ञानि जीव धर्म्म करिवारा वायदा करे सो माहा मूर्ख ।

५३. तरेपनमें बोले, अभवि जीव दूजां को उपदेश देवे, आपणी आत्मा ने समझावे नहीं, ऐसे ही मूर्ख अज्ञानि लोकां ने ठगवाने राजि करवा धर्म्म उपदेश देवे, आपणि कीर्ति बधारवा की आशा सहित धर्म ध्यान क्रियादिक करे सो माहा मूर्ख ।

५४. चोपनमें बोले, आप पोते सुखिया है, और दूजां को दुखिया देखी, आप राजी होवे, दुखियों की हांसि करे दीन हीन दुर्बल की करुणा मन मांहि नहीं जाणे, दया नहीं लावे सो माहा मूर्ख ।

५५. पचावनमें बोले, ज्ञान पायारो सार कांई है आपणि आत्मा को कल्याण करवो, दूजा जीवां ने उपदेश देणां पुस्तकां लिखाय २ देणी, धर्म्म के मार्ग लगाय देणा उपकार करणो तिण मांहि घणो लाभ है, कोइ हिण बुद्धि या ज्ञान पाय कर दूजां को उपकार करे नहीं, ज्ञान छिपावता फिरे सो माहा मूर्ख ।

५६. छप्पनमें बोले, कोइ कुं धर्म्म ध्यान, व्रत, नेम पच्चखाण तपस्या करतां वर्जणा नहीं, अंतराय देणी

नहीं, केइएक अज्ञानि आपणा कुटुम्ब कुं मोह भावे वर्ते है सो माहा मूर्ख ।

५७. सत्तावनमें बोले, कुव्यसानि हिंसक झूठो लापर चोर अन्यायी, चुगल, इर्षावन्त, क्रोधि मानि, कपटि, लोभि, अधीर्यवाल, इत्यादिकरी संगत करी आपरो ज्ञान गुण बधारयो चहावे सो माहा मूर्ख ।

५८. अट्ठावनमें बोले, क्रोध, लोभ, भय हांसि, इण चार प्रकार से, झूठरो पाप घणो लागे है, हे चेतन जो तुं थारी आत्मारो कल्याण करयो चहावे है तो असत्य वचन को त्यज, तिणसुं सर्व पाप टल जायगा, ऐसी जाण उपयोग नहीं राखे सो माहा मूर्ख ।

५९. गुनसठमें बोले, दशवाना घटायां घटे, और बधवाया बधे, तिणारा नाम, १ क्लेश, २ हांसि, ३ मैथुन ४ खाज, ५ शोक, ६ चिंता, ७ निंद्रा, ८ वैर, ९ तृष्णा, १० निंद्या, इणने नहीं घटावे सो माहा मूर्ख ।

६०. साठमे बोले, ज्ञान बधाया का दश उपाय कह्या है (१) आहार थोड़ो करे (२) निंद्रा थोड़ी लेवे (३) थोड़ो बोले (४) पंडित पास रहे (५) क्रोध नहीं करे (६) विनय घणो करे (७) पांच इन्द्रिय को स्वाद जीते (८) घणा शास्त्र वांचे (९) ज्ञानवालारे पास बसे (१०) घणो उद्यम करे, इण दश उपाय करके ज्ञान की वृद्धि नहीं करे, छती जोगवाई आलस करे सो माहा मूर्ख ।

६१. इगसटमें बोले, जीवने दश वस्तु की सामग्री पावणी माहा दुर्लभ कही है १ मनुष्य जन्म, २ आर्यदेश, ३ उत्तम कुल, ४ मोटो आउखो, ५ इन्द्रि सम्पूर्ण, ६ निरोग शरीर, ७ साधुसन्तरी जोगवाई, ८ सूत्र सिद्धांत को सुणवो, धर्म्म की श्रद्धा प्रतीत लावणी, १० काया कष्ट करी धर्म्म ध्यान करणो, इत्यादि सामग्रि कोई पुण्य का उदयसुं पाय कर धर्म्म साधन नहीं करे सो माहा मूर्ख।

६२. बासठमें बोले, जे वस्तु घणी दुर्लभ पामि तिणरो घणो यत्न करे ऐसो अज्ञानि समझे नहीं, मोह भाव वश कर ऋद्धि परिवार मांहि पचरह्यो है, म्हारो थारो कररह्यो है, पण देख सर्व यहां का यहां धरया रहेगा, कुछ भी साथ आवेगा नहीं जिण वास्ते मोह भाव अज्ञान भाव को छोड़ कर धर्म्म साधन करणी नहीं करे सो पिछे पश्चाताप करणो पड़ेगा, ऐसो नहीं विचारे सो माहा-मूर्ख।

६३. तीरेसठमें बोले, धर्म्म २ सब कोई कहे, पिण धर्म्म को मर्म विचार कोई जाणे नहीं, धर्म्म तो, क्रोध मान माया लोभ, दूर करवासुं प्रगट होवे है, अनंत ज्ञान प्रगटे है कोई क्रिया को धर्म्म कहे है सो क्रिया में तो पुण्य को बंध है, अच्छो है, पिण निर्जरा नहीं ऐसो जाण क्रोध मान माया लोभ को दूर कर आत्म ज्ञान प्रगट नहीं करे सो माहा मूर्ख।

६४. चौसठमें बोले, जगत मांहि जीव सर्व अन्धो अन्ध लगरह्या है, जहां देखो वहां आप आपणे स्वार्थ की बात बतावे है, परमार्थ का शुद्ध मार्ग दिखावे वाला थोड़ा है, जिण वास्ते हे चैतन्य परमार्थी उत्तम ज्ञानवानरी परिक्षा कर, तिणरी सेवा करणी ते संसार रूप समुद्र मांहि आपणो जीव अनादि कालसुं डूबरह्यो है, तिको अब मनुष्य जन्म रूप किनारो पाय कर, आत्माने डुबावाको उपाय करणो नहीं, तिरवारो उपाय करणो, नहीं करे, सो माहामूर्ख।

६५. पेंसठमें बोले, अरे चैतन धर्म्म करवाको अवसर चल्यो जाय है, क्षण २ में आउखो घटे है, पिण तुं कांइ विचारे है नहीं इसो मनुष्य जन्म पाय कर वृथा हार जाय है, अरे! मूर्ख! गयो अवसर फिर पिछो आवेगा नहीं नित नई तृष्णा बढ़ावे है पिण हियामांहि अच्छि तरह विचार देख, जो तृष्णा बधायां, संसार बधे है, तृष्णा घटायो संसार घटे है, ऐसो विचार कर तृष्णा नहीं घटावे, सो माहा मूर्ख।

६६. छासठमें बोले, कोई जगत मांहिं सुखी है नहीं, जहां देखो तहां सर्व जीव कर्म्मा का जोग सुं दुखी हो रह्या छे यथा अज्ञानी मोह भावसुं कर संसार मांहिं सुख मान रह्या है पिण सुख कदी भी होवे नहीं। ज्युं बलती आग मांहिं वेग शीतलता होवे तो संसार मांहिं सुख होवे सुख तो आपणे संतोष भाव में है सो संतोष को छोड़ कर

मनकी विकलता बढ़ावे है सो माहा मूर्ख ।

६७. संसठमें बोले, हे चैतन्य तुं इण संसार मांहिं कांइ लोभाय रह्यो छे, अज्ञान दशा मांहि कांइ थारो म्हारो कर रह्यो छै, कोइ किणरो नहीं, सर्व आप आपणा स्वार्थने रोवे है जिणरो स्वार्थ नहीं पोंहचे सो राजी नहीं, पूगे सो राजि, अरे! भोला! तने मोह छाक चढ़ रही है, तिणसुं कांई सूझ तो नहीं, पिण आगे घणो दुख भोगनो पड़ेगा, ऐसो विचार संसार सुं उदासिनता भावे, नहीं रहे सो माहा मूर्ख ।

६८. अड़सठमें बोले, अरे जीव तुं देख आगे पूर्व जन्म मांहिं अच्छि पुण्य कमाइ नहीं किनि तिणसुं यहां दुखी होय रह्यो है पराधीन पणे आजीविका पूरी करे है फिर इण जन्म मांहिं सुकृत कार्य करी खर्चि साथ बांध तो नहीं सो आगे फिर भी दुखी होगा, ऐसो विचारी उपाय नहीं करे, सो माहा मूर्ख ।

६९. गुणंतरेमें बोले, अरे! मूर्ख! तुं पाप करतो कांइ विचारतो नहीं तुं जाणे है लाच्छिम भेली करुंगा सो दुख की वक्त में काम आवेगा सो दुख की वक्त में तो पाप को उदय आवे है जीवांरे पापरो उदय आवे है तिवारे लच्छिम पिण रहेगा नहीं लाच्छिम तो पुण्यरा उदय मांहिज है ऐसो विचार मूर्छा छोड कर आत्मसाधन नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

७०. सीत्तरमें बोले, अरे! भोला! तुं पेट भरवारे वास्ते सोच कर नवा कर्म्मो को बंध काहे कुं बांधता है जो कुछ पूर्व जन्म मांहिं कमाइ कर साथ लायो है, सो यहां आपु आप सहज ही मिलजायगा, सोच कियां कुछ अधिको ओछो होवे नहीं ऐसो विचार आतमा स्थिर नहीं करे सो माहा मूर्ख ।

७१. इकहत्तरमें बोले, जगत मांहि आप आपणा मनका झगड़ा कर रह्या है पिण तत्व बात कोई विचारे नहीं, तत्व बात को सवमत में एकज कही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इण चार को छोड्यां आतमा निर्मल होय है, यांकुं छोड्या विना मुक्ति नहीं, तप, जप, नियम व्रत रात्रं इण सहित निष्फल है, ऐसी बात सर्व मत में कही है, पिण मन्द बुद्धि वाला जीव समझे नहीं, हकनाहक वाद विवाद करी जन्म पूरो करे सो माहा मूर्ख ।

७२. बोहत्तरमें बोले, दीपक सबको उद्योत करे है पिण आपणे नीचे सदा अन्धकार रहवे है कदीभि प्रकाश होवे नहीं सो अज्ञानि जीव दूजां ने आछा २ उपदेश देवे पिण आप कुमार्ग चाले आपणे अज्ञान रूप अन्धकार दूर करीने ज्ञान रूप सूर्य प्रगट करे नहीं, पिण हे! चैतन्य सर्व कर्म्मो को अंत करीने केवल ज्ञान रूप सहस्र सूर्य उद्योत आत्मा रे विषे प्रगट करेगा तिवारे मोक्ष नगर पहोंचेगा जहां अनंता सुख मिलशेगा ।

दोहा ।

बोल बोहत्तर ए कह्या, जिनागम अनुसार ।
सुणे सुणावे सरदहे, ते पावे भवपार ॥ १ ॥

ज्ञान बोहतरी नाम है, कीनि भवि उपकार ।
अम्बालाल अर्जि करे, मुझ प्रभु पार उतार ॥ २ ॥

मैं अनाथ अतहि दुखी, डरयो देखी संसार ॥
ताते नाथ सरण ग्रही, अब मोहे वेग उतार ॥ ३ ॥

सत्त उन्निसे सात के, वदि दसमी फागुन मास ।
रत्नपुरि मोह रची, पर निज आत्म प्रकाश ॥ ४ ॥

(इति श्री आत्म विचार वैराग्य रूप ज्ञान बोहोतरी सम्पूर्ण).

अथ ६ भावना लिख्यते ।

(१) पेली भावना समदृष्टी पुरुष आपके चेतन ने असंख्याता परदेशी जाणे ।

(२) दूसरी भावना समदृष्टी पुरुष आपके चेतन ने आठ कर्मों का कर्ता जाणे ।

(३) तीसरी भावना समदृष्टी पुरुष आपके चेतन ने आठ कर्मों का भोक्ता जाणे ।

(४) चौथी भावना समदृष्टी पुरुष आपका आठ रुचिक परदेश सिद्ध समान जाणे ।

(५) पांचवी भावना समदृष्टी पुरुष आपके चेतन ने मोक्ष जाने वाला जाणे ।

(६) छठी भावना समदृष्टी पुरुष मोक्ष का चार कारण जाणे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ।

इति सम्पूर्णम्.

अथ आत्मनिन्दा लिख्यते ।

हे आत्मा ! हे चेतन ! ए कुंदृष्टा, ए कुश्रद्धायां, ए अकार्थ, प्रवृत्ति, ए रस गृद्धि पणे, ए खोटी दृष्टां सामायिक दोय घड़ी मात्र कालमें तुं मत चिंतवन कर, क्यारे तूं सम्यक्त मोहनी में, क्या रे तूं मिश्र मोहनी में, क्या रे तूं मिथ्यात्व मोहनी में, क्या रे तूं स्नेह राग में, क्या रे तूं काम राग में, क्या रे तूं दृष्टि राग में, क्या रे तूं कुगुरु में, क्या रे तूं कूदेव में, क्या रे तूं कुधर्म्म में, क्या रे तूं ज्ञान विराद्धना में, क्या रे तूं दर्शन विराद्धना में, क्या रे तूं चारित्र विराधना में, क्या रे तूं मनोदण्ड में, क्या रे तूं वचनदण्ड में, क्या रे तूं कायादण्ड में, क्यारे तूं हास्य में, क्या रे तूं रति में, क्यारे तूं अरति में, क्या रे तूं भय में, क्यारे तूं शोक में, क्या रे तूं दुगन्छा में, क्या रे तूं कृष्णलेस्या में, क्या रे तूं नीललेस्यामें, क्या रे तूं कापोतलेश्यामें, क्या रे तूं ऋद्धिगारवमें, क्या रे तूं रसगारव में, क्या रे तूं सातागारव में, क्या रे तूं मायाशल्य में, क्या रे तूं नियाणाशल्य में, क्या रे तूं मिथ्या दर्शनशल्य में, क्या रे थारे तेहरे काठिया दोला, आंण फीरे छे, क्या रे थारे अट्ठारे पापस्थान दोला आण फिरे छे, रे तूं आत्मा माहादुष्टि, माहा दुराचारि, अरे तूं हीणतिर्यग जाया, रे तूं हीण पुन्नीया, रे तूं हीण दृष्टि, रे तूं अघोर पाप रा करणहार, रे तूं कुदृष्टि, पापिष्ट जीव प्राय तो थारे अनंता-

नुबंधियो क्रोध, अनंतानुबंधियो मान, अनंतानुबंधिया माया, अने लोभरी चोकड़ी, वापड़ा थारे खपि नहीं, गुणठाणो थारे पलट्यो नहीं, धिरजगुण थारे आयो नहीं, तृष्णारूपी दाह थारे सिटि नहीं, आकुल व्याकुलता थारे मिटी नहीं, दरियावबाला कल्लोल उछले, युं थारे तृष्णा रुपीया कल्लोल उछल रह्या छे, तूं तो क्रिया करे छै सो सून्य मन सुं करे छै, धीर्य गुणसुं करीश सो थारे लेखे लागसी, शून्यपणे करी जो क्रिया, सो तो छारपर लीपणे सरीखी छै, रे चेतन अनंतकाय, अभक्ष, शीलवृत्त, जरदो, डासली, अमल, भांग तमाखु रा सौंस लेलेके भांज्या, रे चेतन, वापड़ा थारो कठे छूटणो होसि, हे चेतन तूं पुद्गल रे वास्ते कितरीएक आकुल व्याकुलताई कर रह्यो छे, ओहो, म्हारे पारस पत्थर, म्हारे नवनिधान, म्हार रसकूंपो, म्हारे रसायण, म्हारे चित्रावेल, म्हारे अमृत गुटका वा देवतां ने वश करूं, वा बादशाह होजाऊं, वा राजा होजाऊं, सेनापति होजाऊं, रे वापड़ा थारे तो ए बातां उपजेही उपजे, दशमे गुणठाणे वाला ने ही लोभनो परिहार नहीं तो रे वापड़ा थारी तो गरज कठेसुं सरे, हे चेतन तूं युं मनमें चिंतव रह्यो छै, म्हा रो घर म्हारो पिता, म्हारी माता, म्हारो पुत्र, म्हारी कलत्र (स्त्री) म्हारो पुद्गल, अरे चेतन चौरासि फिरते चोरासी लाख घर करतो फिरयो संसार में न किणरो तूं छै, न कोई थारो, रे चेतन थारी उत्पत्ति तो देख, केई वार मापणे, केई वार पुत्र पणे, केईवार पुत्रीपणे, केईवार स्त्रीपणे. ए थारा नाच को

देख, ठगरी बेटी कह्योथो, हे माताजी, हे पिताजी हूं इतरा पाप करूं छुं सो कुण भोगवसी, ए बेटी करसी सो भोगवसी, तो धिक्कार पड़ो इण संसार ने, संसार में कोई किणरो नहीं, ओ मनुष्य जन्म, आर्यदेश, आर्यकुल, श्रावक रो खोलीयो, प्रभुजीरो धर्म्म ते पुण्यानुबन्धि पुण्यसुं पायो, पायकर हे बापड़ा तें ब्राह्मण कागला ने चिंतामणि रत्न पायकर खोयो, तिम ते, चिंतामणि रत्न रूप धर्म्म खोयो, थारी आत्मारी गरज क्युंकर सरे, रे चेतन तुं कहे, हुं, रे तूं कुण ? सिद्धा माहेली लट, कुंहिज हुओ, मानरूपीये गजऊपर बाहुबल चढ्यो, अरे संज्वलनो मान थो, ब्राह्मी सुंदरी बाई सरीखी, समझावण वालि मिलि, जद समझीया, बापड़ा जिणारो ओ मान, सो थारो किसो हवाल होसि, ए चेतन देख तुं भरत महाराज, जिणारे कितनी एक राजरिद्ध सोभाग हुतो तो, के धिक्कार हुतो, म्हारे राज ने धिकार हुवो, पाटने धिकार हुवो, चक्रवर्ति की पदवि ने धिक्कार हुवो, म्हारे विषय सुखाने, धनछे ते, तीर्थंकर महाराजनो देशविरती धर्म पाले छे धनछे जे सर्व वृत्ति धर्म्म पाले छे, धन जे दानदे छे, धन जे शीयल पाले छे, धन जे तपस्या करे छे, धन्य जे भावना भावे छे, तो के भावना भावता भर्तादिक केवल ज्ञान, केवलदर्शन, पाम्या, तो के तूं उणांरी करणरी सरकर उवे तो तेसठ शिलाकारा पुरुष चर्मशरीरी, चौथे आरे रा जीव तूं पंचम काल रो सगा नेत्रां कीडलो [illegible] ए चेतन, कठे अतीत वस्तु, रे चेतन तूं

जीव वस्तु, रे चेतन जीवसुं जीवतो सदा परचो करे, पिण अजीवसुं क्युंकरे, पिण तुं निबल कर्म्म, महा सबल, रे चेतन, कर्म्म तो चउदे पूर्वधारियां ने उठाय पटक्या, इग्यारमें गुणठाणेरा जीव भवन भावन केवलीजी कमल प्रभाचार्यजी, महाविदेह रा मानवियाने डिगाय दिया, तूं पंचम कालरो जीव कितिएक बात, आठ कर्म्म एक सो अठावन प्रकृति प्रभु किमकर जीत्यो जाय, मोह कर्म्म लारे लाग्यो, प्रभु किमकर जीत्या जाय, संग लगे आय हमारी विनति, हे चेतन, चारित्र री फोजा मांहि रही, सद्बोध सुं हरावि आज्ञा मांहि रही, सदागम सुं परचय राख, संतोष-गुण धारकर, तृष्णा रूपणी दाहने पूठी मार ज्यूं थारे आतमारी गरज सरे, धनछे साधु मुनिराज, पांचे सुमते सुमता, तीने गुप्ते गुप्ता, छकायना पीहर, सात माहाभयना टालणहार आठ मदना जीपक, नवविध, ब्रह्मचर्यव्रत नी वाडना राखणहार, दशविध जति धर्म्म ना उज्वालक, इग्यारे अंग ना भणणहार, कुखी, संबल: मलमालिन गात्र, चारित्र पात्र, धन्य छे जे मुनि प्रभूजी नि आज्ञा प्रमाणे धर्म्म पाले, हे चेतन, तनेई कदे उदय आवसि, रे चेतन थारे उदय कठा सुं आवे, रे बापड़ा थारे संसार री, बहुल-ताइ घणी, तिवारे तने कठा सुं उदय आवे, धन छे जीके देश, विरति श्रवक जे प्रभुजीनि आज्ञा प्रमाणे खड आव-श्यक करे अर्थात् सामायिक, चौविसंथा, वंदणा, पडिक-मणो, काउसग, पच्चखाण करे, मनेई कदे उदय आवसि, रे चेतन तूं ऐसा खोटा काम करे छे, थारा खोटा ख्याल

हुसि, थारा खोटा परिणाम देखतां तो थारे खोटी गति उदय आवसि ॥ दुहा ॥ सामायक मन शुद्ध करो, निंदा विकथा पद परिहरो । पढ़ो गुणो वांचण खप करो, जिम भव सागर लिला तरो ॥ १ ॥ समायिकवंतरा ए लक्षण छे, थारी तो सामायिक आ छे, सामायक मन अशुद्ध करो, निंदा विकथा बहुलि करो तने, वांचण पढ़णरी खप कठे छे, तें तो श्रुतज्ञानरो बहु मान न कियो श्रुतज्ञानजीरो, गुणनो न कियो, तेरे थारे ज्ञानावर्णिरो, अन्धकार पड़ल फिर गयो, श्रुतज्ञानजी रो आराधन करे छे, श्रुतज्ञानजी रो बहु मान करे छे, ज्यांरा ज्ञान दर्शन, चारित्र निर्मल होवे छे, जिकांइरे ज्ञानरी प्राप्ति होवे छे, जिकांई रे ज्ञान दर्शन, केवल री प्राप्ति होवे है, जिकांई रे मुक्त रूपीणि स्त्री पाणिग्रहण होवे । ॥ दुहा ॥ दिवस प्रते दिये कोई त्युं जांण, सोना खंडी लच्य प्रमाण । तेहने पुण्य न होवे, जेतलो, सामायक कियांफल तेतलो ॥ १ ॥ पिण तूं चेतन इण भरोसे भूले मां, आ थारी सामायिक उवा नहीं भाई, आ सामायक तो ऊत्तम जीवांरी, भाई आ सामायक, आणंद कामदेव संख, पुक्कलरी पूरणदास शेठ, चंदावतंसक राजा री, तूं इये भरोसे भूले मां, रे चेतन थारी तो सामायिक आ छे ॥ दुहा ॥ काम काज घरना चितवे, निंद्या विकथा कर खिज रहे। आरत रुद्र, ध्यान मन धरे, ते सामायिक निष्फल करे ॥ २ ॥ थारी तो सामायिक आछे, मांड. और सामायिक रा ए लक्षण छे ॥ दुहा ॥ आप

परायो सरिषो गिणे, कंचन पत्थर समवड़ धरे, साचो थोड़ो गमतो भणे, ते सामायक शुद्ध करे ॥ १ ॥ चंद्रावतंसक राजा जेह सामायिक व्रत पाल्यो तेह, रे चेतन, स्वआत्मानो भलो चाहे, पर आतमानो बुरो चाहे, सो ते पर आत्माने बुरो न चाह्यो, स्वआत्माने हिज बुरो चाह्यो, रे चेतन तूं कंचन री तो वाञ्छा राखे, पत्थर ने दूर करे, थारे छाति उपर पत्थर पड़सि, कदेइ कंचन री प्राप्ति हुसी नहीं, रे चेतन तूं तो मृषावाद बोल रह्यो छे, रे चेतन तूं तो थारो गुण संभाले तो अवेदि छे, अफरसि छे, अघाति छे, अलेसि छे, अविनाशी छे, जे तूं थारो गुण संभाले तो छे भाई, अहो ए म्हारा दुश्मन, ए म्हारा सज्जन, कुण थारो दुश्मन, कुण थारो सज्जन, हे चेतन थारे तो आठ कर्म्म रूपीया शत्रु वैरी छे, ज्याने तूं ज्ञान रूपीये इंधणसूं बाल भस्म करदे, ज्युं थारी आतमारी गरज सरे, ओहो, हूं भव्य छुं के अभव्य छुं के दुर्भव्य छूं, के कोई म्हारे पोते संसार घणो हिज दीशे छे, प्राये तो हूं भाई अभव्य ही दीशु छुं, पछे तो ज्ञानिया भाव दिठो सो खरो, रे चेतन, तूं सामायिक तो आ करे छे, खुणे खाज मोड़े करड़का, उंघतणां लेवे मरड़का, थारी समायिक तो भाया ज्ञानि सकारसि तो लेखे लागसी ॥ दुहा ॥ आत्म निंदा आपणी, ज्ञान सार मुनि कीन, जे आत्म निंदा करे सो नर सुगुन प्रवीन ।

इति श्री आत्मनिन्दा सम्पूर्णम् ॥

आत्मनिन्दा का दुहा ।



हे प्रभु, हे प्रभु, शुं कहुं दिनानाथ दयाल ।
मैं तो दोष अनंत का, भाजन हुं करुणाल ॥
शुद्ध भाव मुजमे नहीं, नहीं सर्व तुजे रूप ।
नांहि लघुता अरुदीनता, क्या कहुं परम स्वरूप ॥
नही आज्ञा गुरुदेव की, अचल कीवी उरमांहि ।
आपतणा आधार है, यह परमादर नाय ॥
केवल करुणा मुरत हो, दीन बन्धु दीनानाथ ।
पापी परम अनाथ हुं, ग्रहो प्रभुजी हाथ ॥
अनंत काल से आथड़ीयो, बिना भान भगवान ।
सेव्या नही संत चरण को, मुक्यु नहीं अभिमान ॥
संत चरण अश्वर बिना, साधन कियो अनेक ।
पारन उन से पामीयो, उग्यो न अंस विवेक ॥
सब साधन बंधन भये, रह्या न कोइ उपाय ।
सतसाधन समभ्यो नहीं, तब बंधन किया जाय ॥
प्रभु प्रभु ले लागी नहीं, पड्यो न सतगुरु पाय ।
दिठा नही निज दोष तब, तिरु में कौन उपाय ॥
अधमाधम अधिकोअधिक, सकल जगत में हुं ।
यह निश्चय आया बिनुं, साधन करसे सुं ॥
पड़ी पड़ी तुज-पद पंकजे, फिर फिर मांगु एह ।
सतगुरु सत्यानन्द तुम, दर [illegible] करो टेक ॥

॥ इति समाप्त ॥

शिक्षा का श्री बीस बोल लिख्यते ।



१. पर द्रव्य की अयोग्य इच्छा करना न चाहिए.

२. किसी भी प्राणी का बुरा न चिंतवना.

३. कोई भी असत्य बात सत्य तरीके आदरना नहीं.

४. किसी भी शख्स का दिल में रंज होवे ऐसा कटु वचन कहना नहीं.

५. अपने पर इतबार होवे, सलाह पुछे तब कीसी को खोटी सलाह देना नहीं.

६. पर निन्दा करनी नहीं.

७. बिना प्रयोजन गपां मारकर समय फजुल गमाना नहीं.

८. बगेर दी हुई चीज लोभ से या अन्याय से ग्रहण करणी नहीं.

९. किसी भी जीव की हिंसा करणी नहीं.

१०. पराई स्त्री के साथ अयोग्य बरताव से चलना नहीं.

११. मनको स्थिर रखना चाहिए.

१२. पांचों इन्द्रियां को वश में रखो.

१३. हर सूरत से सत्य बोलना चाहिए.

१४. अपने उपर कोई अपराध करे तब क्षमा करनी अंतःकरण से माफी देनी.

१५. दीन प्रति शक्त्यनुसार कुछ दान करना.

१६. दया का कोई अच्छा कार्य सब उपर करना.

१७. देव गुरु धर्म की भक्ति करना और बड़ों का विनय करना.

१८. मन वचन काया से शुद्धता रखनी.

१९. ज्ञान सीखने में प्रत्येक दिन थोड़ी पन टेम नीकाल लेणी.

२०. जगत के सब जीव का कल्याण हो ऐसी शुभ भावना प्रति दिन भावणी.

अथ बारह भावना लिख्यते ।



१. अनित्य भावना ।

ऐसा विचार करे कि इस जगत में ग्राम, नगर, पुर, पैठाण, कोट, खाई, बाग बगीचे, निवाण, मेहल, हवेली, दुकान, मनुष्य कुटम्ब परिवार, न्याति, गोती, धन धान्य, आभूषण तिर्यंचादि सर्व वस्तु अनित्य अशास्वति है, परन्तु हे जीव तूं मूढ़पणे से इस को नित्य शास्वति मान बैठा है पर पुद्गलों से शरीर की शोभा बना के खुशी मानता है, सो यह शोभा कभी एकसी रहने वाली नहीं है, ऐसी अनित्य भावना, श्री भरतेश्वर चक्रवर्ती ने भाई थी ॥१॥

२. अशरण भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव इस जगत में तेरे को सरणां आधार का देने वाला कोई नहीं है सर्व स्वजन स्वार्थ के सगे हैं, जब तेरे अशुभ कर्म्म का उदय होयगा, और तेरे पर दुःख आयके पड़ेगा तब तुझको सहायकर्त्ता कोई भी नहीं होगा, ऐसी भावना अनाथि निग्रन्थजी ने भाई थी ॥ २ ॥

३. संसार भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव तूं अनंत जन्म मरण कर सर्व संसार में फिरा, बालाग्रह जितना भी ठिकाना

खाली नहीं रखा। सर्व जीवों के साथ सगपण सम्बन्ध कर चुका, माता मर के स्त्री, स्त्री मर के माता, पिता के पुत्र और पुत्र के पिता, ऐसे आपस में अनंति वक्त सम्बन्ध हो गया है। सर्व जगतवासी जीव स्वजन हैं परन्तु शत्रु कोई नहीं है, इस लिये सब के साथ तूं मित्रता रख. ऐसी भावना मल्लिनाथजी के ६ मित्रों ने तथा धन्ना, शालिभद्रजी ने भाई थी ॥ ३ ॥

४. एकत्व भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव इस जगत में कोई किसी का सोबती नहीं है, अकेला आया और अकेला ही जायगा, जो पाप करके तेने धन, कुटुम्ब का संग्रह किया है सो मरेगा जब धन धरती में, पशु घर में रह जायगा और स्त्री दरवाजे तक, कुटुम्ब स्मशान तक ही आवेगा, अत्यन्त प्रिय यह शरीर चिता अग्नि में जलके भस्म हो जायगा, ऐसा जाण तू एकान्त धर्म धारण कर। ऐसी एकान्त भावना नेमीनाथ स्वामीजी ने भाई थी ॥ ४ ॥

५. परपक्ष अन्यत्व भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव इस जगत में सर्व स्वार्थी मनख्खी है जब का मतलब होता है वहां तक सब जीजी खमा २ करते है, हुक्म उठाने मानते हैं, मतलब पूरा हुए सब सज्जन दूर भाग जाते हैं परन्तु कोई किसी का नहीं होता है, ऐसी भावना मृगापुत्रजी ने भाई थी ॥ ५ ॥

६. अशुचि भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव तूं तेरे शरीर को स्नान मज्जनादिक से शुद्ध करने को चाहता है, लेकिन यह शरीर कभी शुद्ध नहीं होगा क्योंकि इस की उत्पत्ति का जरा विचार करके देख, कि अव्वल माता का रक्त (लोही) और पिता का शुक्र (वीर्य) का आहार कर यह शरीर बना था अशुचि गिरुठा के स्थान में वृद्धि पाकर रक्त के नाले में से बाहिर पड़ा और माता का दूध पीकर बड़ा हुवा, सो दूध भी जैसे रक्त लोही मांस शरीर में रहता है तैसा ही यह दूध है, और अभी अनाज खाता है सो भी अशुचि के खात में पैदा होता है, और इस शरीर में साढ़े तीन क्रोड़ रोम हैं जिस में दो क्रोड़ इक्कावन लाख रोम गले के नीचे और निन्याणवे लाख गले के ऊपर हैं, और एक २ रोम में पोणी दो दो रोग साठरे (कुछ कम) भरे हुवे हैं, जिस में भी जलन्दर भगन्दरादिक सोलह रोग मोटे के (बड़े) भरे हुवे है इत्यादि अशुचि अपवित्रता से और आधि व्याधि चिन्ता रोग उपाधि काम कार्य कर के यह शरीर पूर्ण भरा है जहां तक पूर्व पुण्य है, वहां तक सर्व अपवित्रता छुपी हुई है इसे गोरी काली चमड़ी ढक रही है, जब अशुभ पाप कर्म का उदय प्रगट होवेगा, तब बिगड़ते किंचित भी देर नहीं लगेगी ऐसी भावना सनतकुमार चक्रवर्तीजी ने भाई थी ॥ ६ ॥

७. आश्रव भावना ।

ऐसा विचारे कि हे जीव, तेने अनंत संसार परिभ्रमण किया इस का मुख्य हेतु आश्रव ही है, क्योंकि पाप तो इस जीव ने अनन्त वक्त छोड़ा परन्तु आश्रव छोड़े बिन, धर्म्म पूर्ण फल नहीं दे सकता, आश्रव बीस प्रकार के है परन्तु यहां मुख्य में अव्रत का अर्थात् भोग उपभोग अर्थात् जो एक वक्त भोगने में आवे जैसे आहार पाणि प्रमुख, परिभोग जो एक वस्तु वार वार भोग में आवे, जैसे वस्त्र, भूषण, प्रमुख और भी धन, धान्य, भूमि इत्यादिक की मर्यादा नहीं करना (इच्छाका निरोध नहीं करता) सो ही आश्रव, इस भव में महा तृष्णा रूप सागर में गोते खिलाता है, और अगाड़ी परभव में दुर्गति में अनंत काल विडम्बणा (दुःख) देने वाला होता है, ऐसा जाण हे जीव, अब तो आश्रव छोड़ और व्रत अंगीकार जरूर कर, यह भावना समुद्रपालजी ने भाई थी ॥ ७ ॥

८. संवर भावना ।

ऐसा विचार करे कि हे जीव संसार में रुलाने, वाला आश्रव है जिसको रोकने का उपाय एक संवर ही है, इस लिये अब तो कायिक (कायासे) वाचिक (वचन से) मानसिक (मन से) इनकी इच्छा को रुंधन कर एकान्त समता रूप धर्म में लीन हो, अर्थात जीव रूप तलाव में आश्रव रूप नाले में, कर्म्म रूप पाणी आ रहा है, उनको

संवर व्रत रूप पाल बांध के आश्रव को रोकले यह भावना हारिकेसीजी महाऋषि ने भाई थी ॥ ८ ॥

९. निर्जरा भावना ।

ऐसा विचार करे कि रे जीव, संवर से तो आते पाप को रोक बंध कर दिया, परन्तु पहले किये हुवे पाप को खपाने वाली तो एक निर्जरा (तपश्चर्या) ही है, छ बाह्य, छ अभ्यन्तर, बारह प्रकार का तप, इसलोक परलोक सुख वा कीर्ति की इच्छा रहित एकांत मोक्षार्थी होकर करे तो तेरा कल्याण होवे अर्थात् जीव रूप कपड़े को कर्म्म रूप मैल भरा हुवा इनको संवर रूप साबुन लेकर तप रूप पाणि से धो सो तेरे को मोक्ष रूप अविचल (चलायमान नहीं) सुख की प्राप्ति होजावे, यह भावना अर्जुन माली ने भाई थी ॥ ९ ॥

१०. लोक संठाण भावना ।

ऐसा विचारे कि रे जीव, इस लोक का संठाण (आकार) कैसा है, इस का तू विचार कर के देख, तीन दीवे जैसा इस लोक का संठाण है जैसा कि एक दीवा उल्टा जिस पर दूसरा दीवा सीधा और उस पर तीसरा दीवा उल्टा रखने से जैसा आकार होता है तैसा इस लोक का आकार है। सर्व लोक का घनाकार ३४३ राजु का है, इस लोक के मध्य भाग में जैसा मकान के बीच मे एक पोकल

स्थंभ होता है जैसा एक राजु की चौड़ी और चउदे राजु की लम्बी एक ऐसी तृप नाल है उसके अन्दर त्रस और स्थावर जीव शामिल भरे हुवे हैं और इसके बाहिर बाकी सब लोक में स्थावर जीव ही खींचो खींच भरे हुवे हैं तो हे जीव, तू अनंत वक्त इस लोक के विषै त्रस स्थावर पणे, सूक्ष्म बादर पणे, सन्नि असन्नि पणे, प्रजापता अप्रजापता पणे, नार्की तीर्यंचपणे, मनुष्य देवतापणे, जन्म मरण करके सर्व लोक फरसलिया, ऐसी कोई जागा लोक के अन्दर नहीं रही के जिस जगह तू जन्म मरण नहीं किया होय, अर्थात् एक बालाग्रह रखे, उतनी जगह लोक के अन्दर खाली नहीं रखी, ऐसा जाण कर हे जीव, अब तो ऐसी जगह देखने की इच्छा कर के जहां जन्म मरणादि कष्ट की उत्पति न होवे, और पुनरपि संसार सागर में परिभ्रमण करने का काम नहीं पड़े ऐसा स्थान कहां है कि लोक के अग्रह भाग के ऊपर अर्थात् सर्वार्थ सिद्ध विमान से बारह जोजन ऊपर छीयां-लिस लाख जोजन का पूर्ण चन्द्राकार गोल और छत्राकार मध्य में, आठ जोजन की जाड़ी और आखरी किनारे पर मक्षिका के पंख से भी पतली मक्खनवत् चिकनी अर्जुन सुवर्णमय सफेद ऐसी सिद्ध शिला है, जहां एक कोस के छट्ठे भाग के ऊपर अनंता सिद्ध भगवन्त बिराजते हैं, इसलिये वहां जाने की तू भी इच्छा कर और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप अंगीकार करने का उद्यम कर तो तेरा मुक्ति स्थान तेरे को शीघ्र मिल जायगा यह [illegible] शिव-राज ऋषिजी ने भाई थी ॥ १० ॥

११. बोध बिज भावना ।

ऐसा बिचार करे कि रे जीव, तेरा निस्तारा किस करणी से होगा, इस जीव को मोक्ष देने का मुख्य हेतु सम्यक्त बिन उतकृष्ट करणी कर नवग्रीवेक तक जा आया परन्तु कुछ कल्याण न हुवा, तो अब सम्यक्त फरसने का अवसर आया है सो अब प्रमाद को मेट, सम्यक्त रत्न प्राप्त कर, और देव अरिहंत, गुरु नीग्रंथ, केवली परुपित, दया मयधर्म्म यह तीन तत्व शुद्ध अंगीकार कर और कुदेव, कुगुरु कुधर्म को त्यागन कर, श्री वीतराग प्रणीत वाणि की आस्ता पूर्ण रख सो, ये ही सम्यक्त्व है जैसे डोरा पोई हुई सूई कचरे में खोई नहीं जाती है तैसे सम्यक्त पाया हुवा प्राणि संसार समुद्र में बहुत परिभ्रमण नहीं करते हैं ऐसा समझ कर हे जीव, तू बोधबीज (सम्यक्त की) प्राप्ति कर कि जिस से मोक्ष की प्राप्ति होवे यह भावना कृष्णवासुदेव श्रेणिक राजा और ऋषभदेवजी के अट्ठाणु पुत्रों ने भाई थी ॥ ११ ॥

१२. धर्म भावना ।

ऐसा विचारे कि रे जीव, यह नरभव है सो निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति करने का कारण, और मोक्ष, धर्म्म करणी से प्राप्त होता है, यह जन्म धर्म करने को ही पाया है कारण कि मनुष्य जन्म सिवाय धर्म करणी बन नहीं सकती है और धर्म बिन मनुष्य पशु तुल्य है, इसलिये अवश्य

धर्म कर, धर्म तो इस संसार में वहोत प्रकार से लोक मान वैठे हैं परन्तु सच्चा धर्म का मर्म (स्वरूप) कुछ नहीं समझते हैं फक्त अपना २ मत पक्ष ताणते हैं इसलिये सच्चा धर्म्म वोही है कि जिस धर्म में किसी जीव को मन, वचन, काया करके बिलकुल तकलीफ नहीं देते हैं, अर्थात् अहिंसा परमोधर्मः इति वचनात् जहां दया है, सो ही परम उत्कृष्ट धर्म है इसलिये दयाधर्म अंगीकार कर यह भावना धर्मरुचि मुनिजी ने भाई थी ॥ १२ ॥

इति बारह भावना सम्पूर्णम् ।

भावना का हरिगीत छंद ।

हुं नमुं वीतरागने, वीतराग पदने आपजो ।
राग द्वेष नष्ट थइने, परम तत्व प्रकाशजो ॥
लोक रुचीनो त्याग करीने, शुद्ध मार्ग आदरुं ।
दुष्ट कर्मों नष्ट करी, आनन्द ने वेगो वरुं ॥
कल्याण थाओ सर्वनु, परहितमां तत्पर रहुं ।
दोष सर्वे नाश पामो, सहु लोकनुं कुशल चहुं ॥
ज्ञान दर्शन चरण गुण, आराधना प्रेमे रहो ।
अहोनिश ए प्रभु भावना हृदयमनी वेगे वहो ॥

अथ अष्ट कर्म के बंधन करने की रीति ।

आचार रत्नाकर ग्रन्थ में यों लिखा है:—

ज्ञानावर्णिय कर्म सात प्रकारे बांधे ।

१ शास्त्र बेच के आजीविका करे, २ कुदेव की प्रशंसा करे, ३ ज्ञानरे बिषय संशय करे, ४ कुशास्त्र की या खोटे ज्ञानादिक की प्रशंसा करे, ५ सिद्धान्त का मूल उत्थापे, ६ परके दोष प्रकाशे, ७ और मिथ्या शास्त्र का उपदेश करे तो ज्ञानावर्णि कर्म बन्धे ॥ १ ॥

दूसरा दर्शनावर्णिय कर्म दश प्रकारे बांधे ।

१ कूदेव, २ कूगुरु, हीनाचार्य, ३ कूधर्म, ४ कूशास्त्र की प्रशंसा करे, ५ धर्म्म निमित्त हिंसा करे, ६ मिथ्या बुद्धि राखे, ७ चिन्ता अधिक करे, ८ सम्यक्त में दोष लगावे, ९ मिथ्याआचार धारण करे, १० जांणके अन्यायी का रक्षण करे तो दर्शनावर्णिय कर्म्म बांधे ।

तीसरा शाता वेदनीय कर्म्म चउदे प्रकारे बांधे ।

१ दया, २ दान, ३ क्षमा, ४ वृत-सत्य, ५, शील, ६ इन्द्रिदमन, ७ संजम, ८ ज्ञान, ९ भक्ति, १० बंदन, ११ शास्त्रबिचार, १२ सद्बोध, १३ अनुकंपा, १४ सत्य वचन, यह चउदे काम करेन से सातावेदनीय कर्म्म बांधे ।

पन्नर प्रकारे अशाता वेदनीय बांधे ।

१ जीवों की घात करे, २ जीवों का छेदन करे, ३ जीवों का भेदन करे, ४ जीवों को परीताप करे, ५ चुगली करे, ६ परको दुःख देवे, ७ त्रास देवे, ८ आक्रन्द करावे, ९ स्वतः शोक दुःख करे, १० द्रोह करे या थापण ओलवे, ११ असत्य बोले, १२ वैर विरोध करे, १३ युद्ध झगड़े करावे, १४ क्रोध मान उपजावे, १५ परनिंदा करे, तो असाता वेदनीय कर्म्म बांधे ।

चौथा मोहनीय कर्म्म ६ प्रकारे बांधे ।

१ अरिहन्त की निंदा करे, २ अरिहन्त के वचन शास्त्र की निंदा करे, ३ जैन धर्म्म की निंदा करे, ४ सत्गुरु की निंदा करे, ५ उत्सूत्र प्ररूपे, ६ कूमार्ग प्रकाशे सो मोहनी कर्म्म बांधे ।

पांचवा आयुष्य कर्म्म, देवता का आयुष्य दश प्रकारे बांधे ।

१ अल्प कषाय, २ निर्मल सम्यक्त्व, ३ शुद्ध श्रावक धर्म्म पाले, ४ मृत्यु और गत वस्तु का शोक न करे, ५ धर्मात्मा की भक्ति करे, ६ दयादान की सदा वृद्धि करे, ७ जैन धर्म का रागी, ८ बाल तपस्वी, ९ अकाम निर्जरा करे, १० शुद्ध साधु धर्म्म पाले सो देव होवे ।

मनुष्य का आयुष्य नव प्रकारे बांधे।

१ देवगुरु की भक्ति करे, २ जीवों पर दया करे, ३ शास्त्र पढ़े पढ़ावे, ४ न्याय मार्गे लक्ष्मी उपार्जे, ५ उल्लास प्रणाम से दान देवे, ६ निंदा नहीं करे, ७ परउपकार करे, ८ किसी को पीड़ा न उपजावे, ९ आरंभ न करे या सरल प्रणाम से सदा वर्ते, सो मनुष्य मर के पीछा मनुष्य होवे।

तीर्यंच गतिका आयुष्य बीस प्रकारे बांधे।

१ शील भंग करे, २ ठगाई करे, ३ मिथ्या कर्म्म समाचरे, ४ कूपदेश करे, ५ तोल माप खोटे रखे, ६ दगाबाजी करे, ७ झूठ बोले, ८ झूठी साख भरे, ९ अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिलावे, १० वस्तु का रूप पलट के बेचे, ११ पशु का रूप पलट के बेचे, १२ खराब वस्तु पे झोल चढ़ा के बेचे, १३ क्लेश करे, १४ निंदा करे, १५ चोरी करे, १६ अयोग्य काम करे, १७ कृष्णलेस्या वाला, १८ नील लेश्या वाला, १९ कापोतलेश्या वाला, २० आर्तध्यान ध्यावे, सो तीर्यंच होवे।

नरक का आयुष्य बीस प्रकारे बांधे।

१ अति लोभ करे, २ मदमच्छर बुहुत करे, ३ क्रोध बहुत करे, ४ मिथ्यात्व कर्म्म समाचरे, ५ पंचेन्द्रि का बध करे, ६ अति असत्य बोले, ७ चोरी करे, ८ व्यभिचार सेवे, ९ काम भोग में अति रक्त होवे, १० मर्मस्थान पेदे, ११ पंचेन्द्रि

के विषय में लुब्ध होवे, १२ संघ की याने चतुर्विध संघ की घात करे, १३ जिन वचन उत्थापे, १४ तीर्थंकर के मार्ग की प्रतिष्ठा घटावे, १५ मदिरा पान करे, १६ मांस भक्षण करे, १७ रात्री भोजन करे, १८ कंद मूल भक्षण करे, १९ रौद्र ध्यान ध्यावे, २० कृष्णादि तीन लेश्या विशेष ध्यावे तो नरक में जावे।

छट्टा नामकर्म्म, ऊंच नाम तीन प्रकारे बांधे ।

१ श्री जैन धर्म्म में रक्त होवे, २ दया दानवंत होवे, ३ मुक्ति की अभिलाषा वाला होवे तो ऊंच नाम होवे।

नीच नाम कर्म्म आठ प्रकारे बांधे ।

१ मिथ्या उपदेश करे, २ कुमार्ग ग्रहण करे, ३ आप दान देवे नहीं, दूसरे को देने देवे नहीं, ४ कठोर असत्य वचन बोले, ५ माहा आरंभ करे, ६ परनिन्दा करे, ७ सर्व जीवों से द्रोह करे, ८ मच्छर प्रणाम धारण करे नीच कर्म्म बांधे ।

सातमा गोत्रकर्म, सोलह प्रकारे ऊंच गोत्र बांधे ।

१ सम्यक्तवंत, २ विनयवंत, ३ शीलवंत, ४ अदत्त अग्राही, ५ यथाशक्ति दान करे, ६ सरल स्वभावि, ७ तीर्थंकर की भक्ति करे, ८ आचार्य की भक्ति करे, ९ उपाध्याय की भक्ति करे, १० साधु की भक्ति करे,

११ बहुश्रुतीजिनागम की भक्ति करे, १२ उत्तम का दास बना रहे, १३ अनेकांतजैनधर्म्म आदरे, १४ उभयटंकप्रतिक्रमण करे, १५ अनर्थ पाप से बचे, १६ साधर्म्मी की बत्सलता करे तो तीर्थकरादि ऊंच गोत्र पावे।

पांच प्रकारे नीच गोत्र बांधे।

१ क्रोधादि तीव्र कषाय करे, २ अन्य के गुण ढांके, ३ निन्दा करे, चाहाड़ी चुगली करे, ४ झूठी साक्षि भरे, जीवहिंसादिक करे तो चांडाल आदि नीच गोत्र बांधे।

आठमा अन्तराय कर्म्म अट्ठारे प्रकारे बांधे।

१ करुणां दया रहित, २ दीन जीवों को अंतराय देवे, ३ असमर्थ परकोप करे, अनेकान्ति गुरु की बंदना निषेध करे, ५ जिन मारग निषेध करे, ६ सिद्धान्त का अर्थ उत्थापे, ७ जैन धर्म कोई धारे तो विघ्न करे ८ ज्ञानी, गुणी की हेलना तथा आशातना करे, ९ सूत्रार्थ पढ़ते अंतराय देवे, १० दान न देवे और दूसरे को देते निषेध करे, ११ धर्म कार्य में विघ्न करे, १२ धर्म्म कथा की हांसि करे, १३ विपरीत उपदेश करे, १४ असत्य बोले, १५ अदत्त लेवे, १६ दान, लाभ, भोग, उपभोग की अंतराय देवे, १७ गुणी का गुण छिपावे, १८ अन्यका दोषण प्रकासे तो इच्छित वस्तु नहीं पावे, दुखि दालिद्रि होवे, ऐसा जाण अशुभ कर्म्म के बंधन से आत्मा बचावे।

इति कर्म्म बंधन हेतु सम्पूर्णम्।

अथ प्रहरस्यादि विचार लिख्यते।

गाथा।

अषाढ़ पउण पहेरो, दो पये छच्चांगुले पहर दुप्पए, सड्ढो तिहं पएहिं, दो पहरा देह तियच्छाया ॥ १ ॥ सावण दुप्पय दसं गुले, पउणो दुप्पए चउंगुले, पहुरो चउंपय सड्ढो, नेओ इगपाए पहर दुगमाणं ॥ २ ॥ भद्दव पउण तिपयंगुल, चउंपहरो अड़ंगल, दुप्पए सड्ढो, पंचपएहं पहर दुगं, दुपयओनेयं ॥ ३ ॥ आसोए अट्ठंगुल, पयातिय पउणो, पएहं तिहिं, पहरो, छहिं, पएहिं, दविड्ढो, पय, तियछायाइ पहर दुग्गां ॥ ४ ॥ कितीय चउंपय, पउणो तिपयं, गुल चउहिं, पहर विन्नेयं, सत्त सड्ढो चउपाए पहर दुगमाणं ॥५॥ सग्गे चउपय छअंगुल पउणो तिपय, अट्ठं गुले, पहरो सड्ढो अट्ठ पयेहिं, पय पंचगुणह पहर दुगं ॥ ६ ॥ पोसे पउण दसंगुल, चउपय पहरोय, पाय चउक्केण, दविट्ठो नव पाएहिं, पहर दुगं पाय छक्केणं ॥ ७ ॥ माहे चउपय, छअंगुल पउणो अट्ठंगुला तिपय पहरो, सड्ढो अट्ठ पाएहिं, पह पंचहिं मुणह पहर दुगं ॥ ८ ॥ फाल्गुणि पउणो चउपय पहरो, तिपए चउंगुले, भणिउं दविड्ढो पुण, सत्तपए पहर दुगं पाय चउक्कम ॥ ९ ॥ चित्ते मासंमि तहा पउणो तिपयं गुलट्ठ परिमाणो, पहर तिपएहिं सड्ढो छायाए दुकरण तिपए ॥ १० ॥ [illegible] तिपय, [illegible], पउणो [illegible], [illegible]

पहरो, पंचपय पहर दविक्को, दुन्निपया दुपहरे भणिया ॥ ११ ॥ जिट्ठि दसंगुल, दुपएहिं, पउणो दुपयं च्चउंगुले पहरो, चउपय सक्कोनेउं, इगपाए पहर दुगभाणं ॥ १२ ॥ पउणो पहरो जाणुच्छाया पएहिं नायब्बो, दविक्कोय दुपहरो तणुछाय पएहिं जाणित्ता ॥ १३ ॥

इति गाथा सम्पूर्णम् ।



नंबर	पौण पोरसीमान.	पोरसीमान.	डोढ पहर.	दोय पहर.
१	आसाढ पग २ आंगुल ६	पग २	पग ३	पग २ देह ठाया
२	श्रावण पग २ आंगुल १०	पग २ आं० ४	पग ४	पग १
३	भाद्र पग ३ आंगुल ४	पग २ आं० ८	पग ५	पग २
४	आसु पग ३ आंगुल ८	पग ३	पग ६	पग ३
५	कार्ति पग ४	पग ३ आं० ४	पग ७	पग ४
६	मीगसर पग ४ आंगुल ८	पग ३ आं० ८	पग ८	पग ५
७	पौस पग ४ आंगुल १०	पग ४	पग ९	पग ६
८	माह पग ४ आं० ६	पग ३ आं० ८	पग ८	पग ५
९	फागुण पग ४	पग ३ आं० ४	पग ७	पग ४
१०	चैत्र पग ३ आं० ९	पग ३	पग ६	पग ३
११	वैसाख पग ३ आं० ४	पग २ आं० ८	पग ५	पग २
१२	ज्येष्ट पग २ आं० १०	पग २ आं० ४	पग ४	पग १

अथ वर्तमान चौवीसी के तीर्थंकर गोत्र के कारण ।



१. श्री ऋषभदेवजी ने धन्नासार्थवाह के भव में महाविदेह क्षेत्र में घृत दान के प्रभावे तीर्थंकर गोत्र बान्धा ।

२. विमल वाहन राजा ने महाविदेह क्षेत्र में दीक्षा ग्रहण कर रत्नावली तप करी तीर्थं कर पद अजीतनाथजी ने बान्धा ।

३. धातकी खंडे ऐरव्रत (इरवत) क्षेत्रे, विपुल वाहन राजा ने सम्यक्त करी संभवनाथजी तीर्थंकर हुवे ।

४. जम्बुद्वीपे महाविदेह क्षेत्रे माहाबल राजा ने दीक्षा ली रत्नावली तपे करी अभिनन्दनजी तीर्थंकर हुवे ।

५. जम्बुद्वीपे महाविदेह क्षेत्रे, विजयसेन राजा ने दीक्षा लेइ वीसस्थानक सेवी, सुमतीनाथजी तीर्थंकर पद हुवे ।

६. धातकी खंडे नंदीसेन राजा ने दीक्षा ली, प्रवचन प्रभावना करी, पद्मप्रभु तीर्थंकर हुवे ।

७. धातकी खंडे अपराजित राजा ने वीसस्थानक मध्ये कितनाएक पद सेवी दीक्षा लेइ सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हुवे ।

८. धातकी खंडे पद्मराजा दीक्षा लेइ वैयावच्चादि साधुनो करी चंद्रप्रभु तीर्थंकर हुवे ।

अथ मिथ्यात्व के भेदान्तर २५ बोल लिख्यते ।

१. अभिग्रह मिथ्यात्व ते अपने ध्यान में आवे सो सांचां, अर्थात् अपना ही मत मान्यां माने ।

२. अनभिग्रह मिथ्यात्व ते हटग्राही तो नहीं, परन्तु सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सके, एक ही नहीं माने ।

३. अभिनिवेश मिथ्यात्व अपणी लीवी टेक छोड़े नहीं ॥ ३ ॥

४. संशय मिथ्यात्व डामाडोल चित्त राखे, संशय करे, निश्चय नहीं लावे ।

५. अणाभोग मिथ्यात्व अज्ञान पणा से लागे, उपयोग सुन्य भावे ।

६. लौकिक मिथ्यात्व के ४ भेद, (१) देवगत मिथ्यात्व भैरूं भवानी इत्यादि देव माने, (२) गुरुगत मिथ्यात्व गंगागुरु इत्यादि गुरु माने, (३) धर्म्मगत मिथ्यात्व नदि आदि स्नान में धर्म्म माने (४) पर्वगत मिथ्यात्व होली दशहेरादि पर्व माने ।

७. लोकोत्तर मिथ्यात्व का ४ भेद देव, गुरु, धर्म, पर्व । देव अट्ठारे दोष रहित, गुरु निर्ग्रंथ, धर्म्म दया मूल, पर्व जिन कल्याणकादिन वा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, साधन के दिन, इन उत्तम कुं इस लोक के सुखार्थे माने ।

८. कूप्रबचन मिथ्यात्व इस के ४ भेद हैं देवहरी हर, ब्रह्मादि गुरु, बाबा जोगी आदि धर्म्म, स्नान, जप होम आदि, पर्व लोकीक कार्य माने वा उन के शास्त्रों को माने, सो कूप्रबचन मिथ्यात्व ।

९. उणो मिथ्यात्व श्रीवीतराग प्रभु ने प्ररूपणा करी तिनसे ओछा प्ररुपे वा ओछा श्रद्धे ।

१०. अधिको मिथ्यात्व श्री वीतराग के प्ररुपीया सूत्र से अधिक सरदहेणां वा प्ररुपणां करे सो ।

११. विपरीत मिथ्यात्व श्री भगवंत भाष्या अर्थ से विपरीत सरदहेणा वा प्ररुपणा करे, सात नीन्हवनी परे ।

१२. धर्म्म को अधर्म समझे, जैसे सत्य, दया, मूल धर्म्म श्री भगवानने फरमाया उसको न माने सो मिथ्यात्व ।

१३. अधर्म को धर्म्म समझे जैसे कन्या दान, यज्ञ होमादिक में सो मिथ्यात्व ।

१४. साधु को कुसाधु समझे सो मिथ्यात्व जैसे गुण संयुक्त ज्ञानि दानि तपस्वि क्षमावान्, वैरागि, जीतेन्द्रि, ऐसे उत्तम गुणों के धारक कुं मत पक्ष करके द्वेष बुद्धि सुं असाधु समझे या श्रद्धे ।

१५. असाधु को साधु समझे सो मिथ्यात्व, जैसे प्राणातिपातादि, अठारे पापस्थानक सेवे, सेवावे, अनुमोदे, जिन आज्ञा से, विरुद्ध वर्तने वालों कों साधु श्रद्धे ।

१६. जीव कुं अजीव समझे सो मिथ्यात्व, जैसे पर्याय, प्राण, योग, उपयोगादिधारक, एकेन्द्रिआदि जीव को अजीव समझे वा श्रद्धे सो।

१७. अजीव को जीव समझे सो मिथ्यात्व, जैसे सुखा काष्ट, निर्जिव पाषाण, वस्त्र इनको जीवका आकार बनाय उसे जीव श्रद्धे सो।

१८. मार्ग को उन्मार्ग समझे सो मिथ्यात्व, जैसे शुद्ध निर्दोष, सरल, सत्य, मोक्षमार्ग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दया, शील, दान, संतोष, क्षमा, इत्यादिक को कर्म्मबंधका, संसार में रुलाने का मार्ग बतावे, दया दान उत्थापे सो।

१९. उन्मार्ग को मार्ग श्रद्धे, सो मिथ्यात्व, जैसे सातकुव्यसन का सेवन, काम क्रीड़ा करना, स्नान इत्यादि संसार में परिभ्रमण कराने का जो मार्ग है, उनको मोक्ष का हेतु श्रद्धे सो।

२०. रूपी पदार्थ को अरूपी श्रद्धे सो मिथ्यात्व, जैसे वायुकायादि सूक्ष्म होने से दृष्टि न आवे उनको अरूपी श्रद्धे तो मिथ्यात्व।

२१. अरूपी को रूपी समझे तो मिथ्यात्व, जैसे धर्मास्तिकायादि जो अरूपी हैं उनको रूपी श्रद्धे सो।

२२. अविनय मिथ्यात्व, जिनेश्वर तथा गुरु का वचन उत्थापे, गुणवंत, ज्ञानवंत, तपस्वी, वैरागी इत्यादि

उत्तम पुरुषों से कृतघ्नीपणां करे, छिद्र देखता रहे, निंदादि अविनय करे सो मिथ्यात्व ।

२३. आशातना मिथ्यात्व, गुरु की ३३ आशातना का काम करे सो मिथ्यात्व ।

२४. अक्रिया मिथ्यात्व, जैसे प्रतीक्रमणादिक क्रिया न माने सो मिथ्यात्व ।

२५. अज्ञान मिथ्यात्व, जैसे सत्य असत्य का विवेक न होने से, संसारिक कार्य कर्म्मों का बंधन रूप जैसा का तैसा रहने से और सत्य ज्ञान का अभाव से मिथ्यादृष्टि जीव सर्व अज्ञानि हैं कूतर्क से अज्ञान को थापे सो मिथ्यात्व ।

॥ इति सम्पूर्णम् ॥

अथ रात्रि तथा दिवस की आलोयणा लिख्यते ।

॥ दोहा ॥

अनंत चौवीसी जिन नमुं, सिद्ध अनंता कोड़ ।
केवल ज्ञानी गुणधरा, वन्दु वे कर जोड़ ॥
दोय कोड़ केवल धरा, विहरमाण जिनवीस ।
सहस्र युगल कोडी नमुं, साधु नमुं निशादिस ॥
अरिहंत सिद्ध समरू सदा, आचार्य उपाध्याय ।
साधु सकल के चरण में, वंदु शिश नमाय ॥
धन साधु धन साध्वी, धन श्री जैन धर्म ।
जिण समरया संकट टले, टुटे आठों ही कर्म ॥
खम्या खमाया मैं खम्या, सब्बे जीवाचार ।
सिद्ध साख आलो वनुं, मेरा वैर नहीं किस लार ॥

आजनी च्यार पहर रात्री मांहे तथा आजना च्यार पहर दिवस मांहि जे मैं जीव विराध्या होय ते आलोउं, पृथ्वि-काय, अप्पकाय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, त्रस-काय छ कायनी विराधना किधी होय, प्राणातिपात, मृषा-वाद, अदत्तादान, मैथुन, परीग्रह, रात्रिभोजने करी व्रत विषय अतिचार लाग्या होय, हास्य रति, अरति, भय, शोक, दुगन्छा किधी होय, क्रोध, मान, माया लोभ, राग, द्वेष, मान मच्छर संस्कार किधा होय, राज कथा, देश कथा,

स्त्री कथा भोजन कथा, किधी होय, अठ्ठारे पापस्थानकनी सेवना सेवी होय, ऋद्धिगारव, रसगारव, सातागारव, सेव्या होय, माया शल्य, निआणा शल्य, मिथ्यादंसण शल्य किधा होय, खोटी चिंतवणां, आर्तध्यान, रौद्रध्यान अशुभलेश्या ध्याइ होय, अपस्वप्न, दुःस्वप्न दिट्ठा होय, सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अपकाय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चउदे लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख बेन्द्रि, दो लाख तेन्द्रि, दो लाख चउन्द्रीय च्यार लाख देवता, चार लाख नारकी, च्यार लाख तीर्यञ्च पञ्चेन्द्रि, चउदे लाख मनुष्य, एवं सर्व चौरासी लाख जीवाजोनि मांहे जंखंडियं जंविराहियं, तस्स मिच्छामिदुक्कडं, अठ्ठारे लाख चौइस हजार एक सो वीस प्रकार मिच्छामिदुक्कडं ॥ १ ॥

एक क्रोड़ साडे सतानवे लाख कुल कोडी जास जीव ने मन वचन कायाए करी हण्यो होय तस्स मिच्छामि दुक्कडं, दोय क्रोड़ चोहत्तर लाख सर्व जीवरी घात करी होय तो तस्स मिच्छामिदुक्कडं, ज्ञान दर्शन, चारित्र, देव गुरु धर्म, धर्माचार्यजी की, साधुजी की, आर्याजी की उत्तम पुरुषां की, शास्त्र सूत्र पाठ की, अर्थ परमार्थ की धर्म सम्बन्धि सकल पदार्थों की अविनय अभक्ति आशातनादिक किधी होय, अनेरी जो कोइ परनिंदा किधी होय, कराई होय, करते को अनुमोद्या होय, ये सर्व मन वचन काया करी तस्स मिच्छामिदुक्कडं, ज्ञान का चउदे,

समकित का पांच, वार व्रत का साठ, करमादान का पन्नरे, संलेषणां का पांच ए नव्वाणुं अतिचार मांहे जे कोइ अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्तिचार अनाचार जाणतां अजाणता मन वचन कायाये करी सेव्या होय, सेवाया होय, सेवतां प्रत्ये अनुमोद्या होय तो अनंता सिद्ध केवलीनी साखे तस्स मिच्छामिदुक्कडं, एक २ बोल से जावत अनंता अनंता बोल में छोड़वा योग्य बोल को छोड्या नहीं श्री भगवन्त महाराज की आज्ञा सुं अधिका ओच्छा, विपरीत पणे प्रवर्ताया होय ते मन वचन काया यें करी मिच्छामि दुक्कडं ॥

इति आलोयणा सम्पूर्णम् ।

॥ दुहा ॥

गुणी जन को वंदणा, ओगण देख मध्यस्थ ।
दुखी देख करुणा करे, मित्र भाव समस्त ॥

॥ दुहा (सागारी संथारो) ॥

आहार शरीर उपधि, पचक्खुं पाप अठार ।
मरण पामुं तो वोसिरे, जीवुं तो आगार ॥

अथ श्रावक के च्यार सरणां लिख्यते।

पाठः चत्तारि सरणं, पवज्जामि, अरिहन्ता सरणं पवज्जामि, सिद्धा सरणं पवज्जामि, साहु सरणं पवज्जामि, केवलि पन्नतो धम्मो सरणं पवज्जामि।

अर्थ—पहेलो सरणा श्री अरिहंत भगवंतजी, अरिहंतजी कैसे हैं कि उत्पन्न, विमल केवल ज्ञाने करी सूरज की परे प्रकाश का करणहार, मिथ्यात्व रूप तिमिर (अन्धकार) का मेटणहार, समयक्त सहित शुद्ध धर्म्म का देनहार अनंत ज्ञानि है, अनंत चारित्र अनंत लोचन, अनंत गुण करी विराजमान, अनंत जीवना रक्षपाल, जगतगुरु, जगत जीवन, जगत लोचन, परम आल्हादिक (हर्ष करनेवाले) आनंद ना उपजावनहार, मोक्ष मार्ग ना देखाड़नहार, अभयदान का देनहार, सरणा का देणहार, संजम जीवतव्य ना देणहार, जगत ना मित्र, जगदीश्वर, जे समो सरणमां विराजमान थइने पुष्करावर्त मेघनी परे धर्म्मना वचनों ने वर्सावीने भविक जीवोंना संदेह ने भांजता थका विचरे छे, एहवा निर्विकारि जेमनी शांत मुद्रा जोवा थी काम क्रोध लोभ, अने मोहादिक अनादि ना दोष मिटे, अंतरमां संवरनी शैली प्रगटे, सर्व समकिति जीवना प्राणाधारक, सकल मुनि मन मोहन एहवा श्री अरिहंत भगवंत, पांच भरत पांच एरवत, पांच महा-

विदेह क्षेत्र ने विषे, अनंता अरिहंत भगवंत थया, अने हमणां महाविदेह क्षेत्र ने विषे बीस विहरमान अरिहन्त भगवंत और केवली भगवंत भव्य जीवों ने तारता विचरे छे, एहवा श्री अरिहंत भगवंतजी नुं पहिलुं सरणुं पड़िवज्जु छुं ॥ इति प्रथम सरणं ॥

अथ द्वितीय सरणं श्री सिद्ध भगवंतजी का प्रारंभ ।

श्री सिद्धभगवंतजी इकतीस गुणोंकरी शास्वता शोभे छे, ते गुण कहे छे, पांच भेदे ज्ञाना वर्णीय कर्म्मना क्षयना करणहार, नव भेदे दर्शना वर्णीय कर्म्मना क्षयना करणहार, बेभेदे वेदनीय कर्म्मना क्षयना करणहार, बेहु भेदे मोहनिय कर्म्मना क्षय करणहार च्यार प्रकारे आयु कर्म्मना क्षय ना करणहार, बेभेदे नाम कर्म्म ना क्षय करणहार, बेहुभेदे गोत्र कर्म्मना क्षय ना करणहार, पांच भेदे अंतराय कर्म्म ना क्षय ना करणहार, वली घणां अतिशय करी बिराजमान ते अतिशय कहिये छिये, ण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे, ण तंसे, ण चौरंसे, ण परिमंडले, ण किन्हे, ण निले, ण लोहिए, ण हालिदे, ण सुकिले, ण सुरहि गन्धि, ण दुरहि गंधे, ण तीक्खे, ण कडुवे, ण कषायले, ण आंबिले, ण माधुरे, ण ककड़े, ण मउए, ण लहु. ण गरुए, ण सीए, ण उन्हें, ण सनिद्धे, ण लुक्खे, ण रुवे, ण संगेहणे, ण अत्थि, ण पुरसे, ण नपुंसके, ण मोहे, ये चउदे भेदे पन्नरे प्रकारे करी सिद्ध भगवंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक समकित ना

धरणहार, अनंत अतिशय करी बिराजमान, सिद्धे, बुद्धे परंपारगते, अजर अमर अक्खय, अव्यावाध, निकल, निराकार निरंजन, अशारिरी जीव स्वरूपी जिहां एक सिद्ध तिहां अनंता सिद्ध लोकाग्र भागने विषे विराजी रह्या छे, सर्व कर्म्म चकचूर करी खपावीने ज्ञानानंदय करी भरपूर थकां मोक्ष नगरनुं राज्य भोगे छे, अनंतकाले, अनंता मोक्ष पहुंता हमणां वर्तमान काले संख्यातां मोक्ष पहुंचे छे, आगामिक काले अनंता पहुंचशे, एहवा, अतीन्द्रिय, अविनाशिअनुपाधि, अबन्धि, अलेशि, अमूर्ति शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन चारित्रादि अनंत गुण भाजन, सच्चिदानंद स्वरूपी एहवा अनंता सिद्ध भगवंतनुं सरणुं पडि वज्जु छुं ॥ इति बिजुं सरणुं ॥ २ ॥

हिवे तीजुं सरणुं साधु भगवंतजी नुं कहे छे ॥

साधु भगवंतजी कहेवा छे, अनंत ज्ञानि, अनंत दर्शि, जघन्य दोय क्रोड़, उत्कृष्टा नव क्रोड़ केवली, वली गणधर, आचार्य्य, उपाध्याय, वहुश्रुत द्वादशांगिना भणनहार, मति श्रुति, अवधि ज्ञानि, वैक्रिय लब्धिना धणी तपस्वी, मोहोटा महानुभाव, ज्ञानवन्त, दर्शनवन्त चारित्रवन्त, ज्ञान दर्शन का धरणहार, बारे भेदे तप करी कर्म ना क्षय ना करणहार, इरिया समिया भाषा समिया एसणा समिया, आयाण भंड़ मतानिक्खेवणां समिया उच्चार पासवण खेल जल सघाण पारिठावणिया समिया मन

गुत्त वयगुत्त, कायगुत्त, गुत्तगुतेन्दिया, गुत्तबंभयारि, जीय कोहा, जीयमाना, जीयमाया, जीय लोहा जियनिंदा जियपारीसहा, जिय इन्दिया, जीविय मरण भय विमुक्का, अमम्मा, अकुंचना, आमोपही पत्ता छेलोसहिपता, जलोस ही पता सव्वासेहीपना, बीजसुधि, कोठ सुद्धि, पदानुसाराणि, मन बालिया, वयबालिया, काय बालिया, नाण बालिया, दंसण बालिया, चारित्र बालिया, खीरोसवा, महुसवा, सप्पिसवा, अक्खीण माणसिया, चारण बिज्जाहारा, चउत्थ भत्थिया, छट्ठ भात्तिया, अट्ठम भत्तिया, दशम भात्तिया, द्वादश भत्तिया, चउदश भात्तिया, अद्धमासिया, मासिया, दोमासीया, तीमासिया, चउमासीया, पंचमासिया, छमासिया, अंत चरगा, पंतचरगा, लुहचरगा, समदाणचरगा, अंतआहारि, पंतआहारि, अरसआहारी, विरस आहारि, लुहआहारि, तुच्छआहारि, अंतजीवि, पन्तजीवि, लुहजीवी, तुच्छजीवी, उवसन्नजीवी पसंत्त जीवी, आयंबिलिया, पुरिमड्डिया, एगासणेया, नीविगइया, अमग्ग जमग्ग सासिणो, नोणि, गामरस भोइ एहवा मूल उत्तर, गुणना सेवनारा, मोक्ष मार्ग ना साधनारा, भाव निग्रन्थ, समता रूपी शुभ ध्यानाग्नि, वडे कर्म रूपी काष्टने बालता, अनादि परिचित विभाव परणतिने वमता, जेने नहीं माया, नहीं ममता, नवी २ तपाक्रिया ना करणहार, चारित्र पालन रूप प्रवहणो करी. संसार समुद्र ने तरता शत्रु मित्र मम दृष्टि एहवा साधु भगवंतजी नुं त्रीजुं सरणुं पडि वज्जु छुं ॥

इति तृतीयं सरणं ॥

हिवे चौथो सरणो श्री केवली भाषित दया धर्मनो ।

जेमां प्रधान भाव दया छे, त्रस-स्थावर सूक्ष्म, बादर, अप्रजापता, प्रजापता, पृथ्वि, अप, तेउ, वायु, वनस्पति, बेन्द्रि, तेन्द्रि, चउरिन्द्रि, पंचेन्द्रि ये सर्व जीव लोक ने विषे राखवा पिण कोई जीव विराधवो नहीं, एहवो श्री केवली भाषित दया, धर्म, सत्य, नित्य, शास्वत सन्देह रहित छे, संसार समुद्रमा पड़तां जीव ने द्विप समान छे, प्रवहण समान छे, तारण सरण, गति प्रति आधार छे, ये हीज कल्याणकारी छे, ये हीज मांगलिक छे, धर्म्म ते किशुं कहिये, जे दुर्गति पड़तां जीव ने धरे, तेने धर्म्म कहिये, जे धर्म्म पाप रूप जलमांथी तारवाने नाव समान छे, जेने परमेश्वर परमसुखनो हेतु कह्यो छे, ए धर्म्म अतीतकाले अनंता तीर्थंकर कह्यो, वर्तमान काले संख्याता कहे छे, आगामिक काले अनंता तीर्थंकर कहसी एहवो श्री जिन धर्म्म अतीत काले विराधिने अनंता जीव भमता हुवा, वर्तमान काले संख्याता भमे छे, आगामिक काले अनंता जीव भमसि, एहवो श्री तीर्थंकरजी नो मार्ग आराधिने गये काले अनंता जीव तर्या, वर्तमान काले संख्याता तरे छे, आगामिक काले अनंता जीव आराधिने तरसी, एहवा श्री केवली परूपित, दया, धर्म्मनुं सरणुं पड़िवज्जुं छुं ।

॥ इति च्यार सरणां सम्पूर्णम् ॥

महानुभाव वंदना ।

धन्न श्री ऋषभदेवजी अनंत बल रा धणी काया ने कांपसी धन वा पुरुषां ने वरसी तप चौविहार कियो, हे जीव, छमछरीरो उपवास तुंही चौविहार कर थारे कायारी गरज सरसे, च्यार हजार साधांरे परिवार सुं दिक्षा लीधी, दश हजार साधांरे परिवार सुं छ दिनांरे संथारे सुं मुक्ति पहुंता वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होयजो ॥ १ ॥

धन श्री महावीर स्वामी अनंत बलरा धणी काया ने कांपसी, धन उत्तम पुरुषां ने बारे मास तेरे पक्ष चौविहार किया, छ मासी चौविहार किया, पंचमासी चौविहार किया, चौमासी चौविहार किया, तीमासी चौविहार किया, दो मासी, डेढ मासी, चौविहार किया, बहोत्तर पक्ष चौविहार कीया, २२९ बेला चौविहार किया, २ दिन सुदि पडिमा वहा, २ दिन वदि पडिमा वहा, इसी तपस्या करीने कर्म खपाइने दोय दिनांरो संथारो करीने आधी रात मोक्ष पहुंता वांने म्हारी वंधणा नमस्कार होयजो ॥ २ ॥

धन श्री गणधर गौतम स्वामी गुणतप कीधा, पहिले पहोर ध्यान करे, दूजे पहोर सझाय करे, तीजे पहोर गौचरी करे, चौथे पहोर पांचसो साधां ने वांचणी देइने गुण रत्न छमछरी तप करीने मोक्ष पहुंता, म्हारी वंदणा नमस्कार होयजो ॥ ३ ॥

धन श्री धन्नोजी अणगार भगवान समीपे आइने भगवानरी वाणी सुणीने दिक्षा लइने गौचरी में अरस निरस विरस कागा कुत्ता नहीं वंछे इसो अहार लेइने बेले बेले पारणो करीने सरथसिद्ध विमान में पहुंता, वांने म्हारी वंदणा नमस्कार हुइजो ॥ ४ ॥

धन श्री एवंता अणगार भगवान समीपे आइने भगवानरी वाणी सुणीने दिक्षा लइने साधांरे परिवार सुं थंडिले गया पाणी रो नालो देख्यो माटी री पाल बांधी पातरी तिराई आत्रो देखो साधां मारी न्याव तिरे छे साधा मन में जाण्यो भगवान महावीर स्वामी मुंडी ने क्या कियो पृथ्वी पाणी आदि छकाय जीवां ने ओलखेइ नहीं साधू टली अलगा नीकल गया मारकमड़ी (दौड़ कर) साधांने पुण भगवानरे समोसरण में आया छे भगवान फुरमावे छे प्रकृति इयरी भद्रिक छे हलुकर्म जीव छे इण भव से ही मोक्ष जासे, म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ ५ ॥

धन श्री अर्जुनमालीजी भगवान समीपे आइने भगवान री बाणी सुणी ने दिक्षा लइने राजग्रही नगरी में सुद्ध परिणामें गोचरी उठ्या कोई भाठा मारे, कोई सोटा मारे, केइ कूत्ता लगावे, केइ धूड़ फेंके, केइ कहे म्हारो बाप मार्यो, केइ कहे म्हारी मा मारी, केइ कहे म्हारी बेन (भगनी) मारी, केइ कहे म्हारो भाइ मार्यो, केइ कहे म्हारी भार्या मारी, केइ कहे म्हारो धणी मार्यो, केइ कहे म्हारो बेटो मार्यो,

अर्जुन मालीजी मन में चिंतवना करी, हे जीव, तें घणा जीवांरी काया न्यारी न्यारी करी दीसे छे तने थोड़ा ही मंतावे छे इसी छमा करीने बेले बेले पारणो छ महिना तांई फिर्या राजग्रही नगरी में अहार पाणी कीणही बेरायो नहीं छ महिना में ही कर्म खपावी पन्नरे दिनांरो संथारो करीने मोक्ष पहुंता, म्हारी बंदणा नमस्कार हुइजो ॥ ६ ॥

धन श्री मेघकुमारजी भगवान समीपे आइने भगवान री वाणी सुणीने दिक्षा लीनी, चउदे हजार मुनिराजां रे परिवार सुं रात ने सूता रातरा मुनिराज कोइ तो मातरो परठण ने उठ्या, कोइ खेंखारो थुंकणने उठ्या, कोइ नाक रो मेल परिठावण ने उठ्या, ज्युं मेघकुमारजी रें ठोकर्यां री लागी, मेघकुमारजी मन में रातरा चिंतावना करी सदाइ तो हुं आवतो भगवानरे समीपे जब भगवान मेघजी मेघजी कहकर बतलावता आज कोण मने मेवलो कहकर बतलायो नहीं मैं कांई भगवान रा खायो नहीं, पीयो नहीं, लीयो नहीं, दीयो नहीं, ओघो पातरा मुंहपत्ति देइने परभाते म्हारे घरे जाउं, मेघकुमारजी भगवान रे समोसरण में आया जब भगवान मेघकुमारजी ने बतलावे आवो मेघ आवो मेघ रात तो तुम्हे दुःखे दुःखे काढी एक रात्रि छ महिना जीसी काढी, भगवान पुरबले भवरो वृतान्त बतायो, हाथीरे भव से तीर्यंचरी दया पाली, श्रेणिक राजारे घर पर बेटा थया, हे मेघकुमार तिर्यंचरे भव में इतनी वेदना सही तो इसुं या वेदना तो कीतिक है, मेघकुमारजी मन में चिंतवना

करीके आज पीछे दोय नेत्र की सार करसुं और शरीर की सुश्रषा नहीं करुं इसी क्षमा करीने विजय विमाने गया, वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होयजो ॥ ७ ॥

धन श्री सुबाहु स्वामी सात भवतो तिर्यंचरा किया, सात भव मनुष्य रा किया, सातभव नारकी रा किया सात भव देवतारा करीने सुख सुखे भोगवीने मुक्ति पधारसे जीकांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ ८ ॥

धन श्री खंधकजी, जीणां काया असासती जाणी, सासती जाणी नहीं, दुकर दुक्कर परिसह सहिने अच्यूत (बारमा) देवलोक पहुंता, चवीने मनुष्य होकर मुक्ति जासी, वांने म्हारी वंदना नमस्कार होइजो ॥ ९ ॥

धन श्री गजसुकमालजी भगवान समीपे आइने दीक्षा लेइने मसाण भूमिका जाइ उभाकाउसग्ग कर्योसोमल (सुसरे) देखीने पुरवलो द्वेष जाग्यो, म्हारी बेटीने दुःख दीनो सो हुं इयरो वैर काढसुं, भीनी माटी लेइने पाल वांधी शिर अंगार धर्या, मुनि माथो धूण्यो नहीं, नाके सल घाल्यो नहीं, सगपण दाख्यो नहीं, इसी समता करीने कैवल्य उपजाइने मुक्ति पहुंता वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ १० ॥

धन्न श्री खंधक कुमारजी दीक्षा लेइने विचर्या वेनोइरी नगरी में गोचरी उठ्या, बेनोइ देखीने काचर रे भवरो द्वेष

जाग्यो, एडीसुं लगाइने चोटी तांइ खाल उतारी, मुनि सगपण दाख्यो नहीं, माथो धूण्यो नहीं, नाके सल घाल्यो नहीं, इसा दुक्कर दुक्कर परिसा सहिने केवल ज्ञान उपजाइने मुक्ति पहुंता वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ ११ ॥

धन्न श्रीकृष्ण महाराजरी आठ अग्र महिष्या, ओपमा वइ १, गौरी २, गंधारी ३, लच्मणा ४, सूसमा ५, जंबु वती ६, सतभामा ७, रुक्मणी ८, आठों राण्यां आइने भगवान समीपे हाथजोड़ मानमोड़ पूज्य भगवान ने नमस्कार करीने चंदन वाला पासे दीचा लइने संजम पालीने मुक्ति पहुंता वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ १२ ॥

धन्न श्री श्रेणिक महाराजरी दस अग्र महिष्या—कालि १, सुकालि २, महाकालि ३, किन्हा ४, सुकिन्हा ५, महा किन्हा ६, वीर किन्हा ७, रामकिन्हा ८, पीउसेण किन्हा ९, महासेण किन्हा १० दसों राण्यां हाथजोड मानमोड पूज्य भगवान समीपे आइने भगवान ने पूछयो कि अहो भगवान काली आदि कुमारों, कोणक और चेडाराजा री लडाई में गया छे, जीत्या के हारया, भगवान पीछी फुरमाइ (लट्टी झूमठी चंपलेरी डाल परे कमलाइने हेठे पडीया) दसुंइ कवरांने चेडराजामार्या दसुंइ राण्यां सुणीने कह्यो अहो भगवान माने संसाररे आलिते पलितेसुं काढो, दसों राण्यांने संजम देइने चंदन वालाने सुंप्या, चंदन वालानी आज्ञा लइने काली आर्या रत्नावली तप अंगीकार कर्यो, दुजी सु-

काली आर्या कनकावली तप कियो, तीजी महाकाली लघुसिंह तप किया, चौथी किन्हा आर्या महासेन तप कियो, पांचमी सुकिन्हा आर्या ने भिक्षुनी पडिमा तप कियो, छट्टी महा किन्हा आर्या ने लघु सर्वतोभद्र तप कियो, सातमी वीर किन्हा वृद्ध सर्वतोभद्र तप करीने विचरे, आठमी राम किन्हा भद्र तप करीने विचरे, नवमी पीयुसेण कन्हा मुक्तावली तप करीने विचरे, दसमी महासेण कन्हा आंबिल वृद्ध माण तप करीने विचरे, इसी तपस्या करीने मुक्ति पहुंता, वांने म्हारी वंदणा नमस्कार होइजो ॥ १३ ॥

॥ इति सम्पूर्णम् ॥

अथ समाधि मरण वालों की २८ भावना लिख्यते।



१. अहो देखिए इस पुद्गल पर्याय का स्वरूप कैसा विचित्र है अनंत पुद्गल परमाणुओं इकट्ठा होकर यह शरीर बना है और देखते ही देखते विरलाने लगा, देखिये यह कैसी विचित्रता है।

२. अहो जिनेन्द्र प्रभु आपके वचन सत्य हैं कि अध्रुव अशासयंमि, यह शरीर अधुव (अस्थिर) अशास्वता है (अनित्य है) सो इतने दिन इस की पर्याय का पलटा होता था, उस का पूर्ण पणे ज्ञान में नहीं रखता था अब इस देह की यह रचना देख आपके वाक्यों का पूर्ण विश्वास हुवा।

३. जैसे अनेक मनुष्यों के मिलने से मेला (बाजार) होता है और बहुत दिन रहकर बिखर (चला) जाता है तब वो सून्यारन्य हो जाता है तैसे ही यह संसार रूप मेला अथवा इस शरीर रूप मेला अनेक परमाणुओं के संयोग से हुवा और बिखरने लगा, इस मे मेरा क्या नुकसान कारण में कुछ इस पुद्गलमय नहीं हूं, मैं तो (चैतन्य) इस तमाशे का देखने वाला तमाशगीर हूं।

४. इस जगत में सर्व पदार्थ अपने २ स्वभाव में मिलते हैं, इस का कर्ता हर्ता कोई नहीं है, इस लिये यह

शरीर मेरे रखने से रहे नहीं, और बिखारने से बिखरे नहीं, तब मैं इसका वियोग होते क्यों चिन्ता करुं जो होना होगा सो होगा।

५. मैं (चेतन्य) एक ज्ञायक स्वभाव मय, उसीका कर्त्ता, भोगता और अनुभवता हूं सो ज्ञायक का स्वभाव अविनाशी है, उसका किसी भी तरह नाश नहीं होता है शरीर रहा तो क्या और गया तो क्या, रहते और जाते मेरा स्वभाव तो एकसा ही है और एकसा ही रहेगा फिर शरीर के विनाश से चिन्ता का क्या कारण।

६. हे जिनेन्द्र, इतने दिन मैं जानता था कि यह शरीर मेरा है परन्तु अब मुझे सत्य भाषण हुवा कि यह शरीर किसी का न हुवा और न होगा, जो मेरा होता तो मेरे हुक्म में क्यों नहीं चलता, यह प्रत्यक्ष रोग, जरा और मृत्यु अवस्था को क्यों प्राप्त होता है।

७. अरे भोले जीव, इस शरीर को माता, पिता, पुत्र बनावे, भाई, भगनि, भ्रात बनावे, पुत्र, पुत्री, तात बनावे, स्त्री और भर्त्तार बनावे, तुं तेरा जाणे, यह एक शरीर इतने का कैसे होवे? जो होवे तो कोई इसका विनाश होते रख लेवे, इस लिये शरीर और कुटुम्ब कोई भी तेरा नहीं है, तुं सर्व से भिन्न चिदात्मक पदार्थ है।

८. यह सम्पत तो जैसे इन्द्र जाल की माया, बद्दल की छाया, स्वप्न राज, दुर्जन काज, जैसा क्षण भंगुर है, तुं क्युं मोह धरता (करता) है।

९. इतना तो जरूर ही जानो कि जो जीवता है सो मरता है नहीं, और मरता है सो जीवता नहीं है, अर्थात् जीव अमर है और काया मरने वाली है, तो शोच करना नहीं, क्यों? कारण काल तो शरीर पैदा हुवा, वहां से ही भक्षण कर रह्या था, और मैं तो अनादि से ऐसा ही हूं ऐसा ही रहुंगा, मेरे को मरणा, त्रिकाल में प्राप्त होवे ही नहीं।

१०. मैं आकाशवत् हूं, अग्नि का, पाणी का, वस्त्र का, इत्यादि मृत्यु देने वाले कोई भी पदार्थों का मेरे ऊपर किंचित् ही जोर नहीं चलने का, मैं पकड़ा जाऊं नहीं, कोई से नाश पावुं नहीं, परन्तु आकाश में और मेरे में इतना फर्क है कि वो तो अचेतन्य अमूर्ति है और मैं सचेतन्य अमूर्ति हूं, इस लिये आकाश से ज्यादा सत्तावंत हूं।

११. जैसे किसी श्रीमंत के पुत्र के दोनुं खीशा में मेवा भरा है, वो जिधर हाथ डाले, उधर मजाही (मेवाही) हाथ लगे तैसे मेरे दोनुं हाथ में लड्डू हैं, अर्थात् जीता हूं तो व्रत नियम तप संजमादि शुभ उपयोग की आराधना करता हूं और मरगया तो स्वर्ग मोक्ष सुख का भोगता होऊंगा, विदेह क्षेत्र में, विहरमान तीर्थंकर के केवली भग-वान के मुनी महाराज के महासतीयों के दर्शन करुंगा, देशना सुणुंगा, प्रश्नोत्तर कर निःसंशय होउंगा, तत्ववेत्ता होकर राग द्वेष के क्षय करने समर्थ होउंगा, फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण कर, दुष्कर तप कर

घनघाति कर्म्म का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अक्षय सुख पाउंगा।

१२. जैसे किसी के पहले रहने का घर जूना पुराना पड़ने जैसा होता है, तब वह रहने को बहुत द्रव्य खरच कर दूसरा मकान बनाता है और तैयार होने पर तुरंत अति हर्ष और अति उत्सव के साथ उस में प्रवेश करता है, तैसे ही हे जीव, तेरी यह नरदेही आधि (चिंता) व्याधि (रोग) उपाधि (दुःख) करके गलगई, शिथिल पड़गई, जरा और काल ने तेरी सत्ता हरली और तेने पहली धर्म्म क्रिया करी हैं, इस लिये तुझे अवश्यं देवादिक उत्तम गति में महा दिव्य मनोहर इच्छित रूप बनाने वाली निर्विघ्न सुख देने वाली, वैक्रिय, देही (शरीर) प्राप्त होगी, तो अब इस अस्थि, मांस, रक्त केस, आदि मलीन पदार्थों से भरी हुई क्षणभंगुर निकम्मि देह पर क्यों ममत्व करता है? झूंपड़ी, छूटी के महल मिला।

१३. जैसे कोई वैश्य (वाणिया) शीत, ताप, क्षुधा, तृषा अनेक दुःख सहन कर माल का संग्रह करता है और भाव आने की राह देखता है कि तेजी होय तो माल बेचकर नफा करूं और जब भाव आता है तब अति कष्ट से संग्रह किये माल पर किंचित् ममत्व नहीं करता और शीघ्र लाभ उपार्जन करता है, तैसे ही हे जीव, तेने भी आरम्भ और परिग्रह तथा प्राण प्यारा कुटुम्ब का त्याग

कर, अनेक शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, मोक्ष रूप, लाभ उपार्जन को सहन करी, सो अब यह काल रूप तेजी का भाव आया है और मृत्यु मित्र तेरे माल के बदले में तुझे इच्छित सुख देता है, सो तुं अब इस देह पर ममत्व न कर, यह अनंत लाभ उपार्जने की वस्तु में लाभ लेले।

१५. अपने किये हुवे कृत्यों का फल तो मृत्यु ही देने वाला है, मृत्यु हुवे बिन, करणी का फल कैसे मिले, इस लिये मृत्यु मित्र मेरे ऊपर तो उपकार ही करता है, युं जाण।

१५. जैसे परचक्रि कोइ किसी राजा को पकड़ पींजरे में डाल रखे, खान पानादिक का अनेक दुःख होता है, और उस के कोई जबर मित्र राजा को इस बात की खबर मिलने से अपने मित्र राजा को शत्रु के तावे में से छुड़ाय कर सुखी करता है तैसे कर्म्मनामा शत्रु मुझे देहरूप पींजरे में घाल कर, श्वासोस्वास, क्षुधा, तृषा, ताड़न तर्जन, रोग, शोक, दुःख, पराधीनता इत्यादि बंदिखाना (कारागृह) जैसा अनेक दुःख दिया, अब मृत्यु नामे मेरे परम मित्र की मेरे ऊपर परम कृपा हुई है, जिस से यह जेलखाने से छुड़ा मेरे को स्वर्ग मोक्ष स्थान देवेगा।

१६. समाधि मरण बिना स्वर्ग, मोक्ष देने को दूसरा दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं है।

१७. जैसे भोग भूमि के मनुष्य जुगालिये को इच्छित सुख पुरने वाले और कल्प वृक्ष होते हैं कल्प वृक्ष का स्वभाव है कि उस के नीचे बैठ शुभाशुभ जैसी वांच्छा करे वैसे फल की प्राप्ति होती है, तैसे अपनी इच्छा पूरने वाला कल्पवृक्ष समान यह मृत्यु प्राप्त हुवा है, अब इस की छायां में बैठ कर जो अशुभ इच्छा विषय कषायादिक धारण करोगे तो नरक तीर्यचादिक अशुभगति प्राप्त होगी और सम समवेग त्याग व्रत, नियम, सत्य, शील, क्षमा, संतोष समाधि भाव का सेवन करोगे तो स्वर्ग सुख के भुक्ता हो, एक भव से मोक्ष प्राप्त करोगे।

१८. जरजरित अशुचि अपवित्र देह से छुड़ाकर देव जैसा दिव्य रूप, मरण ही दे सकता है।

१९. जैसे मुनिराज अनेक नय, उपनय, प्रत्यक्ष, परोक्ष दृष्टान्तों से शरीर का स्वरूप बताकर ममत्व दूर कराते हैं तैसे यह मेरे बदन में रोग पैदा हुवा है सो मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण से उपदेश करता है कि हे पुरुष, तूं इस शरीर पर क्यों ममत्व करता है? यह देह तेरी नहीं है, यह तो मेरे पति (काल) की भक्ष्य है।

२०. जहां तक इस शरीर में किसी प्रकार व्याधि न होय, वहां तक इस उपर से ममत्व न उतरे, और विशेष २ इस का पोषण कर पुष्ट करे, युं पोषते २ ही जब रोग प्राप्त होता है और अनेक उपचार करते रोग नहीं मिटता

है, तब इस देह उपर से स्वभाविक ही प्रेम कम हो जाता है, इस लिये मुनीराज से भी ज्यादा उपदेशक, देह से ममत्व छोड़ाने वाला उपकारी मेरे तो रोग ही हुवा है।

२१. रे जीव, इस रोग को देख कर जो तुं घबराता होय, सच्च मुच जो रोग तुझे खराब लगता होय, इस दुख से कंटाला आता होय तो बाह्य औषधियों का सेवन छोड़ क्योंकि यह रोग कर्म्माधीन है, और औषधियों में कुछ कर्म्म को हटाने की शक्ति नहीं है, कदापि औषधि उपचार से एकदा रोग मिट गया तो क्या हुवा, मिटा रोग तो संख्याता असंख्यात काल में पीछा प्राप्त हो जाता है इस लिये जिनेन्द्र रूप सर्व रोग और सर्व चिकित्सा के ज्ञाता महावैद्य की फरमाई हुई समाधि मरण रूप महा औषधि का सेवन कर कि जिस से सर्व आधि, व्याधि, उपाधि का नाश हो, अजरामर अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्ष सुख मिले।

२२. जो वेदना का उठाव ज्यादा होय तो आप मन में ज्यादा खुशी होय कि जैसे तीव्र ताप से सुवर्ण शीघ्र निर्मल होता है, तैसे इस तीव्र वेदना से, मेरे कर्म रूपी मैल शीघ्र दूर होगा, ऐसा विचार वेदनिय का दुख समभाव सहन करे।

२३. नरक में तैंने परवश पणे अनंत वेदना सहन करी, परन्तु जितनी निर्जरा न हुई उतनी निर्जरा अभी जो तुं समभाव रख कर सहेगा तो तुझे होगी।

२४. जो देनदार नम्रता से साहूकार को सौ रुपये के बदले पीचहतर रुपये देकर फारक्षी मांगे तो मिल सक्ती है, और करड़ाई करे तो सवाये दाम देने से भी छुटकारा होना मुश्किल है तैसे इह कर्म रूप लेनदार लेना लेने खड़े हैं तो तुं नम्रता से इन का देना चुका, फारक्ति लेने का प्रयत्न कर, फारक्षी ले छुटकारा कर।

२५. यह तो जरूर जाण कर्मों का कर्ज दिया बिन मोच्च कदापि नहीं मिलने की।

२६. जैसे भाव आने से निर्मोल्य वस्तु को बेच कर बनिक महा लाभ प्राप्त करता है, तैसे ही जो स्वर्ग मोक्ष के अतीन्द्रिय सुख मुनी महाराज पांच महावृत्त, इन्द्रिय दमनादि, अनेक जप तप संयम करके प्राप्त करते हैं वो सुख प्राप्त करने का यह मृत्यु रूप अति उत्तम मौका (अवसर) आया है, सो अब जरा समभाव धारण कर जिस से स्वर्ग मोच्च, सुख भोक्ता होवे।

२७. रे जीव, तैंने इतने दिन जो ज्ञानादिक का अभ्यास किया है सो इस समाधि मरण में सम परिणाम रखने के लिये है सो अब याद कर।

२८. जिस वस्त्र को वापरते बहुत दिन हो जाता है, जिस से विशेष परिचय होता है, उस से स्वभाव से ही मोह कमी होता है, तैसे ही इस शरीर से जाण।

इति श्री २८ शुद्ध भावना सम्पूर्णम्।

श्री पद्मावती री ढाल ।



दोहा ।

मोटी सती पद्मावती, लीनो संजम भार ।
अथिर संसार ने जाणके, छोड्या विषय विकार ॥१॥
विरह पड़्यो राजा तणो, सती गई बन मांय ।
पाप चितारे पाछला, ते सुणजो चित्त लाय ॥२॥

राग वेराड़ी । एदेशी ।

हवे राणी पद्मावती जीवरास खमावे जाणपणो जग दोहिलो इण वेला जी आवे ॥ १ ॥ ते मुज मिच्छामि दुक्कड़ं । अरिहंतनी साख जे में जीव विराधिया चोराशी लाख ॥२॥ ते मुज । सात लाख पृथ्वी कायना साते अपकाय सात लाख तेउकायना, साते वली वाय ॥ ३ ॥ ते मुज ॥ दस लाख प्रत्येक वनस्पति चवदे साधारण बि तीय चउरिंद्री जीवना बे बे लाख प्रकार ॥ ४ ॥ ते मुज ॥ देवता तिर्यंच नारकी च्यार च्यार प्रकासी चवदे लाख मनुषना एवं लाख चोरासी ॥ ५ ॥ ते मुज ॥ हिंसा कीधी जीवनी बोल्या मृषावाद दोष अदत्तादानरा मैथुन उनमाद ॥६॥ ते मुज ॥ परिग्रह मेल्यो आरम्भ कीधो क्रोध विशेष मान माया लोभ में कीया वली राग ने द्वेष ॥ ७ ॥ ते मुज ॥ कलह करी जीव दुहव्या दीधा कूड़ा कलंक निंदा कीधी पारकी रति

अरति निशंक ॥ ८ ॥ ते मुज ॥ चाड़ी खाधी चौंतरे कीधो थापण मोसो कुगुरु कुदेव, कुधर्म रो भलो आण्यो भरोसो ॥ ९ ॥ ते मुज ॥ इणभव परभव सेवीया जेपाप अठार त्रिविधे (२) करी परहरुं दुरगत ना दातार ॥ १० ॥ ते मुज ॥ खटीक ने भवे में कीया जीवना बधवात चिड़ी मार भवे चिड़कला मार्या दिन ने रात ॥ ११ ॥ ते मुज ॥ मछीगर भव माछलां झाल्या जल वास धीवर भील कोली भवे मृग मार्या पास ॥ १२ ॥ ते मुज ॥ काजी मुल्लाने भवे पढ्या मंत्र कठोर जीव अनेक जवे (हलाल) कीया कीधा पाप अघोर ॥ १३ ॥ ते मुज ॥ कोटवाल ने भवे में किया आकरा कर दंड वंदीवान मरावीया कोरड़ा छड़ी दंड ॥ १४ ॥ ते मुज ॥ परमाधामी ने भवे दीधा नारकी दुःख छेदन भेदन वेदना पाड़ंता कूक ॥ १५ ॥ ते मुज ॥ कुंभार ने भवे में किया नीम्हा पचाया तेली भवे तिल पीलिया पापे पेट भराया ॥ १६ ॥ ते मुज ॥ हाली ने भवे हल खेड़िया फाड़्या पृथ्वी ना पेट सूड नीदांण कीधा घणा दीधी वलधां चपेट ॥ १७ ॥ ते मुज ॥ माली ने भवे रोपिया नाना विध वृक्ष मूल पत्र फल फूलना लाग्या पापज लक्ष ॥ १८ ॥ ते मुज ॥ अधो वाइने भवे भरिया अधिकाजी भार पोठी उंठे कीड़ा पड़्या दया नहीं आणी लगार ॥ १९ ॥ ते मुज ॥ छीपाने भवे छेतर्या कीधा रांगण पास अग्नि आरम्भ किया घणा धातुर्वाद अभ्यास ॥२०॥ ते मुज ॥ सूरपणे रण झूंझता मार्या माणस वृन्द मदिरा

मांस माखण भख्या खादा कंदने मूल ॥ २१ ॥ ते मुज ॥ खाण खणाई धातनी पाणी घणा उलीच्या आरंभ कीधा अति घणा पोते पापज संच्या ॥ २२ ॥ ते मुज ॥ इंगाल कर्म किया वली धर्मे दव दीधा सूंस खाधा वीतरागना कूड़ा कोसज पीधा अथवा (कोलज कीधा) ॥ २३ ॥ ते मुज ॥ बिल्ली भवे उंदरा गल्या, गिलोइ हत्यारी मुंढ गिंवार तणे भवे में जूं लिख मारी ॥२४॥ ते मुज ॥ भड़भुंजा ने भवे एकेन्द्री जीव जवार चणा गहुं सेकिया पाड़ंता रीव ॥२५॥ ते मुज ॥ खांडण पीसण गारना किया आरंभ अनेक रांधण इंधण आगना किया पाप उदेग॥ २६ ॥ ते मुज ॥ विकथा च्यार कीधी वली सेव्या पांच प्रमाद इष्ट वियोग पड़ा विया रुदन विखवाद ॥ २७ ॥ ते मुज ॥ साधु अने श्रावक तणा व्रत लेइने भांग्या मूल अने उत्तर तणा मुझे दूषण लाग्या ॥२८॥ ते मुज ॥ साप विच्छु सिंह चीतरा सिकरा ने समली (चील) हिंसक जीव तणे भवे हिंसा कीधी सबली ॥ २६ ॥ ते मुज ॥ सवावड़ दूषण घणा वली गरभ गलाव्या जीवाणी ढोल्या घणा शीलव्रत भंजाया ॥३०॥ ते मुज ॥ रांगण पास में किया जीव नहीं जाणी हिंसा कीधी जीवनी दया न आणी ॥ ३१ ॥ ते मुज॥ धोबी ने भवे धोविया काढ्या कपड़ा ना कीट अणगल नीर ढोल्या घणा आई आंख्यां मीट ॥ ३२ ॥ ते मुज ॥ कंदोइना भव में किया भट्टी वाली न जोय जीव आरम्भ किया घणा लाग्या पातक मोय ॥ ३३ ॥ ते मुज ॥ वणिज किया

नाणीया भवे धड़ीयां दीवी उडाय पातरे (छेतरी) वस्तु मारी घणी पाप पूग्या आय ॥ ३४ ॥ ते मुज ॥ उनाले हल हांकिया वर्षाले गाडा नीलण फूलण चांपी घणी भूख्या मार्या छे पाडा ॥ ३५ ॥ ते मुज ॥ गूजरना भव में किया बांध्या पापांरा भारा पाडीने वेलो छोड़ियो पाडाने जारा (पकड़्या) ॥ ३६ ॥ ते मुज ॥ खातीना भव में किया घणा रूंख वढाया थोड़ा ने वली घणा मुझे दूषण लाग्या ॥ ३७ ॥ ते मुज ॥ हाथीना भव में किया किया रुखांरा खोगाल पंखियांरा माला पाड़िया भांजी तरुवर डाल ॥ ३८ ॥ ते मुज ॥लोहारना भव में किया घणा धवण धमाया कसी कुदाला पावड़ा खड़ग कटारी कराया ॥३९॥ ते मुज ॥ बामणना भव में किया, किया अणगल नीर स्नान जोतक निमित भाखिया, लीया वर्जित दान ॥४०॥ ते मुज ॥ सतीने कुसती कही कायरने सूरा वेश्याना दोउ दीकरा कह्या दोनु पख पुरा ॥ ४१ ॥ ते मुज ॥ बजाजना भव में किया जूना नया कर बेच्या कूड़ कपट केलव्या घणा पोते पापज संच्या ॥ ४२ ॥ ते मुज ॥ सराफी ना भव में किया भेली करवा आथ (दौलत) गालणी घणी करावता धन चाल्यो न साथ ॥४३॥ ते मुज ॥ अण छाणां आंधण दिया अणपुंज्ये चूले अण सोया धानज उरीया मुज पाप न भूले ॥ ४४ ॥ ते मुज ॥ मेला तमासा देखतां विषय निजर भर जोय कितोल हांसीने मश्करी करता नर कोय ॥ ४५ ॥ ते मुज ॥ जोर करी हींडे हींडना तोड़ी तरुवर डाल

काचा फल फूल चूंटिया फोड़ी सरवर पाल ॥४६॥ ते मुज॥ भोपा भरड़ाने भवे अणहुंता नचाया बकरा भैंसा बापड़ा दोसे मिस मराया ॥ ४७ ॥ ते मुज ॥ कांवड़ डूम डकेतला रावल रात नचाया रामजणी वेश्या तणा केई चरित दिखाया ॥ ४८ ॥ ते मुज ॥ नावण धोवण में किया बागा बेस बणाया आरी से मुख जोइया बहु दोष लगाया ॥४९॥ ते मुज ॥ सुल्या धान दलाविया घणा घुण मसलाया इली दुःखी अति घणी पोते पाप कमाया ॥ ५० ॥ ते मुज ॥ फड़ियाना भव में किया सुल्या धानज विणज्या लोभ तणे बश परिग्रह कारज कोई न सर्या ॥ ५१ ॥ ते मुज ॥ पटवारी रा काम में घणा कर्मज बांध्या धीचारी ने (भरमाड़ने था धीजाइने) भोलाविया चण साचा सांध्या ॥५२॥ ते मुज ॥ वेपार कीनो पसारीतणो घणी ओखदियां राखी जीवांरा जबर (नाश) किया घणा कीकर रेसी नाकी ॥ ५३ ॥ ते मुज ॥ गुड़, खांड, तेल घृतना विणज चोमासे कीना जीव हत्या लागी घणी कर्म खोटा कीना ॥५४॥ ते मुज ॥ रंगरेजाना भव में किया, कसंबा रंग्या अणछाण्या पाणी ढोलिया लोभतणी संग्यां ॥ ५५ ॥ ते मुज ॥ बाघरी ने घरे जद वस्या सब जीव संहार रुधिर मांस भर्या रह्या करता मांस अहार ॥ ५६ ॥ ते मुज ॥ दासी वेश्या ने कुले चोरी जारी पाई साते व्यसन सेविया कुबुद्धि कुड़ कमाई ॥५७॥ ते मुज ॥ दाइना भव देखिया और (आंवल) मल अमसाई झूट जाचक ने जिहां गाळिया मराई ॥५८॥ ते मुज ॥

काग चिड़ी कूकड़ कुले कीटक (कीड़ा) भखिया कोड़ माखी जूवां गिगेड़ला उदेई खंडा फोड़ ॥ ५९ ॥ ते मुज ॥ लखारा भव लाख लेई वड़ पीपल बाढी पूरण पाणी धोई ने अगन चढ़ाई गाढी ॥ ६० ॥ ते मुज ॥ भील मेणा थोरी भवे लगाया दव लायां भैंसा एवड़ वाढिया डंभाइ टोगड़ गायां ॥ ६१ ॥ ते मुज ॥ असुर तणे भव उपना मुर्गी गाय मरावी पंखी पिंजर पाड़िया कर गिलोल करावी ॥६२॥ कवाड़ी भव कर्म्म किया केइ कठोता कराया सालर गूलर बड़ काटिया पापे पेट भराया ॥६३॥ ते मुज ॥ कलाल कुंजड़ा कुले दारु भट्ठ चढ़ाया भाजी केरे कारणे केइ रोप (पौंदे) रोपाया ॥ ६४ ॥ ते मुज ॥ भाटा सिलावट भांजिया केइ मंदिर कराया मांटी ईंटा कारणे केई चाव लगाया ॥ ६५ ॥ ते मुज ॥ भैरुं भवानी मानिया महारुद्र हनुमान् आठ मद छके करी दीधा करमा दान (बलीदान) ॥ ६६ ॥ ते मुज ॥ पंखी माला खोसिया भंवरा घर ढाया सुल्या धान दलाविया पापे पिंड भराया ॥ ६७ ॥ ते मुज ॥ निंदा कीधी साध की सूधा साध सताया कुगुरु संगे लागने कर्म बहुला बंधाया ॥६८॥ ते मुज ॥ रे रे कर्म किया कैसा पाप कीधा अपार ये दोष उदय आविया अवे कुण आधार ॥ ६९ ॥ ते मुज ॥ सिद्ध भगवंत अरु साधनो हिवे शरणो होज्यो भगवंत नो भजन कीजिए सूर साहमो जाज्यो ॥७०॥ ते मुज ॥ समदृष्टि जीव ते सरदसी सुणतां समता आवे भारी कर्मा जीव ते सुणतां दुःख पावे ॥७१॥

ते मुज ॥ भव अनंत ममता थकां कियो कुटुम्ब सम्बन्ध त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं तिणसुं प्रतिबंध ॥ ७२ ॥ ते मुज ॥ भव अनंत ममता थकां कियो काया सम्बन्ध त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं तिणसुं प्रतिबंध ॥७३॥ ते मुज ॥ भव अनंत ममतां थकां कीधो परिग्रह सम्बन्ध त्रिविधे २ करी वोसरुं तिणसुं प्रतिबंध ॥ ७४ ॥ ते मुज ॥ इण भव परभव में किया कीधा पाप अखत्र त्रिविधे २ करी वोसरुं करुं जन्म पवित्र ॥ ७५ ॥ ते मुज ॥ हिवे राणी पद्मावती सरणा लिया च्यार सागारी अणसण कियो जाण पणारो सार ॥ ७६ ॥ ते मुज ॥ राग वेराड़ी जे सुणे ये तीजी ढाल समय सुंदर कहे पापथी छूटे ते तत्काल ॥ ७७ ॥ ते मुज ॥

इति श्री पद्मावती री ढाल सम्पूर्णम् ॥

सलेषणा ।

अपछिम मरणांतिय संलेहणा झूसणा आराहणा पोपधसाला पुंजीने, उच्चार पासवण भूमिका, पडी-लेहीने, गमणागमणे, पड़िक्कमिने, दर्भादिक संथारो संथा-रीने दर्भादिक, संथारो दुरुहीने, पूर्व तथा उत्तर दिसी पलंका दिक आसण बेसी बेसी ने करयल संपरिग्गहियं सीरसावतं मत्थए अंजली तीकट्टु एवं वयासी, नमोथुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपताणं, एम अनंता सिद्धजी ने नमस्कार करीने, जयवंता वर्त्तमान तीर्थंकर ने नमस्कार करीने, पोताना धर्माचार्य ने नमस्कार करीने, साधु प्रमुख चारतीर्थ खमावीने सर्व जीवराशी खमावीने, पूर्वे जे व्रत आदरीया छे, तेना जे अतीचार दोप लाग्या होय ते सर्व ने आलोई, पड़िक्मी निंदी निशल्य थइने, सव्वं पाणाइ-वायं पच्चखामी, सव्वंमुसावायं पच्चखामी, सव्वं अदि-नादाणं पच्चपखामि, सव्वंमेहुणं पच्चपखामी,सव्वं परिग्गहं पच्चखामी, सव्वं कोहं माणं जाव मिच्छा दंसण सल्लं सव्वं अकरणीजं पच्चखामि, जावजीवाए, तीविहं तीवीहेणं न करेमि नकारवेमी करंतंपि नाणु जाणामि मणसा वयसा कायसा एम अठारे पाप स्थानक पच्चखीने सव्वं असणं पाणं खाईमं, साइमं, चउविहंपि आहारं पच्चखामि जाव जीवाए एम चार आहार पच्चखीने जंपीयं इमं सरीरं इठं-

कंतं, पीयं, मणुणं, मणामं, थिज्जं, विसासीयं, समयं, अणु मयं, बहुमयं, भंडकरंड समाणं, रयण करंडगभूयं, माणसीयं, माणं उन्हं, माणं खूहा माणं पिवासा, माणं वाला, माणं चोरा, माणं दंसा, माणं मसग्गा, माणं वाहियं, पित्तियं, कप्फियं, संभीमं, सन्निवाहियं, विविहारोगायंका, परिसहा ऊवसग्गा फासा, फुसन्ति, एवं पियणं चरमेहीं ऊस्सास निस्सासेहीं वोसिरामी, त्तिकट्टु एम शरीर वोसराविने, कालं अणवकंखमाणे विहरामी एहवी सद्दहणा, परूपणा, तो छे फर्सणाए करीयेतेवारे शुद्ध एहवा अपाछिम मरणांतिय, संलेहणा, झुसणा, आराहणा, पंच अइयारा, पयाला, जाणीयवा, नसमायरियव्वा तंजहा, ते आलोऊं, इहलोगा-संसप्पऊगे परलोगासंसप्पऊगे, जीवियासंसप्पऊगे, मरणासं-सप्पऊगे, काम भोगासंसप्पऊगे, तस्स मिच्छामी दुकडं ॥२०॥

॥ इति ॥

अथ आत्म-शिक्षा सज्जाय लिख्यते ।



(ढाल—कर्म्मन छुटेरे प्राणिया एदेशि.)

मानन कीजेरे मानवी, माने ज्ञान विनाश । ध्यान न धायोरे धर्म्मनो, मरने दुर्गति जाय ॥ मा० ॥ १ ॥ जे नर महिलां में पाहोढता, करता भोग विलास, ते नर मरने माटी थया, ऊपर ऊगा छे घास ॥ मा० ॥२॥ जे नर रुच२ बांधता, शालु कसुमल पाघ, ते नर मरिने माटी थया, भांडा घड़े रे कुम्हार ॥ मा० ॥३॥ जे नर सुख में बिराजतां, चागुलता मुख पान, ते नर पोढ्या छे आग में, काया काजल समान॥ मां० ।४॥ चौसठ सहस अंतेउरी पायक छिन्नु जी कोड़, ते नर अंत अकेलड़ो, चाल्यो छे सहु रिद्ध छोड ॥ मा० ॥५॥ जे नर छत्र धरावता, चमर विभंता जी सार, ते नर पोढ्या छे काठ में, ऊपर डांगां की मार ॥मा० ॥६॥ जे नर दीपक करी पोढ़ता, फूलड़ां सेज विछाय, ते नर अटवि मांहे पोढ़िया, चांचां मारे रे काग ॥ मा० ॥ ७ ॥ जादव पति सरिखा जी चल गया, जोवो कृष्ण नरेश, वन कशुंबी में, एकलो हण्यो वांणां सु जेम ॥ मा० ॥ ८ ॥ दोढ़ा दोढ़ा रे चालता, निरखता वालि छाह, पहिले पोहरे दिट्ठा हुता, छेले दिशे जिनाह ॥ मा० ॥ ९ ॥ कहता म्हासुं जी कुण अड़े, काढ़ां करड़ा नी थांक, सगज मांहे

मावता नहीं, ते तो होय गया रांक, मा० ॥ १० ॥ गरीब लोकां ने खोसता, डरता प्रभुजी से नाहिं, रावले रोक्या रे दुख पड़े, सोच करे मन मांहिं, मां० ॥ ११ ॥ घर मंदिर यूंही रह्या, साथे पुण्य ने पाप, कुटुम्ब काज कर्म्म बांधिया, भोगवे एकलो जी आप ॥ मा० ॥ १२ ॥ धर्म विहुणी रे जे घड़ी, निश्चय निष्फल जाय, ओछा जीतव रे कारणे, मूढ रह्यो ललचाय ॥ मा० ॥ १३ ॥ नोबत घुरती जी बारणे, सरणाई संख भेर, काल तिहांने जी लेगयो, नहीं कोई लावे जी घेर ॥ मा० ॥ १४ ॥ धमण धमंति जी रहगई, बुझ गया लाल अंगार, एरण ठमको जी मिट गयो, उठ चल्यो जी लोहार, ॥ मा० ॥ १५ ॥ सिरख पथरणा में पहोढ़ता, तेल फुलेल लगाय, इक दिन इसड़ी वणि कूतरा कागज खाय ॥ मा० ॥ १६ ॥ तन सराय में वासो करी, जीव साथे सुख चैन, शास नगारा कूंचरा, वाजत है दिन रैन ॥ मा० ॥ १७ ॥ परजालीने पाछा फिरया, कुंकुं वर्णि जी देह, जल में पैश सींचो लियो, धृग २ कार मुं स्नेह, मा० ॥ १८ ॥ मानी नर मानी थया, करतां नारकि नींव, इम जाणि धर्म आदरे, ते तो पुण्यवंत जीव, मा० ॥१९॥ निर्लोभी निर्लालची छ काय रा रिखपाल, तिहारी प्रतीत आंणज्यो, छोड्यो आल जंजाल, मा० ॥ २० ॥ सद्गुरु सांसार टालसि, जोवो सुबुद्ध नरेश, साधु श्रावक व्रत पालज्यो, सुगति मुगति सुख थाय, मा० ॥२१॥ कुगुरु कुमार्ग घालसि, रहे परनीज्यो त्यांह, हिंसा धर्म्म करावने, मेल से

नारकी मांहि, मा० ॥२२॥ तिहां कोई आडो नहीं आवसी, जी जी जप से तिवार, मारसे हेलो रे एकलो, छेदन भेदन तेह, मा० ॥ २३ ॥ अनंत भूख तृषा सही, शीत ताप दुःख घोर, धरती करवत सारखी, वेदन कठिन कठोर, मा० ॥२४॥ पांच पच्चीस बाकी रह्या, हिंसा झूठ अदत्त, मांस मद्य पर नार ना लागा दोष अनंत, मा० ॥ २५ ॥ देव दुंदाला जी आवसी, करता लोचन लाल, देख्या जीवड़ो रे कांपसी, मारसि मुद्गल झाल, मा० ॥ २६ ॥ हसतां कर्म्मज बांधिया, रोयां छुटे जी नाहि, सतगुरु करे रे चेतावाणि, चेतो चतुर सुजाण, मा० ॥ २७ ॥ पड़दे रहती जी पदमणी, सजलि नित शृंगार, आखर उतरया जी धर्म्मरा, त्यारे (तब) घर २ री पणिहार, मा० ॥ २८ ॥ चिहुं दिस हुंडी जी चालती, हीडंता हिंडोले खाट, पुण्य रो संचो पूरो हुवो, त्यारे (तब) कवड़ी मांगे जी हाट, मा० ॥२६॥ आगे जाचक ओ लगे (खुसामदी हां जी २ करे) अश्व बडो असवार, अत्थविण तिथिरे प्रगटिया, आणे ईंधन वार, मा० ॥३०॥ राज तेज रिद्ध कुटुम्बरा, कांसुं करो रे अहंकार, मेलो मंडियो छै कारिमों, विछड़ंता नहीं वार, मा० ॥३१॥ पृथ्वी पाणी अगन में, वायु वनस्पति त्रसकाय, इण रक्षा धर्म्म ऊपजे, दुख दारिद्र मिटजाय मा० ॥ ३२ ॥ परनारी संग परिहरो क्रोध तजो दुख दाय, चोरी छोड्या सम्पति मिले, सांच बोल्या सुख थाय, मा० ॥३३॥ तृष्णा तोड़ो जी पापणि, व्रत करो निमंतोष, निंदा म करो रे पारकी, टालो

अथ गुरु चेला को संवाद लिख्यते ।



प्र०—देख्या रे चेला, बिना मौत मुवा, देख्या रे चेला विना पांख सूवा, देख्या रे चेला विना पान तरवर, देख्या रे चेला विना पाल सरवर ॥ १ ॥

उ०—देख्या गुरुजी विना मौत मूवा, देख्या गुरुजी विना पांख सूवा, देख्या गुरुजी विना पान तरवर, देख्या गुरुजी विना पाल सरवर ॥ २ ॥

प्र०—क्या है रे चेला विना मौत मूवा, क्या है रे चेला विना पांख सूवा, क्या है रे चेला विना पान तरवर, क्या है रे चेला विना पाल सरवर ॥४॥

उ०—निंदा गुरुजी विना मौत मूवा, मन गुरुजी विना पांख सूवा, हिंसा गुरुजी विना पान तरवर, तृष्णा गुरुजी विना पाल सरवर ॥ ४ ॥

प्र०—देख्या रे चेला, विना अग्नि जलतं, देख्या रे चेला विना रोग गलतं, देख्या रे चेला विना खून (अपराध) दण्डन, देख्या रे चेला विना वन्ध वन्धन ॥ ५ ॥

उ०—देख्या गुरुजी विना अग्नि जलतं, देख्या गुरुजी विना रोग गलतं, देख्या गुरुजी विना खून

दण्डन, (शय्या) देख्या गुरुजी बिना बन्ध बन्धन ॥ ६ ॥

प्र०—क्या है रे चेला बिना अग्नि जलतं, क्या है रे चेला बिना रोग गलतं, क्या है रे चेला बिना खून दण्डन, क्या है रे चेला बिना बन्ध बन्धन ॥७॥

उ०—क्रोध गुरुजी बिना अग्नि जलतं, चिन्ता गुरुजी बिना रोग गलतं, निंदा गुरुजी बिना खून दण्डन, राग गुरुजी बिना बन्ध बन्धन ॥ ८ ॥

प्र०—देख्या रे चेला बिना वृक्ष छाया, देख्या रे चेला बिना द्रव्य माया, देख्या रे चेला बिना प्यार प्यारा, देख्या रे चेला बिना खार खारा ॥ ९ ॥

उ० देख्या गुरुजी बिना वृक्ष छाया, देख्या गुरुजी बिना द्रव्य माया, देख्या गुरुजी बिना प्यार प्यारा, देख्या गुरुजी बिना खार खारा ॥ १० ॥

प्र०—क्या है रे चेला बिना वृक्ष छाया, क्या है रे चेला बिना द्रव्य माया, क्या है रे चेला बिना प्यार प्यारा, क्या है रे चेला बिना खार खारा ॥११॥

उ०—वादल गुरुजी बिना वृक्ष छाया, विद्या गुरुजी बिना द्रव्य माया, धर्म्मी गुरुजी बिना प्यार प्यारा, पापी गुरुजी बिना खार खारा ॥ १२ ॥

प्र०—देख्या रे चेला बिना नरक दुक्खं, देख्या रे चेला बिना मोक्ष सुक्खम, देख्या रे चेला बिना दान दानं, देख्या रे चेला बिना मान मानं ॥ २३ ॥

उ०—देख्या गुरुजी बिना नरक दुक्खं, देख्या गुरुजी बिना मोक्ष सुक्खम, देख्या गुरुजी बिना दान दानं, देख्या गुरुजी बिना मान मानं ॥ १४ ॥

प्र०—क्या है रे चेला बिना नरक दुक्खं, क्या है रे चेला बिना मोख सुक्खं, क्या है रे चेला बिना दान दानं, क्या है रे चेला बिना मान मानं ॥ १५ ॥

उ०—परिग्रह गुरुजी बिना नरक दुक्खं, संतोष गुरुजी बिना मोक्ष सुक्खं, साधु गुरुजी बिना दान दानं, सिद्ध गुरुजी बिना मान मानं ॥ १६ ॥

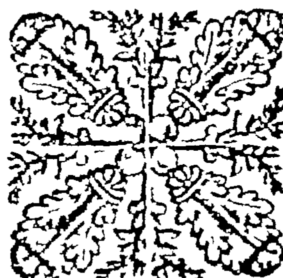
इति गुरु चेला सम्वाद समाप्तम् ॥

अथ श्री सुगुरु स्तवन लिख्यते ।

वे गुरु मेरे उर बसो, जे भवजलनिधि जहाज, आप तीरे परतारता, ऐसे श्री मुनिराज ॥ वे गु० ॥ १ ॥ मोह महा रिपु (वैरी) जीत के, छोड़े सब घरबार, होय मुनीश्वर बन बसे आत्म शुद्ध विचार ॥ वे गु० ॥ २ ॥ राग उरग वपु बिल घणा, भोग भुजंग समान, कजलि तरु संसारे, सहु छाड्यो इम जांण ॥ वे गु० ॥ ३ ॥ पंच महाव्रत आदरे, पांचु समिति समेत, तीन गुप्ति गोपे सदा, अजर अमर पद हेत ॥ वे गु० ॥ ४ ॥ धरम धरे दश लच्चणों भावे भावन सार, जीते परिसह बीस दोह, चारित्र रत्न भंडार ॥ वे गु० ॥ ५ ॥ रत्न त्रयोनिधि उरधरे, अरु निर्ग्रंथ त्रिकाल, जीते काम पिशाच को, स्वामी परम दयाल ॥ वे गु० ॥ ६ ॥ ग्रीष्म ऋतु रवि तेजसुं सूके सरवर नीर, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नग्न शरीर ॥ वे गु० ॥ ७ ॥ पावस रेणी डरियामणी, बरसे जलधर धार, तरुतल वसे तप तपे, वाजे झंझावाय ॥ वे गु० ॥ ८ ॥ शीत पड़े कपि (वन्दर) मद गले, दाजे सहु वनराय, धार तरंगिनी के तटे, ठाड़े ध्यान लगाय ॥ वे गु० ॥ ९ ॥ इन विध दुधर तप करे, तीनों काल मझार, लग रहे सहज स्वरूप मे, तनसुं ममत निवार ॥ वे गु० ॥ १० ॥ रंग महेल मे पोढ़ता, कोमल सेज बिछाय, ते कंकराली भूमि मे, सोवे

समकर काय ॥ वे गु० ॥ ११ ॥ गजचढ़े चलता गर्भ सुं, सेना सज चतुरंग, निरख निरख पग वे धरे, पाले करुणा अंग ॥ वे गु० ॥ १२ ॥ खटरस भोजन जीमतां, सोवन थाल मझार, अवे सब छिटकाय ने फासुक लेता आहार ॥ वे गु० १३ ॥ पूर्व भोग न चितवे, अगम वाञ्छा नाय, चतुर गति दुःख से डरे, सुरत लगी शिव मांय ॥ वे गु० ॥ १४ ॥ वे गुरु चरणन जहां धरे, जंगम तीरथ जेह, सो रज मम मस्तक चढो, बुधर मांगे एह ॥ वे गुरु मेरे उरवसो ॥ १५ ॥

॥ इति मुनिवर सज्झाय सम्पूर्णम् ॥



अथ बाल पच्चिसी लिख्यते ।

ढाल (चौपाई.)

दुल्लहो मनुष्य जमारो पाय, प्रमादे दिन निकल्या जाय, धर्म्म विना गमावे काल, तो बूढ़ा ते कहिजे बाल ॥ १ ॥ आपणां दोष ढांकणरे काज, मेल दीनी मर्यादा लाज ॥ परसिर नाखे आपणा आल, तो बूढ़ा ते० ॥ २ ॥ सूंस नहीं विरत ते आंखड़ी, ढीले मुखं में ले खासणी ॥ बारणा सामो रह्योज निहाल, तो बू० ॥३॥ देव गुरु धर्म्म नहीं पारखा, सघलाने जाणे सारिखा ॥ जिम सरवर नी फूटी पाल ॥ तो बू० ॥ ४ ॥ सेंठी नहीं समकितरी नीव, श्रद्धे नहीं छ काय रा जीव, सूंस व्रत न सके पाल ॥ तो बु० ॥ ५ ॥ जाण पणो नहीं किणही बातरो, खाली मोखी करे मातरो, मांहे पड़ेजीवां रा जाल ॥ तो बु० ॥ ६ ॥ पाछली राते वेगो जाग, अगन पाणीरो आयो अभाग, मुख सुं बोले आल पंपाल ॥ तो बु० ॥७॥ जो कोई देवे न्याय री सीख, बलती दिये आपही भीक, मुखसुं बोले माठी गाल ॥ तो बु० ॥ ८ ॥ नहीं छोडे घर की पारकी, जाणो सुत्त दिया नारकी, विषय नजर भर रह्योज भाल ॥ तो बु० ॥ ९ ॥ फल रह्यो संसार ने काम, कदे नहीं लियो भगवंतरो नाम, माथे आय गया धवला (धोला) बाल ॥ तो बु० ॥१०॥ लाम्बी माला घाली हाथ, नीचद करे पराई बात, जाणे अरट तणि घर माल ॥ तो बु० ॥ ११ ॥ निजर पड़े कोई धर्म्मि भेष, जब मूरख नुं जागे द्वेष, जाने उघाड़ी अग्नि री

ख्याल ॥ तो बु० ॥ १२ ॥ ते न जाणे पराई पीड़, उल्टी करे पापी री भीड़, धर्मी सेति बान्धे चाल ॥ तो बु० ॥१३॥ घर रो कांई कह्यो नहीं करे, पाछी देतां आघो पड़े, फस रह्यो छे माया जाल ॥ तो बु० ॥ १४ ॥ आठुं पहर पाप में रहे, जे कोई बात धर्म्मनी कहे, तो ते दे छे उल्टी गाल, तो बु० ॥ १५ ॥ पापी सेती मांडी प्रीत, रात दिवस रहे खोटी नीत, मुनी देखे जाय मुंढ़ो टाल ॥ तो बु० ॥१६॥ सूत्र भेद न जाणे मूढ़, झाल रह्यो छे कुलरी रूढ़, ठोठ भट्टारक ठंठणपाल ॥ तो बू० ॥ १७ ॥ घरका भोजन जुगत सूं करे, तो ही मूढ़ यूंही लड़े, रांधी हांडी घाले काल ॥ तो बू० ॥ १८ ॥ फल मूल गाजर ने कंद, जिणमें अनंत जीवां रा फंद, ऊभोई जाय उगाल ॥ तो बू० ॥ १९ ॥ रात दिवस ढांढा ज्यूं चरे, जाय अण छाण्या पाणी में पड़े, अनंत जीवां रो करे संहार ॥ तो बू० ॥ २० ॥ व्यसन सात जुवटे में रमे, सघला वर्ष धूल में गमे, हार गयो ओरां ने साल ॥ तो बू० ॥ २१ ॥ तिथि पर्व भादवे मास, छति शक्ति नही करे उपवास, चित्त दियो रोटी ने दाल ॥ तो बू० ॥ २२ ॥ नहीं सुणे साधां री वाण, लग रह्यो घर की लेहताण, सुवे अच्छाय ढोल्यो ढाल ॥ तो बू० ॥ २३ ॥ धर्म्म सांभलतां डचकी खाय, रावल भंवया देखण जाय, एक निजर भर न्योन्न भाल, ॥ तो बू० ॥ २४ ॥ जाण जांत ने बांधे कर्म्म, किया मे प्रत्यय धर्म्म, पापतणी जे बांधे पाल ॥ तो बूड़ा ते कर्जे चाल ॥ २५ ॥

इति सम्पूर्णम् ॥

अथ उपदेशी २४ कड़ा लिख्यते ।

ढाल ॥ जिनवर दियो ऐसो उपदेश, जे कोइ राखजो धर्मनी लेस, के दया भाव दिल राखजो, मस्तक आवसी धवला जी केस, बुढापे आण कियो परवेश, आठ कर्म्मा ने दो तुम्हें खेस, साधपणों शुद्ध आदरो, पंच महाव्रत मेरु समान के, जो ए वताव्या श्री वर्द्धमान, मार्ग लीजो थे पादरो, मीठी थे बोलजो अमृत वांण, सांभल चेतिया सुं निर्वाण के ॥ चेत हो चेत हो मानवी ॥ १ ॥ पुण्यरे जोगे मिल्या तोनें साध, वाणि सुणतां तूं मत कर प्रमाद, तहत करी तुम्हें श्रद्धजो, उत्तम कुल मानव भवलाध, सत्गुरु देवे छे, सरले जी साद के, भिन्न २ भावज भाषिया, सवलो ही कह्यो करे, कोई भवि जीव, तिणरे तो सेठि छे समगत नीवके, कांईक हिरदा में राखजो, सूंस (सोगन) व्रत सकति माफक धारके ॥ चे० ॥ २ ॥ साधु तो कहे छे परउपकार वास्ते, बतायदे वे तंत सार के, थारी प्रकट जोय पटावली नेत्र दोय उघाड़ी ने जोय, लारली उत्पत्त इण परे होयके, ज्ञानि देवां, इसड़ी कही, तिणमें मत जाणों तिल भर भूंठ, प्राण पराया तू मत लूटके, जो सुख चहावे थारे जीवने, छिण २ आउखो जावे छे खूट, तिण कने तूं किम कर जावसी छूटके ॥ चे० ॥ ३ ॥ सुखम भाव सुणावे जी संत, आदि अनादि रूल्यो अनंत, भव २ मांहि तूं भटक्यो, नव घाटि उलंगने आय, दुल्लहो मानव नो भव

पाय, ऊंच नीच कुल माहे उपनो, सूत्र माहे चाली घणी वात, ओ म्हारो बाप ने आ म्हारी मात के, मोह माया मांही फस रह्यो, मांड मेल्यो, घणो राग ने द्वेष, लारली उत्पत्त इण परे देख के ॥ चे० ॥ ४ ॥ नर ने नारी नो होवे संजोग, भोगवे ते संसार ना भोग, गर्भवती रहे कामिनी, भिष्टा री भाकसी, पेटरे मांय, तिण जायगा मांहे उपनो आयके, सांकड़े शरीर रह्यो घणो, नीचेरे मस्तक, उंचाजी पाय, छाती कने वली गोडा समाय के, नेतर कने रही मुट्ठियां, आयने उपनो उदर मझार, सुक्रने रुधिर नो लिधोतें आहार, अब तूं कर रह्यो सेखी अपार, मानवभव अहिले मत हारके ॥ चे० ॥ ५ ॥ अशुच जायगा में उपनो जीव जाजरो नव मासा तणी निव चमचेड़ जिम टंगियो रह्यो, माता ने क्षुधा, न बेटा ने भूख, निस दिन भोगवे ते घणां दुख के सूत्र आचारांग में कह्यो, श्रुतस्कन्ध पहिलड़े मांहि निचोड़, सुई सामटी, साडा तीन क्रोड़, अगनि वरण कर आकरी, चांप देवे ते तो सकल शरीर, तिणसुं भी अधिक छे नरक में पीड़, भगवंत भाप गया महावीर के ॥ चे० ॥ ६ ॥ सो जायो टाबर चौड़े जी वाट, चौडे चोहटे नाखियो हाट के, आठगुणी वेदना गर्भ में, क्रोड़ गुणी वेदना जन्मतां जाण, ज्युं जंतरणी में सोनी काढेजी तांण, जन्म थइने मोटो थयो, बलवंत हुवो जोवन वय पाय, जन्म तणीं जायगा मन जायके धृगपड़ो, सूग आवे नहीं, मोह ग्यो तूं रमणी रे रूप, गमे नर्गा चतुगई ने

चूंप, मरने तूं जासि अन्ध कूप ॥ चे० ॥ ७ ॥ उजल राखतो आपणी देह, किंचित् मात्र जो लागती खेहके, झटक दे झाटक नाखतो, मेलरी तोने नहीं सुहावति देह, ताहारे हूं तो घणो रे स्नेह, पाटिये बैठ पीठि करे अणगण नीर तूं करे रे स्नान, लाग रह्यो तारे आर्त ध्यान, चोवा ने चंदन रचतो, खावतो खोपराने खारक दाख, देही तो होय जासी बलजल राख, इम जाणि समता रस चाख के, ॥ चे० ८ ॥ काला रे भमर होता सारा कैस, निश दिन पहरतो नवा २ वैसके, छेलाइ करतो घणीं निरखतो चालतो आपणी पाव, तीज तमाशा ने जोवतो बाग के, आगे आरिसो तूं राखतो, बात करे कोई म्हाने रे पूछ, ताव देइने मरोड़ता मूंछ, मदमांहे नहीं मावतो चावतो बिडाने सुंगतो फूल, धर्म्म बिन थारो किम होसि सूल, परभवने तूं किम गयो भूल ॥ चे० ॥ ६ ॥ हाथा में कड़ा ने काना में मोती, लाग रही थारे जगमग ज्योति, उंचो लपेटो रे बांधतो, उपरणी रा देवे घणा बन्ध बांकी सी] गर्दन, आंखियां अन्ध, आंट ने घूंट, हिये घणी निरखतो चालतो पारकी नार, भव २ माहि घणो होसी खवार के, जन्म जरा घणी पामसी, पापरी बांधी थे मोहोली रे पोट, नेड़ीय नरक कमाई में खोट, काल एक दिन कर जावसी चोट, धर्मी ने धन्न अने पापी ने फोट के ॥ चे० ॥ १० ॥ सोना रा प्याला ने रुपा रा थाल, गुंहुंगी मिठाई चावल दाल, भोजन नव नवी भांत

रा, गन्धोदक पाणी तिहां ठार, मनवारयां वली पेले जी पार, वसत मांगे जिका तुरत तैयार के, कुमिय नहीं किणी बात री, सुख जहां भोगवीया भरपूर, जांरी देखतां २ होगई धूर, सेठ सेनापति ने उमराव, बड़ा २ भूपत राणां राव, जिके बादल जेम गया बिललायके ॥ चे० ॥ ११ ॥ सोना रा सिंहासन हिंडोला खाट बिरदावली बोले छे, चारण भाट, गिदरा गलीचा ने थिरमारी ओट, ज्यां नरा ने काल कर गयो चोट, पहुंता जम थारे धूजे थर हर होट, तुम्हें लीजो दया धर्म नी ओट, अंग लगावतो चंदन तेल, नाड़ी मिली जाणे मोहन बेल, चालती चाले जाणे गजगत गेल के, भर्तार जोड़े मिली भामिनी, (स्त्री) कंचन वर्ण हुंती जारी देह, क्षण मांहे बल जल होय गई खेह, पीतम पदमण ने दे गयो छेह, ताहारे हुंतो, घणों रे स्नेह, फिट२ कारमो जोबन एह के ॥ चे० ॥ १२ ॥ रमणी पिण राच रही रे संसार, नित नवला करती श्रृंगार के, इन्दर तणी जाणें अपसरा, दास्यां ऊभी रहती बे कर जोड़, एक बुलावतां दस आवे दौड़ के, सेज बैठी रेवती सुंदरी, बेटा बहु ने कुटुम्ब परिवार, लोपतां नहीं कोई तहेनी कारके, पामिया सुख संसार, सूंघती फूल ने चाबती पान, कंथ ने वाहली, जीव समान के, विरह तो खमणी आवे नहीं, रहती सदाई उवा, लील विलास, एक बरस जावती जाणती मास, तिण लुगाई नो निकल गयो सांस, जाय समाण में कर दियो वास, मिल गई माटी उपर ऊगा छे घास, हम जागी धर्म

करो, मन हुलास, ज्यूं टल जावे थारा गर्भावास के॥ चे० ॥ १३ ॥ भारी कर्म्मा केई होवे जीव, जहां नरक जावण तणी दिधी छे नींव के, आगुंच अहि नाण, एहवा सुणे नहीं भगवंत नो नाम, साधु रे ऊपर दुष्ट परिणाम के, जिन मार्ग ऊपर तप तो रहे, कुड़ा कलंक दे बोले छे झूंठ, मारण ने उपाड़तो मूठ के, चार बोल वले चालिया, तीन से तरेसठ चालिया मत, पाहुणों फिरसी तूं चारुं ही गत के॥ चे० ॥ १४ ॥ परनारी सूं हुतो घणो प्रेम, खोटा थे कर दिया संस ने नेम के, परणी रे दाय आवे नहीं, रहती घणी थारी खोटी रे, दिष्ट काछ लंपटी ने, श्रद्धा रे भिष्ट अहिनाण, जोय इण लोकना पर पूठ, पंच न देवे जी साख, भूपत दंड ले काटे जी नाक, लोकां मांहे फिट २ हुवे, मान रे मान तू सत्गुरु सीख, नहीं तो पामसी जमनी भीक के ॥ चे० १५ ॥ जनकरी वेटी ने ले गयो लंक, रावण राणो हुंतो घणो बंक के, तिको लछमण हाथ मारयो गयो, दस तो हुंता जेह ने शीश, वैकरे भुजा बणाय तो बीस के, पदमोत्तर द्रोपदा ने ले गयो, तिण पिण बांधिया माठाजी कर्म्म, कृष्ण गमाय दीनी तेहनी शर्म, पदमोत्तर पापी रो निकल गयो भर्म, इम जाणी शील में जाण ज़ो धर्म्म के॥ चे० ॥१६॥ मेणरह्या ने मोहो रूप, मणरथराय गयो अन्ध कूप के, वले पांच जणां हुवा कोढिया, चार जणां हुवा पेठा, पेहरे खण्ड भुंडा काम थी हुवा घणां भंड, श्रीमती पालियो शील अखण्ड के, वले विशेप जे बहु जणां, बन्धुमति

नामे हुंती जी नार, माली अर्जुन तेहनो भर्तार के, जक्ष री जायगा में गया निजरां देखतां भोगवी नार छहु जणां ने नाखियां मार सातुं जणां रो होवो संहार के, कुगत गया केई जावसी परनारी रो मोटो जी पाप, जीव रो जोखो ने सहे संताप, लाजे गणा वली माय ने बाप, श्री जिनवर मुख भाषियो आप के ॥ चे० ॥ १७ ॥ एहवी सांभल सत्गुरुवाण केईक चेतिया चतुर सुजाण के, परनारी धुर परहरि, श्रावक ना व्रत लीना जी धार, सांचि पामिया समकित सार के, पड़िकमणां ने पोषा करे, शुद्धि पालतां जिनवर आंण, निश्चय लेसी देव विमाण, सुखे २ पहुंचसी ते निरवाण, पुण्यवंत जीवां रा एही सहनाण के, ॥ चे० ॥ १८ ॥ केईक साधांरा करे गुण ग्राम, किण रे तो है एक दर्शन सुं काम के, केईक वखाण सुणे सदा, कदा जो नहीं सकेजी आय, पिण भावना रहे छे मन रे मांय के, तो पिण गरज सरे घणी, केईक चउदे प्रकार रो देवे छे दान, जेह प्ररूपियो श्री वर्द्धमान के, शालभद्र ने संभाल जो, सुख विपाक में चालियो पाट, कुमर सुबाहु रे पुण्य ए थाट के ॥ चे० ॥ १९ ॥ अथिर जाण जो ए संसार, अथिर जाण जो, देह विकार के, अथिर जोबन जाय छे अथिर जाण जो सहु परिवार, इम जाणि लाहो लीजो जी लार, ज्युं पामशो भव तणों पार, दीजिये दान ने टाल जो मान, राखिये, मन्य ने ध्यावजो ध्यान, विकथा चार ही परिहरो, तपस्या कर टालजो, क्रोध नो पाप निश्चे सुं पामशो, ज्ञान विलास

गुरु चरणां तुम्हें होय रहो दास के ॥ चे० ॥ २० ॥ धर्म प्रभावे जावे देवलोक, ज्यांतो मिले छे सघला ही थोक के, रतन जड़ित घर आंगणो, नाटक पड़ रह्या रे बतीस, सुख भोगवे माणे मन जगीस, तत्ता थेही थेही ज्यां करे, जठे नहीं रोग ने शोक, कोड़ा गमे देवियां आवे छे भोग, पल सागर रो आउखो, चौसट मणरो छे तिहां मोती, लाग रही जहां जगमग ज्योती, सूर्य सूं पिण अधिक उद्योत के ॥ चे० ॥ २१ ॥ देवता ना पिण कारमां सुख, ज्यां वले लाग रही छे भूख, आवागमन आगो लगी इसड़ी लगाय तूं हेत ने जुगत, वेगी मिल जावे तोने रे मुक्त के, शासता सुख साता घणीं चउदेही राज रे ऊपर जांण, सदाकाल सुखातणी खान, फिर नहीं तिहां आवण जाण, ऊपर गाउ छट्ठे भागे जिहाण के ॥ चे० ॥ २२ ॥ अरिहन्त सिद्धां ने रह्या ध्याय, बे कर जोड़ी शीश नमाय के, उतराध्ययन में जी जाण जो, बीसमों अध्ययन लीजो जी जोय, धुर गाथा पहिलो पद होय, सकल कार्य जहां सिद्धि किया, अनादि काल रा मिट गया भोड़, ऐसी नहीं कोई बीजी ठोड़ लोक तीनां रे उपरे, लीन रह्या छे सुखां रे मांय, ज्यांने ध्याया उण जायगा जाय, फिर नहीं आवे संसार रे मांय के ॥ चे० २३ ॥ उपदेश चौबीसी कही छे एम, सांभलवा तणों राखजो प्रेम, गुण उपजसी थाने अति घणो, नर नारी मत करजो रे फेन, जो निज जीव ने चाहो थे चैन, तो सीख सांची कर मानजो, संवत्

अट्ठारे वीस ने अट्ठ, वैसाख सुद जोड़ी है छट्ठके, पूज्य जयमलजी रा प्रसाद सुं, तिवरी में भाखिजी ऋषि रायचंद, छोड़ रे छोड़ संसार ना फंद, ज्युं ताहरे वर्ते परमानन्द चेत हो चेत हो मानवी ॥

सवैया ।

ज्ञानिहु का ज्ञान जाय, ध्यानिहु का ध्यान जाय ॥
मानिहु का मान जाय, सूरा जाय जंगते ॥
जोगिहु का जोग जाय, सिद्ध की सिद्धाई जाय ॥
बड़े की बड़ाई जाय, रूप जाय अंग ते ॥
घर की तो ऋद्धि जाय, लोक में प्रतीत जाय ॥
उत्पात बुद्धि जाय, विकल होय ढंग ते ॥
संजम का भार जाय, ज्ञान का उपचार जाय ॥
एते सब जाय, एक त्रिया के प्रसंग ते ॥

इति उपदेशी कड़ा (उपदेश चौवीसी) सम्पूर्णम् ।

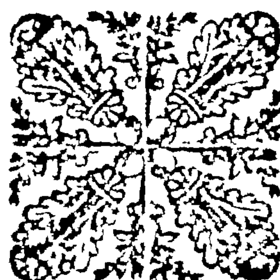
सवैया ।



प्रथम कषाय वश पाढ्यो है जगत जीव, आदि केरी चोकड़ी में उमर गमाई है, क्रोध है पत्थर लीक मान है बज्र थंभ, मुड़्यो न मुड़त जाकी ऐसी करड़ाई है, माया है वांस की जड़, लोभ है, किरमची रंग, धोयो न धोवत जाकी, ऐसी छवि छाई है, मरि जावे नरक घोर, ताकूं नहीं और ठौर, ऐसो दुष्ट जीव जिने समकीत न पाई है ॥ १ ॥ जासुं आगे चोकड़ी को नाम है अप्रत्याख्यानी, जामे जीव वर्ष एक, केरी स्थिति पाई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जामे जीव रह्यो खोभ, आदि केरी चोकड़ी सुं अति कष्टदाई हैं, क्रोध है जो होड़ (तलाव की) लीक, मान हाड़ (दांत) केरो थंभ, माया मीढ़ा सींग सम, एवी दुःख दाई है, लोभ है मौर केरो रंग (कीच) ताको नहीं होत भंग, मरीने तिर्यंच होय, विरती न आई है ॥ २ ॥ प्रत्याख्यानी चोकड़ी में, वस्यो है चेतन राय, जीव जीहां चार मास, केरी स्थिति पाई है, क्रोध है गाडा की लीक, मान काठ केरो थंभ, पिछली से कछु कम ज्ञानी वतलाई है, माया वैल केरो मूत, समय की नहीं कूत, धर्म सेती राखे हित, शुद्ध (श्रावक) वर्ति थाई है, लोभ है खंजन को रंग, तासु जीव राखे संग, मनखा देह छांड़ि जीव मनुष्य देह पाई है ॥ ३ ॥ संजल को क्रोध जैसो, पानी केरी लीक जान,

आगे होय काढत है, पाछे ही मिटाई है, मेण थंभ मान कह्यो, धूप लागी गली गयो, ताकी पंदरा ही दिन केरी थिति पाई है, माया तागा केरो वल, ऐसो जीव करे छल, केवल की हाण करे, साधु विरती आई है, लोभ है हलद रंग, धोया सेती होय भंग, मोक्ष नहीं जासुं जीव, देवगति पाई है ।

॥ इति ॥



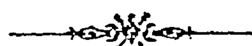
अथ धन्नाजी री सज्झाय लिख्यते ।



धन्नाजी रिख मन चिंतवे, तप करतां तुटी हम तणी कायके ॥ श्री वीर जिनंदजी ने पूछने, आज्ञा लेने संथारो दियो ठाय के ॥१॥ धन करणी हो धनराज री ॥ ए आंकणी प्रह उठीने वांद्या श्री वीरने, श्रीमुख आज्ञा दिवी फरमाय के ॥ विमलगिरी, थेवरां साथे, चाल्या समसथ साध खमाय के ॥ धन० ॥ २ ॥ ठायो संथारो एक मासनो, थेवर आया प्रभुजी रे पास के ॥ भंड उपगरण स्वामी सांभलो, गौतम पूछे वे कर जोड़ के ॥ धन करणी हो धनराज री, धन करणी हो मुनीराज री ॥ ३ ॥ तप तपिया मुनिवर बहु आकरा, कहो स्वामी वासो कहां जाय लीध के ॥ सागर तेत्रीसारे (३३) आउरवे, नव महीना में स्वारथ सिद्ध लीध के ॥ ध० ॥४॥ खेत्र महाविदेह मांहे सीजसी, विस्तार नवमां अंग रे माह्य के ॥ शिवसुख शिव पदवी लही, आसकरणजी मुनि गुण गायके ॥ ध० ॥ ५ ॥ सम्वत् अठारे सो गुणसठे, बैसाख वद पक्ष रे मांह्य के ॥ विसलपुर में गुण गाईया, पूज्य रायचंदजी रे प्रसाद के ॥ ध० ॥ ६ ॥ ओछोजी इधको मैं कह्यो, तो मुझ मिच्छामि दुकडं होय के ॥ बुद्धि सारु गुण गाईया सूत्र रे अनुसारे जोड़ के ॥ ध० ॥ ७ ॥

॥ इति धन्नाजी री सज्झाय सम्पूर्णम् ॥

स्तवन ।



आरंभ करतो रे जीव शंके नहीं, धन मिल तृष्णा अपार, घात करे छे पंचेन्द्रि जीव री, करे मद मांसनो आहार, चार प्रकारे जीव जावे नरक में ॥ १ ॥ माया कपटी गुढमाया करे, वोले झूठाजी वेण, कूड़ा तोला कूड़ा मापा करे, ए तिर्यंच गतना सेनाण, चार प्रकारे जीव जावे तिर्यच में ॥ २ ॥ भद्रिक प्रणाम सरल स्वभाव थी, विनयतणा गुण होय, दया भाव तो दिल में छे घणो, मत्सर नहीं मन मॉय, चार प्रकारे जीव जावे मनुष्य में ॥ ३ ॥ सराग संजम सराग तप करे, श्रावक रा व्रत वार, वाल तपस्वी अकाम निर्जरा, तिणसु लहे सुर अवतार, चार प्रकारे जीव जावे देवता ॥४॥ ज्ञान सु जाणेरे जीव अजीव ने, समकित, श्रद्धादि संठ, संवर रोके नवा कर्म आवता, तपसुं पूर्व कर्म खपाय, चार प्रकारे जीव जावे मोक्ष में ॥ ५ ॥

न्हालदे नी देशी ।



दश पच्चखाणे जीवड़ो जी, कांइ पामे सुख अपार, करतां एक नव कारसी जी २, सो बरस नरक निवार, तप समो नहीं जगत में जी, सुख तणो दातार ॥ त० ॥ १ ॥ बिजुं पोरसी वर्ष सहसनी जी, कांइ साढ़ पोरसी दश हजार, पुरीमढ़ लक्ष एक वर्षनी जी,एकासणे दश लक्ष धार ॥ त० ॥ २ ॥ नीवी तोड़े कोड़ बरसने जी, कांइ दश कोड़ एकल ठांण, सो कोड़ एकल पन दहेजी, आंबील सहस कोड़ जाण ॥ ३ ॥ सहस दश कोड़ उपवास में जी, कांइ छठतणे तप धार, लख कोटी वर्ष खपाहीये जी, अट्ठम कोटी दश लख टार ॥ ४ ॥ कोटा कोटी वर्षनो जी, कांई दशम भस्म करे, कर्म मुनिराम कहे तप कीजिये जी, पामे सहु शिव शर्म ॥ ५ ॥ इति ॥

ऋषभदेवजी का स्तवन ।



सुण जिनवर त्रिभुवन धणीजी दास तणी अरदास, तुज आगल बालक परेजी में तो करूं विख्यात ॥ हो जिन जी मुझ पापी ने जी तार ॥ १ ॥ तुम तो करुणा रस भरया जी तुम सब का हितकार, सेवक जाणी आपनो जी भव सागर सुं तार ॥ हो जि० ॥ २ ॥ जीव तणा वध में किया जी, बोल्या मृखा जी वाद कपट करी पर धन हरया जी सेव्या विषय स्वाद ॥ हो जि० ॥ ३ ॥ मैं अवगुण की ओरड़ी जी गुण तो नहीं लवलेश, परगुन देखी नहीं सकुंजी, किम संसार तरीश ॥ हो जी० ॥ ४ ॥ लंपट हुं लालची जी कर्म किया कई कोड़, तीन भुवन में कोई नहीं जी, जो आवे मुझ जोड़ ॥ हो जि ॥ ५ ॥ छिद्र पराया अहोनिशेजी जो तो रहुं जगनाथ, कुगत तणी करणी करूं जी जोइं तिणसुं साथ ॥ हो जि ॥ ६ ॥ कुमत कुटल कदागरी जी बांकी गत मत मुझ, बांकी करणी मायरी जी संभलाऊं हुं तुझ ॥ हो जि ॥ ७ ॥ पुन्न विना मुझ प्राणियो जी, जाणुं मेलु हाथ, ऊंचे तरवर मांडीया जी तीहां पसारूं हाथ ॥ हो जि० ॥ ८ ॥ विन बांध्या विन भोगव्या जी, फोकट कर्म बंधाय, आर्तध्यान मिटे नहीं जी, कीजे कुण उपाय ॥ हो जि ॥ ९ ॥ काजल थी पण गांवला जी, मारा मन प्रणाम, सुपनें में पण ताहरा जी,

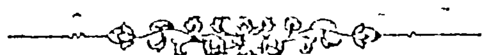
संभालीया नहीं नाम ॥ हो जि ॥ १० ॥ सुद्दर ने ठगवा भणी जी, करूं अनेक अपंच, कूड़ कपट बहु केलवुंजी पापतणा करूं संच ॥ हो जि ॥ ११ ॥ मन चंचल ना रहि सके जी राचे रमणी सुं रूप, काम विटमणा सुं करूं जी नाखे दुर्गत कुप ॥ हो जि० ॥१२॥ किसा कहु गुण मायरा जी, किसा कहुं अपवाद, जीम जीम संमालु हीये जी, तीम तीम वाधे विखवाद ॥ हो जि० ॥ १३ ॥ गीरवा (मोटा) जे नहीं लेखवे जी, नुगणा सेवकनी जी बात, नीच तणे पण मंदरा जी, चंद न टाले जोत ॥ हो० ॥ १४ ॥ नुगणो तो पिण तुम्हायरो जी, नाम धराऊं छुं दास, कृपा करी संभाल जो जी, पूरो मुझ मन आस, ॥ हो० जि० ॥ १५ ॥ पापी जाणी मुझ भणी जी, मत मुको विसार, विख हलाहल आदर्यो जी, ईश्वर न तजनार ॥ हो० जि ॥१६॥ उत्तम गुणकारी होवे जी, स्वार्थ विना हे सुजाण, किसान सींचे सरवरूं जी, मेह न मांगे दाण ॥ हो जि० ॥ १७ ॥ तुझ ने शूं कहिये घणो जी, तुम सब वातां जी जाण, मुज ने थाजो साहेवा जी, भवोभव ताहरी आण ॥ हो० जि ॥१८॥ तुम उपकारी गुणनिलो जी, तुं सेवग प्रतिपाल, तुं समरथ सुख पुरवा जी, करो म्हारी संभाल ॥ हो जि० ॥ १९ ॥ नाभिराय कुल चंदलो जी, मरु देवी नो जी नंद, हे जिन हरष निवाज जो जी, दीजो परमानंद ॥ हो जिनजी मुझ पापी ने जी तार ॥ २० ॥ सम्पूर्णम् ॥

न्हालदे की देशी ।

छपर पुराणा पड़ गयाजी, कांई तूटण लागा बंध, संध संध खुलण लगी जी, कांई तऊ न दीसे मति मंद, अब घर छूटा चेतन समझियेजी ॥ १ ॥ झरोखे जाली लगीजी कांई वारी आडी भींत, मूल निंव डिगमिग करे जी कांई भई पुराणी रीत ॥ अ० ॥ २ ॥ दसन (दांत) सुभट नासीगयाजी, कांई स्याइनो लोक (काला केस) गयो दूर सिक्खर थरहर धुजतीजी, कांई आई नदी पूर ॥ अ० ॥ ३ ॥ थेगड़ी पण ठहरे नहीं जी, कांई नहीं कोई रिछपाल, क्युं सूतो तुं नींद में जी, कांई अब तो सुरत संभाल ॥ अ० ॥ ४ ॥ अब करणा है सो कीजिये जी, कांई देणा है सो देह, लेणा है सो लीजियेजी, कांई कहणा है सो केह ॥ अ० ५ ॥ लाय लगी चहुं फेर मुं जी, कांई मिल रही झालो झाल, मुनिराम कहे सहु काढ़जो जी, कांई इण घर में वहु माल ॥ अ० ॥ ६ ॥

॥ इति ॥

श्री गजसुकुमालजी का स्तवन।



श्री जिन आया हो सोरठ देश मझार, द्वारापुरी नगरी भली, श्री जिन वांद्या हो, कँवर गजसुकुमाल, वांणी सुणी ने कंवर वैरागियो, माई मैं भेटियांए, तारण तरणारी जहाज, अमीए साधांरी वाणी मैं सुणी, माई मैं जाण्योए ये संसार असार, स्वार्थिया जुग में सहु अनुमत दीजे हो, लेसुं संजम भार, वचन संभालो पुरव भव तणा, वचा तू तो भोलोरे, संजम खांडारी धार, बाइस परिसह सहना दोहिला, माई मेरो कालजए, नहीं जाणे बार तेवार, क्या जाणु अम्बा किण विध आवशे, आज्ञा दीनी हो, संजम लीनो हो श्री श्री नेमीजी रे पास, काउसग्ग करवा मुनि बन में गया, सोमल ब्राह्मणहो, दिठा गजसुकुमाल, कोपज करीयो ए मुनिवर ऊपरे वैर विशेषे हो, बांधी माटीनी पाल खैर अंगारा मस्तक मुकिया मुनि समता आणि हो ध्यायो निर्मल ध्यान, कर्म निकाचत पिछला क्षय किया, पाम्या पाम्या हो पाम्या केवल ज्ञान, कर्म खपाई मुनि मोक्ष गया, ये गुण गाया हो सोरठ देश मझार, कर जोड़ी रतनचंद भणे ॥ इति सम्पूर्णम् ॥

चौइसी ।

गोपीचन्द नी देशी ।



ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन, सुमत पदम सुपासो रे लो । चंद्रप्रभुजी ने सुविधिनाथजी, शीतल पूरो मोरी आसो रे लो । चौबीसे जिनवर नित नित वंदुं, दिन में सो सो वारो रे लो । चौ० १ ॥ श्रेयांस प्रभुजी ने वासु पूज्यजी, विमल अनंत धोरी रे लो । शांतिनाथजी ने कुंथु अलवेसर, अर जिन नमुं कर जोरी रे लो ॥ चौ० ॥ २ ॥ मल्लिनाथजी ने मुनिसुव्रत, नेमिनाथ नेम स्वामी रे लो । पार्श्व प्रभुजी ने महावीरजी, हूं वंदू सिरनामी रे लो ॥ चौ० ॥ ३ ॥ चौवीसे जिनवर मुक्ति सिधाया, सुख अनंता पाया रे लो । घणां जीवांना मरण मिटाया, कर्मां रा फंद छुड़ाया रे लो ॥ चौ० ॥ जे नर जिनवरना गुण गावे, ते गर्भावास न आवे रे लो । मनरा मनोरथ सफला थावे, मुनि रामचन्द्र इम गावे रे लो ॥ चौ० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

चौबीस तीर्थंकर का स्तवन ।

ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, निरंजन निराकार, सुमति पदम सुपार्श्व चंदा प्रभु, मेटया विषय विकार, श्रीजिन मुझने पार उतारो, प्रभु हुं चाकर चरणारो ॥ श्री जिन० ॥ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य मुक्ति तणा दातारो, विमल अनंत धर्मनाथ शांति जिन, साताकारी संसारो ॥ श्री जिन० ॥ कुंथु अरनाथ मल्ली मुनिसुव्रत पाम्या भवजल पारो, नमी ए नेमनाथ पार्श्व महावीरजी शासन ना सिरदारो ॥ श्री जिन ॥ ग्यारह गणधर बीस विहरमान सर्व साधु अणगारो अनंती चौबीसी ने नित्य २ वंदु, कर गया खेवा पारो ॥ श्री जिन ॥ अधम उधारण, वीरद सुणी प्रभु, सरण लियो चरणारो, अधम उधारण परम पदगामि अजर अमर अविकारो ॥ श्री जिन० ॥ राग द्वेष कर्म बीजजे बलीया, वाली कीधा सर्वे छारो, केवल ज्ञान ने केवल दर्शन, निज गुण लीनो लारो ॥ श्री जिन० ॥ दान, शियल तप भावना भावो, दया धर्म तत्व आराधो ऋषी, लालचन्दजी एणीवर विनवे, प्रभु मारो करोनी निस्तारो, श्री जिन मुजने पार उतारो ॥ इति ॥

वैराग्योपदेशक दोहा ।



दया सुखनी वेलड़ी, दया सुखनी खान ॥
अनंत जीव मुगते गया, दया तणा फल जाण ॥१॥

हिंसा दुखनी वेलड़ी, हिंसा दुखनी खाण ॥
अनंत जीव नरके गया, हिंसा तणा फल जाण ॥२॥

चेतो रे भव प्राणिया, ए संसार असार ॥
थिरता कोई दीसे नहीं, धन जोवन परिवार ॥३॥

धर्म करो तमे प्राणिया, धर्म थकी सुख होय ॥
धर्म करंता जीवने, दुखिया न दीठा कोय ॥४॥

जीव दया पाली सही, पाली छे छ काय ॥
वस्ता घरनो प्राहुणो, मीठा भोजन खाय ॥५॥

जीव दया पाली नहीं, पाली नहीं छ काय ॥
सूना घर नो प्राहुणो, जेम आव्यो तेम जाय ॥६॥

रत्न पड़्यो छे वजार में, रह्यो गरद लपटाय ॥
मूरख जाणे कांकरो, चतुर लियो उठाय ॥ ७ ॥

चौटा केरे वजार में, लांबा पान खजुर ॥
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पड़े तो चकना चूर ॥८॥

ए सिखामण सांची कही, सर्वा ने हितकार ॥
चईक दया करुणा सागरजी, नमे नांदन्दाना परिवार ।

खरो मारग वीतरागनो, सूक्षम जेना भेद ॥
सेठा थईने सरधजो, मनमा राखी उमेद ॥ १०॥

डगाव्या डगजो मती, निश्चय राखजो मन ॥
हिंसासे रहजो वेगला, कहेवाशो धन धन ॥११॥

ढील न कीजे धर्म नी, तप जप लीजे लूट ॥
जैसी शीशी काच की, जाय पलक में फूट ॥१२॥

दुषम आरो पंचमो, निश्चल राखजो मन ॥
थोड़ा मांहे नफो घणो, जिम कूड़ा मांही रतन ॥१३॥

साधु चन्दन बावना, शीतल जाको अंग ॥
लेहर उतारे भुजंग की, देवे ज्ञान को रंग ॥१४॥

साधु बड़े परमारथी, मोटो जिन को मन ॥
भर भर मुट्ठी देत है, धर्म रूपियो धन ॥१५॥

हलु कर्मी जीव ने, रुचे ए उपदेश ॥
खरो मारग वीतरागनो, जेमां कूड़ नहीं लवलेश ॥१६॥

॥ इति ॥

षट द्रव्यनी सज्झाय ।



षट द्रव्य ज्यामें कह्यो भिन्न भिन्न, आगम सुणत वखाण, पंचास्तीकाया नव पदारथ, पांच भाख्या ग्यान ॥ १ ॥ चारित्र तेरा कह्या जिनवर, ग्यान दर्शन प्रधान, जे शास्त्र नित सुणे भवियन आण सुधमन ध्यान ॥ २ ॥ चौवीस तीर्थंकर लोक मांही, तरण तारण जहाज, नव वास नव प्रतिवास देवा वारे चक्रवर्ति जाण ॥ ३ ॥ वलदेव नव सब हुवा, त्रेसठ घणा गुणा री खाण, जो शास्त्र नित सुणे भवियण, आण सुधमन ध्यान, च्यार देशना दिवी जिनवर, कियो पर उपकार ॥ ४ ॥ पांच अनुव्रत तीण गुणव्रत, च्यार शिक्षा धार, पांच संवर जिनेश भाख्या, दया धर्म प्रधान ॥ जो० ॥ ५ ॥ और कहांलग करूं वर्णन, तीन लोक प्रमाण, सुणत पाप विनास जावे, पाय पद निर्वाण ॥६॥ देव विमाणिक मांहे, पदवी कही पंच प्रधान, जे शास्त्र नित सुणे भवियन, आण सुधमन ध्यान ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

पड़ी पूर्ण पोषा पारने की पाटी।



एहवा इग्यारमा (पड़ीपुन्न) पोषध व्रत के विषे जे कोई अतिचार लाग्यो होय ते आलोउं पोसा में सेज्जार्स-थारो न जोयो होय, माठीतरे जोयो होय १, न पूंज्यो होय, माठीतरे पूंज्यो होय २, उच्चार पासवण भूमिका न जोई होय, माठीतरे जोई होय ३, न पूंजी होय, माठीतरे पूंजी होय ४, पोसा में निद्राविकथादिक प्रमाद किधो होय ५, तस्समिच्छामि दुक्कड़ं ॥ तथा पोसा में थंड़ले मात्रे जावतां आवसही, आवसही, नहीं किधो होय, आवतां निसीही, निसीही, नहीं किधो होय, इन्द्र (सक्रींद्र) महाराज की आज्ञा नहीं लिधी होय, थोड़ी दूर पूंज्यो, होय, घणी दूर परठयो होय, चार आंगुल सुं उंचेसुं परठयो होय, परठने तीन वार वोसिरे वोसिरे नहीं किधो होय, पीछा आयने चोइस्थवो नहीं किधो होय, विधी सहित पोसा न किधो होय तस्समिच्छामि दुकड़ं ॥ ११ ॥

अथ नमुक्कारसी का पच्चखाण।



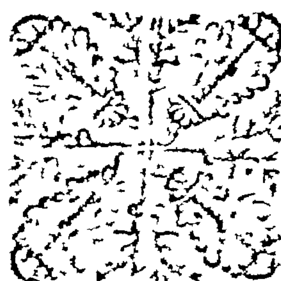
उग्गए सूरे नमुक्कारसहियं पच्चखामि। चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं। अन्नथ्थणा भोगेणं १, सहसागारेणं २, वोसिरे ॥ १ ॥ इति ॥

अथ पोरसी का पच्चक्खाण।

उग्गए सूरे पोरसी पच्चक्खामि चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नथणा भोगेणं १, सहसागारेणं २, पच्छन्नकालेणं ३, दिसामोहेणं ४, साहुवयणेणं ५, सव्वसमाहि वत्तिआगारेणं६, वोसिरे ॥ २ ॥ इति ॥

उपवास का पच्चक्खाण।

उग्गए सूरे अभतट्ठं पच्चक्खामि चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थ० १ सहसा २ पारिट्ठा३ महत्त४ सव्वस वोसिरे ५ ॥ इति ॥ (सूचना—तिविहार उपवास करना होय तो चउविहंपि के स्थान पर तिविहंपि बोलना, पाणं नहीं बोलना).



अथ एकासणा का पच्चक्खाण ।

उग्गे सुरे एगासणं पच्चक्खामि, दुविहं, तिविहंपी, आहारं असणं खाइमं साइमं अन्नत्थणा भोगेणं १ सहसागारेणं २ सागारि आगारेणं ३ अउट्टणं पसरिणं ४ गुरु अभ्भुठाणेणं ५ परिट्ठावणियागारेणं ६ महतरागारेणं ७ सव्व समाहिवत्तियागारेणं ८ वोसिरे वोसिरे ॥ इति ॥

अथ अम्बल (आयंबिल) का पच्चक्खाण ।

उग्गए सुरे आयंबिलं पच्चक्खामि, तिविहंपी आहारं असणं खाइमं साइमं अन्नत्थ० १ सहसा० २ लेवालेवेणं ३ गिहत्थ संसट्ठेणं ४ उक्खित विवेगणं ५ पारिट्ठा० ६ महत ७ सव्व स० ८ वोसिरे वोसिरे ॥ इति ॥

अथ निव्विगई का पच्चक्खाण ।

उग्गए सुरे निव्विगईयं पच्चक्खामि, तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं । अन्नत्थ० १ सहसा० २ लेवालेवेणं ३ गिहत्थ० ४ उक्खत विवेगेणं ५ पडुच्च मुक्खिणं ६ पारिट्ठावणिया गारेणं ७ महतरा गारेणं ८ सव्वस० ९ वोसिरे वोसिरे ॥ इति ॥

श्री मुनि सुव्रतजी का स्तवन।

(चेतरे चेतरे मानवी ए देशी.)

श्री मुनि सुव्रत साहिबा, दीनदयाल देवातणा देवके; तारण-तरण प्रभु तो भणी, ऊजल चित समरू नित्यमेव के, श्री मुनि सुव्रत साहिबा ॥ टेक ॥ १ ॥

हूं अपराधी अनादि को, जनम जनम गुना किया भरपुर के, लूटिया प्राण छ कायना, सेविया पाप अठारे करूर के ॥ श्री मुनि० ॥ २ ॥ पुरव असुभ कर्तव्यता, तेहने प्रभु तुम न वीचार के, अधम उधारण विरुद छे, सरण आयो अब किजीये सार के ॥ श्री मुनि० ॥ ३ ॥ किंचित पुन्य प्रभाव थी, इण भव ओलखियो जिन धर्म सार के, निवर्तू नरक निगोद थी, एवो अनुग्रह करो परिब्रह्म के ॥ श्री मुनि० ॥ ४ ॥ साध पणो नहीं संग्रह्यो, श्रावक व्रत न किया अंगिकार के, आदर्या तो न अराधिया, तेह थी रूलियो हूं अनंत संसार के ॥ श्री मुनि० ॥ ५ ॥ अब समकित व्रत आदर्या, तदपि अराधिक उतरू पार के, जनम जीतव सफलो हुवे, इण पर विनवुं वार हजार के ॥ श्री मुनि० ॥ ६ ॥ 'सुमित' नराधिप तुम पिता, धन धन श्री 'पद्मावती' माय के, तसु सुत त्रिभुवन तिलक तूं, वंदत 'विनय चन्द' सीस नमाय के ॥ श्री मुनि० ॥ ७ ॥ इति ॥

हितशिक्षा।



(१) देव अरिहंत, गुरू निग्रंथ और केवली परूप्यो दया धर्म, यह तीनों धर्म के व्यवहारिक तत्व हैं।

(२) देव आत्मा, गुरूज्ञान और शुद्ध उपयोग धर्म, यह तीनों धर्म के निश्चयिक तत्व हैं।

(३) सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शण और सम्यक् चारित्र यह तीनों (मिलना सोही) मुक्ति मार्ग हैं।

(४) धर्मना च्यार प्रकार- दान, शील, तप और भाव।

(५) क्षमा अमृत है, उद्यम मित्र है (उद्यम से दालिद्र नाशे है) सत्य और शील सरणो है (निडर है) और संतोष सुख है।

(६) सत्संग परम लाभ, संतोष परम धन, विचार परम ज्ञान, सम परम सुख।

(७) क्रोध जहर है, मान (अभिमान) शत्रु (वैरी) है, माया (दगो) भय (डर) है। और आशा (तृष्णा और लोभ) दुःख है।

(८) याद रखिये एक दिन जरूर मरना है, और कृत्य (किया हुवा) कर्म का बदला जरूर भरना (देना) है।

* श्री *

(हिन्दी में)

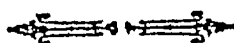
कानून भारतीय रजिस्ट्री सन १९०८

एक्ट १६ सन १९०८

बाबू प्यारेलाल वृष्णिः मुख्तार

अलीगढ़ द्वारा

अनुवादित



जिसको

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त मालिक डी. पी. कम्पनी

अलीगढ़ ने अपने 'गंगा प्रेस' अलीगढ़ में

छाप कर प्रकाशित किया

प्रथम बार ५००	सन् १९२५	मूल्य ॥)

* श्री *

(हिन्दी में)

कानून भारतीय रजिस्ट्री

सन १९०८

एक्ट १६ सन १९०८

बाबू प्यारेलाल वृष्णिः मुख्तार

अलीगढ़ द्वारा

अनुवादित

जिसको

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त मालिक डी, पी. कम्पनी

अलीगढ़ ने अपने 'गंगा प्रेस' अलीगढ़ में

छाप कर प्रकाशित किया

प्रथम बार ५००	सन् १९२५	मूल्य ॥)

कुछ शब्दों के अर्थ

पृष्ठ-लेख = इबारत जुहरी, Endorsement

अप्राप्त व्यवहार = नाबालिग, Minor

प्रति निधि = क़ायम मुक़ाम, Representative

अदाह्य = जलने के नाक़ाबिल, Fireproof

शीर्षक पृष्ठ = सर वर्क़, Title page

रक्षा = हिफ़ाज़त, Custody

दान पत्र = हिबा नामा, Instrument of gift

प्रथमाक्षर = हरूफ़ अव्वल, Initials

सम्पन्नता = लिखा जाना, तकमील होना. Execution

सम्पन्न कर्त्ता = लेखक, तहरीर कुनन्दा, Executor

पृष्ठ-फल = बाहरी पैमाइश, Superficial contents

मृत्यु पत्र = वसीयत नामा, Will

मृत्यु पत्र सम्बन्धी = वसीयती, Testamentary

नियोगित = मुन्तक़िल हक़, Assign

परिवर्त्य शब्दों के परिवर्तन के साथ = मअ तबदील अल्फ़ाज़ लाज़िम, Mut ti

मृत्यु पत्र लेखक = मौसी, वसीयत करने वाला,

मृतलेखाधिकारी = वसी, Executor

मृतक सम्बन्धी अधिकार पत्र = इख़्तियार नाम लिखा मौत

अधिकार प्रदाता = इख़्तियार देने वाला, Donor

श्री

कानून भारतीय रजिस्ट्री

सन १९०८

अर्थात्

एक्ट नं० १६ सन् १९०८

पहिला भाग

प्रारम्भिक

भाग २

रजिस्ट्री के कर्मचारी वर्ग

१४. रजिस्टरी करने वाले अधिकारियों का प्रति फल और अमला।
१५. रजिस्टरी करने वाले अधिकारियों की मुहर।
१६. रजिस्टर बहियां और अदालत बकस।

भाग ३

रजिस्ट्री के योग्य दस्तावेज़

१७. दस्तावेज जिनकी रजिस्टरी आवश्यकीय है।
१८. दस्तावेज जिनकी रजिस्टरी आवश्यकीय नहीं है।
१९. यदि दस्तावेज ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्टरी करने वाला अधिकारी न समझता हो।
२०. ऐसे दस्तावेज जिनमें शब्दों में काट फांस, खाली स्थान हो, या शब्द छीला गया हो या बदला गया हो।
२१. सम्पत्ति विवरण और नकशे और चित्र।
२२. सरकारी नकशों और माप चित्रों से घरों और भूमियों का विवरण।

भाग ४

रजिस्ट्री के लीये पेश करने का समय

२३. दस्तावेज पेश करने का समय।
२४. दस्तावेज यदि कई मनुष्यों की ओरसे विविध समयों पर साक्ष्य किया जाय।
२५. यदि पेश करने में विलम्ब अनिवार्य हो,
२६. दस्तावेज जो ब्रिटिश भारत के बाहर लिखे जांय।
२७. मृत्यु पत्र किसी समय पेश या जमा किये जा सकते हैं।

भाग ५

भाग ६

दस्तावेज़ों का रजिस्ट्री के लिये पेश किया जाना

भाग ७

दस्तावेज लिखने वालों और गवाहोंकी बलात उपस्थिति

भाग ८

मृत्यु पत्रों और दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्रों का रजिस्ट्री के लिये पेश होना।

भाग ९

मृत्यु पत्रों का अमानत रखा जाना

भाग १०

रजिस्ट्री होने और न होने का प्रभाव

भाग ११

रजिस्ट्री कर्ता अधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार

भाग १२

रजिस्ट्री से इंकार करना

भाग १३

रजिस्ट्री, खोज और नक्लों की फीस

भाग १४

दण्ड

भाग १५

विविध

क़ानून से छूट

मंसूखी

सूची

क़ानूनों की मंसूखी

॥ ओ३म ॥

कानून भारतीय रजिस्ट्री सन् १९०८

अर्थात्

एक्ट नं० १६ सन् १९०८

जो सकौन्सिल, गवर्नर जनरल द्वारा पास हुआ (श्रीमान् गवर्नर जनरल की स्वीकृति १८ दिसम्बर सन् १९०८ को प्राप्त हुई)

दस्तावेजों की रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनों के संग्रह करने के लिये एक्ट।

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनों का संग्रह किया जाय, अतएव निम्न लिखित आज्ञाएँ होती हैं :—

पहिला भाग

प्रारम्भिक

धारा १—(१) इस एक्टका नामकानून भारतीयरजिस्टरी सन् १९०८ हो सकता है।

छोटा नाम प्रचार सीमा और प्रचार-आरम्भ

(२) इस का सम्बन्ध समस्त ब्रिटिश भारत से है सिवाय उन जिलों या देश-विभागों के जिन को स्थानीय गवर्नमेन्ट, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से, इस के सम्बन्ध से पृथक कर दे।

(३) इस एक्ट का प्रचार १ जनवरी सन् १९०९ ई० से होगा।

धारा २—इस एक्ट में, जब तक कि उस के विषय या लेख शैली में कोई प्रतिकूलता न हो।

परिभाषायें

(१) "परिचय" शब्द का अभिप्राय है निवास स्थान, पेशा, व्यापार, पद और उपाधि (यदि कुछ हो) उस मनुष्य की से जिस का वर्णन हो, और, किसी के भारतीय होने की अवस्था में, उस की जाति (यदि कुछ हो) और उस के पिता के नाम से, या, जहां वह अपनी माता का पुत्र कर के प्रसिद्ध हो तो, उस की माता के नाम से।

(२) "बही" में बही का कोई अंश और कागजों की कोई ऐसी संख्या भी सम्मिलित है जो बही या बही का अंश बनाने के विचार से परस्पर सङ्गठित कर दी गई हो।

(३) 'जिला' और उप 'जिला' से अभिप्राय क्रमशः ऐसे जिले और उप जिले से है जो इस एक्ट के अनुसार बने हों।

(४) 'अदालत जिला' में हाईकोर्ट, जब तक दीवानी मामलों में अपना सामान्य प्रारम्भिक विचार अधिकार प्रयोग करे, सम्मिलित है।

(५) 'पृष्ठ-लेख' और 'पृष्ठ-लिखित' में वह लेख सम्मिलित और सम्बन्धित है जो रजिस्टरी करने वाले अधिकारी द्वारा किसी ऐसे दस्तावेज़ के लिफाफे या पीठ पर लिखा जाय, जो इस एक्ट के अनुसार रजिस्टरी के लिये पेश किया जाय।

(६) 'अचल-सम्पत्ति' में भूमि, मकान, परम्परागत वृत्तियां, रास्ते या रोशनी या पुल या मछली के शिकार या कोई अन्य लाभ के स्वत्व जो भूमि से उत्पन्न हों, और ऐसी चीजें सम्मिलित हैं जो पृथ्वी में गड़ी हों या उन चीजों से बंधी हों जो पृथ्वी में गड़ी हों, परन्तु उस में खड़े हुए वृक्ष, उगती हुई फसलें या घास सम्मिलित नहीं है।

[९] 'चल सम्पत्ति' में खड़े हुए वृक्ष, उगती हुई फसलें, और घास, वृक्षों के फल और रस, और अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त हर प्रकार की सम्पत्ति सम्मिलित है। और

[१०] 'प्रतिनिधि' में अप्राप्त-व्यवहार का अभिभावक और विक्षिप्त या पागल की कमैटी या अन्य कानूनी रक्षक सम्मिलित है।

भाग २

रजिस्ट्री के कर्मचारी वर्ग

धारा ३—(१) स्थानीय गवर्नमेन्ट, अपने, अधीनस्थ प्रदेशों के लिये किसी अधिकारी को इन्सपेक्टर जनरल रजिस्ट्री के नाम से नियुक्त करेगी।

इन्सपेक्टर जनरल रजिस्ट्री

परन्तु शर्त यह है कि स्थानीय गवर्नमेन्ट उक्त नियुक्त करने के स्थान में, यह आज्ञा दे सकती है कि वह समस्त अधिकार और कर्त्तव्य जो इस एक्ट की आगे की आज्ञाओं में इन्सपेक्टर जनरल को दिये गये और उस के लिये नियत किये जांय, या उन में से कोई, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, और उन स्थानीय सीमाओं के अन्तरगत्त, जो इस सम्बन्ध में स्थानीय गवर्नमेन्ट नियत करें, प्रयुक्त और सम्पादित होंगे।

[२] कोई इंसपेक्टर जनरल, उक्तपद के साथ २ गवर्नमेन्ट के अधीन अन्यपद पर भी रह सकता है।

धारा ४—[१] सकौन्सिल गवर्नर बम्बई भी, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व सम्मति से, किसी अधिकारी को सिन्ध के प्रान्त इन्सपेक्टर जनरल के नाम से नियुक्त कर सकते हैं जिस को इस एक्ट के अनुसार इन्सपेक्टर जनरल के कुल अधिकार प्राप्त होंगे, सिवाय नियम बनाने के अधिकार के जो इस एक्ट की आगे आज्ञाओं में वर्णित है।

प्रान्त इन्सपेक्टर जनरल सिन्ध

(२) सिन्ध का ब्रान्च इन्सपेक्टर जनरल, उक्त पद के साथ २ गवर्नमेन्ट के अधीन अन्यपद पर भी रह सकता है।

धारा ५—— (१) इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये स्थानीय गवर्नमेन्ट ज़िले और उप ज़िले बनावेगी, और उक्त ज़िलों और उप ज़िलों की सीमाएं नियत करेगी तथा उन सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है।

ज़िले और उप ज़िले

(२) ज़िले और उप ज़िले जो इस एक्ट के अनुसार बनाये जांय, उन की सीमाओं सहित, और उक्त सीमाओं का प्रत्येक परिवर्तन, स्थानीय सरकारी गजट में विज्ञापित किये जायंगे।

(३) प्रत्येक ऐसा परिवर्तन, विज्ञप्ति की तारीख के पश्चात्, उस दिन से प्रभाव जनक होगा जिस दिन का कि विज्ञप्ति में वर्णन हो।

धारा ६——— स्थानीय गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह ऐसे मनुष्यों को जो चाहे सरकारी पदाधिकारी हों अथवा न हों, और जिनको वह उचित समझे, अलग २ ऐसे ज़िलों का रजिस्ट्रार और अलग २ ऐसे उप ज़िलों का सब रजिस्ट्रार क्रमशः नियुक्त करे, जो उक्त काथितानुसार बने हों।

रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार

धारा ७—— (१) स्थानीय गवर्नमेन्ट प्रत्येक ज़िले में ऐसा दफ़्तर, जो रजिस्ट्रार का दफ़्तर कहलायेगा, और प्रत्येक उप ज़िले में ऐसा दफ़्तर, जो सब रजिस्ट्रार का दफ़्तर कहलायेगा, या ऐसे दफ़्तर स्थापित करेगी जो सरकारी सब रजिस्ट्रार के दफ़्तर कहलायेंगे।

रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर

परन्तु शर्त्त यह है कि उक्त अनुमति से कोई सब रजिस्ट्रार उस आज्ञा के विरुद्ध अपील न सुन सकेगा जो उसी ने इस एक्ट के अनुसार दी हो।

धारा ८—— (१) स्थानीय गवर्नमेन्ट को यह भी अधिकार होगा कि वह ऐसे पदाधिकारी नियुक्त करे जो रजिस्ट्री के दफ़तरों के इंसपैक्टर कहलायेंगे और वह उक्त पदाधिकारियों के कर्त्तव्य निर्द्धारित कर सकती है।

रजिस्ट्री के दफ़तरों के इन्सपेक्टर

(२) प्रत्येक उक्त इन्सपैक्टर, इन्सपैक्टर जनरल के आधीन होगा।

धारा ९—— प्रत्येक फौजी छावनी, (यदि स्थानीय गवर्नमेन्ट ऐसी आज्ञा दे) इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये, उपजिला या ज़िला नियत की जा सकती है, और छावनी का मजिस्ट्रेट उक्त उप-जिले या जिले का सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार होगा, जैसी कि अवस्था हो।

फौजी छावनियां उपज़िले या जिले नियत की जा सकती हैं.

धारा १०—— (१) जब कोई रजिस्ट्रार, उस जिले के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त, जिस में कि कोई प्रेजीडेन्सी नगर सम्मिलित हो, अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के सिवाय और तरह पर अनुपस्थित हो, या उस का पद अस्थाई रूप से खाली हो, तो, कोई मनुष्य, जिसे इन्सपेक्टर जनरल इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, या उक्त नियुक्ति न होने की अवस्था में, उस अदालत जिले का जज, जिस के विचार-अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तरगत उस रजिस्ट्रार का दफतर स्थित हो, उस अनुपस्थिति के समय में, या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवर्नमेन्ट खाली पद पर किसी को नियुक्त न करे, रजिस्ट्रार होगा।

रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या दफतर में पद का खाली होना

(२) जब किसी ऐसे जिले का रजिस्ट्रार, जिस में कि कोई प्रेजीडेन्सी-नगर सम्मिलित हो, अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के सिवाय, और तरह पर अनुपस्थित हो, या जब उसका पद

अस्थाई रूप से खाली हो, तो वह मनुष्य जिस को कि इन्सपेक्टर जनरल इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, उस अनुपस्थिति के समय में या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवर्नमेन्ट खाली पद पर किसी को नियुक्त न करे, रजिस्ट्रार होगा।

अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के कारण रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति

धारा ११—जब कोई रजिस्ट्रार, अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के कारण, अपने दफतर से अनुपस्थित हो, तो वह किसी सब रजिस्ट्रार या अपने जिले के किसी अन्य मनुष्य को, उस अनुपस्थति के समय के लिये, उन कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जिनका वर्णन कि धारा ६८ और ७२ में है, रजिस्ट्रार के समस्त कर्त्तव्यों के सम्पन्न करने के लिये नियुक्त कर सकता है

सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या दफ्तर में पद खाली हो,

धारा १२—जब कोई सब रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो, या उसका पद अस्थायी रूप से खाली हो, तो वह मनुष्य जिसको कि जिले का रजिस्टार इस संबंध में नियुक्त करे, उस अनुपस्थिति के समय के लिये या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवर्नमेंट उस खाली पद पर किसी को नियुक्त न करे, सब रजिस्ट्रार होगा।

कुछ नियुक्तियों की रिपोर्ट, और अधिकारियों का मौत्तल किया जाना, हटाया जाना और बरखास्त किया जाना।

धारा १३—(१) उन समस्त नियुक्तियों की रिपोर्ट, जो धारा १० धारा ११ तथा धारा १२ के अनुसार हो, इन्सपैक्टर जनरल द्वारा, स्थानीय गवर्नमेन्ट को की जायगी।

(२) उक्त रिपोर्ट, जैसी कि स्थानीय गवर्नमेन्ट आज्ञा करे, विशेष या सामान्य होगी।

(३) स्थानीय गवर्नमेन्ट, किसी मनुष्य को जो इस प्रकार की आज्ञाओं के अनुसार नियुक्त हुआ हो, मौत्तल कर सकती है, हटा सकती है या बरखास्त कर सकती है तथा उस के स्थान में किसी अन्य मनुष्य को नियुक्त कर सकती है।

धारा १४—(१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के

रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों का प्रतिफल तथा अमला।

आधीन, स्थानीय गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह रजिस्ट्री करने वाले उन अधिकारियों को जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हों, ऐसे वेतन दे जो उक्त गवर्गमेन्ट उचित समझे, या फीस द्वारा, या अंशतः फ़ीस द्वारा और अंशतः वेतन द्वारा उन के प्रतिफल का प्रबन्ध करे।

(२) स्थानीय गवर्नमेन्ट उन कई दफतरों में जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हों, उचित अमला के सम्बन्ध में अनुमति दे सकती है।

धारा १५—प्रत्येक रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार एक मुहर

रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों की मुहर।

प्रयोग करेगा जिस पर अंग्रेजी या उस अन्य भाषा में जो स्थानीय गवर्नमेन्ट आज्ञा दे, यह शब्द होंगे "मुहर रजिस्ट्रार या (सब रजिस्ट्रार) अमुक स्थान ....."

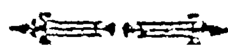
धारा १६—(१) स्थानीय गवर्नमेन्ट, प्रत्येक रजिस्ट्री करने

रजिस्टर बहियां और अदाह्य बक्स।

वाले अधिकारी के दफतर के लिये ऐसी बहियां संग्रह करेगी जो इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये आवश्यक हों।

(२) उक्त संग्रहीत रजिस्टर-बहियों के भीतर ऐसे नमूने रहेंगे जो समय २ पर इन्सपेक्टर जनरल द्वारा, स्थानीय गवर्नरमेन्ट की स्वीकृति से, नियुक्त हों, और उक्त बहियों के पृष्ठों पर सिलसिले वार संख्या छपी होगी, और प्रत्येक बही के पृष्ठों की संख्या शीर्षिक पृष्ठ पर उस अफसर द्वारा लिखी जायगी जो उन बहियों को जारी करे।

(३) स्थानीय गवर्नमेन्ट प्रत्येक रजिस्ट्रार के दफतर में एक अदाह्य बक्स संग्रह करेगी, और प्रत्येक जिले में, उस जिले के दस्तावेजों की रजिस्टरी—सम्बन्धी कागज़ों की रक्षा के लिये योग्य प्रबन्ध करेगी।



अस्थाई रूप से खाली हो, तो वह मनुष्य जिस को कि इन्सपेक्टर जनरल इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, उस अनुपस्थिति के समय में या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवर्नमेन्ट खाली पद पर किसी को नियुक्त न करे, रजिस्ट्रार होगा।

अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के कारण रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति

धारा ११—जब कोई रजिस्ट्रार, अपने जिले में सरकारी काम पर जाने के कारण, अपने दफतर से अनुपस्थित हो, तो वह किसी सब रजिस्ट्रार या अपने जिले के किसी अन्य मनुष्य को, उस अनुपस्थिति के समय के लिये, उन कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जिनका वर्णन कि धारा ६८ और ७२ में है, रजिस्ट्रार के समस्त कर्त्तव्यों के सम्पन्न करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या दफ्तर में पद खाली हो,

धारा १२—जब कोई सब रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो, या उसका पद अस्थायी रूप से खाली हो, तो वह मनुष्य जिसको कि जिले का रजिस्ट्रार इस संबंध में नियुक्त करे, उस अनुपस्थिति के समय के लिये या उस समय तक जब तक कि स्थानीय गवर्नमेंट उस खाली पद पर किसी को नियुक्त न करे, सब रजिस्ट्रार होगा।

कुछ नियुक्तियों की रिपोर्ट, और अधिकारियों का मौत्तल किया जाना, हटाया जाना और बरखास्त किया जाना।

धारा १३—(१) उन समस्त नियुक्तियों की रिपोर्ट, जो धारा १० धारा ११ तथा धारा १२ के अनुसार हो, इन्सपेक्टर जनरल द्वारा, स्थानीय गवर्नमेन्ट को की जायगी।

(२) उक्त रिपोर्ट, जैसी कि स्थानीय गवर्नमेन्ट आज्ञा करे, विशेष या सामान्य होगी।

(३) स्थानीय गवर्नमेन्ट, किसी मनुष्य को जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार नियुक्त हुआ हो, मौत्तल कर सकती है, हटा सकती है या बरखास्त कर सकती है तथा उस के स्थान में किसी अन्य मनुष्य को नियुक्त कर सकती है।

(२) उप धारा (१) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) की किसी बात का निम्न लिखित से सम्बन्ध नहीं है:—

(१) सन्धि पत्र, या

(२) दस्तावेज़ जो जॉइंट स्टाक कम्पनी के हिस्सों के संबंध में हो, चाहे उक्त कंपनी की सम्पत्ति में पूर्णतः या अंशतः अचल सम्पत्ति ही क्यों न सम्मिलित हो। या

(३) कोई डिबैंचर जिसे उक्त कम्पनी ने जारी किया हो। परन्तु जिस से अचल सम्पत्ति में कोई स्वत्व, अधिकार या लाभ उत्पन्न, निश्चित, समर्पित, परिमित या नष्ट न होता हो, सिवाय उस अवस्था के जब कि डिबेन्चर धार उस किफालत का अधिकारी हो जाय जो ऐसे रजिस्टरी दस्तावेज द्वारा प्राप्त हो जिस के द्वारा उक्त कम्पनी ने अपनी कुल सम्पत्ति या उस के किसी अंश या उस के किसी स्वत्व को ट्रस्टियों के नाम- धरोहर रूप से उक्त डिबन्चर-दारों के लाभ के लिये, रहन रखा हो या और तरह स्थनान्तर किया हो। या

(४) कोई पृष्ठ—लेख या संक्रम—लेख ऐसे डिबेन्चर का जो किसी उक्तकम्पनी ने जारी किया हो। या

(५) कोई ऐसा दस्तावेज़, जो अचल सम्पत्ति में सौ रुपये या अधिक मूल्य का कोई स्वत्व, अधिकार या लाभ, स्वयं उत्पन्न, निश्चय, समर्पण, परिमित या नष्ट न करता हो, वरन् केवल जिस से ऐसे अन्य दस्तावेज की प्राप्ति का स्वत्व उत्पन्न होता हो, जिस के लिखे जाने पर, कोई उक्त स्वत्व, अधिकार या लाभ उत्पन्न, निश्चित, समर्पित, परिमित, या नष्ट होता हो, या

(६) अदालत की कोई डिग्री या आज्ञा और पंचायती निर्णय, या

(७) गवर्नमेंट द्वारा अचल सम्पत्ति का स्वीकृति—पत्र। या

(८) दस्तावेज पटवारा जो किसी माल—अधिकारी ने तैयार किया हो।

(९) कोई आज्ञा जिसके द्वारा ऋण देना स्वीकृत हो, या जमानत की दस्तावेज़ जो कानून भूमि उन्नति कारक सन् १८७१ (एक्ट

अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, और वह पट्टे और किरायेनामे जो धारा १७ के अनुसार रक्षित हैं।

(घ) दस्तावेज़ (मृत्यु पत्रों को छोड़कर) जिनसे चल संपत्ति सम्बन्धी किसी स्वत्व, अधिकार या लाभ का उत्पन्न होना, निश्चय होना, सम्पर्ण होना, परिमित होना या नष्ट होना, प्रकट हो या प्रभावित हो।

(ङ) मृत्यु पत्र

(च) वह समस्त दस्तावेज़ जिनकी रजिस्ट्री धारा-१७ द्वारा आवश्यकीय नहीं है।

यदि दस्तावेज़ ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री-कर्त्ता अधिकारी न समझता हो

धारा १९—यदि कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्री के लिये विधि पूर्वक पेश कियाजाय, ऐसी भाषा में हो, जिसे रजिस्ट्री-कर्त्ता अधिकारी न समझता हो, और जो जिले में सामान्यतः प्रयुक्त न होती हो, तो वह उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा, सिवाय उस अवस्था के जब कि उस दस्तावेज़ के साथ उस का शुद्ध अनुवाद ऐसी भाषा में दाखिल किया जाय जो सामान्यतः ज़िलेमें प्रयुक्त होती हो, और एक उस की शुद्ध नक़ल भी दाखिल की जायगी।

ऐसे दस्तावेज़ जिन में शब्दों में काट फांस, खालीस्थान हो या शब्द छीला गया हो या बदला गया हो।

धारा २०—(१) रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को अधिकार है, कि वह अपनी इच्छा से ऐसे दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये लेने से इनक़ार कर दे, जिस में कोई काट फांस, खाली स्थान छिला हुआ शब्द या परिवर्त्तन मालूम हो, सिवाय उस अवस्था के जब कि उन मनुष्यों ने, जिन की ओर से दस्तावेज लिखा जाय, उक्त काट फांस, खाली स्थान, छिले शब्द या परिवर्त्तन पर अपने स्वाक्षरों या प्रथमाक्षरों से तसदीक़ करदी हो।

(२) यदि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करे, तो वह उसकी रजिस्ट्री करते समय रजिस्टर में, उक्त काट फांस, खाली स्थान, छिला शब्द या परिवर्त्तन के सम्बन्ध में याददाश्त लिख लेगा।

अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, और वह पट्टे और किरायेनामे जो धारा १७ के अनुसार रक्षित हैं।

(घ) दस्तावेज़ (मृत्यु पत्रों को छोड़कर) जिनसे चल संपत्ति सम्बन्धी किसी स्वत्व, अधिकार या लाभ का उत्पन्न होना, निश्चय होना, समर्पण होना, परिमित होना या नष्ट होना, प्रकट हो या प्रभावित हो।

(ङ) मृत्यु पत्र

(च) वह समस्त दस्तावेज़ जिनकी रजिस्ट्री धारा-१७ द्वारा आवश्यकीय नहीं है।

यदि दस्तावेज़ ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री-कर्त्ता अधिकारी न समझता हो

धारा १९—यदि कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्री के लिये विधि पूर्वक पेश कियाजाय, ऐसी भाषा में हो, जिसे रजिस्ट्री-कर्त्ता अधिकारी न समझता हो, और जो जिले में सामान्यतः प्रयुक्त न होती हो, तो वह उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा, सिवाय उस अवस्था के जब कि उस दस्तावेज़ के साथ उस का शुद्ध अनुवाद ऐसी भाषा में दाखिल किया जाय जो सामान्यतः ज़िलेमें प्रयुक्त होती हो, और एक उस की शुद्ध नक़ल भी दाखिल की जायगी।

ऐसे दस्तावेज़ जिन में शब्दों में काट फांस, खालीस्थान हो या शब्द छीला गया हो या वदला गया हो।

धारा २०—(१) रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को अधिकार है, कि वह अपनी इच्छा से ऐसे दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये लेने से इनक़ार कर दे, जिस में कोई काट फांस, खाली स्थान छिला हुआ शब्द या परिवर्त्तन मालूम हो, सिवाय उस अवस्था के जब कि उन मनुष्यों ने, जिन की ओर से दस्तावेज लिखा जाय, उक्त काट फांस, खाली स्थान, छिले शब्द या परिवर्त्तन पर अपने स्वाक्षरों या प्रथमाक्षरों से तसदीक करदी हो।

(२) यदि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करे, तो वह उसकी रजिस्ट्री करते समय रजिस्टर में, उक्त काट फांस, खाली स्थान, छिला शब्द या परिवर्त्तन के सम्बन्ध में यादद्दाश्त लिख लेगा।

(२) सिवाय उस अवस्था के जब कि उपधारा (१) द्वारा रचित नियम के अनुसार अन्यथा आज्ञा दी गई हो, धारा २१ की उपधारा (२) या उपधारा (३) की आज्ञाओं का उल्लंघन, किसी दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये अनधिकारी न बना देगा यदि उस सम्पत्ति का विवरण जो उक्त दस्तावेज़ से प्रकट हो, उक्त सम्पत्ति की पहिचान के लिये पर्य्याप्त हो।

भाग ४

रजिस्ट्री के लिये पेश करने का समय

धारा २३— धारायें २४, २५ और २६ की आज्ञाओं के आधीन,

दस्तावेज़ पेश करने का समय

कोई दस्तावेज,सिवाय मृत्युपत्र के,रजिस्ट्री के लिये स्वीकार न किया जायगा, जब तक कि वह उसके लिखे जाने की तारीख से चार मास के भीतर उस अभिप्राय के लिये उचित अधिकारी के सामने पेश न किया जाय।

परन्तु शर्त्त यह है डिग्री या आज्ञा की नक़ल, उस तारीख से चार मास के भीतर पेश की जा सकती है जिस तारीख पर कि डिग्री या आज्ञा हुई हो, या यदि वह डिग्री या आज्ञा अपील योग्य हो, तो उस तारीख से चार मास के भीतर पेश की जा सकती है जब कि वह अपरिवर्त्तनीय हो।

धारा २४— जब किसी दस्तावेज को कई मनुष्य विविध समयों

दस्तावेज़ यदि कई मनुष्यों की ओर से विविध समयों पर सम्पन्न किया जाय।

पर सम्पन्न करें, तो उक्त दस्तावेज़ रजिस्ट्री और पुनः रजिस्ट्री के लिये प्रत्येक लेख-सम्पन्नता की तारीख से चार मास के भीतर पेश किया जा सकता है।

धारा २५— (१) यदि कोई ऐसा दस्तावेज़ या ऐसी डिग्री या

यदि पेश करने में विलम्ब अनिवार्य हो

आज्ञा की नकल, जो ब्रिटिश इण्डिया में लिखा गया या हुई हो, अतीव आवश्यकता या न रोकी जाने योग्य घटना के कारण, उस समय के व्यतीत होने के पश्चात् तक रजिस्ट्री के लिये पेश न किया जाय पर

न की जाय, जो इस सम्बन्ध में उक्त धाराओं में निर्धारित हुआ है, तो रजिस्ट्रार, उन अवस्थाओं में जब कि पेश करने में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे जुरमाने के चुकाने पर, जो उचित फीस रजिस्ट्री की रकम के दस गुने से अधिक न हो, उक्त दस्तावेज़ रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर लिया जाय।

(२) उक्त आज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र सब रजिस्ट्रार को दिया जा सकता है, जो उसे तुरत ही उस रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिसके कि वह आधीन हो।

दस्तावेज़ जो ब्रिटिश भारत के बाहर लिखे जांय

धारा २६—कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसका कि कुल पक्षों या किसी पक्ष की ओर से ब्रिटिश भारत के बाहर लिखा जाना प्रकट हो रजिस्ट्री के लिये उस समय के पश्चात तक पेश न किया जाय, जो इस सम्बन्ध में उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित हुआ है, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, यदि उसे यह संतोष हो जाय

(क) कि दस्तावेज़ उक्त प्रकार लिखा गया, और

(ख) कि यह उसके ब्रिटिश भारत में आने की तारीख से चार मास के भीतर रजिस्ट्री के लिये पेश किया गया है,

तो उचित फीस रजिस्ट्री चुकाने पर, उक्त दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर लेगा।

मृत्यु पत्र किसी समय पेश या जमा किये जा सकते हैं

धारा २७—कोई मृत्यु पत्र रजिस्ट्री के लिये किसी समय पेश किया जा सकता है या उस विधि से जमा किया जा सकता है जिसका वर्णन आगे की धाराओं में है।

भाग ५

रजिस्ट्री का स्थान

(क), (ख), और (ग) में वर्णन हो, उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री के लिये पेश किया जायगा जिसके उपजिले में वह सब सम्पत्ति या उसका कोई अंश, जो उस दस्तावेज़ से संबंधित हो स्थित हो।

धारा २९—(१) उस दस्तावेज़ के अतिरिक्त, जिसका निरूपण धारा २८ में हुआ है किसी डिगरी या आज्ञा की नक़ल के अतिरिक्त, प्रत्येक दस्तावेज़, रजिस्ट्री के लिये या तो उस सब रजिस्ट्री के दफतर में पेश किया जा सकता है जिसके उप जिले में कि दस्तावेज लिखा गया हो, या स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री के लिये पेश किया जा सकता है जहां कि वे मनुष्य जिन की ओर से दस्तावेज़ लिखा गया हो, और वे मनुष्य जो दस्तावेज़ के अनुसार दावेदार हो, उस की रजिस्ट्री कराना चाहें।

अन्य दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री के लिये स्थान

(२) किसी डिग्री या आज्ञा की नकल रजिस्ट्री के लिये उस सब रजिट्रार के दफतर में पेश की जा सकती है जिस के उप जिले में प्रारम्भिक डिगरी या आज्ञा हुई हो, या जब डिगरी या आज्ञा से कोई अचल सम्पत्ति प्रभावित न होती हो तो, स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के दफतर में, जहां वे समस्त मनुष्य जो उस डिगरी या आज्ञा के अनुसार दावेदार हों, उक्त नकल की रजिस्ट्री कराना चाहें,

धारा ३०—किसी रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी ऐसे दस्तावेज़ को ले और रजिस्टरी करे जिसकी रजिस्टरी उसके अधीनस्थ सब रजिस्ट्रार द्वारा की जा सकती हो।

कुछ अवस्थाओं में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री

(२) ऐसे जिले के रजिस्ट्रार को जिस में प्रेजीडेन्सी नगर सम्मिलत हो, और लाहोर जिले के रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह ऐसे किसी दस्तावेज़ को, जिस का निरूपण धारा २८ में हो इस बात के विचार बिना कि, ब्रिटिश भारत के किस भाग में दस्तावेज़ सम्बन्धी सम्पत्ति स्थित है, ले और उस की रजिस्ट्री करे।

धारा ३१—साधारण अवस्थाओं में, इस एक्ट के अनुसार, दस्तावेज़, रजिस्ट्री या जमा करने के लिये, केवल उस अधिकारी के दफतर में पेश किये जायंगे जिस को रजिस्ट्री के लिये या जमा करने के लिये दस्तावेज़ों के लेने का अधिकार हो:—

घर पर रजिस्ट्री इत्यादि।

न की जाय, जो इस सम्बन्ध में उक्त आज्ञाओं में निर्द्धारित हुआ है, तो रजिस्ट्रार, उन अवस्थाओं में जब कि पेश करने में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे जुरमाने के चुकाने पर, जो उचित फीस रजिस्ट्री की रकम के दस गुने से अधिक न हो, उक्त दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर लिया जाय।

(२) उक्त आज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र सब रजिस्ट्रार को दिया जा सकता है, जो उसे तुरत ही उस रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिसके कि वह आधीन हो।

धारा २६—कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसका कि कुल पक्षों या किसी पक्ष की ओर से ब्रिटिश भारत के बाहर लिखा जाना प्रकट हो, रजिस्ट्री के लिये उस समय के पश्चात तक पेश न किया जाय, जो इस सम्बन्ध में उपर्युक्त आज्ञाओं में निर्द्धारित हुआ है, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, यदि उसे यह संतोष हो जाय

दस्तावेज जो ब्रिटिश भारत के बाहर लिखे जांय

(क) कि दस्तावेज़ उक्त प्रकार लिखा गया, और

(ख) कि वह उसके ब्रिटिश भारत में आने की तारीख से चार मास के भीतर रजिस्ट्री के लिये पेश किया गया है,

तो उचित फ़ीस रजिस्ट्री चुकाने पर, उक्त दस्तावेज को रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर लेगा।

धारा २७— कोई मृत्यु पत्र रजिस्ट्री के लिये किसी समय पेश किया जा सकता है या उस विधि से जमा किया जा सकता है जिसका वर्णन आगे की आज्ञाओं में है।

मृत्यु पत्र किसी समय पेश या जमा किये जा सकते हैं

भाग ५

रजिस्ट्री का स्थान

धारा २८—सिवाय इसके कि इस भाग में प्रतिकूल आज्ञा हो, प्रत्येक ऐसा दस्तावेज जिसका वर्णन धारा १७ उपधारा (१) के खण्ड १ (क), (ख), (ग) और (घ), तथा धारा १८ के खंड

भूमि सम्बंधी दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री का स्थान

(क),(ख), और (ग) में वर्णन हो, उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री के लिये पेश किया जायगा जिसके उपजिले में वह सब सम्पत्ति या उसका कोई अंश, जो उस दस्तावेज़ से संबंधित हो, स्थित हो।

धारा २६—(१) उस दस्तावेज़ के अतिरिक्त, जिसका निरूपण धारा २८ में हुआ है किसी डिगरी या आज्ञा की नक़ल के अतिरिक्त, प्रत्येक दस्तावेज़, रजिस्ट्री के लिये या तो उस सब रजिस्ट्री के दफतर में पेश किया जा सकता है जिसके उप जिले में कि दस्तावेज लिखा गया हो, या स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री के लिये पेश किया जा सकता है जहां कि वे मनुष्य जिन की ओर से दस्तावेज़ लिखा गया हो, और वे मनुष्य जो दस्तावेज़ के अनुसार दावेदार हो, उस की रजिस्ट्री कराना चाहें।

अन्य दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री के लिये स्थान

(२) किसी डिग्री या आज्ञा की नकल रजिस्टी के लिये उस सब रजिट्रार के दफतर में पेश की जा सकती है जिस के उप जिले में प्रारम्भिक डिगरी या आज्ञा हुई हो, या जब डिगरी या आज्ञा से कोई अचल सम्पत्ति प्रभावित न होती हो तो, स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के दफतर में, जहां वे समस्त मनुष्य जो उस डिगरी या आज्ञा के अनुसार दावेदार हों, उक्त नकल की रजिस्ट्री कराना चाहें,

धारा ३०—किसी रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी ऐसे दस्तावेज़ को ले और रजिस्टरी करे जिसकी रजिस्टरी उसके अधीनस्थ सब रजिस्ट्रार द्वारा की जा सकती हो।

कुछ अवस्थाओंमें रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री

(२) ऐसे जिले के रजिस्ट्रार को जिस में प्रेजीडेन्सी नगर सम्मिलत हो, और लाहोर जिले के रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह ऐसे किसी दस्तावेज़ को, जिस का निरूपण धारा २८ में हो इस बात के विचार बिना कि, ब्रिटिश भारत के किस भाग में दस्तावेज़ सम्बन्धी सम्पत्ति स्थित है, ले और उस की रजिस्ट्री करें।

धारा ३१—साधारण अवस्थाओं में, इस एक्ट के अनुसार, दस्तावेज़, रजिस्ट्री या जमा करने के लिये, केवल उस अधिकारी के दफतर में पेश किये जायंगे जिस को रजिस्ट्री के लिये या जमा करने के लिये दस्तावेजों के लेने का अधिकार हो:—

घर पर रजिस्ट्री इत्यादि।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त अधिकारी, विशेष कारण दिखलाये जाने पर, उस मनुष्य के निवास स्थान पर जा सकता है जो किसी दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिये पेश करना या किसी मृत्यु-पत्र को जमा करना चाहता हो, और उक्त दस्तावेज़ या मृत्यु—पत्र को रजिस्ट्री या जमा रखने के लिये ले सकता है।

भाग ६

दस्तावेज़ों का रजिस्ट्री के लिये पेश किया जाना

मनुष्य जो रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज़ पेश करें।

धारा ३२—धारा ३१ और धारा ८९ में वर्णित अवस्थाओं के अतिरिक्त प्रत्येक दस्तावेज़ जो इस एक्ट के अनुसार रजिस्ट्री होने वाला हो, चाहे उस की रजिस्ट्री आवश्यकीय हो अथवा अनावश्यकीय, रजिस्ट्री के उचित दफ्तर में निम्न लिखित मनुष्यों द्वारा पेश किया जायगाः—

(क) किसी मनुष्य द्वारा जिस ने लिखा हो, या उस मनुष्य द्वारा जो उस के सम्बन्ध से दावेदार हो, या डिग्री या आज्ञा की नकल की अवस्था में, उस मनुष्य द्वारा जो उस डिग्री या आज्ञा के द्वारा दावे दार हो, या

(ख) उक्त मनुष्य के प्रतिनिधि या नियोगिन् द्वारा, या

(ग) उक्त मनुष्यके प्रतिनिधि या नियोगिन्के मुख्तारद्वारा जो ऐसे मुख्तार नामे द्वारा अधिकार सम्पन्न हुआ हो, जो आगामी वर्णित रीति में लिखा और तसदीक किया गया हो।

धारा ३२ के अभिप्रायों के लिये स्वीकृति योग्य मुख्तार नामे।

धारा ३३—(१) धारा ३२ के अभिप्रायों के लिये, केवल निम्न मुख्तार नामे ही स्वीकृत होंगे अर्थात्:—

(क) यदि वह मुख्य मनुष्य जो मुख्तार नामे के लिखे जाने के समय ब्रिटिश भारत के किसी ऐसे भाग में रहता हो, जहां कि यह एक्ट उस समय प्रभावित हो, तो ऐसा मुख्तार नामा जो उस रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने लिखागया और उस के द्वारा तसदीक किया गया हो जिस के जिले या उप जिले में उक्त मुख्य मनुष्य रहता हो;

(ख)-यदि, उक्त कथित समय पर, वह मुख्य मनुष्य ब्रिटिशभारत के किसी अन्य भाग में रहता हो, तो ऐसा मुख्तार नामा जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया और उस के द्वारा तसदीक किया गया हो;

(ग) यदि, उक्त कथित समय पर, वह मनुष्य ब्रिटिश भारत में न रहता हो, तो ऐसा मुख्तार नामा जो नोटरी पबलिक, या किसी अदालत, जज, मजिस्ट्रेट ब्रिटिश कौन्सिल या वाइसकौन्सिल, या सम्राट या भारतीय गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के सामने लिखा गया और उस के द्वारा तसदीक किया गया हो।

परन्तु शर्त यह है किसी दफ्तर रजिस्ट्री या अदालत में किसी ऐसे मुख्तार नामे की सम्पन्नता के प्रयोजन के लिये, जिस का वर्णन कि इस धारा के खण्ड (क) और (ख) में हुआ है, निम्न मनुष्यों की हाजिरी की आवश्यकता न होगी, अर्थात्:—

(i) मनुष्य, जो शारीरिक निर्बलता के कारण, बिना संशय या अधिक कष्ट के हाजिर न हो सकते हों;

(ii) मनुष्य, जो दीवानी या फ़ौजदारी के मुकद्दमों के कारण कारागार में हों,

(iii) मनुष्य जो कानून के अनुसार अदालत में स्वयं हाजिर होने से क्षम्य हों।

(२) प्रत्येक ऐसे मनुष्य की दशा में, यदि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट को, जैसी कि अवस्था हो, यह सन्तोष हो जाय कि मुख्तारनामा उस मनुष्य ने इच्छा पूर्वक लिखा है जिसकी ओर से उसका लिखा जाना उसके विषय से प्रकट होता हो, तो उसको अधिकार है कि उस मुख्तारनामे की तसदीक, उक्त कथित दफ़तर या अदालत में उस मनुष्य को स्वयं हाजिर होने की आज्ञा दिये बिना करदे।

(३) इस बात की गवाही प्राप्त करने के लिये कि वह इच्छा पूर्वक लिखा गया या नहीं, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि या तो वह उस मनुष्य के मकान पर, जिसकी ओर से उसका लिखा जाना प्रकट हो, या उस कारागार में,

जहां कि वह कैद हो, जाकर उस का इज़हार ले, या उस के इज़हार के लिये कमीशन जारी करे।

(४) कोई ऐसा मुख्तारनामा जिसका वर्णन इस धारा में हुआ है बिना किसी अन्य प्रमाण के, उसके पेश करने से प्रमाणित किया जा सकता है, जब कि उस की सूरत से यह प्रकट होता हो कि वह उस मनुष्य या अदालत के सामने जिसका वर्णन कि इस सम्बन्ध में पहिले हुआ है, लिखा गया या उसके द्वारा तसदीक़ किया गया है।

धारा ३४—(१) इस भाग में और धाराएं ४१,४३,४५,६९,७५, ७७, ८८, और ८९ में वर्णित आज्ञाओं के आधीन, कोई दस्तावेज़ इस एक्ट के अनुसार उस समय तक रजिस्ट्री न किया जायगा जब तक उक्त दस्तावेज़ के लिखने वाले मनुष्य, या उनके प्रतिनिधि, नियोगिन, या उक्त प्रकार अधिकार सम्पन्न मुख्तार, रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के सामने, उस अवधि के भीतर उपस्थित न हों, जो धाराएं २३, २४, २५, और २६ के अनुसार रजिस्ट्री के पेश करने के लिये नियत है।

रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री के पूर्व अन्वेषण

परन्तु शर्त्त यह है कि अतीव आवश्यकता या न रोकी जाने योग्य घटना के कारण, यदि उक्त मनुष्य हाज़िर नहीं, तो रजिस्ट्रार उन दशाओं में जबकि हाज़िर होने में विलम्ब चार मास से अधिक का न हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उस जुरमाने के अतिरिक्त जो धारा २५ के अनुसार देय हो, ऐसे जुरमाने के देने पर जो उचित फीस रजिस्ट्री की दस गुनी संख्या से अधिक न हो, दस्तावेज़ रजिस्ट्री किया जा सकता है।

(२) उपधारा (१) के अनुसार हाजिरियां एक ही समय या विविध समयों पर हो सकती हैं।

(३) रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी तब—

(क) यह अन्वेषण करेगा कि उक्त दस्तावेज़ को उन लोगों ने लिखा है अथवा नहीं जिन लोगों की ओर से उसका लिखा जाना प्रकट होता हो।

(ख) उन मनुष्यों की पहचान के संबंध में संतोष लाभ करेगा जो उसके सामने उपस्थित होकर बयान करें कि उक्त दस्तावेज़ उन्होंने लिखा है।

(ग) किसी ऐसे मनुष्य की दशा में जो प्रतिनिधि, नियोगिन या मुख्तार की भांति हाजिर हो, उक्त मनुष्यों के उपस्थित होनेके अधिकार के सम्बन्ध में संतोष लाभ करेगा।

(४) उपधारा (१) की शर्तके अनुसार आज्ञाके लिये प्रार्थना पत्र, सब रजिस्ट्रार को दिया जायगा जो तुरत ही उसे उस रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिसका कि वह अधीन हो।

[५] इस धारा की कोई बात डिग्री और आज्ञाओं की नकलों से सम्बन्धित न होगी।

धारा ३५—[१] [क] यदि दस्तावेज के लिखने वाले कुल मनुष्य, रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के सामने स्वयं हाजिर हों, और वह उनको स्वयं जानता हो, या इस बात का उसको और प्रकार से संतोष हो कि वे वही मनुष्य हैं जो अपने तईं बतलाते हैं, और वे सब मनुष्य दस्तावेज़ का लिखना स्वीकार करते हों, या

कार्यवाही जब कि दस्तावेज़ का लिखना स्वीकार या अस्वीकार किया जाय,

(ख) यदि, ऐसे मनुष्य की दशा में जो प्रतिनिधि, नियोगिन या मुख़तार द्वारा उपस्थित हुआ हो वह प्रतिनिधि, नियोगिन, या मुख़तार दस्तावेज़ का लिखना स्वीकार करें, या

(ग) यदि दस्तावेज लिखने वाला मनुष्य मरजाय और उसका प्रतिनिधि या नियोगिन रजिस्ट्री-कर्त्ता अधिकारी के सामने उपस्थित होकर दस्तावेज़ का लिखना स्वीकार करें, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी दस्तावेज़ को, धाराएं ५८ से ६१तक की आज्ञाओं के अनुसार रजिस्ट्री कर देगा।

(२) रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को अधिकार है कि वह इस बात के संतोष प्राप्त करने के लिये कि वे मनुष्य जो उसके सामने उपस्थित हों वे ही मनुष्य हैं जो अपने को बतलाते हों, या इस एक्ट में वर्णित अन्य किसी प्रयोजन के लिये, किसी ऐसे मनुष्य का इज़हार लें जो उसके दफ्तर में उपस्थित हों।

(३) (क) यदि कोई मनुष्य जिसकी ओर से दस्तावेज़ का लिखा जाना प्रकट होता हो, दस्तावेज़ लिखने से इन्कार करें, या

(ख) यदि कोई उक्त मनुष्य रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को अप्राप्त व्यवहार, पागल या विक्षिप्त मालूम हो, या

(ग) यदि वह मनुष्य जिसकी ओर से दस्तावेज़ का लिखा जाना प्रकट होता हो मर जाय, और उसका प्रतिनिधि या नियोगिन दस्तावेज़ की सम्पन्नता से इन्कार करे।

तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, उस मनुष्य के सम्बन्ध में जो इन्कार करता हो, अप्राप्त व्यवहार, पागल या विक्षिप्त मालूम होता हो या मर गया हो, दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि उक्त अधिकारी रजिस्ट्रार हो तो वह उस कार्य प्रणाली का अनुसरण करेगा जो भाग १२ में नियत की गई है।

भाग ७

दस्तावेज़ लिखने वालों और गवाहों की बलात् उपस्थिति

धारा ३६—यदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये पेश करे या किसी ऐसे दस्तावेज के द्वारा दावेदार हो, जो उक्त प्रकार पेश हो सकता हो, किसी ऐसे मनुष्य को हाज़िर कराना चाहे जिस की, हाज़िरी या गवाही उक्त दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिये आवश्यकीय हो, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, अपनी इच्छा पर, उस अधिकारी या अदालत को, जिसे स्थानीय गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में आज्ञा दे, यह लिख सकता है कि वह उक्त मनुष्य के नाम इस विषय का समन जारी करे कि वह स्वयं या उचित अधिकार सम्पन्न मुख्तार द्वारा जैसा कि समन में वर्णन हो, और समन में नियत समय पर, दफ्तर रजिस्ट्री में हाज़िर हो।

कार्यवाही जब कि दस्तावेज़ लिखने वाले या गवाह की हाज़िरी की आवश्यकता हो

धारा ३७—उक्त अधिकारी या अदालत, चपरासी का तलबाना वसूल होने पर जो पेले मुकद्दमों में देय हो, अनुसारतः समन जारी करेगी और उस मनुष्य पर तामील करायेगी जिस की हाजिरी की आवश्यकता हो।

अधिकारी या अदालत का समन जारी करना और तामील कराना।

धारा ३८—(१) (क) जो मनुष्य शारीरिक निर्बलता के कारण, बिना संशय या अधिककष्ट के दफ़्तर रजिस्ट्री में हाज़िर नहीं सकते हों, या

मनुष्य जो दफ़्तर रजिस्ट्री में हाज़िरी से क्षम्य है।

(ख) जो मनुष्य दीवानी या फौजदारी मुकद्दमे के कारण कारागार में हों। या

(ग) जो मनुष्य कानून के अनुसार अदालत में स्वयं हाज़िरी से क्षम्य हों, और जिन की असालतन हाज़िरी दफ़्तर रजिस्ट्री में आवश्यकीय होती, यदि ठीक नीचे की धारा की आज्ञा न होती हाज़िरी से क्षम्य है।

(२) प्रत्येक उक्त मनुष्य की दशा में, रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी या तो उक्त मनुष्य के मकान पर जाकर या उस कारागार में जाकर जहां कि वह कैद हो उस का इजहार लेगा, या उस के इज़हार के लिये कमीशन जारी करेगा।

धारा ३९—जो कानून समन, कमीशन, और गवाहों के हाजिर कराने और उन के हरजे के सम्बन्ध में दीवानी अदालतों की नालिशों में, समय पर प्रचलित हो, वह उक्त कथित को छोड़ कर और परित्यक्त शब्दों के परवर्त्तन के साथ, उस समन या कमीशन से, जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार जारी किया जाय। और उस मनुष्य से जिस को इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार हाज़िर होने की आज्ञा दी जाय, सम्बन्धित होगा।

समन कमीशन और गवाहों के सम्बन्ध में कानून।

(ग) यदि वह मनुष्य जिसकी ओर से दस्तावेज़ का लिखा जाना प्रकट होता हो मर जाय, और उसका प्रतिनिधि या नियोगिन दस्तावेज़ की सम्पन्नता से इन्कार करे।

तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, उस मनुष्य के सम्बन्ध में जो इन्कार करता हो, अप्राप्त व्यवहार, पागल या विक्षिप्त मालूम होता हो या मर गया हो, दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि उक्त अधिकारी रजिस्ट्रार हो तो वह उस कार्य प्रणाली का अनुसरण करेगा जो भाग १२ में नियत की गई है।

भाग ७

दस्तावेज़ लिखने वालों और गवाहों की बलात उपस्थिति

धारा ३६—यदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये पेश करे या किसी ऐसे दस्तावेज के द्वारा दावेदार हो, जो उक्त प्रकार पेश हो सकता हो, किसी ऐसे मनुष्य को हाज़िर कराना चाहे जिस की, हाज़िरी या गवाही उक्त दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिये आवश्यकीय हो, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी, अपनी इच्छा पर, उस अधिकारी या अदालत को, जिसे स्थानीय गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में आज्ञा दे, यह लिख सकता है कि वह उक्त मनुष्य के नाम इस विषय का समन जारी करे कि वह स्वयं या उचित अधिकार सम्पन्न मुख्तार द्वारा जैसा कि समन में वर्णन हो, और समन में नियत समय पर, दफ्तर रजिस्ट्री में हाज़िर हो।

कार्यवाही जब कि दस्तावेज़ लिखने वाले या गवाह की हाजिरी की आवश्यकता हो

भाग ९

मृत्यु पत्रों का अमानत रखा जाना

मृत्यु पत्रों का अमानत रखा जाना।

धारा ४२—कोई मृत्यु पत्र लेखक, या तो स्वयं या विधिवत अधिकारसम्पन्नमुख्तारद्वाराकिसीरजिस्ट्रार के पास अपना मृत्यु पत्र मुहरदार लिफ़ाफ़ेमें जिस पर मृत्यु-पत्र लेखक का नाम, और उस के मुख्तार (यदि कोई हो) का नाम, और दस्तावेज के प्रकार का वर्णन हो, जमा कर सकता है।

मृत्यु पत्र जमा होने पर कार्यवाही।

धारा ४३—(१) उक्त लिफ़ाफ़े के प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रार यदि उसे यह सन्तोष हो कि अमानत रखने के लिये पेश करने वाला मनुष्य ही मृत्यु पत्र लेखक या उस का मुख्तार है, उक्त लिफ़ाफ़े पर के लेख को अपनी रजिस्टर बही नं ५ में नकल कर लेगा, और उसी बही में और उक्त लिफ़ाफ़े पर उस के पेश किये जाने और प्राप्त होने का वर्ष, महीना, तारीख और समय, और उन मनुष्यों के नाम जिन्होंने उस मृत्यु पत्र लेखक या उस के मुख्तार की पहचान की हो, और पढ़े जाने योग्य शब्द जो लिफ़ाफ़े की मुहर पर हों, लिख लेगा।

(२) रजिस्ट्रार तब उस मुहरदार लिफाफ़े को अपने अदाह्य बक्स में रख छोड़ेगा।

धारा ४२ के अनुसार जमा किये हुए मुहरदार लिफ़ाफ़ेकी वापिसी

धारा ४४—यदि वह मृत्यु-पत्र-लेखक जिस ने कि उक्त लिफ़ाफ़ा जमा किया हो, उसे वापिस लेना चाहे, तो वह स्वयं या अपने विधिवत अधिकार सम्पन्न मुख्तार द्वारा उस रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र दे सकता है जिस के पास कि वह मृत्यु पत्र अमानत में रखा हो, और उक्त रजिस्ट्रार, जब कि उसे यह सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी ही वास्तव में मृत्यु पत्र-लेखक या उस का मुख्तार है, बस लिफ़ाफ़े को अनुसारतः दे देगा।

भाग ८

मृत्यु पत्रों और दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्रों का रजिस्ट्री के लिये पेश होना।

मनुष्य जो मृत्यु-पत्र और दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्र पेश कर सकते हैं।

धारा ४०—(१) मृत्यु-पत्र-लेखक (वसीयत करने वाला) या, उस के मरण पश्चात्, कोई मनुष्य जो मृतलेखाधिकारी की भांति या मृत्यु-पत्र के द्वारा और प्रकार, दावेदार हो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को उसे रजिस्ट्री के लिये पेश कर सकता है।

(२) अधिकार प्रदाता या वह मनुष्य जिस को गोद लेने का अधिकार दिया जाय, या दत्तक पुत्र उस अधिकार पत्र को रजिस्ट्री के लिये रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश कर सकता है।

मृत्यु पत्र और दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्रों की रजिस्ट्री।

धारा ४१—(१) उस मृत्यु पत्र या दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्र की रजिस्ट्री, जो मृत्यु पत्र लेखक या अधिकार प्रदाता की ओर से रजिस्ट्री के लिये पेश किया जाय, अन्य दस्तावेज़ की भांति हो सकती है।

(२) उस मृत्यु पत्र या दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्र की रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री के लिये किसी ऐसे मनुष्य द्वारा पेश किया जाय जो उस के पेश करने का अधिकारी हो, उस समय होगी जबकि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को इस बात का सन्तोष हो जाय।

(क) कि वह मृत्यु पत्र या अधिकार पत्र मृत्यु पत्र लेखक या अधिकार प्रदाता द्वारा, जैसी कि अवस्था हो, लिखा गया है;

(ख) कि मृत्यु पत्र-लेखक या अधिकार प्रदाता मर गया; और

(ग) कि उस मृत्यु पत्र या अधिकार पत्र का पेश करने वाला मनुष्य, धारा ४० के अनुसार उस के पेश करने का अधिकारी है।

सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेज़ की रजिस्टरी मौखिक इकरारनामों के मुकाबले पर कब प्रभाव जनक होगी।

धारा ४८—समस्त दस्तावेज जो मृत्यु-पत्र न हों और जिन की रजिस्टरी इस एक्ट के अनुसार विधिवत हो चुकी हो, और किसी सम्पत्ति, चाहे चल या अचल से सम्बन्ध रखती हों, उक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौखिक इकरार या निश्चय के मुकाबिले पर प्रभाव जनक होंगी, यदि उस इकरार या निश्चय के साथ अधिकार (कबज़ा) न दे दिया गया हो।

उन दस्तावेज़ों की रजिस्टरी न होने का प्रभाव जिन की रजिस्टरी आवश्यक हो।

धारा ४६—कोई दस्तावेज़, जिस की रजिस्टरी धारा १७ के अनुसार आवश्यकीय हो—

(क) किसी अचल सम्पत्ति को जो उस दस्तावेज़ में लिखी हो, प्रभावित न करेगी, या

(ख) दत्तक पुत्र लेने का अधिकार न देगी, या

(ग) किसी ऐसे मामले की साक्षी रूप से, जो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो या उक्त अधिकार प्रदान करता हो, स्वीकार न की जायगी,

जब तक कि उसकी रजिस्टरी न होजाय।

भूमि सम्बन्धी कुछ रजिस्टरी दस्तावेज़ें बिना रजिस्ट्री दस्तावेज़ों के मुकाबिले पर प्रभावित होंगी

धारा ५०—(१) प्रत्येक दस्तावेज जो धारा १७, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख) (ग) और (घ) तथा धारा (१८) के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित प्रकारों में से किसी प्रकार की हो यदि उसकी विधि वत रजिस्टरी हो चुकी हो उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो उसमें सम्मिलित हो उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध की बिना रजिस्टरी वाली प्रत्येक दस्तावेज के मुकाबिले में जो डिग्री या आज्ञा न हो, प्रभाव जनक होगी, चाहे बिना रजिस्टरी वाली दस्तावेज़ रजिस्टरी दस्तावेज़ की प्रकार की हो या न हो

(२) उपधारा (१) की कोई बात उन पट्टों या किराये नामों

धारा ४५—(१) यदि उस मृत्यु-पत्र-लेखक की मृत्यु पर जिस ने कि धारा ४२ के अनुसार मुहरदार लिफ़ाफ़ा जमा किया हो,

जमा करने वाले की मृत्यु पर कार्यवाही

उस रजिस्ट्रार से जिस के पास कि वह रखा हो, उस के खोलने की प्रार्थना की जाय, और यदि रजिस्ट्रार को यह सन्तोष हो जाय कि मृत्यु-पत्र-लेखक मर गया, तो वह प्रार्थी की उपस्थिति में लिफाफे को खोल डालेगा, और प्रार्थी के व्यय से उस के भीतर के मजमून को अपनी वही नं० ३ में नकल कर लेगा।

(२) जब नकल हो जाय, तब रजिस्ट्रार उस असली मृत्यु-पत्र को फिर अमानत में रखा रहने देगा।

धारा ४६—(१) ऐसी कोई बात जिसका ऊपर वर्णन हुआ कानून भारतीय परम्परा सन् १८६५ की धारा २५९ की आज्ञाओं को या कानून प्रावेट और प्रबन्ध सन १८८१ की धारा ८१ की आज्ञाओं या अदालत के इस अधिकार को कि किसी मृत्यु पत्र को बलात् पेश करने की आज्ञा दे सके, प्रभावित न कर सकेगी।

कुछ कानूनों और अदालत के अधिकारों की रक्षा

(२) जब कोई उक्त आज्ञा हो, तो रजिस्ट्रार, यदि मृत्यु पत्र की नकल अभी धारा ४५ के अनुसार न हो चुकी हो, लिफाफों को खोल डालेगा, और मृत्यु पत्र की नकल अपनी वही नं० ३ में करायेगा, और उस नकल पर यह लिख देगा कि असली मृत्युपत्र उक्त कथित आज्ञा के अनुसार अदालत में भेजा गया है।

भाग १०

रजिस्ट्री होने और न होने का प्रभाव

धारा ४७—रजिस्ट्री दस्तावेज का प्रभाव उस समय से होगा जब से कि उस का प्रभाव आरम्भ होता, यदि उस की रजिस्टरी की आवश्यकता न होती या रजिस्टरी न होती, न कि रजिस्टरी के

समय जब से कि रजिस्टरी दस्तावेज प्रभावित होगा

धारा ४८—समस्त दस्तावेज जो मृत्यु-पत्र न हों और जिन की रजिस्टरी इस एक्ट के अनुसार विधिवत हो चुकी हो, और किसी सम्पत्ति, चाहे चल या अचल से सम्बन्ध रखती हों;

सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेज की रजिस्टरी मौखिक इकरारनामों के मुकाबले पर कब प्रभाव जनक होगी।

उक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौखिक इकरार या निश्चय के मुकाबिले पर प्रभाव जनक होंगी, यदि उस इकरार या निश्चय के साथ अधिकार (कबज़ा) न दे दिया गया हो।

धारा ४९—कोई दस्तावेज़, जिस की रजिस्टरी धारा १७ के अनुसार आवश्यकीय हो—

उन दस्तावेजों की रजिस्टरी न होने का प्रभाव जिन की रजिस्टरी आवश्यक हो।

(क) किसी अचल सम्पत्ति को जो उस दस्तावेज़ में लिखी हो, प्रभावित न करेगी, या

(ख) दत्तक पुत्र लेने का अधिकार न देगी, या

(ग) किसी ऐसे मामले की साक्षी रूप से, जो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो या उक्त अधिकार प्रदान करता हो, स्वीकार न की जायगी,

जब तक कि उसकी रजिस्टरी न होजाय।

धारा ५०—(१) प्रत्येक दस्तावेज जो धारा १७, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख) (ग) और (घ) तथा धारा (१८) के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित प्रकारों में से किसी प्रकार की हो यदि उसकी विधि वत रजिस्टरी हो चुकी हो उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो उसमें सम्मिलित हो उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध की बिना रजिस्टरी वाली प्रत्येक दस्तावेज के मुकाबिले में जो डिग्री या आज्ञा न हो, प्रभाव जनक होगी, चाहे बिना रजिस्टरी वाली दस्तावेज़ रजिस्टरी दस्तावेज़ की प्रकार की हो या न हो

भूमि सम्बन्धी कुछ रजिस्टरी दस्तावेजें बिना रजिस्ट्री दस्तावेजों के मुकाबिले पर प्रभावित होंगी

(२) उपधारा (१) की कोई बात उन पट्टों या किराये नामों

से, जो धारा १७, उपधारा (१) की शर्त के अनुसार क्षम्य है, या उसी धारा की उपधारा (२) में वर्णित किसी दस्तावेज़ से, या उस दस्तावेज़ रजिस्टरी से जिसको इस कानून के प्रचारारम्भ के समय प्रचलित कानून के अनुसार विशेषता प्राप्त न हो, सम्बन्धित होगी।

व्याख्या—जिन दशाओं में कि एक्ट नं० १६ सन १८६४ या कानून भारतीय रजिस्टरी सन १८६६ उस स्थान और समय पर प्रचलित था जहां कि बिना रजिस्टरी वाला दस्तावेज़ लिखा गया हो, "बिना रजिस्टरी" का अर्थ है कि उक्त कानून के अनुसार रजिस्टरी न हुई हो, और यदि दस्तावेज़ की सम्पन्नता १ जोलाई सन १८७१ के पश्चात हुई हो, कानून भारतीय रजिस्टरी सन् १८७१ या कानून भारतीय रजिस्टरी सन् १८७७ या इस एक्ट के अनुसार रजिस्टरी न हुई हो।

भाग ११

रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार

[क]—रजिस्टर वही और सूचियों के सम्बन्ध में

धारा ५१—(१) निम्न लिखित वहियां उन कई दफ़तरों में जिन का वर्णन नीचे दिया गया है रखी जांयगी। अर्थात्—

रजिस्टर वहियां जो दफ़तरों में रखी जांयगी।

क—तमाम रजिस्टरी के दफ़तरों में

वही १—"उन दस्तावेजोंका रजिस्टर जो मृत्यु पत्र नहीं और जिनका सम्बन्ध गर्चल सम्पत्ति से हो,"

वही २—"रजिस्टरी से इंकार करने के कारणों का लेख"।

वही ३—"मृत्यु पत्रों और दत्तक सम्बन्धी अधिकार पत्रों का रजिस्टर," और

वही ४—"विविध रजिस्टर"

ख—रजिस्ट्रार के दफतरों में—

वही ५—"मृत्यु-पत्रोंके जमा करने का रजिस्टर"

(२) वही नं० १ में वह तमाम दस्तावेज़ या यादद्दाशतें दर्ज

नत्थी की जायगी जिनकी धारायें १७, १८ और ८९ के अनुसार रजिस्टरी हुई हो और जिनका सम्बन्ध अचल सम्पत्ति से हो और जो मृत्यु-पत्र न हों।

(३) बही नं ४ में वह तमाम दस्तावेजें दर्ज की जायगी जिनकी रजिस्टरी धारा १८ के खंड घ और च के अनुसार हुई हो और जिनका सम्बन्ध अचल सम्पत्ति से न हो।

(४) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि जहां रजिस्ट्रार का दफतर सब रजिस्ट्रार के दफतर से मिला दिया गया हो-वहां एक सिट से अधिक बहियों के रखने की आवश्यकता होगी।

धारा ५२—(१) (क) पेश करने का दिन, घंटा और समय

रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारियों के कर्त्तव्य जबकि दस्तावेज़ पेश किया जाय

और रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज पेश करने वाले प्रत्येक मनुष्य के हस्ताक्षर ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की पीठपर उस के पेश करने के समय लिखे जायंगे।

(ख) उक्त दस्तावेज़ की रसीद रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी द्वारा उसके पेश करने वाले मनुष्य को दी जायगी, और

(ग) धारा ६२ में सम्मिलित आज्ञाओं के आधीन, प्रत्येक दस्तावेज़ जो रजिस्टरी के लिये स्वीकार किया जाय, बिना अनावश्यक विलम्ब के उस बही में जो उस के लिये नियत हों, उसकी स्वीकृति के क्रम से, नकल किया जायगा।

(२) उक्त समस्त बहियों की, उतने समय पश्चात और उस प्रकार से जो समय २ पर इन्स्पैक्टर जनरल नियत करें, तसदीक हुआ करेगी।

धारा ५३— प्रत्येक बही में समस्त लेखों की संख्या क्रम

लेख-संख्या क्रम गत होगी।

गत होगी जो वर्ष में प्रारंभ होकर समाप्त हो जायगी, प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर नया सिलसिला आरम्भ होगा।

धारा ५४— प्रत्येक ऐसे दफतर में जहां कोई पूर्व वर्णित

सूचियां और उनके लेख।

बहियां रखी गई हों, उक्त बहियों के भीतरी लेखों की चालू सूचियां तैयार की जायगी, और जहां तक

सम्भव होगा, रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के उस दस्तावेज़ को नकल करने या उसकी यादृदाश्त को नत्थी करने के ठीक पश्चात ही जिससे उसका सम्बन्ध हो, उक्त सूचियों में प्रत्येक लेख लिखा जायगा।

धारा ५५—(१) रजिस्ट्री के समस्त दफ़्तरों में ऐसी चार सूचियां तैयार की जायगी और जिनका नाम क्रम गत सूची नं० १, सूची नं० २ सूची नं० ३ और सूची नं० ४ होगा।

सूचियां जो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारियों द्वारा बनाई जांय, और उनके विषय

(२) सूची नं० १ में उन तमाम मनुष्यों के नाम और पते लिखे जांयगे जिन्होंने उस दस्तावेज को लिखा हो या जो उस दस्तावेज़ के अनुसार दावेदार हों, जिसकी बही नं० १ में नकल हुई हो या यादृदाश्त नत्थी हुई हो।

(३) सूची नं० २ में उक्त दस्तावेज़ और यादृदाश्त सम्बन्धी धारा २१ में वर्णित उन बातों का वर्णन होगा जिनके सम्बन्ध में समय २ पर इन्स्पैक्टर जनरल आज्ञा करें।

(४) सूची नं० ३ में उन तमाम मनुष्यों के जिन्होंने वह मृत्यु पत्र या अधिकार पत्र लिखा हो जिसकी नकल बही नं० ३ में हुई हो, और मृत्युपत्राधिकारियों और अन्य मनुष्योंके जो उसके अनुसार नियुक्त हों, नाम और पते लिखे जांयगे, और मृत्यु पत्र लेखक या अधिकार प्रदाता की मृत्यु के पश्चात (पहिले नहीं) उन तमाम मनुष्यों के नाम और पते जो उसके अनुसार दावेदार हों लिखे जांयगे।

(५) सूची नं० ४ में उन तमाम मनुष्यों के नाम और पते लिखे जांयगे, जिन्होंने उस दस्तावेज को लिखा हो या जो उस दस्तावेज के द्वारा दावेदार हों जिसकी नकल बही नं० ४ में हुई हो।

(६) प्रत्येक सूची में वह अन्य बातें होंगी और उस नमूने की तैयारकी जायगी जैसी कि इन्स्पैक्टर जनरल की समयपर आज्ञा हो,

धारा ५६—(१) प्रत्येक सब रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रार को जिस के कि वह आधीन हो, उन अवधियों पर जो इन्स्पैक्टर जनरल समय २ पर आज्ञा दें, उन तमाम लेखों की एक नकल जो उक्त सब रजिस्ट्रार ने उक्त अवधियों में से अन्तिम अवधि में सूची नं० १, २, और ३ में लिखे हों भेजा करेगा।

सूची नं० १, २ तथा ३ के लेखों की नकल सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार को भेजी जायगी

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रार जो उक्त नकल प्राप्त करे उसे दाखिल दफतर करेगा।

धारा ५७—[१] उन फीसों की पूर्व अदायगी के आधीन जो उस सम्बन्ध में देय हों, बही नं० १ और २ तथा बही नं० १ के सम्बंध की सूचियां, हर समय उस मनुष्य द्वारा निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी जो उनके निरीक्षण की प्रार्थना करे, और धारा ६२ की आज्ञाओं के आधीन, उक्त बहियों के लेखों की नकलें, उक्त नकलों के लिये प्रार्थना करने वाले मनुष्यों को दी जांयगी।

रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी किन २ बहियों और सूचियों के निरीक्षण की अनुमति देंगे और उनके लेखों की शुद्ध नकल देंगे

(२) उन्हीं आज्ञाओं के आधीन, बही नं ३ और उसके सम्बन्ध की सूची के लेखों की नकलें उन दस्तावेज़ के लिखने वाले मनुष्यों को दी जांयगी जिन से कि उक्त लेख सम्बन्धित हों, या उनके मुख्तारों को, और लिखने वालों की मृत्यु के पश्चात (पहिले नहीं) हर किसी ऐसे मनुष्य को जो उक्त नकलों के लिये प्रार्थना करे।

(३) उन्हीं आज्ञाओं के आधीन, बही नं ४ और उसके सम्बन्ध की सूची के लेखों की नकलें ऐसे मनुष्य को दी जांयगी जिसने उन दस्तावेजों को लिखा हो या जो उन दस्तावेजों के अनुसार दावेदार हो जिनको उक्त लेख क्रमशः निरूपित करते हों, या उसके मुख्तार या प्रति निधि को दी जांयगी।

(४) बही नं ३ और ४ के लेखों की इस धारा के अनुसार अभीष्ट खोज केवल रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी द्वारा की जायगी।

(५) तमाम नकलों पर जो इस धारा के अनुसार दी जांय, रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होगी, और असली दस्तावेजों के अन्तर्गत विषयों के प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिये स्वीकृति-योग्य होगी।

[क] रजिस्टरी के लिये दस्तावेज स्वीकार करने पर कार्य—प्रणाली

रजिस्टरी के लिये स्वीकृत दस्तावेजकी पीठ पर क्या २ बातें लिखी जांयगी।

धारा ५८—(१) प्रत्येक ऐसे दस्तावेजकी पीठ पर, जो रजिस्टरीके लिये स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु जो डिग्री या आज्ञा की नकल न हो या वह नकल न हो जो धारा ८९ के अनुसार रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के पास भेजी गई हो, समय २ पर निम्न लिखित लिखी जांयगी, अर्थात्—

(क) प्रत्येक ऐसे मनुष्य का हस्ताक्षर और पता जो दस्तावेज सम्पन्न करना स्वीकार करता हो, यदि किसी मनुष्य के प्रतिनिधि, नियोगी अथवा मुख्तार द्वारा उक्त सम्पन्नता स्वीकार की जाती हो, तो उक्त प्रतिनिधि, नियोगी या मुख्तार के हस्ताक्षर ऐसे सहित,

(ख) प्रत्येक ऐसे मनुष्य का हस्ताक्षर और उसका पता, जिसका उक्त दस्तावेज क सम्बन्ध में इस एक्ट की किसी आज्ञा के अनुसार इजहार लिया जाय, और

(ग) उस रुपये को चुकायाजाना या माल का दिया जाना जो रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के सामने दस्तावेज की सम्पन्नता के सम्बन्ध में हो,

और बदलपाने की कोई स्वीकृति, जो उक्त सम्पन्नता के सम्बन्ध में उस के सामने की गई हो।

[२] यदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज की सम्पन्नता स्वीकार करता हो दस्तावेज की पीठ पर हस्ताक्षर से इंकार करे, तो रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी तब भी उस की रजिस्टरी कर देगा परन्तु साथ ही साथ उक्त इंकारके सम्बन्ध में एक याददाश्त दस्तावेजकी पीठ पर लिख देगा।

पृष्ठ लेखों पर रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी द्वारा तारीख और हस्ताक्षर होंगे।

धारा ५९—रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी उन तमाम, पृष्ठ लेखों पर जो उसी दस्तावेज के सम्बन्ध में धारा ५२ और धारा ५८ के अनुसार लिखे जांय और जो उसी दिन उस के सामने लिखे जांय, तारीख डाल देगा और ... क्षर कर देगा।

धारा ६०—(१) धारायें २४, ३५, ५८ तथा ५९ की उन आज्ञाओं के पालन हो जाने पश्चात् जो किसी ऐसे दस्तावेज से सम्बन्ध रखती हों जो रजिस्टरी के लिये पेश किया गया हो, रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी उस दस्तावेज़ की पीठ पर एक सार्टीफ़िकेट इस मजमून का कि रजिस्टरी किया गया, उस बही के नम्बर और पृष्ठ सहित लिख देगा जिस में कि दस्तावेज की नकल की गई हो।

रजिस्टरी का सार्टीफिकेट

(२) उक्त सार्टीफिकेट पर रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, मुहर लगायेगा और तारीख लिखेगा और तब वह यह प्रमाणित करने के प्रयेाजन के लिये स्वीकृति-योग्य होगा कि दस्तावेज़ की उचित रूप से उस विधि से रजिस्टरी होगई जिसकी इस एक्ट में आज्ञा है, और यह कि धारा ५९ में निरूपित पृष्ठ लेखों में वर्णित बातें उसी प्रकार हुई हैं जैसा कि उन में वर्णित है।

धारा ६१—(१) धारा ५९ और धारा ६० में निरूपित और वर्णित पृष्ठ लेख और सार्टीफिकेट रजिस्टर—बही के हाशिये पर नकल कियेजांयगे और धारा २१ में वर्णित नक़शे या चित्र (यदि हों) की नक़ल बही नं० १ में सम्मिलित की जायगी।

पृष्ठ लेख और सार्टीफिकेट नकल किये जांयगे और दस्तावेज़ वापिस कर दिया जायगा।

(२) तब दस्तावेज़ की रजिस्टरी सम्पूर्ण समझी जायगी, और तब दस्तावेज उस मनुष्य को जिसने उसे रजिस्टरी के लिये पेश किया हो, या उस अन्य मनुष्य को (यदि कोई हो) जिसे उसने धारा ५२ में वर्णित रसीद पर लिखकर इस संबंध में नियुक्त कर दिया हो, वापिस कर दिया जायगा।

धारा ६२—(१) जब कोई दस्तावेज धारा १९ के अनुसार रजिस्टरीके लिये पेशकिया जाये, तो असली दस्तावेज़ोंके रजिस्टर में अनुवाद की नकल की जायगी और वह धारा १९ में निरूपित नकल सहित दफ़्तर रजिस्टरी में दाखिल रहेगा।

उस भाषा में दस्तावेज पेश करने पर कार्य-प्रणाली जिस को रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी न जानताहो।

[क] रजिस्टरी के लिये दस्तावेज स्वीकार करने पर कार्य—प्रणाली

धारा ५८—(१) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की पीठ पर, जो रजिस्टरी के लिये स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु जो डिग्री या आज्ञा की नकल न हो या वह नकल न हो जो धारा ८९ के अनुसार रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के पास भेजी गई हो, समय २ पर निम्न लिखित लिखी जांयगी, अर्थात्—

रजिस्टरी के लिये स्वीकृत दस्तावेज की पीठ पर क्या २ बातें लिखी जांयगी।

(क) प्रत्येक ऐसे मनुष्य का हस्ताक्षर और पता जो दस्तावेज़ सम्पन्न करना स्वीकार करता हो, यदि किसी मनुष्य के प्रतिनिधि, नियोगी अथवा मुख्तार द्वारा उक्त सम्पन्नता स्वीकार की जाती हो, तो उक्त प्रतिनिधि, नियोगी या मुख्तार के हस्ताक्षर पते सहित,

(ख) प्रत्येक ऐसे मनुष्य का हस्ताक्षर और उसका पता, जिसका उक्त दस्तावेज़ के सम्बन्ध में इस एक्ट की किसी आज्ञा के अनुसार इजहार लिया जाय, और

(ग) उस रुपये को चुकाया जाना या माल का दिया जाना जो रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के सामने दस्तावेज की सम्पन्नता के सम्बन्ध में हो,

और बदलपाने की कोई स्वीकृति, जो उक्त सम्पन्नता के सम्बन्ध में उस के सामने की गई हो।

[२] यदि कोई मनुष्य जो दस्तावेज की सम्पन्नता स्वीकार करता हो दस्तावेज की पीठ पर हस्ताक्षर से इंकार करे, तो रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी तब भी उस की रजिस्टरी कर देगा परन्तु साथ ही साथ उक्त इंकारके सम्बन्ध में एक याददाश्त दस्तावेज़की पीठ पर लिख देगा।

धारा ५९—रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी उन तमाम, पृष्ठ लेखों पर जो उसी दस्तावेज़ के सम्बन्ध में धारा ५२ और धारा ५८ के अनुसार लिखे जांय और जो उसी दिन उस के सामने लिखे जांय, तारीख डाल देगा और हस्ताक्षर कर देगा।

पृष्ठ लेखों पर रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी द्वारा तारीख और हस्ताक्षर होंगे।

धारा ६०—(१) धाराएँ ३४, ३५, ५८ तथा ५९ की उन आज्ञाओं के पालन हो जाने पश्चात्

रजिस्टरी का सार्टीफिकेट

जो किसी ऐसे दस्तावेज से सम्बन्ध रखती हों जो रजिस्टरी के लिये पेश किया गया हो, रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी उस दस्तावेज़ की पीठ पर एक सार्टीफ़िकेट इस मज़मून का कि रजिस्टरी किया गया, उस बही के नम्बर और पृष्ठ सहित लिख देगा जिस में कि दस्तावेज की नकल की गई हो।

(२) उक्त सार्टीफिकेट पर रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, मुहर लगायेगा और तारीख लिखेगा और तब वह यह प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिये स्वीकृति-योग्य होगा कि दस्तावेज़ की उचित रूप से उस विधि से रजिस्टरी होगई जिसकी इस एक्ट में आज्ञा है, और यह कि धारा ५९ में निरूपित पृष्ठ लेखों में वर्णित बातें उसी प्रकार हुई हैं जैसा कि उन में वर्णित है।

धारा ६१—(१) धारा ५९ और धारा ६० में निरूपित और वर्णित पृष्ठ लेख और सार्टीफिकेट रजिस्टर—बही के हाशिये पर नकल किये जायेंगे

पृष्ठ लेख और सार्टीफिकेट नकल किये जायेंगे और दस्तावेज़ वापिस कर दिया जायगा।

और धारा २१ में वर्णित नक़शे या चित्र (यदि हों) की नक़ल बही नं० १ में सम्मिलित की जायगी।

(२) तब दस्तावेज़ की रजिस्टरी सम्पूर्ण समझी जायगी, और तब दस्तावेज उस मनुष्य को—जिसने उसे रजिस्टरी के लिये पेश किया हो, या उस अन्य मनुष्य को (यदि कोई हो) जिसे उसने धारा ५२ में वर्णित रसीद पर लिखकर इस संबंध में नियुक्त कर दिया हो, वापिस कर दिया जायगा।

धारा ६२—(१) जब कोई दस्तावेज धारा १९ के अनुसार रजिस्टरी के लिये पेश किया जाय, तो ऐसी दस्तावेज़ों के रजिस्टर में अनुवाद की नकल की जायगी और वह धारा १९ में निरूपित

उस भाषा में दस्तावेज पेश करने पर कार्य-प्रणाली जिस को रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी न जानता हो।

नकल सहित दफ़्तर रजिस्टरी में दाखिल रहेगा।

(२) पृष्ठ लेख और सार्टीफिकेट जिनका क्रमशः धारा ५९ और ६० में वर्णन हुआ है, असली दस्तावेज पर लिखे जायंगे, और धाराएं ५७, ६४, ६५ और ६६ द्वारा आवश्यकीय नकल और याददाश्त करने के प्रयोजनों के लिये, अनुवाद को ऐसा समझा जायगा मानों वही असली है।

धारा ६३— (१) प्रत्येक रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा पूर्वक किसी ऐसे मनुष्य पर शपथ उठवाये जिस का इज़हार वह इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार लेता हो।

शपथ देने का अधिकार और बयानों का सार लिखा जाना।

(२) प्रत्येक ऐसे अधिकारी को अपनी इच्छा पर यह भी अधिकार है कि वह प्रत्येक उक्त मनुष्य द्वारा दिये हुए बयान का सार लिख ले, और उक्त बयान उस मनुष्य को पढ़ कर सुनाया जायगा, या (यदि वह ऐसी भाषा में लिखा गया हो जिसे वह मनुष्य न जानता हो) उसे ऐसी भाषा में अनुवाद करके बतला दिया जायगा जिसे वह जानता हो, और जब वह उस लेख की शुद्धता स्वीकार करले तब रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा।

(३) प्रत्येक उक्त लेख, जिस पर हस्ताक्षर हुए हों, इस बात के प्रमाणित करने के लिये स्वीकृति-योग्य होगा कि बयान जो उसमें लिखे गये उन मनुष्यों द्वारा और उन दशाओं में लिखे गये हैं जिन का उस में वर्णन है।

(ग) सब रजिस्ट्रार के विशेष-कर्त्तव्य

धारा ६४— प्रत्येक सब रजिस्ट्रार, ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने पर जो मृत्यु पत्र न हो और जिस का सम्बन्ध ऐसी अचल सम्पत्ति से हो जो पूर्णतः उसके निज के उपजिले में स्थित न हो, उस दस्तावेज की याददाश्त लिखेगा, और उस पर के पृष्ठ लेख और सर्टीफ़िकेट (यदि हो) की भी याददाश्त लिखेगा और उसे प्रत्येक ऐसे अन्य सब रजिस्ट्रार

कार्य प्रणाली जब कि दस्तावेज़ ऐसी भूमि से सम्बन्ध रखता हो जो कई जिलों में स्थित हो।

के पास भेज देगा जो उस रजिस्ट्रार के आधीन हो जिसका कि वह स्वयं रजिस्ट्रार हो और जिसके उप ज़िलेमें उक्त सम्पतिका कोई अंश स्थित हो, और उक्त अन्य सब रजिस्ट्रार उस याददाश्त को अपनी बही नं० १ में शामिल कर लेगा।

धारा ६५—(१) प्रत्येक सब रजिस्ट्रार, ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने पर जो मृत्यु पत्र न हो और जिसका सम्बन्ध ऐसी अचल सम्पति से हो जो एक से अधिक जिलों में स्थित हो, उस दस्तावेज की नकल और उस पर के पृष्ठ लेख और सर्टीफिकेट (यदि हो) की नकल, उस नकशे या चित्र (यदि कोई हो) की नकल सहित जिस का वर्णन धारा २१ में हुआ है, प्रत्येक ऐसे जिले के रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिस में कि उक्त सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो, सिवाय उस जिले के जिस में कि उस का उपजिला स्थित हो।

कार्य प्रणाली जब कि दस्तावेज ऐसी भूमि से सम्बन्ध रखता हो जो कई ज़िलों में स्थित हो।

(२) रजिस्ट्रार उस के पाने पर अपनी बही नं० १ में दस्तावेज़ की नकल और उस नकशे या चित्र [यदि कोई हो] की नकल शामिल कर लेगा, और उस दस्तावेज़ की याददाश्त अपने अधीनस्थ प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिस के उप-जिलान्तर्गत उक्त सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो और प्रत्येक सब रजिस्ट्रार जो युक्त याददाश्त प्राप्त करेगा उसे अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

[घ] रजिस्ट्रार के विशेष कर्त्तव्य

धारा ६६—(१) किसी ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने पर जो मृत्यु पत्र न हो और जिस का सम्बन्ध अचल सम्पत्ति से हो, रजिस्ट्रार उक्त दस्तावेज़ की याददाश्त अपने अधीनस्थ प्रत्येक उस सब रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिस के उपजिले में उस सम्पत्ति का कोई अंश स्थित हो।

भूमि सम्बन्धी दस्तावेज़ की रजिस्ट्री पश्चात कार्य वाही

(२) रजिस्ट्रार उक्त दस्तावेज की एक नकल उस नकशे या चित्र (यदि हो) की नकल सहित जिस का वर्णन धारा २१ में

हुआ है प्रत्येक उस अन्य रजिस्ट्रार के भी पास भेज देगा जिस के जिले में कि उक्त सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो।

(३) उक्त अन्य रजिस्ट्रार उक्त नकल पाने पर उसे अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा और उस नकल की याददाश्त अपने अधीनस्थ प्रत्येक उस सब रजिस्ट्रार के पास भी भेज देगा जिस के उपजिले में कि उक्त सम्पत्ति का कोई अंश स्थित हो।

(४) प्रत्येक सब रजिस्ट्रार जो इस धारा के अनुसार याददाश्त प्राप्त करेगा, उसे अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

धारा ६७— धारा ३०, उपधारा (२) के अनुसार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री होनेपर उक्त दस्तावेज़ और उस के पृष्ठ लेख और सर्टीफिकेट की नक़ल, प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रार के पास भेज दी जायगी जिस के जिले में कि उस सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो जिस के सम्बन्ध में कि दस्तावेज़ हो, और उक्त नक़ल पाने वाला रजिस्ट्रार उस कार्य प्रणाली का अनुसरण करेगा जो धारा ६६ उप धारा (१) में नियत हुई है।

धारा ३०, उपधारा (२) के अनुसार रजिस्ट्री करने पश्चात कार्य वाही.

(ङ) रजिस्ट्रारों और इन्सपैक्टर जनरलों के प्रबन्धक-अधिकार

धारा ६८—(१) प्रत्येक सब रजिस्ट्रार अपने पद के कर्त्तव्यों को, उस रजिस्ट्रार की देख रेख और अध्यक्षता के आधीन जिस के ज़िले में कि उस सब रजिस्ट्रार का दफ़तर स्थित हो, सम्पन्न करेगा।

रजिस्ट्रार का यह अधिकार कि सब रजिस्ट्रारों की देख रेख और उन पर आधिपत्य रखे।

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रार को अधिकार प्राप्त होगा कि वह (शिकायत होने पर या अन्य था) ऐसी आज्ञा निकाले जो उस एक्ट के अनुसार हो और जिसे वह, अपने अधीनस्थ सब रजिस्ट्रार के किसी कार्य या कार्य-त्याग के सम्बन्ध में, या उस बही या दफ़तर सम्बन्धी किसी अशुद्धि के संशोधन के सम्बन्ध में, ... किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई हो, आवश्यकीय समझे

धारा ६९—(१) इन्सपैक्टर जनरल को अधिकार उन समस्त रजिस्ट्री के दफ़तरों पर सामान्य निगरानी करने का प्राप्त होगा जो स्थानीय गवर्नमेन्ट के आधीन प्रदेशों में स्थित हों, और उस को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह समय २ पर इस एक्ट के अनुकूल निम्न सम्बन्ध में नियम बनावे:—

इन्सपैक्टर जनरल का यह अधिकार कि रजिस्ट्री के दफ़तरों की देख रेख रखे और नियम बनावे।

(क) बहियों, कागज़ों और दस्तावेज़ों की सुरक्षा के लिये, और उक्त बहियों, कागज़ों और दस्तावेज़ों के नष्ट करने के लिये भी जिन का कि अधिक दिनों रखा जाना आवश्यकीय न हो;

(ख) यह निश्चय करने के लिये कि कौन २ सी भाषाएं प्रत्येक जिले में साधारणतः प्रयुक्त होने वाली समझी जायंगी,

(ग) यह निश्चय करने के लिये कि कौन २ प्रदेश धारा २१ के अनुसार करार दिये जायंगे;

(घ) उन जुरमानों की रक़मों के प्रबंध के लिये जो धारा २५ और ३४ के अनुसार क्रमशः किये जांय;

(ङ) उस इच्छा अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में जो धारा ६३ के अनुसार रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी को दिया गया हो;

(च) उस नमूने के प्रबन्ध के लिये, जिस में कि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी दस्तावेज़ों की याददाश्त रखेंगे;

(छ) उन बातों के निश्चय करने के लिये जो सूचियां नं० १, २, ३ तथा ४ में क्रमशः रखी जायंगी।

(ज) उन छुट्टियों के निश्चय करने के लिये, जो रजिस्ट्री के दफ़तरों में होंगी, और

(झ) साधारणतः, रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रारों की कार्य प्रणालियों के सम्बन्ध में।

(२) उक्त प्रकार रचित नियम स्वीकृति के लिये स्थानीय गवर्नमेन्ट के पास भेजे जायंगे, और उन के स्वीकृत हो जाने पश्चात् वह सरकारी गज़ट में प्रकाशित किये जायंगे, और प्रकाशित होने पर उन का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो वह इस एक्ट में सम्मिलित कर दिये गये हों।

धारा ७०—इन्सपैक्टर जनरल को अपनी इच्छा-अधिकार के प्रयोग में यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह पूर्णतः या अंशतः उस शेष को क्षमा कर दे जो उस जुरमाने के, जो धारा २५ या ३४ द्वारा वसूल हो और रजिस्ट्री की उचित फीस के बीच में हो।

इन्स्पैक्टर जनरल का जुरमाना माफ़ करने का अधिकार।

भाग १२

रजिस्ट्री से इन्कार करना

धारा ७१—प्रत्येक सब रजिस्ट्रार जो दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इस कारण के अतिरिक्त कि वह सम्पत्ति जिस से दस्तावेज़ सम्बन्धित हो उस के उप जिले के भीतर स्थित नहीं है, अन्य कारण से, इंकार करे तो वह अस्वीकृत की आज्ञा देगा और उक्त आज्ञा के कारणों को अपनी बही नं० २ में लिखेगा, और दस्तावेज़ की पीठ पर "रजिस्टरी से इंकार किया गया" लिख देगा; और उस मनुष्य के प्रार्थना पत्र देने पर जिस ने दस्तावेज़ लिखा हो या जो दस्तावेज के सम्बन्ध से दावेदार हो, बिना किसी फीस और अनावश्कीय विलम्ब के उक्त लिखित कारणों की एक नकल उसे दे देगा।

रजिस्ट्री से इन्कार करने के कारण लिखे जांयगे।

(२) कोई रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी उस दस्तावेज़ को जिस पर उक्त इंकार लिखा हो, रजिस्ट्री के लिये उस समयतक स्वीकार न करेगा जब तक कि आगामी वर्णित आज्ञाओं के अनुसार दस्तावेज़ रजिस्ट्री होने की आज्ञा न हुई हो।

धारा ७२—(१) सिवाय इस के कि लिखने से इन्कार करने के कारण दस्तावेज़ की रजिस्ट्री से इन्कार किया जाय, सब रजिस्ट्रार की उस आज्ञा से जिस के द्वारा दस्तावेज़ रजिस्ट्री के लिये अस्वीकार किया जाय, (चाहे उक्त दस्तावेज़ की रजिस्ट्री आवश्यकीय हो, अथवा अनवाश्यकीय) उस रजिस्ट्रार के यहां अपील होगी जिसके आधीन कि वह सब रजिस्ट्रार हो, यदि आज्ञा की तारीखसे ३० दिन के भीतर वह अपील

सब रजिस्ट्रार की आज्ञाओं के प्रतिकूल रजिस्ट्रार से अपील इत्यादि

पेश की जाय, उक्त रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह उस आज्ञा को मंसूख करदे या बदल दे।

(२) यदि रजिस्ट्रार की यह आज्ञा हो कि दस्तावेज़ की रजिस्ट्री की जाय, और इस आज्ञा के होने पश्चात ३० दिन के भीतर दस्तावेज़ रजिस्ट्री के लिये विधिवत पेश किया जाय, तो रजिस्ट्री कर्त्ता आज्ञा पालन करेगा, और तब सम्भवतयः उस कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जायगा जो धाराएं ५८, ५९ और ६० में नियत हैं, और उक्त रजिस्ट्री का वही प्रभाव होगा मानों दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री हुआ हो जब कि वह पहिली बार रजिस्ट्री के लिये विधि पूर्वक पेश किया गया था।

धारा ७३—(१) जबकिसी सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज की रजिस्ट्री से इस कारण से इंकार कर दिया हो कि वह मनुष्य जिसके द्वारा दस्तावेज़ का लिखा जाना प्रकट होता हो, या उसका प्रतिनिधि या नियोगिन, उस दस्तावेज़ की सम्पन्नता से इन्कार करता हो, तो वह मनुष्य जो उस दस्तावेज के सम्बन्ध से दावेदार हो, या उसका प्रतिनिधि, नियोगिन या उक्त कथित प्रकार अधिकार संपन्न मुख्तार, इन्कार की आज्ञा होने के पश्चात ३० दिन के भीतर उस रजिस्ट्रार से जिसके आधीन कि वह सब रजिस्टार हो, दस्तावेज़ रजिस्टरी कराने का स्वत्व स्थापन करने के अभिप्राय से प्रार्थना कर सकता है।

"दस्तावेज लिखने से इन्कार" के कारण पर रजिस्ट्रार से प्रार्थना

(२) उक्त प्रार्थना लेख बद्ध होगी और उसके साथ धारा ७१ के अनुसार लिखे गये कारणों की एक नकल भी होगी। और प्रार्थना पत्र के विवरण की तसदीक प्रार्थी उसी रीति से करेगा जो रीति कि अर्जीदावों की तसदीक के लिये कानून के अनुसार आवश्यकीय है।

धारा ७४—उक्त अवस्था में, और उस समय भी, जबकि उक्त इन्कार रजिस्ट्रार के सामने उस दस्तावेज़ के सम्बन्ध में किया जाय जो रजिस्ट्री के लिये उस के सामने पेश किया गया हो, रजिस्ट्रार सम्भवतः शीघ्र यह अन्वेषण करेगा:—

उक्त प्रार्थना पत्र पर रजिस्ट्रार की कार्यवाही

(क) कि दस्तावेज़ लिखा गया या नहीं;

(ख) कि प्रार्थी की ओर से या रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज़ पेश करने वाले मनुष्य की ओर से जैसी अवस्था हो, उस समय प्रचलित क़ानून की आज्ञाओं का पालन हुआ कि नहीं, ताकि दस्तावेज़ रजिस्ट्री हो सके।

रजिस्ट्रार की यह आज्ञा कि रजिस्ट्री की जाय और उस पर कार्य वाही

धारा ७५—(१) यदि रजिस्ट्रार यह निश्चय करे कि दस्तावेज़ सम्पन्न किया गया और उक्त आज्ञाओं का पालन किया गया तो वह दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिये आज्ञा दे देगा।

(२) यदि उक्त आज्ञा होने के पश्चात ३० दिन के भीतर दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये विधिवत पेश किया जाय, तो रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी उस आज्ञा का पालन करेगा और तब सम्भवतः उस कार्य प्रणाली का अनुसरण करेगा जो धाराएं ५८, ५९ और ६० में नियत हुई हैं।

(३) उक्त रजिस्ट्री का प्रभाव उसी समय से होगा मानो दस्तावेज़ की उसी समय रजिस्ट्री हुई हो जब कि वह पहिली बार रजिस्ट्री के लिये विधिवत पेश किया गया था।

(४) रजिस्ट्रार को अधिकार है कि धारा ७४ के अनुसार अन्वेषण करने के लिये गवाहों के नाम सम्मन भेज कर उन को हाजिर करादे और उन को गवाही देने के लिये अदालत दीवानी के समान विवश करे और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उक्त अन्वेषण के व्यय का कुल या कोई अंश कौन अदा करेगा, और उक्त व्यय इस प्रकार वसूल होगा मानो ज़ाब्ता दिवानी सन १९०८ के अनुसार किसी नालिश का व्यय हो।

रजिस्ट्रार द्वारा इंकार की आज्ञा

धारा ७६—(१) प्रत्येक रजिस्ट्रार जो (क) किसी दस्तावेज को इस कारण के अतिरिक्त कि दस्तावेज़ सम्बन्धी सम्पत्ति उस जिले में स्थित नहीं है, और कारण पर रजिस्ट्री करने से इंकार करे, या (ख) धारा ७२ या धारा ७५ के अनुसार किसी दस्तावेज़ [रजिस्ट्री] की आज्ञा देने से इंकार करे।

तो वह इंकार की आज्ञा देगा और उक्त आज्ञा के कारणों को अपनी बही नं० २ में लिखेगा, और किसी ऐसे मनुष्य की प्रार्थना पर जिस ने दस्तावेज लिखा हो या जो दस्तावेज के सम्बन्ध से दावेदार हो, उक्त कारणोंकी एक नकल बिना अनावश्यकीय विलम्ब के दे देगा।

(२) इस धारा या धारा ७२ के अनुसार रजिस्ट्रार की किसी आज्ञा के प्रतिकूल अपील न होगी।

धारा ७७—— (१) जब कि रजिस्ट्रार धारा ७२ या धारा ७६ के अनुसार दस्तावेज की रजिस्ट्री की आज्ञादेनेसे इंकारकरे, तो कोई मनुष्य जोदस्तावेजके सम्बन्धसे दावेदार हो या उसका प्रतिनिध, नियोगिन या मुख्तार, इंकारी आज्ञा होने के पश्चात ३० दिन के भीतर दसदीवानीअदालतमें जिसके प्रारम्भिकविचार अधिकारकीस्थानीय सीमाओं के अन्तरगत वह दफ्तर स्थित हो जहां कि दस्तावेज की रजिस्ट्री चाही गई हो, इस अभिप्राय से नालिश दायर कर सकता है कि डिगरी उक्त दफ्तर में दस्तावेज रजिस्ट्री कराने के लिये दी जाय, यदि उक्त डिग्री होने की तारीख से ३० दिन के भीतर रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज़ विधि पूर्वक पेश किया जाय।

रजिस्ट्रार द्वारा इंकारी आज्ञा होने की अवस्था में नालिश

(२) धारा ७५ की उपधारा (२) और (३) की आज्ञाएं परिवर्त्य शब्दों के परिवर्त्तन के साथ उन तमाम दस्तावेजों से सम्बन्धित है जो किसी उक्त डिग्री के अनुसार रजिस्ट्री के लिये पेश किये जांय, और चाहे इस कानून में कुछ ही क्यों न हो, वह दस्तावेज ऐसी नालिश के प्रमाण में लिया जा सकेगा।

भाग १३

रजिस्ट्री, खोज और नकलों की फीस

धारा ७८— सकोन्सिल गवर्नर जनरल की स्वीकृतिके आधीन, स्थानीय गवर्नमेन्ट उन फीसों की सूची तैयार करेगी जो देय हों:—

स्थानीय गवर्नमेन्ट फ़ीस नियत करेगी

(क) दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिये,

(ख) रजिस्टरों की खोज के लिये,

(ग) रजिस्ट्री से पहिले, रजिस्ट्री के समय या उसके पश्चात, कारणों, लेखों या दस्तावेजों की नक़लें तैयार करने या देने के लिये,

और एक सूची ऐसी अतिरिक्त फीसों की तैयार करेगी जो देय हों।

(घ) धारा ३० के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्री के लिये,

(ङ) कमीशनों के जारी करने के लिये,

(च) अनुवाद सम्मिलित करने के लिये,

(छ) निवास स्थानों पर जाने के लिये,

(ज) दस्तावेजों के संरक्षण और वापिसी के लिये,

(झ) उन अन्य बातों के लिये जो स्थानीय गवर्नमेन्ट इस एक्ट के अभिप्रायों को प्रभावित करने के लिये आवश्यक समझे।

धारा ७६— फीसों का छपना | उक्त देय फीसों की एक सूची स्थानीय गज़ट में प्रकाशित की जायगी और उस की एक नक़ल अंग्रेज़ी में और जिले की देशी भाषा में सर्व साधारण के देखने के लिये प्रत्येक रजिस्ट्री के दफतर में लटकायी जायगी।

धारा ८०— फ़ीसें दस्तावेज़ों के पेश करते समय देय होंगी। | इस एक्ट के अनुसार दस्तावेजों की रजिस्ट्री की समस्त फीसें उन दस्तावेजों के पेश करने के समय देय होंगी।

भाग १४

दण्ड

धारा ८१—प्रत्येक रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हो और प्रत्येक मनुष्य जो इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये उस के दफतर में नियुक्त हो और जिस के सुपुर्द ऐसे दस्तावेज का पृष्ठ लेखन, नकल, अनुवाद या रजिस्टरी करना हो, जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार पेश किया जाय या जमा किया जाय, उस दस्तावेज को उस विधि से पृष्ठ-लेखन, नकल, अनुवाद

हानि पहुंचाने के विचार से दस्तावेजों के अशुद्ध पृष्ठलेखन नकल करने, अनुवाद करने या रजिस्टरी करने के कारण

या रजिस्टरीकरे जिसे वह अशुद्ध जानता हो या जिस के वह अशुद्ध होने का विश्वास करता हो और उस से उस की यह नीयत हो कि वह किसी मनुष्य को वह हानि जिस की परिभाषा भारतीय दण्ड-संग्रह में दी हुई है पहुंचाये या वह यह जानता हो कि उस से उसे सम्भवतः हानि होगी तो उस मनुष्य को ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि सात वर्ष तक हो सकती है या जुरमान या दोनों दण्ड मिलेंगे।

धारा ८२—जो कोई—

झूंठा बयान करने, झूंठी नकल या अनुवाद दाखिल करने, अपने को अन्य मनुष्य बताने और अपराध की सहायता के कारण दण्ड।

(क) इस एक्ट की पालना में काम करते हुए किसी अधिकारी के सामने, इस एक्ट के अनुसार किसी कार्यवाही या अन्वेषण में, जान बूझ कर झूंठा बयान दे, चाहे वह शपथ पूर्वक हो या न हो और चाहे वह लिख गया हो या न लिखा गया हो। या

(ख) धारा १९ या धारा २१ के अनुसार किसी कार्यवाही में रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी को दस्तावेज़ की झूंठी नकल या झूंठा अनुवाद दे, या नक्शे या चित्र की झूंठी नक़ल दे, या

(ग) असत्यता से अपने को अन्य मनुष्य बतावे, और उक्त कल्पित रूप में कोई दस्तावेज़ पेश करे, स्वीकृत करे या बयान करे या समन या कमीशन निकलवाये या इस एक्ट के अनुसार किसी कार्यवाही या अन्वेशण में कोई अन्य कार्य करे; या

(घ) इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय किसी कार्य की सहायता करे;

उस को ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि सात वर्ष तक हो सकती है या उस को जुरमाना या दोनों दण्ड मिलेंगे।

धारा ८९—(१) प्रत्येक अधिकारी जो लेन्ड इम्प्रूवमेन्ट लोन्स एक्ट सन् १८८३ के अनुसार ऋण स्वीकार करे, अपनी आज्ञा की नकल उस रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारी के पास भेजेगा जिस के अधिकारों की स्थानीय सीमाओं के अन्तरगत् उस सम्पत्ति का कुल या कोई भाग हो जिस की प्रतिष्ठा की वृद्धि की जाय, या जो ज़मानत की भांति स्वीकार की जाय, और उक्त रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी उस नक़ल को अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

कुछ आज्ञाओं, सर्टीफिकेटों, और दस्तावेजों की नकलें रजिस्टरी कर्त्ता अधिकारियों के पास भेजी जांयगी और वह दाखिल दफ़तर होंगी।

(२) प्रत्येक अदालत जो जाब्ता दीवानी सन १९०८ के अनुसार अचल सम्पत्ति के नीलाम का सर्टीफिकेट दे, वह उक्त सरटीफिकेट की एक नकल उस रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के पास भेजेगी जिस के इलाके में वह कुल सम्पत्ति या उस का कोई भाग जो सर्टीफिकेट में हो, स्थित हो, और उक्त अधिकारी उस नक़ल को अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

(३) प्रत्येक अधिकारी जो कानून कृषक-ऋण सन् १८८४ के अनुसार ऋण दे, उस दस्तावेज़ की नक़ल जिस के द्वारा अचल सम्पत्ति ऋण परिशोध की ज़मानत के लिये रहन रखी हो, और यदि उसी अभिप्राय के लिये उक्त सम्पत्ति ऋण देने की आज्ञा द्वारा रहन रखी हो तो उस आज्ञा की भी एक नक़ल उस रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के पास भेज देगा जिस के इलाके में उक्त प्रकार रहन कुल सम्पत्ति या उस का कोई अंश स्थित हो, और उक्त रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी नकल या नक़लों को जैसी अवस्था हो, अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

(४) प्रत्येक माल अधिकारी जो उस अचल सम्पत्ति के क्रेता को नीलाम का सर्टीफिकेट दे जो सार्वजनिक नीलाम में बेची गई हो, उस सर्टीफिकेट की नक़ल उस रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के पास भेज देगा जिस के इलाक़ै में वह कुल सम्पत्ति या उस का कोई अंश जो सर्टीफिकेट में हो, स्थित हो, और वह उस नक़ल को अपनी बही नं० १ में सम्मिलित कर लेगा।

कानून से छूट

धारा ९० -(१) इस एक्ट की, या भारतीय कानून रजिस्ट्री सन् १८७७ की, या भारतीय कानून रजिस्ट्री सन् १८७१ की या उस के द्वारा मंसूख किसी कानून की,

कुछ ऐसे दस्तावेज़ों की रक्षा जो गवर्नमेन्ट की ओर से या नाम लिखे गये हों।

किसी बात से यह न समझा जायगा कि निम्न लिखित दस्तावेज़ों या नक्शों की रजिस्ट्री आवश्यकीय है या किसी समय थी, अर्थात्

(क) दस्तावेज़ जो मालगुजारी के बंदोवस्त या तरमीम बंदोवस्त में नियुक्त अधिकारी ने जारी किये, प्राप्त किये या तसदीक़ किये हों और जो उक्त बंदोवस्त की मिसलों के भाग हों, या

(ख) दस्तावेज़ और नक्शे, जो किसी भूमि की माप या तरमीम माप करने में सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी ने जारी किये, प्राप्त किये या तसदीक किये हों और उक्त माप की मिसलों के भाग हों, या

(ग) दस्तावेज़ जो किसी प्रचलित कानून के अनुसार, माल के दफ़तर में पटवारियों या अन्य अधिकारियों द्वारा, जिन के सुपुर्द कि गांव की मिसलें तैयार करना हो, किसी नियत अवधि पर दाखिल किये जाते हों, या

(घ) सनदें या इनामी उपाधि-पत्र या अन्य लेख-पत्र जिन से सरकार द्वारा भूमि या उस के किसी स्वत्व का दिया जाना या प्रदान होना प्रकट हो; या

(ङ) सूचनाएं जो बम्बई की मालगुजारी संग्रह सन १८७९ की धारा ७४ या धारा ७६ के अनुसार मौरूसी कृषकों द्वारा मौरूसी कृषि छोडने के लिये दिये जांय, या स्थानान्तरित भूमि को छोड़ने के लिये उस के अधिकारियों की ओर से दी जांय।

(२) उक्त समस्त लेख-पत्र और नक्शे, धारा ४८ और ४९ के अभिप्रायों के लिये, ऐसे समझे जांयगे मानो वह इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार रजिस्ट्री किये गये हैं या रजिस्ट्री किये जाने वाले हैं।

धारा ९१—उन नियमों और उस फीस के पहले देने के आधीन जो स्थानीय गवर्नमेन्ट इस सम्बंध में नियत करे, धारा ९० खण्ड (क), (ख), (ग), और (ङ) में वर्णित लेख-पत्र और नक़शे और खण्ड (घ) में वर्णित लेख पत्रों के रजिस्टर, उस मनुष्य के निरीक्षण के लिये जो देखने की प्रार्थना करे, खुले रहेंगे, और उक्त कथित के आधीन, उक्त लेख—पत्रों की नकलें, उन नकलों के लिये प्रार्थी सब मनुष्यों को दी जायगी।

उक्त दस्तावेज़ों का निरीक्षण और नकलें

धारा ९२—समस्त नियम जो लोअर बरमामें भारतीय रजिस्टरी के कानून सन १८७७ के आरम्भ से पहिले से रजिस्टरी के सम्बन्ध में हैं, यह समझा जायगा कि कानून का प्रभाव रखेंगे। और कोई नालिश या अन्य कार्य वाही किसी अधिकारी या अन्य मनुष्य के प्रतिकूल उस कार्य के सम्बन्ध में न हो सकेगी जो उक्त नियमों के अनुसार किया गया हो,

बरमा सम्बन्धी रजिस्टरी के नियम कानून का प्रभाव रखेंगे

मंसूखी

धारा ९३—[१] सूची-वर्णित कानून वहां तक मंसूख हुए हैं जहां तक उनका निरूपण चौथे कोष्ठमें हुआ है।

मंसूखियां

[२] इस कानून की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह किसी ऐसे कानून की आज्ञाओं को प्रभावित करेगा जो ब्रिटिश भारत के किसी भाग में प्रचलित हो और जो इस एक्टसे प्रत्यक्षतः मंसूख न हुआ हो।

सूची

कानूनों की मंसूखी

(देखिये धारा १३)

र्ष	नं०	छोटा नाम	कहां तक मंसूख हुए
८७७	३	भारतीय रजिस्टरी का कानून सन १८७७	कुल
८७९	१२	रजिस्टरी और समाअत का संशोधक कानून सन १८७९	जितना मंसूख नहीं हुआ था
८८३	१९	भूमि प्रतिष्ठा वर्द्धक ऋणों का कानून सन १८८३	जितनी धारा १२ मंसूख नहीं हुई
८८६	७	भारतीय रजिस्टरी का कानून सन १८८६	कुल
८८८	७	जाब्ता दीवानी का संशोधक कानून १८८८	जितना कि मंसूख नहीं हुआ
८९१	१२	संशोधक कानून सन १८९१	एक्ट ३ सन १८७७ सम्बन्धी दूसरी सूची के लेख
८९९	१७	भारतीय रजिस्टरी का संशोधक कानून १८९९	कुल

कलाई पर बांधने की खूबसूरत

सुनहरी चूड़ीदार घड़ी

गारन्टी ६ वर्ष



यह घड़ी बहुत ही खूबसूरत तथा लासानी है इसमें कारीगरों ने तो बड़ा ही तारीफ का काम किया है कि कलाई चाहे जितनी छोटी या पतली हो सब में अच्छे प्रकार आ सकती है स्त्रियों के, लिये तो यह एक अमूल्य रत्न खूबसूरती की जान है वह इस को बड़े चाव से सोने के जेवर के आगे पहन कर अपने प्यारे को रिझाती हैं मज़बूती और पायेदारी में तो अपनी सानी नहीं रखती नं० ११५ मूल्य १०) नं० ११६ जिसमें नग जड़े हुए १२)

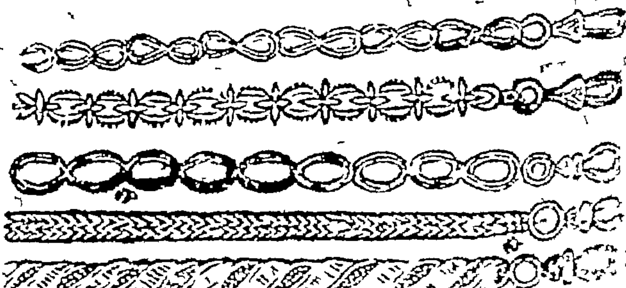
फैन्सी रिस्ट वाच

गारन्टी १० वर्ष



यह रिस्ट वाच बड़ी अपनी खूबसूरती और मज़बूती में अपनी सानी नहीं रखती इसमें लीवर और ओइल लगे हुए हैं जो घोड़े की सवारी तथा कूद फांद में भी कभी बन्द नहीं होती इसके पुरजे भी पालिशदार और मज़बूत हैं मू० १२)

घड़ी की फैन्सी चैन



यह घड़ी की चैन बहुत खूबसूरत और फैंसी मज़बूत बनी हुई हैं जिनके ऊपर सोने तथा चांदी का पक्का मुलम्मा किया गया है मूल्य चांदी के मुलम्मे की ।||) और सोने के मुलम्मे की १) है आर्डर देते समय चैन का नम्बर तथा चांदी या सोने की अवश्य लिखना चाहिये ।

पता—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी, पी, कंपनी अलीगढ़ सिटी

हिन्दी में

क़ानून डाकख़ाना १८९८

अर्थात्

एक्ट ६ सन् १८९८

(संशोधित)

अनुवादक

ला० प्यारेलाल वृष्णिः मुख्तार अलीगढ

मिलने का पता—

बा. गंगाप्रसाद गुप्त बुकडिपो

डी० पी० कम्पनी अलीगढ सिटी।

दूसरी बार १००० सन् १९२० ई० मूल्य प्रति पुस्तक ॥)

Printed by P. Davdatt Sharma at the Anglo Sanskirt Press, Aligarh.

Published by B. Ganga Prasad Gupta Sulzi Mandi Algarh City.

* ओरेम् *

क़ानून डाकखाना १८९८

एक्ट नंबर ६ सन् १८९८

—·○:○·—

विषय-सूची

—○:*:○—

पहिला अध्याय

प्रारम्भिक

———

दूसरा अध्याय

गवर्नमेंट का स्वत्व रक्षा।

———

तीसरा अध्याय

डाक व्यय।

७. देशी डाक व्यय का भाव नियत करने का अधिकार।
८. कुछ अवस्थाओं में डाक व्यय और फ़ीस देने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।
९. रजिस्ट्री किये हुये समाचार पत्रों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।
१०. विदेशी डाक व्यय के भावों के निर्धारण करने का अधिकार।
११. डाक व्यय देने की ज़ुम्मेदारी।
१२. डाक-वस्तु सम्बन्धी डाक-व्यय और अन्य रकमों का जो पावना हो वसूल करना।
१३. परमट का महसूल जो डाकखाना दे वह डाक-व्यय समान वसूल किया जायगा।
१४. डाकखाने के चिन्ह, कुछ बातों के, जो उन से प्रकट हों प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
१५. सरकारी चिन्ह डाक व्यय के परिमाण का प्रमाण होगा।

चौथा अध्याय

डाक की टिकटें।

१६. डाक की टिकटों का प्रयोजन, और उनके विषय में नियम बनाने का अधिकार।
१७ डाक की टिकटें सरकारी आय के लिये टिकटें समझी जायगी।

पांचवां अध्याय

डाक की वस्तुओं के भेजे जाने की शर्तें।

१८. डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक की वस्तु का प्रेषक को फिर देना।
१९. डाक द्वारा हानि कर वस्तु के भेजे जाने का निषेध है।

२०. डाक द्वारा असभ्यता पूर्ण आदि वस्तु के भेजे जाने का निषेध है।

२१. डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।

२२. कुछ डाक की वस्तुओं का भेजना या देना स्थगित करने का अधिकार।

२३. डाक की उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार जो एक्ट के प्रतिकूल डाक में भेजने के लिये दी जांय।

२४. डाक की ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार जिन में वर्जित या महसूली माल हो।

२५. डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में विज्ञापित माल को रोकने का अधिकार।

२६. सार्व जनिक लाभ के लिये डाक की वस्तुओं के रोक देने का अधिकार।

२७. डाक की उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार जो बाहर से आई हों और जिन पर जाली या पूर्वप्रयुक्त टिकटें लगी हों।

छटवां अध्याय

रजिस्ट्री, वीमा और वैल्यू पेविल डाक

२८ डाक की वस्तुओं की रजिस्ट्री।

२९ रजिस्ट्री के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।

३०. डाक की वस्तुओं का वीमा।

३१. डाक की वस्तुओं के वीमा की आज्ञा देने का अधिकार।

३२. वीमा सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार।

३३. वीमा की हुई डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में जुम्मेदारी।

३४. वैल्यू पेविल डाक की वस्तुओं का डाक द्वारा भेजा जाना।

३५. वैल्यू पेविल डाक की वस्तुओं के संबन्ध में नियम बनाने का अधिकार।

३६. अन्य देशों के साथ प्रबन्धों को प्रभावित करने का अधिकार।

सातवां अध्याय

बिना दी हुई डाक की वस्तुएं

३७. विना दी हुई डाक की वस्तुओं के विषय में कार्यवाही करने के नियम बनाने का अधिकार।

३८. पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में बिना दी हुई डाक वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्य वाही।

३९. बिना दी हुई डाक की वस्तुओंके सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही।

आठवां अध्याय

जहाज़ की चिट्ठियां

४०. ऐसे जहाज के नाविक का कर्त्तव्य जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी बन्दर गाह से डाक के थैले लेकर रवाना हो और जो डाक का जहाज़ न हो।

४१. ऐसे जहाज़ के नाविक का कर्त्तव्य जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी बन्दर गाह में आवे, डाक की उन वस्तुओं और थैलों के संबंध में, जो जहाज पर हो।

४२. डाक के जहाजों के अतिरिक्त अन्य जहाजों द्वारा डाक की वस्तुओं के आवागमन के लिये पारतोषिक-प्रदान।

नवां अध्याय

मनी आर्डर्स

४३. मनीआर्डर-प्रणाली के स्थिर रखने और उस के द्वारा रुपया भेजने के संबन्ध में नियम बनाने का अधिकार।

४४. मनी आर्डर के वापिस मंगाने या रुपया पाने वाले का नाम बदलने के सम्बन्ध में रुपया भेजने वाले का अधिकार।

४५. पोस्टल आर्डर के जारी करने के सम्बन्ध में आज्ञा देने का अधिकार।

४६. अन्य देशों के साथ प्रबन्धों को प्रभावित करने का अधिकार।

४७. ऐसे मनीआर्डर का वसूल करना जो अन्य मनुष्य को दे दिया गया हो।

४८. मनीआर्डर के सम्बन्ध में उत्तर दायत्व-मुक्ति।

दसवां अध्याय

दण्ड और कार्य

डाकखाने के कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध

४९. डाक के थैले या डाक की वस्तुओं के ले जाने या देने के लिये नियुक्त हुए मनुष्य को दुराचरण के कारण दण्ड।

५०. डाक के थैले या डाक की वस्तुओं के लेजाने या देने के लिये नियुक्त मनुष्य को, बिना अनुमति या सूचना के, जान बूझ कर कर्त्तव्य त्याग देने के कारण दण्ड।

५१. डाक की वस्तुओं के लेजाने या देने के लिये नियुक्त मनुष्य द्वारा रखे हुए रजिस्टर में झूठा लेख लिखने के कारण दण्ड।

५२. डाक की वस्तुओं के चुराने, अनुचित दुरुपयोग करने, छिपाने नष्ट करने या फेंक देने के कारण दण्ड।

५३. डाक की वस्तुओं के खोलने, रोकने या उनके सम्बन्ध में विलम्ब करने के कारण दण्ड।

५४, सरकारी चिन्हों के संबंध में धोका करने और अधिक डाक व्यय लेने के कारण दण्ड।

५५. डाक खाने के लेख-पत्रों को छलत तैयार करने, बदलने, छिपाने या नष्ट करने के कारण दण्ड।

५६. छलत डाकखाने को डाक व्यय-अप्राप्त-वस्तुएं भेजने के कारण दण्ड।

५७. उन अपराधों का दण्ड जो ब्रिटिश इण्डिया के बाहर भारत वर्ष में हों।

अन्य अपराध।

५८ धारा ४ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड।

५९. धारा ५ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड।

६०. धारा १६ के अनुसार नियमों के तोड़ने के कारण दण्ड।

६१. धारा १९ या २० की प्रतिकूलता के कारण दण्ड।

६२ डाकखाने के लैटर बक्सों को बिगाड़ने या हानि पहुंचाने के कारण दण्ड।

६३. डाकखाने या डाकखाने के लैटर बक्स पर बिना आज्ञा कोई

चीज लगाने, रंग करने,अलकतरा पोतने या उसको भद्दा बनाने के कारण दण्ड ।

६४. असत्य प्रकाश करने के कारण दण्ड ।

६५. धारा ४० या धारा ४१ की आज्ञाएं न मानने के कारण जहाज के नाविक को दण्ड ।

६६. बंदरगाह में आने वाले जहाज पर चिट्ठियों के रोक रखने के कारण दण्ड ।

६७ मेल के रोकने या मेल के थैलों के खोलने के कारण दण्ड ।

६८. भूल से दी हुई डाक वस्तुओं को और डाक के थैलों को रोक रखने के कारण दण्ड ।

६९. कानून के प्रतिकूल चिट्ठियों के बदलने के कारण दण्ड ।

सामान्य

७०. इस एक्ट के अपराधों में सहायता करने या प्रयत्न करने के कारण दण्ड ।

७१. अपराधों की अवस्था में माल डाकखाने में रखा जायगा ।

७२. इस एक्ट की कुछ धाराओं के अनुसार नालिशें करने की अनुमति ।

ग्यारहवां अध्याय

परिशिष्ट

७३. जिमींदारी और जिले की अन्य डाक ।

७४ इस एक्ट के अनुसार नियमों के संबन्ध में नियम और आज्ञाएं बनाने का सामान्य अधिकार ।

७५ नियम रचना अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों का डाइरेक्टर जनरल को दिया जाना ।

७६. मंसूखी ।

७७. छूट ।

पहिली सूची

देसी डाक व्यय का भाव ।

दूसरी सूची

जो मंसूख हुए ।

ओ३म्

एक्ट नं० ६ सन् १८९८

जो भारत के गवर्नर जनरल सकौन्सिल द्वारा पास हुआ (२२ मार्च १८९८ ई० को गवर्नर जनरल की स्वकृति प्राप्त हुई) भारत में डाक खाने सम्बधी कानून के संग्रह और संशोधन करने के लिये एक्ट।

चूंकि भारत में डाक खाने सम्बन्धी कानून का संग्रह और संशोधन करना उचित प्रतीत होता है अतएव निम्न लिखित आज्ञाएं प्रचारित होती हैं:—

पहिला अध्याय

प्रारम्भिक

धारा १, (१) इस एक्ट का नाम भारतीय डाक खाने का कानून सन् १८९८ हो सकता है।

छोटा नाम, विस्तार–सम्बन्ध और प्रचार–प्रारम्भ

(२) इस का विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में है जिस में अपर बरमा, ब्रिटिस बिलोचिस्तान, सन्थाल परगने, और सिपटी परगना साम्मिलित हैं, और इसका सम्बन्ध निम्न लिखित मनुष्यों से भी होगा:–

(क) साम्राज्ञी की समस्त देशी भारतीय प्रजा से जो ब्रटिश भरत के बाहर किसी स्थान में रहती हो।

(ख) अन्य समस्त ब्रटिश प्रजा से जो भारत में किसी देशी राजा या रईस के प्रदेश में रहती हो, और

(ग) साम्राज्ञी के समस्त सेवकों से, चाहे वे ब्रिटिश हों अथवा न हों और जो भारत में किसी देशी राजा या रईस के प्रदेश में रहते हों।

(३) यह एक्ट १ जौलाई सन् १८९८ से प्रभाव जनक होगा।

धारा. २ इस एक्ट में जब तक कि कोई बात उस के विषय

परिभाषाए। या भाषा के ढंग से उस के प्रतिकूल न हो,

(क) शब्द "डाइरेक्टर जनरल" से अभिप्राय * 'डाक और तार के डाइरेक्टर जनरल से है।

(ख) शब्द" देशी (Inland) " से जब कि किसी डाक की वस्तु के सम्बन्धमें प्रयोग किया जाय,यह अभिप्राय होगाः-

(१) जो ब्रिटिश इंडिया में डाक में डाली जाय और जिस पर ब्रिटिश इंडिया के स्थान को भेजे जाने का पता लिखा हो या ऐसे स्थान को भेजे जाने का पता लिखा हो जो ब्रिटिश इंडिया की सीमाओं के बाहर हो और जहां पर सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने डाक खाना स्थापित किया हो।

(२) जो ऐसे डाकखाने में डाक में डाली गई हो जिसे ब्रिटिश इण्डिया के बाहर सकौन्सिल गवर्नरजनरल ने स्थापित किया हो और जिस पर ऐसे स्थान का पता लिखा हो जहां पर उक्त प्रकार से डाक-खाना स्थापित हुआ हो या जो ब्रिटिश भारत में स्थित हो॥

(ग) शब्द" डाक का थैला" में ऐसा थैला, बक्स, पारसल या अन्य लिफाफा या खोल सम्मिलित है जिस में, डाक की वस्तुएं डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में ले जाई जाती हों, चाहे उस में ऐसी कोई वस्तु हो अथवा न हो।

(घ) शब्द "डाक के जहाज" से अभिप्राय उस जहाज से है जो भारतीय गवर्नमेंट, या साम्राज्ञी की गवर्नमेन्ट, या किसी ब्रिटिश राज्य के देश या अन्य देश की गवर्नमेन्ट द्वारा किये गये मुआहिदे या स्थाई प्रबन्ध के अनुसार डाक ले जाने के लिये नियुक्त हो।

(ङ) एक "डाक खाने के अधिकारी" में वह मनुष्य सम्मिलित है, जो डाकखाने के, या उसकी ओर से, किसी कार्य में नियुक्त किया गया हो।

(च) शब्द "डाक व्यय" से अभिप्राय उस महसूल से है जो डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के बदले में लिये जाने योग्य हो।

---

* यह शब्द " भारत के डाकखानों " के स्थान में एक्ट १४ सन १९१४ की धारा ३ के अनुसार रखे गये।

(छ) शब्द "डाक की टिकट" का अभिप्राय उस स्टाम्प से है जिनका सकाउन्सिल गवर्नर जनरल ने डाक व्यय, या उन अन्य फीसों या रकमों के प्रकट करने के लिये, जो इस एक्ट के अनुसार डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में चुकाने योग्य हों, प्रकट करने के लिये, आयोजन किया हो, और उसमें चिपकाये जाने वाले डाक के टिकट और ऐसे टिकट भी सम्मिलित हैं जो किसी लिफ़ाफ़े, खलीता, पोस्ट कार्ड या अन्य वस्तु पर छपे हुए, उभरे हुए, ठापे से चिन्हित किये हुए या और प्रकार से प्रकट किये गये हों।

(ज) शब्द "डाकखाना" में प्रत्येक ऐसा घर, भवन, कमरा, गाड़ी या स्थान सम्मिलित है जो डाकखाने के अभिप्रायों के लिये प्रयोग में आता हो, और प्रत्येक ऐसा लेटर बक्स भी सम्मिलित है जो डाकखाने द्वारा डाक की वस्तुओं की प्राप्ति के लिये संग्रहित किया गया हो।

(झ) शब्द डाक की "वस्तु" में चिट्ठी, पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, पैटर्न या सैम्पिल पैकेट, पारसल और प्रत्येक ऐसी वस्तु या पदार्थ सम्मिलित है जो डाक द्वारा भेजे जाने योग्य हो।

(ञ) शब्द "पोस्ट मास्टर जनरल" में डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल, या अन्य अधिकारी सम्मिलित है जो पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकार प्रयोग करता हो; और

(ट) शब्द "डाकखाना विभाग" से अभिप्राय उस विभाग का है *जो इस एक्ट की आज्ञाओं को प्रभाव में लाने के लिये स्थापित किया गया हो और * जिस के अध्यक्ष डाइरेक्टर जनरल हों।

धारा ३,

"डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में और" डेलीवरी [देना] के अर्थ

इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये, (क) डाक की वस्तु, उसके डाकखाने में दिये जाने के समय से उस समय तक डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में समझी जायगी जब कि वह पहुंच-पात्र

---

* यह शब्द एक्ट १९ सन् १९१४ की धारा २ के अनुसार बढ़ाये गये।

को दे दी जाय, या वह प्रेषक को लौटा दी जाय या सातवें अध्याय के अनुसार उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

(ख) किसी प्रकार की डाक की वस्तु के, चिट्ठीरसा या ऐसे मनुष्य को, जो उस प्रकार की डाक की वस्तुओं को, डाक में डालने के लिये, लेने का अधिकारी हो, दिये जाने से, डाकखाने को दिया जाना समझा जायगा।

(ग) डाक की वस्तु के पहुंच पात्र के मकान या दफ्तर में, या पहुंच-पात्र या उस के नौकर या कारिन्दा या ऐसे अन्य मनुष्य को जो पहुंच-पात्र को डाक की वस्तुओं के दिये जाने की साधारण रीति के अनुसार, उस वस्तु के लेने का अधिकारी समझा जाय, दिये जाने से, पहुंच-पात्र को दिया जाना समझा जायगा।

दूसरा अध्याय

गवर्नमेन्ट का स्वत्व और रक्षा

धारा ४ ब्रिटिश इण्डिया में जहां कहीं डाक या डाक के आवागमन के साधन सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किये जांय वहां सकौन्सिल गवर्नर जनरल को एक स्थान से दुसरे स्थान तक निम्न अवस्थाओं को छोड़कर डाक द्वारा तमाम पत्रों के लेजाने का सम्पूर्ण स्वत्व प्राप्त होगा, और उनको तमाम पत्रों के लेने, संग्रह करने, भेजने, रवाना करने और देने की आकस्मिक सेवाओं के करने का भी सम्पूर्ण स्वत्व प्राप्त होगा सिवाय निम्न अवस्थाओं के, अर्थात्:—

चिट्ठियों के लेजाने का सम्पूर्ण स्वत्व गवर्नमेन्ट के लिये रक्षित है

(क) उन चिट्ठियों के अतिरिक्त जो उन के लेने, लेजाने और देने के सम्बन्ध के किराये, पारतोषिक या अन्य लाभ या आय के बिना किसी विशेष मित्र द्वारा भेजी जांय ताकि वह अपने मार्ग, सफ़र या रास्ते में उस मनुष्य को देवे जिस के नाम कि वह चिट्ठियां हों।

(ख) उन चिट्ठियों के अतिरिक्त जो प्रेषक और पहुंच पात्र के पारस्परिक व्यवहारों से ही सम्बंधित हों और सो पत्र वाहक के हाथ इसी उद्देश से भेजी जांय।

(ग) उन चिट्ठियों के अतिरिक्त जो माल या सम्पत्ति के संबंध में हों और जो जल या थल से चिट्ठियों से सम्बन्ध रखने वाले माल या सम्पत्ति के साथ दिये जाने के लिये, उन के लेने, लेजाने या देने के बदले किराये, पारितोषिक, या अन्य लाभ या आय विना, भेजी जांय ।

परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात किसी मनुष्य को इस बात का अधिकार न देगी कि वह उक्त कथित अवस्थाओं को छोड़कर, डाक के अतिरिक्त अन्य रीति से भेजने के लिये पत्रों का संग्रह करे ।

(२) इस धारा और धारा ५ के अभिप्रायों के लिये "चिट्ठियों" में पोस्टकार्ड भी सम्मिलित है ।

धारा ५. जहां कहीं ब्रिटिश इण्डिया में सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा डाकखाने या डाक के आवागमन के साधन स्थापित हैं, वहां निम्न लिखित मनुष्यों के लिये पत्रों के संग्रह करने, लेजाने उपस्थित करने अथवा देने का, अथवा उनके लेजाने या दिये जाने के अभिप्राय से पत्रों के लेने का प्रत्यक्ष निषेध है ; यद्यपि वह ऐसा करने के बदले में किराया, पारितोषिक, लाभ या आय न भी पावे, अर्थात्:—

कुछ मनुष्यों के लिये चिट्ठियां ले जाने का प्रत्यक्ष निषेध है ।

(क) यात्रियों और माल के साधारण लेजाने वाले, नौकर या एजेन्ट, सिवाय उन चिट्ठियों के विषय में जो मुख्यता उनके छकड़ों या गाड़ियों के माल के सम्बन्ध में हों ।

(ख) वह जल के स्वामी और नाविक जो ब्रिटिश इण्डिया के नदी या नहर में या ब्रिटिश इण्डिया के बन्दरगाहों या स्थानों के बीच में चलते या आते जाते हों, और उन के नौकर या एजेन्ट, सिवाय उन चिट्ठियों के विषय के जो मुख्यतः उस माल के सम्बन्ध में हों जो उस जल यान में हों, और सिवाय उन डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध के जो अध्याय आठ के अनुसार ले जाने के लिये प्राप्त हुई हों ।

धारा ६, डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में किसी डाक की

नष्ट होने, डिलेवरी में भूल होने बिलम्ब होने या क्षति होने के उत्तर दायित्व से रक्षा

वस्तु के नष्ट होने, डिलेवरी में भूल होने, बिलम्ब होने अथवा क्षति होने के कारण, सकौन्सिल भारत सचिव उत्तरदायी न होंगे, सिवाय उतने के जितने के सम्बन्ध में सकौन्सिल गवर्नर जनरल खुले शब्दों में आगामी वर्णित आज्ञाओं के अनुकूल उत्तरदायी हुए हों, और न कोई डाकखाने का अधिकारी, उक्त हानि डिलेवरी में भूल, विलम्ब या क्षति के कारण उत्तरदायी होगा, जब तक कि उस ने धोखे से या जानबूझ कर अपने कार्य या कार्य त्याग से ऐसा न किया हो।

तीसरा अध्याय

डाक व्यय।

धारा ७, (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है

देशी डाक व्यय का भाव नियत करने का अधिकार

कि वह, भारतीय गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा, डाक व्यय और उन रकमों की शरहों को नियत करें जो डाक की उन वस्तुओं के संबंध में ली जाय जो इस ऐक्ट के अनुसार देशी डाक से भेजी जाय और उन को यह भी अधिकार होगा कि वे उन नाप तोल, नियमों और शर्त्तों के संबंध में नियम बनावें जिन के आधीन इस प्रकार नियत शरहें ली जांय।

परन्तु शर्त्त यह है कि डाक व्यय की सब से ऊंची शरह, यदि पहिले दे दी जाय तो वह उस शरह से बढ़ कर न होगी जो डाक की वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रथम सूची में वर्णित है॥

(२) जब तक कि उक्त कथनानुसार वैसी विज्ञप्ति न निकले, तब तक उक्त सूचीमें वर्णित शरहें वह शरहें होंगी जो इस ऐक्ट के अनुसार ली जाने योग्य होंगी।

(३) सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रकट करें कि कौन २ पैकेट इस ऐक्ट के अर्थों में, देशी डाक द्वारा पुस्तक, पैटने, या सैम्पिल पैकेट की भांति

सकते हैं।

धारा ८, सकौन्सिल गवर्नरजनरल को अधिकार है कि वे नियम द्वारा:—

कुछ अवस्थाओं में डाक व्यय और फीस लेने सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार

(क) देशी डाक की वस्तुओं पर या देशी डाक की वस्तुओं के किसी प्रकार पर डाक व्यय के पहिले अदा करने की आज्ञा दें और उस विधि का निर्द्धारण करें जिस के अनुसार कि पूर्व अदायगी होगी।

(ख) उस डाक व्यय का निर्धारण करें जो उस अवस्था में देशी डाक की वस्तुओं पर लिया जाय जब कि डाक व्यय पहिले अदा न किया जाय या पहिले कम अदा किया जाय

(ग) डाक की वस्तुओं पर दुबारा पता लिखने के सम्बन्ध में, अथवा उन वस्तुओं को, जिन पर दुबारा पता लिखा जाय, डाक द्वारा, बिना महसूल या कुल और महसूल लेकर जैसा कि नियमों में वर्णन हो, भेजने के सम्बन्ध में आज्ञाएं दें। और

(घ) डाक की वस्तुओं की "विशेषडिलेवरी" के लिये, उस डाक व्यय के अतिरिक्त या उस के स्थान में जो इस एक्ट के अनुसार उन पर लगाये जाने योग्य हो, फीस नियत करें।

व्याख्या—"विशेष डिलेवरी" का अभिप्राय है उस डिलेवरी से जो विशेष पत्र—वाहक अथवा विशेष प्रेषण—साधन द्वारा की जाय।

धारा ९, (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उन समाचार पत्रों की रजिस्ट्री के प्रबन्ध के लिये नियम बनावें जो रजिस्ट्री किये हुए समाचार पत्रों की भांति देशी डाक द्वारा भेजे जांय।

रजिस्ट्री किये हुए समाचार पत्रों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार

(२) उक्त रजिस्ट्री के अभिप्रायों के लिये, प्रत्येक प्रकाशन, जिस के कुल या अधिक भाग में राजनीतिक या अन्य समाचार अथवा उनके सम्बन्ध के या अन्य सामयिक विचार के लेख, विज्ञापन सहित

या रहित सम्मिलित हों, निम्न नियमों के अधीन समाचार पत्र समझा जायगा अर्थात्

(क) यह कि उस का प्रकाशन किसी संख्या में ऐसे समयान्तर पर होता है जो इकत्तीस दिन से अधिक न हो, और

(ख) यह कि उसके ग्राहकों की सच्ची सूची है।

(३) समाचार पत्र के अतिरिक्त या क्रोड़ पत्र जिस पर वह तारीख हो जो समाचार पत्र की हो, और जो उसके साथ भेजा जाय, समाचार पत्र का अंश समझा जायगा।

परन्तु शर्त यह है कि कोई ऐसा अतिरिक्त या क्रोड़ पत्र उस समय तक वैसा न समझा जायगा जब तक कि उसके कुल या अधिक भाग में समाचार पत्र के समान विषय न हो, और उस के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर समाचार पत्र का नाम और उस के प्रकाशन की तारीख न दी गई हो।

व्याख्या-इस धारा या इस के अनुसार बने नियमों की किसी बात से ऐसा अर्थ न लिया जायगा जिसके समाचार पत्रों का देशी डाक से भेजना आवश्यक हो जाय।

धारा १०, (१) जहां संयुक्त राज्य (अमरीका) से या

विदेशी डाक व्यय के भावों के निर्धारण करने का अधिकार

ब्रिटिश अधिकार या विदेश से, ब्रिटिश भारत और संयुक्त राज्य (अमरीका) या ब्रिटिश अधिकार या विदेश के बीच में डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के प्रबन्ध प्रचलित हों सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उन प्रबन्धों के अनुसार यह प्रकाशित करें कि उक्त डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या २ डाक व्यय की शरहें और अन्य रकमें ली जांयगीं, और यह भी अधिकार होगा कि वह उन नाप तोल, नियम और शर्तों के सम्बन्ध में नियम बनाय जिन के आधीन कि उक्त प्रकाशित शरहें ली जांयगी।

(२) जब तक कि उक्त कथनानुसार उक्त प्रकाशन न हो वर्त्तमान शरहें और नियम प्रचलित रहेंगे।

धारा ११.(१) डाक की किसी ऐसी वस्तु का प्राप्ति-पात्र

डाक व्यय देने की जुम्मेदारी |

जिस पर इस एक्ट के अनुसार डाक व्यय या अन्य रकम, जो ली जाने योग्य हो, पावना हो उस डाक की वस्तु की डिलेवरी स्वीकार करने पर उक्त प्रकार से लिये जाने योग्य डाक व्यय या अन्य रकम के देने के लिये वाध्य होगा, सिवाय उस अवस्था के जब कि वह उसे तुरन्त ही विना खोले वापिस करदे।

परन्तु शर्त यह है कि यदि पोस्ट मास्टर जनरल को सन्तोषके अनुसार यह मालूम हो कि डाक की उक्त कोई वस्तु अशुभेच्छा से प्राप्ति-पात्र को कष्ट पहुंचाने के लिये भेजी गई है तो उन को अधिकार होगा कि वह डाक व्यय क्षमा करदें।

(२) यदि डाक की कोई वस्तु, जिस पर डाक व्यय या अन्य रकम, जो इस एक्ट के अनुसार लेने योग्यहो पावना हो, उक्त कथनानुसार इन्कारकी जाय या वापिसकी जाय या यदि प्राप्ति-पात्र मर गया हो या मिल न सकता हो,तो प्राप्ति-पात्र उसडाक व्यय याअन्य रकम देने केलिये वाध्य होगा जो इस एक्टके अनुसार उसपर पावना हो।

धारा १२—यदि कोई मनुष्य किसी डाक की वस्तु के

डाक वस्तु सम्बन्धी डाक व्यय और अन्य रकमों का जो पावना हों, वसूल करना।

सम्बन्ध में कोई डाक व्यय या अन्य रकम जो इस एक्ट के अनुसार उससे पावना हो देने से इनकार करे, तो डाकखाना के उस अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिस को पोस्ट मास्टर जनरल की लिखित आज्ञा द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकार मिला हो, डाकखाने के लाभ के लिये, उस मनुष्य से जो इस प्रकार इन्कार करता हो, उक्त पावना रकम इस प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह ऐसा जुरमाना है जो इस एक्ट के अनुसार किसी ऐसे मजिस्ट्रेट ने किया हो जिसको उस स्थान में जहां कि वह मनुष्य उस समय रहता हो,विचार अधिकार प्राप्तहो,और पोस्ट मास्टर जनरल को यह आज्ञा देने का भी अधिकार होगा कि उस मनुष्य के नाम की डाक की अन्य कोई वस्तु जो सम्राज्ञी के सरकारी कार्य सम्बन्धी न हो उस को न दी जाय जब तक कि वह पावना रकम उक्त कथनानुसार अदा या वसूल न हो जाय।

धारा १३—जब डाक की कोई ऐसी वस्तु, जिसपर परमट का महसूल देयहो, डाकद्वाराकिसी ऐसे स्थानसे प्राप्तहो जो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के बाहरहो और किसी परमट के वन्दरगाह या अन्य स्थान पर डाकखाने के अधिकारियों द्वारा महसूल दिया गयाहो, तोइस महसूलकी रकम इस प्रकार वसूल करनेके योग्य होगी मानो वह इस एक्ट के अनुसार डाक व्यय था।

परमट का महसूल जो डाकखाना दे वह डाक व्यय समान वसूल किया जायगा

धारा १४—किसी ऐसे डाक व्यय या अन्य रकम के वसूल करने की प्रत्येक कार्यवाही में जो इस एक्ट के अनुसार डाक की वस्तुकेसम्वन्धमेंपावना वतलायाजाय

डाकखाने के चिन्ह, कुछ वातों के जो उन से प्रगट हों, प्रत्यक्ष प्रमाण है

(क) डाक की किसी ऐसी वस्तु का उपस्थित करना जिस पर डाकखाने का ऐसा सरकारी चिन्ह हो जिससे यह प्रकट हो कि उस वस्तु के लेने से इंकार किया गया, या कि प्राप्तिपात्र मरगया या मिल नहीं सकता उस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, जो उससे प्रगट होती हो, और

(ख) वह मनुष्य, जिसकी ओर से डाक की उस वस्तुका आना प्रगट होता हो, जवतक इसके प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, उस का प्रेषक समझा जायगा।

धारा १५, डाक की वस्तु पर सरकारी चिन्ह, जिस से यह प्रगट होता हो कि कोई डाक व्यय या अन्य रकम जो उस के सम्वंध में ब्रिटिश भारत के डाकखाने का, अथवा संयुक्त राज्य (अमरीका) या ब्रिटिश अधिकार या अन्य देश के डाकखाने का पावना हो इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि रकम जो उक्त कथनानुसार प्रकट होती हो, उक्त प्रकार पावना है।

सरकारी चिन्ह डाक व्यय के परिमाण का चिन्ह होगा

—— : ○ : ——

चौथा अध्याय

डाक के टिकट

डाक की टिकटों का अयोजन, और उन के विषय में नियम बनाने का अधिकार

धारा १६. (१) सकौंसिल गवर्नर जनरल, उस प्रकार के और उन मूल्य के प्रकट करने वाले, डाक के टिकटो का आयोजन करायेंगे जो वह इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये आवश्यकीय समझें।

(२) सकौन्सिल गवर्नर जनरल डाक के टिकटों के संग्रह, विक्रय और प्रयोग सम्बन्धी नियम बना सकते है।

(३) विशेषतः और उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता को बिना हानि पहुंचाये, उक्त नियम—

(क) मूल्य नियत कर सकते हैं जिस पर कि डाक के टिकट बेचे जांयगे,

(ख) उन डाक की वस्तुओं की श्रेणियां निर्णय कर सकते हैं जिन के सम्बन्ध में, इस एक्ट के अनुसार लिये जाने योग्य डाक व्यय या अन्य रकम के अदा करने के लिये, डाक के टिकट प्रयोग किये जांयगे।

(ग) छेदने, चेष्टा बिगाड़ने और उन तमाम बातों के सम्बन्ध में शर्तें निर्द्धारित कर सकते हैं जिन के आधीन कि डाक के टिकट, डाक व्यय या अन्य रकम की अदायगी में स्वीकृत या अस्वीकृत किये जासकते है।

(घ) डाक के टिकटों की रक्षा, संग्रह और बिक्री का प्रबन्ध कर सकते है।

(ङ) उन मनुष्यों का, जिन के द्वारा और उन शर्तों और नियमों का, जिन के आधीन कि डाक के टिकट बेचे जासकते हैं, निर्द्धारण कर सकते है। और

(च) डाक के टिकट बेचने वाले मनुष्य के कर्त्तव्य और मुआवज़े (बदल) नियत कर सकते हैं।

धारा १३—जब डाक की कोई ऐसी वस्तु, जिसपर परमट का महसूल देयहो, डाकद्वाराकिसी ऐसे स्थानसे प्राप्तहो जो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के बाहरहो और किसी परमट के वन्दरगाह या अन्य स्थान पर डाकखाने के अधिकारियों द्वारा महसूल दिया गयाहो, तोउस महसूलकी रकम इस प्रकार वसूल करनेके योग्य होगी मानो वह इस एक्ट के अनुसार डाक व्यय था।

परमट का महसूल जो डाकखाना दे यह डाक व्यय समान वसूल किया जायगा

धारा १४—किसी ऐसे डाक व्यय या अन्य रकम के वसूल करने की प्रत्येक कार्यवाही में जो इस एक्ट के अनुसार डाक की वस्तुकेसम्बन्धमेंपावना वतलायाजाय

डाकखाने के चिन्ह, कुछ वातों के जो वन से प्रगट हों, प्रत्यक्ष प्रमाण है

(क) डाक की किसी ऐसी वस्तु का उपस्थित करना जिस पर डाकखाने का ऐसा सरकारी चिन्ह हो जिससे यह प्रकट हो कि उस वस्तु के लेने से इंकार किया गया, या कि प्राप्तिपात्र मरगया या मिल नहीं सकता उस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, जो उससे प्रगट होती हो, और

(ख) वह मनुष्य, जिसकी ओर से डाक की उस वस्तुका आना प्रगट होता हो, जवतक इसके प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, उस का प्रेषक समझा जायगा।

धारा १५, डाक की वस्तु पर सरकारी चिन्ह, जिस से यह प्रगट होता हो कि कोई डाक व्यय या अन्य रकम जो उस के सम्बंध में ब्रिटिश भारत के डाकखाने का, अथवा संयुक्त राज्य (अमरीका) या ब्रिटिश अधिकार या अन्य देश के डाकखाने का पावना हो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि रकम जो उक्त कथनानुसार प्रकट होती हो, उक्त प्रकार पावना है।

सरकारी चिन्ह डाक व्यय के परिमाण का चिन्ह होगा

——:○:——

अथवा जिस के डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक की किसी वस्तु या डाक खाने के किसी अधिकारी को हानि पहुंचने की सम्भावना हो

(२) कोई मनुष्य डाक द्वारा कोई ऐसी वस्तु या चीज़ नहीं भेज सकता जिस से डाक की वस्तुओं को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, या डाकखाने के किसी अधिकारी को, हानि पहुंचने की सम्भावना हो।

धारा २०, कोई मनुष्य डाक से भेज नहीं सकता

डाक द्वारा असभ्यता पूर्ण आदि वस्तु भेजे जाने का निषेद है

(क) किसी असभ्यता पूर्ण या अश्लील छापा, रंगीन चित्र, फोटोग्राफ़, लैथो का छापा, खुदा हुआ चित्र, पुस्तक या कार्ड या किसी अन्य असभ्यता पूर्ण या अश्लील वस्तु को, या

(ख) डाक की किसी ऐसी वस्तु को, जिस पर या जिस के लिफ़ाफ़े पर असभ्यता पूर्ण, अश्लील, राज विद्रोही, गाली गलौज के, धमकी देने वाले, या नितान्त कष्ट कारक प्रकृति के शब्द, चिन्ह या नक़शे हों।

*धारा २१, (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा

डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के सबंध में नियम बनाने का अधिकार

कि वह डाक द्वारा वस्तुओं के भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम बनावें।

(२) विशेषतः और उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता को बिना हानि पहुंचाये, उक्त नियमों द्वारा।

(क) वह वस्तुएं निरूपित की जा सकती हैं जो डाक द्वारा न भेजी जाय।

(ख) वह शर्तें नियत की जा सकती हैं जिन पर कि वस्तुएं डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं।

---

* यह धारा असली धारा के स्थान में कानून डाक खाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा २ के अनुसार रखी गई।

धारा १७. डाक के टिकट जिन का धारा १६ मे आयोजन हुआ है, वह टिकट समझे जांयगे जिन को गवर्नमेन्ट ने कानून ताजीरात हिन्द के अर्थों में आय के अभिप्राय से प्रचलित किया हो, और इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, डाक व्यय या अन्य रक़मों की पूर्व अदायगी में प्रयुक्त होंगे जो इस एक्ट के अनुसार डाक वस्तुओं के सम्बन्ध में लिये जाने योग्य हों, सिवाय उस अवस्था के जब कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल यह आज्ञा दें कि पूर्व अदायगी किसी अन्य रीति से होगी।

डाक की टिकटें सरकारी आय के लिये टिकटें समझी जायगी।

पांचवां अध्याय

डाक की वस्तुओं के भेजे जाने की शर्तें

धारा १८. (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह, नियम द्वारा, प्राप्ति-पात्र की सम्मति प्राप्त किये बिना और उन शर्तों (यदि कोई हों) के आधीन जो ठीक समझी जांय डाक की किसी वस्तु को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो, प्रेषक को फेर देने की आज्ञा दें।

डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक की वस्तु का प्रेषक को फेर देना

(२) उस अवस्था के अतिरिक्त जिस के विषय में उन नियमों में आज्ञाएं हैं जो उपधारा (१) के अनुसार बनाये जांय, प्रेषक को यह अधिकार न होगा कि वह डाक की उस वस्तु को वापिस ले सके जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो।

धारा १९. (१) सिवाय इसके कि नियम में कोई प्रति कूल आज्ञा हो, और उन शर्तों के आधीन जो उस के द्वारा नियत हों, कोई मनुष्य डाक द्वारा ऐसी चीज़ नहीं भेज सकता जो भक से उड़ने वाली, भयानक, दुर्गन्धित तथा हानिकर हो, या कोई तेज शस्त्र जो उचित रक्षित न हो, या कोई जीवित जानवर जो या तो दुखद हो

डाक द्वारा हानिकर वस्तु के भेजे जाने का निषेध है

अथवा जिस के डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक की किसी वस्तु या डाक खाने के किसी अधिकारी को हानि पहुंचने की सम्भावना हो

(२) कोई मनुष्य डाक द्वारा कोई ऐसी वस्तु या चीज नहीं भेजे सकता जिस से डाक की वस्तुओं को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, या डाकखाने के किसी अधिकारी को, हानि पहुंचने की सम्भावना हो।

धारा २०, कोई मनुष्य डाक से भेज नहीं सकता

डाक द्वारा असभ्यता पूर्ण आदि वस्तु भेजे जाने का निषेद है

(क) किसी असभ्यता पूर्ण या अश्लील छापा, रंगीन चित्र, फोटोग्राफ़, लैथो का छापा, खुदा हुआ चित्र, पुस्तक या कार्ड या किसी अन्य असभ्यता पूर्ण या अश्लील वस्तु को, या

(ख) डाक की किसी ऐसी वस्तु को, जिस पर या जिस के लिफ़ाफ़े पर असभ्यता पूर्ण, अश्लील, राज विद्रोहि, गाली गलौज के, धमकी देने वाले, या नितान्त कष्ट कारक प्रकृति के शब्द, चिन्ह या नक्शे हों।

*धारा २१, (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा

डाक द्वारा डाक की वस्तुओं के भेजे जाने के सबंध में नियम बनाने का अधिकार

कि वह डाक द्वारा वस्तुओं के भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम बनावे।

(२) विशेषतः और उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता को बिना हानि पहुंचाये, उक्त नियमों द्वारा।

(क) वह वस्तुएं निरूपित की जा सकती हैं जो डाक द्वारा न भेजी जाय।

(ख) वह शर्तें नियत की जा सक्ती हैं जिन पर कि वस्तुएं डाक द्वारा भेजी जा सक्ती है।

---

* यह धारा असली धारा के स्थान में कानून डाक खाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा २ के अनुसार रक्खी गई।

(ग) उन वस्तुओं के रोक लेने और उन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आज्ञाएं दी जा सकती हैं जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अनुसार वने नियमों के प्रतिकूल डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों,

(घ) डाक की वस्तुओं की स्वीकारी की रसीदों के, तथा उन के डाक में डालने और डिलीवरी करने के सारटीफिकेट दने और लेने के संवध में और उन रकमों के संवंध में जो अन्य किसी डाक व्यय के अतिरिक्त उक्त रसीदों और सरटी फिकेटों के संवंध में अदा किये जांय, आज्ञाएं दी जा सकती है ; और

(ङ) आवागमन के लिये, चिट्ठियों के अतिरिक्त डाक की वस्तुओं के खलीतों, नमूनों लवाई, चौड़ाई, सर्वोच्च तोल और अन्तर्गत्य, और प्रयोग का प्रवन्ध किया जा सकता है।

(३) डाक की वस्तुएं उन समयों और उस विधि से डाक में डाली तथा डिलीवर की जा सकती हैं जो समय और विधि डाइरेक्टर जनरल, आज्ञा द्वारा, समय २ पर नियत करें।

धारा २२, (१) जब कि डाक खाने से चिट्ठियोंके भेजने या देने में, उसी समय उस डाकखाने से किताव, वानगी या नमूने के पैकिट और पारसल या उन में से किसी, के भेजने या देने के कारण विलम्ब हो, तो उन नियमों के आधीन जो सकोन्सिल गवर्नर जनरल इस विषय में बनाये, उक्त पैकिट या पारसल डाक खाने में उस समय तक रोके जा सकते हैं जब तक कि आवश्यका हो।

कुछ डाक की वस्तुएं भेजना या देना स्थगित कर देने की अधिकार

(२) यदि प्रथक २ पारसल डाक स्थापित हो तो पारसल उन्हीं के द्वारा भेजे और पहुंचाये जा सके हैं, परन्तु डाकखाने में उस अभिप्राय के लिये, यदि आवश्यका हो तो रोके जाने के पश्चात।

धारा २३, (१) जब कोइ डाक की वस्तु इस एक्टकी किसी आज्ञा के प्रतिकूल डाक से भेजी जाय तो वह रोकी जा सकती है, और या तो वह उस के प्रपक को लौटाई जा सकती है या पहुंचने के स्थान भेजी जा सकती है।

डाक की इन वस्तुओं के संबंध में कार्य वाही करने का अधिकार जो एक्ट के प्रतिकूल डाक में भेजने के लिये दी जाय

न्तु हर अवस्था में उस पर वह अतिरिक्त डाक व्यय (यदि कुछ) लिया जायगा जो सकौंसिल गवर्नर जनरल, नियम द्वारा ाज्ञा करें।

(२) कोई अधिकारी जिसकी अध्यक्षता में डाकखाना हो या ो पोस्टमास्टर जनरल की ओर से इस विषय में अधिकार सम्पन्न ो, किसी समाचार पत्र, या किसी पुस्तक, वानगी या नमूने के किट को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो और जिस के ाबन्ध में उसे इस बात का सन्देह हो कि वह+"धारा २० खण्ड (क) ;, या" धारा २१ के या इस एक्ट की डाक व्यय सम्बन्धी अन्य आज्ञा ; प्रतिकूल डाक से भेजा गया है खोल सकता है।

(३) उप धारा (१) में चाहे जो कुछ क्यों न वर्णन हुआ हो।

(क) डाक की कोई वस्तु जो धारा १९ की आज्ञाओं के प्रतिकूल डाक से भेजी गई हो, पोस्ट मास्टर जनरल की आज्ञा से, यदि आवश्यक हो तो, खोली जाकर नष्ट की जा सकती है; और

!! (ख) जो कोई डाक की वस्तु धारा २० की आज्ञाओं के प्रतिकूल भेजी जाय, उसके सम्बन्ध में उस प्रकार कार्यवाही होगी जो सकौंसिल गवर्नर जनरल नियम द्वारा आज्ञा दें।

धारा २४, * "सिवाय इस के कि इस एक्ट में प्रतिकूल

+ यह शब्द कानून डाकखाने के संशोधक कानून १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ३ (१) के अनुसार बढ़ाये गये।

!! यह खण्ड असली खण्ड के स्थान में कानून डाकखाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ३ (२) के अनुसार रखा गया।

* यह भाग "जहां कि डाक की ऐसी वस्तु, जिसके संबंध में यह सन्देह हो कि उस में कोई वर्जित माल" के स्थान में, कानून डाकखाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट १ सन् १९१२) की धारा ४ के अनुसार रखा गया।

डाक की ऐसी वस्तुओं के संबंध में कार्यवाही करने क अधिकार जिन में वर्जित या महसूली माल हो

आज्ञा दीगई हो, जब कि डाक की ऐसी वस्तु जिस के संबंध में यह सदेह हो कि उस में ऐसा माल है जिस के डाक द्वारा आने या डाक द्वारा भेजे जाने का किसी ऐसे कानून के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो, निषेध हो" या कोई महसूली चीज़ डाकखाने में डिलीवरी के लिये प्राप्त हो, तो वह अधिकारी जिसकी अध्यक्षता में वह डाक खाना हो,प्राप्ति-पात्रको इस विषय की सूचना देगा कि या तो वह स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा नियत अवधि के भीतर डाकखाने में उपस्थित हो,और प्राप्ति-पात्र या उसके प्रतिनिधि की उपस्थित में या यदि प्राप्ति-पात्र या उसका प्रतिनिधि उपस्थित न हो तो उसकी अनुपस्थित में, डाक की वस्तु को खोलेगा और उसकी जांच करेगा।

परन्तु पहिली शर्त्त यह है कि, यदि, डाइरेक्टर जनरल किसी डाकखाने या किसी प्रकार के डाकखानों के संबन्ध में ऐसी आज्ञा दें, डाकखाने का अध्यक्ष अधिकारी,पूर्व इसके कि वह प्राप्ति-पात्र अथवा उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थित में डाक की वस्तु को खोले, दो प्रतिष्ठित मनुष्यों को साक्षियों की भांति बुला लेगा।

और दूसरी शर्त्त यह है कि समस्त अवस्थाओं में, डाक की वस्तु इस धारा द्वारा खोली जाकर प्राप्ति-पात्र को देदी जायगी,बशर्त्ते कि इस कानून या अन्य किसी कानून या एक्ट के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो विशेष कार्यवाही करने के लिये उसकी आवश्यकता न हो और यह कि डाककी उस वस्तु के खोलने और उसके संबंधकी समस्त बातों की पोस्ट मास्टर जनरल को तुरत रिपोर्ट की जायगी।

और तीसरी शर्त्त यह है कि इस धारा की कोई बात उन पारसलों के रोकने में बाधक न होगी जो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के बाहर के किसी स्थान से डाक द्वारा, किसी परमट के बन्दरगाह पर या अन्य स्थान पर प्राप्त हों जहां वह आया करते हैं, और न परमट के अधिकारियों द्वारा परमट का महसूल वसूल करने के लिये इस प्रकार प्राप्त पारसलों के खोले जाने में बाधक होगी।

धारा २५.

डाक द्वारा भजे जाने के मध्य में माल को रोकने का अधिकार

सी कस्टम्स एक्ट (समुद्री करों का कानून) सन् १८७८ की धारा १९ के अनुसार किसी निरूपित प्रकार

के किसी माल के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो, तो डाकखाने के उस अधिकारी को जिसे इस सम्बन्ध मे सकौन्सिल गवर्नर-जनरल ने अधिकार दिया हो अधिकार होगा कि वह, डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में उक्त किसी माल की तलाशी ले या कराये और वह * " उन तमाम डाक—वस्तुओं को जिन में, वैसे माल होने का कारणत. विश्वास किया जाय या वैसा माल पाया जाय" उस अधिकारी को दे देगा जिसे इस संवन्ध में सकौन्सिल गवर्नर जनरल नियुक्त करें. और उस माल के संवन्ध में उस प्रकार कार्य-वाही की जासकेगी जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा करे।

+"किसी ऐसी तलाशी के लेने में, डाकखाने के उक्त अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे समाचार पत्र, ग्रन्थ, नमूने या सामग्री के पैकिट को, जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, खोले या ढीला करे या खुलवाये या ढीला कराये।

धारा २६,—(१) किसी सरकारी अत्यवन्तावश्यक्ता पड़ने पर, या सार्वजनिक रक्षा या शान्ति के विचार से सकौन्सिल गवर्नर जनरल, या स्थानीय गवर्नमेन्ट या कोई अधिकारी जिसको सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने इस विषय में विशेषतयः अधिकार दिया हो, लिखित आज्ञा द्वारा, यह आज्ञा दे सकते हैं कि डाक की कोई वस्तु, या किसी प्रकार या प्रकृति की डाक की वस्तुएं, जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, रोक दी जायगी या रोक रखी जांयगी, या × "उस के संवन्ध में ऐसी कार्यवाही की जायगी जैसी कि आज्ञा प्रचारक अधिकारी की आज्ञा हो "।

सार्वजानिक लाभ के लिये डाक की वस्तुएं रोक देने का अधिकार

---

* यह भाग " उस तमाम माल को जो मिले " के स्थान में कानून डाकखाने के संशोधक कानून १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२ की धारा ५ के अनुसार रखा गया।

+ यह भाग कानून डाकखाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ५ के अनुसार बढ़ाया गया।

× यह शब्द कानून डाकखाने के कानून संशोधक सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ६ के अनुसार बदल कर रखे गये पहिले शब्द यह थे.- (देखो पृष्ठ २४)

(२) यदि सरकारी अत्यन्तावश्यक्ता की उपस्थिति के संबन्धी में या इस बात के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो कि उपधारा (१) के अनुसार अमुक कार्य सार्व जनिक रक्षा या शान्ति के विचार से था या न था, तो सारटीफिकट जिस पर भारतीय गवर्नमेंट या स्थानीय गवर्नमेंट के मंत्री का स्वक्षर हो इस विषय का अखंण्य प्रमाण होगा।

धारा २७—(१) जब डाक की ऐसी वस्तु किसी ऐसे

डाक की उन वस्तुओं के सबंध में कार्य-वाही करने का अधिकार जो बाहर से आई हों और जिनपर जाली या पूर्व प्रयुक्त टिकट लगी हों।

स्थान से प्राप्त हो जो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के बाहर स्थित हो।

(क) जिस पर जाली डाक का टिकट लगा हो, अर्थात् ऐसा टिकट लगा हो जो डाक के टिकट का, प्रति रूप, सादृश्य या प्रति मूर्ति हो, या

(ख) जिस से डाक की किसी ऐसी टिकट में पहिले महसूल दिया जाना प्रकट हो जो डाक की किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में पहिले महसूल देने के लिये पूर्व प्रयुक्त हो चुकी हो।

तो उस डाकखाने का अध्यक्ष अधिकारी, जिस पर कि डाक की वस्तु प्राप्त हो, प्राप्ति-पात्र को इस बात की सूचना देगा कि वह समय के भीतर डाक खाने में स्वयं या प्रति निधि द्वारा उपस्थित हो कर डाक की वस्तु प्राप्त करें।

(२) यदि प्राप्ति-पात्र या उस का प्रति निधि, नोटिस में नियत समय के भीतर डाकखाने में उपस्थित हो और डाकखाने के अध्यक्ष-अधि-कारी को डाक की वस्तु के भेजने वाले का नाम और पता बतलाने

"गवर्नमेन्ट को या उस के अधिकारी को जिसका वर्णन आज्ञा हो, देदी जायगी ताकि उनके संबंध में ऐसी कार्य वाही प्रयोग वे जैसी कि सकौंसिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें"

के लिये, तथा उक्त अधिकारी को डाक-वस्तु का वह भाग वापिस देने के लिये, जिस पर कि जाली या पूर्व प्रयुक्त डाक के टिकट लगे हों या, यदि डाक वस्तु टिकट से पृथक न हो सकती हो, तो कुल डाक वस्तु वापिस देने के लिये सम्मत हो, तो वह डाक वस्तु प्राप्तिपात्र या उसके प्रति निधि को देदी जायगी।

(३) यदि प्राप्तिपात्र या उस का प्रतिनिधि नोटिस मे नियत समय के भीतर डाकखाने में उपस्थित न हो, या नियत समय के भीतर उपस्थित होकर प्रेषक का नाम और पता बतलाने से या डाक-वस्तु या उस के भाग वापिस देने से जैसी कि उपधारा (२) में आज्ञा है, इनकार करे तो, वह डाक-वस्तु उसे न दी जायगी. परन्तु उस के सम्बन्ध में ऐसी कार्य वाही प्रयोग मे आयेगी जैसी कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें।

व्याख्या—इस धाराके अभिप्रायों के लिये, शब्द "डाक के टिकट" में ऐसा डाक का टिकट सम्मिलित है जो साम्राज्ञी के प्रदेशों के किसी भाग, या किसी देसी रियासत या विदेश के डाक की शरह या किराया प्रकट करता हो।

छटवां अध्याय

रजिस्ट्री बीमा और वेल्यूपेबिल-डाक।

डाक की वस्तुओं की रजिस्ट्री

धारा २८. डाक की वस्तु का प्रेषक, इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, उस डाकखाने में वस्तु की रजिस्ट्री करा सकता है जिस में कि वह डाक में डाली जाय, और उस की रसीद ले सकता है; और सकौंसिल गवर्नर जनरल, भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा आज्ञा दे सकते हैं कि, इस एक्ट के अनुसार लिये जाने वाले डाक व्यय के अतिरिक्त, ऐसी और फीस भी, जो विज्ञप्ति द्वारा नियत की जाय, डाक की वस्तुओं की रजिस्ट्री के लिये अदा की जायगी।

धारा ३३, उन शर्तों और बन्धनों के आधीन, जो सकौंन्सिल गवर्नर जनरल, नियम द्वारा, नियत करें, सकौंन्सिल भारत

बीमा की हुई डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में जुम्मेदारी

सचिव, डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में, डाक वस्तु या उसके अन्तरगत को हानि पहुंचने के सम्बन्ध में या उस क्षति के सम्बन्ध में जो उसको हो, डाक की वस्तु क भेजने वाले को उस बदल-धन देने के जुम्मेदार होंगे जिस की रकम उस रकम से अधिक न हो जितने के लिये कि डाक की वस्तु वीमा की गई है।

परन्तु शर्त्त यह है कि उक्त प्रकार दिया जाने योग्य बदल धन किसी अवस्था में खोई हुई डाक-वस्तु के मूल्य से या उस क्षति के धन से जो घटित हो, अधिक न होगा।

धारा ३४, सकौंन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह भारतीय गज़ट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, यह आज्ञा दें कि इस

वेल्यू पेबिळ डाक की वस्तुओं का डाक द्वारा भेजा जाना

एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन और उन शर्तों से फीस देने के आधीन जो विज्ञप्ति द्वारा निर्द्धारित की जांय, उस रूपये की रकम जो प्रेषक द्वारा डाक-वस्तु के डाक मे डालने के समय लेख में निरूपित की जाय, उस डाक वस्तु की डिलेवरी पर प्राप्ति-पात्र से वसूल की जायगी, और वह रकम इस प्रकार वसूल होकर प्रेषक को अदा करदी जायगी।

परन्तु शर्त्त यह है कि जब तक कि वह रकम प्राप्ति-पात्र से वसूल न हो, भारत सचिव सकौंन्सिल उस रकम के सम्बन्ध में किसी प्रकार जुम्मेदार न होंगे जो वसूल के लिये निरूपित की जाय।

व्याख्या—डाक-वस्तुएं जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार भेजी जांय, " वेल्यू-पे-एबिल " डाक—वस्तुएं कहलाई जा सकती है।

धारा ३५, (१) सकौंन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह वेल्यूपेबिल डाक वस्तुओं के डाक द्वारा भेजे जानेके सम्बन्ध नियम बनावें।

वेल्यू पेबिल डाक-वस्तुओं के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और उक्त अधिकार की सामान्यता को हानि पहुंचाय बिना, उक्त नियमों द्वारा।

(क) यह प्रकट किया जा सकता है कि किस २ प्रकार की डाक वस्तुएं, वेल्यू पेबिल डाक वस्तुओं की भांति भेजी जा सकती हैं।

(ख) यह आज्ञा दी जा सकती है कि डाक की कोई वस्तु उस समय तक उक्त प्रकार न भेजी जायगी जब तक प्रेषक यह प्रकट न करे वह उस सच्चे आज्ञापत्र के पालन में भेजा गया है जो उसे प्राप्त हुआ हो,

(ग) उस मूल्य को सीमावद्ध किया जा सकता है जो वेल्यू पेबिल डाक-वस्तु की डिलीवरी पर वसूल किया जाय। -

(घ) वेल्यू-पेबिल डाक—वस्तुओ के प्रेषकों द्वारा दिये जाने वाले प्रकट पत्र का नमूना, और फीस देने का समय और विधि, नियत किये जा सकते हैं।

* (ङ) छलकी अवस्थाओं में, ऐसे रुपये के रोके जाने और पहुंच-पात्र-मनुष्य को दिये जाने की आज्ञाएं दी जा सकती है. जो किसी वेल्यूपेबिल डाक-वस्तु के देने पर वसूल हो। और

* (च) ऐसी फीस निर्द्धारित की जा सकती है जो वैल्यूपेबिल डाक—वस्तुओं की डिलावरी और अदायगी सम्बन्धी शिकायतों के अन्वेषण के लिये लीजांय।

(३) डाक-वस्तुएं डाकखाने को वेल्यू पेबिल भेजे जाने के अभिप्राय से सौंप दी जांयगी, और जब उक्त प्रकार भेज दी जांय, तब उनकी डिलीवरी उन समयों और उस विधि से होगी जैसा कि डाइरेक्टर जनरल, आज्ञा द्वारा, नियत करें।

- कानून डाकखाने के संशोधक क़ानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १२) की धारा ७ (१) द्वारा शब्द" और " निकाल दिया गया।

* यह दोनो खण्ड कानून डाकखाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ७ (१) के अनुसार बढ़ाये गये।

* (४) कोई नालिश या अन्य कानूनी कार्यवाही सकौन्सिल भारत सचिव या डाकखाने के किसी अधिकारी के प्रतिकूल किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में न होगी जो उपधारा (२) के खण्ड (ङ) द्वारा बने नियम के अनुसार किया गया हो या नेक नीयती से किया जाना प्रकट होता हो ।

धारा ३६. (१) जहां कि संयुक्त राज्य से या ब्रिटिश अधिकार, देशी रियासत या अन्य देश से, ब्रिटिश भारत और संयुक्त राज्य या उक्त अधिकार, रियासत या देश के बीच में, रजिस्ट्री, बीमा या वेल्यूपेविल डाक—वस्तुओं के डाक द्वारा भेजे जाने के सम्बन्ध में, प्रवन्ध प्रचालित हों, सकौन्सिल गवर्नर जनरल, उक्त प्रवन्धों को प्रभावित करने के लिये, नियम वना सकते है ।

अन्य देशों के साथ प्रबन्धों को प्रभावित करने का अधिकार

(२) विशेषतः और उक्त अधिकार की सामान्यता को हानि पहुंचाये विना, उक्त नियमों द्वारा—

(क) उक्त कथनानुसार उक्त डाक—वस्तुओं के प्रेषकों द्वारा दिये जाने वाले प्रकट—पत्र का नमूना नि[illegible] रक्खा जासकता है । और

(ख) वह फीस नियत की जा सकती हैं जो उनके सम्बन्ध में ली जांय ।

सातवां अध्याय

बिना दी हुई डाक की वस्तुएं

धारा ३७, (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो किसी कारण वश दी न जासकें और जो [illegible] में " बिना दी [illegible] [illegible] कानून सन् [illegible] धार[illegible] अनुसार

बिना दी हुई डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के नियम बनाने का अधिकार

* यह उप धारा, [illegible] २ (एक्ट ३ सन् [illegible]

हुई डाक की वस्तुओं के नाम से वर्णित हुई हैं) कार्यवाही करने के विषय में नियम बनावें।

(२) विशेषत. और उक्त अधिकार की सामान्यता को हानि पहुंचाये विना, उक्त नियमों द्वारा—

(क) वह अवधि नियत की जा सकती है जिस में कि किसी डाकखाने की विना दी हुई डाक—वस्तुएं उस डाकखाने में रखी रहेंगी, और

(ख) विना दी हुई डाक-वस्तुओं की, या विना दी हुई डाक वस्तुओं के किसी प्रकार की, सूचियों के प्रकाशित करने की आज्ञा दी जा सकती है।

(३) प्रत्येक विना दी हुई डाक-वस्तु, उस अवधि तक डाकखाने में रुकी रह कर, जो इस धारा की उपर्युक्त आज्ञाओं के आधीन नियम द्वारा नियत हुई हों, विना किसी विशेष महसूल के, या तो उस डाक खाने को जिस में कि वह डाक में डाली गई थी, प्रेषक को लौटाने के लिये, भेज दी जायगी या पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर को भेज दी जायगी।

पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में विना दी हुई डाक-वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

धारा ३८. (१) प्रत्येक ऐसी डाक वस्तु के सम्बन्ध में जो धारा ३७ की उप-धारा (३) के अनुसार पोस्टमास्टर जनरल के दफ्तर में प्राप्त हो, निम्न कार्यवाही की जायगी:—

(क) यदि सम्भव हो सका तो वह दुबारा पता लिख कर प्राप्ति-पात्र के पास भेज दी जायगी, या

(ख) यदि उक्त कथनानुसार वह दुबारा पता लिखकर न भेजी जासके तो, वह किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो इस सम्बन्ध में पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नियुक्त हो और जो गोपन के लिये बद्ध हो, प्रेषक का नाम और पता जानने के लिये खोली जायगी।

(२) यदि उक्त प्रकार से प्रेषक का नाम और पता निश्चित हो जाय, तो वह विना किसी विशेष महसूल के या ऐसे विशेष महसूल के आधीन, जैसा कि सपरिषद् गवर्नर जनरल नियम द्वारा आज्ञा दें, डाक द्वारा प्रेषक को लौटा दी जायगी।

धारा ३९, बिना दी हुई वह डाक की वस्तुएं जिनके संबंध में उपर्युक्त आज्ञाओं के अनुसार कोई कार्य वाही न हो सके, पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में ऐसी अवधि (यदि कोई हो) तक रुकी रहेगी, और उन के सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी, जैसी कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल की नियम द्वारा आज्ञा हो।

बिना दी हुई डाक की वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही।

परन्तु शर्त्त यह है कि:—

(क) चिट्ठियां और पोस्टकार्ड नष्ट कर दिये जायंगे.

(ख) रुपया या क्रय योग्य सम्पति जो विनाश योग्य प्रकृति की न हो, और जो किसी न दी हुई डाक वस्तु में पाई जाय पोस्ट मास्टर के दफ्तर में एक वर्ष की अवधि तक रखी जायगी, और यदि उस अवधि के व्यतीत हो जाने तक कोई मनुष्य उस के लिये अपना स्वत्व प्रमाणित न करे तो वह, यदि रुपया हो तो, डाकखाने के नाम जमा हो जायगा और यदि क्रय योग्य सम्पत्ति हो तो वह नीलाम करदी जायगी और क्रय धन डाकखाने के नाम जमा हो जायगा।

आठवां अध्याय

जहाज की चिट्ठियां

धारा ४०, ऐसे जहाज़ का नाविक, जो डाक का जहाज़ न हो और जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी बन्दरगाह से ब्रिटिश इण्डिया के भीतर किसी बन्दरगाह को या बाहर किसी बन्दरगाह या स्थान को होने वाला हो, जहाज़ पर प्रत्येक ऐसा डाक का थैला डाकखाने के किसी अधिकारी द्वारा लेजाने के लिये

ऐसे जहाज के नाविक का कर्त्तव्य जो ब्रिटिश इण्डियाके किसी बन्दरगाह से डाक के थैले लेकर रवाना हो और जो डाक का जहाज न हो।

दिया जाय, और उसकी उस नमूने की रसीद देगा, जो सकौन्सिल गवर्नरजनरल नियम द्वारा नियत करें, और विना विलम्ब उसे निर्दिष्ट बन्दर गाह या स्थान पर पहुंचा देगा।

धारा ४१. (१) ऐसे जहाज़ का नाविक, जो ब्रिटिश इंडिया के किसी वन्दरगाह में आवें, विना विलम्ब, प्रत्येक डाक की वस्तु और डाक के थैले को जो जहाज़ पर हों और जिस पर उस वन्दरगाह का पता लिखा हो और जो उस सम्पूर्ण स्वत्व के अन्तरगत हो जो धारा ४ के अनुसार सकौन्सिल गवर्नर जनरल को प्रदान हुआ है या तो उस वन्दरगाह के डाकखाने को, या डाकखाने के किसी ऐसे अधिकारी को जो इस सम्बन्ध में पोस्टमास्टर जनरल द्वारा अधिकार सम्पन्न हो, डिलीवर करायेगा।

ऐसे जहाज के नाविक का कर्तव्य जो ब्रिटिश इण्डिया के किसी वन्दर गाह में आये, डाक की उन वस्तुओं और थैलों के सम्बन्ध में, जो जहाज पर हों।

(२) यदि जहाज पर कोई ऐसी डाक की वस्तु या डाक का थैला हो जिस पर ब्रिटिश इण्डिया के भीतर के किसी अन्य स्थान का पता लिखा हो और जो उक्त कथित सम्पूर्ण स्वत्वान्तर गत हो, तो नाविक, विना विलम्ब, इस वात की सूचना उस अधिकारी को देगा, जो आगमन के वन्दरगाह के डाकखाने का अध्यक्ष हो, और उन आज्ञाओ के अनुसार जो उसे उक्त अधिकारी से मिले, कार्य करेगा, और उक्त अधिकारी की रसीद उसको, डाक की वस्तु या डाक के थैले के सम्बन्ध मे, समस्त विशेष दायित्व से मुक्त कर देगी।

धारा ४२. सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह भारतीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, यह प्रकट करें कि क्या पारतोषिक, उन जहाजों के नाविकों को, जो डाक के जहाज न हों डाक की उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जो वह डाकखाने की ओर से लेजाने के लिये प्राप्त करें, दिया जायगा, और उस जहाज़ का नाविक, जो डाक का जहाज़ न हो और जो उक्त कथनानुसार ब्रिटिश

डाक के जहाजों के अतिरिक्त अन्य जहाजों द्वारा डाक की वस्तुओं के मादागमन के लिये पारतोषिक-प्रदान

इण्डिया के किसी बन्दरगाह से रवाना होने वाला हो, यदि वह लेजाने के लिये डाक का थैला जहाज़ पर प्राप्त करे तो, उस पारितोषिक की रकम मांगने और तुरत प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो डाक के थैले और उस के अन्तरगतों के सम्बन्ध में इस धारा के अनुसार देय हो।

नवां अध्याय

मनीआर्डर्स

धारा ४३ (१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह रुपये की छोटी रक़में डाकखाने की मारफ़त मनीआर्डर्स द्वारा भेजे जाने के सम्बध में आज्ञायें दें और उक्त मनीआर्डरों के सम्बन्ध में नियम बनावें।

मनीआर्डर प्रणाली के स्थिर रखने और उस के द्वारा रुपया भेजने के सबन्ध में नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और उक्त अधिकार की सामान्यता को हानि पहुंचाये विना उक्त नियमों द्वारा—

(क) उक्त रक़म की सीमा नियत की जासकती है जितने तक का कि मनीआर्डर हो सके।

(ख) वह अवध नियत की जासकती है जिस के भीतर कि मनीआर्डर चालू रहेंगे, और।

(ग) उस कमीशन या फ़ीस की शरहें नियत की जासकती हैं जो मनीआर्डरों पर या उन के सम्बन्ध में ली जांय।

धारा ४४ (१) उन शर्तों के आधीन जो सकौंसिल गवर्नर जनरल, धारा ४३ के अनुसार रचित नियमों द्वारा, कमीशन या फ़ीस की विशेष शरहें लेने या अन्य बातों के सम्बन्ध में, नियुक्त करें, वह मनुष्य जिस ने डाकखाने की मारफत मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजा हो वह चाह सकता है कि मनीआर्डर के रुपये

मनीआर्डर के वापिस मंगाने या रुपया पाने वाले के नाम बदलने के सबध में रुपया भेजने वाले का अधिकार

की रक़म, यदि रुपया पाने वाले को न दीगई हो तो उसको वापिस देदी जाय या पहिले रुपया पाने वाले के अतिरिक्त उस मनुष्य को देदी जाय जिस को कि वह कहे।

(२) यदि न तो मनीआर्डर का पाने वाला और न भेजने वाला कोई भी न मिल सके, और मनीआर्डर होने की तारीख से एक वर्ष तक उक्त रुपया पाने वाले या भेजने वाले की ओर से कोई दावा न किया जाय, तो उस मनीआर्डर के रुपये के सम्बन्ध में गवर्नमेंट पर दावा न हो सकेगा।

पोस्टल आर्डर के जारी करने के सम्बन्ध में आज्ञा देने का अधिकार।

धारा ४५ सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह कुछ नियत रक़मों के लिये ऐसे नमूने में जो उचित प्रतीत हो ऐसे मनीआर्डरों के जारी करने की अनुमति दे जो पोस्टल आर्डर या अन्य किसी नाम से जो उपयुक्त मालूम हो कहलाये जासकें, और उस कमीशन की शरहों के संबंध म, जो उन पर लिया जाय, और उस विधि के सम्बन्ध में जिसमें कि और उन शर्तों के संबंध में जिन के आधीन कि वह जारी, अदा और रद्द किये जांय, नियम बनावें।

परन्तु शर्त्त यह है कि कोई उक्त आर्डर दस रुपये से अधिक का जारी न किया जायगा।

अन्य देशों के साथ प्रबंधों को प्रभावित करने का अधिकार

धारा ४६ (१) जब कि संयुक्त राज्य से या ब्रिटिश अधिकार, देशी रियासत या अन्य देश से ब्रिटिश भारत और संयुक्त राज्य, ब्रिटिश अधिकार, उक्त रियासत या देश के बीच में, डाकख़ाने की मारफत, मनीआर्डरों के जारी और अदा होने के प्रबंध प्रचलित हों, तो सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह उन प्रबंधों को प्रभावित करने के लिये नियम बनावें।

(२) विशेषतः और उक्त अधिकारों की सामान्यता को हानि पहुंचाये बिना, उक्त नियमों द्वारा—

(क) वह विधि जिस में कि, और वह शर्त्तें जिन के आधीन

कि, पोस्टल आर्डर्स ब्रिटिश भारत में जारी और अदा किये जांय, निर्णय की जासकती हैं, और

(ख) उस कमीशन की शरहें जो उन पर लिया जाय नियत की जासकती है।

धारा ४७. यदि कोई मनुष्य, बिना उचित कारण के जिस के प्रमाणित करने का भार उसी पर होगा।

ऐसे मनीआर्डर का वसूल करना जो अन्य मनुष्य को दे दिया जाय

(क) उस रक़म के लौटाने में सुस्ती या इन्कार करे जो किसी मनीआर्डर के संबंध में, डाक खाने के अधिकारी द्वारा उस रकम से अधिक दीजाय जो उस के संबंध में दी जानी चाहिये थी, या

(ख) उस रकम के लौटाने में सुस्ती या इन्कार करे जो डाक-खाने के अधिकारी द्वारा उसे किसी ऐसे मनुष्य के बदले में दी गई हो जिस को कि वह दीजानी चाहिये थी, तो उक्त रकम उस मनुष्य से जो उक्त प्रकार सुस्ती या इन्कार करता हो, डाकखाने के उस अधिकारी द्वारा जो इस विषय में पोस्ट मास्टर जनरल की ओर से अधिकार सम्पन्न हो, इस प्रकार वसूल की जायगी मानों भूमि की मालगुजारी का बक़ाया उस पर पावना था।

धारा ४८. सकौंसिल भारत सचिव या डाकखाने के किसी अधिकारी के प्रतिकूल निम्न कार्यों के सम्बन्ध में कोई नालिश या अन्य कानूनी कार्यवाही न होगीः-

मनीआर्डर के संबध में उत्तरदायित्व-मुक्ति

(क) उस कार्य के संबंध में जो इस अध्याय के अनुसार सकौंसिल गवर्नर जनरल द्वारा रचित किसी नियम के अनुकूल किया जाय। या

(ख) उस मनीआर्डर के गलत अदा होने के संबंध में, जो रुपया पाने वाले के नाम और पते के विषय में रुपया भेजने वाले द्वारा दी हुई अशुद्ध या अपूर्ण सूचना के

कारण हुआ हो वशर्ते कि अपूर्ण सूचना के सम्बन्ध में, रुपया पाने वाले की पहिचान के लिये सूचना को पर्य्याप्त वर्णन के समान स्वीकृत करने का उचित कारण विद्यमान हो, या।

(ग) किसी मनीआर्डर की अदायगी में इनकार या विलम्ब के सम्बन्ध मे, जो डाकखाने के किसी अधिकारी का, या उस के द्वारा की गई, अनायस शिथिलता, चूक या त्रुटि के द्वारा या कारण से, या किसी अन्य कारण से, जो चाहे कुछ हो, हुआ हो, परन्तु वह उक्त अधिकारी के धोखे या जाने बूझे कार्य या दोष के कारण न हो। या

(घ) मनीआर्डर जारी होने के एक वर्ष पश्चात मनीआर्डर के गलत अदा होने के सम्बन्ध में, या, *

(ङ) ब्रिटिश भारत के बाहर, किसी ऐसे डाकखाने के अधिकारी द्वारा, जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित नहो, मनीआर्डर के गलत दिये जाने या दिये जाने में विलम्ब होने के सम्बन्ध में।

दसवां अध्याय

दण्ड और कार्य-विधि

डाकखाने के अधिकारियों द्वारा किये गये अपराध

धारा ४९. जो मनुष्य, डाक के किसी थैले या डाक की किसी वस्तु के लेजाने या देने के लिये नियुक्त होकर डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में—

डाक के थैले या डाक की वस्तुओं के ले जाने या देने के लिये नियुक्त हुए मनुष्य को दुराचरण के कारण दंड

(क) नशे की अवस्था में हो, जब कि वह इस प्रकार नियुक्त हो, या।

---

* " या " और खण्ड (ङ) कानून डाकखाने के संशोधक कानून सन् १९१२ (एक्ट ३ सन् १९१२) की धारा ८ के अनुसार बढ़ाये गये।

(ख) लापरवाही या अन्य दुराचार का दोषी हो जिस के कारण किसी उक्त डाक के थैले या डाक की वस्तु की रक्षा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, संशय में पड़ जाय, या।

(ग) किसी उक्त डाक के थैले या डाक की वस्तु के लेजाने या देने में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कालक्षेप या विलम्ब करे, या।

(घ) किसी उक्त डाक के थैले या डाक की वस्तु को, जैसा कि ऊपर कहा गया, सुरक्षितः ले जाने या देने में उचित सावधानी और उद्योग न करे,

उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जो पचास रुपये की संख्या तक हो सकता है।

धारा ५०. जो मनुष्य किसी ऐसे डाक के थैले या डाक की एसी वस्तु को लेजाने या देने के लिये नियुक्त हो कर, जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हों, बिना अनुमति या एक मास पूर्व लिखित सूचना दिये बिना अपने पद के कर्त्तव्यों को जान बूझ कर छोड़ दे, उसे ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जो एक मास तक की हो सकती है, या ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जो पचास रुपये तक का हो सकता है, या दोनों दण्ड मिलेंगे,

डाक के थैले या डाक की वस्तुओं के ले जाने के लिये नियुक्त मनुष्य को, बिना अनुमति या सूचना के जान बूझ कर कर्तव्य त्याग देने के कारण दंड

धारा ५१. जो मनुष्य किसी ऐसी डाक की वस्तु के लेजाने या देने के लिये नियुक्त होकर जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो, और जिस को इस प्रकार नियुक्त होकर कोई रजिस्टर रखने के आवश्कता हो, रजिस्टर में, यह विश्वास दिलाने के विचार से कि वह किसी ऐसे स्थान में गया है या उसने कोई ऐसी डाक की वस्तु दी है, जहां वह न गया हो और या जो दी न गई हो, कोई झूठा लेख लिखे, लिखाये या लिखा जाने दे, तो उस मनुष्य को ऐसी कैद का दण्ड होगा जिस की अवधि छै मास तक की हो सकती है, या उसे ऐसे

डाक की वस्तुओं के ले जाने या देने के लिये नियुक्त मनुष्य द्वारा रखे हुए रजिस्टर में झूठा लेख लिखने के कारण दण्ड

जुर्माने का दण्ड मिलेगा जो सौ रुपये तक का हो सकता है, या उसे दोनों दंड मिलेंगे।

डाक की वस्तुओं के चुराने, अनुचित दुर्विनियोग करने, छिपाने, नष्ट करने या फैंक देने के कारण दंड

धारा ५२, जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी होकर, डाक की किसी वस्तु के संबंध में जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो, या उस चीज के सम्बन्ध में जो उसके अन्तरगत हो चोरी करे या उसका अनुचितरूप से दुर्विनियोग करे, या किसी अभिप्राय से जो चाहे कुछ ही क्यों न हो, उस को छिपावे, नष्ट करे या फैंक दे, उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है और उसको जुरमाने का दण्ड भी दिया जायगा।

डाक की वस्तुओं के खोलने, रोकने या उन के सबन्ध में विलम्ब करने के कारण दण्ड

धारा ५३. जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी होकर, अपने पद कर्त्तव्य के प्रतिकूल, डाक की किसी वस्तु को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो, खोले, खुलवाये या खुलने दे या डाक की उक्त वस्तु को जान बूझ कर रोके या विलम्बित करे या रुकवाये या विलम्बित कराये या रुकने दे या विलम्बित होने दे, उसे ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकता है या उसको जुरमना या दोनो दण्ड मिलेंगे।

परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात इस एक्ट की आज्ञा के अनुकूल या स कौंसिल गर्वनर जनरल की लिखित आज्ञा के अनुसार या योग्य अदालत की आज्ञा से किसी डाक-वस्तु के खुलने, या रुकने या विलम्बित होने से सम्बन्ध न रक्खेगी।

सरकारी चिन्हों के सम्बन्ध में धोखा करने [illegible] डाक [illegible] के [illegible] से दण्ड

धारा ५४. जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी होकर—

(क) कपटतः किसी डाक वस्तु पर कोई सरकारी चिन्ह लगावे,

(ख) छलत. किसी सरकारी चिन्ह को जो किसी डाक-वस्तु पर हो, बदले, हटाये या अदृष्ट कराये, या

(ग) किसी डाक-वस्तु के देने का ज़ुम्मेदार हो कर उस के डाक-व्यय के सम्बन्ध में जान बूझ कर रुपये की कोई रकम मांगे या ले जो इस एक्ट के अनुसार लिये जाने योग्य न हों।

तो उस मनुष्य को ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और उसको ज़ुरमाने का दण्ड भी मिलेगा॥

धारा ५५. जो मनुष्य डाकखाने का ऐसा अधिकारी होकर जो किसी लेख—पत्र के तैयार करने या रखने का ज़ुम्मेदार हो, छलतः लेख पत्र को अशुद्धतः तैयार करे या उसे बदले, छिपाये या नष्ट करे, उस को ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और उस को ज़ुर्माने का दण्ड भी मिलेगा।

> डाकखाने के लेख पत्रों को छलत तैयार करने, बदलने छिपाने या नष्ट करने के कारण दंड।

धारा ५६. जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी होकर किसी ऐसी डाक वस्तु को जिस पर इस एक्ट द्वारा नियत विधि में डाक व्यय दिया गया न हो या लगा न हो, डाक से भेजे या डाक के थैले में रखे, इस विचार से कि गवर्नमेंट का उक्त डाक—वस्तु संबंधी डाक—व्यय मारा जाय, तो उस मनुष्य को ऐसी कैद का दंड मिलेगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सक्ती है और उसको ज़ुर्माने का दंड भी मिलेगा।

> छलत डाकखाने की डाक-व्यय अप्राप्त वस्तुएं भेजने के कारण दंड

धारा ५७. (१) जो मनुष्य डाकखाने का अधिकारी हो कर भारत वर्ष में किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाय तो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के वाहर हो और जहां सकौंन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा डाक के साधन स्थापित हों, किसी

> उन अपराधों का दण्ड जो ब्रिटिश इण्डया के वाहर भारत वर्ष में हों

में ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिसकी संख्या सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा ६७. जो मनुष्य, सिवाय इसके कि इस पक्ष की

मेल के रोकने या मेल के थैलों के खोलने के कारण दंड

अनुमति के अनुसार हो या सकौंसिल गवर्नर जनरल की लिखित आज्ञा के पालन में हो, या अदालत मजाज़ की आज्ञा से हो, डाक या डाक की किसी वस्तु को जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो रोके, या किसी बहाने से डाक के थैले को, जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो, खोले, तो उसको ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिसकी संख्या दो सौ रुपये तक हो सकती है।

- परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात डाकखाने के ऐसे अधिकारी को, जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में डाक या डाक वस्तु को लेजा रहा हो, किसी ऐसे अपराध करने के अभि-योग पर, रोक लिये जाने का निषेध न करेगी जो जाब्ता फौजदारी सन् १८९८ या अन्य कानून के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो, अनुसंधेय प्रकट किया गया हो।

धारा ६८. जो मनुष्य, डाक की किसी ऐसी वस्तु को,

भूल से दी हुई डाक-वस्तुओं को और डाक के थैलों को रोक रखने के कारण दंड

जो डाक द्वारा भेजे जाने के मध्य में हो और जो किसी अन्य मनुष्य को दी जानी चाहिये थी, या किसी डाक के थैले को जिस में डाक-वस्तु सम्मिलित हो, छलतः रोक रखे या जान कर छिपावे, या लेकर भाग जावे, या रखे, या रोके, या डाकखाने के अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर, देने में शिथिलता या इन्कार करे, तो उस मनुष्य को ऐसी क़ैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और उसको जुर्माने का दण्ड भी मिलेगा।

धारा ६९. प्रत्येक ऐसा मनुष्य, जो डाक खाने का अधि-

डाक के प्रतिरूप चिट्ठियों के बदल देने के कारण दंड

कारी न हो, जानबूझ कर और अनुमेच्छा

से किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के विचार से, किसी ऐसी चिट्ठी को, जो डिलीवर की जानी चाहिये थी, खोले या खुल जाये, या कोई ऐसा कार्य करे जिस से चिट्ठी की उचित डिलीवरी किसी मनुष्य को रुक जाय या विघ्नयुक्त हो जाय, तो उस मनुष्य को एसी क़ैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि छै मास तक हो सकती है या ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पांच सौ रूपये तक हो सकती है या दोनों दण्ड मिलेंगे।

परन्तु शर्त यह कि इस धारा की कोई बात उस मनुष्य से सम्बन्धित न होगी जो कोई ऐसा कार्य करे जिस से इस धारा का सम्बन्ध हो, यदि वह पहुंच-पात्र मनुष्य के मात पिता में से कोई हो या मात-पिता या संरक्षक की स्थिति में हो और पहुंच-पात्र मनुष्य बालवस्था का (नाबालिग़) या अयोग्य (वार्ड) हो।

सामान्य

इस एक्ट के अपराधों में सहायता करने या प्रयत्न करने के कारण दण्ड

धारा ७०—जो मनुष्य, इस एक्ट द्वारा दण्डनीय अपराध के होने में सहायता करे, या इस प्रकार दण्डनीय किसी अपराध के करने का प्रयत्न करे, उस को वही दण्ड मिलेगा जो उस अपराध के लिये नियत है।

अपराधों की अवस्था में माल डाकखाने में रखा जायगा

धारा ७१.—उस अपराध की प्रत्येक नालिश में, जो उस डाक के थैले या डाक-वस्तु के सम्बन्ध में हो जो डाक द्वारा भेजा जाय, अभियोग के अभिप्राय के लिये, यह पर्य्याप्त होगा कि उस डाक के थैले या डाक वस्तु को डाकखाने की सम्पति वर्णन किया जाय, और यह प्रमाणित करना आवश्यकीय न होगा कि उस डाक के थैले या डाक-वस्तु का कुछ मूल्य भी है।

इस एक्ट की कुछ धाराओं के अनुसार नालिशें करने की अनुमति।

धारा ७२,—कोई अदालत, किसी ऐसे अपराध का, जो इस एक्ट की धाराएं, ५१, ५३, ५४ खण्ड (क) और (ख), ५५ ६, ५८, ५९, ६४, ६५, ६६, और ६७ के अनुसार दंडनी हो,

उस समय तक विचार न करेगी जब तक कि डाइरेक्टर जनरल, या पोस्टमास्टर जनरल की आज्ञा या अनुमति से इस्तग़ासा न किया जाय।

ग्यारहवां अध्याय

परिशिष्ट

धारा ७३—(१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह जिमीदारी या जिलेकी अन्य डाक के सम्बन्ध में नियम बनावें।

जिमीदारी और जिले की अन्यडाक

(२) विशेषतः और उक्त अधिकार की सामान्यता को हानि पहुंचाये बिना, उक्त नियमों द्वारा यह प्रकट किया जा सकता है कि इस एक्ट के कौन २ अंश जिमीदारी और जिले की अन्य डाकों और उन मनुष्यों से सम्बन्धित होंगे जो उन के सम्बन्ध में नियुक्त हों।

धारा ७४—(१) उन अधिकारों के अतिरिक्त, जो इस से पूर्व प्रदान हुए हैं, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस एक्ट के अभिप्रायों और उद्देश्यों के संचालन के लिये नियम बनावें।

इस एक्ट के अनुसार नियमों के सम्बन्ध में नियम और आज्ञाए बनाने का सामान्य अधिकार

(२) इस एक्ट के अनुसार नियम बनाने में सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह यह आज्ञा दे कि उस का उल्लंघन ऐसे जुरमाने के दण्ड से दन्डनीय होगा जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

(३) सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा, इस एक्ट के अनुसार बनाये हुए नियम भारतीय गजट में प्रकाशित होंगे और, उक्त प्रकाशन पर, उनका वही प्रभाव होगा मानों इस एक्ट के द्वारा कानून बन गये हैं।

धारा ७५—सकौंन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा

नियम रचना अधिकार के अतिरिक्त, अन्य अधिकारों का डाइरेक्टर जनरल को दिया जाना

कि वह भारतीय गज़ट में प्रकाशित विज्ञाप्ति द्वारा, स्वाधीनतः अथवा शर्तों के आधीन, डाइरेक्टर जनरल को इस बात की अनुमति दें कि वह नियम—रचना अधिकार के अतिरिक्त उन अधिकारों को प्रयोग करें जो सकौंन्सिल गवर्नर जनरल को इस एक्ट द्वारा प्रदान हुए हैं।

धारा ७६—कानून जिनका वर्णन द्वितीय शेडयूल (सूची)

मंसूखी

में है उस सीमा तक मंसूख हुए हैं जिस का निरूपण उसके चौथे कोष्ट में हुआ है।

धारा ७७—इस एक्ट की कोई बात ईस्ट इण्डिया कम्पनी

छूट

की आज्ञाएं १७८०, या उस के संशोधक या विस्तारक कानून को मंसूख या प्रभावित न करेगा।

प्रथम शेड्यूल (सूची)

देशी डाकव्यय का भाव

(धारा ७ देखिये)

चिट्ठियां

यदि तोल में एक तोले से अधिक न हो.... .... आध आना
यदि ढाई तोले से अधिक तोल में न हो ... . एक आना
यदि ढाई तोले से अधिक हो तो प्रत्येक तोले... या उस के हिस्से के लिये ... ... } एक आना

पोस्ट कार्ड

अकेला.............. ....पाव आना
जवाबी.......... ....आध आना

उक्त स्थान में डाक के टिकट बेचने के लिये नियुक्त होकर वहां इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय कोई अपराध करे, तो उसको या तो उस स्थान में जहां कि अपराध हुआ, उस अदालत या अधिकारी द्वारा दंड मिलेगा-जिसको सकौंसिल गवर्नर जनरल ने उस स्थान में हुए अपराधों के विचार करने का विधिवत अधिकार दिया हो, या ब्रिटिश इंडिया के किसी भाग में पूर्ण विचार-अधिकार की अदालत द्वारा दंड मिलेगा मानो कि वह अपराध उसी भाग में हुआ था।

(२) जावता फौजदारी १८९८ की धारा १८८ की आज्ञाएं इस धारा से वर्णित किसी अपराध से सम्बन्धित न होंगी।

अन्य अपराध

धारा ५८. (१) जो मनुष्य——

धारा ४ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड ।

(क) किसी ऐसी चिट्ठी को डाक के अतिरिक्त किसी और साधन से ले जाय जो उस सम्पूर्ण स्वत्व के अन्तरगत हो जो धारा ४ द्वारा सकौंसिल गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ है, या

(ख) किसी ऐसी चिट्ठी को, डाक के अतिरिक्त किसी और साधन से, ले जाने में प्रासंगिक सेवा करे, जो उक्त कथित सम्पूर्ण स्वत्व के अन्तरगत हो, या

(ग) किसी ऐसी चिट्ठी को, डाक के अतिरिक्त किसी और साधन से भेजे या भेजे जाने के अभिप्राय से देने के लिये उपस्थित करे या दे, जो उक्त कथित सम्पूर्ण स्वत्व के अन्तरगत हो, या

(घ) डाक के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा भेजने के अभिप्राय से ऐसी चिट्ठियों का संग्रह करे जो उक्त कथित सम्पूर्ण अधिकार में न आती हों,

उसको प्रत्येक उक्त चिट्ठी के लिये ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

(२) जो मनुष्य इस धारा के अनुसार किसी अपराध का एक बार दोषी प्रमाणित हो कर उसी के अनुसार फिर दोषी प्रमाणित हो तो उस मनुष्य को प्रत्येक पिछले दोष-प्रमाण पर, ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा ५९. जो मनुष्य, धारा ५ की आज्ञाओं के प्रतिकूल चिट्ठियां ले जाय, प्राप्त करे, देने के लिये उपस्थित करे या दे, या चिट्ठियां संग्रह करे

धारा ५ की प्रतिकूलता के कारण दंड

उसको प्रत्येक ऐसी चिट्ठी के लिये ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

(२) जो मनुष्य, इस धारा के अनुसार किसी अपराध का एक बार दोषी प्रमाणित हो कर, उसी के अनुसार फिर दोषी प्रमाणित हो, तो उस मनुष्य को प्रत्येक पिछले दोष प्रमाण पर, ऐसे जुर्माने का दंड मिलेगा जिसकी संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा ६०. जो मनुष्य डाक के टिकट बेचने के लिये नियुक्त होकर,—

धारा १६ के अनुसार नियमों के तोड़ने के कारण दंड

(क) किसी खरीदार से, किसी डाक के टिकट या डाक के टिकटों की संख्या के लिये उस मूल्य से अधिक मूल्य ले जो धारा १६, उपधारा (२), खण्ड (क) के अनुसार बने किसी नियम द्वारा नियत हुआ हो, उस मनुष्य को ऐसी क़ैद का दण्ड मिलेगा जिसकी अवधि छै मास तक हो सकती है या उस को ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या सौ रुपये तक हो सकती है, या दोनों दण्ड मिलेंगे, या

(ख) धारा १६ द्वारा बने अन्य किसी नियम का उलंघन करे, उस को ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिसकी संख्या दो-सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा ६१. (१) जो मनुष्य, धारा १९, या २० की आज्ञाओं के प्रतिकूल, कोई डाक-वस्तु या कोई चीज भेजे, या डाक द्वारा भेजी जाने के अभिप्राय से उपस्थित करे या दे, तो उसको ऐसी क़ैद का दण्ड मिलेगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों दण्ड मिलेंगे।

धारा १९ या २० की प्रतिकूलता के कारण दंड

(२) किसी डाक–वस्तु का डाकखाने में इस कारण से रुका रहना, कि वह धारा १९ या २० की आज्ञाओं के प्रतिकूल भेजी गई है, प्रेषक को किसी कार्यवाई से न बचावेगा जो उस समय की जा सकती जब कि डाक––वस्तु डाक के उचित समय पर दी जाती।

डाकखाने के लेटर बक्सों को बिगाड़ने या हानि पहुंचाने के कारण दंड

धारा ६२, जो मनुष्य किसी ऐसे लेटर बक्स में या उस के सामने जो डाक वस्तुओं की प्राप्ति के लिये डाकखाने द्वारा लगाये गये हैं आग, दियासलाई, रोशनी, कोई भक से उड़ जाने वाली, भयानक, अशुद्ध, दुर्गन्धित, या हानि कर वस्तु, या कोई प्रवाहित वस्तु रखे, या किसी लेटर बक्स में या उसके सामने सार्व जानिक दुख पहुंचाने का कार्य करे, या कोई ऐसा कार्य करे जिस से उक्त किसी लेटर बक्स, उस की संबधी चीजों या उस के अन्तरगतों को हानि पहुंचने की सम्भावना हो तो उस मनुष्य को ऐसी क़ैद का दंड मिलेगा जिसकी अवधि एक वर्ष तककी हो सकती है या जुरमाना या दोनों दण्ड मिलेंगे।

डाकखाने या डाकखाने के लेटर बक्स पर बिना आज्ञा कोई चीज लगाने, रंग करने अलकतरा पोतने या उस को भद्दा बनाने के कारण दण्ड

धारा ६३, –जो मनुष्य, बिना उचित अनुमति के किसी डाकखाने में या पर, या किसी ऐसे लैटर बक्स में या पर, जो डाकखाने द्वारा डाक-वस्तुओं की प्राप्ति के लिये संग्राहित हुए हों, कोई विज्ञप्ति-पत्र, विज्ञापन, सूचना-पत्र, सूची-पत्र, लेख-पत्र, तख्ती, या और वस्तु लगाये, या रंग करे, अलकतरा पोते या किसी प्रकार उसे भद्दा बनाये, तो उसको ऐसे जुर्माने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

असत्य प्रकाश करने के कारण दण्ड

धारा ६४, —कोई ऐसा मनुष्य, जिसको इस ऐक्ट के अनुसार, किसी ऐसी डाक वस्तु के सम्बन्ध में जो डाक द्वारा भेजी जाने वाली हो, या उस के अन्तरगतों या उस के सूचन के सम्बन्ध में, प्रकाश न करना आवश्यक हो, अपने प्रकाश पत्र में कोई ऐसा वर्णन करे जिस को वह असत्य

एक्ट नं० ५ सन् १८६१

अर्थात

क़ानून पुलिस, १८६१

मिलने का पता

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त

डी० पी० कम्पनी अलीगढ़ सिटी

प्रिन्टर—विश्वम्भर प्रेस, अलीगढ़ सिटी

एक्ट नं० ५ सन् १८६१

अर्थात्

क़ानून पुलिस

(हिन्दी अनुवाद)

अनुवादक

ला० प्यारेलाल वृष्णिः मुख्तार, अलीगढ

जिस को

बा० गंगाप्रसाद गुप्त मालिक डी. पी. कम्पनी

ने

अपने 'गंगा प्रेस' अलीगढ में छापकर

प्रकाशत किया

चौथी वार १०००	१९२२	मूल्य प्रति पुस्तक ॥)

Printed & Published by
R. Ganga Prasad Gupta, Ganga Press
Aligarh City.

निवेदन ।



भ्रातृवर्ग !

हिन्दी साहित्य-बृद्धि के लिये न्यायालयो में हिन्दी का प्रवेश जैसा आवश्यकीय है उस से अधिकतर आवश्यकीय राजकीय कानूनों का हिन्दी भाषा में प्रचार पाना है । इसी उद्देश्य से हम ने यह प्रण कर लिया है कि भारत वर्ष में समस्त प्रचलित कानूनों को एक२ कर के सुलभ हिन्दी भाषा में अनुवाद करा कर प्रकाशित करें। इसी उद्देश्य का पूर्त्ति में ईश्वर ने सानुकूल हो हम को अपना पग वढ़ाने में समर्थ किया है अतएव, कानून पुलिस १८६१ हिन्दी रूप में सविनय समर्पित है । आशा है कि मर्मज्ञ अपनी २ अमूल्य सम्मतियों से विनीत को कृतज्ञ करेंगे ।

३१ नोम्बर १९१७ — भवदीय—

अलीगढ़-डी, पी, कम्पनी — गंगाप्रसाद गुप्त ।

ओ३म्

क़ानून पुलिस, १८६१

विषयसूची ।

भूमिका

पशुवध, घोड़ा गाड़ी तेज़ चलाना आदि।
जानवरों पर निर्दयता, पथिकों को रोकना।
बिक्री के लिये माल खोलना।
सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकना।
नशे में मस्त या दंगा मचाता हुआ पाया जाना।
निर्लज्जता से शरीर खोलना।
भयानक स्थानों की रक्षा मे त्रुटि।

३५–सुनने का अधिकार।

३६–अन्य कानूनों के अनुसार नालिश करने का अधिकार प्रभावित न होगा।

शर्त

३७–मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये दण्ड—धन और जुरमानों का वसूल करना।

३८ }
३९ } मंसूख
४० }

४१—पुलिस और मुखबिरों के पारतोषिक जनरल पुलिस फंड में दाखिल होंगे।

४२—नालिशों की मियाद।
मुआविजा पेश करना।

शर्त

४३—यह उज्र कि कार्य वारन्ट के अनुसार किया गया।

शर्त

४४—पुलिस अधिकारी रोज़ नामचा रखेंगे।

४५—स्थानीय गवर्नमेंट नक्शों के नमूने बना सकती है।

४६—कानून का प्रचार सीमा।

४७—जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का ग्राम की पुलिस पर अधिकार।

पशुवध, घोड़ा गाड़ी तेज़ चलाना आदि ।
जानवरों पर निर्दयता, पथिकों को रोकना ।
विक्री के लिये माल खोलना ।
सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकना ।
नशे में मस्त या दंगा मचाता हुआ पाया जाना ।
निर्लज्जता से शरीर खोलना ।
भयानक स्थानों की रक्षा में त्रुटि ।

३५–सुनने का अधिकार ।

३६–अन्य कानूनों के अनुसार नालिश करने का अधिकार प्रभावित न होगा ।

शर्त्त

३७–मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये दण्ड—धन और जुरमानों का वसूल करना ।

३८ }
३९ } मंसूख
४० }

४१—पुलिस और मुखबिरों के पारतोषिक जनरल पुलिस फंड में दाखिल होंगे ।

४२—नालिशों की मियाद ।
मुआविजा पेश करना ।

शर्त्त

४३—यह उज्र कि कार्य वारन्ट के अनुसार किया गया ।

शर्त्त

४४—पुलिस अधिकारी रोज़ नामचा रखेंगे ।

४५—स्थानीय गवर्नमेंट नकशों के नमूने बना सकती है ।

४६—कानून की प्रचार सीमा ।

४७—जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का ग्राम की पुलिस पर अधिकार ।

एक्ट ५ सन् १८६१ *



एक्ट पुलिस–प्रबन्ध के लिये

भूमिका / चूंकि यह आवश्यक है कि पुलिस का नये सिरे से प्रवन्ध किया जाय और उस को अपराधों की रोक और खोज का और भी पुरा यंत्र बनाया जाय, अतएव निम्न लिखित आज्ञायें प्रचारित होती हैं:—

---

* छोटा नाम "पुलिस एक्ट १८६१"। देखिये छोटे नामों के कानून १८९७ (एक्ट १४ सन् १८९७ जनरल एक्ट्स, जिल्द ६ को।

इस एक्ट का सम्बन्ध किया गया है:—

सामान्यतः अपर ब्रह्मा (शान स्टेट को छोड़ कर) से ब्रह्मा लाज एक्ट, १८९८ (एक्ट १३ सन् १८९८) धारा ४ (१) और शैड्यूल २, ब्रह्मा कोड, जिल्द सन् १८९९, पृष्ट २६० के अनुसार। (इस एक्ट के अपर ब्रह्म से संवन्ध के विषय में जैसा कि धारा ४६ के अनुसार पीछे के कानूनों द्वारा शंसोधन हुआ है उस धारा के नोट पृष्ट २५ पर देखिये) (इस एक्ट का प्रचार खामती लोग और मोंग मिट को छोड़ कर शान स्टेट में, कानून शान स्टेट व फौजदारी न्यायआज्ञा १८९५ के अनुसार किया गया है। देखिये ब्रह्मा कोड, जिल्द १८९९, पृष्ट ६०६। इस एक्ट का प्रचार रियासत मोंग मिट (मोमीक) और उस की सम्बन्धी रियासत मोंग लैंग में भी है देखिये ब्रह्मा गज़ट १८९६, भाग १ पृष्ट २५२

सन्थाल परगनों से, सन्थाल परगनों के वंदोबस्त के नियम सन् १८७२ (एक्ट ३ सन् १८७२ की धारा २) के अनुसार, जैसा कि उस का शंसोधन संथाल परगनाज़ जसटिस और लाज़ रेगूलेशन, १८९९ (एक्ट ३ सन् १८९९ के) अनुसार हुआ है॥

धारा १ इस एक्ट में निम्न लिखित शब्दों और वाक्यों के वही
परिभाषा | अर्थ होंगे जो उन के लिये नियत हैं, बशर्ते कि

अराकान के पहाड़ी जिले से, अराकान हिल डिस्ट्रिक्ट लाज़ रेगूलेशन, १८७४, (एक्ट ९ सन् १८७४) की धारा ३, ब्रह्मा कोड जिल्द १८९९, पृष्ठ ३०७ के अनुसार।

बृटिश बिलोचिस्तान से, बृटिश बिलोचिस्तान लाज़ रेगूलेशन, १८९० (एक्ट १ सन् १८९०), धारा ३, बिलोचिस्तान कोड जिल्द १९००, पृष्ठ ६० के अनुसार।

अंगुल और खंडोमाल्स से, अंगुल डिस्ट्रिक्ट रेगूलेशन १८९४ (एक्ट १ सन् १८९४), धारा ३ के अनुसार।

चिटगांग के पहाडी भागों से, चिटगांग हिल ट्रैक्टस रेगूलेशन १९००, (एक्ट १ सन् १९००) के अनुसार, और

कलकत्ता नगर और उस के आस पास से जैसा कि कलकत्ता पुलिस एक्ट सन् १८९८ के अनुसार बगांल एक्ट १ सन् १८९८ के द्वारा संशोधन हुआ है।

तालिका वर्णित प्रान्तों के कानून सन् १८७४ (एक्ट १४ सन् १८७४, धारा ३ की विज्ञप्ति के अनुसार निम्न लिखित तालिका वर्णित प्रान्तों में इस एक्ट का प्रचार नियत किया गया है, अर्थात् हजारी-बाग, लोहर डागा (जो अब जिला रांची कहलाता है, देखो कलकत्ता गजट १८९९ भाग १, पृष्ठ ४४) और मानभूम और परगना धाल-भूम और जिला सिंगभूम का कोल्हन, देखो गजट आफ इंडिया १८८१, भाग १, पृष्ठ ५०४. सिंगभूम जिले में रियासत पुराहट देखो गज़ट आफ इंडिया १८९७ भाग १, पृष्ठ १०५९ और उसी एक्ट की धारा ३ और ५ (क) के अनुसार परगना मानपुर, देखो गजट आफ इण्डिया १८९९, भाग २, पृष्ठ ४१९, स्थानीय गवर्नमेन्ट के अधिकार, एजन्ट गवर्नर जनरल सेन्ट्रल इंडिया को दिये गये हैं और एक्ट ५ सन् १८८१ के उद्देश्यों के लिये हाईकोर्ट के अधिकार भी।

उसी एक्ट की धारा ५ की विज्ञप्ति द्वारा इस एक्ट का प्रचार वृद्धि कमाऊं और गढ़वाल प्रांतों तक की गई है, देखिये गजट आफ

उस के विषय या इबारत के ढंग में कोई ऐसी बात न हो जो उस के प्रतिकूल हो अर्थात्.—

* शब्द " मजिस्ट्रेट जिला " से उस मुख अधिकारी का अभिप्राय होगा जिस के सुपर्द जिले का प्रबन्धकारी शासन हो और जो मजिस्ट्रेट के अधिकारों को प्रयोग में लाता हो, चाहे ऐसे अधिकारी की पदवी का, जिस के सुपुर्द प्रबन्धकारी शासन है, नाम कुछ भी क्यों न हो॥

इण्डिया १८९१, भाग १ पृष्ठ १८५, और (१, ३, ५, ६, ८, ११, २१, २८, ३३, ४१, ४३, ४६ और ४७ धाराओं को छोड कर) तालिका वर्णित कुर्ग प्रान्त तक, देखिये गजट आफ इण्डिया १८८८, भाग १, पृष्ट ८८ और ३२३, धाराएँ १५, १५ क १६, ३०, ३० क, ३१ और ३२ की प्रचार-बृद्धि गंजाम और वजीगापट्टम में स्थित तालिका वर्णित प्रान्तों तक की गई है, देखिये फ़ोर्ट सेन्ट जोर्ज गजट १८९८, भाग १, पृष्ट ६६७ और गजट आफ इंडिया, १८९८, भाग १, पृष्ट ८७३।

इस एक्ट का सम्बन्ध बिलोचिस्तान एजेन्सी टेरी टरीज़ लाज ला १८९०, बिलोचिस्तान कोड, जिल्द १९००, पृष्ट ६० के अनुसार उन प्रदेशों से किया गया है जो एजेन्सी बिलोचिस्तान के आधीन हैं॥

मद्रास बम्बई तथा बंगाल के लोअर प्राविन्सेज में प्रचलित विशेष कानूनों और धारा ४६ द्वारा उत्पन्न हुए अधिकार के अनुसार इस एक्ट के प्रचार के सम्बन्ध में उसी धारा के नोटों को देखिये।

मिलिट्री फ्रन्टियर या रूरल पुलिस के कानूनों के सम्बन्ध में, जो बृटिश इंडिया के कई विभागों में प्रचलित है, धारा ८ के नोट देखिये।

पुलिस एक्ट १८६१ (एक्ट ५ सन् १८६१) की आज्ञाओं को सख्तियां कम करने के सम्बन्ध में, जिन से पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति प्रेजीडेन्सी प्रांत या स्थान के पुलिस विभाग में जिस के कि वह मेम्बर हैं परिमित हो जाती है देखिये पुलिस एक्ट, १८८८ (एक्ट ३ सन् १८८८) जनरल एक्टस जिल्द ५

* देखिये धारा ३ (२) जाब्ता फौजदारी १८९८ (एक्ट ५ सन ८ जैसी कि १ अप्रेल सन १९०३ तक सन्शोधित हुई है।

शब्द "मजिस्ट्रेट" के भीतर वह समस्त मनुष्य सम्मिलित होंगे जो सामान्य पुलिस डिस्ट्रिक्ट में किसी मजिस्ट्रेट के कुल या थोड़े अधिकार प्रयोग में लाते हों।

शब्द "पुलिस" में ऐसे समस्त मनुष्य सम्मिलित होंगे जो इस एक्ट के अनुसार भरती किये जांयः

शब्द "सामान्य पुलिस डिस्ट्रिक्ट" में हर ऐसी प्रेसीडेन्सी, सूबा या स्थान, या हर ऐसी प्रेसीडेन्सी सूबा या स्थान का भाग सम्मिलित है जहां इस एक्ट के प्रचार की आज्ञा × हो।

:+: शब्द "डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट" और "डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस" में हर ऐसा असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट या अन्य :-: मनुष्य सम्मिलित हैं जो स्थानीय गवर्नमेंट की आज्ञा से किसी जिले में इस एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के कुल या थोड़े कर्त्तव्यों के पालन के लिये नियुक्त हुआ हो:]

× पुलिस एक्ट १८८८ (एक्ट ३ सन १८८८). की धारा २७ जनरल एक्टस, जिल्द ५, १८९८ पृष्ट १९९, के अनुसार, इस आज्ञा के होते हुए भी सकौन्सिल गवर्नर जनरल, सामान्य पुलिस डिस्ट्रिक्ट नियत कर सकते हैं जिस में दो या अधिक प्रेजीडेन्सियों, सूबों या स्थानों के भाग सम्मिलित हों।

चिटगोंग के पहाड़ी विभाग इस एक्टके उद्देश्यों के लिये सामान्य पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्थिर किये गये हैं। देखिये चिटगोंग हिल ट्रेक्टस रेगूलेशन. १९०० (एक्ट १ सन् १९००) धारा १६।

उत्तर पश्चिमी फ्रन्टियर प्रान्त. इस एक्ट के उद्देश्यों के लिये सामान्य पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्थिर किया गया है। देखिये; नार्थवेस्ट फ्रान्टियर प्राविन्स ला एण्ड जसटिस रेगुलेशन १९०१ (एक्ट ७ सन् १९०१) धारा १३, पंजाब कोड, १९०३।

:+: यह भाग. पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक एक्ट १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५), धारा १. जनरल एक्टस् जिल्द ६ के अनुसार बढ़ाया गया है।

:-. उन [illegible] के लिये जिसके द्वारा धारा ३० और ३० क के अनुसार [illegible] में [illegible] डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस [illegible]

शब्द "सम्पति" में कोई चल सम्पत्ति, रूपया या Valuable Security किफ़ालतुल माल सम्मिलित है।

एक वचन शब्दों में बहु वचन और बहु वचन में एक वचन सम्मिलित होंगे।

पुलिंग शब्दों में स्त्री लिंग सम्मिलित है।

शब्द "मनुष्य" में कम्पनी या कारपोरेशन सम्मिलित है।

शब्द "मास" से जंत्री के महीने का अभिप्राय है।

शब्द :※: "पशु" में सींग वाले पशुओं के अतिरिक्त, हाथी ऊंट घोड़े, गधे, खिच्चर, भेड़, बकरी और सूअर सम्मिलित होंगे।

धारा २※ इस एक्ट के उद्देश्यों के लिये, कुल पुलिस विभाग स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन एक पुलिस दल :-: समझा जायगा और उस की नियम पूर्वक भरती होगी।

पुलिस का संगठन

रिन्टेन्डेन्ट पुलिस के कर्त्तव्य पालन के लिये उन जिलों में नियुक्त किये जांय जहां कि वह नियत है, देखिये फोर्टसेन्ट जार्ज गजट १९०८ भाग १, पृष्ठ १०, और उस विज्ञप्ति के लिये जिस के द्वारा। बम्बई में प्रत्येक डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस जिला सुपरिन्टैन्डेन्ट पुलिस के ऐसे कर्त्तव्यों के पालन के लिये इस एक्ट के अनुसार नियुक्त किये जांय जैसा कि डिस्ट्रक्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट जिसके कि वह आधीन है समय २ पर कर्त्तव्य पालन का उसे अधिकार प्रदान करे देखो बम्बई गवर्नमेंट गज़ट १९०८, भाग १, पृष्ठ १४४।

:※: देखिये 'पशु' की परिभाषा, पशु अनुचित वेश का कानून १८७१ (एक्ट १ सन् १८७१) की धारा ३ में जैसा कि १ मई सन् १९०६ तक संशोधन हुआ है।

※ धारा २, जहां तक कि उस का बंगाल के लेफ्टनैन्ट गवर्नर द्वारा शासित प्रदेशों से सम्बन्ध है, बंगाल पुलिस एक्ट १८६९ (एक्ट ७ सन् १८६९) बंगाल कोड के अनुसार मंसूख हुई।

:-: पुलिस दल जो छावनियों में नियुक्त है स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन. पुलिस दल का भाग है देखिये कानून छावनी १८८९ (एक्ट १३ सन् १८८९) धारा १२ जनरल एक्टस, जिल्द ५।

और उस में इतने अधिकारी और लोग होंगे, और वह ऐसी रीति से वनाया जायगा, और उसदल के लोग उतना वैतन पायेगे जैसा कि समय २ पर स्थानीय गवर्नमेंट की, गवर्नर जनरल सकौंसिल की अनुमति के आधीन, आज्ञा होगी।

धारा ३. किसी सामान्य पुलिस जिलेके निरीक्षण का स्वत्व

स्थानीय गवर्नमेंट का निरीक्षण-स्वत्व

उस स्थानीय गवर्नमेंट * को प्राप्त होगा और वही स्थानीय गवर्नमेंट निरीक्षण कार्य प्रयोग में लायेगी जिस के आधीन ऐसा जिला है, और सिवाय उसके जिस को अधिकार इस एक्ट, की आज्ञाओं के अनुसार दिया गया है, किसी मनुष्य, हाकिम या अदालत को स्थानीय गवर्नमेंट यह अधिकार न देगी कि वह किसी पुलिस कर्मचारी को नियुक्त करे, प्रथक करे अथवा उस पर आज्ञा चलावे।

धारा ४. सामान्य पुलिस ज़िले भर की पुलिस के प्रवंध का

इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस इत्यादि

स्वत्व उस मनुष्य को जो इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस कहलायेगा, और ऐसे

---

* चीफ कमिश्नर के अधिकार का कानून १८६७ (एक्ट ३२ सन् १८६७) की धारा १ के अनुसार पुलिस एक्ट १८६१ (एक्ट ५ सन् १८६१) सम्बन्धी स्थानीय गवर्नमेन्ट के अधिकार अवध. मध्य प्रदेश और ब्रिटिश (अब लोअर) वरमा को प्राप्त है। देखिये इण्डिया गज़ट १८६८, पृष्ट ३५८ और सन १८६९ का, पृष्ट १८।

अवध और ब्रिटिश वरमा के चीफ कमिश्नर अब आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत और वरमा के क्रमशः लेफटिनेन्ट गवर्नर हैं।

आसाम के विषय में. देखिये १२ सितम्बर सन् १८७४ की विज्ञप्ति नं० ३१२ जिस का लेख आसाम मैनुअल आफ लोकल रूल्स एन्ड आर्डस, जिल्द १८९३. के पृष्ट ३ पर है।

डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल और असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर जनरलों को प्राप्त होगा जिन्हे स्थानीय गवर्नमेंट योग्य समझे +

मजिस्ट्रेट ÷ ज़िले की अधिकार—सीमा भर की पुलिस के प्रबंध का स्वत्व, मजिस्ट्रेट ज़िले के सामान्य अधिकार और शिक्षा के आधीन, जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट और ऐसे असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट जिला को प्राप्त होगा जिस को स्थानीय गवर्नमेंट आवश्यकीय समझे।

इन्स्पेक्टर जनरल और उपर्युक्त अन्य अधिकारी वर्ग समय २ पर स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त होंगे और उन को वही गवर्नमेन्ट पृथक कर सकती है।

धारा ५. इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को सामान्य पुलिस जिले भर में मजिस्ट्रेट * के कुल अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन अधिकारों को उन बंधनों के साथ प्रयोग में लायगा जो स्थानीय गवर्नमेंट द्वारा समय २ पर लगाये जांय।

इन्स्पेक्टर जनरल के अधिकार अधिकार प्रयोग

+ कलकत्ता नगर मे पुलिस प्रबंध का अधिकार "कमिश्नर पुलिस को है। देखिये धारा ४, बंगाल एक्ट ४ सन् १८६६ (कलकत्ता पुलिस), और मुफस्सिल में बंगाल के इंस्पेकटर जनरल पुलिस उन शक्तियों और अधि कारों के प्रयोग करने में जो उन्हे प्राप्त हैं आसक्त हैं। देखिये धारा ९ बंगाल एक्ट ४ सन् १८८४ (हावड़ा एण्ड सुबरबन म्यूनिसिपल पुलिस)।

÷ संयुकत प्रान्त आगरा और अवध के कमिश्नर और मजिस्ट्रेटों के अधिकार सम्बन्धी नियम और आज्ञाओं के विषय में, देखिये संयुकत प्रान्त सम्बन्धी स्थानीय नियम और आज्ञाओं की सूची, जिल्द १९०४, पुलिस, मनुएल, धारा ११ देखिये।

* अर्थात प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकारों के विषय में देखिये धारा २ (२) जाबता फ़ौजदारी १८९८, १ अप्रैल १९०३ तक की संशोधित।

धारा ६, (पुलिस अधिकारियों के मजिस्ट्रेटी के अधिकार ज़ाब्ता फौजदारी सन् १८८२ (एक्ट १० सन् १८८२) द्वारा मंसूख हुई ।

छोटे अधिकारियो की नियुक्त और प्रथक कारण

धारा ७, ÷ उनके अतिरिक्त जिन का वर्णन इस एक्ट की धारा ४ में हुआ है समस्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का स्वत्व, उन नियमों :※: के अनुसार जिन को स्थानीय गवर्नमेंट स्वीकार करे, इन्सपेक्टर जनरल, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, असिस्टैन्ड इन्सपैक्टर जनरल और जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को प्राप्त होगा जो उपर्युक्त नियमानुसार, किसी पुलिस अधिकारी को, जिस को वे अपने कर्त्तव्य पालन में शिथिल या अकर्मण्य अथवा उस के अयोग्य समझे, किसी समय बरखास्त या मुअत्तल कर सक्ते हैं या पद से उतार सकते हैं:

÷ कोई मनुष्य जो बरमा पुलिस दल में इस धारा के अनुसार नियुक्त हुआ, बरमा मिलटरी पुलिस एक्ट १८८७ (एक्ट १५ सन् १८८७) के अर्थों में सैनिक पुलिस अधिकारी है। देखिये. धारा ३ (१) उसी एक्ट की, बरमा कोड, १८९९ का छपा हुआ।

इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारियों पर कमान्डेन्ट या सेकन्ड कमांड सैनिक पुलिस आज्ञा के शिक्षा संबंधी अधिकारों के विषय में देखिये उसी एक्ट की धारा १२।

:※: मध्य प्रदेश के पुलिस-दल सम्बन्धी नियमों के विषय में देखिये विज्ञप्ति नं० ३५९५, स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की मध्य प्रदेश की सूची, १९०४ की छपी हुई, तथा देखिये पुलिस मैनुएल, जिल्द १

संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के मजिस्ट्रेट और कमिश्नरों के

:x: या किसी पुलिस-अधिकारी को जो, शिथिलता या लापरवाही से अपना कर्त्तव्य पालन करे, या जो अपने किसी कार्य से अपने को अपने कर्त्तव्य-पालन के अयोग्य बना ले निम्न लिखित दंडों में से एक या अधिक दंड दे सकते हैं, अर्थात्ः-

(क) जुरमाना जिस की संख्या एक महीने के वेतन से अधिक न हो,

(ख) कैद किसी अवधि तक जो पंद्रह दिन से अधिक न हो, चाहे उस के साथ दंड की डूल (दलेल, अधिक पहरा, श्रम अथवा अन्य कार्य हो या न हो,

(ग) नेक चाल चलन के वेतन की ज़ब्ती

(घ) किसी प्रतिष्ठित या विशेष, मान पद से हटा देना।

धारा ८, प्रत्येक पुलिस- अधिकारी को जो उपर्युक्त रीत्यां-

पुलिस अधिकारियों के नुसार नियुक्त हो, अपनी नियुक्त पर सार्टी फिकेट इन्सपेक्टर जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की मुहर का, जिस को इंसपेक्टर जनरल नियुक्त करे एक सारटीफिकेट मिलेगा जो इस एक्ट के साथ लगे हुए नमूनों का होगा और जिस के द्वारा सारटीफिकेट पाने वाला मनुष्य पुलिस

अधिकार संबंधी नियमों और आज्ञाओं के विषय में, देखिये, स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की संयुक्त प्रांति की सूची, सन् १९०८ की छपी हुई, तथा देखिये पुलिस मैनुएल, धारा ११

:x: यह पेरा इन शब्दों "या किसी पुलिस-अधिकारी पर जो अपना कर्त्तव्य-पालन शिथिलता या अकमण्यता से करे या जो अपने ही किसी काम से अपने को अपने कर्त्तव्य-पालन के लिये अयोग्य बनाले, ऐसा जुरमाना कर सके है जो एक मास के वेतन से अधिक न हो "के स्थान में पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा २, के अनुसार रखा गया है।

* अधिकारी के अधिकार, कर्त्तव्य और रिआयतें प्राप्त करेगा।

* (१) उस फ़ौजी, पुलिस दल की भरती, स्थिरता और शिक्षा के सम्बन्ध में जो नियुक्त है—

(क) अण्डमन और निकोवार टापुओं में, देखिये अण्डवन एन्ड निकोवार आइलेंडस मिलिटरी पुलिस रेगूलेशन १८८८ (एक्ट २ सन् १८८८) गज़ट आफ इंडिया, १८८८, भाग १, पृष्ठ ३९१।

(ख) आसाम. में देखिये आसाम मिलिट्री पुलिस रेगूलेशन १८९०, (एक्ट ४ सन् १८९०) आसाम कोड १८९७ का छपा हुआ पृष्ठ २८६,

(ग) वरमा में, देखिये वरमा मिलिट्री पुलिस एक्ट १८८७ (एक्ट १५ सन् १८८७) वरमा कोड १८९° का छपा हुआ, पृष्ठ७३

(२) चटगाँग के पहाड़ी विभागों की सरहदी पुलिस की भरती स्थिरता और शिक्षा के संबंध में, देखिये चिटगोंग हिल ट्रैक्टस फ्रंटियर पुलिस रेगूलेशन १८८१ (एक्ट ३ सन् १८८१) बंगाल कोड

(३) कचहार और सिलहट प्रांतों की देहाती पुलिस की भरती स्थिरता और शिक्षा के संबंध में, देखिये सिलहट एन्ड कचहार रूरल पुलिस रेगूलेशन १८८३ (एक्ट १ सन् १८८३) आसाम कोड १८९७ का छपा हुआ पृष्ठ २२८

(४) पंजाब के सरहद्दी पुलिस अधिकारियों की भरती. स्थिरता और शिक्षा के संबंध में देखिये पंजाब फ्रन्टियर पुलिस आफिसर्स रेगूलेशन १८९३ (एक्ट ७ सन् १८९३)

(५) कलकत्ता और मुफस्सिल पुलिस की भरती. स्थिरता और शिक्षा के संबंध में, देखिये बंगाल एक्ट ४ सन् १८६६ (कलकत्ता पुलिस) और बंगाल एक्ट २ सन् १८६६ (कलकत्ता मुफस्सिल पुलिस बंगाल कोड,

(६) संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध के म्यूनिसिपिल डेपार्टमेन्टों के पुलिस विभाग की भरती. स्थिरता और शिक्षा के संबंध में देखिये संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध का कानून चुंगी १९०० (यू. पी. एक्ट १ सन् १९००) धारायें ७३-७९,

(७) पंजाब के म्यूनिसिपल डेपार्टमेन्टों के पुलिस विभाग की भरती. स्थिरता और शिक्षा के संबंध में. देखिये पंजाब का कानून चुंगी १८९१ (एक्ट २० सन १८९१) धारायें ७९-८८, पंजाब कोड १९०३ का छपा हुआ,

* जब कि वह मनुष्य, जिस का नाम सारटीफिकेट में है किसी कारण से पुलिस अधिकारी न रहे तो उपर्य्युक्त सारटीफिकेट प्रभाव जनक न रहेगा, और ऐसा अधिकारी न रहने पर वह उस सारटीफिकेट को किसी ऐसे अफसर को तुरत ही देदेगा जो उस के लेने का अधिकारी हो]

सारटीफिकेट देना

* [यह बात नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी पद से मुअत्तल होने के कारण पुलिस—अधिकारी न रहे, ऐसी मुअत्तली के समय में, वह अधिकार कर्त्तव्य और रिआयतें जो उसे पुलिस—अधिकारी के रूप में प्राप्त हैं रुकी रहेंगी, परन्तु वह उन्हीं उत्तर दायत्वों, शिक्षाओं और दण्डों तथा अधिकार्यों के आधीन बराबर बना रहेगा मानों वह मुअत्तल ही नहीं हुआ था।]

धारा ९, कोई पुलिस अधिकारी इस बात के लिये स्वतंत्र न होगा कि वह स्वयं अपने पद के कर्त्तव्यों से हाथ खींच ले जब तक प्रत्यक्ष अनुमति न हो डिस्ट्रक्ट सुपरिन्टन्डेन्ट की या किसी अन्य अफसर की जो ऐसी अनुमति देने का अधिकार रखता हो, और न वह इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि वह डिस्ट्रक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट की आज्ञा बिना अपना

बिना अनुमति या दो मास का नोटिस दिये बिना पुलिस अधिकारी त्यागपत्र नहीं दे सकते

---

* पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक एक्ट १८९५ (एक्ट ८ सन १८९५) की धारा ३ के अनुसार, असली पैरे के स्थान में यह पैरे रक्खे गये। वह पैरा निम्न लिखित था:—

"जब कि वह मनुष्य जिस का नाम सर्टीफिकेट में है पुलिस दल की नौकरी से मुअत्तल, बरखास्त या और रीति से पृथक हो जाय तो उपर्युक्त सरटीफिकट का कोई प्रभाव न रहेगा और उसे वह मनुष्य तुरंत ही अपने उच्चाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को जो उस के लेने का अधिकार रखता हो देदेगा।"

पद त्याग सके जब तक कि वह अपने त्याग-बिचार का लिखित नोटिस जो दो मास से कम समय का न हो, अपने उच्चाधिकारी को न देदे।

धारा १० कोई पुलिस-अधिकारी, इस एक्ट के अनुसार नियुक्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त किसी काम या पद से संबंध न रखेगा जब तक कि ऐसा करने की प्रत्यक्ष लिखित अनुमति इन्सपैक्टर जनरल की न हो।

पुलिस-अधिकारी किसी अन्य काम से संबन्ध नहीं रख सक्ते

धारा ११ (पुलिस का वृद्धत्व-सम्बन्धी फण्ड) कानून मंसूखी १८७४ (एक्ट १६ सन् १८७४) द्वारा मंसूख हुई।

धारा १२ इन्सपेक्टर जनरल पुलिस समय २ पर स्थानीय गवर्नमेंट की स्वीकृति के आधीन ऐसी आज्ञाएँ और नियम * बनावेंगे जो वह पुलिस दल के बनाने, श्रेणीवद्ध करने तथा बांटने के संबंध में उन स्थानों के सम्बन्ध में जहां पुलिस के लोग रहेंगे और उन विशेष सेवाओं के सम्बन्ध में जो उन के द्वारा कराई जांयगी, उन के निरीक्षण के सम्बन्ध में, शस्त्र—प्रकार सामान और

इन्सपेक्टर जनरल का नियम बनाने का अधिकार

---

* उन नियमों और आज्ञाओं के लिये जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की पुलिस के प्रबंध, निरीक्षण, शिक्षा, सजावट नियुक्त और कर्त्तव्यों से सम्बन्ध रखते हैं देखिये संयुक्त प्रांत की स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की सूची १९०४ की छपी हुई, भाग १, जिल्द १ सूची नं० ३ पृष्ठ ७। पुलिस मैनुअल १८९० का छपा हुआ, धाराएँ १ से १० तक भी देखिये।

बरमा की पुलिस के प्रबन्ध सम्बंधी नियमों के लिये देखिये बरमा पुलिस मैनुअल, १९०२ का छपा हुआ। इस धारा के अनुसार मध्य प्रदेश संम्बंधी साधारण नियमों के विषय में, देखिये विज्ञप्ति नं० ३५९५ मध्य प्रदेश के स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की सूची, १९०४ की छपी हुई। पुलिस मैनुअल, जिल्द १ भी देखिये।

अन्य आवश्यकीय चीज़ों के सम्बन्ध में जो उन के लिये संग्रह की जांयगी, उन के समाचार जुटाने और पहुंचाने के सम्बन्ध में उचित समझें, और पुलिस-दल सम्बन्धी ऐसी अन्य आज्ञाएं और नियम बनावेंगे जो इन्सपेक्टर जनरल समय २ पर कर्त्तव्य शिथिलता या कर्त्तव्य-हीनता के रोकने और ऐसे दल को अपने कर्त्तव्य-पालन में योग्य बनाने के लिये उचित समझें।

धारा १३. इन्सपेक्टर जनरल पुलिस या किसी डिप्टी इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर या सुपरिन्टेन्डेन्ट जिला के लिये यह बात कानून के अनुसार उचित होगी कि वह जिला मजिस्ट्रेट की सामान्य आज्ञा के आधीन किसी मनुष्य की प्रार्थना पर जब उस की आवश्यक्ता दिखलाई जाय, साधारण पुलिस जिले भर के किसी स्थान की शान्तिरक्षा के लिये और उस समय के लिये जो उचित समझा जाय पुलिस अधिकारियों की एक अतिरिक्त संख्या नियुक्त करें। उपर्युक्त दल जिला सुपरिन्टेन्डेंट की आज्ञा के निरंतर आधीन होगा और प्रार्थी से उस का व्यय लिया जायगा।

अतिरिक्त पुलिस-अधिकारी जो विशेष व्यक्तियों के व्यय पर नियुक्त होंगे।

परन्तु शर्त्त यह है कि उस मनुष्य के लिये, जिस की प्रार्थना पर उपर्युक्त नियुक्त हुई है, कानून के अनुसार उचित होगा कि इन्सपेक्टर जनरल, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल या असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जनरल या जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक मास का लिखित नोटिस देकर इस प्रकार नियुक्त पुलिस अधिकारियों के वापिस बुला लेने की प्रार्थना करे, और उपर्युक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर उपर्युक्त मनुष्य उपर्युक्त दल के व्यय से हलका हो जायगा।

धारा १४. जब देश के किसी भाग में रेलवे, नहर या अन्य सर्व साधारण का कार्य या कोई कारखाना या व्यापारी कारबार जारी हो या चल रहा हो और इन्सपेक्टर जनरल को उस कार्य कारखाने अथवा कारबार में नियुक्त लोगों के व्यवहार या व्यवहार-भय से उक्त स्थान में अतिरिक्त पुलिस-दल का नियुक्त करना आवश्यकीय प्रतीत हो, तो स्थानीय गवर्नमेन्ट की अनुमति से इन्सपेक्टर जनरल को उचित होगा कि उक्त स्थान पर अतिरिक्त पुलिस-दल नियुक्त करे और उस को उस समय तक नियुक्त रखे जब तक आवश्यकता बाकी रहे और उन को यह भी उचित होगा कि वह उस अतिरिक्त दल का व्यय जिस की इस प्रकार अवश्यकता पड़े, समय २ पर उस मनुष्य द्वारा दिये जाने की आज्ञा दें जिस के अधिकार या रक्षा में उपर्युक्त कार्य, कारखाना या कारबार चलाने का रुपया हो और उक्त मनुष्य आज्ञानुसार व्यय दिलवायेगा।

रेलवे और अन्य इमारतों के आस पास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्त

***धारा १५.** १ स्थानी गवर्नमेन्ट के लिये उचित होगा कि वह सरकारी गज़ट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जिस को स्थानीय गवर्नमेन्ट आज्ञा दे, यह प्रकाशित करे कि हमारे शासनाधीन कोई क्षेत्रफल अशान्त या भयानक अवस्था में पाया गया है, या यह कि उक्त क्षेत्रफल के निवासियों के व्यवहार के

उन जिलों में जो अशान्त या भयानक अवस्था में हों अतिरिक्त पुलिस नियत करना।

* असली धारा १५ के बदले, पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक एक्ट १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा ३. जनरल एक्ट्स, जिल्द ८ के अनुसार यह धारा रक्खी गई है।

कारण या उन के किसी विभाग या समूह के व्यवहार के कारण पुलिस-संख्या का बढ़ाना उचित प्रतीत होता है।

(२) तब इन्सपेक्टर जनरल पुलिस या अन्य अफसर को, जिस को स्थानीय गवर्नमेन्ट की ओर से इस विषय में अधिकार प्राप्त हो, उचित होगा कि वह स्थानी गवर्नमेंट की स्वीकृत से, उस क्षेत्रफल में जिस का विवरण उक्त विज्ञप्ति में दिया हो, साधारण पुलिस संख्या के अतिरिक्त पुलिस—दल नियत करे।

(३) इस एक्ट की उपधारा (५) की आज्ञाओं के आधीन, उक्त अतिरिक्त पुलिस-दल का व्यय विज्ञप्ति-वर्णित उक्त क्षेत्रफल के निवासियों को देना पड़ेगा।

(४) मजिस्ट्रेट, जिला ऐसी तहकीकात के पश्चात जिसे वह आवश्यकीय समझे, उस व्यय को उन निवासियों पर बाँट देगा जो उक्त कथनानुसार उस व्यय के उठाने के जुम्मेदार हों और जो निम्न उपधारा द्वारा क्षमा न किये गये हों। यह बांट, उस क्षेत्रफल के उक्त निवासियो में हर एक की शक्ति के अनुसार जो मजिस्ट्रेट के विचार में पाई जाय, किया जायगा।

(५) स्थानीय गवर्नमेन्ट के लिये उचित होगा कि वह आज्ञा द्वारा किसी मनुष्य को या ऐसे निवासियों के समुदाय या खण्ड को उक्त व्यय के किसी अंश के सहन करने से क्षमा करदे।

(६) इस धारा की उपधारा (१) के अनुसार प्रकाशित विज्ञप्ति में उस अविध का वर्णन होगा जब तक कि वह जारी रहे परंतु वह (विज्ञप्ति) किसी समय वापिस ली जा सकती है या समय २ पर अधिक अवधि या अवधियों के लिये जैसा कि स्थानीय गवर्नमेन्ट हर अवस्था में आज्ञा देना उचित समझे, जारी की जासकती है।

व्याख्या:— इस धारा के अभि प्रायों के लिये, 'निवासियों, में वह लोग सम्मिलित होंगे जो स्वयं अथवा अपने एजन्टों या नौकरों द्वारा उक्त क्षेत्रफल की किसी भूमि या अन्य अचल सम्पित्ति मे प्रविष्ट या अधिकारी हों और वह जिमींदार भी सम्मिलित होंगे जो स्वयं या अपने एजेन्टों या नौकरों द्वारा, उस क्षेत्रफल में रहने वालों या प्रजा से सीधा लगान वसूल करते हों चाहे वह वहां वास्तव में रहते ही न हों।

धारा १५ क *(१) यदि, किसी क्षेत्रफल में, जिस के सम्वन्ध में कोई विज्ञप्ति जो ऊपर की अन्तिम धारा के आनुसार, जारी हो उस क्षेत्रफल के निवासियों या उन के किसी समुदाय या खण्ड के दुर्व्यवहार के कारण कोई मृत्यु हो जाय या सख्त चोट लगे या सम्पत्ति-हानि हो या सम्पति का हरजा हो, तो किसी मनुष्य को, जो उस क्षेत्रफल का रहने वाला हो और जो ऐसे दुर्व्यवहार के कारण हानि उठाने का दावा करता हो, उचित होगा कि वह हानि उठाने की तारीख सेएक मास या ऐसे कम समय के भीतर जो नियत कर दिया जाय उस जिले के या जिले के सवडिवीजन के मजिस्ट्रेट को, जिस के भीतर उक्त क्षेत्रफल स्थिर + हो, हरजे के लिये प्रार्थना पत्र दे।

उन लोगों को हरजा दिलाना जिन को भूमि में स्वत्व प्राप्त लोगो या वहां के निवासियों की ओर से हानि पहुंची हो।

(२) इस पर मजिस्ट्रेट जिला को उचित होगा कि वह स्थानीय गवर्नमेंट की स्वीकृत से ऐसी तहकीक़ात के पश्चात जिसे

---

* धारा १५ क, पुलिस एक्ट (१८६१) के संसोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५), धारा ५, जनरल एक्ट्स, जिल्द ८, के अनुसार सम्मिलित की गई + उन नियमों के लिये जिन के अनुसार, इस धारा में, परमा का सम्बन्ध होता है, देखिये धारा ४६ (२) पर का नोट (१) पृष्ठ २७,

वह आवश्यकीय समझे, और चाहे उस क्षेत्रफल में, ऊपर की अन्तिम धारा के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस-दल नियत किया गया हो या न किया गया हो,

(क) यह प्रकट करे कि किन २ मनुष्यों को दुर्व्यवहार से हानि पहुंची है या उस के कारण हानि हुई है।

(ख) ऐसे मनुष्यों को दिये जाने वाले हरजे की संख्या नियत करे और वह विधि भी नियत करदे जिस के अनुसार वह उन में बांटा जावेगा, और

(ग) वह हिसाब हिस्सा रसदी निश्चित करदे जिस के अनुसार प्रार्थी के अतिरिक्त उस क्षेत्रफल के उन निवासियों को हरजा देना पड़ेगा जो ठीक पिछली उपधारा के अनुसार हरजा देने की ज़ुम्मेदारी से क्षमा न कर दिये गये हों

परन्तु शर्त्त यह है कि मजिस्ट्रेट इस उप धारा के अनुसार कोई नियुक्त या निश्चय न करेगा जब तक कि उसकी यह सम्मति न हो कि उक्त हानि उस क्षेत्रफल में बलवा या अनुचित समारोह के कारण उत्पन्न हुई है, और यह कि वह मनुष्य जिस ने हानि सहन की, उन घटनाओं के सम्बन्ध में निरपराधी था, जिन के कारण कि हानि हुई,

(३) स्थानीय गवर्नमेंट के लिये उचित होगा कि वह आज्ञा द्वारा, उक्त हरजे के किसी अंश के देने की ज़ुम्मेदारी से किसी मनुष्यों को या निवासियों या उन के किसी समुदाय या खण्ड को क्षमा करदे।

(४) उपधारा (२) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जो बात नियत करे या निश्चय करे या आज्ञा करे वह [कमिश्नर

किसमत या) + स्थानीय गवर्नमेंट के पुनि विचार के आधीन होगा परंतु उसके सिवाय जो ऊपर वर्णन हुआ कतई होगा।

(५) किसी ऐसी हानि के लिये जिस के सम्बन्ध मे इस धारा के अनुसार हरजा देदिया गया हो कोई दीवानी की नालिश सुनी न जायगी।

(६) व्याख्या—इस धारा में " निवासियों " का वही अर्थ होगा जो ऊपर की अन्तिम धारा में है।

ऐसे रुपये का जो धारा १३,१४,१५, और १५ क के अनुसार दिये जाने योग्य हो वसूल करना और वसूल होने पर व्यय करना।

*धारा १६. (१) कुल रुपये जो धारा १३, १४, १५, और १५ क के अनुसार देये हों मजिस्ट्रेट जिला द्वारा उसी प्रकार वसूल होगे जिस प्रकार का वर्णन जावता फौजदारी सन १८८२, की धाराएं × ३८६ व ३८७ मे जुरमानों के वसूल के लिये है, या किसी अदालत मजाज़ में नालिश कर के।

(२) कुल रुपये, जो धारा १३, १४, १५. और १५ क के अनुसार दिये या वसूल किये जांय, वह एक फण्ड में जमा होंगे जो "जनरल पुलिस फण्ड" कहलायेगा और वह पुलिस दल के स्थिर रहने में उन आज्ञाओं के अनुसार व्यय किये जांयगे जो स्थानीय गवर्नमेन्ट प्रचलित करे।

+ उत्तर-पश्चिमी सरहद्दी प्रांत में यह शब्द निकाल देना चाहिये देखिये दी नार्थ वेस्ट फन्टियर प्राविन्सला एंड जस्टिस रेगूलेशन, १९०१ (एक्ट ७ सन् १९०१) प्रथम सूची पंजाब कोड, १९०३ क छपा हुआ।

* पुलिस एक्ट (१८६१) संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५ धारा ६, जनरल एक्टस, जिल्द, ४ के अनुसार यह धारा असली धारा १६ के स्थान में रक्खी गई है।

× देखिये अब यह धाराएं जावता फौजदारी १८९८ (एक्ट ५, सन १८९८) १ अप्रेल सन् १९०३ तक का संशोधित।

(३) कुल रुपये जो धारा १५ क के अनुसार दिया या वसूल किये जांय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन लोगो को उस हिस्सा रसदी से दिये जांयगे जिन को जिस हिस्सा रसदी से उस धारा के अनुसार दिये जाने योग्य हों।

धारा १७. जब यह मालूम हो कि कोई अनुचित समुदाय, बलवा या शांति भंग होगया है या होने का उचित डर है, और यह कि पुलिस—दल जो साधारणतः शांति—रक्षा के लिये नियुक्त हुआ है वहां की शांति स्थिर रखने तथा उस स्थान के निवासियों की रक्षा और माल के बचाने के लिये पर्याप्त नहीं है जहां कि अनुचित समुदाय, बलवा, या शान्ति भंग हुआ है या होने का डर है, तो पुलिस अधिकारी को जो इन्सपेक्टर से कम पद का न हो, उचित होगा कि वह निकटस्थ मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करे कि वह आस पास के रहने वालों में से इतने मनुष्य जितने विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में काम करने के लिये आवश्यकीय हो उतने समय के लिये और उन हुदूद के भीतर, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त किये जांय और वह मजिस्ट्रेट जिस से ऐसी प्रार्थना की जाय, यदि वह कोई बात उस के प्रतिकूल न पाये, उस प्रार्थना के अनुसार कार्य करेगा।

विशेष पुलिस अधिकारी

धारा १८. प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी को जो इस प्रकार नियुक्त हो वही अधिकार, लाभ और रक्षा——स्वत्व प्राप्त होंगे जो साधारण पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं, और उसे वही कर्त्तव्य पालन करना होंगे जो साधारण पुलिस अधिकारी करते हैं, और वह उन्हीं दण्डों का जुम्मेदार होगा जिन का साधारण पुलिस अधिकारी जुम्मेदार हैं और वह उन्हीं अधिकारियों के आधीन होगा जिन का आधीन साधारण पुलिस अधिकारी है।

विशेष पुलिस अधिकारियों के अधिकार

धारा १९, यदि कोई मनुष्य, जो उपर्य्युक्त कथनानुसार

विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इंकार

विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया हो, बिना पर्य्याप्त उज्र के, विशेष पुलिस अधिकारी की तरह सेवा करने में त्रुटि करे या उस से इन्कार करे, या उस उचित आज्ञा या अनुशासन का उल्लंघन करे जो उस को उस के कर्त्तव्यों के निमित्त दिया जाय, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी प्रमाणित होने पर प्रत्येक ऐसी त्रुटि, इन्कार अथवा आज्ञा—उल्लंघन के लिये, उस जुरमाने के देने का जुम्मेदार होगा जिसकी संख्या पचास रुपये से अधिक न हो।

धारा २०, * पुलिस अधिकारी जो इस एक्ट के अनुसार

शक्ति जो पुलिस अधिकारी प्रयोग में लायेंगे

भरती किये जांय कोई शक्ति प्रयोग में न लायेंगे सिवाय उस शक्ति के जिस की आज्ञा पुलिस अधिकारी के लिये इस एक्ट और अन्य एक्ट में, जो फौजदारी की कार्यवाही के प्रबंध के लिये तत्पश्चात् पास किया जाय, दी जाय।

---

* उन अवस्थाओं में जिन में धारा २० का प्रयोग परमित कर दिया गया है देखिये आसाम पुलिस रेगूलेशन १८८३ (एक्ट २ सन् १८८३), धाराएं २, ३ आसाम कोड, १८९७ का छपा हुआ, पृष्ठ २३५ बरमा मिलिट्री पुलिस एक्ट १८८७ (एक्ट १४ १८८७) धारा ११ बरमा कोड १८९९ का छपा हुआ, पृष्ठ १७८

यह स्थिर किया गया है कि इस धारा का सम्बन्ध किसी ऐसे असिसटेंन्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस से नहीं है जिस के कर्त्तव्य बिना भरती किये हुए पुलिस दल के सम्बन्ध में प्रयोग में आते हैं। देखिये धारा २. पञ्जाब फ्रन्टियर पुलिस आफिसर्स रेगूलेशन १८९३ (एकट ७ सन् १८९३) गजट आफ इण्डिया १८९३, भाग १ पृष्ठ २८०.

धारा २१, इस एक्ट की कोई बात किसी पैत्रिक या अन्य

ग्रामीण पुलिस अधिकारी

ग्रामीण पुलिस अधिकारी से सम्बन्ध न रखेगी जब तक कि ऐसा अधिकारी इस एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी की भांति भरती न हो जाय। जब इस प्रकार भरती हो जाय तो वह अधिकारी ऊपर की अन्तिम धारा की आज्ञाओं से बद्ध होगा। कोई पैत्रिक या अन्य ग्रामीण पुलिस अधिकारी उसकी और उनकी सम्मति के बिना भरती न किया जायगा जो उस के नाम जद् करने का स्वत्व रखते हो।

फोर्ट विलियम प्रेसीडेन्सी में पुलिस चौकीदार

यदि कोई पुलिस अधिकारी जो एक्ट २० सन् १८५६ (बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेजीडेन्सी के शहरों नगरो, स्टेशनो, मुफस्सिल और बाजारों में पुलिस चौकीदारो की नियुक्ति और उनके रहने के लिये उत्तम आज्ञाएं प्रचरित करने के लिये) के अनुसार नियुक्त हुआ हो उस जिले के बाहर नियुक्त किया जाय जिस के लिये वह उक्त एक्ट के अनुसार नियुक्त किया गया हो, तो उस का वेतन उस महसूल से न मिलेगा जो उस ज़िले के लिये उक्त एक्ट के अनुसार वसूल किया जाता हो।

धारा २२, इस एक्ट में वर्णित समस्त अभिप्रायों के लिये

पुलिस अधिकारी सदैव कर्त्तव्य सेवा-रत समझे जायगे तथा उन से जिले के किसी भाग में काम लिया जासकता है।

प्रत्येक पुलिस आफिसर सदैव काम पर नियुक्त समझा जायगा, और किसी समय पुलिस—अधिकारी की भांति साधारण पुलिस-जिले के किसी भाग में नियुक्त किया जा सकता है।

धारा २३, प्रत्येक पुलिस-अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा

पुलिस-अधिकारियों के कर्त्तव्य

कि वह तुरंत उन समस्त आज्ञाओं का पालन और वारन्टो की तामील करे जो

किसी उचित अधिकारी ने उसे दिये हों 'सर्व साधारण की शान्ति के सम्बन्ध में समाचार एकत्र कर पहुंचावे, अपराधों का होना और सर्व साधारण सम्बंधी अशान्ति कारक बातों को रोके, अपराधी का पता लगा कर दण्ड दिलाये और उन समस्त लोगों को पकड़े जिन को पकड़ने का उस को कानून के अनुसार अधिकार है और जिनके पकड़े जाने का पर्य्याप्त कारण उपस्थित है और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिये इस धारा में वर्णित किसी अभिप्राय के लिये, कानूनानुसार उचित होगा कि वह किसी शराबखाना, जुआ घर या किसी अन्य स्थान में जहां दुराचारी और बदमाश लोग आते जाते हों, बिना वारंट प्रवेश कर निरीक्षण करे।

धारा २४ *किसी पुलिस अधिकारी के लिये यह बात उचित होगी कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना पेश करे, और समन वारंट तलाशी या अन्य ऐसे कानूनी परवाने के लिये प्रार्थना करे जो कानून के अनुसार किसी अपराध करने वाले मनुष्य के प्रतिकूल निकल सकता हो—(*)।

पुलिस अधिकारी सूचना आदि दे सकते हैं।

धारा २५—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह स्वत्व-रहित संपत्ति को अपने अधिकार में करे और मजिस्टेट जिले को उस की सूची बना कर दे।

पुलिस अधिकारी स्वत्व रहित सम्पत्ति को अपने अधिकार में करेंगे और उस के व्यय के सम्बन्ध में मजिस्टेट की आज्ञाओं के आधीन रहेंगे।

उस सम्पत्ति के व्यय के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी उन आज्ञाओं के अनुसार कार्य करेंगे जो उन को मजिस्टेट जिले की ओर से मिलें

(*) शब्द " और उस मनुष्य पर नालिश करे, अन्तिम निर्णय प्राप्त करे" [illegible] फौजदारी १८८२ (एक्ट १० सन् १८८२) द्वारा संयुक्त हुए। देखिये [illegible] एक्ट ५ सन् १८९८, [illegible] सन् [illegible] तक का संशोधित।

धारा २६—मजिस्ट्रेट जिला उक्त माल को रोक कर एक विज्ञप्ति, उन चीजों के निरूपण सहित जो उस सम्पत्ति में सम्मलित हों, इस आशय की निकाल सकता है कि जिस मनुष्य को उक्त सम्पत्ति पर कोई दावा हो वह उक्त विज्ञप्ति की तारीख से छै मास के भीतर उपस्थित होकर उक्त सम्पत्ति विषयक अपना स्वत्व प्रमाणित करे।

मजिस्ट्रेट माल रोक कर विज्ञप्ति निकाल सकता है।

*[(२) जाबता फौजदारी, १८८१, की धारा ५२५ की आज्ञाएं इस धारा में वर्णित सम्पत्ति से सम्बन्ध रखेंगी।]

धारा २७÷ (१) यदि कोई मनुष्य उस अवधि के भीतर जिस की अनुमति है उक्त सम्पत्ति, या यदि वह सम्पत्ति बिक जाय तो उस के रूपये, पर दावा न करे, तो वह, यदि ऊपर की अन्तिम धारा की उप धारा (२) के अनुसार न बिकी हो तो, मजिस्ट्रेट ज़िले की आज्ञाओं के अनुसार बेच दी जायगी।

दावेदार उपस्थित न होने की अवस्था में माल की जवती।

(२) उस सम्पत्ति की बिक्री का रुपया, जो ऊपर की उप धारा के अनुसार बिके, और उस सम्पत्ति का रुपया जो धारा २६ के अनुसार बिके और जिस के लिये कोई दावा प्रमाणित न हुआ हो गवर्नमेंट की इच्छा पर व्यय होगा।

(*) यह उप-धारा पुलिस एक्ट (१८६१ के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा ७ के अनुसार बढ़ाई गई है। अवलोकन हो अब जाब्ता फौजदारी १८९८ (एक्ट ५ सन् १८९८), देखिये जाब्ता १ अप्रेल सन् १९०३ तक का संशोधित।

(÷) यह धारा असली धारा के स्थान में पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) की धारा ८ के अनुसार रखी गई है। वह धारा यह थी "यदि कोई मनुष्य उस अवधि के भीतर जिस की अनुमति है उक्त सम्पत्ति पर दावा न करे तो वो मजिस्ट्रेट की आज्ञा से बेचदी जायगी, और उस का रुपया गवर्नमेंट की इच्छा पर व्यय होगा।

धारा २८—जो मनुष्य इस एक्ट के अनुसार भरती किया

वह मनुष्य जो पुलिस अधिकारी न रहने पर सरटीफिकट देने से इंकार करें।

हुआ पुलिस अधिकारी न रहे और जो तुरन्त ही अपना सरटीफिकट, वरदी, सामान, साज और अन्य आवश्यकीय चीजें जो उसको उस के कर्त्तव्य-पालन के लिये दी गई हों वापिस न दे तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधी प्रमाणित होने पर, ऐसा जुरमाना देना पड़ेगा जो दो सौ रुपया से अधिक न हो या उसको कठिन परिश्रम सहित या रहित ऐसा कारागार-दण्ड मिलेगा जिसकी अवधि छै मास से अधिक न हो, या दोनों दण्ड मिलेंगे।

धारा २९-प्रत्येक पुलिस-अधिकारी जो कर्त्तव्य-प्रतिकूलता

कर्त्तव्य के पालन में शिथिलता आदि के कारण दण्ड।

या किसी नियम नीति या उचित आज्ञा के अनुसार कार्य करने में जो किसी उचित अधिकारी ने प्रचारित की हो, जान बूझ कर त्रुटि या उल्लंघन करने का अपराधी हो या जो बिना अनुमति के या दो मास का पूर्व नोटिस दिये बिना, अपने पद के कर्त्तव्यों से विमुख होजाय, * [या जो छुट्टी पर अनुपस्थित रह कर, बिना उचित कारण के, छुट्टी समाप्त होने पर, अपने काम पर पहुंच जाने की रिपोर्ट करने में असफल रहे] या जो पुलिस—कर्त्तव्य के अतिरिक्त अनुमति बिना अन्य कार्य में संलग्न रहे, या जो कायरत्व का अपराधी हो, या जो किसी ऐसे मनुष्य को जो उसकी हिरासत में हो अनुचित शारीरिक कष्ट पहुंचाये, तो वह मनुष्य, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी प्रमाणित होने पर, ऐसे

---

* यह शब्द, पुलिस ऐक्ट (१८६१) के संशोधक कानून सन १८९५ (एक्ट ८ सन १८९५) धारा ९, जनरल एक्टस, जिल्द ? के अनुसार बढ़ाये गये हैं।

जुरमाने के दण्ड से जो तीन मास के वेतन से अधिक न हो, या परिश्रम सहित या रहित ऐसे कारागार—दण्ड से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक न हो, या दोनों दण्डो से दण्डित होगा।

धारा ३० *(१) सुपरिन्टैन्डैन्ट जिला या असिस्टैन्ट

सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का प्रबन्ध तथा लैसन्स देना।

सुपरिटैन्डैन्ट ज़िला को अधिकार है कि, जैसा अवसर हो, सरकारी सड़कों, आम रास्तों, सार्वजनिक मार्गों से सभाओं और जुलूसों के निकलने का प्रबन्ध करे, और वह मार्ग और समय निर्धारित करदे जिन मार्गों से और जिन समयों पर वह जुलूस निकले।

(२) उनको, इस बात का विश्वास होने पर कि किसी मनुष्य या मनुष्य समूह का यह विचार है कि वह ऐसी किसी सड़क, मार्ग या रास्ते पर सभा को निमंत्रित करें या एकत्रित करें या जुलूस बनायें, जिस से मजिस्ट्रेट ज़िला या हाकिम परगना के विचार में, यदि न रोका जाय तो अशान्ति का कारण होने की सम्भावना हो यह भी अधिकार है कि वह सामान्य या विशेष नोटिस द्वारा उन मनुष्यों को जिन्होंने उक्त सभा

---

* यह धारा असली धारा के स्थान में पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन १८९५) धारा १० के अनुसार रक्खी गई। वह धारा यह थी—

सुपरिन्टैन्डैन्ट ज़िला या असिस्टैन्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट ज़िला को अधिकार है कि जैसा अवसर हो सरकारी सड़कों आम रास्तों सार्वजनिक मार्गों से सभाओं और जुलूसों के निकलने का प्रबन्ध करे, और वह मार्ग और समय निर्धारित करदे जिन मार्गों से और जिन समयों पर वह जुलूस निकले।

वे त्यौहारों और संस्कारों के समय मार्गों पर बाजा बजने का प्रबन्ध भी कर सकते हैं।

निमंत्रित की या एकत्र की हो या जो उक्त जुलूस के प्रबन्धक या नायक हों, आज्ञा दे कि अनुमति लेने के लिये प्रार्थना करें

(३) ऐसा प्रार्थना पत्र दिया जाने पर, उन को अधिकार है कि वह अनुमति-पत्र (लेसन्स) प्रचारित करेगा जिस में अनुमति पाने वाले मनुष्य के नाम का निरूपण होगा और उन शर्तों का वर्णन होगा केवल जिनकी पाबन्दी के साथ उक्त सभा के होने या जुलूस निकलने की अनुमति मिले और अन्य रीति से इस धारा को प्रभावित करे, परन्तु शर्त्त यह है कि ऐसे प्रार्थना पत्र पर उस की स्वीकृति या ऐसी अनुमति के लिये कोई फीस न ली जायगी।

सड़कों पर बाजा बजाना

वह, त्यौहारों और संस्कारों के समय यह भी प्रबन्ध कर सकते हैं कि सड़कों पर कहां तक बाजा बजाया जाय।

धारा:—३०क(१) मजिस्ट्रेट जिला या सुपरिन्टैन्डेन्ट पुलिस जिला

उन सभाओं और जुलूसों के सम्बन्ध में अधिकार जो लेसन्स के नियमों को तोड़े

या असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस जिला या इन्सपेक्टर पुलिस या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो किसी थाने का इन्चार्ज हो, अधिकार है कि वह किसी जुलूस को, जिसने उस लेसन्स के नियमों को तोड़ा हो, जो ऊपर की अन्तिम धारा के अनुसार स्वीकृत हुआ हो, रोक दे और उस जुलूस या किसी समूह को जिसने उक्त किसी नियम को तोड़ा हो तितर बितर हो जाने की आज्ञा देदे।

(२) कोई जुलूस या समूह जो उक्त आज्ञा के पालन में त्रुटि करे या इन्कार करे, जो ऊपर की अन्तिम उपधारा के अनुसार दी जाय वह अनैतिक (कानून विरुद्ध) समूह समझा जायगा।

:-: धारा ३० ए. पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५). धारा ११ जनरल एक्ट्स जिल्द ८ के अनुसार प्रविष्ट हुई

धारा ३१—पुलिस का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सरकारी

सरकारी सड़कों इत्यादि पर शान्ति रखना पुलिस का कर्त्तव्य है

सड़कों, सार्वजनिक मार्गों रास्तों, घाटों और नाव से उतरने के स्थानों पर, और ऐसे समस्त अन्य स्थानों पर जहां सर्व साधारण का आना जाना हो, शान्ति रखे, और सरकारी सड़कों और सार्व जनिक मार्गों से समूह और जुलूसों के समय या पूजा के स्थानों के आस पास से सार्व जनिक पूजा के समय और हर ऐसी अवस्था में जब कि किसी सड़क, मार्ग, रास्ता घाट या नाव से उतरने के स्थान पर अधिक भीड़ होजाने या उस के रुक जाने की सम्भावना हो, रोक आदि को दूर करे।

धारा ३२—प्रत्येक मनुष्य जो ऐसी आज्ञाओं का विरोध या

पिछली तीन धाराओं के अनुसार प्रचारित आज्ञाओं के उल्लंघन पर दण्ड इत्यादि।

उल्लंघन करे जो ऊपर की अन्तिम (तीन) * धाराओं के अनुसार दी गई हों, या ऐसे किसी अनुमति पत्र के नियमों को तोड़े जिस को बाजा बजाने के लिये या जुलूसों और समूहों के प्रबन्ध के लिये, सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस की ओर से प्रदान हुआ हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी प्रमाणित होने पर उस जुरमाने का जुम्मेदार होगा जिसकी संख्या दोसो रुपये से अधिक न होगी।

धारा ३३—उपर्युक्त अन्तिम (चार) :*: धाराओं की कोई

---

* पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून सन् १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १२, जनरल एक्टस, जिल्द ६ के अनुसार "तीन" का शब्द "दो" के स्थान में रखा गया है।

:*: पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून सन् १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १२ के अनुसार "तीन,, के स्थान में "चार,, का शब्द रखा गया।

मजिस्ट्रेट ज़िले के अधिकार की रक्षा

बात मजिस्ट्रेट ज़िले के उस सामान्य अधिकार में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करेगी जो उस को उक्त धाराओं में वर्णित बातों पर प्राप्त है।

कुछ ऐसे अपराधों के दण्ड जो सड़कों आदि पर हों

धारा ३४, कोई मनुष्य जो किसी सड़क पर या किसी (खुले स्थान या) ※ गली या मार्ग में जो किसी ऐसे नगर ※※ की सीमान्तरगत हो जहां स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा इस धारा की विशेष रूपसे प्रचार वृद्धि × की जाय, निम्न अपराधों में से

※ यह शब्द पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन १८९५) धारा १० के अनुसार बढ़ाये गये।

※※ "नगर" में जहां छावनी भी सम्मलित है, देखो कानून छावनी १८८९ (एक्ट १३ सन् १८८९) धारा १२ (२) जनरल एक्ट्स जिल्द ५।

× उन प्रदेशों की सूची जहां इस धारा की विशेषतः प्रचार वृद्धि की गई:—

(१) अजमेर मारवाड़ा, देखिये स्थानीय नियम और आज्ञाएं पृष्ट १।

(२) आसाम, देखिये स्थानीय नियम और आज्ञाओं का आसाम मैनुएल १८९३ का छपा हुआ, पृष्ठ ५ से ७ तक।

(३) बरमा. देखिये बरमा रूल्स मैनुएल, १९०२ का छपा हुआ बरमा गजट १९०६. भाग १. पृष्ट ८९५, वहीं १९०७ का भाग १, पृष्ठ २८८

(४) मध्यप्रदेश, देखिये सेन्ट्रल प्राविन्सेज़ लोकल रूल्स एण्ड आर्डर्स १९०४ के छपे हुए. भाग २. पृष्ट ९, मध्य प्रदेश गज़ट १९०७ भाग १. पृष्ठ १९४,

(५) संयुक्त प्रदेश, आगरा व अवध. देखिये यूनाइटेड प्राविन्सेज़ रूल्स एण्ड आर्डर्स, १९०४ के छपे. भाग २. जिल्द १ सूची नं० ३. पृष्ट ८ से २३ तक।

किसी ऐसे अपराध का अपराधी हो जो (निवासियों या पथिकों) :×: के प्रति रुकावट, अड़चन, दुख जोखम, भय, या हानि, उत्पन्न करे, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी प्रमाणित होने पर ऐसे जुरमाने ※ के दण्ड से दण्डित होगा जिस की संख्या पचास रुपये से अधिक न हो या ऐसे (सपरिश्रम या परिश्रम-रहित) :※: कारागार—दण्ड से दण्डित होगा जो आठ दिन से अधिक का न होगा और यह प्रत्येक पुलिस—अधिकारी के लिये उचित होगा कि वह विना वारन्ट के

पुलिस अधिकारियों के अधिकार

किसी ऐसे मनुष्य को अपनी हिरासत में ले ले जो उस के सामने कोई ऐसा अपराध करे अर्थात्:—

प्रथम—जो मनुष्य किसी पशु का वध करे या किसी मृतक को साफ़ करे, जो मनुष्य बहुत तेज़ी या बेपरवाही से किसी पशु

(६) बंगाल के एक नगर में इस धारा की प्रचार वृद्धि के उदाहरण के लिये, देखिये विज्ञप्ति नं० १०७७ जे, डी, १० अक्टूबर सन् १८९७ की, कलकत्ता गज़ट १८९७, भाग १, पृष्ट १३२१, और वही १९०४ का भाग १, पृष्ट ७३७

(७) पन्जाब के एक नगर में इस धारा की प्रचार—वृद्धि के उदाहरण के लिये, देखिये पन्जाब गज़ट, १९०२, भाग १, पृष्ट ४१५

बम्बई और मद्रास की प्रेज़ीडेन्सियों में पृथक २ कानून हैं देखिये धारा ४६ का नोट।

:×: यह शब्द "निवासी और पथिकों" के स्थान में पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १३, जनरल एक्टस, जिल्द ६ के अनुसार रखे गये।

※ मध्य प्रदेश की चुंगियों में ऐसे जुरमानों के व्यय के लिये देखिये सेंट्रल प्राविन्सेज म्यूनिसिपल एक्ट १९०३ (एक्ट १६ सन् १९०३) धारा ५९, सेन्ट्रल प्राविन्सज कोड, १९०४ का छपा हुआ, पृष्ठ ३६८।

:※: यह शब्द, मंसूखी और संशोधक कानून १९०३ (एक्ट १ सन् १९०३) धारा ३ दूसरी सूची, जनरल एक्टस, जिल्द ७ के अनुसार बढ़ाये गये।

को स्वयं सवार होकर दौड़ावे या हांके, या किसी घोड़े या अन्य पशु को सधावे या निकाले:—

जानवर पर निर्दयता

द्वितीय—जो मनुष्य लापरवाही या निर्दयता से किसी जानवर को मारे, या दुख दे या सतावे:—

पथिकों को रोकना

तृतीय—जो मनुष्य किसी पशु या किसी प्रकार की गाड़ी को उस समय से अधिक देर तक खड़ी रखे जितना समय कि उस के भरने या खाली होने अथवा सवारियों की बिठाने या उतारने के लिये आवश्यक हो, या जो किसी गाड़ी को इस प्रकार छोड़दे जिस से सर्व साधारण को कष्ट या भय हो:

बिक्री के लिये माल खोलना

चतुर्थ—जो मनुष्य बिक्री का माल खोले।

सड़कों पर कूडा करकट फेंकना

पंचम—जो मनुष्य कूड़ा करकट, मैला, मिट्टी, या पत्थर या मकान बनाने का मसाला फेंके या डाले, या इसी प्रकार जो गोशाला या अस्तबल या इसी प्रकार का मकान बनावे, या जो किसी मकान, कारखाना घूरे या इसी प्रकार की किसी और चीज़ से दुरगंधि निकलने दे,

नशे में मत्त या दंगा मचाते हुए पाया जाना

षष्ठम—जो मनुष्य नशे में मत्त या दंगा मचाता हुआ पाया जाय या जो मनुष्य अपनी रक्षा करने अयोग्य हो:

निर्लज्जता से शरीर खोलना

सप्तम—जो मनुष्य जान बूझ कर और निर्लज्जता से अपना शरीर खोले, या बुरा लगने वाला शरीर का कुरूप या रोग दिखलावे या जो किसी ऐसे तालाब या हौज़ में पेशाब पाखाना फिरे, या नहाने या धोने से सर्व साधारण को कष्ट पहुंचावे जो विशेषतः इन कामों के लिये न बना हो।

अष्टम--जो मनुष्य किसी कुए, तालाब, या अन्य भयानक स्थान या मकान के घेरा बांधने या उचित रक्षा करने में त्रुटि करे:

भयानक स्थानों की रक्षा में त्रुटि

धारा३५--+इस एक्ट के अनुसार जो अपराध किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध लगाया जाय जो कांस्टेबिल के पद से ऊंचा हो, उस अपराध का आन्वेषण और विचार केवल ऐसा अफ़सर कर सकेगा जो मजिस्ट्रेट * अधिकार प्रयोग करता हो।

विचार अधिकार।

धारा३६, इस एक्ट की किसी बात से यह न समझाजायगा कि किसी मनुष्य पर उस अपराध के लिये जो इस कानून में दंडनीय है, अन्य कानून या एक्ट के अनुसार मुकद्दमा नहीं चलाया जासक्ता, या कि वह मनुष्य इस एक्ट के अतिरिक्त अन्य कानून या एक्ट के अनुसार दंडित नहीं हो सकता या उस को उस से अधिक कारागार या जुरमाने का दण्ड नहीं मिल सक्ता जो उस अपराध के लिये इस एक्ट में नियत है।

अन्य कानून के अनुसार नालिश करने का अधिकार प्रभावित न होगा

शर्त्त। परंतु शर्त्त यह है कि कोई मनुष्य एक ही अपराध के लिये दो वार दंडित नहीं हो सकता।

+ "इस एक्ट के अनुसार दंडों की समस्त आवस्थाओं में मुकद्दमे का विचार कर्त्ता जरमाने या दंड के सम्बन्ध में जो वह दे सकता है अपने विचार अधिकार से बद्ध रहेगा परंतु शर्त्त यह है कि" यह शब्द जाब्ता फौजदारी १८८२ (एक्ट १० सन् १८८२) के द्वारा मंसूख हुए। देखिये अब एक्ट ५ सन् १८९८, १ अप्रेल सन् १९०३ तक का संशोधित।

* अर्थात प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा, देखिये धारा ३ (२) जाब्ता फौजदारी, १८९८ (एक्ट ५ सन् १८९८) १, अप्रेल सन् १९०३ तक का संशोधित।

धारा ३७ :※: भारतीय दण्ड संग्रह × की ६६ से ७० तक

मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये दण्ड धन और जुरमानों का वसूल करना।

दोनों सम्मिलित धाराओं की आज्ञाएँ और जाब्ता फौजदारी १८८२ :×: की ३८६ से ३८९ तक की धाराओं की आज्ञाएँ जो जुरमाने के सम्बन्ध में हैं उन जुरमानों और दण्ड-धनों से सम्बन्ध रक्खेंगी जो दोष प्रमाणित होने पर मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अनुसार करे।

परन्तु शर्त यह है कि पूर्व वर्णित संग्रह की धारा ६५ में चाहे जो कुछ क्यों न हो, किसी मनुष्य को जिस को इस एक्ट की धारा ३४ के अनुसार जुरमाने का दण्ड दिया जाय, उस जुरमाने के न देने की अवस्था में ऐसे कारागार का दण्ड दिया जा सकता है जिस की अवधि आठ दिन से अधिक न हो।

धारा ३८ (कार्यप्रणाली जब तक कि कुर्की के वारन्ट की वापिसी न हो) मंसूख। देखिये पुलिस एक्ट (१८६१) का संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १४

धारा ३९ (कैद यदि कुर्की पर्याप्त न हो) मंसूख, देखिये पुलिस एक्ट (१८६१) का संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १४।

धारा ४० [फरंगी ब्रिटिश प्रजा से जुरमाना वसूल होना] मंसूख, देखिये पुलिस एक्ट (१८६१) संशोधक कानून १८९५) (एक्ट ८ सन् १८९५) धारा १४।

:※: यह धारा, धाराएं ३७, ३८, ३९, और ४० के स्थान में पुलिस एक्ट (१८६१) के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५). धारा १४ जनरल एक्ट्स, जिल्द ६ के अनुसार रक्खी गई।

× देखिये जनरल एक्ट्स, जिल्द १।

:×: पढ़िये अब जाब्ता फौजदारी १८९८ (एक्ट ५ सन् १८९८) देखिये जाब्ता १ अप्रेल सन् १९०२ तक का संशोधित।

धारा ४१, तमाम रुपये जो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई

पुलिस और मुखबिरों के पारितोषिक जनरल पुलिस फण्ड में दाखिल होंगे।

समन आदि की तामील के लिये दिये जांय और समस्त पारितोषिक, ज़बतियां और जुरमाने या पारितोषिक ज़बती या जुरमनों के अंश जो कानून के अनुसार मुखबिरों के दिये जाने योग्य हैं, उस समय जनरल पुलिस फण्ड ※ में दाखिल किये जांय जब कि मुखबिरी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाय।

धारा ४२ किसी मनुष्य के विरुद्ध समस्त नालिशें और

नालिशों की मियाद

इस्तगासे जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार या उन साधारण पुलिस अधिकारों के अनुसार जो इस एक्ट के अनुसार दिये जांय, किसी ऐसे कृत्य के कारण दाइर हों जो किया गया हो या जिस के करने का इरादा हो, उस कृत्य के घटित होने के पश्चात जिस की नालिश हो, तीन मास के भीतर प्रारम्भ किये जांयगे, इस के प्रतिकूल नहीं× और उस नालिश और उस के कारण का लिखित नोटिस प्रतिवादी या उस जिले के सुपरिन्टैन्डेन्ट जिला या असिस्टैन्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट जिला को, जिस में कि वह कृत्य घटित हुआ, नालिश प्रारम्भ से कम से एक मास पूर्व दिया जायगा।

बदला पेश करना

किसी वादी को ऐसी नालिश में कुछ प्राप्त न होगा यदि उस नालिश के दाइर करने से पूर्व प्रतिवादी ने उचित बदला पेश किया हो या उसकी ओर से पेश किया गया हो

※ देखिये इस फंड के लिये ऊपर की धारा १६।

× धारा ४२ का इतना भाग जितना कि नालिशों की मीयाद से सम्बन्ध रखता है कानून मीयाद समाअत सन् १८७१ (एक्ट ९, सन १८७१ द्वारा मंसूख हुआ।

अथवा नालिश होने पश्चात, प्रतिवादी ने अदालत में रुपया जमा कर दिया हो या उसकी ओर से जमा कर दिया गया हो, और यद्यपि ऐसी नालिश में वादी के प्रति डिग्री देदी जायगी परन्तु वादी को प्रतिवादी से उस समय तक व्यय न मिलेगा जब तक कि वह जज जिस के सामने विचार हो नालिश की स्वीकृति का सारटीफिकेट न देदे।

शर्त | परन्तु सदैव शर्त्त यह है कि किसी ऐसी अवस्था में नालिश दाइर न हो सकेगी जब कि उक्त अधिकारी पर उसी कृत्य के लिये फ़ौजदारी मुकद्दमा चल चुका हो।

धारा ४३,* जब किसी पुलिस अधिकारी के प्रतिकूल उस

यह उज़्र कि कार्य वारन्ट के अनुसार किया गया | कृत्य के कारण जो उस ने उस हैसियत से किया हो, कोई नालिश या इस्तगासा हो या कोई कार्यवाई हो, तो उस के लिये यह उज़्र करना उचित होगा कि उक्त कृत्य उस ने उस वारन्ट के बल से किया है जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निकाला गया हो।

ऐसा उज़्र, उस वारन्ट के पेश करने से जिस में उक्त कृत्य करने की आज्ञा हो और जिस पर उक्त मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हों, प्रमाणित किया जायगा और तब प्रतिवादी अपने प्रति डिग्री का अधिकारी होगा. चाहे उस मजिस्ट्रेट के विचार अधिकार में कोई त्रुटि ही क्यों न हो।

शर्त | परन्तु सदा शर्त्त यह है कि इस धारा की किसी बात से उन धारा जोई में हस्तक्षेप न होगा जो चारा जोई कोई फरीक उक्त वारन्ट जारी करने वाले हाकिम के प्रतिकूल करे।

---

* बर्मा की मिलिटरी पुलिस का कमान्डेन्ट या सेकिन्ड-इन कमान्डेंट उन्हीं स्वत्वों का अधिकारी होगा जो पुलिस अधिकारी को धारा ४२ और ४३ के अनुसार प्राप्त हैं। देखिये बरमा मिलिटरी पुलिस एक्ट, १८८७ (एक्ट १५ सन् १८८७), धारा १३. बरमा कोड. १८९९, [illegible] पृष्ठ १७३।

धारा ४४. प्रत्येक पुलिस अधिकारी का, जो पुलिस थाने का इन्चार्ज हो, यह कर्त्तव्य होगा कि वह साधारण रोजनामचा उस नमूने का रखे जो स्थानीय गवर्नमेंट समय २ पर निर्धारित करे और उस में तमाम नालिशें जो दाइर हों और अपराध जो लगाये जांय, उन मनुष्यों के नाम जो पकड़े जांय, फरयादियों के नाम, अपराध जो उन के बिरुद्ध लगाये जांय, शस्त्र और सम्पत्ति जो उनके अधिकार से या और प्रकार प्राप्त हो और गवाहों के नाम जिन की साक्षी ली जाय, लिखे जांयगे।

पुलिस अधिकारी रोजनामचा रखेंगे

मजिस्ट्रेट जिला को अधिकार होगा कि वह रोजनामचा मंगा कर निरीक्षण करे।

धारा ४५. स्थानीय गवर्नमेंट आज्ञा दे सकती है कि इन्स्पेक्टर जनरल और अन्य पुलिस अधिकारी उन नकशों को उस के पास भेजें जिन को वह उचित समझें, और वह ऐसा नमूना निर्धारित करेगी जिस में वह भेजे जांयगे।

स्थानीय गवर्नमेन्ट नकशों के नमूने बना सकती है

धारा ४६. * इस एक्ट का केवल अपने प्रचार से किसी प्रेज़ी-

---

* यह धारा असली धारा ४६ के स्थान में, कानून पुलिस १८६१ के संशोधक कानून १८९५ (एक्ट ८ सन् १८९५) की धारा १५ के अनुसार रखी गई। वह धारा यह थीः—

"४६" इस कानून का प्रभाव किसी प्रेज़ीडेन्सी प्रदेश या स्थान में उस समय तक न होगा जब तक कि सकौंसिल गवर्नर जनरल, गवर्नमेंट गज़ट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा उस की प्रचार वृद्धि उक्त प्रेज़ीडेन्सी, प्रदेश या स्थान में न कर दें।

"जब इस एक्ट की इस प्रकार प्रचार वृद्धि होजाय, तब उक्त प्रेज़ीडेन्सी, प्रदेश या स्थान में उस का इस प्रकार प्रभाव होगा जैसा कि स्थानीय गवर्नमेंट सरकारी गज़ट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा अनुशासन करे।"

कानून की प्रचार सीमा। डेन्सी + प्रदेश या स्थान में प्रभाव न होगा परन्तु सकौनसिल गवर्नर जनरल, गजट आफ इण्डिया में प्रकाशित आज्ञा द्वारा इस एक्ट के कुल या किसी भाग

+ मद्रास और बम्बई की प्रेजीडेन्सीयों में पुलिस के विशेष कानून विद्यमान हैं, देखिये एक्ट २४ सन् १८५९ और बम्बई के कानून ७ सन १८६७ तथा ४ सन १८९० और बंगालके निम्न प्रदेशों में बंगाल एक्ट ७ सन १८६९ को एक्ट ५ सन १८६१ का एक भाग पढ़ना और समझना चाहिये देखिये पूर्व वर्णित कानून, बंगाल कोड की धारा ६। परन्तु पुलिस एक्ट सन १८८८ (एक्ट ३ सन १८८८) की धारा २ के अभिप्रायों के लिये और इस एक्ट की धारा ४६ के होते हुए भी कानून पुलिस सन् १८६१ ब्रिटिश इण्डिया भर में प्रभावित समझा जायगा। देखिये धारा २ (६) कानून ३ सन् १८८८, जनरल एक्ट्स जिल्द ५।

उन विज्ञप्तियों के सम्बन्ध में जिन के अनुसार यह एक्ट प्राचीन धारा द्वारा उत्पन्न अधिकार के अनुसार निम्न लिखित प्रदेशों में प्रभावित किया गया है:—

(१) संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध जिस में अजमेर और मारवाड़ा भी सम्मिलित है जो उस समय उसी गवर्नमेंट के आधीन था, देखिये विज्ञप्ति नं० ९६४, उत्तर पश्चिमीय प्रान्त गज़ट, १८६१, पृष्ठ ६३४, [उन आज्ञाओं के लिये, जिन के अनुसार यह एक्ट संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध के २७ ज़िलों में, तथा हमीर पुर, जालौन, झांसी ललितपुर, नैनीताल (तराई परगना सम्मिलित), और अलमोड़ा और गढ़वाल में प्रचलित हुआ और जो प्राचीन धारा ४६ पेरा २ के अनुसार उस धारा के पहिले पैरा के अनुसार इस एक्ट के कुल प्रदेश में प्रभावित होने के पश्चात्) प्रचारित हुए. देखिये विज्ञप्तियां पृष्ठ २३ व २४ संयुक्त प्रान्त की स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की सूची, १९०४ की छपी हुई भाग १, जिल्द १, सूची नं० ३ यह आज्ञाएं एक्ट ८ सन १८९५ की धारा १६ द्वारा प्रमाणित रक्खी गई है।]

(२) अवध, देखिये विज्ञप्ति नं० २४ उत्तर पश्चिमीय प्रदेश गजट १८६१, पृष्ठ १७५८।

(३) इलाहाबाद और जबलपुर के यमुना कृषि—नर्मदा- जिसका पूर्ण शासन कई देशी रियासतोंने अंगरेज़ी सरकार को देदिया. देखिये विज्ञप्ति नं० २०५ ए., पृष्ठ १३ संयुक्त प्रदेश के स्थानीय नियम और आज्ञाएं १९०४ की छपी हुई भाग २ पृष्ठ १८।

धारा ४७, स्थानीय गवर्नमेन्ट के लिये यह उचित होगा कि

ज़िला सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस का ग्राम की पुलिस पर अधिकार	वह अपने आधीन प्रदेशों के किसी भाग में इस एक्ट के प्रचारित करने के

समय यह स्पष्ट करदे कि वह अधिकार जो जिला मजिस्ट्रेट किसी ग्रामीण चौकीदार या ग्रामीण पुलिस-अधिकारी पर: प्रयोग करता या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जिला के साधारण शासन के आधीन, सुपरिन्टेन्डैन्ट पुलिस ज़िला द्वारा प्रयुक्त * होगा।

नमूना

(देखिये धारा ८)

एक्ट ५ सन् १८६१ के अनुसार क. ख. पुलिस दल-का मेम्बर नियुक्त किया गया है। उस को पुलिस—अधिकारी के अधिकार, कर्त्तव्य, लाभ दिये गये।

---

* इस धारा द्वारा उत्पन्न अधिकारः—

(१) मध्य—प्रदेश में, देखिये विज्ञप्तियां; पृष्ठ १४ पर, मध्य प्रदेश के स्थानीय नियम और आज्ञाएं, १९०४ के छपे हुए, भाग २ पृष्ठ १४, और १५।

(२) आसाम के जिला काम रूप, डारङ्ग, शिवसागर, झांसी, जैन्तियां की पहाड़ियां, नौगोंग, गुआलपाड़ा, लखीमपुर, में, देखिये बंगाल गवर्नमेंट की विज्ञप्ति नं० १८६२, पृष्ठ ६, आसाम सम्बन्धी स्थानीय नियम और आज्ञाओं का मैनुअल १८९३ का छपा हुआ।

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त

डी० पी० कम्पनी अलीगढ़ सिटी

चौदह विद्या निधान

गागर में सागर मूल्य में मुफ्त तुल्य बढ़िया और बड़े काम की अदभुत पुरानी गुप्त पुस्तकों का समूह जो आज कल देखी न सुनी थी। १ वैद विद्या, सब प्रकार के रोगों के लक्षण और उन की अदभुत गुणककारी सिद्ध औषिधियां २ कोक विद्या, कोक की अदभुत २ सच्ची गुप्त बातें ३ सामुद्रिक विद्या हाथ देखने की विधि ४ योग विद्या (मेस्मरेज़िज़) मृतक आत्मा से बात चीत करने की युक्ति ५ यंत्र विद्या बाल रक्षा स्तम्भन स्त्री वशीकरण आदि यंत्र ६ मंत्र विद्या, मोहन स्तम्भन उच्चाटन और रोगों को दूर करने के मंत्र सिद्ध करने की विधि सहित ७ तंत्र विद्या, इन्द्रजाल की माया जादू के चमत्कारी खेल ८ ज्योतिष विद्या, कर्म फल और होनहार जानने की विधि ९ शिल्प विद्या, नमक सुलैमानी बाल उड़ाने का साबुन, केश भूषण तेल, ताम्बूल बिहार अर्क कपूर, खिजाब, कपूर की माला मोहर स्याई, आदि चीजें बनाने की विधि १० कानून विद्या, जाब्ता दीवानी, और फौजदारी, ताज़ीरात हिंद, शहादत, लगान मालगुजारी, कोर्ट फीस, स्टाम्प आदि ११ छंद विद्या, कविता करने के नियम और छन्दों का वर्णन १२ गान विद्या, भजन गजल दादरा कव्वाली, ठुमरी आदि मनोरंजन गायन १३ रसायन विद्या, धातुओं का फूंकना और सोना चांदी बनाने की क्रिया, १४ वशीकर्ण विद्या, इत्यादि मूल्य १।)

हारमोनियम टीचर

इस नवीन हारमोनियम टीचर में सभी बातें इस खूबी के साथ समझाई है कि थोड़े दिनों की महनत से ही अच्छा बाजा बजाना आसक्ता है। हर प्रकार तथा हर समय की रागिनी, सुर, ताल और बोल गजल, ठुमरी, दादरे और नाटकी गाने उदाहरण रूप से दे कर खूब समझाये हैं ताकि हर एक मनुष्य अच्छी तरह समझ सके थोड़े ही दिन के परिश्रम से सब प्रकार के बोल निकल सक्ते हैं। मूल्य केवल ॥)

तार सीखने की डेमी

अब क्यों देर करते हो केवल दो रुपये की लागत से बीस पच्चीस रुपये के

तार बाबू क्यों नहीं बन जाते

यह डेमियां पीतल की हमारे कारखाने में तैयार होती हैं जो कि बहुत ही मज़बूत और खूबसूरत नई फेशन की बनवाई जाती हैं जिन की आवाज दफ्तरों के इंस्ट्रोमेंट से बहुत कुछ मिलती है जिस के द्वारा कोशिस करने से कुछ ही दिनों में तार का लेना देना सीख सक्ते हैं मूल्य १ किताब सहित जिस में तार सीखने के कुल कायदे ऐसी सुलभता से समझाये हैं कि जिस के द्वारा हर मनुष्य अंग्रेजी पढ़ा विना उस्ताद के आसानी के साथ तार सीख सक्ता है मू० १॥) तथा २)

बच्चों का दोस्त

हज़ारों छोटे २ बच्चों पर परीक्षा किया हुआ

बिजली का तावीज

जिसे हज़ारों चाहने वाले मा बाप इस वास्ते कि यह बच्चों की तन्दुरस्ती को बढ़ाता और शरीर को निरोग मोटा ताजा बनाये रखता है इस को बच्चों के गले में बांधते भूत बाधा नजर बुखार खांसी चेचक दांतों के निकलने की तकलीफ पसली चलना घाटी होना ऐंठन मुंह से दूध तथा लार डालना इत्यादि बच्चों के समस्त रोगों को हरने वाला बिजली का तावीज मू० सिर्फ १) मात्र

टेलीग्राफ टीचर

अर्थात 'तार शिक्षक' यह पुस्तक एक अनुभवी पुराने ग्रन्थकार ने अभी लिखी है इस के द्वारा थोड़ी अंग्रेजी जानने वाला भी सहज ही में विना गुरु की सहायता के थोड़े ही समय में तार के काम सीख सका है तार सम्बंधी सब ही बातें टकनीकल टर्म्स आदि अच्छे प्रकार समझाई गई हैं पुस्तक हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में है मूल्य ॥)

पता—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी. पी कम्पनी अलीगढ़ सिटी

कार्रवाई अदालत
फौजदारी

इस पुस्तक में मजिस्ट्रेटी, सब मजिस्ट्रटी, शिशन, पुलिस, फौजदारी सम्बंधी समस्त अदालतों में मुकद्दमा लड़ाने की पेरोकारी करने का हर मनुष्य के सुभीते के लिये खुलासा वर्णन कीया गया है। जिस के द्वारा अपने मुकद्दमे की पेरोकारी आसानी के साथ विना वकील की सहायता के प्रति एक मनुष्य कर सक्ता है मू० १)

कार्रवाई अदालत
दीवानी

इस पुस्तक में अदालत दीवानी सम्बन्धी जरूरी समस्त बातें जैसे नालिश दायर करना, व स्थान मियाद समाअत कोर्ट फीस, सबूत, कानूनी महन्ताना, नालिश कर्चा, अर्जीदाया, ब्यान तहरीरी, नकल लेना, हुक्म इम्तनाई, नालिश का मुन्तकिल होना, सम्मन तामील, गैर हाजरी फरीकैन, बन्द सवाल, दस्तावेजों की पेशी, जब्ती, तथा वापसी इजराय डिग्री, ग्रफतारी, कमीशन, नाबालिग नालिश मुफलिसी, पंचायत, अपील, नज़र सानी, अदालत खफीफा, मुतफर्रकात, आदि दीवानी के मुतल्लक सब ही जरूरी बाते ऐसी सर्ल भाषा में लिखी हैं जिन पढ़कर असानी के साथ कम खर्च से विना मशवरे के अपनी कुल अदालती कार्य्यवाही कर सक्ते हो। मुकद्दमे वाले मनुष्यों के लिये यह परम उपयोगी पुस्तक घरका वकील है मू० १)

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी. पी. कम्पनी

अलीगढ़ सिटी।

* ओ३म् *

(हिन्दी में)

क़ानून भारतीय पंचायत

अर्थात

एकट ९ सन १८९९



बाबू प्यारेलाल वृष्णि: मुख्तार

अलीगढ़ द्वारा

अनुवादित



जिस को

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त मालिक डी, पी, कम्पनी

अलीगढ़ ने अपने 'गंगा प्रेस' अलीगढ़ में

छाप कर प्रकाशित किया।

प्रथम बार ५००	सन १९२५	मूल्य ॥)

॥ ओ३म् ॥

क़ानून पंचायत

अर्थात्

एक्ट ९ सन १८९९

जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा पास हुआ

(१ मार्च सन १८९९को श्रीमान गवर्नर जनरलकी स्वीकृति प्राप्त की गई)

पंचायत सम्बन्धी कानून के संशोधन के लिये एक्ट

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि इस पंचायत सम्बन्धी कानून का संशोधन किया जाय जो न्यायालय के हस्त क्षेप बिना इकरार नामा द्वारा हो अतएव निम्न लिखित आज्ञाएं दी ती हैं: ।

धारा १— (१) इस कानून का नाम कानून भारतीय पंचायत सन् १८९९ हो सकता है।

छोटा नाम, विस्तार और प्रचारारम्भ

(२) इस कानून का समस्त सम्बन्ध ब्रिटिश भारतसे है और

(३) इस कानून का प्रचारारम्भ १जौलाई सन १८९९ से होगा

धारा २— धारा २३ की आज्ञाओं के आधीन, इस एक्ट का

संबंध

प्रयोग केवल उन दशाओं में होगा जब कि वह विषय जो पंचायत में दिया जाय, यदि नालिश का विषय होता, तो नालिश, चाहे अनुमति से या और तरह पर, प्रेजीडेन्सी नगर में दायर की जा सकती:

परन्तु शर्त यह है कि स्थानीय गवर्नमेन्ट सकौन्सिल गवर्नर

जनरल की पूर्व स्वीकृति से स्थानीय सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र फल से इस प्रकार सम्बन्धित कर सकती है मानो वह प्रेजीडेन्सी नगर है।

धारा ३— क़ानून * दादरसी सन १८७७ की धारा २१ की उतनी अन्तिम इबारत जिस के प्रारम्भमें शब्द "परन्तु" और अंतमेंशब्द "निषेधक होगा" और

जहां एक्ट प्रचलित है वहां कुछ अवस्थाओं में कुछ कानूनों का अप्रभाव जनक होना

ज़ाबता×दीवानी की धाराएं ५२३ से ५२६ तक किसी ऐसे पञ्चायत नामे या पंचायतसे सम्बन्धित न होंगी जिससे इस एक्टकी आज्ञाएं उस समय पर सम्बन्धित हों।

परन्तु शर्त यह है कि इस कानून की कोई बात किसी ऐसी पञ्चायत पर प्रभाव न डालेगी जो किसी प्रेजीडेन्सी नगर में इस एक्ट के प्रचारारम्भ के समय या किसी स्थानीय क्षेत्र फल में इस एक्ट के उक्त कथित रूपसे सम्बन्धित होने के समय, जारी हो, वरन प्रत्येक ऐसी पंचायत से सम्बन्धित होगा जो इस एक्ट के प्रचारारम्भ के पश्चात, या इस एक्ट के सम्बन्धित होने की तारीख के पश्चात्, जैसी अवस्था हो, किसी इकरार नामे या पूर्व दी हुई आज्ञा के अनुसार प्रारम्भ हो।

और यह भी शर्त है कि इस कानून की कोई बात भारतीय कम्पनियों के कानून + सन १८८२ की पंचायत सम्बन्धी आज्ञाओं पर कोई प्रभाव न डालेगी।

धारा ४— इस एक्ट में, जब तक कोई बात उस के विषय या लेख शैली के प्रतिकूल न हो,—

परिभाषाएं

[क] "अदालत" का अभिप्राय है प्रेजीडेन्सी नगरों में हाईकोर्ट से, और अन्य स्थान में जिला जज की अदालत से, और,

---

* (एक्ट १ सन १८७७)

× एक्ट १४ सन १८८२, देखिये अब एक्ट ५ सन १९०८

+ एक्ट ६ सन १८८२

[ख] "पंचायत नामा" का अभिप्राय है ऐसे इकरारनामे से जो वर्त्तमान या भावी विवादों को पंचायत में देने के लिये किया जाय, चाहे उस में किसी पंच का नाम हो अथवा न हो।

अदालत की अनुमति बिना पंचायत नामा खण्डनीय नहीं है

धारा ५—कोई पंचायत नामा, जब तक कि उस से विरुद्ध इरादा प्रकट न हो, अदालत की अनुमति बिना, खण्डनीय न होगा।

पंचायत नामों में क्या २ शर्तें समझी जांयगी।

धारा ६—पंचायत नामे में जब तक कि उस से विरुद्ध इरादा प्रकट न हो, प्रथम शैड्यूल में वर्णित आज्ञाओं का वहां तक सम्मिलित होना समझा जायगा जहां तक कि वह पंचायत नामे के अधीन मुकद्दमा के सौंपने से सम्बन्धनीय हैं।

ऐसे पंच को मुकद्दमा सौंपना जो तीसरे मनुष्य द्वारा नियुक्त होगा

धारा ७—पंचायत नामे के पक्ष इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि मुकद्दमा किसी ऐसे पन्च या पंचों के पास सौंपा जाय जो उस में नामांकित मनुष्य द्वारा नियुक्त हो या हों।

उक्त मनुष्य या तो नाम के साथ या उस समय किसी पद या कर्त्तव्य के धारण करने वाले की भांति नामांकित किया जा सकता है।

उदाहरण

किसी पंचायत नामे के पक्ष इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि पंचायत नामे के विवाद युक्त विषय के सम्बन्ध में जो झगड़ा उन में उत्पन्न हुआ है वह उस पंच के पास सौंपा जायगा जो बंगाल चेम्बर आफ़ कामर्स द्वारा नियुक्त हो, या जैसी अवस्था हो, ऐसे पंच के पास सौंपा जायगा जो बंगाल चेम्बर आफ़ कामर्स के उस समय के प्रधान द्वारा नियुक्त हो।

धारा ८—(१) किसी निम्न अवस्था में—

कुछ दशाओं में पंच सरपंच, या तीसरे पंच के नियुक्त करने का अदालत को अधिकार।

(क) जब कि पंचायत नामे में यह शर्त्त हो कि मुकद्दमे का अर्पण किसी एक पञ्च को होगा, और तमाम पक्ष मत भेदों के उत्पन्न होने के पश्चात पंच की नियुक्ति में सहमत न हों,

(ख) यदि नियुक्त पंच कार्य करने में असावधानता या इंकार करे, या कार्य करने के योग्य न हो, या मर जाय, या प्रथक हो जाय, और पंचायत नामे से यह इरादा प्रकट न होता हो कि शून्य स्थान भरा न जाना चाहिये, और फरीकैन उस पंच के स्थान में कोई पंच नियुक्त न करें,

(ग) जब कि फरीकैन या दो पंच, सरपंच या तीसरा पंच नियुक्त करने का अधिकार रखते हों, और उसको नियुक्ति न करें,

(घ) जब कि नियुक्त सरपंच या तीसरा पंच कार्य करने से इनकार करे, या कार्य के अयोग्य हो, या मर जाय या पृथक हो जाय, और पंचायत नामे से यह इरादा प्रकट न होता हो कि शुन्य स्थान भरा न जाना चाहिये, और फरीकैन या पंच उस के स्थान में कोई सरपंच या तीसरा पंच नियुक्त न करें, तो,

प्रत्येक पक्ष को अधिकार है कि वह अन्य पक्षों या पंचों पर, पंच, सरपंच या तीसरे पंच की नियुक्ति में सहमत होने के लिये लिखित नोटिस की तामील कराये।

(२) नोटिस की तामील के पश्चात पूरे सात दिन के भीतर यदिउक्त नियुक्ति न हो,तो अदालत,उस पक्ष की प्रार्थना पर जिसने कि नोटिस दिया हो, और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने पश्चात, ऐसा पंच, सरपंच, वा तीसरा पंच नियुक्त कर सकती है जिसको अर्पित मुकद्दमे में पंचायत और निर्णय करने का वैसा ही अधिकार होगा मानो वह समस्त पक्षों की सम्मति से नियुक्त किया गया हो।

धारा ९—जब कि पञ्चायतनामे में यह शर्त हो कि मुकद्दमा दो पंचों को सौंपा जायगा अर्थात् प्रत्येक पक्ष की ओर से एक पञ्च नियुक्त होगा- तो जब तक विरुद्ध इरादा उस से प्रकट न हो।

शून्य स्थान पर नियुक्ति करने का पक्षों को अधिकार।

(क) यदि नियुक्त पंचों में से कोई, पंचायत करने से इनकार करे, या पंचायत करने के अयोग्य हो, या मरजाय, या पृथक हो जाय, तो वह पक्ष जिसने उसे नियुक्त किया हो, उस के स्थान में नया पञ्च नियुक्त कर सकता है।

(ख) यदि, उक्त अर्पण पर, एक पक्ष उस समय के पश्चात पूरे सात दिन तक पन्च नियुक्त न करे जब कि दूसरे पक्ष ने अपना पन्च नियुक्त करके, पञ्च नियुक्त न करने वाले पक्ष पर, पञ्च नियुक्त करने के लिये लिखित नोटिस की तामील करादी हो, तो वह पक्ष, जिसने कि पञ्च नियुक्त कर लिया हो, उसी पञ्च को, सौंपे हुए मुकद्दमे में एक मात्र पञ्च की भांति काम करने के लिये नियुक्त कर सकता है, और उस का निर्णय उभय पक्ष पर वैसे ही बद्ध होगा, मानो वह सम्मति से नियुक्त किया गया था।

परन्तु शर्त यह है कि अदालत, इस धारा की (ख) के अनुसार की गई किसी नियुक्ति को मंसूख कर सकती है।

धारा १०—पञ्चों या सरपञ्च को पञ्चायत नामे के अनुसार कार्य करते समय, जब तक कि उस से कोई विरुद्ध इरादा प्रकट न हो।

पञ्च के कर्त्तव्य

(क) फ़रीक और गवाहों को जो उपस्थित हों, शपथ / हलफ देने का अधिकार होगा।

(ख) मुकद्दमा सम्बन्धी किसी कानूनी समस्या पर, अदालत की सम्मति के लिये विशेष मुकद्दमा लिख भेजने का अधिकार होगा। और

(ग) निर्णय पत्र में लेख की किसी अशुद्धि या त्रुटि को जो किसी आकस्मिक भूल या चूक से रह गई हो शुद्ध करने का अधिकार होगा।

धारा ११—(१) जब कि पञ्चों या सरपञ्च ने अपना निर्णय देदिया हो, तो वह उस पर स्वाक्षर करेंगे, और फ़रीकों को अपना निर्णय देने और उस पर स्वाक्षर करने का तथा उन फीसों और व्ययों की रकम का जो पञ्चों या सरपञ्च को पञ्चायत और निर्णय पत्र के सम्बन्ध में चुकाने योग्य हो, नोटिस देदेंगे।

निर्णय पत्र पर हस्ताक्षर होंगे और दाखिल होगा।

(२) उक्त पञ्च या सरपञ्च, पञ्चायत नामे के किसी पक्ष की प्रार्थना पर, या उस मनुष्य की प्रार्थना पर जो उस के सम्बन्ध में दावेदार हो, और पञ्चायत और निर्णय पत्र सम्बन्धी फीसों और व्ययों, तथा निर्णय पत्र दाखिल करने के व्ययों और खर्चों के चुका देने पर, उस निर्णय पत्र को, या उस की स्वाक्षरित नक़ल को अदालत में दाखिल करा देंगे; और उस के दाखिल करने की सूचना पन्चों या सरपन्च द्वारा फरीकों को दी जायगी।

(४) जब कि पञ्चों या सरपञ्च ने कोई विशेष मुकद्दमा धारा ०, खण्ड (ख) के अनुसार लिख कर भेजा हो, तो अदालत उस पर अपनी सम्मति देगी और उक्त सम्मति पञ्चायती निर्णय में सम्मिलित करदी जायगी और उस पञ्चायती निर्णय का अंश होगी।

धारा १२—पंचायती निर्णय देने का समय, समय २ पर, अदालत की आज्ञा से बढ़ाया जा सकता है, चाहे पंचायती निर्णय देने का समय व्यतीत हो गया हो या न होगया हो।

पंचायती निर्णय देने के लिये समय बढ़ाने का अदालत को अधिकार।

धारा १३—(१) अदालत समय २ पर पञ्चायती निर्णय को पञ्चों या सरपञ्च के पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकती है।

पंचायती निर्णय वापिस करने का अधिकार।

(२) जबकि उपधारा (१) के अनुसार पंचायती निर्णय वापिस होजाय, तो पंच या सरपञ्च, जब तक कि अदालत प्रतिकूल आज्ञा न दे, उक्त पंचायती निर्णय वापिस करने की तारीख से तीन मास

पंचायती निर्णय मंसूख करने का अधिकार।

धारा १४—जब कोई पंच या सरपञ्च दुराचार करे, या पञ्चायत या पंचायती निर्णय अनुचित रूप से प्राप्त किया जाय तो अदालत उस पंचायती निर्णय को रद्द कर सकती है।

पंचायती निर्णय दाखिल होने पर डिग्री की भांति इजरा हो सकेगा

धारा १५—(१) जब पंचायत नामे पर कोई निर्णय उक्त कथित आज्ञाओं के अनुसार अदालत में दाखिल हो जाय तो, वह निर्णय (बशर्ते कि अदालत उसे पञ्चों या सरपञ्च के पुनर्विचार के लिये वापिस करदे या उसे रद्द करदे) उसी प्रकार इजराय के योग्य होगा मानो वह उसी अदालत की डिगरी हो।

(२) पंचायती निर्णय शर्त्तवार या पर्य्याय में हो सकता है।

उदाहरण

एक हीरे की अंगूठी के स्वामित्व का विवाद पञ्चायत को सौंपा गया। पञ्चायती निर्णयमें यह आज्ञा हो सकती है कि वह पक्ष जिस के आधिपत्य में अंगूठी हो दूसरे पक्ष को १०००) रुपया देगा, यदि अंगूठी चौदह दिनके भीतर वापिसकर दीजाय तो उक्तरकमघट कर ५) हो जायगी।

पञ्च या सरपञ्च हटानेका अधिकार

धारा १६—जब कोई पञ्च या सरपञ्च दुराचार करे, तो अदालत उस को हटा सकती है।

व्यय

धारा १७—कोई आज्ञा जो अदालत द्वारा इस एक्ट के अनुसार दी जाय, वह व्यय या अन्य विषय सम्बन्धी उन नियमों के साथ होगी जो अदालत उचित समझे।

नमूने

धारा १८—नमूने जो द्वितीय पूर्ति में वर्णित किये गये हैं, या उन के सदृश नमूने, ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे कि प्रत्येक मुकद्दमे की अवस्थाओं के अनुसार आवश्यक हों, उन अभिप्रायों के लिये, जिन का यहां वर्णन हो, प्रयुक्त हो सकते हैं, और, यदि प्रयुक्त हो जांय तो उन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं हो सकता।

धारा १९—जब किसी ऐसे पञ्चायतनामेका कोई पक्ष, जिससे यह एक्ट सम्बन्धित हो, या कोई मनुष्य जो उक्त पक्ष के सम्बन्ध से दावेदार हो, उस पञ्चायत नामे के दूसरे पक्ष के विरुद्ध या उस मनुष्य के विरुद्ध जो उस दूसरे पक्ष के सम्बन्ध से दावेदार हो, किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करे जो सहमत से पञ्चायत को सौंपा गया हो, तो उक्त कानूनी कार्यवाही के किसी पक्ष को अधिकार है कि वह किसी समयउपस्थिति के पश्चात और बयान तहरीरी दाखिलहोने या उक्त कार्यवाही में कोई और कार्य करने के पहिले, अदालत से कार्यवाही रोकने की प्रार्थना करे, और अदालत को यदि यह संतोष हो जाय कि पंचायतनामे के अनुसार मामला क्यों न पंचायत में सौंपा जाय. इस का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, और कि प्रार्थी उस समय जब कि कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी, पञ्चायत के उचित सञ्चालन के लिये समस्त आवश्यक कार्य करने के लिये सम्मत और उद्यत था और अबभी सम्मत और उद्यत है तो अदालत कार्यवाही रोकने की आज्ञा दे सकती है।

पञ्चायत नामा होने पर कार्यवाहियां रोकने का अधिकार।

धारा २०—हाईकोर्ट को अधिकार है कि वह इस एक्ट के अनुकूल निम्न बातों के सम्बन्ध में नियम बनायेः—

नियम बनाने का अधिकार हाईकोर्ट को है।

(क) पंचायती निर्णयों के दाखिल करने और उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो उन के पीछे हों या उन में अकस्मात हों।

(ख) विशेष मुकद्दमों के दाखिलकरने औरसुनने तथा उनकार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो उन के पीछे हों या उन में अकस्मात हों।

(ग) प्रेसीडेन्सी की खफीफा अदालतों में इजराय के लिये, पंचायती निर्णयों के भेज देने के सम्बन्ध में जब कि पंचायती डिग्री के रुपये की संख्या दो हजार से अधिक न होः

(च) किसी ऐसी नालिश या कार्यवाही के रोकने के सम्बन्ध में, जो पंचायत सम्बन्धी पंचायत नामे के प्रतिकूल हो; और

(छ) साधारणतः, उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो अदालत में

एक्ट १ सन् १८७७ की धारा २१ का संशोधन।

धारा २१—विशेष दादरसी के कानून सन १८७७ (एक्ट १ सन् १८७७) की धारा २१ में, शब्द "जाब्ता दीवानी" के पीछे शब्द और संख्या "और भारतीय पंचायत का कानून सन १८९९," बढ़ाये जांयगे, और शब्द "किसी विवाद" के स्थान में वर्त्तमान या भावी विवादों" रखे जांयगे।

राज्य बद्ध होगा।

धारा २२—इस एक्ट की आज्ञाओं का बन्धन राज्य पर आवश्यक होगा।

इस एक्ट के रंगून से सम्बन्धित होने के विषय में विशेष आज्ञा

धारा २३—(१) इस एक्ट का प्रयोग रेकर्डर आफ रंगून के दीवानी सम्बन्धी सामान्य विचार-अधिकार की स्थानीय सीमाओं में उन दशाओं में होगा जब कि वह विषय जो पंचायत में दियाजाय, यदि नालिश का विषय होता, तो नालिश, चाहे अनुमति से या और तरह पर, उक्त स्थानीय सीमाओं के अन्तरगत दाइर की जा सकती।

[२] इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये, उक्त कथित स्थानीय सीमाएं प्रेजीडेन्सी नगर समझी जांयगी और रेकर्डर आफ रंगून को हाईकोर्ट के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

प्रथम पूर्ति

(धारा ६ देखिये)

शर्तें जो पंचायतनामों में समझी जांयगी

१. यदि मुकदमे के अर्पण के लिये किसी अन्य विधि की शर्त न हो, तो मुकदमे का अर्पण एक पंच के लिये होगा।

२. यदि मुकदमे का अर्पण दो पंचों के लिये हो तो दोनों पंच उस अवधि के भीतर जिस में कि वे पंचायती निर्णय करने का अधिकार रखते हों, किसी समय सरपञ्च नियुक्त कर सकते हैं।

३. उक्त पञ्च, अर्पित मुकदमे को हाथ में लेने के पश्चात्, या पञ्चनामे पर किसी पक्ष की ओर से लिखित सूचना द्वारा पंच

यत करने के लिये आमंत्रित होने के पश्चात, तीन मास के भीतर, या किसी ऐसी पीछे की तारीख़ पर या उस के पहिले, जिस तारीख़ तक कि पञ्च अपने स्वाक्षरित लेख द्वारा समय २ पर निर्णय देने के लिये समय बढ़ा सकते हैं, अपना लिपि बद्ध निर्णय देंगे।

४. यदि पंचों ने अपने समय को, या अपने बढ़े हुए समय को बिना निर्णय दिये व्यतीत होजाने दिया हो, या पंचायत नामे के किसी पक्ष को, या सरपंच को, इस विषय की लिखित सूचना देदी हो कि वे परस्पर सहमत नहीं होते, तो सरपंच तुरत ही पंचों के स्थान में अर्पित मुकद्दमे को हाथ में ले सकता है।

५. सरपंच, इस असली या बढ़े हुए समय के व्यतीत होजाने पश्चात एक मास के भीतर, जो पंचों के निर्णय देने के लिये नियत हो, या किसी ऐसी पीछे की तारीख़ पर या उसके पहिले, जिस तारीख़ तक कि वह सरपंच अपने स्वाक्षरित लेख द्वारा, समय २ पर, अपना निर्णय देने के लिये समय बढ़ा सकता है, अपना लिपि-बद्ध निर्णय देगा।

६. अर्पित मुक़द्दमे के फ़रीकों और उन समस्त मनुष्यों को, जो उन के सबन्ध से क्रमशः दावे दार हों; आवश्यक होगा कि वह, किसी ऐसे क़ानून की आज्ञाओं के आधीन जो उस समय प्रचलित हो, अपने को पंचों या सरपंच के सामने विवाद ग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में शपथ पूर्वक या प्रतिज्ञा पूर्वक इज़हार देने के लिये पेश करें, और उक्त कथित आज्ञाओं के आधीन, पन्चों या सरपंच के सामने ऐसे समस्त बहीखाते, सनदें, कागज़, हिसाब, लेख और दस्तावेज़ पेशकरें जो उनके आधिपत्य या अधिकार में क्रमशः हों, और जिनकी आवश्यकता हो या जो मांगे जांय, और वे समस्त ऐसे कार्य करेंगे जो पन्च या सरपन्च अर्पित मुकद्दमे की कार्य-वाहियों के मध्य में आज्ञा दें।

७. अर्पित मुकद्दमे के गवाहों का इज़हार, यदि पन्च या सरपन्च उचित समझें, शपथ पूर्वक लिया जायगा।

८. पन्चों या सरपन्च द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अपरिवर्तनीय होगा और फरीकों और उन मनुष्यों पर जो उनके सम्बन्ध में क्रमशः दावे दार हों, बद्ध होगा।

९. अर्पित मुकद्दमे और पन्चायती निर्णय के व्यय पन्चों या सरपन्च की इच्छा से दिलाये जायंगे, और वह यह आज्ञा दे सकते हैं कि किसको और किसके द्वारा, और किस विधि से, वह व्यय या उस का अंश अदा किया जायगा, और उनको अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यय की रकम, जो इस प्रकार अदा होगा या उसके किसी अंश की जांच या निश्चय करें, और ऐसा व्यय दिलायें जो मुवक्किल द्वारा वकील को दिया जायगा।

द्वितीय पूर्त्ति

(देखिये धारा १८)

नमूना १

एक पन्च के नाम पन्चायत नामा

कानून भारतीय पन्चायत सन १८९९ के संबन्ध में:—

चूंकि राम साकिन.......... और श्याम साकिन.......... में..... .... के सम्बन्ध में परस्पर विवाद उत्पन्न हुए हैं और अब तक चले आते हैं।

अतएव हम, उक्त राम और श्याम, इस लेख के अनुसार विवाद ग्रस्त उक्त बातों को शंकर के पास पन्चायत में अर्पण [सुपुर्द] करने के लिये सम्मत होते हैं।

(हस्ताक्षर) राम
श्याम

तारीख..... सन १८९. . .

नमूना २

एक पन्च के नाम विशेष विवाद संबंधी पंचायत नामा

कानून भारतीय पन्चायत सन १८९९ के सम्बन्ध में:—

चूंकि राम साकिन . ... और श्याम साकिन... ....

में............के सम्बन्धमें परस्पर विवाद उत्पन्न हुए हैं, और अब तक चले आते हैं।

अतएव हम, उक्त राम और श्याम, इस लेख द्वारा विवाद ग्रस्त उक्त बातों को शंकर के पास पन्चायत में अर्पण (सुपुर्द) करने के लिये सम्मत होते हैं।

(हस्ताक्षर) राम
श्याम

तारीख १८९ ...



नमूना ३

इकरार नामे के अनुसार भावी विवाद को पन्चायत में सौंपने के लिये एक पंच की नियुक्ति

कानून भारतीय पंचायत सन १८९९ के सम्बन्ध में :—

चूंकि उस लेख बद्ध इकरार नामे द्वारा जो तारीख........... सन को राम साकिन........और श्याम साकिन.........के बीच में लिखा गया है यह निश्चय हुआ है कि फ़रीकैन के बीच में जो विवाद उस के सम्बन्ध में उत्पन्न हों, वह एक ऐसे पंच के सुपुर्द होंगे जिस का नाम उस इकरार नामे में वर्णित है,

और चूंकि उक्त फरीकैन में.........के सम्बन्ध में, उक्त निश्चयानुकूल अर्थों में, विवाद उत्पन्न हुए हैं और अब तक चले आते हैं,

अतएव हम, उक्त फ़रीकैन, राम और श्याम इस लेख द्वारा उक्त विवादों को शंकर के सुपुर्द,पंचायती निर्णय के लिये करते हैं।

[हस्ताक्षर] राम
श्याम

तारीख.........१८९

नमूना ४

पन्च द्वारा पन्चायत नामे पर लेख लिख कर समय बढ़ाया जाना

भारतीय पंचायत एक्ट सन १८९९ और उस पंचायत के संबंध में जो राम साकिन..... और श्याम साकिन ...... के बीच में हैं :—

मैं इस लेख द्वारा उस विवाद ग्रस्त विषय के संबंध में जो [उक्त पन्चायत नामे द्वारा या] पन्चायत नामे में वर्णित लेख द्वारा मेरे सुपुर्द हुआ है, अपना निर्णय देने का समय तारीख... सन ...तक बढ़ाता हूं।

हस्ताक्षर शङ्कर
पन्च

तारीख......१८९

नमूना ५

विशेष मुकद्दमा

भारतीय पंचायत के कानून सन १८९९ और उस पन्चायत के सम्बन्ध में जो राम साकिन......और श्याम साकिन. ... के बीच में हुई है :—

निम्न लिखित विशेष मुकद्दमा उक्त एक्ट की धारा १०, खण्ड [ए] के अनुसार. . .की सम्मति के लिये वर्णन किया जाता है:-

[यहां पर मुकद्दमे की बातें नम्बर वार वाक्यों में संक्षेप में वर्णन कीजिये]

उक्त अदालत की सम्मति के लिये कानून के प्रश्न यह हैं:—

प्रथमतः आया............................ . ...

....

द्वितीयतः, आया.......................................

. ...

[हस्ताक्षर] शंकर
पञ्च

तारीख......१८९...



नमूना ६

निर्णय

कानून भारतीय पञ्चायत सन १८९९ और उस पञ्चायत के सम्बन्ध में जो राम साकिन........ और श्याम साकिन... .. के बीच में हुई है:—

चूंकि उस लेख बद्ध इकरार नामे के अनुसार जोकि तारीख .. सन्... .. .. को राम साकिन ...... और श्याम साकिन...... .. के बीच में लिखा गया है, उक्त राम और श्याम ने... ...... के सम्बन्ध में (या जैसी अवस्था हो) पारस्परिक विवाद ग्रस्त विषयों को मुझ शंकर के सुपुर्द कर दिये हैं।

अतएव मैं कि उक्त शंकर, उन बातों पर पूर्ण विचार कर के जो मेरे सामने पेश हुई हैं, निम्न लिखित निर्णय देता हूं:—

(१) कि........................ ....

(२) कि......... ....

[हस्ताक्षर] शंकर
पञ्च

तारीख.........१८९...



सूचना

पाठकों के सुभीते के लिये कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ यहां दे देना बहुत ही आवश्यकीय है जिनका इस छोटे से एक्ट में प्रायः प्रयोग हुआ है :—

पन्चायत नामा = पेशीनामा, Submission

पन्चायत = सालिसी, Arbitration

पक्ष = फ़रीक, Party

पन्च = सालिस, Arbitrator

सरपन्च = सरपन्च, Umpire

अर्पण, समर्पण, सोंपना = सुपुर्द करना, Reference

विवाद, झगड़ा = निज़ाअ, Difference

विवाद ग्रस्त विषय = अमर मुतनाज़ा Matter in difference

निर्णय, पन्चायती निर्णय = फ़ैसला सालसी, Award

दुराचार = बदमुआमलगी Misconduct

पर्याय में = अलसबीलुल बदलियत, In alternative

पूर्ति, सूची = जमीमा, फिहरिस्त, Schedule

बन्धन = पाबन्दी, Binding

बद्ध = पाबन्द, Bound

शपथ पूर्वक = हलफन, On oath

प्रतिज्ञा पूर्वक = बरक़रार सालह, On affirmation



सरकार गवर्नमेन्ट से मंजूर की हुई

कानून की पुस्तकें

हिन्दी भाषा में हाल तक की तरमीम सहित जिनको एक सुयोग्य वकील द्वारा इंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद करा के अभी छपाई हैं जिनको थोड़ी हिन्दी जानने वाले भी आसानीके साथ समझ सकें और मुकद्दमे की समस्त कार्यवाही समय पड़ने पर स्वयं ही कर सकें।

कानून जाब्ता दीवानी सार	१)
कानून जाब्ताफौजदारीसार	१।)
कानून ताजीरात हिंद	२)
कानून पुलिस	॥)
कानून डाकखाना	॥)
कानून मियाद समाअत	।)
कानून पंचायत	।)
कानून जूआ	
कानून दफीना	।)
कानून तार	।)
कानून प्रेस (छापाखाना)	।)
कानून अखबार	।)
कानून बटवारा	=)
कानून रजिस्टरी	॥)
कानून रेलवे	१)
कानून खफीफा	।)

कानून दर्पण

यह पुस्तक इतनी सर्व प्रिय हुई है कि थोड़े ही दिनों में इसके ७ संस्करण छपकर हजारों प्रतियां बिक गई हैं। इसमें भारत के प्रायः सबही कानून लिखे हैं जैसे कानून ताजीरात हिन्द, जाब्ता दीवानी व फौजदारी मियाद समाअत, आबकारी, पट्टेदारी दफीना हथियार शहादत व अमानत, फेल नाजायज़, पागल खाना स्टाम्प, कोर्ट फीस, रजिष्टरी इन्कम टैक्स, इन्तकाल जायदाद, ट्रेडमार्क, तल्लाक रकीना, कम्पनी कारखाने इत्यादि बहुत सी कानूनों का सब खुलासा, खूबी यह है कि कोई बात कानून की लिखने से रह नहीं गई। हर मनुष्य समझ सके बात २ पर वकील मुख्तारों की खुशामद और रुपये ठगाने से बचे जरा सी गलती से मुकद्दमा खराब न होसके। मुकदमेकी समस्त कार्यवाही स्वयंही कर सकें मू० १।) मात्र।)

पता—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी.पी. कम्पनी अलीगढ़ सिटी

कलाई पर बांधने की खूबसूरत

सुनहरी चूड़ीदार घड़ी

गारन्टी ६ वर्ष



यह घड़ी बहुत ही खूबसूरत तथा लासानी है इसमें कारीगरों ने तो बड़ा ही तारीफ का काम किया है कि कलाई चाहे जितनी मोटी या पतली हो सब में अच्छे प्रकार आ सकती है स्त्रियों के, लिये तो यह एक अमुल्य रत्न खूबसूरती की जान है वह इस को बड़े चाव से सोने के जेवर के आगे पहन कर अपने प्यारे को रिझाती हैं मज़बूती और पायेदारी में तो अपनी सानी नहीं रखती नं० ११५ मूल्य १०) नं० ११६ जिसमें नग जड़े हुए १२)

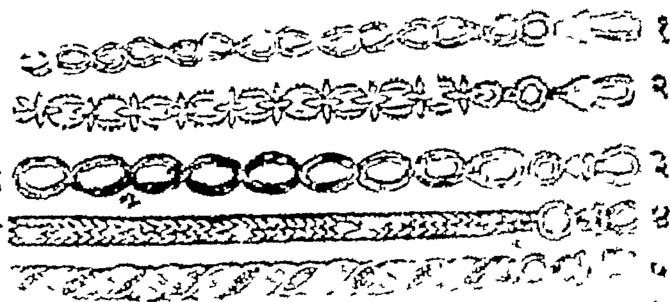
फैन्सी रिस्ट वाच

गारन्टी १० वर्ष



यह रिस्ट वाच घड़ी अपनी खूबसूरती और मजबूती में अपनी सानी नहीं रखती इसमें लीवर और ओइल लगे हुए हैं जो घोड़े की सवारी तथा कूद फांद में भी कभी बन्द नहीं होती इसके पुरजे भी पालिशदार और मज़बूत हैं मू० १२)

घड़ी की फैन्सी चैन



यह घड़ी की चैन बहुत खूबसूरत और फैंसी मजबूत बनी हुई हैं जिनके ऊपर सोने तथा चांदी का पक्का मुलम्मा किया गया है मूल्य चांदी के मुलम्मे की ।।।) और सोने के मुलम्मे की १) है आर्डर देने समय चैन का नम्बर तथा चांदी या सोने की अवश्य लिखना चाहिये।

डा—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी,पी, कंपनी अलीगढ़ सिटी

हिन्दू धर्म शास्त्रान्तर्गत

दत्तक-विधान
व
कानून गोद

* ओ३म् *

धर्म शास्त्रान्तर्गत

दत्त विधान

अर्थात

क़ानून गोद

लेखक—

बा० प्यारेलाल वृष्णि, मुख्तार

अलीगढ़ यू० पी०

प्रकाशक—

विश्वम्भर ब्रादर्स

हिन्दी ला बुकसेलर्स और पबलिशर्स

अलीगढ़ सिटी।

"गंगा प्रेस" अलीगढ़ में मुद्रित

अप्रैल १९२५

प्रथम संस्करण

मुद्रक—
बा० गंगाप्रसाद गुप्त, अध्यक्ष
"गंगा प्रेस" अलीगढ़।

मिलने का पता—
विश्वम्भर ब्रादर्स
हिन्दी ला बुकसेलर्स और पब्लिशर्स
अलीगढ़ सिटी।

भूमिका



हिन्दू धर्म शास्त्र के समस्त अंगों पर दीवानी अदालतों में विवादों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जारही है। विद्वान विचार पतियों के पारस्परिक मतभेद के कारण और भी उलझनें पैदा होगई हैं जिनके सुलझाने का समुचित प्रयत्न मेन, अय्यर, गौड़ और मुल्ला आदि दिग्गज कानूनी विद्वानों ने धर्म शास्त्र के समस्त अंगों पर सुबोध और बृहत टीका लिख कर किया है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर मैंने पहले "अविभक्त कुल विधान" अर्थात "खानदान मुशतरका" छोटी सी पुस्तिका पाठकों की सेवा में उपस्थित की थी। उसकी भूमिका में मैंने धर्म शास्त्र के अन्य विविध अंगों पर पृथक पृथक पुस्तकें लिखने का वचन दिया था। तदनुसार "दत्तविधान" अर्थात "क़ानून गोद" (Adoption) पुस्तिका रूप में लिख कर पाठकों की सेवा में समर्पित की जाती है।

गोद का विषय बहुत ही गहन और उलझन का है परन्तु इसके समस्त मोटे मोटे सिद्धान्त इस छोटी सी पुस्तिका में सन्निवेषित हैं। जो बात लिखी है नज़ीरों का प्रमाण भी स्वभावतया साथ ही दे दिया है। जनता दत्तविधान के मोटे सिद्धान्तों से भी यदि अवगत होकर अर्थ और समय के अपव्यय से बचने के लिये अनधिकार चेष्टा न करेगा अपने मुकद्दमों में लाभ उठा सके तो इस पुस्तिका के लिखने का श्रम मैं सार्थक समझूंगा।

कानून की किताबें, तथा उन पर लिखी गई बड़ी बड़ी टीकायें अङ्गरेज़ी भाषा ही में हैं। देशी भाषाओं में न तो ऐसे ग्रंथों की मांग ही है और न इसके सुलभ साधन ही उपस्थित हैं और न विद्वान वकील टीका कारों का इस पर ध्यान ही गया है अतः भी अंगरेज़ी की तरह छोटी छोटी पुस्तकों का स्वरा मूल्य इन ग

तैयार नहीं। इन परस्थितियों में हिन्दी भाषा का यह अंग यदि हरा भरा न रहे तो आश्चर्य ही क्या है? यही समझ हिंदी प्रेमी वकील और बैरिस्टरों ने [Bare acts] साधारण कानून की किताबों का अनुवादतक करनेकी कृपा नहींकी। यह बात मुझको बहुतदिन से अखर रही थी अतएव मैंने साहस कर सम्भवतया सरल हिंदी में ताजीरात हिन्द, कानून शहादत, रजिस्टरी, मीयादसमाअत, कानून रेलवे, पुलिस, डाकखाना आदि कतिपय कानूनी किताबों का अनुवाद कर डाला। जिस गति से इन पुस्तकों का विक्रय हो रहा है उससे पूर्ण आशा है कि हिन्दी साहित्य की यह कमी भी शीघ्र ही पूर्ण हो जायगी। सुबोध और सरल भाषा में सुलभ टीकाएँ निकलेंगी और ऐसे सामयिक पत्र निकलेंगे जिन में कानूनी नज़ीरों के अतिरिक्त विवादात्मक कानूनी विषयों की सविस्तर विवेचना रहेगी।

प्यारेलाल वृष्णिः

चैत्र शुक्ल ९, सं० १९८२



ओ३म्

दत्त विधान

अर्थात्

क़ानून गोद

"स्वर्ग लोक नहिं मिलहि निपुत्रिन"

पुत्र हीन पुरुष स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। यह वशिष्ठ जी ने कहा है। ऐसा ही मत अन्य ऋषि और महर्षियों का है। यही कारण है कि सन्तान हीन पुरुष अपना नाम चलाने के लिये गोद ले लिया करते हैं।

गोद लेनेसे दो लाभ होते हैं। एक तो अपना वारिस या उत्तराधिकारी बनाना और दूसरा अपनेको स्वर्ग सुख पहुंचाना। यही कारण है कि दत्तक (गोद लिये हुये अर्थात् मुतबन्ना) पुत्र का दरजा सगे पुत्र के बराबर होता है।

दत्तक पुत्रों का भेद

प्राचीन धर्म शास्त्र में बारह तरह के पुत्रों का वर्णन है जिनमें से पांच प्रकारके दत्तक पुत्र होते थे। परन्तु अब तीन प्रकारके पुत्र माने जाते हैं। (१) औरस अर्थात असली पुत्र (२) दत्तक अर्थात् गोद लिया हुआ (३) कृत्रिम अर्थात बनावटी (बनाया हुआ) पुत्र। इनमें से दत्तक और कृत्रिम दो ही प्रकार के दत्त पुत्र माने जाते हैं। मिथला और उस के पास के जिलों को छोड़कर जहां कि

यदि गोद लेने वाले के यहां बहरा गूंगा पुत्र मौजूद हो तो भी गोद लिया जा सकता है, क्यों कि धर्म शास्त्र के अनुसार गूंगा बहरा लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं है।

विधर्मी पुत्र हो जाने पर गोद लिया जा सकता है या नहीं, इस विषय पर मत भेद है। हिन्दू शास्त्रानुसार तो गोद लिया जा सकता है क्यों कि पुत्र के विधर्मी हो जाने पर वह पिता की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता, परन्तु एक्ट २१ सन १८५० के पास हो जाने से इस विषय पर-सन्देह उत्पन्न हो गया है क्यों कि इस एक्ट के अनुसार पुत्र के विधर्मी या बिरादरी से खारिज हो जाने पर भी उस का स्वत्व नहीं जाता।

विधवा द्वारा गोद लिया जाना

गोद विषयक क़ानून पर सब ही प्रान्तों में कुछ न कुछ मत भेद है। इस मत भेद का कारण क्या है, यह हम आगे चल कर बतलाएंगे।

मिथिला में, पति की प्रत्यक्ष अनुमति होते हुए भी, विधवा गोद नहीं ले सकती,

बंगाल और बनारस के सूबों में, विधवा गोद ले अवश्य सकती है परन्तु पति की प्रत्यक्ष अनुमति का होना परमावश्यक है और वह भी लेखबद्ध।

मद्रास प्रान्त में भी विधवा गोद ले सकती है। यहां पति की प्रत्यक्ष अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि पति मरने के समय पृथक रहता हो तो विधवा को पति के सपिण्डो की अनुमति लेना होगी और यदि वह शामिल रहता हो तो उस के अविभक्त सहभागियों (Coparceners समांशियों) की।

बम्बई प्रान्त में भी विधवा पति की प्रत्यक्ष अनुमति बिना गोद लेने का अधिकार रखती है परन्तु शर्त यह है कि यदि पति मरते समय शामिल शरीक रहता हो तो विधवा को अपने पति के अविभक्त सहभागियों की अनुमति की जुरुरत होगी परन्तु यदि पृथक रहता हो तो किसी की भी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

मिथिला, बंगाल, मद्रास और बम्बई, चारों भिन्न २ प्रदेशों में गोद के सम्बन्ध में भिन्न २ कानून प्रचलित हैं।

वशिष्ट जी ने एक वाक्य कहा है जिसका अभिप्राय यह है कि स्त्री अपने स्वामी की अनुमति बिना गोद ले या दे नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के अर्थ-भेद से भिन्न २ प्रान्तों में भिन्न २ अर्थ लगाया गया है। मिथिला में इस का अर्थ विचित्र रूप से लिया गया है अर्थात् गोद लेते समय पति ने अनुमति दी हो, परन्तु चूंकि विधवा पति विहीना होती है, अतएव वह गोद ले ही नहीं सकती। अन्य प्रान्तों में विधवाओं को गोद लेने का अधिकार है जैसा कि उपर्युक्त वाक्य से प्रकट होता है। बंगाल और बनारस में इस का यह अर्थ लिया जाता है कि पति ने अपने जीवन काल में गोद लेने की अनुमति दे दी हो। परन्तु बम्बई में इस वाक्य के प्रयोग का सम्बन्ध उस गोद से है जो पति के जीवन काल में लिया जाय। बम्बई में पति की अनुमति का होना मान ही लिया गया है यहां तक कि अपने अवयस्क (नाबालिग) पति के लिये भी गोद ले सकती है।



गोद लेने की अनुमति

प्रत्येक हिन्दू जो अविछिन्न मस्तिष्क और विवेक शक्ति रखता हो, अपनी पत्नि को, गोद लेने की अनुमति दे सकता है कि वह उसकी मृत्यु के बाद गोद रख ले। यदि पति नाबालिग हो तो भी अनुमति दे सकता है।

मिथिला में यह अनुमति मान्य नहीं है। मिताक्षरा अविभक्त कुल (Joint family) का कोई मेम्बर भी मरते समय अपनी विधवा को गोद की अनुमति दे सकता है (पच्चू बनाम मान कुंवर बाई (१९०७) ३१ बम्बई २७१)

सिवाय विधवा के यह अनुमति किसी और को नहीं दी जा सकती। और न विधवा के साथ २ किसी और को दी जा सकती है। यदि विधवा के साथ किसी और को भी अनुमति दी गई हो और उस अनुमति के अनुसार उन दोनों ने लड़का गोद रखा हो।

तो वह गोद अनुचित होगी। (अमृतलाल बनाम सुवर्णमयी (१९००) २७ कलकत्ता ९९६)

यदि पति ने विधवा को अनुमति देते समय यह कहा हो कि गोद में अमुक मनुष्य का परामर्श लेलेना तो ऐसी दशा में विधवा उस अमुक मनुष्य से परामर्श लेने के लिये बाध्य नहीं है और वह बिना उसकी सम्मति के ही गोद ले सकती है (सुरेन्द्र बनाम सैलाजा (१८९१) १८ कलकत्ता ३८५) परन्तु यदि पति ने यह कहा हो कि अमुक मनुष्य के परमर्श बिना गोद न लेना तो ऐसी दशा में उस मनुष्य की सम्मति बिना गोद लेना कानून के विरुद्ध होगा। (रंगू बाई बनाम भागीरथी बाई (१८७७) २ बम्बई ३७७)

यदि विधवा के साथ २ किसी और को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया हो तो जो गोद कि उस अधिकार के अनुसार उन दोनों द्वारा रखी जाय, तो वह तो अनुचित होगी ही, यदि अकेली विधवा गोद रखे तो वह भी अनुचित होगी क्यों कि अकेली विधवा को गोद रखने का अधिकार नहीं दिया गया था।



अधिक विधवाओं को अनुमति

यदि किसी मनुष्य की दो या अधिक विधवाएं हों और गोद लेने की अनुमति एक को प्रदान की गई हो तो वह अन्य विधवाओं की सम्मति बिना गोद रख सकती है। (देखिये स्ट्रेन्ज हिन्दू ला, जिल्द २ पृष्ठ ९१).

यदि सब विधवाओं को संयुक्त अनुमति दी गई हो तो सब विधवाएं सहमत हो कर गोद रख सकती हैं। यदि गोद लेते समय उन विधवाओं में से कोई मर गई हो तो शेष विधवा या विधवाएं सहमत होकर गोद ले सकती हैं (श्रीराजा वेंकटा बनाम श्रीराजा रंगाया (१९०५) २९ मद्रास ४३७)

और यदि गोद लेने की अनुमति विधवाओं को पृथक २ दी गई हो तो जेठी विधवा को गोद लेने का पहिला स्वत्व प्राप्त होगा, हां यदि वह गोद लेने से इन्कार करे तो छोटी विधवा गोद ले सकती है। (विजय बनाम रुक्मिण (१९११) ३८ कलकत्ता, ६९४)

गोद की सूरत

गोद लेने का अधिकार ज़बानी और लेख द्वारा दोनों ही तरह दिया जा सकता है। लेख द्वारा होने की दशा में उस लेख का रजिस्ट्री होना आवश्यक है। परन्तु यदि ऐसा अधिकार वसीयत द्वारा दिया जाय तो उसकी रजिस्ट्री भी लाज़िमी नहीं है। (मुतसद्दी लाल बनाम कुन्दनलाल १९०५, २८ इलाहाबाद ३७७, ३३, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सन १९०८ धारा १७ (३)।

गोद की शर्त्त

गोद लेने का अधिकार, अनुमति या आज्ञा (authority to adopt) शर्तिया हो सकती है परन्तु वह शर्त्त कानून के विरुद्ध न हो। जैसे यदि पति अधिकार पत्र में यह शर्त्त लिख दे कि पत्नि और पुत्र में अनबन होने की दशा में पत्नि गोद ले सकती है तो ऐसी शर्त्त कानून विरुद्ध होगी क्योंकि कोई हिन्दू असली पुत्र के जीवित गोद नहीं ले सकता (सौन्दूरमा बनाम राम दो दल (१९११) १ बंगाल दूसरा संस्करण ४३४) परंतु यदि यह शर्त्त कर जाय कि यदि असली पुत्र छोटी अवस्था में मर जाय या कुवारा रह जाय तो गोद ले सकती है। ऐसी शर्त्त कानून के अनुसार है। (वेलांकी बनाम गेक्टा [१८७६] १ मद्रास १७४] क्योंकि गोद लिये बिना पिन्डदान का सिलसिला कायम नहीं रहता।

अधिकार-प्रयोग

अधिकार की शर्तों का पालन कड़ाई के साथ होना चाहिये। यदि अधिकार पत्र में यह शर्त हो कि अमुक समय तक विधवा गोद ले सकती है तो वह विधवा उस समय के व्यतीत हो जाने पश्चात गोद नहीं ले सकती। [मुन्नदी बनाम कुन्दनलाल [१९०५] २८ इलाहाबाद ३७७], और यदि यह शर्त हो कि अमुक लड़का ही गोद लिया जाय तो विधवा दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकती, चाहे वह लड़का गोद लिया ही न सकता हो ...

वह लड़का मर गया हो या उस के माता पिता गोद न दें तब भी वह विधवा किसी अन्य बालक को गोद नहीं ले सकती [अमीर थयान बनाम केथरामयान [१८९०] १४ मद्रास ६५ और सूर्य नरायन बनाम वेंकटा रामना [१९०२] २६ मद्रास ६८१ पृष्ठ ८६५]। और यदि पति ने यह शर्त कर दी हो कि अमुक लड़का जिसका उसने नाम लिया है ही केवल गोद लिया जावे तो ऐसी दशा में बम्बई प्रेजीडेन्सी में भी विधवा दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकती। [लक्ष्मी बाई बनाम राजोजी [१८७२] २२ बम्बई ९९६]

मानलो कि क अपनी गर्भिणी पत्नि को गर्भ से पैदा हुए लड़के के मर जाने की दशा में गोद लेने का अधिकार देता है परन्तु क के मर जाने पश्चात उसके लड़के के बजाय लड़की उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में क की विधवा गोद ले ही नहीं सकती [महेन्द्रलाल बनाम रुकनी दासी [१८९४] १ कोरीटन ४२]। परन्तु विधवा स्त्री को गोद लेने का अधिकार होते हुए भी, गोद लेना न लेना उसकी मरज़ी पर है। चाहे उसके पति ने गोद लेने के लिये प्रत्यक्ष आज्ञा भी दे दी हो, तो भी गोद लेने के लिये कानून विधवा को मजबूर नहीं करता। विधवा के इस कार्य से उसके पति की जायदाद सम्बन्धी स्वत्वों पर भी कोई असर नहीं पड़ता। (मुसद्दी बनाम कुंदन [१९०५] २८ इलाहाबाद ३७७, श्यामा बाहू बनाम हारिकादास [१८७८] १२ बम्बई २०२, उमासुन्दरी बनाम सौराबिनी (१८८१) ७ कलकत्ता २८८)

पति–आज्ञा बिना गोद

मद्रास और बम्बई प्रान्तों में पति की आज्ञा बिना गोद लिया जा सकता है।

मद्रास | पहिले हम मद्रास के सम्बन्ध में गोद के नियमों का निरूपण करेंगे।

यदि पति ने प्रत्यक्षतः या भावतः (Express or implied) ... देने का निषेध कर दिया हो तो विधवा गोद नहीं ले सकती

(कलक्टर मदौरा बनाम मुत्तु रामालिङ्गा [१८६८] १२ मद्रास ३९७)

यदि पति अपने मरने के समय अपनी पत्नि से पृथक रहता हो तो विधवा को चाहिये कि वह अपने ससुर की अनुमति से गोद ले, क्यों कि ससुर ही कुटुम्ब में सब से बड़ा है अतएव उस की ही अनुमति पर्य्याप्त होगी । और यदि ससुर जीवित न हो तो उसे अपने पति के सपिण्डों की अनुमति लेना आवश्यक है परन्तु सब ही सपिण्डों की अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है और गोद केवल इस कारण से ही अनुचित नहीं ठहराया जा सकता कि कुल सपिण्डों ने अनुमति नहीं दी । परन्तु प्रत्येक सपिण्ड से उस को अनुमति अवश्य मांगनी चाहिये (सुब्रह्मन्यम बनाम वेन्कम्मा [१९०३] २६ मद्रास ६२७, वेन्कम्मा बनाम सुब्रह्मन्यम [१९०७] ३० मद्रास ५०)

हर बातका अवलम्बन कुटुम्ब की स्थिति पर है और हर स्थिति में यही प्रश्न होता है कि आया गोद औचित्य (Expediency) के शुद्ध विचार से लिया गया या नहीं । यदि कुल सपिण्डों ने सम्मति दे दी हो तब तो बिलकुल ठीक ही है और उस के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है और यदि गोद सपिण्डों के बहुमत से लिया गया हो तो भी यही अनुमान किया जायगा परन्तु ऐसे गोद के सम्बन्ध में फरीकैन यह दिखला सकते हैं कि गोद उचित नहीं था । यदि किसी सपिण्ड की सम्मति बिना गोद लिया गया हो तो गोद अनुचित समझा जायगा । (वेंकटा कृष्णम्मा बनाम अन्न पूर्णम्मा [१८९९] २३ मद्रास ४८६, ४८८, सुब्रह्मन्यम बनाम वेंकम्मा [१९०३] २६ मद्रास ६२७: वेंकम्मा बनाम सुब्रह्मन्यम [१९०७] ३० मद्रास ५०, देवकी, बनाम वेंकटा [१८७७] १ मद्रास १५४)

यदि पति मरते समय पृथक न रहता हो तो विधवा को अपने ससुर की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिये । यदि ससुर न हो तो अन्य समांशियों [Coparceners] की सम्मति लेना परमावश्यक है क्यों कि उन की इच्छा के विरुद्ध गोद सम्मति देना करना अनुचित है [कलक्टर मदौरा बनाम मुत्तु रामालिङ्गा [१८६८] १२ मद्रास ३९७, ४२१, ४४२, वेंकट कृष्णम्मा बनाम अन्नपूर्णम्मा [१८९९] २३ मद्रास ४८६, ४८७, ४८८ और नरायन भारती बनाम मंगल नल [१९०५] २८ मद्रास ३१५, ३१९.]

यदि पति के मरते समय सपिण्ड तो बटे हुए हों और समांशि शामिल शरीक रहते हों तो समांशियों की सम्मति लेना बहुत ही ज़ुरूरी है [रघुनध बनाम ब्रोज़ो किशोरो [१८७६] १ मद्रास ६९]; यदि विधवा ने गलत बात कह कर सम्मत्ति ली हो तो गोद अनुचित होगी [गनेश बनाम गोपाल [१८८०] २ मद्रास २७०] वेन्कम्मा बनाम सुब्रमन्यम [१९०७] ३० मद्रास ५०] और यदि समांशियों ने अपने किसी स्वार्थ वश सम्मति दे दी हो तो वह गोद भी अनुचित होगी [गनेश बनाम गोपाल [१८८०] २ मद्रास २७०] परन्तु यदि विधवा ने किसी सपिण्ड को सम्मति लेने के लिये कोई बखशीश दी हो तो वह स्वार्थ में शामिल नहीं है [कलकटर मडौरा बनाम मुत्तु लिङ्गम [१८६८] १२ मद्रास ३९७] और यदि कोई समांशि अपनी सम्मति देने में यह शर्त्त करले कि गोद लेने की वजह से उस के हिस्से में कमी न आयेगी तो इस में भी कुछ अनौचित्य न होगा [श्री निवास बनाम रंगासामी [१९०७] ३० मद्रास, ४ ५०]

रिश्तेदारों की सम्मत्ति प्राप्त करने से विधवा का गोद लेने का अधिकार पति जैसा हो जायगा। वह पति की तरह इकलौते पुत्र को भी गोद रखने का अधिकार रखती है [श्री वाल्लूसू गुरुलिङ्गा स्वामी बनाम श्री वाल्लूसू रामलक्ष्मनम्मा [१८९८] २२ मद्रास ३९८]

छोटी विधवा की सम्मति बिना यदि बड़ी विधवा सपिण्डों की सम्पत्ति से गोद ले ले तो वह गोद अनुचित न होगा। [नारायण सामी बनाम मङ्गम्मल [१९०५] २८ मद्रास ३१५]

यदि अविभक्त कुल का कोई मेम्बर अपनी विधवा को गोद लेने का प्रत्यक्ष अधिकार दे कर मर जाय तो वह विधवा बिना समांशियों की सम्मति के गोद नहीं ले सकती।

<u>बम्बई</u> | बम्बई प्रेज़ीडेन्सी में भी पति की अनुमति बिना विधवा गोद रख सकती है परन्तु यदि पति ने प्रत्यक्षतः या भावतः निषेध कर दिया हो तो वह गोद नहीं ले सकती। [गोपाल विरुद्ध [१८९८] २३ बम्बई २५०, २५६]

यदि पति मरते समय पृथक रहता हो और पति का माल उस को विरासत में पहुंचा हो तो वह अपने पति के सपिन्ड या किसी रिश्तेदार की सम्मति बिना गोद ले सकती है। (कलक्टर मडौरा बनाम मुत्तू (१८६८) १२ मद्रास ३२७)। और यदि मरते समय पति पृथक न रहता हो तो विधवा बिना अपने ससुर या अविभक्त समांशियों की सम्मति के गोद नहीं ले सकती [रामजी बनाम धमऊ [१८७९] ६ बम्बई ४९८, दिन कर बनाम गनेश [१८७९] ६ बम्बई ५०५; विठोबा बनाम बापू [१८९०] १५ बम्बई ११० जिस में यह तय कियाहै कि ससुरकी सम्मति पर्य्याप्त है; लक्ष्मीबाई बनाम विष्णु[१९०५]२९ बम्बई ४१० जिसमें यह निश्चय किया गया है कि ससुर की सम्मति का प्रभाव उस के मरने के बाद कुछ नहीं है, बच्चू बनाम मनकोरे बाई [१९०७] ३१ बम्बई ३७२]

बड़ी विधवा छोटी विधवा की सम्मति बिना गोद ले सकती है परन्तु छोटी विधवा बड़ी विधवा की सम्मति बिना गोद नहीं ले सकती [रुकम बाई बनाम राधा बाई[१८६८]५ बम्बई १८१, पादा जी राव बनाम राम राव [१८८८] १३ बम्बई १६०, अमावा बनाम महद गोदा [१८९६] २२ बम्बई ४१६]

परन्तु छोटी विधवा का यदि लड़का मर गया हो और वह अपने लड़के की जायदाद की वारिस हुई हो तो ऐसी दशा में बड़ी विधवा को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। [आनन्दी बाई बनाम काशी बाई [१९०४] २८ बम्बई ४६१,]

मान लो क नामक मनुष्य श्यामो और रामो और रामो के पेट से पैदा हुए लड़के को छोड़ कर मर गया। क की सम्पत्ति का मालिक रामो का लड़का हुआ। अब रामो का लड़का भी मर गया तो मा होने के कारण रामो सम्पत्ति की वारिस हुई। ऐसी दशा में श्यामो को गोद लेने का अधिकार नहीं है।



विधवा द्वारा गोद लिये जाने के सामान्य नियम

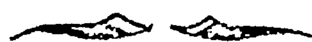


कोई विधवा अपने पति के लड़के, नाती या पन्ति के जीवित गोद लेने का अधिकार नहीं रखती। किसी विधवा को अपने पति से गोद के सम्बन्ध में अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। [गोपीलाल बनाम चन्द्रौली [१८७२] ११ बंगाल ला रिपोर्ट ३९१]

वयस अप्राप्त [नाबालिग] विधवा को, यदि उस के पति ने उसे गोद लेने की प्रत्यक्ष आज्ञा दे दी हो, और उसे अपना भला बुरा समझने की समझ आ गई हो तो, गोद लेने का उसी तरह अधिकार प्राप्त है जिस तरह वयस प्राप्त [बालिग] विधवा को प्राप्त है। [मन्दाकिनी दासी बनाम आदि नाथ डे [१८९०] १८ कलकत्ता ६९]

यदि किसी विधवा को कुछ रुपया दे कर लड़का गोद रखने की तरगीब दी जाय तो वह एक प्रकार की रिशवत है जिस का सभी स्मृति कारों ने निषेध किया है। [सीताराम बनाम हरीहर [१९१०] ३५ बम्बई १६९]

विधवाओं को सामान्यतः पति की प्रत्यक्ष या भाव पूर्ण अनुमति बिना गोद लेने का अधिकार नहीं है। परन्तु बम्बई और मद्रास में वह बिना अनुमति के ही गोद ले सकती हैं परन्तु यदि पति ने निषेध कर दिया हो तो वह गोद नहीं ले सकती। ऐसे गोदों के सम्बन्ध में ऊपर सब बातें कही जा चुकी हैं।



गोद लेने के अधिकार का अन्त

यदि पति अपने मरने के समय पृथक रहता हो तो उसकी विधवा दो दशाओं में गोद ले सकती है अर्थात यदि पति बिना किसी लड़के (नाती या पन्ती) के मर जाय या यदि पति ने लड़का (नाती या पन्ती) छोड़ा हो और लड़का भी अपनी विधवा मा को अपनी सब से करीबी वारिस होने की हैसियत से छोड़ गया हो (अर्थात् सिवाय उसकी माता के अन्य किसी को उसकी सम्पत्ति का स्वत्व न पहुंचता हो।]

दोनों ही दशाओं की अधिकारिणी विधवा होती है। पति यदि बिना पुत्र के मर जाता है तो उसकी विधवा तुरन्त ही उसकी सम्पत्ति की स्वामिनी बन जाती है और यदि पति पुत्र छोड़ कर मरा है तो सम्पत्ति का स्वामी पुत्र होता है। पुत्र के बाद पति, ... न हो और पुत्र मर जाय तो वह विधवा अपने स्वामी की सम्पत्ति की अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात अधिकारिणी होती ... अतएव विधवा दोनों ही दशाओं में गोद रख सकती है।

यदि कोई मनुष्य अपनी स्त्री और पुत्री को छोड़कर मर जाय तो पुत्री के होने के कारण गोद में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती।

राम ने अपने मरते समय अपनी विधवा और श्याम नाम का नाती छोड़ा। राम की सम्पत्ति श्याम को मिली। श्याम कुंआरा ही मर गया तो यह सम्पत्ति श्याम की दादी अर्थात् राम की विधवा

को श्याम की उत्तराधिकारिणी होने की दशा में पहुंची। राम की विधवा राम के लिये गोद ले सकती है।

यदि कोई मनुष्य अपनी स्त्री और पुत्र को छोड़ कर मर जाय और अपनी विधवा को यह प्रत्यक्ष अनुमति दे जाय कि वह उक्त पुत्र के मर जाने पर गोद रख सकती है। अब यदि पुत्र कुंवारा ही मर जाता है तो विधवा गोद ले सकती है और यदि पुत्र भी अपनी पत्नि या पुत्र आदि छोड़ कर मरता है तो उस मनुष्य की विधवा को गोद का अधिकार नहीं रहता। [ताराचरन बनाम सुरेशचन्द्र [१८८९] १७ कलकत्ता १२२ अमावा बनाम महद गोद [१८९६] २२ बम्बई ४१६]

यदि विधवा का, गोद लेने का अधिकार एक बार जाता रहे तो वह हमेशा के लिये जाता रहता है। ऐसा अधिकार विधवा को पुनः प्राप्त नहीं होता। (कृष्णराव बनाम शंकरराव [१८९२] १७ बम्बई १६४]

मान लो कि राम अपनी विधवा और श्याम नामक लड़के को छोड़ कर मर गया। राम की सम्पत्तिका मालिक उसका लड़का श्याम हुआ। अभी तक राम की विधवा के गोद लेने के अधिकार का अन्त नहीं हुआ क्योंकि श्याम के मरने पर सम्पत्ति की अधिकारिणी विधवा होगी। और उसको गोद लेने का अधिकार रहेगा, परन्तु यदि श्याम का विवाह हो जाय तो उस विधवा का गोद लेने का अधिकार जाता रहता है क्योंकि श्याम के मरने के पश्चात राम की सम्पत्ति जो श्याम के पास थी श्याम की विधवा या श्याम के लड़कों को मिलेगी न कि रामकी विधवा को। अग यदि श्याम की विधवा या लड़के भी मर जांय तो राम की सम्पत्ति राम की विधवा को पहुंचेगी। ऐसी दशा में राम की विधवा रामके लिये गोद नहीं ले सकती। [राम कृष्ण बनाम श्याम राव [१९०२] २६ बम्बई ५२६, मणिकामाला बनाम नन्दा कुंमर [१९०८] ३३ कलकत्ता १३०६, आदिवि बनाम निद्मार्ती [१९०८] ३३ मद्रास २२८]

यदि पति की विरुद्ध आज्ञा या अनुमति न हो तो विधवा चाहे जिस समय गोद ले सकती है [गिरियोवा बनाम भीम जी [१८८५] ९ बम्बई ५८, गुरसही बनाम मुकुन्दलाल [१९०५] २८ इलाहाबाद

३७७] पति के मरने से ७१ वर्ष पश्चात विधवा ने गोद लिया था। बम्बई हाईकोर्ट ने उसे उचित माना [राजे बनाम जयवन्तराव [१८६७] ४ बंबई १९१]

मिताक्षरा के अनुसार यदि पति मरते समय पृथक रहता हो तब ही उक्त बातें लागू हो सकती हैं। दाय भागके अनुसार पति चाहे पृथक रहता हो या सम्मिलित, हर अवस्था में लागू हैं।



विधवा को गोद लेने का अधिकार

विधवा को गोद लेने का अधिकार निम्न दशाओं में प्राप्त नहीं है:-

(१) बम्बई और मद्रास प्रान्तों में, यदि पति ने अपनी विधवा को गोद लेने का निषेध कर दिया हो ।

(२) अन्य प्रान्तों में, यदि विधवा ने पति से गोद लेने की अनुमति प्राप्त न की हो।

(३) यदि गोद लेने के अधिकार का अन्त हो गया हो [देखिये 'गोद लेने का अधिकार का अन्त, शीर्षक]

[४] यदि विधवा को सम्पत्ति पति की उत्तराधिकारिणी (Heir) की भांति न मिली हो, वरन गोत्रज सपिण्ड के रूप में मिली हो तो विधवा अपने पति के लिये गोद नहीं ले सकती।

मान लो कि श्याम और राम दोनों सगे भाई शामिल शरीक रहते हैं। राम का विवाह हो चुका है परन्तु श्याम का नहीं हुआ। राम मर गया तो राम का भाग भी श्याम को Survivorship ([illegible]) से मिला। अब श्याम भी मर गया तो कुल सम्पत्ति राम की विधवा को सब से करीबी वारिस होने की हैसियत से मिली अर्थात गोत्रज सपिण्ड की भांति, ऐसी दशा में यदि राम की विधवा अपने पति के लिये गोद ले ले तो वह उचित गोद न होगी। [दत्तो गोविन्द बनाम पांडुरंग [१९०८] ३२ बम्बई ४९९]।



गोद देने वाला

केवल पिता या माता ही लड़के को गोद दे सकते हैं और कोई नहीं। [पुतला बाई बनाम महादू [१९०८] ३३ बम्बई १०७]

सोतली मा, चाचा, भाई, बहन आदि को गोद देने का अधिकार नहीं है।

यदि पिता और माता दोनों जीवित हों और दोनों में गोद देने के सम्बन्ध में विवाद हो तो पिता का अधिकार पहिला माना जायगा। अर्थात सब से पहिला अधिकार पिता को गोद देने का है [नरायन सामी बनाम कुप्पू सामी [१८८६] ११ मद्रास ४३, पृष्ठ ४७]

पिता के जीवित होते हुए माता बिना पिता की सम्मति के गोद नहीं दे सकती। पिता के मरने के पश्चात माता गोद दे सकती है या यदि पिता सम्मति देने के अयोग्य हो गया हो, या यदि पति ने दुनिया दारी छोड़कर सन्यास ले लिया हो और यदि उसने प्रत्यक्षतः या भावतः गोद देने का निषेध न किया हो तो भी माता अकेली गोद देने का अधिकार रखती है [जोगेश चन्द्र बनाम नृत्य काली [१९०३] ३० कलकत्ता ९६५]

पहिले बम्बई हाईकोर्ट ने यह निश्चय कर दिया था कि किसी हिन्दू विधवा को अपने पुनर्विवाह कर लेने पश्चात अपने पहिले पति से उत्पन्न पुत्र देने का उस समय तक अधिकार नहीं है जब तक उसने अपने पहिले पति से गोद देने की प्रत्यक्ष अनुमति प्राप्त न करली हो। [पनसप्पा बनाम संगन बासव [१८९९] २४ बम्बई ८९] परन्तु बाद में उसी हाईकोर्ट ने यह राय बदल दी है और अब यह कहती है कि पुनर्विवाह के कारण हिन्दू विधवा का अपने पहिले पति से उत्पन्न पुत्र को गोद देने का अधिकार नहीं मारा जाता। [पुतला बाई बनाम महादू [१९०८] ३३ बम्बई १०७]



गोद के अधिकार का दूसरे को दिया जाना

लड़के को गोद देने का अधिकार एक मात्र पिता माता को है और किसी को नहीं। इस अधिकार को यही बर्त भी सकते हैं यही कारण है कि माता पिता अपने इस अधिकार को और किसी को नहीं दे सकते [वेशशियप्पा बनाम शिवलिंगप्पा [१८७३] १० बम्बई २६८]। परन्तु गोद देने की वास्तविक क्रिया किसी दूसरे से कराई जा सकती है [श्यामसिंह बनाम सन्तो बाई [१९०१] २५ बम्बई ५५१]

विधर्मी पिता द्वारा गोद

यदि पिता हिन्दू धर्म को त्याग कर विधर्मी हो गया हो तो भी वह अपने हिन्दू लड़के को गोद देने का अधिकार रखता है परन्तु गोद देने की क्रिया धार्मिक होने के कारण किसी और मनुष्य से जो हिंदू हो कराई जा सकती है (श्यामसिंह बनाम सान्तो बाई [१९०१] २५ बम्बई ५५१)

ब्राह्मोसमाजी, आर्य समाजी आदि आदि अपने लड़कों को जो उस मत के हैं गोद दे सकते हैं क्यों कि ब्राह्मो, आर्य धर्म आदि सब हिंदू धर्म की शाखायें ही हैं और यह चाहे जब हिंदू हो सकते हैं (कुसुम कुमारी बनाम सत्य रञ्जन [१९०२] ३० कलकत्ता ९९९

गोद देने वाला आवश्यक नाबालिग भी हो यद्यपि पागल न हो और उसको बुरे भले जानने का ज्ञान हो (सौरिन्द्र बनाम शिवचन्द्र [१८९२] १९ कलकत्ता ४५२, ४६१, १९ इण्डियन अपील्स १०१, १०५, १०६)

गोद में लिया जाने वाला

अनाथ लड़का गोद नहीं लिया जा सकता। क्यों कि गोद पिता माता ही दे सकते हैं (बशेशियप्पा बनाम शिवलिङ्गप्पा [१८७३] १० बम्बई २६८)

केवल लड़का गोद लिया जा सकता है। लड़की नहीं। (गंगो बाई बनाम अनन्त [१८८८] १३ बम्बई ६९०)

अपनी बिरादरी का ही लड़का गोद लिया जा सकता है. अन्य बिरादरी का नहीं।

ऐसा लड़का गोद लिया जा सकता है जिस की मा से गोद लेने वाला विवाह कर सकता हो। (मिनाक्षी बनाम रामानन्द [१८८६] ११ मद्रास ४९; रामचन्द्र बनाम गोपाल [१९०८] ३२ बम्बई ६१९) यह नियम शुद्रों से लागू नहीं है अर्थात शुद्रों में ऐसी स्त्री का लड़का भी गोद लिया जा सकता है जिस के साथ गोद लेने वाला अपना विवाह न कर सकता हो (भगवान सिंह बनाम भगवानसिंह [१८९८] ४१२, ४१८. इण्डियन अपीलस १५२. १६०) । ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यों में भी, यदि यह प्रथा हो तो, ऐसी ही स्त्री का लड़का गोद लेने में कुछ भी हर्ज नहीं है जिस के साथ कि गोद लेने वाला विवाह न कर सकता हो। (बाई नानी बनाम चुन्नीलाल[१८९७]२२ बम्बई ९७३,९७६;विष्णु बनाम कृष्णान [१८८३] ७ मद्रास ३; वयीदीनद बनाम आपू [१८८१] ९ मद्रास ४४; चैनसुखराम बनाम पारवती [१८९१] १४ अलाहाबाद ५३)

द्विजों में सामान्यतः कोई मनुष्य अपने भतीजे, भानजे या अपनी मौसी के लड़के को गोद नहीं रख सकता। (भगवानसिंह बनाम भगवानसिंह [१८९८] २१ अलाहाबाद ४१२; २६ इण्डियन अपीलस १५३;) यदि अपनी मौसी अपने चचा को ब्याही हो तो ऐसे चचा और मौसी का लड़का भी गोद नहीं लिया जा सकता

बाळबाई बनाम हरिबाई [१९०९] ३४ बम्बई, ४९१] ।

अपना भाई या सौतेला भाई भी गोद नहीं रखा जा सकता [श्री रामूलु बनाम रमाया [१८८१] ३, मद्रास १५) । अपने चचा या मामा को भी गोद नहीं रखा जा सकता (धनचन्द्र बनाम धुरी[१८८०]

आ ४२)

परन्तु भाई का लड़का गोद लिया जा सकता है [जैसिंह बनाम विजयपाल [१९०४] २७ अलाहाबाद ४१७]। भाई का नाती भी गोद लिया जा सकता है [हरन चन्द्र बनाम हुर्रो [१८८०] ६, कलकत्ता, ४१] मामा का लड़का भी गोद रक्खा जा सकता है [वीराया बनाम हनूमन्ता [१८८०] १४ मद्रास ४५९]। साला [रविभद्र बनाम रूप शङ्कर [१८२३] २, नौंडके ६५६], साले का लड़का [रमुलू बनाम रनाया [१८८१] ३ मद्रास १५] या साली का लड़का भी गोद लिया जा सकता है [राघवेन्द्र बनाम जयराम [१८९७] २० मद्रास २८३]

बम्बई के एक मुकद्दमे में जस्टिस चौपाल साहब ने अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि यह नियम कि गोद लेने वाला ऐसी स्त्री का लड़का गोद रख सकता है जिस के साथ वह विवाह कर सकता हो, बनाया ही इस अभिप्राय से गया है कि लोग अपने धेवते, भानजे या मौसी के लड़के को गोद न रख सकें और इन बातों के अतिरिक्त यह नियम आगे लागू नहीं है [रामचन्द्र बनाम गोपाल [१९०८] ३२, बम्बई, ६१९]

परन्तु यदि उक्त नियम के प्रतिकूल धेवते, भानजे आदि के गोद लिये जाने की प्रथा हो तो द्विजों में भी ऐसा गोद लिया जा सकता है [लालरूप बनाम गोपाल [१९०९] ३६, कलकत्ता ७८०]

गोद के लड़के की उम्र

बंगाल और बनारस में उपनयन संस्कार (यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ होने) से पहिले गोद लिया जाता है [गंगासहाय बनाम लेखराज [१८८६] ९, अलाहाबाद २५३. २८८]

मद्रास प्रेसीडेन्सी में भी यही नियम है परन्तु यदि गोद लिया जाने वाला लड़का उसी गोत्र का हो जो गोत्र कि गोद लेने वाले का हो तो उपनयन संस्कार के बाद भी [परन्तु विवाह से पहिले] गोद लिया जा सकता है [वीरांगव बनाम रामलिङ्गा [१८८३] ६ मद्रास १४८। विरुवायाल बनाम सब पादाम [१८८९] १३, मद्रास १२८]

को गोद ले सकती हैं परन्तु शर्त यह है कि उस को व्यभिचार के विचार से गोद न रखा हो। [वेंकू बनाम महालिङ्गा [१८८८] ११ मद्रास ३९३; मटकन्नू बनाम परमा सामी [१८८८] १२, मद्रास; २१४]



दत्त—क्रिया

दत्त—क्रिया सम्पादन के लिये तीन बातें हैः—

(१) गोद देने वाला गोद लेने वाले की गोद में लड़का रखे अर्थात् लड़के का दिया और लिया जाना जिस से समझा जाय कि एक लड़का एक खानदान से निकल कर दूसरे खानदान में पहुंच गया।

गोद के जाइज करार देने के लिये इस क्रिया का होना बड़ा ही आवश्यक है। शूद्रों के लिये भी आवश्यक है। [धीरेश्वर बनाम अर्द्ध [१८९२] १९ कलकत्ता ४५२, १९ इण्डियन अपीलस १०१) यदि गोद में बिठलाने की क्रिया न हो, और उसके स्थान में केवल, सम्पत्ति दी गई या गोद का दस्तावेज़ (तियनियत नामा) लिखा और रजिस्टरी किया गया हो तो भी गोद जाइज़ नहीं है (शशिनाथ बनाम कृष्ण सुन्दरी [१८८०] ६, कलकत्ता, ३८१, ७ इण्डियन अपीलस २५०, श्री नारायण बनाम् श्री मती [१८७२] ११ बंगाल ला० रि० १७१)

कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह उसके लड़के को गोद दे दे, हां, गोद में बिठलाने की क्रिया चाहे जिस से सम्पादन कराई जा सकती है। (श्यामसिंह बनाम शान्ता बाई (१९०१) २५ बम्बई ५५१

[२] दत्त—होम

यह बात अभी तक निश्चय नहीं हुई कि गोद के उचित करार देने के लिये दत्त—होम का होना आवश्यकीय है या नहीं [वेंकटाचेली बनाम मनगम्मा [१९०३]] २७ मद्रास ५३८, ५३९] परन्तु कम से कम बम्बई और मद्रास प्रान्तों में, यदि अपने ही गोत्र का लड़का गोद लिया जाय तो दत्त होम की आवश्यकता नहीं है [illegible] बनाम केमवन [१८९१] १५ मद्रास ६, राव जी बनाम

लक्ष्मी बाई [१८८७] ११ बम्बई ३८१] गोद में बिठलाने की क्रिया होने के बाद होम चाहे जब कराया जा सकता है। गोद लेने वाले या गोद देने वाले के मरने बाद भी होम कराया जा सकता है। [सुबारायर बनाम सूबामल [१८९८] २१ मद्रास ४९७; वैंकटा बनाम सुभद्रा [१८८३] ७ मद्रास ५४८, ५५०]

दत्त होम की क्रिया गोद देने और लेने वाले स्वयं कर सकते हैं या दूसरों से करा सकते हैं। [लक्ष्मी बाई बनाम रामचन्द्र [१८९६] २२ बम्बई ५९०; सन्ताप्पाया बनाम रंगाप्पाया [१८९४] १८ मद्रास ३९७]

[३] पुत्रेष्टि यज्ञ आदि छोटी २ रस्में—

इन रस्मों का होना आवश्यक नहीं है [सिरकार साहब का लिखा हुआ दत्त विधान पृष्ठ ३८३]

शूद्रों और जैनियों में न तो दत्त होम की आवश्यकता है और न अन्य छोटी २ रस्मों की। पन्जाब में भी जरूरी नहीं हैं।

सूतकों के दिनों में लिखा हुआ गोद नाजायज़ नहीं है। धार्मिक क्रियाएं पुरोहित या अन्य शुद्ध नाते दार द्वारा कराई जा सकती हैं।



स्वतंत्र सम्मति

गोद के उचित ठहराये जाने के लिये यह आवश्यक है कि गोद देने वाले की और लेने वाले की सम्मति स्वतंत्र हो और यदि जो लड़का गोद लिया जाय बालिग हो तो उसकी सम्मति की भी आवश्यकता है (सरकार का दत्त विधान पृष्ठ २८०, २८१; स्ट्रेञ्ज का हिन्दू ला जिल्द १ पृष्ठ ८८)

[१८८३] १०, कलकत्ता २३२, १० इण्डिन अपीलस १३८; राधा प्रसाद बनाम रानीमणि [१९०६] ३३ कलकत्ता ९४७]

परन्तु दत्त पुत्र सौतेली माता की सम्पत्ति का वारिस न होगा और न उसके मरने पर उस की सम्पत्ति की वारिस सौतेली माता ही हो सकती है [अन्नपूर्णा बनाम फार्बस [१८९९] २३ मद्रास १, २६ इण्डियन अपील २४६,]

उदाहरण

राम के दो स्त्री हैं गोपी और कृष्णा। राम ने श्याम को गोपी के साथ गोद लिया अर्थात गोपी श्याम की माता हुई और कृष्णा सौतेली मा। राम मर गया तो श्याम उस की सम्पत्ति का मालिक हुआ श्याम भी मर गया तो ऐसी दशा में गोपी ही अकेली, श्याम की सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारिणी होगी।

यही सिद्धान्त उस समय लागू होगा जब कि कोई मनुष्य अपनी कई विधवाओं में से किसी एक को गोद लेने का अधिकार [गया हो और उस विधवा ने गोद रख लिया हो।

गोद के बाद पुत्र उत्पन्न होने पर दत्त पुत्र का भाग

यद्यपि ऐसा नियम है कि दत्त पुत्र गोद के खानदान की जायदाद में असली पुत्र की भांति वारिस होता है परन्तु यदि गोद [लेने] के पश्चात गोद लेने वाले के यहां लड़का उत्पन्न हो जाय तो दत्त [पुत्र] को असली पुत्र से कम हिस्सा मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रान्तों में [इस] का भिन्न २ नियम है।

(१) बंगाल में दत्त पुत्र को $\frac{1}{3}$ और असली पुत्र को $\frac{2}{3}$ हिस्सा।

(२) बनारस में–दत्त पुत्र को $\frac{1}{4}$ और असली को $\frac{3}{4}$

(३) बम्बई और मद्रास में–दत्त पुत्र को $\frac{1}{5}$ और असली को $\frac{4}{5}$

(गिरियापा बनाम निगापा [१८९२] १७ बम्बई १००, अयागू [...रा]म निलाद्राची [१८६२] १ मद्रास ४५)

परन्तु शूद्रों में दत्त पुत्र को असली पुत्र के बराबर हिस्सा [मिल]ता है (राजा बनाम सुब्बाराय [१८८३] ७ मद्रास २५३) परन्तु [...] (गोपालम बनाम राघवालु (१९१७) ४० मद्रास ६३२)

उदाहरण

राम ने श्याम को गोद लिया । गोद के बाद राधे नामक पुत्र राम के और पैदा हुआ । राम ६००० रु० की सम्पत्ति छोड़ कर मर गया । अब बंगाल में श्याम को २००० और राधे को ४००० की सम्पत्ति मिलेगी; तथा बनारस में श्याम को १५०० और राधे को ४५०० की; तथा बम्बई और मद्रास में श्याम को १२०० और राधे को ४८०० की सम्पत्ति मिलेगी परन्तु यदि यह परिवार शूद्र है तो श्याम और राधे दोनों को २४००, २४०० की सम्पत्ति मिलेगी ।

दत्त पुत्र का अपना अधिकार कम करना

यदि दत्त पुत्र बालिग हो तो गोद से पहिले वह गोद लेने वाली विधवा से यह तै कर सकता है कि वह गोद के बाद गोद लेने वाले पिता की जायदाद में कम हिस्सा ले लेगा । ऐसा इकरार नामा जाइज़ है और दत्त पुत्र को इकरार से अधिक हिस्सा नहीं मिल सकता ।

परन्तु यदि दत्त पुत्र नाबालिग हो तो दत्त पुत्र की ओर से दत्त पुत्र का असली पिता ऐसा इकरार कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि यह इकरार नामा उचित हो और नाबालिग के फ़ायदे के लिये हो तथा उस में किसी चालाकी या धोखे से काम न लिया गया हो इस प्रकार के इकरार को दत्त पुत्र कभी मंसूख नहीं करा सकता । यदि दत्त पुत्र का असली पिता यह इकरार कर दे कि गोद लेने वाली विधवा जीते जी सम्पत्ति की मालिक रहेगी तो यह इकरार अनुचित नहीं है (चन्नाजी बनाम दाना जी [१८९३] १९ बम्बई ३६, ४१। विशालाक्षी बनाम शिव रमैया [१९०४] २७ मद्रास ५७७)

उपर्युक्त कायदा यद्यपि निश्चित नहीं है परन्तु यह विचार है कि ऐसा इकरार नामा किया जा सकता है और नाबालिग दत्त पुत्र बालिग होने पर उसे मंसूख नहीं करा सकता [कालीदास बनाम विजयशंकर [१८९१] १५ इलाहाबाद २९१]

पिता की पृथक सम्पत्ति पर दत्त पुत्र का अधिकार

गोद लेने वाले पिता की पृथक सम्पत्ति पर दत्त पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। वह हिबे या वसीयत द्वारा अपनी पृथक सम्पत्ति [Saparate property] को चाहे जिसे दे सकता है। ऐसी दशा में असली पुत्र ही जब कुछ नहीं कर सकता तो दत्त पुत्र ही क्या कर सकता है [वेंकटा सूर्य बनाम कोर्ट आफ वार्डस [१८९९] २२ मद्रास ३८३, २६, इण्डियन अपीलस ८३३]

परन्तु यदि यह तय हो गया हो कि गोद लेने वाला पिता किसी भी जायदाद को हस्तान्तरित [Transfer मुन्तकिल) नहीं कर सकता तो गोद लेने वाले पिता द्वारा किया हुआ इन्तकाल (Transfer) मंसूख हो सकता है [सुरेन्द्रो केशव बनाम दुर्गासुन्दरी [१८९२] १९ कलकत्ता ५१३, ५८६, ९९ इण्डियन अपीलस१०८, १३२]*

परन्तु यदि लड़का खानदान मुश्तरका [मिताक्षरा] में गोद लिया जाय तो गोद लेने वाले पिता को यह अधिकार न होगा कि वह किसी जायदाद को हस्तान्तरित कर के दत्त पुत्र के स्वत्व पर हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि दत्त पुत्र गोद लेने के वक्त से ही असली पुत्र की तरह खानदान मुश्तरका का मेम्बर हो जाताहै+ और पिता की इस कार्यवाई से दत्त पुत्र की पस मांदगी [Survivors hip] का स्वत्व मारा जाता है।

विधवा द्वारा गोद लिये जाने पर सम्पत्ति मिलना

अब हमको यहां पर यह दिखलाना है कि विधवा द्वारा गोद लिये जाने पर दत्त पुत्र को कौन २ सी सम्पत्ति मिल सकेगी।

विधवा को पति के मरने पर (दाय भाग की हर दशा में तथा कानून मिताक्षरा की उस दशा में जब कि पति पृथक रहता हो) जो सम्पत्ति मिलेगी या पुत्र के मरने पर (उस का दूसरा पुत्र या अन्य उत्तराधिकारी न होने की दशा में) जो सम्पत्ति मिलेगी उस

---

* यह नियम दाय भाग मानने वालों के लिये लागू है।

+ इस का सम्बन्ध पैतृक सम्पत्ति से है।

का अधिकारी दत्तपुत्र होगा। [वैलाङ्गी बनाम वैंकटा रामा (१८७६) १ मद्रास, १७४, ४ ई० अ० १,]

यदि किसी पति ने अपने मरने पर दो विधवाएं छोड़ी हों और दोनों विधवाओं के कोई पुत्र न हो, और एक विधवा ने दूसरी विधवा की असम्मति से गोद लिया हो तो जायदाद जो उन दोनों विधवाओं को उन के पति की मृत्यु पर संयुक्त रूप से मिलेगी उस का अधिकारी दत्त पुत्र होगा। [मन्दाकिनी बनाम आदि नाथ (१८९०) १८, कलकत्ता, नारायण सामी बनाम मङ्गन मल (१९०५) २८ मद्रास, ३१५)

इस का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि चूंकि गोद पति के लिये लिया गया था इस लिये पति की ही सम्पत्ति का दत्त पुत्र अधिकारी हो सकेगा। परन्तु यदि दूसरी विधवा के पुत्र मौजूद हो और उस के मरने पर वह विधवा जिस के कि पुत्र न था गोद ले तो दत्त पुत्र उस सम्पत्ति का मालिक न हो सकेगा जो मृत पुत्र के बाद उस की विधवा माता को मिली हो [अनन्दी बाई बनाम काशी बाई (१९०४) २८ बम्बई ४६७] हम इस बात को उदाहरण देकर और समझा देना आवश्यक समझते हैं। मानलो क ने रामो और श्यामो दो विधवाओं और श्यामो का एक पुत्र हरी को छोड़ा। हरी के मर जाने पर रामो ने गोद लिया तो दत्त पुत्र को वह सम्पत्ति न मिल सकेगी जो हरी के मरने पर उसकी विधवा माता श्यामो को प्राप्त हुई हो।

इसके अतिरिक्त दत्त पुत्र को गोद लेने वाली माता की वह सम्पत्ति नहीं मिल सकती जो उसे अपने पति या पुत्र के मरने पर न मिली हो परन्तु वह किसी करीबी रिश्तेदार के मरने पर वारिस के रूप में मिली हो।

मानलो कुन्दन ने अपने मरने पर एक विधवा रामो और एक लड़का श्यामा छोड़ा। कुन्दन की सम्पत्ति का मालिक श्यामा हुआ। श्यामा ने विवाह किया और उसने भी राधा नाम की विधवा छोड़ी। श्यामा की सम्पत्ति की अधिकारिणी राधा है। राधा के मरने पर श्यामा की मा मालिक हुई। इस लिये श्यामा की मा यदि गोद लेले तो वह नाजायज है हां, राधा अपने पति श्यामा के लिये

गोद रख सकती थी। यदि श्यामा की मा अर्थात् रामो गोद रख लेगी तो दत्त पुत्र उस सम्पत्ति को जो श्यामा की बहू राधा के मरने पर उसे मिली थी, नहीं ले सकता।

इसका खुला हुआ अर्थ यह है कि यदि किसी विधवा को उस के पति के मरने पर सम्पत्ति न मिलकर किसी और को मिले तो उस विधवा को गोद लेने का अधिकार न रहेगा। यदि वह गोद लेगी तो नाजाइज होगा परन्तु बम्बई हाईकोर्ट कहती है कि यदि पति के मरने पर जिस दूसरे मनुष्य को जायदाद मिली हो, उस की सम्मति गोद लेने में लेली हो तो वह गोद जाइज़ हो जायगा और दूसरे मनुष्य को मिली हुई जायदाद का मालिक दत्त पुत्र ही होगा।

उदाहरण

राम के मरने पर उसकी जायदाद उस के छोटे भाई श्याम को मिली। यदि राम की विधवा गोद ले तो वह नाजाइज है और यदि वह श्याम की सम्मति से गोद ले तो (बम्बई हाईकोर्ट के मतानुसार) गोद जायज होगा और राम की जितनी जायदाद श्याम को मिली है उसका मालिक हो जायगा। अन्य हाईकोर्टों का मत इसके प्रतिकूल है।

स्त्री—धन

जो विधवा गोद लेती है उसकी उस सम्पत्ति का जो उसे अपने मृत पति या पुत्र से मिलती है मालिक दत्त पुत्र होगा। परन्तु जो जायदाद किसी स्त्री को स्त्री धन की तरह मिली हो उस का मालिक दत्त पुत्र नहीं हो सकता। (वेस्ट एण्ड बयलर ११६८)

परन्तु यदि गोद से पहिले कोई और शर्त न हो गई हो तो गोद के बाद पति की सम्पति में से विधवा अपने भरण पोषण (Maintenance) पाने की अधिकारिणी होगी (कलाऊ बनाम अम्बिका [१९०३] २५ अलाहाबाद २९६)

गोद का प्रभाव

दत्त पुत्र को असली पुत्र की तरह सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और उसी तरह उसके ऊपर जुम्मेदारियां भी हैं। गोद का प्रभाव

उस दिन से होगा जिस दिन कि गोद लिया जाय। यदि विधवा गोद ले तो उसका प्रभाव गोद के दिन से ही पड़ेगा। गोद लेने वाली माता के पति के मरने की तारीख से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। प्रीवी कौन्सिल में एक बार बहस में बड़ी अजीब बात कही थी। पति के गोद लेने की अनुमति देने की तारीख से ही मानो विधवा गर्भवती थी परन्तु प्रीवी कौन्सिल को यह बहस नहीं जची (वामनदास बनाम तारिणी (१८५८) ७ एम० आई० ए० १६९)

गोद की तारीख से पहले गोद लेने वाले पिता द्वारा किये हुए तमाम संक्रमों (Alienations इन्तकालों) से दत्त पुत्र असली पुत्र की भांति बंधा होता है परन्तु यदि विधवा द्वारा गोद लिया गया हो तो गोद की तारीख से पहिले के विधवा द्वारा किये गये तमाम ऐसे संक्रम जो उचित आवश्यक्ता के लिये किये गये हों ठीक होंगे परन्तु यदि संक्रम विधवा ने गोद से पहिले बिना उचित आवश्यक्ता के किया हो तो गोद की तारीख के बाद दत्त पुत्र उस सम्पत्ति के पाने का अधिकारी होगा (राम कृष्ण बनाम त्रिपुराबाई (१९०८) ३३ बंबई, ८८)

विधवा द्वारा गोद लिये जाने पर, उसको अपने पति की सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का स्वत्व नहीं रहता, क्यों कि सम्पत्ति का स्वत्वाधिकारी दत्त पुत्र होजाता है। यदि विधवा ने गोद से पहले अपने पति की सम्पत्ति को हस्तान्तरित [मुन्तकिल] कर दिया हो तो ऐसा संक्रम कहां तक उचित है, यह प्रश्न कई बार उठ चुका है।

यदि विधवा ने संक्रम कानूनी आवश्यक्ता के लिये किया हो तो संक्रम सर्वथा उचित है और उससे दत्त पुत्र बद्ध होगा परन्तु यदि कानूनी आवश्यक्ता के लिये संक्रम न हुआ हो तो वह संक्रम केवल गोद की तारीख तक के लिये ठीक होता है, विधवा की मृत्यु तक के लिये नहीं क्यों कि दत्त पुत्र के आते ही ऐसा संक्रम अनुचित हो जाता है और संक्रम धारी (Alienee मुन्तकिल इलह) को कोई अधिकार उस सम्पत्ति को अपने पास रखने का नहीं रहता। बम्बई हाईकोर्ट ने और हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने भी यही बात निश्चय की है (राम कृष्ण बनाम त्रिपुराबाई (१९०८) ३३ बम्बई, ८८। देवनाथ बनाम सावित्री (१९१८) ४१ मद्रास

७५, राम कृष्ण बनाम त्रिपुराबाई (१९११) १३ बम्बई एल. आर, ९४०)

अनुचित गोद का प्रभाव

गोद की प्रथा सम्पन्न हो जाने पर, यदि गोद अनुचित ठहरे तो दत्त पुत्र की अजीब स्थिति हो जाती है। सामान्यतः गोद वाले कुटुम्ब में उसे कोई सम्पत्ति नहीं मिलती और असली खानदान में से उस का स्वत्व नहीं मारा जाता (वैथिलिङ्गम बनाम मुरुगायान (१९१४) ३७ मद्रास ५२९; दलपतसिंह जी बनाम रायसिंह जी (१९१५) ३९ बम्बई ५२८) परन्तु उस बेचारे को बहुतसी दशाओं में अपने असली खानदान में भी हिस्सा नहीं मिलता। यदि दत्त पुत्र द्विजाति का हो और उस का यज्ञोपवीत संस्कार गोद के खानदान में हो गया हो या यदि शूद्र हो तो उस का विवाह गोद के खानदान में हो गया हो तो ऐसी दशा में दत्त पुत्र अपने असली खानदान में भी नहीं लौट सकता और असली खानदान की सम्पत्ति के हिस्से से वञ्चित रहता है (राज कुमारी बनाम नोबो कुमार (१८५६) बोलनोहस १३७) और यदि गोद देने और लेने की रसम हो गई हो परन्तु फिर भी गोद किसी अन्य कारण से अनुचित करार दिया जाय जैसे गोद लेने वाला और दत्त पुत्र भिन्न २ जातियों के हों तो इस दशा में भी वह अपने असली खानदान की सम्पत्ति के स्वत्वों से विहीन हो जाता है (बवानी बनाम अम्बैबी (१८६३) १ मद्रास हा० को० ३६३, ३६७) उक्त दशाओं में दत्त पुत्र को गोद के खानदान में भरण पोषण का ही स्वत्व प्राप्त होता है।

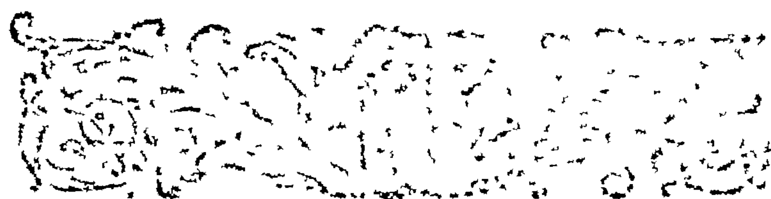
यदि किसी मनुष्य को जो दत्तक पुत्र वर्णन किया जाय परन्तु वास्तव में वह गोद न रखा गया हो, या यदि गोद रखा गया हो तो वह अनुचित करार दिया जाय, कोई सम्पत्ति हिबा या तरका में दी जाय तो हिबा या तरके का उचितानुचित होना हिबा करने वाले या वसीयत करने वाले की नीयत पर अवलम्बित है जिसका पता हिबा नामे या वसीयत नामे की भाषा और अन्य परिस्थितियों से चल सकता है (फर्नान्डिस बनाम गंगेश्वर (१८८५) ११ [illegible] ९६३, १२ इण्डियन अपील्स ३२ पृष्ठ ८९,)

यदि हिबा गोद होने के कारण हो तो और गोद अनुचित हो जाय तो हिबा का कोई प्रभाव नहीं रहता [लाली बनाम मुरलीधर [१९०६] २८ अलाहबाद ४८८, ३३ इण्डियन अपील्स ९७; करमसी बनाम कृष्णदास (१८९८) २३ बम्बई २७१; सुरेन्द्र बनाम दुर्गा सुन्दरी (१८९२) १९ कलकत्ता ५१३, १९ इण्डियन अपील्स १०८) परन्तु यदि हिबा करने वाले की नीयत उस मनुष्य को जिसे कि हिबा किया जाय व्यक्ति रूप से लाभ पहुंचाने की हो, चाहे उसका दत्त पुत्र की भांति वर्णन किया जाना गलत हो तो ऐसी दशा में हिबा का प्रभाव अवश्य रहेगा [वीरेश्वर बनाम अर्द्धचन्द्र [१८९२] १९ कलकत्ता ४५२, १९ इण्डियन अपील्स १०१; सूबारैयर बनाम सूबामल (१९००) २४ मद्रास २१४, २७ इण्डियन अपील्स १६२; मुरारीलाल बनाम कुन्दन लाल [१९०९] ३१ अलाहाबाद ३३७]

उदाहरण

राम वसीयत नामे में लिखता है "मैं श्याम को जिसे मैंने गोद लिया है अमुक सम्पत्ति देता हूं। मेरी पत्नि रस्में अदा करे।" रस्में अदा न होने के कारण गोद अनुचित करार दिया गया परन्तु चूंकि राम की नीयत श्याम को व्यक्ति रूप से लाभ पहुंचाने की थी इस लिये चाहे गोद का होना गलत वर्णन किया गया है। परन्तु फिर भी तरके का प्रभाव अवश्य होगा।

राम श्याम को गोद रखता है और इक़रारनामा द्वारा श्याम को अधिकार देता है कि वह दत्तक पुत्र होने के कारण उसको और उसके पूर्वजों को पिण्डदान और जल दान करता रहे। तत्पश्चात वह अपनी तमाम सम्पत्ति तरके में छोड़ता है। अब गोद अनुचित करार दिया जाता है तो ऐसी दशा में श्याम को तरका नहीं पहुंचता क्यों कि श्याम को तरका दत्त पुत्र होने के कारण था।



कृत्रिम गोद

कृत्रिम गोद का रिवाज मिथिला और उसके आस पास के ज़िलों में है। स्त्री या पुरुष कोई भी गोद ले सकता है।

कृत्रिम गोद में कृत्रिम पुत्र की सम्मति का होना परम आवश्यक है। इस लिये कृत्रिम गोद में कृत्रिम पुत्र नाबालिग नहीं हो सकता। कृत्रिम पुत्र और गोद लेने वाले एक ही बिरादरी के होंगे परन्तु उनके दरम्यान कुछ ही रिश्तेदारी हो, इस की कोई कैद नहीं है। और न कृत्रिम गोद के लिये किसी विशेष रस्म के अदा करने की आवश्यक्ता है;

चाहे पति ने अपने लिये गोद ले भी लिया हो, फिर भी पत्नि अपने लिये कृत्रिम पुत्र गोद ले सकती है। विधवा भी अपने लिये कृत्रिम पुत्र गोद ले सकती है। स्पष्ट अधिकार प्राप्त होने पर भी, कोई भी पत्नि या विधवा अपने पति के लिये कृत्रिम पुत्र गोद नहीं ले सकती। यदि पत्नि अपने लिये कृत्रिम पुत्र गोद ले तो उसको किसी भी नातेदार की, यहां तक कि अपने पति की भी, सम्मति लेने की आवश्यक्ता नहीं है। इसी प्रकार विधवा भी अपने पति के सपिण्डों की रजामन्दी बिना अपने लिये गोद रख सकती है।

कृत्रिम गोद होने की दशा में, कृत्रिम पुत्र का अपने असली खानदान में उत्तराधिकार का स्वत्व नहीं मारा जाता और गोद के खानदान में केवल उसी का स्वत्व विरासत में मिलता है जो उसे गोद रखता है, और किसी का नहीं।



क़ानून ताज़ीरात हिन्द

जान, माल, शरीर, स्वास्थ्य, धर्म, मान आदि सम्बन्धी जितने अपराध मनुष्य कर सकता है उन सब का निरूपण, व्याख्या, उदाहरण, उनका पारस्परिक भेद, हर एक के लिये नियत दण्ड, समस्त हाईकोर्टों की चुनी हुई नजीरें, समस्त भारतवर्ष में प्रचलित, भाषा सरल हिन्दी। मू० २)

जाब्ता दीवानी

अदालत दीवानी और माल में किस तरह मुकद्दमे की कार्रवाई होती है उसका निरूपण, जैसे नालिशों का दाइर होना, उन के दाइर होने का स्थान, अर्जी दावों के नमूने, उनमें संशोधन होना, बयान तहरीरी, जवाब दही, गवाही, सुबूत, अदालतों में पेशी होना डिगरी, इजराय डिगरी, कुर्की, गिरफ़तारी, मालका नीलाम, जायदाद का नीलाम, उजरदारी, बयान हलफ़ी आदि समस्त बातें ब्यौरे वार। नागरी लिपि। सारे भारतवर्ष में प्रचलित। मू० ३॥)

कार्रवाई अदालत दीवानी

जाब्ता दीवानी बड़ी किताब है इस लिये यह उस का सरल सार छापा गया है। इसमें नालिशों का कोर्ट फीस, खरचा, नकल लेना, नालिशों की मीयाद, आदि जुरूरी बातें और शामिल कर दी गई हैं। जाब्ता दीवानी की जुरूरी बात भी कोई लिखने से नहीं रही। इस अकेली किताब के पास रहते दीवानी अदालत के मुकद्दमों की पैरवी में अच्छी सहायता मिल सकती है। मू० १)

कार्रवाई अदालत फ़ौजदारी

जाब्ता फौजदारी जाब्ता दीवानी से भी बड़ी किताब है। इस जाब्ता फौजदारी का सरल हिन्दी सार समझिये। कोई जुरूरी बात लिखने से नहीं रही। इसमें अदालत फौजदारी के मुकद्दमों में अदालत को जो २ कार्रवाई करनी पड़ती है तथा फरयादी और अभियुक्त को किस तरह से अपने मुकद्दमे की पैरवी करनी चाहिये, सब ही का अच्छी तरह निरूपण किया गया है जैसे, फौजदारी अदालतों के भेद, उनका कैद और जुरमाना करने का अधिकार,

वारन्ट तलाशी, वारन्ट गिरफ्तारी, पुलिस के अधिकार, रिपोर्ट, तहकीकात, इस्तगासा, अभियुक्तों का तलब होना, गवाह सुबूत तलब होना, समन्स और वारन्ट केस की कार्रवाइयां, सेशन्स की कार्रवाइयां, मुचलके, जमानत, अपील, निगरानी आदि सब जुरूरी बातें, सरल और सुबोध भाषा। मूल्य १।)

क़ानून शहादत—अपने मुक़द्दमे की पैरवी के लिये क्या सुबूत और गवाही देना चाहिये। क्या बातें साबित होनी चाहिये और क्या नहीं, किस चीज के साबित करने का भार किस पर है। कौन गवाही दे सकता है। उससे कैसे सवाल किये जा सकते हैं आदि समस्त बातें। सारे भारत वर्ष में प्रचलित। सब ही मुक़द्दमों में इसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मू० १॥)

क़ानून रेलवे—रेलवे सम्बन्धी समस्त कायदे, नियम रेलवे कर्मचारियों के कर्त्तव्य, रेलवे सम्बन्धी अपराध और उनके लिये नियत दण्ड। मूल्य १)

क़ानून पुलिस—पुलिस कर्मचारियों के कर्त्तव्य, अपराध और दंड। मूल्य ॥)

क़ानून डाकखाना	॥)	क़ानून रजिस्ट्री	॥)
,, मीयादसमाअत	॥)	,, ख़ानदान मुश्तरका	॥)
,, तार	।)	,, गोद	॥)
,, पंचायत	।)	,, जुआ	।)
,, ख़फ़ीफ़ा	।)	,, दफ़ीना	।)

क़ानून मार्सराइ—अर्थात् भारत वर्ष में प्रचलित समस्त क़ानूनों का सरल हिन्दी खुलासा १।)

मिलने का पता—

विश्वम्भर ब्रादर्स हिन्दी ला बुकसेलर्स

अलीगढ़ सिटी।

एक्ट ३ सन् १८६७

अर्थात

कानून (सार्वजनिक) जुआ

जिस में

यू. पी. एक्ट १ सन् १९१७ भी सम्मिलत कर

दिया गया है।

(हिन्दी अनुवाद)



अनुवादक

ला० प्यारेलाल गुप्ता: मुख्तार, अलीगढ़

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त बुकडिपो

डी. पी. कचहरी अलीगढ़ सिटी

[illegible]

प्रथमबार १०००	सन् १९२०	मूल्य [illegible]

Printed by [illegible] at the Ganga Press, Aligarh.

Published by B. Ganga Prasad Gupta, [illegible] Aligarh City.

ओ३म्

एक्ट ३ सन् १८६७ *

(२५ जनवरी सन १८६७)

---

* उद्देश्य और कारणों के वर्णन के लिये देखिये इण्डिया गजट १८६६, पृष्ठ ९७६, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये, देखिये उपर्युक्त १८६७, जमीमा पृष्ठ ४४, और कौन्सिल की कार्यवाहियों के लिये, देखिये उपर्युक्त १८६६, पृष्ठ ६६२ उपर्युक्त १८६७, पृष्ठ ४८ और ५२।

छोटा नाम—देखिये सार्वजनिक जुए का कानून, १८६७ के मंसूख और संशोधन करने वाले कानून सन् १८६७, (एक्ट ५ सन १८९७) जनरल एक्टस, जिल्द ६ को।

एक्ट ३ सन् १८६७ निम्न प्रदेशों में प्रचारित प्रकट किया गया है:--

ब्रिटिश बिलोचिस्तान में ब्रिटिश बिलोचिस्तान लाज़ रेगुलेशन (एक्ट १ सन् १८९०) धारा १ (१), बिलोचिस्तान कोड १९०० का छपा पृष्ठ ६०, के अनुसार।

यह एक्ट एजेन्सी के प्रदेशों से भी सम्बन्धित किया गया है देखिये बिलोचिस्तान एजेन्सी लाज ला, १८९०, धारा ५ (१) पृष्ठ २२८ और २३०।

यह एक्ट सूची वर्णित प्रान्तों के कानून (एक्ट १४ सन १८७४) के अनुसार विज्ञप्ति द्वारा तराई परगनों में (यू. पी. कोड १९०१ का छपा हुआ सूची पृष्ठ ६९५), उस भूमि-भाग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को १८६३ में दे दिया गया है, और जो अमला [illegible] और जिला जयपुर की पूर्वीय सीमा।

प्रेज़ीडेन्सी फोर्टविलियम के + उत्तर पश्चिमीय प्रदेशों में और पञ्जाब, + अवध, ::: (और मध्य प्रदेशों) में सर्व साधारण के जुआ खेलने और सामान्य जुआ घर रखने पर दण्ड देने के लिये आज्ञाओं का कानून।

के बीच में स्थित है, प्रचारित प्रकट किया गया है। जनरल एक्टस. जिल्द २ पृष्ठ ४७०।

यह एक्ट उक्त एक्ट के अनुसार, विज्ञप्ति द्वारा आसाम की चीफ कमिश्नरी में प्रचारित किया गया, आसाम कोड १८९७ का छपा सूची पृष्ठ ७४५।

यह एक्ट, कुर्ग कोड, १८९३ का छपा. सूची पृष्ठ १९९, के अनुसार, विज्ञप्ति द्वारा, कुर्ग में भी प्रचारित किया गया। उक्त एक्ट के अनुसार. चीफ कमिश्नर के अधिकार कुर्ग के चीफ कमिश्नर द्वारा प्रयुक्त होते हैं। देखिये उक्त विज्ञप्ति का पैरा २।

संयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर की विज्ञप्ति नम्बरी ३४६ क, ८ जून सन् १८९७ की, के अनुसार यह एक्ट अजमेर और मारवाड़ा के निम्न नगरों में प्रचारित किया गया, अर्थात् अजमेर, भीनाई. केकरी, खुरवा, मसूदा, नसीराबाद, नया-नगर. पिसनगुन, पोकर, रामसर, साहुर और धी नगर— देखिये एन. डब्ल्यू पी. गजट, ३१ जौलाई १८९७ का, पृष्ठ ५११।

इस एक्ट का प्रचार ब्रह्मा में बन्द हो गया है। देखिये, धारा २ बरमा का कानून जुआ १८९९ (एक्ट १ सन् १८९९). जो कुल बरमा में, शान स्टेट्स के अतिरिक्त, प्रचारित है, बरमा कोड, १८९९ का छपा पृष्ठ ७०४।

+ उत्तर पश्चिमीय प्रदेश और अवध अब आगरा और अवध के संयुक्त प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं देखिये—२२ मार्च १९०२ की घोषणा, इण्डिया गजट, १९०२, भाग १, पृष्ठ २४८।

::: शब्द "और मध्य प्रदेश" शब्द "आगरा प्रदेश और ब्रिटिश बरमा" के स्थान में संयुक्त कानूनों वाले और संशोधक एक्ट, १९०३ (एक्ट १ सन् १९०३) बंगाल कोड, जिल्द १, १९०७ का छपा के स्थान रखे गये। बरमा में जुआ खेलने का कानून, बरमा का कानून जुआ १८९९ (बरमा एक्ट १ सन् १८९९) के नाम से है।

भूमिका — चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि उन प्रदेशों में सर्व साधारण में जुआ खेलने और सामान्य जुआघर रखने के कारण दण्ड देने के लिये आज्ञाएं रची जांय जो क्रमशः प्रेजीडेन्सी फोर्ट विलियम के * उत्तर पश्चिमीय प्रदेशों के लैफ्टीनेन्ट गवर्नर, (और) × पन्जाब के लैफटीनेन्ट गवर्नर की गवर्नमेन्टों के आधीन, और * अवध के चीफ कमिश्नर, ÷ (और मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर) के प्रबन्धा—धीन हैं; अतएव निम्न लिखित आज्ञाएं प्रचारित होती हैं:—

धारा 1. इस कानून में—

परिभाषा खंड "लैफ्टीनैन्ट" गर्वनर — + ("लैफटीनैन्ट गवर्नर" का संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के, या पञ्जाब के जैसी कि अवस्था हो, लैफटीनैन्ट गवर्नर से अभिप्राय है)

चीफ कमिश्नर — [+ "चीफ कमिश्नर" का मध्य प्रदेश के या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश के, जैसी कि अवस्था हो, चीफ कमिश्नर से अभिप्राय है।]

सामान्य जुआघर — "सामान्य जुआ घर" से किसी ऐसे मकान दीवारदार घेर, कमरे, या स्थान से अभिप्राय है जहां ताश, पांसे, मेज या द्यूत के अन्य यन्त्र उस मनुष्य के लाभ या आय के लिये रखे या प्रयुक्त किये जाते

---

* पढ़िये अब संयुक्त प्रदेश, आगरा व अवध के लैफटीनैन्ट गवर्नर देखिये धारा २, यू. पी. इन्टिरप्रेटेशन एक्ट १९०२ (एक्ट ७ सन् १९०२) जनरल एक्टस जिल्द ७।

× शब्द "और" मंसूख करने वाले और संशोधक कानून १८९१ (एक्ट १२ सन् १८९१) सूची २, जनरल एक्टस, जिल्द ६ के अनुसार सम्मिलित किया गया।

÷ "लोअर बरमा के चीफ कमिश्नर के" के स्थान में मंसूख करने वाले और संशोधक कानून १९०३ (एक्ट १ सन १९०३) धारा ३, बंगाल कोड, जिल्द १, १९०५ का संस्करण, के अनुसार रखे गये।

+ असली परिभाषा के स्थान में, मंसूख करने वाले और संशोधक कानून १९०३ (एक्ट १ सन् १९०३) जनरल एक्टस जिल्द ७ पृष्ठ २०८ और २१० के अनुसार रखा गया।

हों जो उस मकान, घेर कमरे या स्थान का मालिक अधिकार प्रयोग करने वाला अथवा रखने वाला हो चाहे वह लाभ या आमदनी के यंत्रों के, अथवा उस मकान, घेर कमरे या स्थान के, प्रयोग के प्रतिफल की रीति से हो या किसी अन्य रीति से:-

वचन। एक वचन शब्दों में बहुवचन सम्मिलित हैं और बहुवचन शब्दों में एक वचन। और

लिंग। पुल्लिङ्ग शब्दों में स्त्री लिङ्ग सम्मिलित हैं।

धारा २ इस एक्ट की * [धाराएं १३ और १७] समस्त उक्त प्रदेशों में प्रचारित होंगी; और ६ फर्टीनैन्ट गवर्नर या चीफकमिश्नर को ऐसी

एक्ट की प्रचार-वृद्धि का अधिकार

कि अवस्था हो जब वह उचित समझे अधिकार होगा कि वह उस विज्ञप्ति द्वारा जो × सरकारी गजट की तीन लगातार संख्याओं में

---

* मंसूख करने वाले और संशोधक कानून १८९१, (एक्ट १२ सन् ८९१) सूची २, जनरल एक्ट्स, जिल्द ६ के अनुसार असली शब्द और संख्याओं के स्थान में यह शब्द और संख्याएं रखी गई।

× धारा २ के अनुसार इस एक्ट की शेष धाराएं पञ्जाब के बहुत से स्थानों में प्रचारित की गई हैं, देखिये पंजाब रूल्स एण्ड आर्डर्स संस्करण १९०२ पृष्ठ २३; और कानून छावनी १८८९ (एक्ट ३ सन् १८८९) की धारा २१ के अनुसार पञ्जाब की छावनियों में, देखिये इण्डिया गजट १९०६ भाग १ पृष्ठ १५५, रियासत [illegible] के [illegible] के सिविल स्टेशनों और रियासत [illegible] में [illegible] सिविल स्टेशनों में; देखिये बरमा कोड [illegible] भाग [illegible] पृष्ठ ६१६ और ६१८, संस्करण १८९९. ब्रिटिश बिलोचिस्तान के [illegible] में धाराएं ६ और ७ को छोड़कर देखिये [illegible] [illegible], [illegible] १८९१ की, इण्डिया गजट १८९१, भाग २, पृष्ठ [illegible] और बिलोचिस्तान कोड पृष्ठ १२६; मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में, देखिये मध्य प्रदेश की नियम और आज्ञाएं संस्करण १९०८ पृष्ठ [illegible] [illegible] भाग २, और संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध में, देखिये यू. पी. के स्थानीय नियम और आज्ञाओं की सूची १९०४, [illegible] पृष्ठ [illegible] से [illegible] तक, जिल्द १, भाग १।

प्रकाशित होगी, इस कानून की समस्त शेष या उनमें से कुछ धाराओं को अपने शासनाधीन या प्रबन्धाधीन प्रदेशों में स्थित किसी शहर, कसबे, मुफस्सिल, रेलवे-चौकी घर और उस स्थान में प्रचारित करे जो उक्त चौकी घर के किसी भाग से तीन मीलसे अधिक दूर न हो और यह भी अधिकार होगा कि इस एक्ट केअभिप्रायों के लिये ऐसे शहर, कसबे, मुफस्सिल, या चौकी घर की सीमाएं उस विज्ञप्ति में निश्चित करे, या समय २ पर इसप्रकार निश्चित सीमाओं कोबदले।

उक्त प्रचार-वृद्धि की तारीख से उस नियमका जो कानून का बल रखता हो और जिस का उन प्रदेशों में अमल दर आमद हो जहां कि ऐसी प्रचार वृद्धि की जाय उतना भाग जो इस प्रकार प्रचारित किसी धारा के प्रतिकूल या आशय के विरुद्ध हो उक्त प्रदेशों में अप्रभावित हो जायगा।

धारा ३ जो मनुष्य, किसी ऐसे मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान का जो उन सीमाओं के अन्तरगत स्थित हो जहां यह एक्ट प्रचारित हो, मालिक, अधिकारी या प्रयोग करने वाला होकर, उसे सामान्य जुआ घरके समान खोले, रक्खे या प्रयोग करे, और।

जुआ घरके मालिक होने या रखने या प्रबन्धक होने के कारण दंड

जो मनुष्य, उक्त मकान, दीवार दार घेर, कमरे, या स्थान का मालिक या अधिकारी होकर जान बूझकर या इच्छा से किसी अन्य मनुष्य को उसे सामान्य जुआ घर के समान खोलने, घेरने, प्रयोग करने या रखने की अनुमति दे, और।

जो मनुष्य उपर्युक्त किसी ऐसे मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान के कारबार को जो उक्त अभिप्राय के लिये खोला गया, अधिकृत किया गया, प्रयुक्त किया गया या रक्खा गया हो, रख रखता हो या उस का प्रबन्ध करता हो या उस के चलाने में सहायता करता हो, और।

जो मनुष्य उन मनुष्यों को जुआ खेलने के अभिप्राय से, उक्त मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान में आने जाने की [illegible] दे एकत्र करे, ।

दण्डित होगा ऐसे जुरमाने का जो दो सौ रुपये से अधिक न हो या किसी * प्रकार में से जिस की परिभाषा भारतीय दण्ड संग्रह में दी गई है ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिस की अवधि तीन ÷ मास से अधिक न हो।

जुआ घर में पाये जाने के कारण दण्ड

धारा ४. जो मनुष्य किसी उक्त मकान, दीवार दार के कमरे या स्थान में ताश, पांसे, काउन्टर्स, रुपये या जुआ खेलने के अन्य यंत्रों से खेलता हुआ पाया जाय, या वहां जुआ खेलने के अभिप्राय से उपस्थित पाया जाय जो चाहे रुपये लगा कर बाजी बद कर, दांव लगाकर या अन्य प्रकार खेला जाय, उस पर ऐसे जुरमाने का दण्ड होगा जो सौ रुपये से अधिक न हो या किसी * प्रकार की कैद का दण्ड, जिस की परिभाषा भारतीय दण्ड संग्रह में की गई है, मिलेगा जिस की अवधि ÷ मास से अधिक न हो।

और जो मनुष्य किसी सामान्य जुआ घर में वहां जुआ होने या खेलने के समय पाया जाय, उस के सम्बन्ध में, जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न हो, यह अनुमान किया जायगा कि वह वहां खेलने के अभिप्राय से था।

प्रवेश करने और पुलिस को प्रविष्ट होकर तलाशी लेने की अनुमति देने का अधिकार

धारा ५. यदि मजिस्ट्रेट जिला, × या अन्य अधिकारी, जिस को मजिस्ट्रेट के समस्त अधिकार दिये गये हों या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जिला, विश्वसनीय सूचना पर, और

---

*देखिये एक्ट ४५ सन् १८६० की धारा ५३। एक्ट ४५, सन् १८६० के लिये देखिये, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित और सन् १९०२ तक का संशोधित संस्करण।

÷ धारा ३ या ४ के अनुसार दूसरे दण्ड—प्रमाण मारवाड़ी पढ़े हुये के लिये देखिये, इस एक्ट की धारा १५।

× यदि ये क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट देखिये ज़ाब्ता फौजदारी १८९८ (एक्ट ५ सन् १८९८) धारा ३। [एक्ट ५ सन् १८९८ के लिये देखिये, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित हुआ, १९०२ तक का संशोधित संस्करण।]

ऐसे अन्वेषण के पश्चात जिसे वह उचित समझे, यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि कोई मकान, दीवार दार घेर, कमरा या स्थान सामान्य जुआ घर के समान प्रयोग मे है तो उसे अधिकार है कि वह उक्त मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान में, या तो स्वयं प्रवेश करे, या किसी एक पुलिस अधिकारी को जिस का दरजा उस दरजे से कम न हो जो लैफटीनैन्ट गवर्नर या चीफ कमिश्नर इस विषय में *नियुक्त करे, अपने वारंट द्वारा अधिकार दे कि वह उक्त मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान में उस सहायता के साथ जो आवश्यकता पाई जाय, दिन में या रात मे, और बल पूर्वक, यदि आवश्यकता पड़े, प्रवेश करे।

और वह या तो स्वय उन तमाम मनुष्यों को जिन को वह या उक्त अधिकारी वहां पाये, चाहे वे उस समय वास्तव में खेल रहे हो अथवा न खेल रहे हों, हिरासत में ले सकता है या उक्त अधिकारी को उन्हें हिरासत में लेने का अधिकार दे सकता है।

और वह खेल के तमाम यन्त्रों को, तमाम रुपयों और रुपयों की केफालतों, और मूल्य के पदार्थों को, जिनके सम्बन्ध में यह उचित कारण के साथ सन्देह किया जाय कि वे जुआ खेलने के अभिप्राय से प्रयुक्त हुए हों या होने वाले हों और जो वहां पाये जांय, हस्तगत कर सकता है या उक्त अधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह उन्हें हस्तगत करे।

और उस को अधिकार होगा कि वह उस मकान, दीवार दार घेर, कमरे या स्थान के सब हिस्सों की तलाशी ले या उक्त अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार दे जिस में कि वह या उक्त अधिकारी

---

* मध्य प्रदेश में इस धारा के अनुसार आज्ञा के लिये देखिये सेन्ट्रल प्राविन्सेज लिस्ट आफ लोकल रूल्स एन्ड आर्डर्स, संस्करण १९०४, पृष्ठ १५; उस विज्ञप्ति के लिये जिस के द्वारा संयुक्त प्रदेश में इंस्पेक्टर पुलिस और तमाम अफसर इनचार्ज थाना जो सब इंसपेक्टर के दरजे से कम का न हो, यहां वर्णित अधिकार का प्रयोग कर सकें, देखिये, उस विज्ञप्ति को जिस का हवाला इस ऐक्ट की धाराएं ३ और ५ में दिया है जो यू. पी. के स्थानीय और आज्ञाओं की सूची, संस्करण १९०४, जिल्द १ भाग २, की सूची ४ के पृष्ठ २७ २८ और २९ पर वर्णित है; और पन्जाब सरकार की विज्ञप्ति के लिये देखिये पन्जाब स्थानीय नियमों और आज्ञाओं की सूची १९०२ पृष्ठ २३।

प्रविष्ट हुए हों जब कि उस का या उक्त अधिकारी को इस बात के विश्वास करने का उचित कारण हो कि जुआ खेलनेके यंत्र वहां छिपाये गये हैं, और उन लोगों के शरीर की भी तलाशी ले जिन को वह या उक्त अधिकारी हिरासत में ले।

और उस को अधिकार होगा कि वह जुआ खेलने के उन तमाम यंत्रों को जो तलाशी पर मिलें हस्तगत कर अपने अधिकार में करे या उक्तअधिकारी को हस्तगत कर अपने अधिकार में करने का अधिकार है

धारा ६, जब किसी मकान, दीवार दार घेर, कमरे, या स्थानमें, जिसमें ऊपर की अन्तिम धारा के अनुसार प्रवेश किया जाय या तलाशी ली जाय, या उन मनुष्यों में से किसी के शरीर पर जो वहां पाये जांय, कोई ताश, पांसा, खेल की मेजें, कपड़े, तख्ते या अन्य जुआ खेलने के यंत्र पाये जांय, तो जब तक उस के प्रतिकूल न दिखलाया जाय, यह इस बात का प्रमाण होगा कि उक्त मकान, दीवार दार घेर, कमरा या मकान, सामान्य जुआ घर के समान प्रयोग में आता है और यह कि जो लोग वहां पाये जांय जुआ खेलने के लिये उपस्थित थे, यद्यपि किसी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी या उस के किसी सहायक ने वास्तव में कोई खेल होता हुआ न भी देखा हो।

संदिग्ध गृहों में ताश आदि का पाया जाना इस बात का प्रमाण होगा कि ऐसे घर सामान्य जुआ घर हैं

धारा ७, यदि कोई मनुष्य, जो किसी ऐसे सामान्य जुआ घरमें पाया जाय जहां कि इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी प्रविष्ट हुआ हो उक्त अधिकारी द्वारा पकड़े जाने पर या किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाये जाने पर जब कि उसे अपने नाम और पता बताने की उस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की ओर से आज्ञा दी जाय अपना नाम और पता बताने से इन्कार या टाला करेगा और या अपना नाम और पता झूठा बतलावे तो पर उस मजिस्ट्रेट या अन्य किसी मजिस्ट्रेट के सामने दोषी प्रमाणित होने पर [illegible] अतिरिक्त जो उस

उन मनुष्य को दण्ड जो झूठे नाम और पता बताने के कारण पकड़े जांय

* [illegible] जुआ [illegible] है । [illegible]
[illegible] इण्डिया [illegible] रिपोर्ट [illegible]

सम्बन्ध में कि उस का इजहार लिया जाय, सच्चा और विश्वसनीय भेद प्रकट करे, वह मनुष्य तब उक्त मजिस्ट्रेट से इस विषय का लेख बद्ध सरटीफिकेट प्राप्त करेगा और वह उस कार्य के कारण जो उस समय से पहिले जुआ बाजी के सम्बन्ध में किया गया हो, इस एक्ट के अनुसार तमाम अभियोगों से मुक्त कर दिया जायगा।

धारा १२. इस एक्ट की पूर्वीय आज्ञाओं की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह केवल कौशल के किसी खेल से जो कहीं भी खेला जाता हो सम्बन्धित है।

कुछ जुए के खेलों से एक्ट सम्बन्धित न होगा

धारा १३. पुलिस अधिकारी बिना वारन्ट पकड़ सकता है –

सरकारी सड़कों पर जुआ खेलना और पक्षी और पशुओं को लड़ाना

उस मनुष्य को जो रुपया या अन्य मूल्य की वस्तु लगा कर ताश, पांसे, काउन्टर्स या जुआ खेलने के अन्य यन्त्रों से, जो किसी ऐसे जुए के खेल में प्रयुक्त होते हों जो केवल कौशल का खेल न हो, खेलता हुआ, पूर्व कथित सीमाओं के अन्तर्गत, किसी सरकारी सड़क, स्थान या मार्ग में पाया जाय, या

उस मनुष्य को जो पूर्व कथित सीमाओं के अन्तर्गत स्थित सरकारी सड़क, स्थान या मार्ग में पक्षी या पशुओं को लड़ाता हो, या

उस मनुष्य को जो वहां उपस्थित रह कर पक्षियों और पशुओं की खुल्लम खुल्ला लड़ाई में सहायता देता हो।

उक्त मनुष्य जब पकड़े जांय किसी मजिस्ट्रेट के सामने तुरन्त लाये जांयगे और वह ऐसे जुरमाने के जुम्मेदार होंगे जो पचास रु० से अधिक न हो या उन्हें ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जो सादा या सपरिश्रम हो और जिस की अवधि जन्यों के एक मास से अधिक न हो।

और उक्त पुलिस-अधिकारी को अधिकार होगा कि वह जुआ खेलने के उन तमाम यन्त्रों को जो उक्त सार्वजनिक स्थान में या उन मनुष्यों के शरीर पर जो इस प्रकार पकड़े जांय पाये जांय हस्तगत करे, और मजिस्ट्रेट, अपराधी के साबित होने पर उक्त यन्त्रों के तुरन्त नष्ट किये जाने की आज्ञा देता है।

सरकारी सड़कों पर पाये हुए खेल के यन्त्रों का नष्ट करना

धारा १४ इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय अपराधों का

अपराधों का विचार कौन करेगा

विचार वह मजिस्ट्रेट करेगा जिसको उस स्थान सम्बन्धी विचार-अधिकार प्राप्त हो जहां कि अपराध हुआ हो।

परन्तु उक्त मजिस्ट्रेट उस जुरमाने की रकम या उस कैद की मीयाद के सम्बन्ध में जिसका वह दण्ड दे सकता है अपनेस्थान सम्बन्धी विचार अधिकार की सीमाओं के अन्तरगत आज्ञा फौजदारी सन् १८८२ * के अनुसार, परिमित होगा ॥

धारा १५ जो मनुष्य इस एक्ट की धारा ३ या धारा ४ के

पीछेके अपराध पर दण्ड

अनुसार दण्डनीय अपराध का दण्डित हो-कर उक्त धाराओं में से किसी धारा के दण्डनीय अपराध का फिर अपराधी हो तो उसको पीछे के अपराध के लिये उस सजा से द्विगुणित दण्ड मिलेगा जो उस को उसी प्रकार के पहिले अपराध करने के कारण मिलती।

परन्तु शर्त यह है कि वह किसी अवस्था में छै सौ रुपये से अधिक जुरमाने या एक वर्ष से अधिक अवधि के कारागार दण्ड से दण्डित न होगा।

धारा १६, मुकद्दमे का विचारक मजिस्ट्रेट यह आज्ञा दे

जुरमाने का भाग मुखबिर को दिया जा सकता है

सकता है कि उस जुरमाने का कोई अंश जो इस एक्ट की धारा ३ या ४ के अनुसार वसूल हो, या उस रुपये या उन चीजों की आय का कोई अंश, जो हस्तागत हुए हों और जिन के सम्बन्ध में इस एक्ट के अनुसार ज़ब्ती की आज्ञा हुई हो, मुखबिर को दे दिया जाय।

धारा १७. तमाम जुरमाने, जो इस एक्ट के अनुसार किये

जुरमानों की वसूल याबी और प्रयोग

जांय, उसी रीति से वसूल किये जायेंगे जिस रीति की नियुक्ति आज्ञा फौजदारी

* देखिये अब आज्ञा फौजदारी १८९८ (एक्ट ५ सन् १८९८) १ एक्ट सन् १९०३ तक का संशोधित।

× १८८२ की धारा ६१ में हुई है। और तमाम ऐसे जुरमाने (उपर्युक्त अन्तिम धारा में वर्णित आज्ञाओं के आधीन) उस प्रकार प्रयोग ÷ में आयेंगे जैसे कि लैफटीनैन्ट गवर्नर या चीफ कमिश्नर, जैसी कि अवस्था हो, आज्ञा दें।

धारा १८, [इस एक्ट के अनुसार अपराध ताजीरात हिन्द (भारतीय दण्ड सङ्ग्रह) के अर्थों में "अपराध" होंगे] एक्ट १६ सन् १८७४; की धारा १ तथा सूची भाग १ के अनुसार मंसूख हुई।

× देखिये अब धारायें ३८६, ३८७ और ३८८, एक्ट ५ सन् १८९८, १ अप्रेल सन् १९०३ तक का संशोधित संस्करण।

÷ मध्य प्रदेश में उक्त जुरमानों को चुंगी के फन्ड में जमा करने के सम्बन्ध में, देखिये, मध्य प्रदेश का कानून चुंगी, १९०३ (एक्ट १६ सन् १९०३ धारा ४६, सेन्ट्रल प्राविन्स कोड, संस्करण १९०४, पृष्ठ ३८३ और संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध में, देखिये, संयुक्त प्रान्त सम्बन्धी स्थानीय नियम और आज्ञाओं की सूची, संस्करण ११०४ ४, पृष्ठ ३०, जिल्द १, भाग १

यू. पी. एक्ट १ सन् १९१७

अर्थात

कानून जुआ का संशोधिक एक्ट, १९१७

जो सकौन्सिल लेफ्टीनेन्ट गवर्नर संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध द्वारा पास हुआ।

जिस के सम्बन्ध में संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर की स्वीकृति तारीख २९ नौम्बर सन् १९१६ को और गवर्नर जनरल की स्वीकृति २० दिसम्बर सन १९१६ को प्राप्त हुई और जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट सन १९१५ की धारा ८१ के अनुसार १३ जनवरी सन १९१७ को प्रकाशित किया गया।

संयुक्त प्रान्त में प्रचलित सार्वजनिक जुआ खेलने के सम्बन्धी कानून के विशेष संशोधन के लिये एक्ट।

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि संयुक्त प्रान्त में प्रचलित सार्वजनिक जुआ खेलने के सम्बन्धी कानून का विशेष संशोधन किया जाय

और चूंकि इस एक्ट के पास करने के लिये गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट की धारा ७९ (२) के अनुसार गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है,

अतएव निम्न लिखित आज्ञाएं प्रचारित होती हैं:—

धारा १. (१) इस एक्ट का नाम संयुक्त प्रदेश का सार्वजनिक जुआ सम्बन्धी (संशोधक) एक्ट १९१७ होगा।

संक्षिप्त नाम

(२) यह एक्ट उन समस्त प्रदेशों में सम्प्रचलित है जो वर्तमान काल में संयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर द्वारा शासित होते हैं।

धारा २. सार्वजनिक जुआ के कानून सन् १८६७ की धारा १ के "सामान्य जुआ घर" की परिभाषा के स्थान में निम्न लिखित रक्खा जायगा, अर्थात् :—

एक्ट ३ सन् १८६७ की धारा १ का संशोधन

"किमार बाजी (जुआ खेलना)" में शर्त्त या बाजी लगाना सम्मिलित है सिवाय घुड़दौड़ की शर्त्त या बाजी के जब कि वह शर्त या बाजी।

(क) उस दिन लगाई जाय जब कि वह दौड़ होने वाली हो और

(ख) ऐसे घेर में लगाई जाय जिस को उस दौड़ के प्रबन्धक स्टुअर्डस ने स्थानीय गवर्नमेंट की अनुमति से पृथक कर लिया हो।

परन्तु इस में लाटरी सम्मति नहीं है।

"द्यूत यंत्र" में प्रत्येक ऐसी वस्तु सम्मिलित है जो जुआ खेलने या उस में सुलभता होने का साधन या सहायक की भांति, या जुआ खेलने या उस में सुलभता होने के अभिप्राय से प्रयुक्त की जाय।

"सामान्य जुआ घर" से अभिप्राय है कि किसी ऐसे मकान, कमरे, तम्बू, दीवार दार घेर, या पहिये दार सवारी या जल—यान या अन्य स्थल से चाहे वह कुछ भी हो जिस में जुआ खेलने के यंत्र उस मनुष्य के लाभ या आय के लिये रखे या प्रयुक्त किये जाते हों जो उस मकान, कमरे, तम्बू, घेर, स्थान, सवारी, जल-यान या स्थल का मालिक, अधिकारी, प्रयोग करने वाला या रखने वाला हो, चाहे वह आय उस मकान, कमरे, तम्बू, घेर, स्थान. सवारी, जल-यान के प्रयोग के प्रतिफल की रीति से हो या अन्य किसी स्थल या यंत्रों के प्रयोग के प्रतिफल की रीति से हो या अन्य किसी रीति से।

धारा ३. सार्वजनिक जुए के कानून सन १८६७ की धाराएं २, ४, ५, ६ और १० में "मकान, दीवारदार घेर, कमरा या स्थान" शब्दों के स्थान में, जहां २ कि ये आये हों, "मकान, कमरा, तम्बू दीवारदार, घेर, स्थान, पहियेदार सवारी, जल-यान या स्थल" शब्द रखे जायेंगे।

एक्ट ३ सन १८६७ की धाराएं ३, ४, ५, ६ और का संशोधन

धारा ४. सा[illegible] ए[illegible] न १८६७ की धारा [illegible] गा[illegible] म[illegible] हुई।

एक्ट ३ सन १८६७ [illegible] १२ की मंसूखी

धारा ५. सार्वजनिक जुए के कानून सन् १८६७ की धारा १३ के "रुपया या अन्य मूल्य की वस्तु लगा कर, ताश, पांसे, काउन्टर्स या जुआ खेलने के अन्य यंत्रों से जो किसी ऐसे जुए के खेल में प्रयुक्त होते हों जो केवल कौशल का खेल न हो, खेलता हुआ" शब्दों के स्थान में "जुआ खेलता हुआ" शब्द रक्खा जायगा।

ऐक्ट ३ सन् १८६७ की धारा १३ का संशोधन

धारा ६. सार्वजनिक जुए के कानून सन् १८६७ की धारा १३ के पश्चात् निम्न धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात्:—

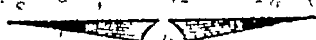
ऐक्ट ३ सन् १८६७ में नई धारा १३ क का बढ़ाया जाना

"धारा १३ क, इस ऐक्ट की कोई बात, केवल कौशल के किसी खेल से, जो कहीं भी खेला जाय, सम्बन्ध न रक्खेगी।"

केवल कौशल के खेलों की छूट



७. तारों के प्रबन्ध के लिये नियम बनाने का अधिकार।
८. लैसन्सों का मंसूख करना।
९. हानि या क्षति के लिये गवर्नमेंट उत्तरदाता नहीं है।



भाग ३

तार की लाइन और खम्बे लगाने का अधिकार।

१०. तार की लाइन और खम्बे लगाने और स्थिर रखने का अधिकार तार के अधिकारी को है।
११. तार की लाइन और खम्बों के मरम्मत करने और हटाने के अभिप्राय से सम्पत्ति पर प्रवेश करने का अधिकार।

उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज्ञाएं जो स्थानी अधिकारियों को मिली हो या उन के संरक्षण या प्रबन्ध में हो।

१२. धारा १०, खण्ड (ग) के अनुसार, स्थानीय अधिकारी का शर्तों के आधीन, अनुमति देने का अधिकार।
१३. तार की लाइन या खम्बे को हटाने या बदलने के सम्बन्ध में आज्ञा देने का अधिकार स्थानीय अधिकारी को है।
१४. गैस या पानी के नलों और मोरियों के स्थान परिवर्तन का अधिकार।
१५. तार अधिकारी और स्थानीय अधिकारी के बीच के झगड़े।

अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी ॥

सत्र सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आज्ञाएं।

१८. उन वृक्षों का हटाना जो तार समाचार के आने जाने में बाधक हों।

१९. इस एक्ट के पास होने से पहिले की लगी हुई तार की लाईन और खरचे।

१९ क. ऐसे स्वत्व के अधिकारी मनुष्य को जिस से तार को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, अथवा तार समाचार के आने जाने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, सूचना देना आवश्यक है।

१९ ख इस भाग के अनुसार तार अधिकारी के अधिकार लैसन्स-दार को देने का अधिकार।



भाग ४

दण्ड।

२०. बिना अनुमति के तार स्थापित करना स्थिर रखना, या चलाना

२० क. लैसन्स की शर्त का तोड़ना।

२१. ऐसे तार प्रयोग करना।

२२. रेलवे भूमि पर तार की स्थापना का विरोध।

२३. सिगनल रूम में अनुमति बिना जाना, तार आफिस में अनुचित प्रवेश या काम में रुकावट डालना।

२४. समाचार जानने का अनुचित प्रयत्न।

२५. संकल्पतः तार को हानि पहुंचाना या उस में हस्तक्षेप करना।

२५ क. किसी तार की लाइन या खंभे को हानि पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।

२८. दुराचरण।

२९. बने हुए तार समाचार भेजना।

२९ क. दण्ड।

२९ ख. जाली मुहर और चिन्ह बनाना।

३०. भूल से डिलीवर किया हुआ तार समाचार रोक रखना।

३१. घूंस देना।

३२. अपराध करने के प्रयत्न।

भाग ५

पूर्तिकर आज्ञाएं

३३. उन स्थानों में जहां तार को बराबर हानि पहुंचती हो अतिरि
पुलिस नियुक्त करने का अधिकार।

३४. इस एक्ट का प्रेसीडेन्सी नगरों और रंगून से सम्बन्ध।



ओ३म

कानून भारतीय तार १८८५

एक्ट १३ सन् १८८५

जो सकौन्सिल भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा
पास हुआ
२२ जौलाई १८८५ ई० को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई

भारत में तार सम्बन्धी कानून के

संशोधन के लिये एक्ट

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि भारत के तारों के सम्बन्ध में कानून का संशोधन किया जाय, अतएव निम्न लिखित धाराएं प्रचारित होती हैं—

भाग १

प्रारम्भिक

छोटा नाम, प्रचार-स्थान और प्रचार-प्रारम्भ

धारा १. (१) इस एक्ट का नाम कानून भारतीय तार सन् १८८५ हो सकता है।

* (२) इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश

---

* यह उपधारा प्राचीन उपधारा के स्थान में एक्ट ३ सन् १९५१ के द्वारा रखी गई।

भारत से है जिस में सन्थाल के परगने और स्पिटी का परगना सम्मिलित है, और इस का सम्बन्ध निम्न लिखित से भी है।

(क) सम्राट की समस्त देशी भारतीय प्रजा से, जो ब्रिटिश भारत के बाहर किसी स्थान में हो।

(ख) अन्य समस्त ब्रिटिश प्रजा से, जो भारत की किसी देशी रियासत के प्रदेशों में हों, और

(ग) सम्राट के सेवकों से चाहे वे ब्रिटिश प्रजा हों अथवा न हों, जो भारत की किसी देशी रियासत के प्रदेशों में हों।

(३) यह १ अक्टोबर सन् १८८५ ई० से प्रभाव जनक होगा।

धारा २– भारतीय तार का कानून सन् १८७६ इस के द्वारा मंसूख हुआ।

मंसूखी और छूट।

परन्तु समस्त लैसन्स और नियम जो उस एक्ट के अनुसार या ऐसे एक्ट के अनुसार, जो उस एक्ट के द्वारा मंसूख हुआ, दिये गये और बनाये गये हों, और जो अब प्रचलित हों, और जहां तक कि वह इस एक्ट के अनुसार दिये और बनाये जा सकते, ऐसे समझे जांयगे मानो वह इसी एक्ट के अनुसार क्रमशः दिये और बनाये गये।

धारा ३. इस कानून में, जब तक कि उस के विषय या प्रकरण में कुछ वैपरीत्य न हो।

परिभाषाएं।

(१) "तार" का अभिप्राय वैद्युत, आकर्षक या लोह चुम्बन शील तार से है और उस में विद्युत शक्ति, आकर्षण शक्ति या लोह चुम्बन शक्ति द्वारा तार समाचार, टेलीफोन-समाचार या अन्य समाचार* "देने, भेजने या प्राप्त करने" के यंत्र और औजार सम्मिलित हैं।

(२) "तार कर्मचारी" का अभिप्राय ऐसे मनुष्य से है जो स्थाई या अस्थाई रूप से, ऐसे तार के सम्बन्ध में नियुक्त हो, जिस

* यह शब्द प्राचीन शब्दों के स्थान में एक्ट ७ सन् १४ की धारा अनुसार रखे गये।

को गवर्नमेंट या इस एक्ट के अनुसार लेसन्स प्राप्त-मनुष्य ने स्थापित किया, स्थिर रक्खा या चलाया हो।

(३) "समाचार" का अभिप्राय ऐसे समाचार से है जो तार द्वारा भेजा जाय, या किसी तार कर्मचारी को तार द्वारा भेजने के लिये या बांटने के लिये दिया जाय।

(४) "तार की लाइन" का अभिप्राय ऐसे तार या तारों से है जो तार के अभिप्राय के लिये, किसी खोल, सद्- नली या नल के साथ जिस में कि वह घिरा हो, प्रयुक्त हों, और ऐसे यंत्रों और कलों से है जो तार के लगाने या पृथक करने के लिये उससे सम्बन्धित हों।

(५) "खम्बा" का अभिप्राय खम्बे, बल्ली, तिपाई, आश्रय, आधार या भूमि पर लगी हुई अन्य वस्तु से है जो तार की लाइन के लेजाने, लटके रहने या साधने के लिये प्रयुक्त हों।

(६) "तार—अधिकारी" का अभिप्राय "डाक * और तार" के डाइरेक्टर जनरल से है और उस में ऐसा कर्मचारी भी सम्मिलित है जो इस एक्ट के अनुसार तार अधिकारी के किसी या सब कर्त्तव्यों के पालनार्थ उस के द्वारा अधिकार सम्पन्न हुआ हो।

(७) "स्थानीय अधिकारी" का अभिप्राय उस म्यूनिसिपल कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट कमिश्नर्स—समूह या अन्य अधिकारी से है जो म्यूनिसिपल या स्थानीय कोष के संरक्षण या प्रबन्ध का नैतिक अधिकारी हो या जिसे म्यूनिसिपल या स्थानीय कोष का संरक्षण या प्रबन्ध गवर्नमेन्ट द्वारा सौंप दिया गया हो।

भाग २

गवर्नमेंट के स्वत्व और अधिकार

धारा ४, *(१) ब्रिटिश भारत भर में तारों के स्थापित करने, स्थिर रखने और चलाने का सम्पूर्ण स्वत्व सकौन्सिल गवर्नर जनरल को प्राप्त होगा।

तार सम्बन्धी सम्पूर्ण स्वत्व और लैसन्सों के देने का अधिकार

परन्तु शर्त्त यह है कि सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह ऐसी शर्त्तों पर और उतने रुपयों के देने के बदले में जो वह उचित समझें, किसी मनुष्य को तार के स्थापित करने, स्थिर रखने तथा चलाने के लिये लैसन्स प्रदान कर सकते हैं।

* और यह भी शर्त्त है कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उन नियमों द्वारा जो इस एक्ट के अनुसार बनें और भारतीय गजट में प्रकाशित किये जांय निम्न लिखित तारों के स्थापन करने स्थिर रखने और चलाने की, उन निरोधों और शर्त्तों के आधीन जिन्हें वह उचित समझें, अनुमति दें:—

(क) भारतीय प्रादेशिक जल—भागों में जहाजों पर बिना तार के तार।

(ख) ब्रिटिश भारत के किसी भाग में बिना तार के तारों के अतिरिक्त अन्य तार।

*(२) सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह भारतीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा तार-अधिकारी को कुल या थोड़े अपने ऐसे अधिकार प्रदान करदें जो उनको उपधारा (१) की पहिली शर्त्त के अनुसार प्राप्त हैं।

उक्त प्रकार प्रदत्त अधिकार का तार-अधिकारी द्वारा प्रयोग उन निरोधों और शर्त्तों के आधीन होगा जो सकौंसिल गवर्नर जनरल, विज्ञप्ति द्वारा लगाना उचित समझें।

---

* यह अङ्क (१), दूसरी शर्त्त और उपधारा (२) कानून तार एक कानून सन् १०१४ (एक्ट ७ सन् १९१४) की धारा ४ के बढ़ाये गये।

धारा ५. किसी सार्वजनिक विशेष आवश्यकता पड़ने पर

लैसन्स प्राप्त तारों के अधिकार में करने और समाचारों के रोकने का, गवर्नमेन्ट का अधिकार

या सार्वजनिक शान्ति के विचार से सकौन्सिल गवर्नर जनरल, या स्थानीय गवर्नमेंट या किसी अधिकारी को, जो इस विषय में सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा विशेषतया अधिकार सम्पन्न हो, अधिकार प्राप्त है —

(क) कि वह किसी ऐसे तार को, जो इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त मनुष्य द्वारा स्थापित किया, स्थिर रखा या चलाया गया हो, अस्थाई रूप से अधिकार में करले; या

(ख) कि वह यह आज्ञा दे कि कोई ऐसा समाचार या ऐसे प्रकार के समाचार, जो किसी मनुष्य या किसी प्रकार के मनुष्यों के नाम या उन की ओर से हों, या जो किसी विशेष विषय सम्बन्धी हों, किसी तार द्वारा भेजे जाने के लिये लाये जावें या किसी तार द्वारा भेजे या प्राप्त किये जांय, वह भेजे न जावेंगे या रोके या रोक रखे जावेंगे, या गवर्नमेंट को या उस के अधिकारी को जिस का वर्णन उक्त आज्ञा में हो, प्रकट कर दिये जावेंगे।

(२) यदि सार्वजनिक विशेष आवश्यकता के निर्णय के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न हो, या यह कि उपधारा (१) के अनुसार किया गया कार्य, सार्वजनिक शान्ति के विचार से था या न था, तो भारतीय गवर्नमेन्ट या स्थानीय गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी का हस्ताक्षर युक्त सार्टीफिकेट इस विषय का अत्यन्त प्रमाण होगा।

धारा ६. प्रत्येक ऐसी रेलवे कंपनी, जिस को सकौन्सिल

रेलवे कम्पनी की भूमि पर तार स्थापित करने का अधिकार

गवर्नर जनरल ने किसी आज्ञा द्वारा [illegible] गवर्नमेंट को [illegible] की अनि

या किसी तार के प्रबन्ध के सम्बन्ध में, जो गवर्नमेंट या इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त मनुष्यों द्वारा स्थापित किया, स्थिर रक्खा या चलाया जाता हो, इस एक्ट के अनुरूप नियम बनाये।

(२) इस धारा द्वारा रचित नियम, अन्य विषयों में से, निम्न लिखित सब के या किसी के सम्बन्ध में हो सकते हैं, अर्थात्—

(क) शर्तें जिन के अनुसार, और अन्य शर्तें और निरोध जिन के आधीन कि समाचार भेजे जांयगे।

(ख) पूर्वोपाय जो समाचारों की अनुचित रोक या प्रकाशकन को रोकने के लिये किये जाने वाले हों।

(ग) अवधि जब तक, और शर्तें जिन के आधीन, टेलीग्राम या अन्य लेख-पत्र जो तार-कर्मचारियों के हों या उन की रक्षा में हो, रक्षित रहेंगे।

(घ) फीस जो ऐसे टेलीग्राम या अन्य लेखों की खोज के लिये ली जाय जो किसी तार कर्मचारी की रक्षा में हों।

(३) किसी ऐसे तार के प्रबन्ध के लिये नियम बनाते समय, जो इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त मनुष्य द्वारा स्थापित किया, स्थिर रक्खा या चलाया जाता हो, सकौंसिल गवर्नर जनरल नियमों द्वारा उन के उलंघन के लिये जुरमाना निश्चय कर सकते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार निश्चित जुरमाना निम्न लिखित सीमाओं से अधिक न होगा, अर्थात्:

(i) जब इस एक्ट के अनुसार लैसन्स-प्राप्त मनुष्य उलंघन के कारण दण्डनीय हो, तो एक हजार रुपया, और लगातार, उलंघन की अवस्था में पहिले दिन के पश्चात जिस के समस्त या किसी अंश में उलंघन होता रहे, दो सौ रुपया प्रति दिन विशेष जुरमाना।

(ii) जब उक्त प्रकार लैसन्स प्राप्त मनुष्य का सेवक या अन्य मनुष्य उलंघन के कारण दण्डनीय हो, तो उन रकमों का चतुर्थांश जिन का वर्णन खण्ड (i) में हुआ है।

धारा ८. सकौंसिल गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त है कि लैसंसों का मंसूख करना। वह किसी ऐसे लैसन्स को जो धारा ४ के

नुसार प्रदान किया जाय, उस की किसी शर्त के तोड़ने पर, या उस धन के न देने पर जो उस के अनुसार देय हो, मंसूख कर दें।

हानि या क्षतिके लिये गवर्नमेन्ट उत्तर दाता नहीं है

धारा ९. सकौंसिल भारत सचिव किसी ऐसी हानि या क्षति के लिये उत्तर दाता न होंगे जो किसी समाचार के प्राप्त करने, भेजने या देने के सम्बन्ध में किसी तार कर्मचारी की कर्त्तव्य-विमुखता के कारण हो जाय, और न उक्त कर्मचारी ही किसी ऐसी हानि या क्षति के लिये उत्तर दाता होगा जब तक कि वह असावधानतयः, अशुभेच्छतयः या छलतः ऐसा न करे।

भाग ३

तार की लाइन और खम्भे लगाने का अधिकार

तार की लाइन और खम्भे लगा और स्थिर रखने का अधिकार तार-कारी को है

धारा १०. तार-अधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी अचल सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, बराबर या आर पार तार की लाइन, और भीतर या ऊपर खम्भे लगावे और स्थिर रखे।

परंतु शर्त यह है कि ——

(क) तार-अधिकारी उन अधिकारों को जो इस धारा द्वारा प्रदान किये गये हैं, ऐसे तार के अभिप्रायों के अतिरिक्त अन्य अभिप्राय के लिये प्रयोग न करेगा जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया या स्थिर रखा जाता हो, या स्थापित किया या स्थिर रखा जाने वाला हो.

(ख) गवर्नमेन्ट को उस सम्पत्ति में प्रयोग करने के स्वत्व के अतिरिक्त, अन्य स्वत्व प्राप्त न होगा जिस के नीचे ऊपर, बराबर आर पार भीतर या ऊपर, तार-अधिकारी तार की लाइन या खम्भा लगावे

(ग) उपरोक्त अतिरिक्त जिन दशाओं में इसके पश्चात् कहा गया है, तार अधिकारी, किसी सम्पत्ति पर जो उन अधिकारों का, जो किसी स्थानीय अधिकारी को प्राप्त हों या उस के

संरक्षण या प्रबन्ध के आधीन हों, उस अधिकारी की अनुमति बिना, प्रयोग न करेगी। और

(घ) उन अधिकारों के प्रयोग में, जो इस धारा द्वारा प्रदान किये गये हैं, तार--अधिकारी सम्भवतयः कमक्षति करेगा और जब उस सम्पति के अतिरिक्त जिस का वर्णन खण्ड (ग) में हुआ है, अन्य किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन अधिकारों का प्रयोग करे, तो वह उन समस्त मनुष्यों को जिन का स्वत्व हो, किसी ऐसी क्षति के लिये जो उनको उन अधिकारों के प्रयोग के कारण सहनी पड़ी हो, पूरा प्रति फल--धन चुकायेगा।

धारा ११. तार--अधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी समय, किसी तार की लाइन या खम्बे को जांचने मरम्मत करने, बदलने या हटाने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति पर प्रवेश करे जिस के नीचे, ऊपर, बराबर, आर पार, भीतर या बाहर, तार की लाइन या खम्बा लगा हुआ है।

तार की लाइन और खम्बों के मरम्मत करने और हटाने के अभिप्राय से सम्पति पर प्रवेश करने का अधिकार

उस सम्पति के सम्बन्ध में आज्ञाएं जो स्थानीय अधिकारी को समर्पित हो या उनके संरक्षण या प्रबंध में हो

धारा १२. कोई अनुमति, जो धारा १०, खण्ड (ग) के अनुसार स्थानीय अधिकारी द्वारा दी जाय, वह ऐसी उचित शर्तों के आधीन दी जा सकती है जिन्हें उक्त अधिकारी उन व्ययों के चुकाने के सम्बन्ध में, जो उक्त अधिकारी को उक्त धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के कारण अवश्यमेव सहन करने पड़ेंगे, या किसी कार्य के चलाने के समय या विधि के सम्बन्ध में, या किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में जो उन अधिकारों के, अनुसार तार अधिकारी द्वारा अंगीकृत कार्य के सम्बन्ध में हो, लगाना उचित समझे।

धारा १०, खण्ड (ग) के अनुसार स्थानीय अधिकारी का शर्तों के आधीन, अनुमति देने का अधिकार

धारा १३. जब इस प्रकार की उपर्युक्त धाराओं के अनुसार

तार की लाइन या खम्बे को हटाने या बदलने के सम्बन्ध में आज्ञा देने का अधिकार स्थानीय अधिकारी को है

किसी ऐसी सम्पति के नीचे ऊपर बराबर, आर पार, भीतर या बाहर तार अधिकारी द्वारा तार की लाइन या खम्बा लगाया गया हो, जो स्थानीय अधिकारी को समर्पित हो या उसके संरक्षण या प्रबन्ध में हो, और उन स्थितियों का विचार रखते हुए जो तार की लाइन या खम्बे के उक्त प्रकार लगने के समय से उत्पन्न हों, स्थानीय अधिकारी यह उचित समझे कि तार की लाइन या खम्बा हटाया जाना चाहिये या उसका स्थान परिवर्तन होना चाहिये, तो स्थानीय अधिकारी, तार अधिकारी को उसके हटाने के लिये या उसके स्थान परिवर्तन के लिये, जैसी अवस्था हो, आज्ञा देसकता है।

धारा १४. तार अधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि वह

गैस या पानी के नलों और मोरियों के स्थान परिवर्तन का अधिकार

किसी ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो स्थानीय अधिकारी को समर्पित हुई हो या उस के संरक्षण या प्रबन्ध में हो, उन अधिकारों के प्रयोग करने के अभिप्राय के लिये जो इस धारा के अनुसार उसको प्रदान किये जायं, उक्त सम्पत्ति में, गैस या पानी के संग्रह करने के लिये किसी नल (जो मुख्य नल न हो) का, या किसी मोरी (जो मुख्य मोरी न हो) का स्थान परिवर्तन करदे:

परन्तु शर्त यह है कि——

(क) जब तार अधिकारी उक्त किसी नल या मोरी का स्थान परिवर्तन करना चाहे तो वह ऐसा करने के [illegible] की लिखित सूचना उस समय के निरूपण के साथ जब [illegible] ऐसा कार्य प्रारम्भ किया जायगा स्थानीय अधिकारी को और जब वह नल या मोरी स्थानीय अधिकारी के अधिकार में न हो तो उस मनुष्य को देगा जिस के अधिकार में उक्त नल या मोरी हो,

(ख) स्थानीय अधिकारी या मनुष्य जो [illegible] उक्त सूचना प्राप्त होने पर उस कार्य की देख रेख के लिये [illegible]

मनुष्य भेज सकता है, और तार अधिकारी उक्त प्रेषित मनुष्य के उचित सन्तोषानुसार कार्य करेगा।

धारा १५. [१] यदि स्थानीय अधिकारी के, धारा १०,

तार-अधिकारी और स्थानीय अधिकारी के बीच के झगडे

खण्ड [ग] में वर्णित अनुमति न देने या, धारा १२ के अनुसार शर्त्तें लगाने के कारण, या तार अधिकारी के उस आज्ञा के पालन न करने के कारण जो धारा १३ के अनुसार दी जाय, या इस एक्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग सम्बन्धी अन्य कारण से, तार अधिकारी और स्थानीय अधिकारी के बीच में कोई झगडा उत्पन्न हो, तो उसका निर्णय ऐसे अफसर द्वारा होगा जिसे स्थानीय गवर्नमेंट, इस सम्बन्ध में सामान्यतः या विशेषतः नियुक्त करे।

(२) उक्त प्रकार नियुक्त अफसर के निर्णय के प्रतिकूल अपील स्थानीय गवर्नमेंन्ट में की जायगी और स्थानीय गवर्नमेंट की आज्ञा अपरिवर्त्तनीय होगी।

अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी आज्ञाएं।

धारा १६ [१] यदि धारा १० में वर्णित उन अधिकारों

धारा १० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग और एसी सम्पत्ति सम्बन्धी झगडे जो स्थानीय अधिकारी की न हो।

के प्रयोग में, जो उस धारा के खण्ड [ब] में निरूपित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हों, कोई आक्षेप या रोक की जाय, तो मजिस्ट्रेट जिला अपनी इच्छा से यह आज्ञा दे सकता है कि तार-अधिकारी उन अधिकारों को प्रयोग कर सकेंगे।

[२] उप धारा [१] के अनुसार आज्ञा देने के पश्चात्, कोई मनुष्य उक्त अधिकारों के प्रयोग में आक्षेप करे, या सम्पत्ति पर अधिकार रखते हुए, उन के प्रयोग होने के लिये, समस्त सुभीते न दे, तो यह समझा जायगा कि उस ने भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १८८ के अनुसार अपराध किया।

[३] यदि धारा [१०] खण्ड [घ] के अनुसार दिये जाने वाले उन धन की पर्य्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो

उस अभिप्राय के लिये, विवादी पक्षों में से किसी के द्वारा उक्त जिला जज को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, जिस के स्थान सम्बन्धी विचार अधिकार के भीतर वह सम्पत्ति स्थित हो, उक्त जिला जज द्वारा उस का निर्णय होगा।

(४) यदि यह विवाद उत्पन्न हो कि प्रतिफल-धन के पाने के कौन २ मनुष्य अधिकारी हैं, या यह कि किस सम्बन्ध से स्वत्वाधिकारी मनुष्य उस के भाग पाने के अधिकारी हैं, तो सार-अधिकारी को अधिकार है कि वह उतनी रकम जिला जज की अदालत में जमा करदे जितना वह उचित समझे या, जब समस्त विवादी पक्षों ने उपस्थित की गई रकम का पर्य्याप्त होना लेख में अङ्गीकृत कर लिया हो या जब रकम का निर्णय उपधारा (३) के अनुसार हुआ हो तो वह रकम जमा करदे; और उक्त जिला जज उक्त पक्षों को सूचना देने और उन लोगों को सुनने के पश्चात् जो सुनवाई चाहते हों, उन मनुष्यों का निर्णय करेगा जो प्रतिफल-धन पाने के अधिकारी हों या, जैसी अवस्था हो, उस सम्बन्ध का निर्णय करेगा जिस के अनुसार स्वत्वाधिकारी मनुष्य उस में भाग पाने के अधिकारी हों।

(५) उपधारा (३) या उपधारा (४) के अनुसार जिला जज का प्रत्येक विवाद-निर्णय अपरिवर्त्तनीय होगा।

परन्तु शर्त यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी मनुष्य के उस स्वत्व को प्रभावित न करेगी जो उस को किसी ऐसे प्रतिफल धन के कुल या किसी अंश को, जिसे सार-अधिकारी ने चुकाया हो, उस मनुष्य से नालिश द्वारा वसूल करने का प्राप्त है, जिस ने उस प्रतिफल धन को प्राप्त कर लिया हो।

धारा १७ (१) जब इस प्रकार की [illegible] [illegible] के

[illegible] स्थानीय अधिकारी [illegible] सार की [illegible] का [illegible] का [illegible]	अनुसार कोई सार [illegible] [illegible] सार-अधिकारी द्वारा किसी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गया हो और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्थानीय अधिकारी की

[illegible] हुई हो, [illegible] [illegible] में हो, और कोई मनुष्य [illegible] [illegible] [illegible]

प्रयोग में लाना चाहे कि उस तार की लाइन या खम्बे का अन्य स्थान में या ऊंचाई या निचाई पर हटाया जाना या उस की सूरत में परिवर्त्तन करना आवश्यकीय होजाय या ऐसा करने में सुलभता दीख पडे, तो वह तार-अधिकारी से तार की लाइन या खम्बे को तदनुसारतः हटाने या बदलने की प्रार्थना कर सकता है।

परन्तु शर्त यह है कि, यदि धारा १० खण्ड (घ) के अनुसार प्रतिफल-धर्म चुका दिया गया हो तो उसे तार-अधिकारी को वह रकम उपस्थित करना पडेगी, जो हटाने या बदलने के व्यय के लिये आवश्यक हो, या उस रकम का अर्द्धांश, जो प्रतिफल की भांति चुकाया गया हो, अर्थात् जो रकम थोडी हो।

(२) यदि तार-अधिकारी उस प्रार्थना का पालन न करे, तो प्रार्थी मनुष्य उस मजिस्ट्रेट जिला को जिस के स्थान सम्बन्धी विचार अधिकार के भीतर वह सम्पत्ति स्थित हो, उस के हटाने या बदलने की आज्ञा के लिये प्रार्थना कर सकता है।

(३) मजिस्ट्रेट जिला जो उपधारा (२) के अनुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त करे, अपनी इच्छानुकूल, उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर सकता है या स्वाधीनतः या शर्तों के आधीन, यह आज्ञा दे सकता है कि तार की लाइन या खम्बा उस सम्पति में किसी अन्य स्थान में, या ऊंचाई या नीचाई पर हटा दिया जाय, या उस की सूरत बदल दी जाय, और उक्त प्रकार दी हुई आज्ञा अपरिवर्तनीय होगी।

तार सम्पत्तियों के सम्बन्ध की आज्ञाएं

धारा १८ (१) यदि कोई वृक्ष जो तार की लाइन के निकट खडा हो या पडा हो, तार समाचार के आने जाने में बाधक हो या उस से बाधा पडने की सम्भावना हो, तो प्रथम व द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त है कि तार अधिकारी की प्रार्थना पर, उस वृक्ष को कटवादे या उस के संबंध में ऐसी कार्यवाही करे जो वह उचित समझे।

उन वृक्षों का हटाना जो तार समाचार के आने जाने में बाधक हों

(२) उपधारा (१) के अनुसार प्रार्थना पत्र का विचार करते मजिस्ट्रेट तार की लाइन लगाये जाने से पूर्व वृक्ष के स्थित

होने की अवस्था में, उन मनुष्यों को जो उक्त वृक्ष में स्वत्व रखते हों उतना प्रतिफल—धन दिलायेगी जितना वह उचित समझे, और यह आज्ञा अपरिवर्त्तनीय होगी ।

धारा १९. प्रत्येक तार की लाइन या खम्बा, जो इस एक्ट के पास होने से पूर्व, किसी संपत्ति के नीचे, ऊपर बराबर, आर पार भीतर या बाहर ऐसे तार के अभिप्रायों के लिये लगाया गया हो जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया या स्थिर रखा गया हो यह समझा जायगा कि वह इस एक्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, और इस एक्ट की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् लगाया गया है ।

इस ऐक्ट के पास होने से पहिले की लगी हुई तार की लाइनें और खम्बे

***धारा १९ क.** (१) जो मनुष्य, स्वत्व के उचित प्रयोग में, सम्पत्ति के साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहे जिससे उस तार की लाइन या खम्बे को जो इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार लगाया गया हो, क्षति पहुंचने की संभावना हो, या तार समाचार के आने जाने में रुकावट या बाधा पड़ने की सम्भावना हो तो उसे तार-अधिकारी या उस तार-कर्मचारी को जिसे तार अधिकारी इस विषय में अधिकार दे, उक्त स्वत्व के संकल्पित प्रयोग की लिखित सूचना कम से कम एक मास पूर्व देना आवश्यक होगा ।

ऐसे उचित स्वत्व के अधिकारी मनुष्य को जिससे तार को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, अथवा तार समाचार के आने जाने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो सूचना देना आवश्यक है

(२) यदि कोई ऐसा मनुष्य उप धारा (१) की आज्ञाओं का पालन न करता हुआ किसी सम्पत्ति के साथ इस प्रकार व्यवहार करे जिस से किसी तार की लाइन या खम्बे को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, या तार—समाचार के आने जाने में रुकावट या बाधा पड़ने की सम्भावना हो, तो प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को

* यह धारा कानून तार के संशोधक कानून सन् १९०९ (नम्बर ७ सन् १९०९) की धारा ४ के अनुसार बढ़ाई गई है ।

रुपये तक हो सकती है, और प्रत्येक ऐसे सप्ताह के सम्बन्ध में जिस में कि शर्त्त की प्रतिकूलता जारी रहे, ऐसे विशेष जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा २१. यदि कोई मनुष्य यह जान कर या यह विश्वास करने का कारण रख कर कि कोई तार इस एक्ट के प्रतिकूल स्थापित किया, स्थिर रखा, या चलाया जाता है, कोई समाचार उक्त तार द्वारा भेजे या प्राप्त करे, या उसके सम्बन्ध में कोई आकस्मिक सेवा करे, या उक्त तार द्वारा भेजे जाने के लिये कोई समाचार दे, या उक्त तार द्वारा भेजे हुए समाचार की डिलीवरी स्वीकार करे, तो उसको ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

ऐसे तार प्रयोग करना

धारा २२. यदि कोई रेलवे कम्पनी या रेलवे कम्पनी का अफसर धारा ६ की आज्ञाओं के पालन में असावधानता या इंकार करे, तो उक्त रलेवे कम्पनी या अफसर को प्रत्येक ऐसे दिन के सम्बन्ध में जब तक कि वह असावधानता या इंकार चला जाय, ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिसकी संख्या एक सहस्र रुपये तक हो सकती है।

रेलवे भूमि पर तार की स्थापिना का विरोध

धारा २३. यदि कोई मनुष्य

सिगनल रूम में अनुमति बिना जाना, तार आफिस में अनुचित प्रवेश, या काम में रुकावट डालना

(क) योग्य अधिकारी की अनुमति बिना, गवर्नमेन्ट के या उस मनुष्य के तार आफिस के सिगनल रूम में प्रवेश करे जिसने इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त किया हो, या

(ख) किसी घिरे हुए ऐसे अहाते में जो किसी उक्त तार आफिस के चारों ओर हो, किसी ऐसे नियम या सूचना के विरुद्ध प्रवेश करे जिसमें प्रवेश का निषेध हो, या

(ग) उक्त रूम या अहाते से निकल जाने से इंकार करे जब कि किसी अफसर या सेवक द्वारा जो वहां नियुक्त हो बाहर निकलने के लिये कहा जाय, या

(घ) उक्त किसी अफसर या सेवक के कार्य-सम्पादन में जान बूझ कर बाधा डाले, या हस्तक्षेप करे।

सो उसको ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा २४. यदि कोई मनुष्य, अनुचित रीति से किसी

समाचार जानने का अनुचित प्रयत्न

समाचार का विषय जानने के संकल्प से या इस एक्ट द्वारा दण्डनीय किसी अपराध के करने के संकल्प से, धारा २३ में वर्णित कोई कार्य करे, तो उसको (उस जुरमाने के दण्ड के अतिरिक्त जो धारा २३ के अनुसार उसे मिलेगा) ऐसी कैद का दण्ड दिया जा सकता है जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है।

धारा २५. यदि कोई मनुष्य, इस नीयत से (क) कि किसी

संकल्पतः तार को हानि पहुंचाना या उसमें हस्तक्षेप करना

समाचार के भेजने या डिलीवर करने में रुकावट या बाधा हो, या

(ख) किसी समाचार को रोक रखे या उसका विषय जान ले या

(ग) कोई हानि पहुंचाये।

किसी बैटरी, मशीन, तार की लाइन, खम्भा, या किसी अन्य वस्तु को, जो किसी तार का भाग हो या किसी तार में या उसके सम्बन्ध में या उसके चलाने में काम आता हो, क्षति पहुंचाये, हटाये, हस्तक्षेप करे या छूए।

सो उसको ऐसी कैद का दण्ड मिलेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुरमाना या दोनों दण्ड मिलेंगे।

***धारा २५क.** यदि किसी ऐसी अवस्था में, जो धारा

किसी तार की लाइन या खम्भे को हानि पहुंचाना या हस्तक्षेप करना

२५ से अभिव्याप्त न हो कोई मनुष्य किसी सरकारी तार के साथ कोई कार्यवाही करे और उसके द्वारा इच्छा पूर्वक या असावधानता से किसी ऐसी सरकारी तारन या खम्भे को हानि पहुंचाये, और इस प्रकार की

* यह धारा कानून तार के संशोधक कानून सन् १९१४ (एक्ट ७ सन् १९१४) की धारा ८ के अनुसार बढ़ाई गई।

आज्ञाओं के अनुसार विधि पूर्वक लगाया गया हो, तो वह तार अधिकारी को ऐसे व्यय (यदि कुछ हो) देने का ज़ुम्मेदार होगा जो हानि के शोधन में व्यय करना पड़े, और, यदि उक्त प्रकार की गई हानि के कारण, तार समाचार का आना जाना रुक गया हो, तो उस को ऐसे जुरमाने का दण्ड मिलेगा जिस की संख्या एक सहस्र रुपये तक हो सकती है।

परन्तु शर्त्त यह है कि इस धारा की आज्ञाओं का उस अवस्था से सम्बन्ध न होगा जब कि उक्त हानि या रोक उस मनुष्य के द्वारा हो जिस ने किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी स्वत्व का नैतिक प्रयोग किया हो और धारा १९ क (१) की आज्ञाओं का पालन कर लिया हो।

धारा २६, यदि कोई तार का अफसर या अन्य मनुष्य,

तार के अफसर या अन्य कर्मचारी का तार समाचारों को उड़ा देना, बदल देना या बुरी नीयत से रोकना या प्रकट कर देना, या तार-चिन्हों का अभिप्राय प्रकट करना।

जो तार का अफसर न हो परन्तु ऐसे आफिस के सम्बन्ध में सरकारी सेवा करता हो जो तार के आफिस से समान प्रयुक्त होता हो-(क) किसी ऐसे तार को जिसे उसने भेजने या डिलीवर कर ने के लिये प्राप्त किया हो, इच्छा से छुपावे, उड़ावे या बदल दे, या

(ख) इच्छा पूर्वक, और सकौन्सिल गवर्नर जनरल की या स्थानीय गवर्नमेन्ट की या उस अफसर की, जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल की ओर से आज्ञा देने का अधिकारी हो, आज्ञा--पालन के अतिरिक्त और अवस्था में, किसी समाचार या उसके भाग को न भेजे, या रोके या रोक रखे या अपनी सरकारी सेवा की अनुकूलता के या योग्य अदालत की आज्ञा के अतिरिक्त अन्य रीति से, किसी समाचार के विषय को या किसी समाचार के विषय के किसी भाग को ऐसे मनुष्य पर प्रकट करे जो उस के प्राप्त करने का अधिकारी न हो, या।

(ग) किसी तार--चिन्ह के अभिप्राय को किसी ऐसे मनुष्य पर प्रकट करे जो उस से अवगत होने का अधिकारी न हो

तो उस को ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है। या जुरमाना या दोनों दण्ड दिये जांयगे।

तार कर्मचारी का धोके से बिना मूल्य लिये तार समाचार भेज देना

धारा २७, यदि कोई तार-कर्मचारी तार द्वारा कोई ऐसा समाचार भेजे जिस पर कि गवर्नमेन्ट या इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त मनुष्य द्वारा, जैसी कि अवस्था हो, निर्धारित व्यय न चुकाया गया हो, इस विचार से कि गवर्नमेन्ट या उस मनुष्य का इस के द्वारा रुपया मारा जाय, तो उस मनुष्य को ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुरमाना या दोनों दण्ड दिये जायंगे।

दुराचरण

धारा २८, यदि कोई तार-कर्मचारी या अन्य मनुष्य, जो तार-कर्मचारी न हो परन्तु ऐसे आफिस के सम्बन्ध में सरकारी सेवाएं करता हो जो तार आफिस की भांति प्रयुक्त होता हो मदिरा-मत्तता, असावधानता या दुराचरण का अपराधी हो जिस के कारण किसी समाचार के शुद्ध प्रेषण या डिलीवर करने में बाधा या विलम्ब हो, या यदि कोई तार कर्मचारी किसी समाचार के भेजने या डिलीवर करने में शिथिलता या विलम्ब करे, तो उसको ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुप[ये] तक हो सकती है या दोनों दण्ड दिये जांयगे।

बने हुए तार समाचार भेजना

धारा २९, यदि कोई मनुष्य तार द्वारा कोई ऐसा समाचा[र] भेजे या भिजवाये जिसका झूठा गढ़ा हुआ होना वह जानता हो, तो उसको ऐसी कैद का दण्ड दिया जा[य]गा जिस की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुरमाना या दो[नों] दण्ड दिये जायंगे।

***धारा २९ क,** यदि कोई मनुष्य बिना उचित अधिकार

* कानून तार के संशोधक कानून सन् १९१४ (एक्ट ७ [सन्] १९१४) की धारा ४ के अनुसार यह धारा बढ़ाई गई।

दण्ड । (क) कोई ऐसा लेख-पत्र बनाये या जारी करे जिससे उचितरूपेण यह विश्वास किया जा सकता हो कि वह लेख-पत्र×डाक और तार के डाइरेक्टर जनरल की ओर से या आज्ञा से जारी किया गया है, या।

(ख) किसी लेख-पत्र पर कोई ऐसा चिन्ह बनाये जो×डाक और तार के डाइरेक्टर जनरल के आधीन किसी तार-आफिस की किसी मुहर या चिन्ह की नकल हो, या उस के सदृश हो या जिससे यह प्रकट होता हो कि वह वैसी मुहर या चिन्ह है,

-या ऐसा चिन्ह बनाये जिस से उचित रूपेण यह विश्वास किया जा सकता हो कि वह उक्त प्रकार चिन्ह-युक्त लेख-पत्र×डाक और तार के डाइरेक्टर जनरल की ओर से या आज्ञा से जारी हुआ है, तो उस को ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा, जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

धारा ३०, यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे तारसमाचार को जिस जिसकी डिलेवरी किसी अन्य मनुष्य को होनी चाहिये थी, छलतः रोक रखे या इच्छा पूर्वक छिपावे, उड़ादे या रोके, या तार कर्मचारी के यह आज्ञा देने पर कि वह उस समाचार को देदे उसके देने में असावधानता या इनकार करे तो उस को ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुरमाना, या दोनों दण्ड दिये जायंगे

भूल से डिलीवर किया हुआ तार रोक रखना।

धारा ३१. तार कर्मचारी भारतीय दण्ड संग्रह की धाराएं, १६१, १६२, १६३, १६४ और १६५ के अर्थों में सरकारी सेवक समझा जायगा और (Legal Remuneration) नैतिक प्रतिफल की परिभाषा में जो उक्त धारा १६१ में है, शब्द ' गवर्नमेन्ट" से इस एक्ट के अभिप्रायों के, यह समझा जायगा कि उस में इस एक्ट के अनुसार लैसन्स प्राप्त मनुष्य सम्मिलित है ।

घूंसदेना ।

×कानून तार और डाक के संशोधक कानून १९१४ (एक्ट १९ सन् १९१४] की धारा, २ के अनुसार शब्द "तार" के स्थान में शब्द "डाक और तार" रखे गये ।

धारा ३२. जो मनुष्य इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय अपराध करने का प्रयत्न करे उस को वही दण्ड दिया जायगा जो उस अपराध के लिये इस एक्ट में नियत है

अपराध करने के प्रयत्न ।

भाग ५

पूर्त्ति कर आज्ञाएं

उन स्थानों में जहां तार को बराबर हानि पहुंचती हो, अतिरिक्त पुलिस नियत करने का अधिकार

धारा ३३, (१) जब स्थानीय गवर्नमेन्ट को यह ज्ञात हो कि किसी स्थान में, कोई ऐसा कार्य जिससे किसी तार को हानि पहुंचती है या पहुंचने की सम्भावना होती है लगातार और अशुभेच्छा से किया जाता है, और यह कि उस स्थान में अतिरिक्त पुलिस दल का नियुक्त होना इसी कारण से आवश्यकीय हो गया है, तो स्थानीय गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि उक्त स्थान को उतना अतिरिक्त पुलिस दल भेजे जितना कि वह उचित समझे, और उस समय तक वहां नियुक्त रखे जब तक कि उक्त गवर्नमेन्ट के विचार में उसकी आवश्यकता शेष रहे।

(२) उक्त स्थान के निवासियों को उस अतिरिक्त पुलिस दल का व्यय सहन करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट ज़िला, स्थानीय गवर्नमेन्ट की आज्ञाओं के आधीन, उस सम्बन्ध का निश्चय करेगा, जिस सम्बन्ध से कि व्यय उन निवासियों का उनकी क्रम गत स्थिति के अनुसार जो उक्त मजिस्ट्रेट निर्णय करे, देना पड़ेगा।

(३) तमाम रुपये जो उप—धारा (२) के अनुसार देय हों या तो मजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा बाकीदार की मालमनकूला की कुर्की और नीलाम से वसूल होंगे जो उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान सम्बंधी विचार अधिकार के भीतर हो, या किसी योग्य अदालत में नालिश द्वारा।

(४) स्थानीय गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी स्थान की सीमाओं का किसी पत्र आज्ञा द्वारा निश्चय करे।

***धारा ३४,** (१) यह एक्ट प्रेजीडेन्सी नगरों के सम्बंध में इस प्रकार पढ़ा जायगा मानो शब्द " मजिस्ट्रेट जिला" जो धारा

इस एक्ट का सम्बंध प्रेजीडेन्सी नगरों और रंगून से

१६ उपधारा (१) में और धारा १७ उपधारा (२) और (३) में आये हैं, और शब्द " प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट" जो धारा १८ उपधारा (१) और + धारा १६ क उप धारा (२) में आये हैं, और शब्द " मजिस्ट्रेट " जो धारा १८ उप धारा (२) में आया है, बदल कर उनके स्था में शब्द " कमिश्नर पुलिस " रखे गये हैं और शब्द " जज जिला " के स्थान में जो धारा १६ उप धारा ३, ४, ५, में आया है शब्द " चीफ जज अदालत खफ़ीफा " रखे गये हैं।

(२) धारा १६ शहर रंगून के सम्बन्ध में इस प्रकार पढ़ी जायगी मानो शब्द " जज जिला " के स्थान में, जहां २ कि वह उक्त धारा में आये हैं, शब्द " जज अदालत खफ़ीफा ,रखे गये हैं।

(३) उस प्रार्थना पत्र के सम्बंध में जो प्रेजीडेन्सी नगरों में स्थित चीफ़ जज अदालत खफ़ीफ़ा को धारा १६ उप धारा (३) के अनुसार दिया जाय वही फीस ली जायगी जो वैसे ही प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जो प्रेजीडेन्सी नगरों के बाहर जज जिला को दिया जाय, कानून कोर्टफीस सन् १८७० के अनुसार देय हो, और उन कार्य वाहियों में, जो उक्त धारा ३ या ४ के अनुसार चीफ जज की अदालत मे प्रयोग में आये, समन और अन्य आज्ञा पत्रों की फीस उस शरह के अनुसार देय होगी जो प्रेजीडेन्सी नगरों के कानून खफीफा सन् १८८२ की चतुर्थ पूर्ति में दी गई है।

---

* धारा ३४, कानून भारतीय तार १८८८ (प्रेजीडेन्सी नगरों के सम्बंध का) एक्ट ११ सन् १८८८ क द्वारा सम्मिलित की गई।

+ " और धारा १६ क उप धारा (२) " कानून तार के संशोधन कानून सन् १६१४ की धारा १० के अनुसार बढ़ाये गये।

काम चैतन्य

धातु पुष्ट की सिद्ध महोषधि



इस के सेवन से बीसों प्रकार के प्रमेह स्वप्न-दोष वीर्य का पानी के समान पतला होना मूत्र के आगे या पीछे वीर्य विन्दु का टपकना धातु क्षीणता पाखाने के वक्त वीर्य निकलना नपुंसक्ता लाल पीला गर्म पेशाव होना प्रसंग की सामर्थ न रहना नसों की कमजोरी शरीर की दुर्बलता आदि रोग तत्काल नाश होते हैं जो मनुष्य थोड़ी अवस्था के कुकर्मों से या ज्यादा स्त्री प्रसंग में फंस कर अपने बल वीर्य को नाश कर बैठे है उन के वास्ते एक "काम चैतन्य, ही अमृत की बूंद है।

इस के उपरान्त आंखों के सामने अंधेरा होना चक्कर आना दिल धड़कना थोड़ा चलने से ज्यादा थकावट का आना भूक न लगना दस्त साफ न होना कोई काम करने को दिल न करना हाथ पैर कमर आदि में दर्द होना शिर घूमना कानों मे सनसनाहट का होना जवानी में बुढ़ापे की सी दशा होजाना चहरे पर खुश्की कम-ज़ोरी अर्थात पिलाई सी दिखाई देना स्त्रीयों के देखने छूने सुनने आदि से ही वीर्य पात होजाना इत्यादि कमजोरी के कुल रोगों का नाश कर शरीर में बल आंखों में रोशनी बढ़ती है चाहे जैसा कम-जोर मनुष्य क्यों न हो इस कामचैतन्य के सेवन से अति बलवान और कामातुर होजाता है। चहरे पर रौनक लाती है मनुष्य को नई जवानी का मजा दिखाती है अधिक कहां तक लिखें जिन्होंने इस का सेवन किया है वही खूब जानते हैं मूल्य २१ खुराक की डिब्बी का२)

—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी.पी.कम्पनी अलीगढ़ सिटी।

अविभक्त कुल के कुल मेम्बरों का आय व्यय और लैन दैन और नफा नुकसान सब शामिल है। पारवारिक सम्पत्ति पर, चाहे वह स्थावर (जायदाद मन्कूला) हो अथवा अस्थावर (जायदाद गैर मन्कूला), समान अधिकार होता है यही कारण है कि खानदान मुश्तरका का कोई मेम्बर अपनी किसी जायदाद को विना अन्य मेम्बरों की सम्मति के रहन या बै नही कर सकता।

खानदान मुश्तरका के मेम्बरों की संख्या बे शुमार हो सकती है परन्तु वापोती की जायदाद को केवल चार ही पीढ़ी के लोग उपयोग कर सकते हैं। वह दूसरों को रहन बै करने से रोक सकते हैं, जायदाद पर क़रज़ा ले सकते हैं तथा उस का चाहे जब बटवारा भी करा सकते हैं या नान नफ़के का दावा कर सकते हैं। कानून मिताक्षरा के अनुसार केवल जन्म से ही लोग जायदाद मौरूसी में हक दार हो सकते हैं। अर्थात जो लोग पिण्डदान देने के अधिकारी होते है वही जायदाद मौरूसी में हक़ प्राप्त कर सकते हैं। मान लो किसी मनुष्य के बेटा, नाती और पन्ती मौजूद है और चूंकि उन में से हर कोई उस मनुष्य को पिण्ड दान दे सकता है अतएव हर कोई जायदाद मौरूसी में पैदा होते ही हिस्सेदार हो गया परन्तु यदि पन्ता के भी पुत्र अर्थात पड़ पन्ती पैदा हो जाय तो उस को खानदानी जायदाद में हक़ नही मिल सकना, क्यों कि उस को पिण्ड दान देने का अधिकार नहीं है। परन्तु उस मनुष्य के मर जाने पर पड़ पन्ती को भी खानदानी जायदाद में हक़ पैदा हो जायगा। और इसी तरह आगे बराबर सिलासिला क़ायम रह सकता है।

मौरूसी जायदाद

इस विषय को पूर्ण रूपेण वर्णन करने से पीहले हम चाहते है कि मौरूसी जायदाद (Coparcenary Property) और पृथक Separate या स्वोपार्जित सम्पत्ति Self acquired

दाद ही मौरूसी जायदाद है। दूसरे रिश्तेदार से मिली हुई जायदाद मौरूसी जायदाद नहीं है। ऐसी जायदाद पृथक जायदाद कहलाती है। जिस मनुष्य को किसी रिश्तेदार से जायदाद मिले उस का बेटा उस जायदाद में से उस मनुष्य के जीते जी हक नहीं मांग सकता। वह जायदाद उस मनुष्य की इच्छा पर है। परन्तु उस मनुष्य के मरने पर वह जायदाद उस के लड़के के हाथ में मौरूसी हो जायगी और उस लड़के का लड़का जन्म लेते ही उस में हक दार हो जायगा। मानलो क को जायदाद उस के चचा से मिली क को अधिकार है कि वह उस जायदाद का चाहेजो कुछ करे, ख जो क का लड़का है क के किसी काम पर आक्षेप नहीकर सकता क्योंकि वह क की पृथक सम्पत्तिहै ख को उसमें कोई हक क के जीते जी पैदा नहीं होता। मान लो कि क मर गया तो वह जायदाद ख के हाथ में मौरूसी जायदाद की तरह पहुंचेगी और ग को जो ख का लड़का है उस जायदाद में हक पैदा हो जाय गा। ग उस जायदाद में से चाहे जब बटवारा करा सकता है।

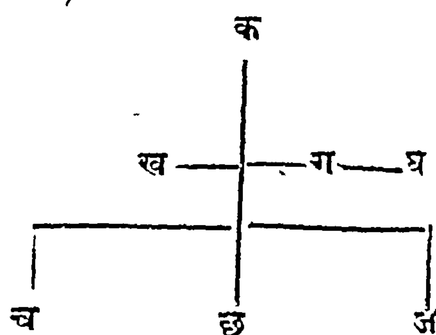
क
|
ख
|
ग

यदि बाप, बाबा, पर बाबा तीनों मर गये हों तो परबाबा के बाप की जायदाद में हक पैदा नहीं हो सकता।

मान लो कि क के हाथ में मौरूसी जायदाद है तो ख, ग, और घ जो क के जानशीन बेटे, नाती और पर्ती हैं, क की जाय दाद में हक दार हैं। घ के एक लड़का ङ भी है परन्तु क के मरने से पहिले ख ग और घ तीनों मर गये, तो ङ क के साथ (Coparcenor) सह भागी नहीं हो सकता, इस लिये क की जायदाद मेंसे बटवारा आदि नहीं करा सकता, और न क को उसे बै आदि करने से रोक सकता है क्यों कि हर मनुष्य अपने बाप, दादे, पर दादे के साथ अविभक्त कुटुम्ब में सह भागी (Coparcenor) हो सकता है, पर दादा के बाप के साथ नहीं।

क
|
ख
|
ग
|
घ
|
ङ

खानदान मुश्तरका की जायदाद में मेम्बरों का हिस्सा निर्णीत नहीं कहा जा सकता। ज्यों २ खानदान में नये मेम्बर जन्म लेते जाते हैं, हिस्सा कम होता चला जाता है और ज्यों २ मृत्यु होती जाती है हिस्से की मिकदार बढ़ती जाती है। हां बटवारा होने पर किसी मेम्बर का हिस्सा निर्णीत कहा जा सकता है।



मान लो कि क के पास मौरूसी जायदाद है और क के तीन लड़के ख, ग और घ है। यदि बटवारा हो तो हर एक को एक चौथाई हिस्सा मिलेगा परन्तु यदि इन चारो में से कोई एक मर जाय तो बाकी तीनों में से हर एक को कुल जायदाद का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। यदि क और ख दोनों मर जांय तो जायदाद में ग और घ का आधा हिस्सा हो जायगा। यदि इन चारों में से कोई भी न मरे और ग के तीन लड़के च, छ और ज और पैदा हो जांय तो चूंकि क की जिन्दगी में ग का एक चौथाई हिस्सा है इस लिये च, छ और ज में से हर एक को कुल जायदाद में १/१६ हिस्से का हक पैदा हो जायगा परन्तु यदि क मर जाय तो च, छ, और ज में से हर एक को १/१२ का हक पैदा हो जायगा क्यों कि ग का तिहाई ही हिस्सा है। यदि ख भी मर जाय तो च, छ और ज मे से हर एक को आठवें हिस्से का हक पैदा हो जायगा। अब यदि घ और मर जाय तो च, छ और ज को चौथाई हिस्से का और ग के भी मर जाने पर हर एक को जायदाद मौरूसी में तिहाई हिस्से का स्वत्व पैदा हो जायगा। यदि घ के मरने से पहिले ही ग मर जाय तो च, छ और ज में से हर एक को छटवें हिस्से का हक पैदा हो जायगा। यदि ख के भी मरने से पहिले ग मर जाय तो च, छ, और ज को कुल जायदाद में से नवें हिस्से का हक पैदा होगा।

कानून मिताक्षरा के अनुसार मौरूसी जायदाद मे स्त्रियों को हक नहीं मिलता, हां, विधवा स्त्रियों को अपने पति के हिस्से की जायदाद में से नान नफके पाने का हक रहता है।

अप्रतिवन्ध और सप्रतिवन्ध दाय

कानून मिताक्षरा के अनुसार सम्पत्ति के दो भेद किये जाते हैं एक अप्रतिवन्ध दाय और दूसरा सप्रतिवन्ध दाय। अप्रतिवन्ध

दाय वह सम्पत्ति होती है जिस के मिलने में कोई रोक न हो और जन्म से ही उस में स्वत्व पैदा हो जाय। इस लिये बाप, दादे की सम्पत्ति अप्रतिबन्ध दाय हैं, परन्तु सप्रतिबन्ध सम्पत्ति वह जायदाद है जिसमें जन्म लेते ही स्वत्व पैदा नहीं होता, प्रत्युत उस सम्पत्ति के अन्तिम अधिकारी के मरने पर स्वत्व पैदा होता है। अर्थात उस जायदाद के मिलने में रोक होती है, उस रोक के निकल जाने, अर्थात अन्तिम अधिकारी के मर जाने पर सम्पति मिलती है, इसी लिये उसे सप्रतिबन्ध दाय कहते हैं। बेटे, भाई, भतीजे और चचा आदि के मरने पर जो जायदाद मिलती है वही सप्रतिबन्ध दाय सम्पति कहलाती है।

अविभक्त कुल की सम्पत्ति (या मौरूसी जायदाद) अप्रतिबन्ध सम्पत्ति कहलाती है।

दाय भाग कानून के अनुसार सब ही सम्पत्तियां सप्रतिबन्ध हैं क्योंकि दाय भाग के अनुसार बेटे को भी बाप की जायदाद में हक पैदा नहीं होता। और बाप के मरे बिना बेटे को जायदाद नहीं मिल सकती।

समाधिकार सम्पत्ति

की विशेषताएं

समाधिकार या सहभाग सम्पत्ति (Coparcenery property) में तीन खास विशेषताएं हैं।

१—जन्म लेते ही बेटे, नाती, पन्ती को हक पैदा हो जाता है।

२—बटवारा हो सकता है।

३—इस का हक पस मांदगी (Survivorship) से पहुंचता है, जानशीनी (Succession) द्वारा नहीं।

नाना की जायदाद

नाना की जायदाद जो धेवते को मिलती है वह धेवते के बेटे के लिये मौरूसी है या नहीं यह विषय बड़ा ही विवाद ग्रस्त है।

मदरास हाई कोर्ट ऐसी जायदाद को मौरूसी मानती है और कहती है। कि यदि नाना की सम्पत्ति धेवते को मिले तो धेवते के बेटे नाती और पन्ती के लिये वह जायदाद मौरूसी जायदाद होगी और जन्म लेते ही उस में स्वत्व पैदा होजायगा परन्तु अलाहाबाद हाई कोर्ट का मत इस के बिलकुल विरुद्ध है वह उस को मौरूसी जायदाद नहीं मानती वरन् उसे पृथक्क सम्पत्ति कहती है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। केवल बाप बाबा, और पर बाबा की जायदाद ही मौरूसी जायदाद हो सकती है, न कि नाना की। परबाबा के बाप की जायदाद भी मौरूसी नहीं है न और किसी रिश्तेदार से मली हुई जायदाद ही मौरूसी हो सकती है।

बटवारे की जायदाद

यदि कोई मनुष्य मौरूसी जायदाद में से बटवारा करा ले तो वह उस के बेटे नाती या पन्ती के लिये चाहे वह बटवारे से पहले या पीछे उत्पन्न हो, मौरूसी जायदाद है।

हिबा या वसीयत की

जायदाद

यदि कोई मनुष्य अपनी पृथक्क सम्पत्ति को हिबा या वसीयत द्वारा अपने लड़के को देतो वह जायदाद उस लड़के के लड़के, नाती आदि के लिये मौरूसी होगी या नहीं, यह विषय भी बड़ा विवाद ग्रस्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसी जायदाद को मौरूसी जायदाद कहती है परन्तु दूसरी हाईकोर्टों का मत इस के विपरीत है।

अन्य रिश्तेदारों की जायदाद

बाप, बाबा या परबाबा के सिवाय अन्य रिश्तेदारों से मिली हुई जायदाद मौरूसी जायदाद नहीं है वरन वह पृथक जायदाद है और वह मनुष्य जिसे ऐसी जायदाद मिले उसे वै, रहन हिबा या वसीयत [illegible] मुन्तकिल कर सकता है। यदि किसी मनुष्य ने किसी जायदाद

की आमदनी अपनी स्त्री को वता रखी है और उस स्त्री के मरने पश्चात वह जायदाद उस के लडेक को मिले तो वह जायदाद उस लडके के हाथ में मौरूसी जायदाद है।

मौरूसी जायदाद पर

पिता का अधिकार

यद्यपि पैतृक सम्पत्ति में पिता के स्वत्व से पुत्र का स्वत्व स्वाधीन होता है परन्तु पिता अपने निज के करजे की अदायगी में मौरूसी जायदाद को रहन वै कर सकता है क्यों कि हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार पिता के करजे की अदायगी का जुम्मेदार पुत्र भी है बशर्तेकि वह करज़ा नाजाइज़ गरज़ के के लिये न लिया गया हो।

पृथक और शामिलात

सम्पत्ति

यदि कोई मनुष्य अपनी पृथक सम्पत्ति को किसी शामिलात सम्पत्ति में शामिल करदे और अपने तमाम दावों से दस्तबरदार हो जाय तो वह भी खानदान मुश्तरका की शामिलात सम्पत्ति मानी जायगी।

सयुक्तत: प्राप्त सम्पत्ति

यदि खानदान मुश्तरका के सम्मिलित मेम्बर अपने संयुक्त श्रम से मौरूसी जायदाद की सहायता से कोई सम्पत्ति पैदा करें तो वह मौरूसी सम्पत्ति होगी।

और यदि मौरूसी जायदाद की सहायता बिना प्राप्त करें तो वह मौरूसी जायदाद न होगी, वरन वह उन पैदा करने वालों की शामिलात सम्पत्ति होगी। परन्तु ऐसी जायदाद में बेटे नाती आदि का जन्म द्वारा स्वत्व पैदा न होगा।

मौरूसी व्यापार

किसी हिन्दू के मर जाने पर उस का व्यापार उस के लड़के नाती आदि को मिलेगा और वह कुल का संयुक्त व्यापार समझा जायगा। ऐसे व्यापार में खानदानी साझा होगा परन्तु यह खानदानी साझा, साधारण साझे की तरह, खानदान के किसी मेम्बर के मरजाने पर टूट न जायगा। यदि खानदानी कारबार से कोई मेम्बर पृथक हो जाय तो वह पहिले नफे नुकसान का हिसाब नहीं मांग सकता जैसा कि साधारण शिराकत के कार बार में होता है।

यह अनुमान नहीं किया जासकता कि यदि खानदान मुश्तरका का कोई मेम्बर व्यवसाय करे तो वह व्यवसाय खानदान का संयुक्त व्यवसाय है।

खानदान मुश्तरका के व्यापार के मैनेजर को बहुत अधिकार हैं। वह खानदान की ओर से किसी अन्य आदमी के साथ शिराकत कर सकता है, और वह खानदानी व्यापार के लिये कर्ज लेदे सकता है। यह अधिकार प्रबन्धकर्त्ता के सिवाय खानदान के किसी अन्य मेम्बर को नहीं होता। ऐसे करजों के लिये कुल खानदानी जायदाद जुम्मेदार होती है।

साधारण शिराकत में, करजे के लिये, शिराकत की जायदाद के सिवाय हर हिस्सेदार की पृथक सम्पत्ति भी जुम्मेदार होती है परन्तु खानदानी शिराकत में ऐसा नहीं होता, केवल खानदान मुश्तरका की जायदाद ही जुम्मेदार होगी परन्तु प्रबन्धकर्त्ता की पृथक सम्पत्ति भी जुम्मेदार होती है।

पृथक सम्पत्ति

निम्न लिखित जायदाद पृथक या स्वार्जित सम्पत्ति कहलाती है:-

१, अपने बाप, बाबा वा परबाबा के सिवाय किसी और रिश्तेदार से मिली हुई जायदाद,

२, अपनी खानदानी चल सम्पत्ति के थोड़े से अंश को प्रेम वश अपने लड़के, लड़की, पत्नि या लड़के की स्त्री को दे देना।

३, सरकारी वजीफ़ा जो किसी मेम्बर को मिले।

४, अपनी महनत से कमाया हुआ धन।

५, खानदानी जायदाद की सहायता बिना कमाया हुआ धन।
६, मौरूसी जायदाद खानदान से निकल गई हो परन्तु किसी मेम्बर ने खानदानी जायदाद की सहायता बिना प्राप्त कर लिया हो।
७, पृथक जायदाद की आमदनी और जो कुछ सम्पत्ति कि उस से खरीदी जाय।

विशेष पैतृक सम्पत्ति

निम्न लिखित चीजें भी मौरूसी सम्पत्ति में शामिल हैं:—
१, मौरूसी जायदाद की आमदनी,
२. मौरूसी जायदाद की आमदनी या मदद से खरीदी हुई या पैदा की हुई जायदाद।
३, मौरूसी जायदाद की बिक्री का रुपया।
४, या उस से खरीदी हुई सम्पत्ति।

कर्त्ता



नदान मुश्तरका की जायदाद का प्रबन्ध पिता या खानदान का बड़ा मेम्बर करता है उस को 'कर्त्ता' कहते हैं। परन्तु धर्मशास्त्र ने उस को प्रभु या स्वामी के नाम से पुकारा है।

कर्त्ता चूंकि खानदान का मुखिया होता है अतएव उस को खानदान की आमदनी और खर्च पर पूरा अधिकार होता है और बची हुई रकम उसी के पास रहती है।

कुल की आवश्यकताओं, अर्थात रोटी कपड़ा, शिक्षा, विवाह, श्राद्ध और धार्मिक बातों के लिये वह चाहे जितना व्यय कर सकता है, अन्य मेम्बर उसे रोक नहीं सकते। परन्तु अन्य बातों में यदि वह ख़र्च करेगा तो कर्त्ता उस का ज़िम्मेदार होगा।

अविभक्त कुल का यदि कोई मेम्बर मौरूसी सम्पत्ति का बटवारा कराना चाहे तो मैनेजर को हिसाब देना होगा कि यह व्यय हुआ और यह बाकी है। यदि कोई रकम गबन हुई होगी तो उस का ज़िम्मेदार कर्त्ता होगा।

कर्त्ता को खानदानी कारवार को चलाने के लिये करजा लेने ही का अधिकार नहीं है प्रत्युत उसे मुआहिदेदा करने, रसीद देने, राजीनामा करने और दूसरे दावों के भुगताने का भी अधिकार है।

कर्त्ता के अन्य अधिकार

कर्त्ता को अधिकार है कि वह खानदान मुश्तरका की जायदाद को बालिग मेम्बरों की सम्मति से रहन या बै करे, और यदि मेम्बर नाबालिग होतो खानदानी आवश्यकताओं (जैसे सरकारी माल गुजारी, मेम्बरों का रोटी कपड़ा, उनकी, लडकी लडकों की शादी, आदि) या खानदानी कारवार के करजे के चुकाने के लिये रहन या बै करे।

सरकारी मालगुजारी या करजे का देना, खानदान मुश्तरका के मेम्बरों को रोटी कपड़ा देना, उन के लड़के लड़कियों की शादी करना, उन का मृतक संस्कार करना या खानदानी जायदाद को बचाने या काइम रखने में रूपया खर्च करना आदि बातें खानदानी आवश्यकताएं हैं, इन्हीं आवश्यकताओं के लिये कर्त्ता नाबालिग मेम्बर होने की दशा में करजा ले सकता है यदि आवश्यकता बहुत ही जरूरी हो और बालिग सहभागियों (Coparcener) की स्पष्ट सम्मति प्राप्त होने में दिक्कत हो तो उनकी सम्मति मान ली जायगी।

कर्त्ता को अधिकार नहीं है कि वह किसी ऐसे करजे को स्वीकार करे जिस की मीयाद चली गई हो परन्तु उसे मीयाद बढाने के लिये करज़े के स्वीकार करने या सूद अदा करने का अधिकार है।

खानदान मुश्तरका की नालिशें न कर्ता की ओर से और न कर्ता के विरुद्ध हो सकती हैं परन्तु यदि लैन दैन आदि में जहां कर्ता अपने नाम से मुआहिदा कर सकता है वहां वह अकेला नालिश भी कर सकता है।

यदि किसी खानदान के विरुद्ध नालिश करना हो तो उस के कुल मेम्बरों को मुद्दाइले बनाना चाहिये। मैनेजर के विरुद्ध डिग्री उसी के हिस्से के खिलाफ़ जारी हो सकती है परन्तु यदि मैनेजर खानदान का प्रतिनिधि हो और करजा उस ने खानदानी आवश्यकताओं के लिये लिया, हो तो खानदान मुश्तरका की जायदाद

के विरुद्ध डिग्री जारी कराई जा सकती है और यदि डिगरी कर्ता की जात खास पर हुई हो तो उस का इजराय भी उसी के हिस्से तक होगा ।

सहभागियों का अधिकार



सी समांशि (Coparcener) को खानदान मुश्तरका की जायदाद में विशेष स्वत्व नहीं होता और न किसी का विशेष रूप से क़बजा ही होता है।

यह नहीं कहा जा सकता कि खानदानी जायदाद में किस का कितना हिस्सा है क्यों कि प्रत्येक सहभागी का हिस्सा खानदानी मेम्बरों के पैदा होने के साथ घटता और मरने के साथ बढ़ता है इस लिये जब तक कि बटवारा न हो जाय किसी के हिस्से को भी निश्चित नहीं कहा जासकता और न खानदानी जायदाद की आमदनी सम्बन्धी हिस्से के विषय में ही कहा जा सकता है ।

समस्त सहभागियों का खानदानी सम्पत्ति पर सम्मिलित कबजा रहता है । यदि एक समांशि को अन्य समांशि सम्मिलित कबजे से वञ्चित कर दे तो वह अपने अधिकार के लिये नालिश कर सकता है और अदालत उस को सम्मिलत कबजा दिला सकती है

प्रत्येक समांशि खानदानी जायदाद के प्रबन्ध का हिसाब मांग सकता है और खानदान मुश्तरका की जायदाद का बटवारा करा सकता है परन्तु वह जायदाद के अविभक्त स्वत्व को हिबा या वसीयत द्वारा मुन्तकिल नहीं कर सकता । और न जायदाद की हैसियत, अन्य समांशियों की सम्मति बिना, इमारत आदि बना कर, बिगाड़ सकता है ।

खानदान मुश्तरका की जायदाद के समांशियों में जो कर्ता या पिता हो उस को अन्य समांशियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होते हैं जैसा कि हम पहिले दिखला चुके हैं ।

किसी समांशि के मर जाने पर उस का स्वत्व जानशीनी द्वारा नहीं पहुंचता वरन् एक सांझी द्वारा पहुंचता है ।

इन्तक़ाल



पर्युक्त वर्णित बातों से पता चलता है कि खानदान मुश्तरका की जायदाद को चार ही आदमी मुन्तकिल कर सकते हैं। या तो सब ही बालिग समांशि मिल कर करें या पिता या मैनेजर या जब कि समांशि अकेला रह जाय तो वह समांशि (Coparcener)

यदि किसी खानदान मुश्तरका की जायदाद के सब ही समांशि यदि बालिग हों तो वह जब चाहे तब मिल कर या उनकी सम्मति से रहन, बै, हिवा या वसीयत द्वारा मुन्तकिल कर सकते हैं परन्तु जहां पर सब ही समांशि बालिग नही होते वहां कर्त्ता (manager) या पिता करता है।

कर्त्ता जब जायदाद का इन्तकाल करेगा उसे बालिग मम्बरों की सम्मति लेना होगी और नाबालिगों की दशामें वह खानदानी आवश्यकताओं के लिये ही जायदाद को रहन या बै कर सकता है। पिता भी इसी प्रकार खानदानी जायदाद को मुन्तकिल कर सकता है परन्तु उसको कुछ विशेष अधिकार और हैं, अर्थात वह चल सम्पत्ति के एक न्यूनांश को चाहे जिस दे सकता है या वह अपने करज़े में, बशर्ते कि करज़ा अनुचित न हो, चल या अचल सम्पत्ति को रहन या बै कर सकता है तथा किसी मूर्त्ति की संरक्षा के लिये अचल सम्पत्ति के न्यूनांश को अलग कर सकता है। इनके अतिरिक्त पिता को मैनेजर से अधिक अधिकार नही है।

यदि किसी अविभक्त कुल में एक ही मेम्बर या समांशि रह गया हो तो वह कुल जायदाद को अपनी पृथक जायदाद की भांति मुन्तकिल कर सकता है। मुन्तकिल करने पश्चात यदि उस के लड़का पैदा हो, वह रहन, बै या हिवा की दशा में कोई एतराज नही कर सकता परन्तु वसीयत द्वारा संक्रम अर्थात इन्तकाल को नाजाइज करा सकता है क्योंकि वसीयत का प्रभाव मृत्यु पश्चात होता है।

कोई भी समांशि किसी जायदाद खानदान मुश्तरका के

अविभक्त स्वत्व को हिवा या वसीयत द्वारा मुन्तकिल नहीं कर सकता परन्तु पृथक सम्पत्ति को चाहे जैसे मुन्तकिल कर सकता है।

बम्बई और मदरास हाई कोर्ट के अनुसार प्रत्येक समांशि को खानदान मुश्तरका की जायदाद में अपने अविभक्त स्वत्व को वेचने रहन करने आदि का स्वत्व प्राप्त है परन्तु अलाहाबाद हाईकोर्ट का मत इस के विरुद्ध है।

यदि किसी समांशि के विरुद्ध डिगरी हो तो उस के जीते जी ही खानदान मुश्तरका में उस का अविभक्त स्वत्व कुर्क हो सकता है। उस के मरने के बाद उस का स्वत्व कुर्क और नीलाम नहीं हो सकता। यदि उस के जीते जी कुर्की हो जाय तो उसके मरने के बाद नीलाम हो सकता है अन्यथा नहीं।

परन्तु यह रिआयत पिता के विरुद्ध डिगरी होने की दशा में नहीं है। पिता के मरने पश्चात भी उस का हिस्सा कुर्क और नीलाम हो सकता है। उस का ही हिस्सा नहीं, वरन उस के बेटे का भी क्योंकि पिता का ऋण चुकाना प्रत्येक पुत्र का धर्म बतलाया गया है बशर्तेकि पिता का लिया हुआ करजा अनुचित न हो। यदि पिता ने अनुचित अभिप्राय के लिये करजा लिया होगा तो उस के मरने के पश्चात भी उस का हिस्सा कुर्क और नीलाम नहीं हो सकता। बेटे का हिस्सा कुर्क और नीलाम होना तो दूसरी बात है।

किसी सहभागी का खानदान मुश्तरका का अविभक्त स्वत्व बिक भले ही गया हो परन्तु बटवारा होने तक उस की स्थिति खानदान में समान बनी रहती है क्यों कि किसी अन्य समांशि के मर जाने पर उस को पस मांदगी (by survivorship) द्वारा हिस्सा अवश्य मिलता है।

जब खानदान मुश्तरका की जायदाद का कोई अंश नीलाम आदि द्वारा बिक जाय तो खरीदार को भी सम्मिलित कब्जा मिल जाता है। उसे कोई विशेष कब्जा नहीं दिया जाता। हां यदि वह बटवारा कराये तो उसे खानदान मुश्तरका की जायदाद में से हिस्सा बट कर अवश्य मिल जायगा।

यदि खानदान मुश्तरका की कई जायदादें हों और उन में से किसी एक का कोई अंश बिका हो तो खरीदार को कुल जायदादों के बटवारे की नालिश करना चाहिये या उसी जायदाद के सम्बन्ध में कि जिसके किसी एक अंश का वह खरीदार है। इस प्रश्न पर सब हाईकोर्टों के भिन्न २ मत हैं। कोई कहती है कि सब जायदादों को शामिल करना उचित है और कोई इस के विरुद्ध है। हमारी अलाहाबाद हाईकोर्ट का मत यही है कि खरीदार को कुल जायदादें शामिल करने की आवश्यकता नही, जिस जायदाद का अंश उस ने खरीद किया है उसी का बटवारा उसे कराना चाहिये, परन्तु बम्बई, मदरास और कलकत्ता इस से भिन्न मत रखते हैं।

यह हम पहिले बतला चुके हैं कि खानदान मुश्तरका की जायदाद में किसी समांशि का स्वत्व निश्चित नही होता वह अन्य समांशियों के मरने के साथ बढ़ता और उत्पन्न होने के साथ घटता रहता है। जब समांशि का आविभक्त स्वत्व बिक जाता है तो खरीदार उसका स्थानापन्न हो जाता है परन्तु स्थानापन्न अर्थात खरीदार के उस खरीदे हुए स्वत्व की और अन्य समांशियों के स्वत्व की भिन्न दशा रहती है अर्थात खरीदार का स्वत्व अन्य समांशियों के उत्पन्न होने के साथ घट तो जाता है परन्तु मरने के साथ बढ़ता नही है।

प्रत्येक समांशि को अधिकार है कि खानदान मुश्तरका की जायदाद में स्थित अपने अविभक्त स्वत्व को परित्याग करदे परन्तु प्रश्न यह है कि वह किसी विशेष समांशि के हक में परित्याग कर सकता है या शेष सब समांशियों के हक में, मदरास हाई कोर्ट के अतिरिक्त सब ही हाईकोर्टों का मत है कि कोई समांशि अपने स्वत्व को शेष सब के प्रति परित्याग कर सकता है परन्तु मदरास हाईकोर्ट कहती है कि जब कि अन्य सब के हक में स्वत्व परित्याग किया जा सकता है तो कोई वजह नहीं है कि उन में से किसी एक के हक में, जिसे मदद की आवश्यकता हो, स्वत्व परित्याग न होसके।

नालिशें



खानदान मुश्तरका की जायदाद सम्बन्धी नालिशों के लिये यह परमावश्यक है कि कुल मेम्बरों को मुद्दई या मुद्दाइलै (जैसी दशा हो) बनाया जाय क्यों कि हर एक समांशि को खानदान मुश्तरका की जायदाद के हर एक भाग में बराबर का स्वत्व प्राप्त है अतएव एक समांशि कुल खानदान की ओर से नालिश नहीं कर सकता। सब ही समांशियों को नालिश में शामिल होना चाहिये। यदि वह मुद्दई के रूप में शामिल न हों तो उन को मुद्दाइलै बना लेना चाहिये।

खानदान मुश्तरका की जायदाद पर कबजा दिला पाने या काश्तकार या किराये दार को बेदखल करने या करजा दिला पाने की नालिश में खानदान के सब ही समांशियों को मुद्दई बनना आवश्यक है।

कुल खानदान की ओर से अकेले कर्त्ता को नालिश करने का अधिकार है या नहीं, यह विषय विवाद ग्रस्त है। हमारी अलाहाबाद हाई कोर्ट का मत है कि मैनेजर को खानदान के कुल मेम्बरों की ओर से अकेले नालिश करने का अधिकार नहीं है परन्तु प्रीवी कौन्सिल ने यह तै कर दिया है कि खानदान मुश्तरका सम्बन्धी लैन दैन आदि के मामलों में जहां कि लैन दैन अकेले मैनेजर के नाम से हुआ है मैनेजर (कर्त्ता) को नालिश करने का सर्वथा अधिकार है।

खानदान मुश्तरका सम्बन्धी नालिशों में जिनमें कुल समांशियों को मुद्दई बनना चाहिये था यदि एक या अधिक समांशियों ने नालिश की हो तो अदालत या तो स्वयं या मुद्दई या मुद्दाइलै की दरख्वास्त पर अन्य समांशियों को फरीक मुकद्दमा बना सकती है

यदि कोई मनुष्य खानदान मुश्तरका की जायदाद पर मुकद्दमे की कार्रवाई करना चाहे तो उसे खानदान मुश्तरका के कुल मेम्बरों को मुद्दाइलै बना लेना चाहिये। यदि वह कुल मेम्बरों को मुद्दाइलै

न वनावेगा वरन एक ही मेम्वर को मुद्दाइलै वनावेगा तो डिगरी उसी के हिस्से के विरुद्ध जारी हो सकती है।

परन्तु यदि डिगरी मैनेजर के विरुद्ध हो और वह मैनेजर खानदान मुश्तरका के मेम्बरों का प्रतिनिधि हो तो डिगरी कुल खानदान मुश्तरका की जायदाद के विरुद्ध जारी कराई जा सकती है। परन्तु वह डिगरी ऐसे करजे के सम्बन्ध में होना चाहिये जो खानदानी आवश्यकताओं के लिये लिया गया हो। और यदि करजा खानदानी हो भी परन्तु यदि डिगरी मैनेजर की जात पर हो तो उस का इजराय खानदान मुश्तरका की कुल जायदाद के विरुद्ध न हो सकैगा वरन् केवल उसी के हिस्से के विरुद्ध होगा।



प्रमाण-भार

Burden of proof वार सुबूत

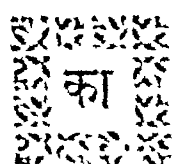


फीफे के सिवाय दीवानी के सभी मुकद्दमों में विवेच्य विषय (Issues या तनकीहात) स्थिर किये जाते है। ऐसी नालिशों में जहां कि मैनेजर ने खानदानी आवश्यकता के लिये खानदान मुश्तरका की जायदाद को रहन रखा, बेचा या और प्रकार मुन्तकिल किया हो,यह विवेच्य विषय, ऐसे उजर होनेकी दशा मे,अवश्य ही स्थिर होगा, कि आया कर्त्ता ने जायदाद मुश्तरका को किसी जायज जरूरत के लेये रहन या वै या और प्रकार मुन्तकिल किया। इस विवेच्य विषय अर्थात तनकीह के साबित करने का भार मुर्त्तहिन या खरीदार पर होगा क्यों कि मुर्त्तहिन या खरीदार का यह कर्त्तव्य है कि वह जायदाद के रहन होने या खरीदने के पहले इस वात की तहकीकात करले कि किस जायज जरूरत के लिये कर्त्ता जायदाद मुश्तरका को रहन या वै कर रहा है। यह वात हम पहले कह आये हैं कि खानदानी आवश्यकता (जायज जरूरत) के लिये

ही जायदाद मुश्तरका को रहन या बै कर सकता है। इस लिये इस बात का साबित करना कि कर्त्ता ने जायदाद खानदान मुश्तरका को जरूरत जायज अर्थात खानदानी आवश्यकता के लिये ही रहन, बै किया, मुर्त्तहिन या खरीदार के ऊपर है। यदि यह बात सिद्ध होगई तब तो कोई झगडा ही बाकी नहीं रहा, वह रहन या बै बहाल रहेगा, मंसूख न हो सकेगा। यदि मान भी लो कि मुर्त्तहिन या खरीदार यह बात साबित न कर सके कि जायदाद खानदान मुश्तरका को जरूरत जायज के लिये कर्त्ता ने रहन या बै किया तो ऐसी दशा में यदि मुर्त्तहिन या खरीदार यह साबित करदे कि उस ने रहन या बै से पहले इस बात की तहकीकात की थी और जो बातें उसे मालूम हुई थी वह अवश्य ऐसी ही थी जिनसे जरूरत का जायज होना ही साबित होता था तो भी वह रहन या बै मंसूख न हो सकेगा। इस से यह पता चलता है कि मुर्त्तहिन या खरीदार का यह परम कर्त्तव्य है कि कर्त्ता से जायदाद मुश्तरका रहन या बै लेते समय खानदानी आवश्यकता के सम्बन्धमें अवश्य ही पूरी तहकीकात करले, परन्तु रहन या बै से आया हुआ रुपया उस खानदानी आवश्यकता के पूरा करने में लगाया गया, यह बात मुर्त्तहिन या खरीदार के साबित करने की नहीं है और न उसे इस बात से कोई सरोकार ही है क्यों कि रुपया कर्त्ता के हाथ में पहुंच जाने से उस पर मुर्त्तहिन या खरीदार का कोई अधिकार नहीं रह जाता।

यदि कर्त्ता ने पारवारिक सामान्य व्यवसाय के लिये कोई कर्ज आदि लिया हो तो ऐसी दशा में न तो उक्त तहकीकात की ही आवश्यकता है और न उक्त बातें प्रमाणित करने की।

संक्रम निषेध



कानून मिताक्षरा के अनुसार खानदान मुश्तरका के किसी मेम्बर को अपने स्वत्व के हिबा करने का अधिकार नहीं है, परन्तु पिता को इस विषय में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिन का वर्णन हम पहिले कर चुके हैं।

मदरास और बम्बई प्रेजीडेन्सी में चूंकि प्रत्येक समांशि को अपने स्वत्व के रहन, बै करने का हक़ प्राप्त है इस लिये यदि कोई समांशि अपने स्वत्व से अधिकांश का रहन, या बै कर दे तो अन्य समांशियों को अधिकार है कि वह अधिकांश के मंसूख कराने की नालिश करें परन्तु वह कुल रहन या बै को मंसूख नहीं करा सकते।

परन्तु बंगाल और संयुक्त प्रान्त में और ही दशा है। यहां कोई समांशि प्रथम तो अपने स्वत्व को रहन या बै कर ही नहीं सकता और यदि करे तो अन्य समांशियों की सम्मति से, अन्यथा वह रहन या बै मंसूख हो सकेगी। यही बात अपने से अधिक स्वत्व के रहन या बै करने की दशा में है।

यह परमावश्यक है कि इस विषय को अच्छे प्रकार समझ लिया जाय। खानदान मुश्तरका का कोई भी समांशि या मेम्बर जो कानून विरुद्ध संक्रम (इन्तकाल) के समय जीवित हो ऐसे संक्रम के विषय में आपत्ति कर सकता है वरन यदि समांशि कानून विरुद्ध संक्रम के समय अपनी मा के गर्भ में हो तो भी वह कानून विरुद्ध संक्रम के विषय में आपत्ति कर सकता है।

मान लो कि पिता ने जायदाद मौरूसी को, जब तक कि उस के यहां पुत्र उत्पन्न भी न हुआ था, किसी के नाम हिबा कर दिया परन्तु हिबा करने के चार महीने बाद ही उस के लड़का पैदा हो गया, तो ऐसी दशा में लड़के को अधिकार है कि वह हिबा को मंसूख कराये। परन्तु यदि तारीख इन्तकाल अर्थात संक्रम के समय के पश्चात लड़का गोद रखा जाय तो उस को उस संक्रम अर्थात इन्तकाल के मंसूख कराने का हक पैदा न होगा।

क़रज़ा

[क़ानून मिताक्षरा के अनुसार]

इस ' करजा ' शीर्षक लेख में हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि एक हिन्दू जो अपने निज के लिये करज ले वह किस तरह से वसूल किया जा सकता है। यह हम पहिले संक्षेप में कह

आये हैं कि मुश्तरका खानदान के लिये लिया हुआ करज़ा खानदान मुश्तरका की जायदाद से वसूल किया जा सकता है परन्तु निज के लिये लिया हुआ करज़ा खानदान मुश्तरका की जायदाद से मदयून के मर जाने पर उसी दशा में वसूल होगा जब कि उसके जीते जी वह कुर्क हो चुकी हो। अन्य दशा में उस की पृथक सम्पत्ति ही उस करजे के लिये जुम्मे दार होगी। परन्तु पिता या दादा द्वारा लिया हुआ करज़ा, चाहे खानदान मुश्तरका की जायदाद उन के जीते जी कुर्क भी न हुई हो तो भी, उक्त जायदाद से वसूल हो सकता है, यही नहीं, ऐसा करजा बेटे और नाती के हिस्से से भी वसूल हो सकता है, परन्तु हम इन तमाम बातों को यहां और विस्तार से लिखेंगे ताकि लोग और भी अच्छे प्रकार इस विषय को समझ लें।

यदि कोई हिन्दू करज़ा ले तो उस के मरने पर कैसे और किस से करजा वसूल हो सकेगा यह बात जानने की बडी भारी जरूरत है। खानदानी काम के लिये लिया हुआ करजा खानदान मुश्तरका की जायदाद से वसूल हो जायगा अतएव हम को इस विषय पर और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ अब तक लिखा है वही काफी है परन्तु यहां पर हम केवल उसी करजे के सम्बन्ध में जिक्र करेंगे जो अपने जाती कामों के लिये लिया जाय।

जाती करज़े के लिये या तो मदयून की पृथक सम्पत्ति जुम्मेदार हो सकती है और या उस का वह स्वत्व जो खानदान मुश्तरका की जायदाद में हो अतएव देखना यह है कि किसी हिन्दू के मर जाने पर उस की सम्पत्ति किस को पहुंचती है जिस के द्वारा कि करज़ा वसूल हो सके। हम पहिले कह आये हैं कि किसी हिन्दू के मर जाने पर उस की पृथक सम्पत्ति उस के वारिसों को पहुंचेगी, यह वारिस उस मृत हिन्दू के चाहे लड़के, नाती हों या अन्य रिश्तेदार, इसी प्रकार खानदान मुश्तरका की जायदाद का हिस्सा उस के समांशियों को मिलेगा, यह समांशी भी उस मृत हिन्दू के लड़के, नाती हों या अन्य रिश्तेदार अतएव करज़ा मृत हिन्दू मदयून के वारिस और समांशियों से वसूल किया जा सकता है।

यह हम पहिले कह चुके हैं कि वाप के करजे का जुम्मेदार वेटा होता है, यही नही, वरन वावा के करजे का नाती भी जुम्मेदार होता है, परन्तु वाप या वावा के करजे के लिये वेटे या नाती की जाती जायदाद जुम्मेदार न होगी अर्थात् वही जायदाद जुम्मेदार होगी जो वाप या वावा के मरने पर वेटे या नाती के पास पहुंची हो। इसी प्रकार किसी मृत हिन्दू का करजा उस के वारिस से उसी हद तक वसूल किया जा सकता है जहां तक कि उस मृत हिन्दू की जायदाद उस वारिस के पास पहुंची हो। अर्थात वारिस की जाती जायदाद से ऐसा करजा वसूल नही हो सकता। परन्तु यदि एक सहभागी, समांशि (Coparcener) ने करजा लिया हो और उस पर डिगरी भी होगई हो तो उस के जीवान काल में ही उस के हिस्से की संयुक्त जायदाद की कुर्की और नीलाम से ही करजे का रुपया वसूल हो सकता है परन्तु यदि वह कुर्की से पहिले ही मरजाय तो चूंकि जायदाद में से उसका अविभक्त अंश शेष उत्तराधिकारियों (Survivors वारिसान पस मांदगान) को पहुंच जायगा इस लिये उस जायदाद या उस के भाग से उस डिगरी का रुपया वसूल नही हो सकता।

यदि वाप और वेटे अविभक्त कुल के मेम्वर न हों, अर्थात शामिल न रहते हों तो वेटा वाप की जिन्दगी में उस के जाती करजे का जुम्मेदार न होगा, हां, वाप के मर जाने पश्चात वह उस हद तक वाप के ऋण के चुकाने का जुम्मेदार होगा जहां तक कि उस वाप की सम्पत्ति पहुंची हो। परन्तु यदि वाप और वेटे शामिल शरीक रहते हों तो वाप के जीवन में ही वेटे वाप के ऋण के चुकाने के जुम्मेदार होंगे और यदि वाप मर जाय तो वाप और वेटों की मुश्तरका जायदाद (संयुक्त सम्पत्ति) से रुपया वसूल हो सकता है परन्तु ऐसी दशा में भी वेटों की पृथक जायदाद से रुपया वसूल नही हो सकता।

मान लो क वाप और ख वेटा दोनों अविभक्त कुलके मेम्वर हैं उन की जायदाद शामिल शरीक है अर्थात वह सहभागी या समांशि (Coparceners) हैं। क ने चाहे अपने ही काम के लिये रुपया कर्ज लिया हो परन्तु वह किसी बुरे काम के लिये न लिया हो तो

बाप के जीवन काल मे और उस के मरने के पश्चात उस सम्पत्ति में बेटे का अविभक्त भाग बाप के करजे के चुकाने का जुम्मेदार होगा परन्तु यदि बेटे के पास उस की स्वोपार्जित सम्पत्ति (Self acquired property) हो तो वह उस ऋण के चुकाने के लिये जुम्मेदार नही है। बाप ने चाहे किसी अभिप्राय के लिये कर्ज लिया हो सहभाग (Coparcenary) सम्पत्ति में उस का भाग उस ऋण के चुकाने का जुम्मेदार है परन्तु बेटे का हिस्सा उसी दशा में बाप के ऋण के चुकाने का जुम्मेदार होगा जब कि बाप ने किसी बुरे अभिप्राय के लिये रुपया न लिया हो। इस लिये ऋण दाता (Creditor कर्ज खाह) बाप के ऋण के सम्बन्ध में बाप और बेटे दोनों ही को प्रतिवादी (मुद्दाइलै defendants) बना कर नालिश कर सकता है और उन दोनो की अविभक्त जायदाद की कुर्की और नीलाम से ऋण वसूल कर सका है, बशर्ते कि वह ऋण बाप ने बुरे अभिप्राय के लिये न लिया हो या वह अकेले बाप पर डिगरी करा कर बाप और बेटे की संयुक्त जायदाद के विरुद्ध उस डिगरी को जारी करा सकता है। इस से इस बात का पता चलता है कि बाप या बाबा को अपनी सह भाग सम्पत्ति पर बहुत कुछ अधिकार है। वह अपने पिछले करजे के लिये सहभाग सम्पत्ति को जिस मे उस के बेटे या नाती का हिस्सा भी शामिल हो रहन या बै कर सकता है परन्तु वह पहिला करजा बुरे अभिप्राय के लिये न लिया गया हो। उस रहन या बै करने के लिये नातियों की सम्मति या सह मति की आवश्यकता भी नहीं है परन्तु यदि यह प्रमाणित हो जाय कि बाप ने बुरे अभिप्राय के लिये पहिला ऋण लिया था और मुर्त्तहिन या खरीदार इस बात को जानता था तो बेटे नातियों का हिस्सा उस रहन या बै से रक्षित हो जायगा।

हम इस बात को उदाहरण देकर समझाये देते हैं। मान लो कि क और उस का बेटा ख अविभक्त कुल के मेम्बर हैं अर्थात वह शामिल शरीक रहते हैं। क पर ग का १०००) कर्ज चाहिये परन्तु यह कर्ज किसी बुरे अभिप्राय के लिये लिया गया था। इस ऋण को चुकाने के लिये क ने अविभक्त कुल की सम्पत्ति को जिस में ख का हिस्सा भी शामिल है घ के हाथ बेच दिया। यद्यपि खरीदते समय घ इस बात को जानता था कि क ने ग से १०००) बुरे

अभिप्राय से लिया था तो ख का हिस्सा बच जायगा और घ उस को नही पा सकता।

यदि पिता अपने पुराने ऋण की वेबाकी में अपनी सहभाग सम्पत्ति (Coparcenary property) को जिस में उस के बेटे का स्वत्व भी शामिल है रहन रखदे और बेटे ने उस रहन नामे पर दस्तखत न किये हों तो ऐसी दशा में मुर्तहिन (जिस मनुष्य के यहां कि जायदाद रहन रखी गई हो) को अधिकार है कि वह बेटों को भी नालिश में फरीक बनाये और बाप और बेटे दोनों के विरुद्ध अपनी डिगरी कराये, परन्तु बेटों का फरीक नालिश बनाया जाना परमावश्यकीय है।



अविभक्त कुल

या

ख़ानदान मुश्तरका

[दाय भाग के अनुसार]

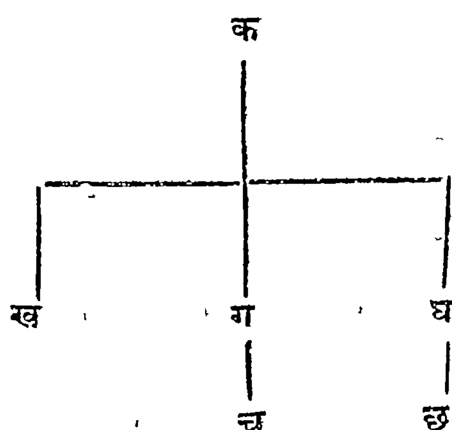
हम ने पीछे जो कुछ वर्णन किया है वह सब मिताक्षरा कानून के अनुसार है। अब हम दाय भाग के अनुसार अविभक्त कुल का वर्णन करते हैं।

कानून मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में अपना जन्म लेते ही स्वत्व प्राप्त हो जाता है तथा पिता के मरण पश्चात उस को सम्पत्ति शेष अधिकारी (मालिक पसमांदा Survivor) के रूप में मिलती है न कि उत्तराधिकारी (वारिस heir) के रूप में। परन्तु दाय भाग का कानून इस के निरन्तर विरुद्ध है। दाय भाग कानून के अनुसार पिता के मरने पर पिता की सम्पत्ति में पुत्र को स्वत्व प्राप्त होता है और वह भी उत्तराधिकारी के रूप में, न कि शेष अधिकारी के रूप में। यही कारण है कि पिता पुत्र की बिना सम्मति के अपनी स्वोपार्जित (Self acquired) और पैत्रिक सम्पत्ति को विक्रय, दान आदि द्वारा पृथक (Transfer मुन्तकिल. संक्रम) कर सकता है। पिता अपनी सम्पत्ति का सम्पूर्णतः स्वामी है उस के मरने से पहिले पुत्र को उस में किसी प्रकार का स्वत्व नहीं मिलता। न वह पिता से हिस्सा मांग सकता है और न पिता की सम्पत्ति का बटवारा ही करा सकता है।

जिस प्रकार कानून मिताक्षरा के अनुसार तीन पीढ़ियों तक स्वत्व पहुंचता है उसी प्रकार दाय भाग कानून के अनुसार भी तीन ही पीढ़ियों तक स्वत्व पहुंचता है अर्थात पिता, पितामह (बाबा) या पर पितामह (पर बाबा या पर दादा) से स्वत्व पहुंचता है। अन्तर केवल इतना ही है कि दाय भाग के अनुसार जन्म के साथ स्वत्व पैदा नहीं होता यही कारण है कि पिता और

बेटे जिस प्रकार मिताक्षरा के अनुसार समांशि होते है दाय भाग के अनुसार नही होते वरन बाप के मर जाने पर यदि कई बेटे हों तो वह सह भागी (Coparceners) होजाते हैं तब वह सम्पत्ति सह'भाग (Coparcenary property) कहलाती है।

यदि एक सहभागी मर जाय तो उस के उत्तराधिकारी (वारिस heirs) वह चाहे मर्द हों या स्त्रियां, सम्पत्ति में सहभागी हो जाते है। इस से पता चलता है कि यद्यपि मिताक्षरा स्त्रियों को सहभागी बनने की अनुमति नहीं देता परन्तु दाय भाग के अनुसार स्त्रियां भी सह भागिनी हो सकती हैं।



मान लो कि क नामक मनुष्य किसी सम्पत्ति का स्वामी हैं। क के तीन बेटे ख, ग और घ हैं। क के सम्पत्ति स्वोपार्जित नहीं है। कानून मिताक्षरा के अनुसार क पिता अपने पुत्रों ख, ग और घ के साथ सह भागी हुआ परन्तु दाय भाग के अनुसार वह सह भागी नही है। हां यदि क पिता मर जाय तो तीनों पुत्र ख, ग और घ सह भागी (Coparceners) हो जांयगे। मान लो कि ग का लड़का च और घ का लड़का छ मौजूद है तो मिताक्षरा के अनुसार क के जीवन काल में और मरण पश्चात च और छ भी सह भागी होते परन्तु दाय भाग के अनुसार, क के मरने पर भी ख, ग आर घ के साथ सह भागी नही हो सकते, क्यो कि ग और घ जो कि च और छ के क्रमशः पिता है जीवित है। मान लो कि ग मर गया तो च भतीजा अपने चचा ख और घ के साथ सह भागी हुआ और यदि यह मान लिया जाय कि च और छ पुत्रों के

स्थान में पुत्रियां हैं तो च और छ पुत्रियां ग और घ के मरजाने पर अपने चचा ख के साथ सह भागिनी होंगी।

यदि किसी मनुष्य ने मरने पर विधवा स्त्री और लड़कियां छोड़ी हों तो वह विधवा स्त्री और लड़कियां सह भागिनी (Coparceners) न होंगी।

मिताक्षरा के अनुसार किसी सह भागी का सह भाग सम्पत्ति में निश्चित भाग नहीं होता क्यों कि सह भागियों के मरने से स्वत्व बढ़ता और उत्पन्न होने से स्वत्व घटता है परन्तु दाय भाग के अनुसार प्रत्येक सह भागी का भाग निश्चित होता है। क के मर जाने पर ख, ग और घ तिहाई २ हिस्से के सह भागी हैं यदि यह बटवारा करा लें तो सह भाग टूट जायगा यही कारण है कि दाय भाग कानून के अनुसार सह भागी अपने हिस्से को विक्रय रहन, दान या वसीय द्वारा किसी प्रकार पृथक कर सकता है। उसे अधिकार है कि वह अपने हिस्से को लगान या किराये पर उठाये या और तरह काम लाये।

क़रज़

[दाय भाग के अनुसार]

मिताक्षरा और दाय भाग दोनों ही कानूनों के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत कुछ मिलते जुलते हैं परन्तु मुख्य २ बातों में अन्तर है। चूंकि बाप की सम्पत्ति में बेटे और नाती को अपने जन्म से स्वत्व पैदा नहीं होता, इस लिये बाप के ऋण के चुकाने के लिये बेटे और नाती जुम्मेदार नहीं होंगे। इस लिये दाय भाग कानून के अनुसार हर मनुष्य का करजा उस की जिन्दगी में या उस के बाद उसी की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है चूंकि दाय भाग कानून के अनुसार अविभक्त कुल के प्रत्येक मेम्बर का निश्चित हिस्सा होता है अतएव हर एक मेम्बर को अपने अपने हिस्से के बिना दूसरे की इच्छा के, बेचने, रहन रखने, या और तरह पृथक करने का अधिकार है तथा पिता चाहे जिस कर्जे के सम्बन्ध में अपनी सम्पत्ति को रहन पर रख सकता है।

- इति -

क़ानून की अन्य पुस्तकें

ताज़ीरात हिन्द

इस में भारत में होने वाले तमाम अपराध और उन के दण्डों का सविस्तार वर्णन है, हिंदी भाषामें तरमीम किया हुआ इलाहाबाद बम्बई कलकत्ता, मद्रास, आदि हाईकोर्ट की नजीरों सहित ज़िसे थोड़ा पढ़ा भी समझले, कुछ पूछना न पड़े। इस पुस्तक का पढ़ना हर मनुष्य को जरूरी है क्यों कि का चाहे कोई रोजगार करो कानून से काम अवश्य पड़ेगा। कानून के न जानने का उजर किसी अदालत में नहीं सुना जाता। मूल्य २)

कार्रवाई अदालत फौजदारी

फौजदारी अदालतों में अर्थात मजिस्ट्रेट सेशन्स जज या हाईकोर्ट में जो कार्रवाइयां फौजदारी मुकद्दमों में होती हैं उन्हीं का संक्षिप्त परन्तु सिलसिले वार सम्पूर्ण वर्णन इस में मिलेगा। पुलिस के इख्तयारात मजिस्ट्रेटों के अधिकार, सर्व साधरण के कर्त्तव्य, गिरफ्तारी, तलाशी, जमानत, मुचलका, सरसरी इख्तयारात अपील और निगरानी के इख्तयारात आदि सारी बातें। कोई आवश्यकीय बात लिखने से रह नहीं गई इस किताब को पास रख कर मामूली हिन्दी जानने वाला मनुष्य फौजदारी के मुकद्दमों में अच्छी पैरवी कर सकता है। मू० १।) डा० ख० ।)

कार्रवाई अदालत

दीवानी

इस पुस्तक से अदालत दीवानी सम्बन्धी जरूरी समस्त बातें जैसे नालिश दायर करना, न स्थान, मियाद समाअत कोर्ट फीस,

सबूत, कानूनी महन्ताना, नालिश खर्चा अर्जी दावा, ब्यान तहरीरी नकल लेना, हुक्म इस्तनाई, नालिश का मुन्तकिल होना, सम्मन तामील, गैर हाजिरी फरीकैन, बन्द सवाल, दस्तावेजों की पेशी, जब्ती, तथा वापसी, इजराय डिग्री, ग्रफ्तारी, कमीशन, नाबालिग, नालिश मुफलिसी, पंचायत, अपील, नज़र सानी, अदालत खलीफ़ा मुतफर्रकात, आदि दीवानी के मुतल्लक सब ही जरूरी बातें ऐसी सरल भाषा में लिखी हैं जिन को पढ़ कर आसानी के साथ कम खर्च से बिना मशवरे के अपनी कुल अदालती कार्यवाही कर सक्ते हो। मुकद्दमे वाले मनुष्यों के लिये यह परम उपयोगी पुस्तक घर का वकील है मू० १) डा० ख० ।)

कानून पुलिस—पुलिश के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और जुम्मेदारियां मू० ॥)

खानदान मुश्तरका—हिन्दू खानदान मुश्तरका में जायदाद का विभाग और हिस्सा कैसे पहुंचता है। धर्म शास्त्र का अङ्ग मू० ॥)

कानून डाकखाना—डाक विभाग सम्बन्धी कानून ॥)

रौलट एक्ट—इसी रौलट एक्ट के पास होने पर सारे भारत वर्ष में अशान्ति फ़ैल गई थी और हड़तालें हुई थीं ।=)

कानून तार ।] कानून जुआ ।]

कानून बटवारा =] कानून प्रेस ।]

कानून दर्पण

यह पुस्तक इतनी सर्व प्रिय हुई है कि थोड़े ही दिनों में इस के सात संस्करण छप कर हजारों प्रतियां बिक गई इस में भारत के प्रायः सब ही कानून दिये हैं जैसे कानून ताज़ीरात हिंद, जाब्ता दीवानी व फौजदारी, मिआद समाअत, आबकारी, रजिस्टरी, दफीना हथियार, शहादत व अमानत, कल मालगुज़ारी [illegible],

स्टाम्प, कोर्टफीस रजिस्ट्री, इन्कमटेक्स इंतकाल जायदाद, ट्रेडमार्क तलाक, टकीना, कम्पनी, कारखाने इत्यादि वहुतसी कानूनों का सरल खुलासा खूवी यह है कि कोई वात कानून की लिखने से रह नहीं गई। हर मनुष्य समझ सके वात २ पर वकील, मुख्तारों की खुशामद और रुपये ठगाने से वचे। जरासी गलती के मुकद्दमा खराव न हो सके। मुकद्दमे की समस्त कार्रवाई पड़ने पर स्वयं ही कर सको मूल्य १।) डाक खर्च ।)

हिन्दी उर्दू शिक्षक

विना गुरू के घर वैठे हिन्दी पढ़े लिखे को उर्दू सिखाने वाली यही एक पुस्तक है जिस को थोड़ा हिंदी पढ़ा मनुष्य भी मामूली महनत से उर्दू सीख कर अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकता है मूल्य सिर्फ ॥) डाक खर्च ≡)

हिंदी इंगलिश टीचर

केवल इसको ही पढ़ कर तार, पत्र व्यवहार निवेदन पत्र निवंध, वोल चाल आदि सव कुछ विना किसी की सहायता के आसक्ता है। थोड़े ही दिनों के साधारण परिश्रम करने पर ही मिडिल पास की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं सव मुकद्दमों की वोल चाल मुहावरे के शब्द उन के अर्थ और ग्रामर व्याकरण के कायदे ऐसे सुलभ रीति में समझाये हैं कि हर किसी की समझ में वखूवी आसक्ता है मूल्य १) डाक खर्च ।)

डाक व्यय खरीदार को देना होगा

मिलने का पता—

विश्वम्भर ब्रादर्स

हिन्दी ला वुकसेलर्स और पवलिशर्स

अलीगढ़ सिटी

* ओ३म् *

नूतन
॥ पाक प्रकाश ॥



❀ जिसको ❀

वैकुंठवासी राजा सेठ लक्ष्मणदासजी

की पाकशाला के

मुख्याधिकारी

पं. रामलाल ने

बनाया

और

पं. क्षेत्रपाल शर्मा ने

छपवाकर प्रकाशित किया।

प्र० आ० सम्वत् १९६९

मूल्य प्रति पुस्तक ।)   १००० जिल्द दूसरी बार

Printed by P. K. P. Sharma
Sukh Sancharak Press Muttra

ता० १२-९-२२

विशेष निवेदन।

महानुभाव गण !

मेरी आयु इस समय ८४ वर्ष की होचुकी है जबसे होश संभाला तभी से वैकुंठवासी राजा सेठ लक्ष्मीचन्दजी के यहां नौकरी आरम्भ की थी और इस समय तक उन्हीं के यहां से मुझे पेंशन मिलरही है इतना समय मैंने एक ही घराने की सेवा में व्यतीत किया है। श्रीमान् सेठ लक्ष्मीचन्द से लेकर राजा सेठ लक्ष्मणदासजी तकने देश देशांतर से आने वाले पाक कुशल लोगों को बहुतसा रुपया देकर यह विद्या मुझे सिखलाई थी इसलिये इस पुस्तक की सभी वस्तुऐं सैकडो नहीं हजारों बार मेरे हाथ से तयार की जा चुकी है आशा है कि जो लोग इसमें लिखित रीति से पदार्थ बनावेंगे उनको किसी प्रकार के संशय में न पडना होगा अवश्य ही इस रसोई रूपी रसायन में कुछ समय तक अभ्यास करने की जरूरत है, रसोई करने वाले का सबसे पहला काम यह है कि वह भोजन कराने वाले की रुचिको समझकर मसालो को भी न्यूनाधिक करदे. यदि इस पुस्तक को देखकर धनी लोगोंने कोई पदार्थ इसके अनुसार बनवाकर खाया तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा।

रामलाल—मथुरा

अनुक्रमणिका।



॥ श्री ॥

* अथ पाक प्रकाश *



* लड्डू नुकती के *

खांड ऽ१ सेर उसकी चासनी करे वेसन ऽ। भर की नुकती करे और चासनी में नुकती डालदे । पुनः थाली में घी चुपड कर जमादे पुनः ठण्डी होने पर काटले तो मोती-पाक हो जायगा. और बांधने से नुकती के लड्डू हो जायगे ।

करनसाही लड्डू

पावभर सूखी उर्दकी धोई दाल के आटे में १ छटांक घी उसको घोलती समय डालें और घी में खूब भूने फिर ऽ१ खांड की चासनी तयार होने पर उस चासनी में डालके चलाता जावे गाढा होने पर लड्डू बांधले ।

मोदक मूंग ।

ऽ। भर मूंग की दाल छिलका सहित भिगोकर पीस के पिट्ठी करके पाव भर घी कच्ची पिट्ठी में मिला के आग पर चढादे और चलाता जावे, जब [illegible] हाथ मे मालूम होने लगे तब पावभर बूरा १ छटांक [illegible] और छोटी इलायची के बीज मिलाकर उसी पिट्ठी में लड्डुआ बांधले ।

इसी प्रकार से मूंगकी दाल की पिट्ठी करके आधपाव घी डालके पूर्वोक्त भूने आठ आना भर [illegible] पिसी हुई दाल के मोदक के समान चासनी करके पिट्ठी को उसमें [illegible] ठण्डी होजाने पर मोदक बांधले

मोदक मैदाकी नुकती के ।

२ सेर खांडकी चासनी, करे और १ सेर मैदा २ छटांक घी डालके उसको पानी में कडी घोलले जो चलनी में होकर निकाल कर घी में सेक फिर चासनी में डालकर लड्डू बांधले ।

मोदक मैदा के ।

१ सेर भर मैदा, आधपाव कम सेरभर घी दोनों को साथ में चढ़ादे और आंच देता रहे जब सुर्खी आजावे तब उतार के १ सेर बूरा, २ तोला इलायची आधपाव कंद डालके बांधलो ॥

मोदक सूजी के ।

१ सेर सूजी आधपा सेर घी मिलाकर भूने जब सुर्खी आजावे तब १ सेर बुरा थोडी इलायची डालके बांधले ।

मैदा के मोदक दूसरी प्रकार के ।

१ सेर मैदा २ छटांक घी इसको कडा करके मुंदे मुट्टी से मोदक बांधले घी में छोडदे जब वह घी में खूब पक जावे सुर्ख होने पर पीसले और चलनी से छानके ऽ। कंद, १ सेर बूरा थोडी इलायची बडी किसमिस आधपाव डालके फिर लड्डू बांधे ।

मोदक पचधारी ।

पावभर उर्द की दाल धुली दाल, पावभर मूगकी धोवा दालका आटा करके इन दोनोंको घी में पृथक् २ भूने जबतक सुर्ख

त होवे भूने और पावभर सूजी पृथक २ भूनके दाल में मिलादे पावभर खोआ भूनकर वह भी आटे में मिलादें २ माशे केशर, पावभर कन्द १ सेर बूरा, इलायची इनमें ऊपर कथित भुना हुआ आटा डालके लडुआ बांधले।

मोदक वेसन के।

मोटा पिसा वेसन १ सेर, १ सेर घी, १ सेर बूरा, कन्द अथवा इलायची २ तोला वेसन घी में भूनकर पुन बूरा आदि डाल के लडुआ बाधले

मोदक हरे चने के।

चना हरा उसका छिलका दूर कर दाल निकाल कर पिट्ठी करले पावभर पिट्ठी में २) रुपये भर वेसन डाले पुनः बुकती छांटे आधसेर बूरे की चासनी में डालदे। यदि बरफी जमानी होय तो पावभर पिट्ठी करके घी में खूब भूनकर करकराहट आ जाने पर थाली में जमादे ऊपर से कन्द इलायची डाल दे ठंडे होने पर काट ले।

मोदक खोवा के।

पाव सेर खोया आधपाव घी लेकर दोनों को चढ़ा दे धीमे और भूनकर जब उन दोनों में करकराहट आने लगे तब मासे भर केसर पानीमें पीस कर उसमें मिलादे और छोटी इलायची ६ माशे पीस कर डाल दे पावभर बूरा आधपाव कन्द करक-रा पीस कर मिला कर बाघ लें।

लड्डू दही के।

२ सेर दही लेकर बांध कर टांग दे जब पानी निकल जाये, तब निचोड़ कर कलई का सफ़ेद बर्तन में [illegible]

पावभर घी में खूब भूने जब रवा पड जावे तब उतार ले ठंडा होने पर दही का वजन देख कर उसीकी बराबर कंद डालकर बडी इलायची डाल कर लड्डू बांध ले।

॥ मोदक सिंघाडे के आटे के ॥

आटा सिंघाडा १ छटांक, दही १ छटांक, मिला कर घीमें मठरी के बराबर डाल के तलकर इनको कूटकर १ पावभर कंद १ पाव बूरा डालकर लड्डू बांधले।

॥ मोदक जमीकन्द के ॥

१ सेर जमीकन्द लेकर चार टुकडी लेकर नीचे ऊपर पालक धरकर बीच में जमीकन्द रखदे आग पर चढादे और गलजाने पर जब उन में सींक बराबर चली आवे तब उतार कर उसका छिलका उतार कर उसे घोट कर बारीक पीस डाले घी में भूनले जितना घी पडे उतना देता जावे जब बंध जावे तब ठंडा करके इसका वजन तोलकर उसी बराबर बूरा डाल कर कंद आधपा देकर लड्डू बांध ले।

॥ मोदक आलू के ॥

आलू आध सेर उबाल कर पीस के बारीक थोडे २ घीमें भूने जब रवा पडजावें तब इसे उतार ले ठंडे करके बूरा डालकर पावभर कंद डालके लडुआ बांध ले।

॥ मोदक मेवा के ॥

पावभर पिस्ता पानी में डालके छिलका उतार ले घी मे तलैं जब इन में सुर्खी आजावे तब सिलपर पीसकर इन में २ छटांक बूरा १ छटांक कंद २ माशे छोटी इलायची पीसकर डालदे पुनः मोदक बांधले।

मोदक बादाम

एक पाव बादाम की मिगी को चाखले कडुवे निकाल डाले गर्म पानी में डालके छीलले २ तोले घी में भूने जब यह सुर्ख होजावे तब बादाम निकाल के सिलपर रखकर उनका दलिया करले, इसमें २ रुपया भर दूध डाले और घी में सेके सिकजाने पर उतार कर कन्द ऽ। और १ मासे इलायची डाल कर लड्डू बांधले ।

॥ मोदक चिरौंजी ॥

चिरौंजी पावभर को विना घी के भूने और हाथसे मीजे तौ छिलका उतर जावे, तब दूध का छींटा देकर पिट्टी करले, घी पाधपाव में चढाकर उसमें पिट्टी डाल के भूने जब इसमें रवा पडजावे तब पावभर कन्द डाल कर १ मासे छोटी इलायची डालके लड्डू बांधले ।

॥ मोदक गिरी के ॥

ऽ। पाव गिरी का ऊपर का छिलका उतार कर कूटले जब बारीक होजावे तो गर्म दूधके साथ पीसकर आधपाव घी में डाल के भूने और भुनते हुए में डेढपाव दूध डालदे और बराबर चलाता जावे जब घी दूध सूख जावे तब उसे उतारले कन्द आधपा बूरा आधपा इलायची १ मासे एक बूंद केवड़े की डाल कर मोदक बांधले ।

॥ मोदक तिलके ॥

एक पाव तिल लेके पिट्टी करे दूध डाल पुनः घी चढा कर इसमें १ छटांक सूजी डालदे और खूब भूने भुनजाने पर

उतारले और आध पाव बूरा डालदे दस पांच इलायची डालदे और लड्डू बांधले।

॥ मोदक खरबूजे के ॥

खरबूजे की सूखी मिंगी पावभर लेके इनको भूनले इन के भुन जाने पर इनको उतारले कन्द पावभर घी थोड़ासा मिंगी को बारीक पीसकर इलायची डालके लड्डू बांधले॥

॥ मोदक पेठेके ॥

पेठा पाव भर, घियाकस में कसे पुनः पिट्ठी मोटी बना कर आधपा घी में भूने सुर्ख हो जानेपर उतारले और आधसेर कन्द की चासनी करके गाढ़ी होने पर पिट्ठी को उसीमें डाल के १ मासे इलायची थोड़ी केशर डालकर लड्डू बांधले॥

॥ लड्डू सकरकन्दी के ॥

पावभर सकरकन्दी उबालले छील के फोड़ले गांठ न रहने पावे पुनः घी में इसे खूब भूने, जब रवा खिल जावे पानी का अंश न रहे तब उतारले और डेढ़पाव कन्द की चासनी करके खिलती हुई सख्त चासनी ले उसी में इसे मिलादे थोड़ा सूखा कन्द डालदे इलायची पीसकर लड्डू बांधले चाहे बरफी जमाले।

॥ लड्डू चनाकी दालके ॥

पावभर चनाकी दाल लेकर भिगोदे पुनः धोकर पिट्ठी करे पुन घी में डालकर भूने जब उसका रवा खिल जावे तब उतार कर बूरा या कन्द डालकर या इसकी चासनी बनाकर मोदक बनाले॥

॥ लड्डू चांवल के ॥

चांवल का आटा दर दरा लेकर उसमें आध पाव वेसन डालके डेढ पाव घीमें खूब सुर्ख भूनले कच्चापन न रहे तब बूरा डालके मोदक बांधले ।

॥ लड्डू कांगनी के ॥

पावभर कांगनी लेकर उसका दर दरा आटा पिसाले और घी में भूने इसमें आध पाव गुड लेकर आध पाव बूरा लेकर दोनों को एक में खूब मिलादे इसके मोदक बांधलें ।

॥ लड्डू नसास्ता के ॥

१ सेर गेंहू पानी में भिगोदो, २ दिन भीगते रहैं उन को निकाल के शिल पर खूब पीसले पिट्ठी के समान और थोडा २ पानी डालकर छानले सत्त निकल आने पर १ घंटा भर रक्खें पानी धीरे २ निकाल दे रुई का फोआ रखकर पानी को छानदे पुनः उसे ज्यादः गाढा होजावे सुखाले फिर १॥ पाव घी में उसे खूब भूने जब रवा मालूम होने लगे तब उसके वजनके बराबर बूरा डालदे और मिश्री इलायची डाल के लड्डू बांध घी कम मालूम पडे तो और डालदे इसी के समान में सोहन हलुआ होता है ।

उर्द की दाल आध सेर छिलका की भिगोदे भीग जाने पर छिल के उतार कर बारीक पिट्ठी करले ३ पाव घी में आग पर चढ़ादे और खुरचना जावे जब रवा बंध जावे तब उतार कर ५ सेर खांड की चाशनी तय्यार होने पर [illegible] मासे केसर पानी में पीस कर चाशनी में डालदे पिस्ता बादाम के टुकड़े कतर के डालदे फिर लड्डू बांधले ।

लड्डू दूध के।

खोवा आध सेर को धीमी आंच में भूने जब वह खुश्क जावे तब आधा सेर कन्द दरदरा पीस कर पावभर खोया मिलादे और मोदक बांधले पुनः पावभर कन्द जो बचा है उस को लड्डुओं के ऊपर से मिलादे॥

लड्डू सत्तू के।

आध सेर भुनी हुई मक्का को पिसालें, और आधपाव निकाल के रखले १॥ पाव आटा पावभर घी डाल के गर्म कर के १॥ पाव बूरा डालकर मोदक बांधले॥

लड्डू गेंहू के।

आध सेर गेंहू भुना के उनका आटा कराले उस में पूर्ववत् घी बूरा डाल कर लडुआ बांधले।

जौ की मिंगी आध सेर लेके आटा पिसवाले पूर्ववत लडुआ बांधले॥

सत्तू।

अब जो आध पाव मक्के का सत्तू रखा गया है उसी में मीठे सत्तू बनावे तो दूध डाल के मिश्री मिला इलायची डाल के खावे थोडा केवडा डालवें॥

बर्फी।

आध सेर खोया धीमी आंच में भूने जब रवा खिल जावे तब डेढ सेर मीठे की चासनी कर खूब कडी बनावे और उतारके रखले पुनः कोंचा से हिलाता रहे जब जमने लायक होजावे तब थोडा २ खोया डालके खूब मिलादे और कागजी

दार थाली में जमाकर काटले रंगदार बनावे तो केशर डालदे आध सेर खोये में २ माशे केशर दे ॥

पेड़ा बनाने की रीति ।

S१ खोया धीमी आंच में भूने जब सुर्ख होजावे तब ३ पाव बूरा देकर घोटता रहे जब गाढा होजावे तब उतार कर तोले भर इलायची के बीज लवंग ३ मासे लेकर खूब बारिक पीस रंगीन करैतो केशर दूध में घोल के मिलादे बाकी में बूरा मिलाता जावे इसी की गुझिया भी बनाले ॥

गुलाब जामुन खोया ।

आध सेर खोया और आधपा तबाखीर (अरारोट) को खूब मिलाले खोया अगर रवादार हो तो सिलपर खूब बारीक पीस १ तोले की गोली बनाकर घी में डाल के धीमी आंच में पकावे इसके पहले चासनी बनाकर रखले जो मध्यम अधिक कड़ी न हो घी से सेक कर चासनी में डालता जावे पहर बाद निकाले ॥

खुरचन ।

पांच सेर भैंस का दूध औटने को रखदे उसमें मंद आंच देता जावे जब दूध पर उफान और मलाई का लच्छा आवे उसे कड़ाही के किनारों पर लगाता जावे जब तक दूध रहे तब तक बराबर मलाई उतार मलाई जमने पर कड़ाही उतार ले बीच का खोआ निकालले फिर कढ़ाही पांच मिनट के लिये आंच पर रखदे और मलाई लगी हुई है उसे उतारकर थाल में धरले—लौंग ३ माशे, इलायची ४ माशे, [illegible] कन्द आध सेर पीसकर इलायची मिला कर कन्द [illegible] फिर मलाई के पर्तों को कन्द में मिला कर खावे ॥

रवडी

५ सेर दूध चढादे और पूर्ववत् मलाई के लच्छे लगाता जावे और उनपर दूध का छींटा देता जावे जब दूध गाढा होजावे तब खुरचन वाला खोया मिलाके सब मलाई के लच्छे भी डालके आधपाव फी सेर मीठा देकर इलायची लौंग पीस के डाल के रवड़ी बनाले ।

॥ बासौंदी ॥

५ सेर दूध चढादें और बराबर चलाता जावे जिस में मलाई न पडे तब दूध गाढा होजावे यानी २ सेर के अन्दाज रहजावे, २ मासे केशर पीसके उसी में डालदे सेर में पाव के हिसाब से बूरा डालदे इलायची पीस के डालदे केवडे की एक बूंद देदेवे मिट्टी के वर्तन को धोकर उसी मे भरदे यदि गर्म मौसम हो पानी में उस वर्तन को रखकर भीगा कपडा रखदे फिर खावे ।

लड्डु घृत कुमारी के (ग्वारपाठे के)

इसका पावभर गूदा लेकर मिट्टी या राख में दाब रात को दबादे फिर उसे निकालले पानी में खूब साफ करडाले फिर बेसन से धोडाले पुनः पानी से धोवे बाद १ मासे फिटकरी डेढ पाव पानी में डालदे चार मिनट रखकर घृत कुमार के गूदे को निकालले साफ कर छोटे २ टुकडे करडाले सेर भर दूध मे चढाकर खोवा के समान चलाता जावे जब दूध औटे यह दोनो खोया के समान हो जावे तब उतारले खोवा खुशक हो जाने पर पावभर बूरा आध सेर कन्द १ तोला छोटी इलायची पीसकर २ पिस्ता के वर्क काटकर डालकर तीन २ तोले के मोदक बांधले ।

मलाई की रोटी

२॥ सेर दूध औटने को चढादे जब खूब औट जावे नष्ट बराबर दो कढाहियों में रखदे मन्दी २ आंच कण्डों की दोनों के नीचे देता रहे जब दूधपर गाढी मलाई पडजावे तब उतार कर रखदे जब ठंडी होजावे तब काटकर निकाल लेवे और टूटने न पावे ऊपर का हिस्सा नीचे रहते समय करदे नीचे जो दूध का हिस्सा लगा रहे उसे रुई से पोछले दोनो कढाही को इसी प्रकार करले, आधसेर कन्द दरदरा १०-१५ इलायची पीसले कन्द में मिलाकर पिस्ता के बर्क, बीस किसमिस दाने लेकर उस दूध पर जो जमा हुआ है उसपर फैलादे दोनो नह मिलादे और किनारे धीरे से दबादे।

लड्डुआ मखाने के।

आध सेर मखाना खूब बारीक कूट कर आटा करो और कढाही में चढाकर धीरी आंच में भूनले भुनजाने पर आधा अलग करले आधे में ४ रत्ती केशर पीसकर दूध में मिलाकर डालदे छोटी इलायची के २ मासे बीज पीसके डाले १ छटांक मिसरी १ पाव बूरा डाले और पावभर घी डाले कमती दे तो घी और डाले बचा हुआ पावभर जो है पावभर मैदा १ छटांक मिश्री और घी डाल के लड्डू बांधलें।

अमरूद के मोदक

पके हुये पटे कलमी इलाहाबादी आध सेर उन्हें [illegible] बीज निकाल के फेंकदे [illegible] १ [illegible] घी [illegible] में अमरूद डालदे पकाकर [illegible] करदे और [illegible] नष्ट करके बराबर का बूरा डाले आध पाव मिश्री [illegible] १ [illegible] डाले फिर चाहे बरफी बनादे या मोदक बांधले।

इमरती ॥

पाव भर दाल उर्द की भिगोदे बाद खूब धोकर बारीक पीसले १। सेर मीठे की चासनी करे उसमें इमरती डालके रस पीजाने पर उतारले।

जलेबी ॥

मैदा आध सेर पानी में भिगोदे और गर्म ऋतु में २ दिन शीत में ३ दिन तक भीगे, मैदा घोरते ही २ तोले दही भी मिलादे बाद तीसरे दिन हांडी में छेद कर १॥ की चासनी करके तलके चासनी में डालके उतारले।

जलेबी व इमरती अरवी की।

अरवी १ सेर अच्छी तरह उबाल कर छिलका अलग कर सिल लोडी से पिट्ठी पीसे फिर परात में ओंधी चलनी रखकर हाथ के सहारे सब छानदे फिर आधपाव अरारोट मिलावे खूब दोनों का एक जिगर करदे फिर इमर्ती सेके और २॥ सेर खांड की चासनी तयार रखे और दबाकर रखता जाय इसी रीति जलेबी बनाले।

खोया का ठोर ॥

आध सेर खोया बादामी रंग भून के तयार रखे और भुने हुये को इसे अन्दाज के घी में तले जिस में जड़ बंधजाय फिर दो थालियों में मोटी रोटी के माफिक जमादे लडुआ की चासनी से भी कड़ी १ खांड की पुनि धीरे दोनों थालियों पर चारों तरफ जिसमें सूखी न रहे चासनी डालदे फिर अब चासनी अच्छी तरह जमजाय तब नीचे करछली से उठावे यदि न उठे तो फिर थोड़ी डाल देय और जरा हवा लगने दे फिर पलट कर देखले यदि दोनों तरफ चासनी फूट गई हाय

तो न डालें वरन दूसरी तरफ भी थोडी डाल दे, फिर थालियों में से उठाके दूसरी थालियों में रखलें ॥

मेवा बाटी खोया ।

पावभर खोया गरम जरा कढाई में सेक के सख्त करले, उतार कर ठंडा करले और दो थालियों में रखके चौडा करले गिरी और बदामके तथा पिस्ताके तोले भर बरक करे कन्द या मिश्री १ छटांक के महीन टुकडे, २० किसमिस, ५ बडी इलायचियों बीज सब मेवा मिला कर थोडी २ दोनो पर रखदें, और हाथमें उठाके गेंद के माफिक चारों तरफ से मेवा सहित बन्द करके और गोल करदे ।

लड्डू चने के ।

छिले चना भुने हुए आध सेर लेकर उनका दरदरा आटा पिसाले पावभर घी में तले, ३ पाव मिश्री या कंद डालदे, २ मासे इलायची पीस कर डालदे फिर लड्डुआ बांधले ।

मोहनथार ।

खोया १ पाव, मूंग की दाल धुली हुई, एक पाव बेसन, पावभर सूजी, मूंगकी दालकी पिट्ठी कर ले और घी में खूब भूनले, सूजी भी भून ले जब तक बादामी रंग न आवे तब तक सेके, वेसन भून ले इन तीनों को ३ पाव घी में भून ले पुनः चारों को एकमें मिलादें ६ मासे केसर, दो सेर खांड की चासनी करे, और केशर को जल में डालदे, २ तोले पिस्ता. २ तोले बादाम के वर्क करलें, उस चासनामें चारों चीजें डालकर २ अंगुल ऊंची थाली में डाल दें और ऊपर से मेवा के वर्क फैलाकर हल के हाथ से दाव दे।

परांवठा मेवा ।

१ पाव मैदा, १ छटांक पिस्ता, १ छटांक बादाम की गिरी

इनको बारीक दूधका छींटा देकर पीसले, पिस जाने पर मैदा और मेवा को एक छटांक घी डालके खूब मांडे इसमें दो आना भर नमक, इलायची पीस मांडते ही में डाल दे। सबको मिला कर चार हिस्सा करे पूरी से कुछ बडे इन्हें बनावे, बना कर रखले, और उनको एक दूसरे पर रखके इस प्रकार दो बनाले और घी में छोडदे, जब खूब सुर्ख होजावे तो उतार ले।

मेवा बाटी नं० २

१ पाव मैदा, आधी छटांक घी डालके माडके एक तोले भर पिस्ता, १ रुपया भर बादाम, २ रुपया भर गोला ४ तोले मिश्री, ५ तोला चिरोंजी, मंडे हुये आटे में से एक छटांक प्रथक सेकले. मेवा के टुकडा करके उस मैदा को जो एक छटांक सिका रखा है उसको पीस ले और मेवा में मिला ले बाकी मैदा की २ लोई बना कर पूरी के समान बेलले एक में सब मेवा रख दे ढेर कर दूसरी ऊपर से रख कर चारो ओर और से बन्द करके गोल कर ले और घी में छोड कर धीरे२ सेकले पुनः एक पाव बूरे की चासनी इस पर चढावे॥

ठौर ॥

१॥ पाव मैदा में १॥ छटांक घी माडते में डालदे और इसको बेल कर दो टुकडा करले और बीच बीचमें छेद करदें और खूब धीमी आंचमें सेकले। इनमें एक तो सादा रखे और एक पर १ पाव खांड चढादे॥

मठरी पठा गुझिया ॥

आध सेर मैदा आध पाव घी गर्म करके डालदे मांड

कर इनके तीन भाग करके एक लोईकी तौ मठरी बनाले। एककी पूरी सी टिकिया बनाले, और गोला, बादाम, पिस्ता आटा १ छटांक घीमें सेक कर कूटके इन टिकियोंमें भरके गुझिया बनाले, एक भाग रहा इसे बेल कर चक्कू से गहरी लकीर से काट दें लम्बी-आडी काट कर घीमें खूब सेकले तब चासनी करके तीनों पर पृथक् २ चढादे।

मठरी॥

पाव बर आटा मांडे एक छटांक घी डाले और कडे रखें इनकी चार पूरी सी बनाकर, बीच बीच में सुराख कर दे, घी में सेक कर रखदे।

सकलपारे॥

आध सेर आटा ले और आध पाव घी देकर कडा मांडे दो टुकडे करके वेलले और चाकू से काटले चाहे तीन कोनेके चाहे चौकोर, आधों को चासनी में पाक करले आधे सादे रखे॥

मीठी मठरी॥

पावभर आटा ले आध पाव मीठा आटे में डाल के पानी देकर मांडे बाद घी में तल लो जब सुर्ख हो जाय आंच धीमी दे॥

नमकीन मठरी॥

पाव भर आटा, आधी छटांक घी, १ आना भर अजवाइन एक आना भर जीरा, रत्ती भर हींग, चार आना भर नमक देकर सख्त मांडे और मठरी बनाकर सेकले॥

नमकीन सकलपारे॥

नमकीन मठरी के समान बनाले॥

गुपचुप ॥

आधपाव मैदा, एक छटांक घी, इनको कडा मांडे थोड़ा अमचूर का पानी डालनेके बाद रुपया बराबर बहुत बारीक बेल कर घीमें उतारले और थाली में रख कर इन पर आधे के अन्दाज बूरा डाल दे ॥

घेवर

अच्छा मैदा आध सेर लेकर पावभर घीमें गर्म कर डालदे और पानीसा पतला और जब घुलजाय लोहेके सांचेको चढा कर खूब गर्म करे सांचे में घी भी आधा रखे कटोरी से पतली धार डालता जाय जब सांचा भर जाय तब ऊपर थोडा घी देकर उतारलें और छानने वाले बरतन में रखदे जिस में उसका घी निचुड जाय रंगीन करना हो तो २ माशे केशर घोलते में डालदे मीठा करना हो तो बूरा डालदे या चासनी में डाल कर जलेबी के समान कर ले ॥

खचला

डेढ पाव मैदा अच्छा ले कर मांडे, मड जाने पर आध पाव निकाल ले बाकी को नर्म गूंदे तेल से चकला और बेलन को चुपड ले और उन्हे थोडा बढाले बाकी मैदा घी में सेके और निकाल कर गूंदे करीब बीस बार इसी प्रकार करता जाय। बाद में आध पाव मक्खन मिलादे। जब पानीसा फैलने लगे तब रखदे अब पाव भर मैदा रखा है, उसे खूब बढावे। मक्खन मिला मैदा इस पर पोतदे और चटाई से लपेट ले जब चारों तयार होजाय तब एक छटांकके टुकडा करले, और हाथ से तोडकर घी में डालदे जल्दी जल्दी लौटता जाय पीछे कुछ पागले, कुछ सादे रखे ॥

फैनी।

आध सेर अच्छा मैदा खूब मांडे पूरीके आटे के समान मांडे फिर टिकिया बनाले और बीचमें छेद कर दे ऐसी आठ बनाले, बराबर रख दे; और छेद में घी भरदे और बाहर चुपडदे वीस मिनट बाद छेद चौडा करता चला जाय जब थोड़ा कडापन आजाय थोडी देर बाद फिर बढादे और घी डाल दे १०—१५ बार घी चुपडे और छेद बढावे यह करने के बाद आध घंटा रखदे फिर मुआंदे, जब खूब बढ जाय तब घी कडाही में चढाकर आठ के १६ कर लपेट चढा कर हाथ से दाब कर घी में छोडे फिर चासनी डाल दे।

पेठा की मिठाई।

२॥ सेर अच्छे पेठेको छीलके और मोटे ९ टुकडे करले पुनः उनको गोददे और चूनेका पानी ले कर उसमें भिगोदे। पांच सेर पानी जिसमें पाव भर चूना घोले, दूसरे दिन दो तीन पानी से धोडाले, फिर दो भाग कर के १। सेर को ले कर औटादे, टुकडे अन्दाज एक छटांक के हों जब नरम हो जाय तब उतार ठण्डा करले और ठण्डा पानी ऊपर से ढालदे तीन सेर अच्छी खांडकी सफेद चासनी करै, जैसी लड्डूकी चासनी होती है उसी चासनीमें टुकडे डालदे। जब सूखने पर आवे तब नीचे उतारके किनारे से लगावे और बची हुई पतली, चासनी टुकडों पर चढादे। बाकी सवा सेर जो बचा हुआ है उस में से हाईएाके ० क एक छटांक के टुकडे कर डाले और जाग

देकर चासनी में डाल दे और भर के रखदे पेठका मुरब्बा हो गया अव जो २॥ पाव बचा है उसे पिट्ठी के माफिक सिल पर वारीक पीस ले और जलमें चढा कर जोश दे। जब गलाव पर आजावे तब चासनी में पसादे, या कपड़े पर पसादे, और बचा हुआ सब जल निचोड़ले, बराबर वजन के खोवाको पाव भर घीमें चढादे और वादामी रंग हो जाय तब उतार ले। १॥ सेर कन्द की चासनी करे. २ मासे केशर डालदे पीस के घी से थाली को चुपड से और पेठेमें मिला कर थाली में जमा दे और इलायची पिसी हुई, दो बूंद केवड़ा की डाल दे वह पेठाकी बरफी हुई। इसी प्रकार से बूरा मिश्री डाल के लड्डू भी बना सकते हैं।

खरखरी।

पाव भर मैदा, १ छटांक वेशन, ४ आना भर हलदी पिसी, २ आना भर नमक, सबको मिलाके १॥ छटांक घी डाल के कड़ा मांडे और रोटीके बराबर बढावे और चार तह करले फिर गोल बढाले और घी में छोड़दे जब यह धीमी आंचमें सुर्ख हो जाय तब उताकर रखदे और खरखरी वन गई।

डोइठा।

पाव भर मैदा, छटांक भर घी, १ तोला तिल, देकर इसे मांडले, पाव भर की आठ टिकिया वनाले और अन्दाज भर बढाकर घी में छोडदे. सिकजाने पर उतार ले।

गुना।

पाव भर मैदा मांडे और १ छटांक घी डाले और ५

लोई करै उनमें दो तो खूब बारीक बेले फिर अंगुल २ भर की छीक चाकू से कर दे और आडे कतरे और पानी से जोड मिलादे, आधे जो बचे हुए हैं उन्हे बेले और चार २ अंगुल के लम्बे तिरछे टुकडे काट घी में दोनो छोडदे जब पक कर ऊपर आजाय तब उतारके चासनी करके इन दोनों को आधे पागले, फीके मीठे गुना सकलपारे ॥

सलौनी मठरी ।

बेसन आध पाव, मैदा आध पाव, घी तीन छटांक दो आना भर अजवाइन, दो रत्ती हींग, निमक चार आना भर इन सबको दही में मांडे और २० टिकियां बनालें बेलन से छोटे २ बढाकर गोंद कर रखदे और धीमी धीमी आंच में पकाकर उतार ले

पापडी ।

बहुत बारीक बेसन पावभर छानले चार आने भर नमक डालकर मांड कर अजवाइन, हींग पूर्ववत् डाल के घी लगा कर खुब कूटे या मिलपर खूब पीसे फिर ४० लोई तोड कर गीले कपडा से ढकदे और पुनः खूक बारीक बेले, घी में धीमी आंच में उतार ले, टोकरी में रखदे आधे बेसन को खूब बढाके चाकू से अंगुल २ के अन्दाज से चौकोर काटले, घी में छोडदे जब ऊपर आजाव तब उतार ले ॥

पकौडी

आध पाव बेसन, २ आना भर नमक, ८ आना भर जीरा, १ रत्ती हींग, २ तोला दही, मिलाके रातभर रखदे ४ रत्ती समुद्रफेन मिलादे, दूसरे दिन २ तोला घी मिलाकर

पकौडी तोड के घीमें सैकले, आधी तो १ छटांक बूरा, १ छटांक दही, इलायची पीस के मिलादे, और दही में भिगोवें। २ घंटा बाद थोडे घीमें भूनले खट मिट्ठी पकौडी होगई।

सेव मेदा के मोटे।

पावभर मैदा में छटांक भर घीका मोमन देय और घी में मोटी झरेरी में टिकटी रखके उतारे मैदा बहुत कडो न करे फिर डेढ़ पाव मीठे की चासनी करके पागे।

सेव बेसन के मोटे।

पाव भर में छटांक भर मोमन, ४ आना भर नोन, तोले भर जीरा धेली भर, हलदी २ आना भर सुर्ख मिर्च और मुलायम मांडकर सेव उतारे।

सेव बिचौंदा।

पाव भर में उपरोक्त सब प्रकार से सब चीज मिला कर बारीक सेव छांटे।

सेव पेचके।

उपरोक्त सब मसाला मिलावे पर घी न मिलावे पुनः ३) ४) रु. कीमत के पेचमें बारीक निकाले।

त्रिकोण मैदा।

पाव भर मैदा में १ छटांक घी मिलाकर मांडले, छटांक भर मैदाको घीमें मठरी सी सेकले फिर बारीक कूटडाले लौंग, इलायची, थोडी अमचूर की खटाई कुटे हुए में मिलादे और अन्दाजका मिमक डालदे फिर पावभर मैदाकी ८—१० पतली

२ पूड़ी बेलें और बीचमें चाकू से बराबर २ टुकड़े कर डाले फिर आधे टुकड़े को त्रिकोण कर फिर थोड़ा सा मसाला जो सब पर आजावे भरकर चारो ओर बन्द कर घी में उतारे।

मूंग की पकौड़ी।

बारीक पिट्ठी पीसकर लौंग, इलायची, धनियां, जीरा लोन, आधआना भर मिलाकर घी में उतार ले।

मूंग के बड़ा।

पाव भर दालकी पिट्ठी में सब उपरोक्त मसाला मिला कर १ छटांक घी मिला के और पानी के सहारे हथेली की बराबर बढ़ाकर घी में सुर्ख उतारले।

पकोड़ी बेसन।

पाव भर बेसन में उपरोक्त सब मसाले मिलाकर १ छटांक घी मिला कर बेंगन के २ या ३ टुकड़े मिला कर घी में उतार ले।

पकोड़ी पोदीना।

पावभर बेसन में विना घी के सब उपरोक्त मसाले मिलाकर छटांक भर पोदीना की पत्ती विना लकड़ियों के मिलादे घी में सेकले।

पकोड़ी पान।

पावभर बेसन में विना घी सब मसाला मिलाकर उम्दा बंगला पान के दोनो तरफ लेपकर घी में साबत उतार ले।

उर्द के बडा

पाव भर दाल की बारीक पिट्ठी पीसकर २ हिस्से करैं सब उपरोक्त मसाला मिलावे, १ हिस्से का १ बडा बना घी में सेक ले दूसरे के जरा पानी के साथ भीगे कपडे पर पतला बढ़ाकर घी में सुर्ख सेकले और २ सेर पानी में भिगोदे और सुर्ख राई २ रुपया भर पानी में पीसकर घोलदे तथा १ तोला नमक डाले ३ दिन में खट्टे होजावेंगे.

दही बडा

पाव भर दाल की बारीक पिट्ठी पीसकर १ छटांक किस मिस आधा तोला गोला और इलायची और साबित काली मिर्च मिलाकर १ तोला अदरख वर्क मिलाकर हथेली बराबर किसी गीले कपडे पर बनाकर मसाला भरकर सुर्ख सेकलें फिर गाढा दही, जीरा १ तोला भूनके पीसकर नमक मिला कर रखदे।

माठे

पाव भर मेदा में १ छटांक घी मिलावे और मांढ के गोले बढाकर अंगूठा से किनारे ऊंचे कर बीच में चुकटी से सब जगह से उठादे कील से छेद करके सुर्ख उतारले।

कलमी बडे

उर्द की पिट्ठी पौनपा पीसे, एक छटांक वेपिसी दाल को पिट्ठी में मिलावे १ छटांक पिस्ता, १ तोला बादाम की मिंगी यह सब पिट्ठी में मिलादे ४ आना भर नमक और ८ मिर्च लाल, १ रत्ती हींग, यह भी पीस के डालदे, ४ इलायची भी छील कर डालदे. ४ आना भर धनिया कूटकर डालदे सबको

एक में मिलाके थाली की पीठ पर घी चुपड कर लम्वा वढावै और लम्बी १ एक एक विलस्त की चकती काटले और घी में छोडदे और सावित ही भूनले जब सुर्ख हो जाय तब निकाल लें।

वर्फी संतरा की।

आध सेर खोया खूब भून ले १। सेर वूरे की चासनी कर दो संतरा पके हुए लेकर छीलके निचोडले और पाव भर वूरे में अर्क संतरा डालदे और चासनी कर ले जब गाढी चासनी करे तब दोनों की चासनी एक में डालदे और खोया भी डालदे और चांदी या कांसे की थाली में जमा कर काटले।

वर्फी आमकी।

अच्छे आमका डेढपाव रस लेकर कलई की हुई कढाही में खोया करे जब गाढा होजाय तब आध सेर भुने हुए खोया मे इस रसको मिलादे थोडी केशर मिलादे और कलई किये हुए वर्तन को घी से चुपड दे फिर इसको जमा कर काटले इस में १ सेर वूरे की चासनी करे।

पिस्ता लौजात (वर्फी)

आध पाव पिस्तोंको छीलके थोडे से घी में सेकले पुनः इसकी पिट्ठी करले थोडी सी चासनी में घोटले फिर आध सेर वूरा की चासनी में डालदे।

वादाम की वर्फी

इसको भी पिस्ताकी माफिक वना कर जमाकर वर्फी काटले

चिरोंजी की बर्फी

आध पाव चिरोंजी सूखी कढाही में भूनले छिलका भी उतारले, और आध सेर बूरे की चासनी करले उसी चासनी में डालके जमा ले।

खरबूजे की बर्फी।

आध पाव बीज चिरोंजी के माफिक भूनले, आध पाव खोया डेढपा बूरा की चासनी करके जमा ले।

तिली।

पाव भर तिल सफेद सेक ले, २ भाग करके डेढ पाव बूरे की चासनी करके आध पाव तिल डालदे, और चलाता जाय पृथक बर्तन में कड़ी हो जाने पर उतार ले। बाकी आध पाव तिली उसमें १ रत्ती केशर जल में पीस कर चासनी डाल दे. और बराबर चलाता रहे।

सूजी अप्पम

पाव भर मैदा, खूब घी देके मांडे, आध पाव सूजी को भून के ३ छटांक बूरा डालके मोहन भोग बनाले, पाव भर मैदा की ८ लोई करे, केले के पत्ते पर घी चुपड कर पत्ते पर पूरी के समान बढावे, बाद कचौरी के समान अंदर मोहन भोग भरे, बादाम, पिस्ताको साफ करके इस कचौडी को बढा कर उसमें मेवा चिपकादे, फिर घी में छोडदे, सिकजाने पर घी निचोड कर उतार लें।

बादाम की रोटी।

बादाम की मिंगी १ छटांक, छिलका उतार कर तोला

भर दूधमें पीसलें, आठ आना भर बूरा मिला कर आटे के समान मांडले अखरोटका पलोथन लगाके वेलले, कागज पर घी चुपड़ कर उसी पर जमादे, थाली पर रखदे और थाली के नीचे धीमी आंच से सेक ले फूल आने पर उतार ले।

पचरंगे चांवल।

आध सेर पुराने चांवल चढाके पकजाने पर पसाले और पांच हिस्सा करले, तीन छटांक बूरे की चासनी करे पानी में पीस कर थोडी केशर डाल दे, और एक हिस्सा चांवल डाल दे, जब चासनी संमल आवे तो)॥ पैसा भर घी डाल दे, आध पाव बूरे की चासनी में एक भाग चांवल डालदे, आधी छटांक घी डालकर आंच पर रखदें, (चंद्रभात) पके पानीको निकाल कर एक हिस्से चांवलों में माख दे २ बूंद घी १ बूंद नीबू का रस डाल दे, थोडा नमक मिर्च डालदे सोसनी करने हों तो १ तोले कपूर का काजल बनाकर इन चांवलों में मिलादे. १ रत्तीभर सिंदरफ डालदें. थोडीसी सिंदरफ लगाकर आखीरी हिस्से में लगाकर आधी छटांक घी देकर धीमी आंचपर से उतारले, सब रंगके एक में थोडे मिलाले, बाकी प्रथक प्रथक।

दही नीबू के चांवल.

पावभर चांवल ले इनको उबाल के भाग कर डाले एक में १ छटांक दही मिलावे, नमक मिर्च लाल डालके थोडे घी में लोंग डाल बघारले बाकी चांवल को १ छटांक बेसन को घी में भूनले बडी इलायची डाल घी को ताकर चांवल बेसन एक में मिलाकर नमक मिर्च डालके उतारले, थोडी खटाई दे दे।

दूध के चांवल.

आध पाव चांवल लेकर उबालले डेढपाव दूधको थोडा थोडा चांवल देकर औटाले १ तोला मीठा डालदे।

पुलेरा.

आध पाव चांवल में हलदी का रंग देकर नमक डालदे १ छटांक घी चढाकर इलायची राई डालके चांवल डालदे पैसा भर इमली का रस डालदे।

श्रीखंड.

१ सेर दही मीठा कपडा में बांधदे जब जल न रहे तब पावभर दूध डालके छानले पावभर बूरा, १ मासे केशर डाल कर छोटी इलायची ६ मासे पीस कर मिलावे.

पूरन पूरी

आध पाव चनाकी दाळ को खूब उबालले उसे पसावे पिट्टी के समान पीसले आध पाव बूरा भी मिलाकर आंचपर चढादे गाढी होने पर, उतारले बडी इलायची पीसके डालदे पाव भर मैदा मांड कर उनमें कचौरी के समान पिट्टी भर कर तवे पर सेकले, और नीचे घी में डालदे फिर निकालले, हबरी और अमचूर भी डालदे।

बासोंदी.

२ सेर दूध को औटते २ जब १ सेर रहजाय १ पाव बूरा डालदे २ रत्ती केशर १५ इलायची छोटी पीसके डालदे।

बेशन.

आध पाव बेशन, आध पाव घी, बेसन को घी में भूनले ३ छटांक दही भुनने के वाद इसमें मिलादें १ मासे काली राई १ रत्ती हींग, डालके वघारले फिर गिरी डालदे, आठ आना भर पिसी लाल मिर्च डाले जब गाढा होजावे, तब कढाही से निकालले।

दधि ओदन.

पाव भर चांवल उबाल कर आध सेर दही मिलादे, राई, लाल मिर्च का छौंक दे, १॥ रुपया भर नमक डालदे, गर्म होने पर उतारले।

खिचडी.

पावभर मूंग, पावभर चांवल, वरावर लेकर बटलोई में डालदे १॥ अंगुल पानी ऊपर रहे तब चढादे, जब गलजावे तब आध सेर घी डालदे, १ छटांक अदरख, २ तोला नमक, गोला की गिरी, वादाम की गिरी दोनों को घी में भूनके डालदे, छोटी इलायची २ मासे पानी में भिगोकर घी में डालके वघारदे उतार के १ छटांक मलाई इस पर रखदे।

थूली.

पावभर गेहूं दलकर दलिया को १ छटांक घी में भूनले जब सुर्खी आजाय तब सवापा पानी डालदे जब गल जाय और खिला रहे पावभर मीठा डालदे, आधपाव घी डालदे, मन्दी आंचपर रखदे, बीच बीच में करछी से चलादे, नमकीन बनाव तो नमक डाले।

अमरी।

पहले दिन पावभर चना भिगोदे दूसरे दिन उबालने को रखदे जब गलजावे तब पानी निकालदे फिर गर्म पानी में चढावे, ४ लौंग, ४ बडी इलायची, २ आना भर जीरा २ आना भर लाल मिर्च, पीसले २ रुपया भर बेशन घोलके डालदे. कई उफान आने पर १॥ तोला नमक डालदे, कढीवत गीला रहे तब राईका बघारदे।

रसगुल्ला

२ सेर दूध औटा कर पैसे भर इमली घोलके छींटा दे जब फटजाय तब कपडे में बांध कर पानी निकाल के सिलपर पीसले, गोल १ बनाकर १ सेर बूरे की चासनी चढाके उस में गुलले छोड आंचदे अन्दाज भर होजाने से उतार ले।

बालूसाही।

१ पाव मैदा में १ छटांक घी डालके दही में मांड, पुनः बालूसाही बना के घी में डालके सुर्ख होने पर उतारले, आधा सेर बूरे की चासनी में डालदे।

उर्द की दाल।

३ छटांक उर्द की दाल धुली हुई, १ तोला धनियां, १ तोला अदरख २ आना भर जीरा १ आना भर हल्दी, २ मासे दालचीनी, २ लौंग, ४ बडी इलायची, खूब बारीक पीसके १॥ छटांक घी में डालदे जब दाल घुलजाय तब इस मसाले को डालदे, चार आना भर नमक डाले १॥ छटांक घी पीछे से डाले और १ तोले कचरी डालदे।

दाल कश्मीरी.

दाल पावभर उर्दकी धोई हुई चढादे, ४ इलायची, ४ लौंग, दालचीनी पानी में भिगोदे, दाल में हल्दी, नमक डालदे, जब अधघुली दाल होजाय तब आध सेर दूध डालदे, घी से ऊपर के मसाले को मय छिलकों के छौंकदे. १ रत्ती हींग जल में घोलके डालदे. पकाके १ तोला अदरख डालदे।

धोई हुई मूंग की दाल पावभर गर्म पानी में चढादे ४ आना भर नमक, हल्दी, हींग साथ में डालदे, पावभर दही डालदे, ४ लौंग, जीरे से छौंकदे।

पावभर चना की दाल, जब गलजाय तब हल्दी, नमक डालदे आधी निकालले और पिट्ठी पीसले १ तोले अमचूर, आधपाव दही, डालदे, काली राई का छौंकदे पिट्ठा में छार-छबीला २ मासे, २ लौंग, काली मिर्च, ८ आना भर, ८ आना भर धनियां इनको कूट के पिट्ठी में मिलादे, इमली की खटाई १ छटांक डालदे, उतार के २ तोले मीठा डालदे।

अरहर की दाल पाव भर १ घंटा पानी में भिगोदे गर्म पानी चढादे उसमें दाल डालदे. गलजाने पर दो तोले गुड आधपाव घी थोडा अमचूर मिलादे।

मेवा का परांवठा.

एक छटांक मिंगी बादाम, एक छटांक पिस्ता, १ छटांक सूजी, मेवा की पिट्ठी करके सूजी में मिलाके दही में मांडे ४ आना भर नमक, १ तोले मीठा, काली मिर्च १ मासे, पीस कर डालदे एक रोटी बना के घी चुपड के पत्ते पर रखदे नीचे आंच दे और ऊपर आंच दे खूब सिकजाय तब उतारले।

आलू की रोटी ।

१ सेर आलू उबाल के छीलले फिर इनकी पिट्ठी करले उनके चार हिस्से करके पूरी के समान करके, घी में उतारले पलोथन अरारोट का लगावे ।

पावभर आलू की पिट्ठी में नमक मिर्च मिलाके पकोडी, और पावभर आलू की पिट्ठी में नमक मिर्च हींग मिलाके बडे बनाले ।

पावभर आलू की पिट्ठी को घी में भूनले थोडी सूजी डालदे, या सिंघाडेका आटा डालदे सिकजाने पर कन्द इलायची, बूरा, डालदे लड्डू बनाले ।

खरखरी ।

पावभर मैदा, १ छटांक घी, मोमन में हल्दी या केशर थोडी सी मांड के बेलके चार तह करले घी में सेकले नमक डालदे ।

कढी ।

पावभर बेसन, पावभर घी, १ सेरदही बेसन को कपडे में छान के हलदी ८ आना भर, आधी छटांक नमक घी के चार छोक बारी २ कढी में लगावे और उसमें काली राई, लौंग, जीरा, १ तोले दाल चीनी, सौंफ तेजपात, छारछबीला जल में भीगी इलायची इन सब का अलग अलग छौंक लगादे इतनी बडी में ४ सेर पानी डाले मन्दी २ आंच में डाले और सुर्ख होजाय तो उतार ले, इसी में पकोडी भी डालदे ।

कढी ।

बेसन १ छटांक, दही पावभर, हलदी, मिर्च, नमक अन्दाजभर के, हींग, जीरे का छौंकदे तेलमें पकोडी काढले इस में सेर भर पानी डाल खूब औटावे इसमें पकौडी डालदे ।

कढी मूंग की दाल की

आधपा दाल की पिट्ठी करले इसमें आधी की पकौडी तोडले और आधी को दही में छानले और हल्दी, मिर्च डालदे साथ ही में नमक, मैंथी, हींग, लाल मिर्च का छौंक दे खूब औटाले गाढी होने पर पकौडी डालदे ।

कढी चनाकी

आधपाव चना भिगोदे फिर उन्हें खुब उबालले, १ छटांक बेसन और दही आधसेर घोलके चनों में मिलादे काली राई हींग का छौंकदे ।

कढी खटाई की ।

आध पाव इमली भिगोदे, उसका जल छानले आधपाव बेसन को घोलके चीला उतारे इन चीलोंके टुकडा करे इमली में हल्दी नमक मिर्च ५ छटांक मीठा डालदे लोंग, हींग का बघारदे गाढे होने पर चील्हा के टुकडा करके डालदे ।

कचरियों की कढी.

१ छटांक कचरी पानी में खूब बारीक पीसले इसी में १ छटांक बेसन घोलदे हलदी नमक मिर्च डालदे हींग जीरे का छौंकदे ।

कढी सन्तरा।

पांच छः नारंगियों का रस निकाल ले इसी में आधी छटांक बूरा डालदे १ तोला अदरख २ आना भर जीरा डाले ४ लोंग ४ इलायची बडी डालदे ऊपर की सब चीजें बारीक पीसले छान के सन्तरा के जल में मिलादे पीछे से दालचीनी हींग का बघार दे एक उबाल आने पर उतार ले।

इसी प्रकार से फालसे की कढी तयार करले।

कढी आमले

१ छटांक आंवले लेकर भिगोदे, पाव भर पानी में १ छटांक बेसन घोल के कढी के समान बना के उस में आंवले डाल दे। और खूब औट जाने पर उतारले।

बादाम का हलुआ।

बादाम की मिंगी आधपाव इनको छील के बारीक पिट्ठी कर आधपाव घी में भूनले जब रवा पड जावे तब आधपाव मीठा डालदे, १ छटांक दूध डालदे. इसी में छोटी इलायची पीसके डालदे।

हलुआ

आधपाव सूजी आधपाव घी को खूब भूनले, और भुन जाने पर थाली में उतारले फिर १॥ पाव पानी डाले, और ३ छटांक बूरा डाले, खूब औटजाने पर भुनी हुई सूजी डाले जब खिलजावे तब उतारले, यदि पानी की दरकार हो तो १ छटांक दूध डाल दे इसी में बादाम पिस्ता और गोला के टोहरे डालदे।

बेसन का हलुआ।

पावभर बेसन पावभर घी में खूब सेकले फिर १॥ पाव मीठा डालदे ३ छटांक पानी डालदे और पूर्ववत् मेवा डालदे।

मूंग का हलुआ

मूंग की पावभर पिट्ठी पीसले सवापा घी में सेके जब सुर्ख होजाय तब पावभर पानी डालदे बाद मेवा डालदे।

आधपाव मखाने का चून आधी छटांक घी में भूने रंग बदलने पर आधपाव बूरा डालदे और आधपाव जल डालदे किसमिस और इलायची डालदे।

सिंघाड़े का हलुआ।

सिंघाड़े का चून पावभर, पावभर घी खूब भूनले फिर थोड़ा २ पानी का छींटा देता जाय होजावे तब मेवा डालदे।

छुहारे का हलुआ।

पाव भर छुआरा भिगोकर बारीक पीस ले १ सेर दूध में चढादे. चलाता रहे रवा पडने पर पाव भर घी डाल दे पाव भर मीठा डाल दे २ मासे केशर डाल दे. इलायची और मेवा डाले पानी न डालके दूध का छींटा देता रहे।

अरवी की इमरती

अरई आध सेर खूब उबाल के पीस ले, फिर चाळनी में छान ले १ छटांक अरारोट मिलावे और मथे फिर चासनी २ सेर बूरे की बनाले और इमरती बनाके चासनी में डालदे ऐसे ही जलेबी बनाले।

अमरस

पाव भर आमका रस निकाल कर १ छटांक घी डाले एक मासे केशर. ६ माशे इलायची मिला के लकडी से खूब फेरले पुनः सुखा ले बूरा पाव भर डाल दे. और पाव भर दूध डालदे।

दाल

मोठकी दाल गल जाय तब आधपाव दही, आधी छटांक

कचरियां पीसकर दही में घोलले, आधपाव घी यह सब डालदे. हींग का छौंक दे।

फुलका।

पावभर मैदाको मांडले पुनः दुध से भिगोदे १ छटांक घी डालदे और गूंदे दूध देता जाय, १५ फुलका बनावे पलोथन देकर धीमी आंच में सेकले।

बेसन के फुलका।

आधपाव वेसन, आधपाव आटा, २ आना भर नमक हींग जीरा १ रत्ती, अजवायन दो आना भर अच्छी तरह से मांडे दस फुलका वनावे घी से चुपड कर रखवे।

वथुआ के फुलका।

पावभर आटा, पावभर वथुआ को उवाल कर निचोड़ कर पिट्टी वत पीसले आटे में मिलावे लौंग, इलायची, नमक मिलाकर १ छटांक घी देकर फुलका बनाले।

बाटी।

पावभर आटा मांडके नमक डालदे, उर्द की दाल आधपाव चढादे साथ ही गर्म मसाला छोडके और तेज आंच दे इसी दाल में बाटी डाल दे. जब बाटी दाल में ही पक जावें तब निकाल ले थोडी हवा लगने के वाद कंडाको वारीक करले और बाटी उसी पर रखदे बाद उसी में दावदे जब फट जावे बाटी तब निकालें साफ करके तोडके घी में डालदे।

मक्काका आटा पावभर वारीक मांडके चार फुलका बनावे और घी चुपडके रखदे।

इसी प्रकार बाजरा आदि की।

पूरी।

पावभर आटाको दूधमें मांडले और पूरी उतारले।

पाव भर मैदा, आधी छटांक घी, मांडके ३० या ४० पूड़ी छोटी १ क॰ ले अलग रखदे ॥

पाव भर मैदा १॥ छटांक घी, आदपा उर्दकी दालकी पिट्ठी में नमक डालदे धनियां, जीरा, हींग, मिर्च, डालके कचोरी के समान भरके उतार ले ॥

नं० ४७—पाव भर मैदा, आधी छटांक तैल मीठा, आधी छटांक घी, नमक डालदे मांडके उर्दकी पिट्ठी में मसाला डाल के पिट्ठी को घी में भून ले लोया तोडे दोनो के बराबर भीतर भर के कचौडी की तरह बनालें ॥

मगौड़ी ॥

मगौडी पावभर घी मे तलले लाल हो जाने पर उतार ले आध सेर पानी चढादे उसी में मगौडी छोड दे हल्दी, मिर्च, नमक, आदपा दही, पीछे हींग, जीरे का वघारदे ॥

करारा ॥

आधपा बेसन घोलके लाल मिर्च, हींग, जीरा, डाल के तवे पर घी चुपडके पतला कर चीलड़ा के समान सेक ले कैंची से तीन कोने के कतर ले आध सेर दही में डालदे हल्दी नमक डालके हींग, जीरे से १ छटांक घी में वघारदे खूब औटने पर उतार ले ॥

पिठौर ॥

आधपा बेसन को माफिक घोलके १ तोले नमक, १ आना भर अजमायन, पिसी मिर्च डाल कर आंच पर चढादे करछी से चलाता जावे॰ पकने पर आवे तब १ बूंद थाली में डालके देखे जब उलट जावे तब उतारके बराबर थाली में फलादे ठंडा होने पर काटले चौकोर करके इन में आधी

सूखी रखे आधी पाव भर दही में डालदे जीरा, नमक, डालदे सूखी रही है उन्ह घी में तले ॥

केलाका झोल ॥

आधपा बेसन को मांडे मिर्च नमक हल्दी पीसके डाले और चनाके समान या कुछ बडी गोली बनाके घी चुपडके पानी में छोडदे उबल आवे से निकाल ले एक छटांक वेसन पाव भर दही मिलाके हींग जीरे का बघार देकर गोली डाल दे जब खूब १० —५ उफान आजावे तब उतार ले ॥

मदन बिहार ॥

चार केला पके, उर्द की दाल छटांक भर कच्ची भूनले और सिल पर बारीक पीसले उसमे केलाकी फली पीसे अंदाज का नमक, हल्दी, साबित काली मिर्च मिलादे बडी इलायची के बीज २ रुपया भर बूरा, कढाई में घी चढाकर मूगकी पकौडी के समान उतार ले इमली की खटाई भिगो कर दही इमली जीरा डालदे, जल को औटाकर उसी में छोडदे ॥

पकौडी

ऽ। मूगकी दाल खूब बारीक पीसले जीरा, नमक, हींग, तवेपर चील्हा उतारले और आधे की इलायची, लौंग, डालके पकौडी बनावें- पाव भर पानी में २ नींबू निचोडले अन्दाज़का नमक जीरा डालदे इसमें पकौडी डालदे ॥

बडा

उर्दकी दाल पावभर पिठ्ठी बारीक करके २० तोला बरथ एक छटांक किसमिस, आधा तोला गोला, एक तोला छुहारा

१ तोला पिस्ता, बडी इलायची के बीज, काली मिर्च सावत इन सबको मिलाके १ छटांक घी पिट्ठी में मिलावे और भीगे कपडे पर लोवा रखकर के बढावे इन पर मेवा गेरदे ऊपर से लोवा रख कचौरी सी करके घी में खूब सेकले. आध सेर दही गाढा लेकर छानले, आधपा पानी इनमें जीरा भून कर पीसकर डालदे।

नांन खताई

२ छटांक मैदा, २ छटांक बूरा, २ छटांक घी, घी को गरम करके तीनों चीज विना पानी के मिलावे जब मुलायम होजावे, अगर घी कम हो तो थोडा और भी मिलावे, यानी पूरी के माफिक लोच होजावे ऊंची बाढ की थाली में भोजपत्र के ऊपर छोटी २ टिकियां काट के गोल २ जमादेवे चार कंकड के बीच में आंच रखकर थाली रखदे उसके ऊपर १ खाली थाली अधर रहे उसे रखदे ऊपर भी थोडी आंच रखदे १० मिनट बाद देखले अगर सुर्ख कडी फूल जाय तभी थाली उठाले अगर कसर होतो २—४ मिनट के वास्ते फिर थाली रखदे ठंडी होजाने पर अलग किसी बरतन में रखले।

चिरौंजी की दाल

पावभर चिरौंजी गरम पानी में आध घंटे तक भिगोदे दाल के माफिक साफ विना छिलकों की करले केलाके सूखे पत्तों को जलाके राख करदे कपडे में छानके १ छटांक राख बरतन में १ सेर पानी रखदे फिर राख उसमें डालदे, उसका मुंह दबा कर आंचदे जब दाल के माफिक चिरौंजी गलजाय फिर बरतन में पसाकर चलनी में छानकर काला पानी निकालदे फिर २-२ पानी से बिल्कुल साफ करदे, तब भी यदि कुछ कालापन रहजाय तो २ रत्ती फिटकरी आध सेर

पानी में घोलकर साफ करदे बहुत देरतक पानी का संसर्ग न रखे।

दूसरे साफ आध सेर पानी का अधहन करके डालदे ८ आना भर नमक डालदे २ माशे केशर, जलमें पीस कर डालदे २ मिर्च के चार टुकडे करके डालदे दो छटांक ताजी दही छानकर डालदे, १ मासे दालचीनी पानी में भिगोदे, बाद गरम करछी में घी २ पैसा भर में बाद दालचीनी निकालदे, सुगंधित घी डालदे एक रत्ती हींग, जीरा, ४ लौंग का सी बघार देवे।

तिल दल मुग्गा

पाव भर सफेद धुले हुए तिल, कढाही में बिना घी के हिस्से २ भूने, सुर्ख न हो जब तक चटकाते रहें बाद उतारले बाद कूटे, बाद थाली में रखे. पाव भर सफेद बूरा डाले, आधपा या पावभर घी डाले ६ मासे छोटी इलायची के बीज डाले, आधपा कन्द दरिया एक बूंद केवडा इत्र, १ तोला पिस्ता के बरक करके मिलादे. सबको मिलादे. १ छटांक का लड्डू बांधले, अगर घी कम हो तो और भी डाल सकते हो।

बेसन की पापडी

पाव भर चना की दाल, १ छटांक उर्द की धुली दाल, का चूर्ण, आटे को बारीक कपडे में छानदे, ८ आना भर नमक ४ आना भर अजवायन, एक आना भर बारीक लाल मिर्च, २ रत्ती हींग, पानी में घोलके आटे को पापड के सदृश कडा मांडे सिलपर रखके खूब कूटे फिर छोटी छोटी टिकिया कर बारीक वेले, बाद अलग २ रखले, घी में सेकले।

सकलपारे तिलसिठी

आधसेर मैदा, आधपा घी मैदा में डालके कडा मांड

आधे को रोटी के समान बेले आडे तिरछे टुकडे काट घी में भूनले पुनः डेढपाव बूरे की चासनी कर इसमें, डालदे बाकी मैदा में १ छटांक तिल सफेद मिलाकर तिखूटे काटके सेंकले ।

माल पुआ

तीन पाव बूरा, आटा बारीक १ सेर मिलाके पानी में घोलदे तई में घी चढाकर मालपुआ उतारले फिर इलायची पीसके भुरक्दे ।

इसी प्रकार गुण के बनाले ।

इन्दरस ।

पाव भर मैदा, १ छटांक तिल सफेद धुले हुए, आधपाव बूरा, थोडा पानी डालके मांडे कडा हाथसे छोटे छोटे बढाके घी में छोडके धीरे २ सेकले ।

ऐसे ही चावल के बनाले मोमन घी आधी छटांक का दे ।

चांवल के इन्दरसे ।

आधपाव चांवल पसाके तयार करे ४ संतरा के जीरे छील के तैयार रखे उन्हें चांवल के ऊपर रखके इस प्रकार चार तह में रखदे और ४ आना भर नमक पीसके मिलादे, १ तोला बूरा, १ मिर्च डालदे, इसी प्रकार मांठे भी बनाले ।

चनाकी दाल ।

चनाकी दाल पावभर २ घंटा भिगोंदे धोकर सुखादे पुनः दो बार घी मे भूनले आध सेर घी में भूने घी निचोडे इसी मिर्च नमक मिलादे.

नमकीन मोंठ।

मोंठ पावभर तीन दिन भिगोवे पुनः पूर्वत् तले.

तलेमां मूंग।

पावभर मूंग पूर्ववत्।

चना।

पावभर चना पूर्ववत्।

तिलबड़ी।

पावभर उर्द की दाल की पिट्ठी करके पावभर तिल मिलादे आठ आना भर नमक, २ आना भर लाल मिर्च, २ रत्ती हींग, रातभर रखके दूसरे दिन मगोडी सी तोडले सूख जाने पर १ मुट्ठी लेकर तलके बनाले।

गिरी का भात।

आधपा गिरी घीयाकस में कसले. १ छटांक केला के पत्तों को राख १ सेर पानी में चढाकर ढकदे उसी में गिरी डालके २० मिनट देखै कितनी कसर गलने में बांकी है गल आने पर चलनी में पसादे दो चार पानी से साफ करदे पानी न रहने पावे १ हिस्सा करे आधे में केशर मिलादे, पावभर बूरे की कड़ी चासनी करे, इसमें चांवल को डालदे, १ छटांक घी डालदे, केवडा की सुगंधि दे दे. बाकी आधपा को पाव भर दही १ छटांक घी, दही को घी में भूने सुर्ख होने पर उतारले,

हींग थोडी सी डालदे, दो आना भर नमक डालदे, मिरच डालदे, घी में पकाले।

बादाम की खीर।

पाव भर बादाम की मिगी साफ करले, आधपा को खूब बारीक कतर ले और दोनों को १॥ सेर पानी में चढादे छटांक भर केला की राख डाल दे, जब गलजाय तब उतार के धोके साफ करले २ सेर दूध में तो बादाम के टुकडे डालदे और खीर के समान होजाय तो बूरा डालके उतारले और इलायची केवडा डाले जो समूचे आधपा बचे हैं उनकी पिट्ठी करके १सेर मैदा मिलाके ठिकिया बढाके घी में पकाके चासनी में डालके निकाल ले॥

टिकिया खस्ता।

आधपा मैदा, दही में मांड के रात को रख दे फडा मांडे आधी छटांक घी डालदे छोटी टिकिया घी में उतारे॥

हरडकी टिकिया।

४-५ छोटी हरड पीस के आधी छटांक घी, नमक, जीरा, मिलाके छोटी २ टिकिया बना घी में उतार के रखले॥

॥ बालूसाई फलारी ॥

पाव भर आटा सिंघाडे का लेकर १ छटांक घी डालकर मांडे घी में टिकिया के समान उतार ले फिर चासनी करै आध सेर बूरे की चासनी में डाल दे चासनी लिपट जाय तब उतारले॥

पेठे का साग।

पावभर पेठा, ४ लौंग ४ इलायची, ८ आना भर धनियां, २ आना भर दाल चीनी, २ आना भर हल्दी, चार आना भर काली मिर्च, २ आना भर लाल मिर्च, बारह आना भर नमक, इन सबको खूब बारीक पीसले और पेठे में मिलावे, १ छटांक घी चढादे १ रत्ती हींग डालदे, और पेठे को घी में डालके धीरे २ भूने मिलजाने पर दो हिस्से कर डाले, एक को घी में चढा रहने दे उसी में आधपा दही डालके तेज आंचपर धरदे, १ तोला बूरा डाले, जब पानी सूख जाय तब उतार ले।

दूसरे हिस्से के पेठा का मसाला कपडे से पोंछ डाले और आधे नीबू का रस निचोड दे आधा तोला बूरा डालदे, आधी छटांक घी में चढाकर हींग का छौंक दे।

मोदक खोया के।

२ सेर दूध में कंगई की लकडी के टुकडे डाले जब उस का खोया होजाय खस २ के दानो सा खिलजाय तब २ छटांक बूरा, कन्द आध पाव डालके आध पाव घी डालके ६ माशे इलायची, १ माशे लोंग पीसके डालदे लड्डू बांधले।

मुरब्बा आमका।

आम छील के बडी २ फांके काटके चूने के पानी में धोके जोस देके ४ सेर सक्कर की चासनी में डालके मिट्टी या चीनी के वर्तन में रखदे, यदि डालना चाहे १ सेर में ६ माशे केशर, १ तोला इलायची छोटी पीस के डालदे।

राम सरोवर।

पाव भर दही या खोया, बनाके आध पाव मेवा, आध

पाव बूरा, २ मासे केशर, २ तोला बादाम की मिंगी २ तोले पिस्ता इन सबको मिलाके आधी छटांक घी डालके पूडी के समान घी में उतारले २ आना भर नमक डालदे।

अचार नीबू का

१ सेर नीबू १ तोले काली मिर्च, १ तोले लाल मिर्च १ तोला जीरा सफेद, ४ आना भर हल्दी, बडी इलायची १ तोले लौंग १ तोले, २ रत्ती हींग, तीन छटांक नमक सबको कूटकर चार फांक जुडी हुई नीबू की करके सब मसाला भरदे वरतन में तीन दिन तक रहने दे बाद में नीबू का रस डालदे इतना कि वे डूब जांय।

मुरब्बा नीबू.

१ सेर नीबू झापां से रगड के चूने के पानी में डालदे दो दिन के वाद निकाल के धोले, जोशदे, नरम पडने पर ४ सेर बूरे की चासनी में डालदे।

मुरब्बा सन्तरा

कडे २ छोटे सन्तरा १ सेर सोडा केपानी में इनको डालदे दो घंटे वाद निकाल के धोले कांटेसे गोदा देकर ८ सेर बूरे की चासनी करके उसमें डाले याद रखदे।

मुरब्बा सेवका

१ सेर सेव छील के गोद डाले पानी में उवाल के खूब गादी ४ सेर चासनी में इनको छोडदे फिर आग पर रखदे गादा होने पर उतारदे।

मुरब्बा नाशपाती ।

१ सेर नाशपाती को छीलके कांटेसे गोदके उबाले जब खूब नरम होजाय तब ४ सेर चासनी में डालदे ।

इसी प्रकार अन्ननाश का ।

मुरब्बा पैंठा ।

१ सेर पेंठा छीलके गोद कर छोटे २ टुकडे करके जोश दे जब नरम होजावे तो ३ सेर खांडकी चासनी कर उसमें छोडदे थोडी २ आंचदे जब चासनी गाढी हो जावे तब उतारले.

मुरब्बा घीया ।

उसी प्रकार से बनावे ।

मुरब्बा गाजर ।

उसी रीति से बनावे ।

मुरब्बा कमरख ।

१ सेर कमरख को गोदके चूने के पानी में डालदे. फिर निकालके बाद में जोशदे, २ सेर खांड की चासनी में डाले जब गाढी चासनी आवे उतारले ।

मुरब्बा बिजोरे का ।

छीलके गोदके ४ सेर खांड की चासनी में छोडदे ।

मुरब्बा गन्नेका ।

१ सेर गंडेली बहुत उम्दा छिली हुई चूने के आध सेर

पानी में घोलकर उनको डालदे ख्याल रहे कि वह पानी इतना हो कि वे डूबजांय वाद दस दिन के उस को देखले कि गली हैं या नहीं अगर न गली होतो फिर पावभर चूने का पानी डालदे फिर निकालकर खूब धोडाले केलाके सूखे पत्ते में उनको दाब कर खूब पानी भर कर आग पर चढादे जब बिलकुल गलजावे तब उसको उतार कर ठंढे पानी से धोडाले फिर ३ सेर खांड की चासनी में डालदे।

मुरब्बा सुपारी चिकनी।

चिकनी सुपारी आध सेर पानी में डालदे पांच चार दिन पानी में रहने दे फिर निकाल कर सज्जी छटांक भर पीसकर आध सेर पानी में घोलकर डालदे ८ दिन पडी रहने दे वाद को देखे कि कितनी नर्म और कडी है जब बिलकुल गलजावे कडी न रहे जोकडी हो तो दो सेर गोमूत्र डालदे फिर देखले कि गलगई, तब धोकर पानीमें चढादे फिर चासनी में डालदे।

पापड चनाके।

चनाकी दाल पावभर उर्द की धोई दाल १ तोला. इन दोनो को एक में मांडे १ तोले नोन, १ तोले अजवाइन, २ आना भर लाल मिर्च, इनको मिलाके चूर कूटले वादमें पापड के समान वेलले।

मोंठ की दालके पापड।

मोंठ की पावभर दाल १ तोला नमक डालके पूर्ववत् वेलले।

मुरब्बा नाशपाती।

१ सेर नाशपाती को छीलके कांटेसे गोदके उबाले जब खूब नरम होजाय तब ४ सेर चासनी में डालदे।

इसी प्रकार अन्ननाश का।

मुरब्बा पेंठा।

१ सेर पेंठा छीलके गोद कर छोटे २ टुकडे करके जोश दे जब नरम होजावे तो ३ सेर खांडकी चासनी कर उसमें छोडदे थोडी २ आंचदे जब चासनी गाढी हो जावे तब उतारले.

मुरब्बा घीया।

उसी प्रकार से बनावे।

मुरब्बा गाजर।

उसी रीति से बनावे।

मुरब्बा कमरख।

१ सेर कमरख को गोदके चूने के पानी में डालदे. फिर निकालके बाद में जोशदे, ३ सेर खांड की चासनी में डालदे जब गाढी चासनी आवे उतारले।

मुरब्बा बिजोरे का।

छीलके गोदके ४ सेर खांड की चासनी में छोडदे।

मुरब्बा गन्नेका।

१ सेर गंडेली बहुत उम्दा छिली हुई चूने के आध सेर

दस या बारह दिन बाद जब खट्टी होजावे तब पानी में धोडाले अगर खट्टी न हो तो फिर उसी में डालदे राई १ छटांक हलदी २॥ तोले, नमक २ छटांक इनको मिलाकर बरतन में भरकर चार दिन तक रहने दे उसको ढकदे बादको तेल भरदे।

अचार नीबू।

१ सेर नींबू, नमक ३ छटांक, बूरा आधपाव इलायची बड़ी २ तोले पीसकर डालदे रस नीबूका २ सेर डालदे।

अचार नीबू।

नीबू १ सेर इनको छीलकर पानी में धोकर साफ कर डाले पोछकर वर्तन में भरले नमक ३ छटांक डालदे रस खूब भरदे।

नीबू ठोरमां।

नीबू १ सेर नमक पावभर पीसकर डालदे रोज़ हिलादे,

नीबू॥

नीबू १ सेर राई आधपा, हल्दी २॥ रुपया भर नोन २ छटांक राई को बारीक पीसकर नीबूकी ४ फांक करके उनमें मसाले को भरदे इसमें तेल भरदे जिसमें डूबजाय।

अचार निसोडे का।

नहे २ निसोडों को ओट देकर ठंडे करके सवेरे लाल

मूंग के पापड ।

मूंग की दाल पाव भर १ तोला नमक, १ तोला सज्जी, १ तोला काली मिर्च डालके पूर्ववत् वेलले ।

उर्दकी दाल के पापड ।

उर्द की दाल पावभर १ तोला नमक १ तोला सज्जी, १ रत्ती हींग, १ तोला जीरा पूर्ववत् वेलले ।

आमके पापड ।

पके आमका रस आध सेर, १॥ तोला नमक, १॥ तोला काली मिर्च, डालके काठ के तखते पर ठेपदे बाद सूखने पर पर्त चढाता जावे ।

अर्वीके पापड ।

१ पाव अरवी उबालके १ तोले नमक, २ रत्ती हींग, डाल और मथले सिंघाडे के आटे का पलेथन लगाकर वेलले ।

अचार आमका ।

आम १ सेर, नमक २ छटांक, सोंफ १ छटांक, राई १ छटांक, मेथी १ छटांक, हींग ४ रत्ती, मेथी को तेल में भूनले जब लाल होजाय तब मसाले में डालदे आमोंको काटलो चार फांक जुडी हुई फिर मसाला भरकर डालदे, जब २ दिन होजाय तब तेल भरदे ।

अचार टेंटी ।

टेंटी १ सेर, इनको ४ सेर पानी में डालकर धूप में रखदे

बारीक पीसकर छटांक भर मलाई, २ तोले शहत डाल थोड़ी देर आंच पर रखदे तो मोहन भोग तैयार होगा।

चना की दाल।

पावभर दाल खूब उबालले आधी दाल पीसकर उस चना की दाल में मिलाले मसाला बडी इलायची ४ धनिया ६ माशे, जीरा स्याह सफेद दोनो २ माशे, हींग १ रत्ती लाल मिर्च चार इनको पानी में खूब बारीक पीसकर थोडे से पानी में घी छटांक भर डालकर उस पानी को डालदे जब पानी में सुर्खी आजाय तब उस दाल में दही पावभर घोलकर इस में १॥ पाव पानी डालदे फिर १॥ रुपया भर नमक, हल्दी १ माशे डालदे।

नमकीन खिचडी।

चांवल पावभर, १ छटांक दाल मूंग की धोवा इन दोनों को अलग २ भिगोदे और फिर दोनों को मिलादे लोंग ४, बडी इलायची ४, अदरख १ तोला बनाकर घी ३ छटांक नमक एक रुपया भर, हल्दी एक माशे, ३ छटांक घी को खूब सुर्ख करके मसाले को पानी में डालदे, लोंग, इलायची अदरख इन तीनो चीजो को छोकमें डालदे, जब घी सुर्ख होजाय पानी ६ छटांक में दाल चांवल डालदे फिर पानीको रखदे फिर गलजाय तब छटांक भर घी डालदे और कमी हो तो थोडासा पानी डालदे।

आलू की खिचडी।

चांवल आधपा भिगोदे आलू आधपा छीलकर छोटे २ टुकडे करले और फिर आलूओं को घी में भूनले तब मसाला इस माफिक डाले नमक एक तोला अदरख एक तोले हल्दी ६

खटाई फी सेर १ छटांक बारीक पीसकर फी सेर १॥ छटांक नोन, अर्थात् फी पंसेरी आध सेर नमक १ छटांक हल्दी मिलादे।

खटाई दार फलों से खटाई अलग करने की तरकीब।

चूने के पानी में डालदे बाद २ घंटे के निकाल डाले तो उनसे खटाई बिलकुल निकल जायगी और उसको फ़िर फिटकरी के पानी में धोडाले तो बिलकुल साफ़ हो जायगी।

आमों की खीर॥

आमों को ऊपर लिखी रीति से खटाई निकाल कर और फ़िटकरी के पानी से साफ़ करके जब दूध औट कर खूब गाढा होजाय तब आमों को दुध में डालदे बाद में उसमें मेवा वगैरह डालदे खीर हो जायगी।

बादाम गलाने की तरकीब

ऊपर का छिलका छीलकर जितनी मिंगी हो उसको पानी में डालकर आधी मिंगी के बराबर केले के पत्ते की राख मिला कर किसी बर्तन में रख अंगीठी पर उबालने रखदे और जब गलजाय तब निकालले।

मोहन भोग॥

छटांक भर किसमिस १ छटांक छुहारे इनको दुध में

फैलावै उसको कागज समेत घी में छोडदे खूब सुर्ख सिकजाय तब फिर छने हुए दही में भुना हुआ जीरा, निमक, मिर्च काली, डाल दही में भिगोदे थोडे सूखे भी रखलो सब अलग अलग रखो ॥

मगौडी ।

मूंग की दाल धोवा पिट्ठी करके पीसके पाव भर दाल में छटांक भर राई मिलाय के खूब मथले फिर हींग डालदे दम लोग डालदे फिर पकौडी तोडके धूप में सुखादे जब सूख जाय तब घीमे सुर्ख सेकले जलने न पावे फिर गरम पानी चढादे जब खूब जलजाय तब फिर दही, निमक, मिर्च, हल्दी, तीनों को पीस कर डालदे ॥

उर्द की खीर ॥

उर्द की दाल धोवा आधसेर २ सेर दूध में चढादे जब औटने पर आवे तब दाल को डालदे पावभर बूरा इलायची १० लौंग १० पीसकर डालदे थोडासा इत्र डालदे ।

रोटी व टिकियां ।

पावभर मैदा दूध में मांडे फिर उसमें एक तोला बूरा डालदे पूरी करे तो घी में उतारले रोटी करना हो तो छटांक भर भुने चना छिले हुए खूब बारीक पीसके डालदे मैदा छटांक भर घी में मैदा चना मांडले नमक जीरा डालदे फिर मामूली फुलका पलोथन लगावे खूब बढा कर सेकले और मीठी करनी हो तो बूरा घी में चुपडके ।

आसे पानी पावभर गर्म में चांवल और मसाला डालदे जब गलजाय तब आधपा घी व आधपा दही डालदे फिर मंदी आंचपर रखदे, चांवल आधपा पानी में भिगोदे फिर पानी पावभर गरम डालदे जब गलजाय जब डेढपाव दूध दो दफे करके डालदे छटांक भर घी डालदे मीठे करने होंतो आधपाव बूरा डालदे।

दही के चांवल.

चांवल पावभर पानी में भिगोदे फिर आध सेर पानी में उबालले फिर दही १॥ पाव नमक १॥ रुपया भर हल्दी २ मासे इन सबको किसी कलई के बरतन में खूब औटावे जब गाढा होने पर आवें तब वे चांवल मिलादे और छटांक भर घी डालदे।

भात आलू.

पाव भर आलू छीलकर घीयाकस में कसके फिर पानी में धोडाले फिर दूसरे पानी में १ मासे फिटकरी डालदे फिर जोसदे धोडाले फिर गरम पानी में जोसदेले जब जाने कि नरम होगये जब उनका उस में से पानी निकालले फिर छटांक भर घी डालकर छोंकदे फिर २ छटांक नमक डालदे हल्दी १ मासे और थोडी सी खटाई के लिये नीबू का रस डालदे और मीठे करने होंतो उसके बराबर बूरा डालदे।

बडा

पावभर उर्द की दाल भिगोदे धोकर खूब सफा करे खूब बारीक पीसके १ कागज का गोल सांचा कतरले थोडा सा मोम घी में डालके दोनों तरफ चुपडदे फिर थोडा सी ... लेके नमक मिलाकर पिट्ठी को गोल सांचे पर पतली

फिर इस पिट्ठी के २ हिस्से करके आधे में आधपा मिश्री या बूरा मिलाकर लड्डू बांधले फिर पावभर बूरे की चासनी गाढी करके बची हुइ जो आधी पिट्ठी है उसको चासनी में मिलादे फिर थाली में थोडा घी चुपड कर इस चासनी को जमाकर बरफी बनाले ॥

छाना की बालूसाही।

दूध चार सेर कच्चा लेकर कढाई में नीबू की खटाई या फिटकरी डालकर फाडले जब फटजाय तब कपडे में छानकर गाढी फुटक जुदी करले फिर सिलपर डाल कर सब को पीस ले फिर आधपा घी कढाई में चढाकर इसको मन्दी आंच से भूने जब रवा पडजाय उसी समय थाली में उतारले फिर पाव भर खोआ भूनकर मिलादे फिर १ छटांक अरारोट मिलादे अच्छी तरह से सब में मिलजाय तब केशर थोडी सी घोटकरें सुगन्ध के लिये मिलादे फिर उसमें से आधा अलग निकाल कर रखदे आधे से दूना बूरा लेकर उसकी चासनी बनाकर उस चासनी में डालकर थाली में मोटी पापडा जमावे फिर मिश्री, पिस्ता, इलायची, के बीज पीसके डालदे फिर बची हुइ जो आधी है उसको पौनीपर जमाकर उसपर चासनी डाल कर उसको जुदी २ रख देने से यही खोआ की बालूसाई है ॥

अमरूद पाक।

१॥ सेर पके हुए उम्दा अमरूद लेकर ऊपरसे छीलकर बीज निकाल कर इसके गूदे को सिलपर बारीक पीसले फिर अन्दाज का घी डालकर कलई या पीतल की कढाईमें पीतलकी कारछी से भूनले जब रवा पडने लगजाय तब निकाल कर दूसरे बर्तन में रखकर फिर इसके दो हिस्से करले फिर यदि आधसेर भुना हुआ माल होवे डेढपाव खोआ भूनकर मिलादे फिर

लड्डू पचधारी के ।

आधपा सूजी, आधपा मैदा, आधपा मूंगकी दाल सूखी धुली हुई आधपा खोया मूंग की दाल का खूब चून पिसवाले चून को घी में अलग २ सब चीजों को भूनले जब भुन जाय तब सब मिलादे पावभर कन्द डेढ़ पाव बूरा मिला कर इलायची डालके लड्डू बांधले ।

कच्चे आम की खीर ।

कच्ची अमियां आधपा छीलले घीया कस में कसले छटांक भर चूने के पानी में डालके १ घंटा पडी रहने दे जब खटाई ना रहे २ तीन दफे साफ करले थोडे से फिटकरी के पानी में फिर धोले २ पानी से सफा करले २ सेर दूध को औटावे जब औट जावे तब उतारले सेर भर में पावभर को डालदे २-३ उफान में उतारले बदाम पिस्ता डालदे इलायची डालदे ।

त्रिधारा के मोदक.

पिस्ता १ छटांक, बादाम की मिंगी १ छटांक, गिरी १ छटांक बादाम और पिस्ता का छिलका गरम पानी में डालकर छुटाले फिर इनको धोकर साफ करले फिर तीनों को दूध डालकर सिल पर बारीक पीसकर गाढी पिट्ठी बनावे फिर आधपा घी पिट्ठी में मिलाकर मन्दी २ आंचसे कढ़ाई में भूने जब रवा पडने लगे तब उतारले फिर आधपाव खोआको लेकर मन्दी आंच से भूनकर पिट्ठी में मिलादे फिर १ माशे केशर थोडा पानी डालकर जुदी भिगोके घोटकर पिट्ठीमें मिलादे फिर १ तोला छोटी इलायची के बीज बारीक पीसकर मिलादे

छुहारे का अचार।

१ सेर छुहारों को पानी में भिगोके निकालने के बाद सेर भर नीबू के रसमे आधपाव नमक डालके पाव भर बूरा मिलाके १ छटांक काली मिर्च आधी छटांक भुना जीरा मिलादे २ मास्से हींग पीसके डालदे।

अचार किसमिस।

१ सेर किसमिस में आधपाव अमचूर, अमचूर को बारीक पीसके १ छटांक जीरा सफद भूनके पीसे १ छटांक काली मिर्च, आधी छटांक, लाल मिर्च २ मासे हींग पीस कर मिलादे यह सब मिलाके रखदे।

आलूबुखारे का अचार।

१ सेर आलू बुखारा लेकर जोस देकर आधपाव नमक १ छटांक लाल मिर्च, हींग २ मास्से सबको पीस के इसमें मिलादे २ दिनके बाद इसमे तेल कडुआ एक सेर डालकर रखदे तेल न डाले तो १॥ सेर नीबू का रस डालदे।

आलू बुखारे का मुरब्बा

१ सेर आलू बुखारे को जोश देकर २ सेर बूरे की चासनी करके उसीमे डालदे अर्क केवडा और छोटी इलायची भी पीसके डालदे।

आलू बुखारे की चटनी

एक सेर आलू बुखारा को लेकर उनको जोस देकर उसमें १॥ पाव मीठा, काली मिर्च १ छटांक आधी छटांक लाल मिर्च, नीबू का रस या अर्क नाना डालके रखदे।

इसमें से फिर आधे में वजन माफ़िक उससे आधा कन्द मिला वे फिर थोडी केशर और इलायची डालकर लड्डू बनाले फिर आधा बचा हुआ यह सार व खोआ मिला हुआ इसकी चासनी में मिलाकर थाली में जमादो यही अमरूद पाक है ॥

पकौडी वेसनकी ।

वेसन पाव भर निमक, ४ आना भर, ४ वड़ी इलायची के वीज और ८ लौंग, १ मासे जीरा, १ लालमिर्च, १ रत्ती हींग, पीसकर डालदे और १ छटांक घी मिलाकर दही में घोलकर वहुत मन्दी आंच से वडे उतारले इसका नाम मधु विलास पकौडी है ॥

कमरख का अचार ॥

१ सेर कमरख को गोद कर चूने के पानी में आध घंटा डालदे बाद में धोय के कलई के वरतन में जोश देकर निमक, २ छटांक १ लाल मिर्च, आधी छटांक, हल्दी इनको मिलाके रखदे तेल डालदे ॥

मुरब्बा कमरख ॥

जोश देकर चासनी में पटकदे १ सेर कमरख में तीन सेर मीठा ॥

मुरब्बा अदरख ॥

एक सेर अदरख को छीलके जोश देके गलजाने पर २ सेर मीठे की चासनी में तार आनेपर डालदे ॥

मुरब्बा छुआरा ॥

एक सेर छुआरा लेके रात को पानी में भिगो के २ सेर मीठे की चासनी करके उसी में डालदे ॥

चटनी गिरी ॥

एक छटांक गिरी को खूब पीसले पानी से लाल मिर्च हींग जीरा भुना डालके नीबू या आम की खटाई डाल कर कर पीसले ।

चटनी दही की ।

बंधे हुए दही में नमक, हींग, जीरे का बघार दे ॥

चटनी बिजौरे की ।

एक बिजौरा लेके बीज निकाल के काली मिरच जीरा, हींग, नमक डालके पीसले ॥

चटनी छारछबीला ।

एक छारछबीला एक मासे दालचीनी, ४ लालमिरच, ६ कालीमिरच, डालके बारीक पीसे एक पाव दही बंधा हुआ मिलावे निमक डालके छौंकदे ।

बैंगन की तीन चीजें ।

१ भुर्ता—जीरा भुना हुआ नमक काली मिर्च या लाल थोडा दही मिलाकर राई में घी डालकर छौंकदे ।

२ रायता—बैंगन उबाल कर दही छानकर राई लाल पीसकर और नमक डाले ।

३ अचार—बैंगन उबालकर राई पानी में बारीक पीस कर नमक मिलाकर डालदे ।

चटनी छुआरा ॥

एक पाव छुआरा भिगोकर, एक पाव किसमिस डालके एक पाव अदरख, एक छटांक काली मिरच, आधी छटांक लाल मिरच २ मासे हींग, एक छठांक नमक डालदे आधी छटांक जीरा सफेद भूनके डालदें नीबू का रस देकर रखदे और अर्क नानाभी डालदे ॥

चटनी कमरख ॥

एक सेर कमरख लेकर साबित धनियां एक तोले नोन, चार आना भर लल मिर्च, ८ आना भर हींग फूंक के पीसले ।

लौंजी कमरख ॥

एक पाव कमरख, आधपाव हरी मिर्च, इन दोनों को मिलाके १ छटांक घी में हींगका बघार व जीरा देकर छोडदे थोडा पानी हल्दी धनियां गलने पर डालदे ।

चटनी पोदीना ॥

एक छटांक पोदीना को नीबू के रस में पीसले ५—६ लाल मिर्च डालदे नमक डालदे ।

हरे धनिये की चटनी ॥

नीबू के रसमें धनियां को खूब पीसे मिर्च, नमक, हींग डालदे ॥

चटनी करोंदा

एक छटांक करोंदे में धनियां, आधी छटाक नमक हींग मिरच डालके पीसले ॥

चटनी अमचूर ॥

एक छटांक अमचूर में एक तोला नमक डालके ६ मासे जीरा भूनके हींग डाल पीसले एक तोला राभी डालदे । यू

चटनी गिरी ॥

एक छटांक गिरी को खूब पीसले पानी से लाल मिर्च हींग जीरा भुना डालके नीबू या आम की खटाई डाल कर कर पीसले ।

चटनी दही की ।

बंधे हुए दही में नमक, हींग, जीरे का वघार दे ॥

चटनी विजौरे की ।

एक विजौरा लेके बीज निकाल के काली मिरच जीरा, हींग, नमक डालके पीसले ॥

चटनी छारछबीला ।

एक छारछबीला एक माशे दालचीनी, ४ लालमिरच, ४ कालीमिरच, डालके बारीक पीसे एक पाव दही बंधा हुआ मिलावे निमक डालके छोंकदे ।

बैंगन की तीन चीजें ।

१ भुर्ता—जीरा भुना हुआ नमक काली मिर्च या लाल थोडा दही मिलाकर राई में घी डालकर छोंकदे ।

२ रायता—बैंगन उबाल कर दही छानकर राई लाल पीसकर और नमक डाले ।

३ अचार—बैंगन उबालकर राई पानी में बारीक पीस कर नमक मिलाकर डालदे ।

घीया की २ चीज

१ रायता—उवालकर पानी में राई नमक मिर्च ।

२ मुरब्बा—बडी फांक करके गोद कर जोश देकर चौगुनी चासनी में पटकदे ।

कोयला

रायता—उवाल निचोड नमक जीरा लाल मिर्च दही ।

तोरई

रायता—उवाल निचोड उपरोक्त मसाला डालदे ॥

ककडी का रायता—उपरोक्त सब मसाला डालदे ।

कचनार की कलीका रायता—उवाल निचोड दही में राई तथा मसाला उपरोक्त डालदे ।

रायता बथुआ—उवाल निचोड नमक मिर्च जीरा दही ।

रायता नुकती का

१—जीरा नमक मिर्च दही में डालदे ।

अमचूर उवाल निचोड छानकर नुकती डालदे लाल मिर्च जीरा नमक डालदे ।

रायता इमली

पकी हुई इमली भिगोकर रस निकाल कर छानकर

मुकती डालदे भुना जीरा लाल मिर्च फी सेर आधपाव अच्छा गुण या बूरा हो तो पावभर डालदे ।

रायता मखाना ॥

कुचलकर पानी में भिगोदे फूलने पर दही मे काली मिर्च आदि मसाला मिलावे ।

रायता पोदीना ॥

भुना जीरा मिर्च के साथ पीसकर दही में मिलादे नमक डालदे ।

रायता किसमिस ॥

भुना जीरा नमक दही में बूरा डालदे आठवां हिस्सा मीठा डालदे ।

बरफी मूंगकी दालकी ॥

पावभर धोवा दाल बारीक पीसकर पावभर घी पिट्टी में मिलाकर खूब मन्दी २ आंच में भून रवा पड़ने पर उतारले आध सेर बूरे की चासनी में इलायची केशर मिलाकर थाली में घी लगाकर जमादे ।

पकौड़ी सकरकन्दी ॥

कतला करके घी में सेकले नमक मिर्च डालदे ।

पकौड़ी काशी फल ॥

पकौड़ी अरवी की ॥

पकौड़ी मेथी ।

उर्दकी दालके मीठे वडा ॥

घी में करके बड़े २ वडा सेककर गाढी चासनी में अटकादे पिट्ठी में लोंग इलायची तथा साबित काली मिर्च डालदे ।

आलूकी पूरी ॥

आलू उबाल पीसकर गरम मसाला नमक डालकर घी में पलोथन मैदा का लगाकर वेलकर सेकले ।

आलूकी बेढई ।

चून में मोमन नमक डालकर गूंदकर गरम मसाला मिली हुई आलू की पिट्ठी भरके घी में कचौरीके माफिक सेकले

कूटकी पूरी ॥

चने की दाल भिगोकर धोकर घी में नमक मिर्च डालकर तलले बाद सिलपर बारीक पीसे और कचौरी के माफिक भर कर घी में सेकले ।

आलूके सेव ॥

लाल मिर्च हींग नमक डालकर सेव निकाले ॥

आलूके लड्डू ।

बुकती छांटकर घी में सेकले चासनी में मिलावे ।

आलू तलेमा ।

कतला कर घी में तलकर नमक मिर्च खटाई डालदे ।

परामठा आलू ।

उबले पिसे आलू के बराबर आटे में नमक, मिर्च, हींग, मिलाकर मोमन चौथाई डाले मन्दी आंच पर घी डालता हुआ सेके ।

सकलपारे आलू के ।

आटे के माफिक आलू पीसकर पलोथन लगाकर मोटी रोटी के माफिक बेले फिर घी में सेकले सुर्ख होने पर निकाल कर सकलपारे के माफिक तिकोने या चौकोर काटले ।

गिरी की पूरी ।

कच्चा गोला लेकर और उसको खूब बारीक पीसले और उसमें चौथा हिस्सा मीठा डालकर किसी सांचे में ढालले ।

पोस्तका हलुआ ।

पोस्त को बारीक पीस कर घी में भूनकर बूरा डालकर थोड़े पानी का छींटादे ।

तथा नमक मिर्च मिलाकर पकौड़ी सेकले ।

पकौडी गिरी ।

गिरी की पिट्ठी पीसकर थोड़ा बेसन, नमक, मिर्च,

सोंठ ।

पावभर अमचूर १ छटांक सोंठ एक हांडी में भिगोदे बाद में उबाल कर बारीक पीस छान के ४ रत्ती हींग १ तोले मिर्च, २ तोले जीरा, आधपा नमक मिलादे ।

सोंठ का पाक ।

२॥ तोले सोंठ, १॥ पाव मीठा चासनी कर सोंठ मिला थाली में जमादे ।

अजवायन के मोदक ।

पावभर आटा सुर्ख भूनले गोंद २ तोला घी में तलले आटे में बादको मिलादे १ तोले अजवायन मिलादे, एक पाव गुड में मिलाय के लड्डू बांधले ।

पूरन पाक ।

पावभर चना की दाल भिगोदे पीसके घी में भूनले आध पाव पिट्ठी मे आध पाव कन्द मिलादे बडी इलायची १ तोले, पिस्ता १ तोला, १ तोला बादाम मिलाके १ पाव मैदा में १ छटांक घी डालके मुलायम मांडले चार लोई बना बढाकर ऊपर लिखा मसाला बिछाकर दूसरी तह रखके निकाले मांडके घी मे पकाले ।

बाकी आधपाव रही उसमें जीरा आधा तोला, हींग २ रत्ती नमक १ तोला मिर्च लाल चार आना भर बारीक पीस के मिलादे गिरी पिस्ता भी एक एक तोले डालदे, उसी प्रकार से मसाला बिछा तिकोना काट कर घी में उतारले ।

मोती पाक ।

१ पाव भर वेशन की नुकती बारीक छांटे १ सेर खांड की चासनी में डालके थाल में जमाले पिस्ता इलायची बाद में बुरकदे ।

साग आलू का ।

१ सेर घीयाकस में कसके फिर उबालले और दो भाग करके आधे मे लोग, इलायची, नमक काली मिर्च हल्दी लाल मिर्च डाल के छौंकदे, आधपा घी में नीबू निचोडदे बाकी आधे में आध सेर कंद की चासनी करके ४ रत्ती केशर पानी में पीसके चासनी में डालदे.

आलू मसाले के ।

एक सेर आलू कच्चे छीलके और भीतर छेद करदे और गर्म मसाला अमचूर हल्दी भीतर मे भरके घी में धरदे ऊपर कटोरी में पानी भरके धरदे जब गल जाय तब उतारले. एक छटांक बूरा पीछे से मिलादे ।

छौंक ।

१-आलू में लोंग इलायची हींग, हल्दी, मिर्च गर्म मसाला ।

२-मेथी में हींग जीरा ।

३-बेंगन में मिर्च, हींग, जीरा, हल्दी, धनियां

४-भिंडीमें धनिया हल्दी मिर्च

५-पूरी में अजवायन, हींग, हल्दी,

६-घीया में राई, हींग, हल्दी, मिर्च दही,

* श्री हरिः *

हास्य और शिक्षा पूर्ण पुस्तक

* हास्य मंजरी *

द्वितीय भाग

देखा सो हंसा--और हंसा सो फंसा

कोई तसवीर रोती हो कुछ बात नहीं
न हंसा देवें तो करामात नहीं ॥
चतुरन को यह ग्रन्थ है, मूरख मनहिं लजाय
जो याको पढ़के लखे, सो जन चतुर कहाय ॥

प्रणेता

पण्डित सूर्यनारायण त्रिवेदी
स्थान—सदर बाज़ार, जबलपुर ।

प्रकाशकः—

पं० क्षेत्रपाल शर्मा, मालिक
सुख संचारक कम्पनी मथुरा ।

सातवीं बार } १९२९ ई० । { मूल्य ।≈)

एजेंट बनने के नियम

१—फकत बारह शीशी सुधासिंधु एक साथ मंगाने ही से हर एक आदमी एजेंट हो सकता है १२ शीशी वी. पी से ४॥=) में घर बैठे मिल जाती हैं।

२—एजेंट के पास उत्तम साइनबोर्ड और उसके नाम के नोटिस रङ्ग बिरङ्गे दीवारों पर चिपकाने और हाथ से बांटने के जितने वह मंगावें मुफ्त में अपने खर्च से हम एजेंट के पास पहुंचा देते हैं इसमें एजेंट का कुछ भी खर्च नहीं पड़ता बिना किसी तरहकी तकलीफ़के माल हाथों हाथ बिकजाता है

३—यदि "सुधासिंधु" ६ महीने तक न बिके तो वापिस लेली जाती है।

सुधासिंधु के एजेंट को यदि हमारे यहां की किसी और दवाके मगाने की ज़रूरत पड़े तो वह भी २५)रु० सैकड़ा कमीशन काटकर एजेंट को भेजी जाती है पर उसे अपने पत्र में अपना नम्बर लिखना चाहिये।

एजेंट को हर साल दिवाली पर सुन्दर चित्र पचांग, जंत्री आदि तरह २ की चीज़े भेट में मुफ्त मिलती हैं। इतनी कम पूंजी में बेजोखों का यही एक व्यापार है।

क्षेत्रपाल शर्मा, मालिक,
सुख संचारक कम्पनी, मथुरा।

❀ ओ३म् ❀

हास्य मंजरी

द्वितीय भाग

बाबू जूती प्रसाद

एक बाबू साहब जिनका नाम जूती परसाद था, किसी महकमे में अफसर थे लियाकत के घमंड में अक्सर मातहतों पर सख्ती करने लगते थे। एक दफा एक बिगड़े दिल साहब इनकी मातहती में आगये बाबू साहब को चूंकि सख्त कलाम की आदत पड़ी हुई थी उनके साथ भी वैसे ही पेश आये लेकिन बिगडे दिल साहब से जब्त न हो सका जूता उतार कर पट २ कई हाथ सीधे किये. अब तो बा० साहब घबराये और सोचे कि अगर खुशामद न की तो खुदाजाने के कितने जूते फटकारे, मज़ाक़ (हास्य) में टालने की नीयत से हंस कर कहने लगे लो भाई खूब मज़ाक हुआ बिगड़े दिल साहब भी गजब के मस्खरा थे मुस्कराते हुये बोले यह आपके वालिद साहब (पिता) किस क़दर अक्लमन्द थे कि, कैसा दुरुस्त नाम रक्खा है जूती परसाद।

गवाह ।

किसी क्रोधी हाकिमने अदालत में एक गवाह से जो गवाही देने आया था पूछा कि तुम उस समय मुद्दायले से कितनी दूर पर बैठे थे ? गवाह ने जवाब दिया दो गज डेढ़ फीट सवा इंच हाकिम ने पूछा कि क्या सबब है जो तुमको फासला इतना ठीक २ याद रहा ? जवाब दिया मुझे पहले ही से मालूम था कि शायद कोई बेवकूफ पूछ बैठे इस लिये नाप लिया था ।

सरका ।

एक मनुष्य के सिर में दर्द हुआ जब दर्द से बहुत बेचैन हुये हाय तोबा और हाथ पैर पटकने से कुछ काम न चला तो एक हकीम से दवा तलब की, हकीम साहब ने कहला भेजा कि सरके इस्तेमाल (सेवन) से दर्द सिर रफा हो जायगा आपने फौरन अपने एक दोस्त को बदस्त मुलाजिम रुक्का भेजा कि मेरे सिर में दर्द शिद्दत से है । सरका भेजदो, दोस्त थे जरीफ (हंसोड) आव देखा न ताव फौरन ही एक फटा पुराना कस खुर्दा जूता चट से कागज में लपेट लिपाट कर नौकर के हवाले किया और जवाब में लिखकर दिया कि मेहरबान सरका मौजूद नहीं है पैर का मौजूद था सो नजर है शौक से लगाइये ।

शराबी फिरंगी।

कलकत्ते की चौरंगी पर एक गोरा शराब पिये पड़ा था पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेटी में पहुंचा दिया। मजिस्ट्रेटने ॥) जुर्माना करके कहा कि अब से तो शराब नहीं पियेगा। फिरंगी ने दो रुपया पाकट से निकाल कर कहा कि ॥) रात के लीजिये और बाकी में मुझे एक बोतल शराब मंगाकर दीजिये मैं पीकर सरकार का टैक्स भी दूंगा हाकिम ने इस बेअदबी का जुर्माना दूना किया तब तो फिरंगी फरमाने लगा क्या ज़रासी देर में भाव बदल दिया यह तो ईमान्दारी का काम नहीं है।

लियाकत हुसैन

मुंशी लियाकत हुसेन बड़े अकलमन्द हैं कुछ २ आप फारसी भी लिख लेते हैं और कुछ अपने मजहब में भी दखल रखते हैं एक बार अपने दोस्त जो एक मौलवी की मसजिद में रहते थे खत लिखा "लिफाफा हाजा दरराहए फर्रुखाबाद दर खानये खुदा रसीद व खिदमत मौलवी नियाजुल्ला बिरसद" डांक वाले डांक बाबू ने खानये खुदा का कुछ मतलब न समझ कर खत लौटा दिया पता ठीक नहीं खुदा का घर जमीन पर नहीं है।

राजा बीरबल

एक दिन बादशाह और बीरबल सैर करने को चले रास्ते में एक नदी मिली वहां पर दोनों ठहर गये बादशाह ने दिल्लगी के लिये नदी में माला डाली और बीरबल से कहा कि बीरबल मालाको उस पर बीरबलने जवाब दिया कि बांगे दो बादशाह यह सुनकर दिल में हंसे और दोनों आगे को चले।

पढते हैं कि नहीं? सब लोगोंने जबाव दिया कि जी हाँ हम सब लोग नमाज पढते हैं एक शख्स बोला जनाव मौलवी साहब मुझको तो नमाज पढने से बहुत फायदा हुआ मौलवीने पूछा वो क्या फायदा है? उसने जवाव दिया कि मेरा शिकम हर वक्त फूला रहता था जबसे मैंने नमाज पढना शुरू किया है तब से बहुत फायदा है इस लिये किरकु और सिजदे में हवा खूब निकलती है।

जज साहब।

एक जज साहव के इजलास में किसी मनुष्य का मुकद्दमा होता था जज साहब ने दोषी से पूछा—

जज (दोषी से) क्या तुम व्याहे हुए हो?

दोषी-हुजूर मैं तो नहीं अलवत्ता मेरी वीवी व्याही हुई है

जज (सक्रोध) क्या अदालत से मसखरी करते हो।

दोषी साहब! मेरी क्या मजाल है जो मसखरी करूं! असल वात यह है कि मेरी वीवीने मुझको तलाक देकर किसी और से व्याह कर लिया है।

सीक्रिट एक्ट (Secret act)

कई एक चढती जवानी वाले लडके अपने माँ वाप से छिपा कर एक घरमें शराव पीते थे जव दो चार गिलास पी चुके तब शांति रक्षा के वास्ते एक लडका वोला भाई "चुप" दो को वोलता देख के तीसरा वोला "चुप २" उन सबको रोकने के वास्ते चौथा वोला "चुप २" क्रमशः चुप २ का हल्ला करते हुये सब लडके घर से बाहर निकल आये और तमाम मुहल्ले में चुप २ का शोर मच गया यह शांति रक्षा तो लार्डलॅंसडौन का सीक्रिट एक्ट हो गया है।

लड़का।

एक आदमी ने कहा न जाने इस लड़के में इतनी आदतें कहां से आईं हमें यकीन है कि हमसे इसने कोई बुरी बात नहीं सीखी लड़का झट से बोल उठा बहुत ठीक है क्योंकि हमने आपसे बुरी आदतें पाई होतीं तो आपमें बहुतसी कम हो जातीं।

बैरिस्टर।

एक बैरिस्टर साहब एक ऐसे मुकदमे में बहस करने को खड़े हुए जिसमें उनका पिता गवाह था बैरिस्टर साहब अपने पिता से जिरह करने लगे बोल तुम्हारा नाम क्या है।

गवाह—श्री अधार चन्द्र

बैरि०—तुम्हारा पेशा क्या है?

गवाह—दुकानदारी

बैरि०—तुम्हारा विवाह हुआ है?

गवाह—(क्रोध में भर के) जो मेरा विवाह न होता तो तू कहां से पैदा होता।

नौजवान बेटी।

एक साहब बहादुर अपनी नौजवान बेटी को नसीहत कर रहे थे कि बेटी शादी का ख्याल कभी मत करो, यह आपत्तियों का कारण होता है, जो लोग शादी करते हैं वह अच्छा काम करते हैं मगर जो शादी नहीं करते वह निहायत ही अच्छा काम करते हैं बेटी ने जवाब दिया

मेम साहब.

एक मेम साहिबा अदालत में गई और जज से कहने लगी कि मैं अपने शौहर को तलाक देना चाहती हूं जज ने पूछा क्या तुम्हारा शौहर तुम को तकलीफ देता है ? नहीं-फिर क्या बात है ? क्या वह शराब पीता है ? नहीं, तो क्या वह बदचलन है ? हां इस का सबूत यह है कि मेरे तीन लड़कों में से मझला उससे नहीं है।

स्कूल इन्सपेक्टर.

एक स्कूल को देख भाल करने के लिये एक स्कूल इन्सपेक्टर साहब गये थे, उसी स्कूल के एक छोटे से लड़के से आपने पूछा कि लड़को जब तुम मैदान में रहते हो तो अपने सीस के ऊपर क्या देखते हो ? इस प्रश्न को सुनकर लड़के ने उत्तर दिया कि वहां सीस के ऊपर आकाश दीख पड़ता है इन्सपेक्टर ने फिर पूछा परन्तु आकाश बादलों से घिरा रहता है तब क्या देखते हो ? लड़के ने बड़ी मुस्तैदी से उत्तर दिया ' अपने छाते को '।

नामुराद आशक.

एक नामुराद आशक से किसी ने पूछा कहो जी तुम्हारे माशूक तुम्हे क्यों नहीं मिले बिचारा उदास होकर बोला यार कुछ न पूछो मैंने इतनी खुशामद की कि उसने अपने को सचमुच परी समझ लिया हम से आदमियों से बोलने में भी परहेज किया खैर-अच्छा हुआ जो रूठ गये बेकसूर आप, मर भी नहीं मिलेंगे पीर हो या हूर आप।

के साथ सती हो गई सिर्फ कीर्ति (नेकनामी) यहां रह गई है।

पंडित।

बनारस में एक चौबे ने किसी स्थान पर कितने एक लड़कों को सिर हिला २ कर पढ़ते देख किसी पंडित से प्रश्न किया, दोहा—

> झुक्कत २ विद्यार्थी कहा बूढ़े कहा बार।
> हम तोहि पूछे है सगे याको कौन विचार॥

पंडितने उत्तर दिया दोहा—

> आधे समुद्र अपार है अपने वेद करार।
> रतन लेन को झुकत है सिरकत देख अपार॥

यह पं. का उत्तर सुनकर चौबे चुप हो रहे।

अंगरेजी बाबू।

एक मनुष्य थोडी सी अंग्रेजी पढ़कर बाबू साहब होगये थे इन्होंने एक दिन अखबार में नोटिस देखा कि एक Stallion (सांड) की जरूरत है बाबू साहब पढ़कर बहुत प्रसन्न हुवे झट पट अर्जी लिख डाली कि स्टेलियन (सांड) मुझको बनाया जाय बड़ी सावधानी से सरकारी काम करूंगा अर्जी को डाक द्वारा भेज कर बाबू साहब जवाब के आने का मार्ग निहार खुशी २ फिरते थे उस सरकार में अर्जी पर हुकम लिख गया कि अर्जी साहब के पास लौटाकर लिखा जाय कि अर्जी देने वाला बड़ा मूर्ख (बेवकूफ) है और अंग्रेजी समझता नहीं कि स्टेलियन अंगरेजी में घोड़ा (सांड) का नाम है, बाबू साहब यह जवाब पढ़कर बड़े लज्जित हुवे वाहरे अंग्रेजी बाबू साहब।

अम्मां जान शुक्र है मैं अच्छा काम को कर सकूंगी मगर दरअसल अच्छा काम जो कर सकते हैं क्या करें ?

पोस्ट मास्टर ।

पोस्ट मास्टर साहब कोई चिट्ठी मेरे नाम की आई है ? जवाब आपका नाम? अजब ही का है आप मुझे क्यों तकलीफ देते हैं लिफाफे पर ही देख लीजिये ।

अंग्रेजों की अनोखी हिकमत ।

दो अकलमन्द किसी रेलवे स्टेशन पर हाजिर हुए थे एक उत्तर जाने वाला था दूसरा दक्षिण दोनों दिशा की गाड़ी इस स्टेशन पर आकर एकही टाइम पर पहुंचा करती थी गाड़ी आई दोनों जल्दी २ दौड़ कर एक ही गाड़ी पर सवार हुए गाडी चलने लगी तो एक ने दूसरे से कहा भाई अंग्रेजों ने क्या अनोखा हुनर बनाया है कि तुम तो उत्तर के जाने वाले और हम दक्षिण के मुसाफिर मगर दोनों आदमी एक ही गाडी पर होकर चलते हैं दूसरे ने जवाब दिया कि सच है भाई, अंग्रेजों की हिकमत अनोखी है यह कहते सुनते दोनों चल दिये ।

राजा बीरबल का बेटा ।

राजा बीरबल का बेटा संस्कृत का बडा लायक पंडित था राजा बीरबल के मरने के बाद एक रोज अकबर बादशाह ने उससे पूछा कि राजा बीरबल के साथ कितनी रानियां सती हुई उसने जवाब दिया शूरता (बहादुरी) उदारता (सखावत) और बुद्धि (अक्ल) यह तीन रानियां तो राजा

मैंभो स्त्री ने हाथ जोडकर यही वर मांगा कि मैं रानी होजाऊं देवता ने कहा "तथास्तु" इस वचन को मुख से निकलते ही एक राजा आया और उस ब्राह्मणी को हाथी पर बैठा ले चला, इस बात को देखकर वह ब्राह्मण घबडाया और देवता से बोला कि महाराज मैं यही वर मांगता हूं कि "मेरी स्त्री रानी होगई है वह शूकरी हो जाय" देवता ने कहा "तथास्तु" इस के कहते ही वह शूकरी होगई इस अनिष्ट को देखकर ब्राह्मण के पुत्र ने विनय करी कि महाराज मैं यह वर मांगता हूं कि 'हम जैसे पहिले थे वैसे फिर होजांय' देवता "तथास्तु" कह कर चलदिये।

सच कहते हो।

एक आदमी की भैंस मरगई वह रोने लगा इस पर उसके एक पडौसीने आकर पूछा कि भाई तुम क्यों रोते हो वह बोला मेरी भैंस मरगई जो सारे कुनबे को पालती थी यह बोला भाई धीरज धरो हमें तुम्हें काले धन से लहना नहीं उसने पूछा तुम्हारे क्या टोटा हुआ जवाब दिया मेरे भी पकाने की हांडी फूट गई इस बात के सुनते ही बिचारा हंसकर बोला कि हां भाई सच कहते हो।

चुटकले बाज।

एक मुंशी साहब बडे चुटकले बाज थे एक दिन उनकी मा ने तीतर पकाया खाते वक्त उसकी दोनों टांगें दस्तरखान पर लगा कर मुंशी साहब के आगे रक्खीं उन्होंने कहा कि अम्माजान टांगें तो अब्बाजान के लिये रहने दीजिये मुझे तो सीना इनायत कीजिये।

मनिहारिन।

एक मनिहारिन चूडियों की गठरी सिर पर रखे हुए चली जाती थी एक चोर ने उसको माल समझ कर लूटना चाहा और पीछेसे आकर गठरी में एक लाठी मारकर पूछा कि इस में क्या है तो उसने जवाब दिया कि बस एक लाठी ओर मारदे तो इसमें कुछ नहीं है।

एक काना।

किसी काने को एक भले आदमी ने सलाम किया उसने जवाब में गालियां दीं, सवव दर्याफ्त करने से काना कहने लगा कि इसने मेरे काने होने की वजह से अपने दिल में मुझको जरूर बुरा कहा होगा।

दरिद्री ब्राह्मण।

किसी नगर में एक बहुत ही दरिद्री ब्राह्मण रहता था एक वार किसी साधु ने उसकी दुर्दशा को देखकर कहा कि तू इस मंत्र को जाकर जप तो देवता प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगा वर देंगे, वह ब्राह्मण अपनी स्त्री और पुत्र सहित जंगल को चला गया और वहां जाकर दोनों अलग २ बैठ के मंत्र जपने लगे तब देवता प्रसन्न होके वर देने को आया तब सब मिलकर सलाह करने लगे कि क्या वर मांगें जब उन लोगों को सलाह करते बहुत देर होगई तब देवता ने कहा कि यदि आध घंटे के बीच में वर न मांगोगे तो हम चले जांयगे तब स्त्री ने घबडाकर जल्दी से कहा कि पहिले मुझे वर दीजिये देवताने कहा अच्छा

मसखरे ।

एक फकीर ने मसखरे से जो बनात का कोट पहिने हुए था जाड़े के मासम में कोट का सवाल किया और कहा कि हुजूर की बदौलत जाडे से बच रहूंगा मसखरे ने कहा मेहरबानी करके मेरे वास्ते कब्र खुदाओ मै वहां जाडा बसर कर लूंगा और कोट तुम्हें देदूंगा।

साहब ।

एक साहब सियाहफाम कि जिस से काली हांडी का रंग बेहतर है कालेखां नाम. काला कोट पहन मुश्की घोड़े पर सवार हो जारहे थे इत्तफाकन इनका एक दोस्त जो इनका हम रंग था कोठे पर बैठा हुआ था कालेखां को देखकर बोला "ए सियाहे रंगो सिया नामों सिया फाम "कालेखां ने कहा" ऐनशिहाबुद्दू कुलाये बरसे बाम"।

डाक्टर ।

डाक्टर—तुम्हारी बीमारी बिल्कुल हट जायगी।
बीमार—क्या मुझसा मरीज आपके हाथ में तन्दुरुस्त हो चुका है?
डाक्टर—नहीं लेकिन मुझको दवाई पर पूरा भरोसा है।
बीमार—लेकिन जब तक तजुरबा (परीक्षा) न किया गयाहो क्यों कर भरोसा हो सक्ता है?
डाक्टर—अच्छा तुम्हीं पर तजुरबा करलेता हूं।

एक भाट ।

एक राजा साहब के पास जाके एक भाट ने कवित्त सुनाया राजा साहब ने प्रसन्न होकर हुक्म दिया कि इसे १।) इनाम दिया जाय एक खवास ने खजानची से इसे १।) दिला दिया, जब वह इनाम लेकर लौटा तब राजा ने पूछा क्यों राय जी तुम्हें सवा रुपया मिला । भाट-हां महाराज मुझे बीस आने मिल गये राजा (क्रोध करके) कोई है खजांची को तो बुलाओ ? खजांची-महाराज क्या हुक्म है ? खजांची को देखते ही राजा साहब कोड़ा लेकर पीटने लगे, और कहने लगे कि हमने सवा रुपया देने को कहा था तुमने बीस आने क्यों दिये इसी तरह तुमने मेरे खजाने का नाश कर दिया, राजा साहब की इस बुद्धिमानी को देखकर भाट से न रहा गया और हाथ जोडकर बोला कि श्रीमहाराज १।) रु. और बीस आने एकही बात है । भाट की बात को सुनके राजा ने खजांची को तो छोड दिया और भाट को मारना शुरू किया और कहने लगे क्यों बे तैने पहिले ही से हमें क्यों न बतलाया कि सवा रुपया और बीस आने एकही बात है ।

साहूकार ।

किसी जगह कई एक साहूकार बैठे आपस में अपनी २ कमाई की चरचा कर रहे थे कि एक सुघर पुरुष भूला भटका वहां जा निकला और उनकी बातें सुन हाय कर यह शेर पढा

शेर-जो आये इस जहां में सो कुछ २ कमा चले ।
एक बेसलीक हम हैं कि दिल भी गवां चले ॥

मसखरे।

एक फकीर ने मसखरे से जो बनात का कोट पहिने हुए था ज़ाडे के मासम में कोट का सवाल किया और कहा कि हुजूर की बदौलत जाडे मे बच रहूंगा मसखरे ने कहा महरबानी करके मेरे वास्ते कबर खुदाओ मैं वहां ज़ाडा बसर कर लूंगा और कोट तुम्हें देदूंगा।

साहब।

एक साहब सियाहफाम कि जिस से काली हांडी का रंग बेहतर है कालेखां नाम, काला कोट पहन मुश्की घोडे पर सवार हो जारहे थे इत्तफाकन इनका एक दोस्त जो इनका हम रंग था कोठे पर बैठा हुआ था कालेखां को देखकर बोला "ए सियाहे रंगो सिया नामो सिया फाम" "कालेखां ने कहा" ऐनाशिहाछ् कुलाये बसरे नाम"।

डाक्टर।

डाक्टर—तुम्हारी बीमारी बिल्कुल हट जायगी।

बीमार—क्या मुझसा मरीज़ आपके हाथ से तन्दुरुस्त हो चुका है?

डाक्टर—नहीं लेकिन मुझको दवाई पर पूरा भरोसा है।

बीमार—लेकिन जब तक तजुरबा (परीक्षा) न किया गयाहो क्यों कर भरोसा हो सक्ता है?

डाक्टर—अच्छा तुम्हीं पर तजुरबा करता हूं।

जोशन ।

एक बेवा औरत ने बडी मुसीबत से एक जोडी जौशन बनवाये उन जोशनों को पहनकर तमाम शहर में दिखलाने के लिये फिर आई मगर किसी ने न पूंछा कि ये जोशन कब बनवाये घर आकर अपनी झोंपडी में आग लगादी जब मुहल्ले वाले आग बुझाने के लिये दोड़े आये उससे पूंछा कि आग कहां से लगी तो कुहनी को उठाकर जोशन की तरफ इशारा करके कहने लगी "यही से तो लगी" किसी साहब ने पूंछा कि यह जोशन कब बनवाये उसने कहा कि "अगर पहिले ही पूंछते तो ये आग क्यों लगती" ।

वकील ।

एक वकील जो चार घोडे की गाडी पर सवार थे घोड़े पर नजर पडी तो गाडी वाले से पूछा कि "क्या सबब है जो अगला घोडा मोटा ताजा है और बाकी तीनों दुबले हैं" जवाब दिया हुजूर वह अगला वकील है और पिछले तीनों इसके मुवक्किल (Clients) हैं ।

पुरबिया ।

एक पुरबिये ने अपने साथी की थाली उठाकर उसमें सत्तू भिगोकर खाया, ज्योंही थाली धोकर रखने लगा था कि थाली का मालिक आगया और उसने पूछा कि तुमने हमारी थाली क्यों उठाई उसने कहा इसका छिनता ही क्या

है? दूसरा पुरविया गुस्से में लाल पीला होकर बोला "अरे सार तू हमार थार मा सतुआ खाइस हम तोर थार मां मूत खाब"।

अकबर बादशाह।

एक रोज अकबर बादशाह सरेदरबार फरमाने लगे, कि क्या वजह है कि हमारी आंख मे बाल मौजूद है, मगर कफे-दस्त (हथेली) में नहीं, बीरबल हाजिर जवाब ने अर्ज की कि हुजूर ने इस कदर फैजबख्सा (दानपुण्य) किया कि हाथों के बाल उड़ गये। बादशाह ने फरमाया कि अच्छा तेरे हाथ में बाल क्यों नहीं कहा—हजूर ने दान दिया मैंने लिया मेरे हाथ के भी बाल इस सबब से गायब होगये, बादशाहने मुसकराकर दरियाफ्त फरमाया अच्छा औरों के बाल किधर गये, अर्ज की हुजूर ने अता फरमाया (दान किया) मैंने लिया औरों ने कफे अफसोस (हाथ मलना) मला इस कारण उनके बाल नदारत हुए बादशाह बहुत खुश हुए और इनाम बेशुमार दिया।

आनरेरी मजिष्ट्रेट।

आनरेरी मजिष्ट्रेट—मुजरिम से-क्यों जी तुमने इनको मारा, मुजरिम—हां खुदावन्द कयामत में झूठ न बोलूंगा आ० म० क्यों किस लिये। मुजरिम-हुजूर ये बड़ा नालायक है मुझे गालियां दी. और कहा कि देख लो कहीं जो रिश्वत देकर आनरेरी मजिष्ट्रेट के अदालत में मुझे फंसवा न दिया हो—आ० म० मुकद्दमा डिसमिस (खारिज)

मास्टर साहब ।

एक मास्टर साहव जो एक चश्म (एकाक्षी) थे किसी लेक्चर मे (जो स्कूल के लडकों का था) गये और एक लडके की तरफ मुखातिव (अभिमुख) होकर कहने लगे मास्टर–मे तमाम कालिज के तुलवा (छात्रों) से ख्वा (चाहे) वो किसी (कौम) जाति वा मिल्लत के हों इन्साफन यकसाँ वरताव रखता हूं । छात्र–वेशक आप सवको एक आंख से देखते है ।

शराकत ।

दो औरतों ने कि जिनमें से एक चालाक दूसरी सादा लोभन थी मिलकर पूरी वनाने की सलाह की चालाक औरत ने कहा वहिन इससे अच्छा तरीका शराकत का और नहीं हो सकता कि जल फूंस मेरा और घी गुड आटा तेरा, वाके वहुत उमदा शराकत है ।

नाऊ ।

एक मरतवा अकवर वादशाह ने हुक्म दिया कि रातको कोई शख्स शहर में रास्ता न चले तमाम साकिनान (निवासी) शहर ने तालीम हुक्म के वमूजिव रातको मकान से कदम वाहर न रखा लेकिन एक युवक (नौजवान) आदमी निस्फशव (अर्धरात्रि) के समय सिपाहियों को रास्ता चलता मिला सिपाही—क्यों तुमने हुक्म शाही नहीं

सुना—बेशक सुना है। सिपाही-तो फिर उदूल हुक्मी क्यों की? नौजवान-मैं इस हुक्म से मुस्तिशना (अलग) हूं सिपाही वजह इसकी क्या है? युवक-मैं उस शख्स का फरजन्द (पुत्र) हूं कि जिसके रूबरू तमाम शहजादे और सरदारों की गर्दन झुकती है। सिपाही ने यह ख्याल करके कि नौजवान किसी जबरदस्त बादशाह या सरदार का फरजन्द है उसको छोड दिया, सुबह को मालूम हुआ कि वह खलीफा हज्जाम (नाऊ) का लडका था।

दरजी।

एक दरजी ने अपने बेटे को शिक्षा (नसीहत) दी कि जिस वक्त मै मरने लगूं तो मुझे कुछ पूछना. तुझे कुछ कारे-आमद बतलाऊंगा बेटा बहुत खुश हुआ और ख्याल किया कि मेरे बाप ने कुछ नकदी मेरे वास्ते पोशीदा (छुपा) रखी है जिसका पता मरते वक्त बतलायगा-इसी लालच में बेटे से सबर (धैर्य्य) न हो सका और बाप को जहर देकर मरने वक्त दरियाफ्त (पूछा) किया कि बतलाओ--तब उसने कहा नसीहत मेरी याद रक्खो कि जब सुई में डोरा डालना तो हाथ भर से कम का न डालना।

जाट।

एक अस्सी बरस के बूढे जाट ने दीन इस्लाम को कबूल किया रात को खूब मुसलमानों की नसीहतें सुनी और उनके ही बिस्तर पर रातको आराम किया जब सुबह हुआ तो सब को राम २ करता हुआ उठा मुसलमानों ने कहा हुआ नाहक

और पूछा कि बड़ेमियां यह क्या बात है वह बोला कि मियां २ तो कहो मत मियां गढता है जमीन में, क्या साठ बरस का रामजी एक दिनके खुदा से बेदखल हो सकता है हरगिज नहीं, कब्जा की मियाद को ख्याल करो।

गुड तीन बार खाया।

एक मनुष्य किसी गुड वाले की दुकान पर जाकर बैठगया और बात ही बात में कहने लगा कि मैंने अपने जीवन (जिंदगी) में तीन बार गुड खाया है। दूकानदार ने पूछा कैसे ? उस मनुष्य ने कहा एक बार तो गुडसटी (जन्मघुटी) में, दूसरी बार अपने विवाह में और तीसरी बार अब दुकान पर खायंगे दुकानदार ने हंस कर कहा कि अगर हम न दें तो ? उस मनुष्य ने कहा तो दोही बार सही।

मौलवी।

एक अरबी दां मौलवी साहब किसी जिले के शरिश्तेदार थे पहिली पेशी में एक अरजी उसको पढने के वास्ते कलक्टर ने दी उसमें लिखा था "मैं कि चौधरी पूरनसिंह साकिन हाजिपुर इटौना" मौलवी साहब उर्दू को अरबी समझकर पढने लगे मिन्नक खुदहिर्रे इतना ही पढने पाये थे, कि कलक्टर साहबने मुस्करा कर कहा कि शरिस्तेदार साहब ? यह उर्दू है समझ कर पढिये, तब तो मौलवी साहब घबराये और हाजीपुर इटौना का पढा "चाची तोर बिटौना" आखिर मौलवी साहब नौकरी से हटाये गये।

चपरासी ।

बमुकाम लाहौर एक मतवै (छापाखाने) में मालिक प्रेस बैठा हुआ था उसने अपने चपरासी को हुक्म दिया कि प्रेस (छापेखाने) में जाकर देखो कि प्रेसमैन (छापेवाला) हमारी कापी पत्थर पर जमा रहे हैं या नहीं, आपका चपरासी था नाखांदा (अपढ) प्रेसमैनों को पत्थरों पर कापी जमाते हुए देख कर वापिस आया और मालिक मतबे से अर्ज की कि आपकी काकी जमा रहे हैं यह सुन कर मालिक मतबै अपने हमनशीनो (मित्रों) मे शरमिंदा हुए और विचारे चपरासी को मौकूफ किया ।

नाखांदे ।

एक नाखांदे (Ignorant) ने किसी बड़े आदमी की जबानी ये लफ्ज कहते सुना कि मुझको तिश्नगी (तृष्णा) है पानी पिलाओ तब से उस नाखांदा ने लफ्ज तिश्नगी को याद करे रखा था कि यह फारसी है कभी पढे हुए लोगों में बैठ कर बोलूंगा ताकि लोग मुझको पढा हुआ जानें चुनान्चे एक मजलिस मे उसको पेशाब की जरूरत हुई तो अपने हमनशीनों से कहा कि "हजरत मेरा रुमाल आप के पास रखा है जरा दो आऊं मुझको पेशाब की तिश्नगी है" उसकी यह बात सुन कर अहले मजलिस ने बडा कहकहा लगाया ।

खसीस ।

एक खसीस (कंजूस) मनुष्य शाम के वक्त अपने मकान से बाजार को गया थोडी दूर पर जाकर उस को ख्याल पडा

हुआ कि मेरी औरत ने जोकि आज ही आई है चिराग जलाया होगा इसके जरूर ही तेल की भरी हुई उंगली दीवार से पोंछ दी होगी इस तरह पर तेलका बड़ा खरचा होगा और मुझ को बड़ा नुकसान बैठेगा फौरन घर को वापिस आया और कहा कि हरामजादी ? चिराग के तेलकी उंगली दीवार से पोंछकर मुझको क्यों रंज दिलाती है वह औरत बोली तुम मुझको क्या निरी नादान समझते हो मैंने चिराग के तेल की उंगली फौरन चाटली मगर हजरत फरमाइये आप के इतने दूर से फायदा लौटने से जो जूते घिसे होंगे उसके नुकसान से क्या आपको और मुझको रंज न होगा वह बोला देख मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं (बगल से जूता दिखला कर) पहिले ही से बगल में दबा लाया हूं मैं अगर ऐसा होता तो अबतक घरको खाक में मिला देता मगर शाबास है तुझ को कि तू मुझसे भी अकलमन्द और होशियार मिली।

हमशीर (दूध)

एक फकीर ने अमीर से सवाल किया. फकीर बाबा हम-शीर (दूध) के ख्वाहां है दिलवा, अमीर हंसकर—हमशीर नहीं रखता खुदा से मांग, फकीर बाबा अगर खुदा देता तो तेरे दरवाजे न आते।

शराब के जौहर (गुण)

कहते हैं कि जब हजरत आदम ने सृष्टि (दुनियां) की आदि (शुरू) में अंगूर बोया तो शैतान ने आकर उस की बेल पर एक मोर मारा और उसका लोहू उस बेलमें प्रवेश होगया जब वह फला और उसके पत्ते निकले तो शैतान ने

एक लंगूर मारा उसका लोहू भी इसी बेल में समागया जब उस बेल में फल लगे तो शैतान ने आकर उस पर एक शेर मारा उसका लोहू भी इसी बेल में चला गया फलके पकने पर शैतान ने इसी बेल पर एक मैंडक मारा जिसका लोहू भी वह बेल पीगई इसलिये जो मनुष्य शराब को पीते हैं उनमें यही चार गुण (सिफ्त) होते हैं (१) शराब पीने के बाद उसके मुख का रंग लाल अंगूरसा हो जाता है और उसका मन एसा हो जाता है जैसे मोर (२) जब जरा उस का असर होता है तो वह खेलता है तालियां बजाता है और बन्दर की तरह नाचता कूदता है (३) जब उसका पूरा असर हो जाता है तो वह शेर की तरह गरजता है हर एक को छेडता है और काटने दौडता है (४) फिर आखिर को मैंडक की तरह कीचड में लौटता है अधिक सोता है और बलहीन (कम ताकत) हो जल्द मर जाता है इससे शराब पीना खराब है।

घाघ।

पवला पहने हर जोते और सुथना पहन निरावे।
घाघ कहे यह तीनों भकुआ बोझ धरे सर गावे॥
मरे चाम से चाम कटावे नकरे भूमी सोवे।
घाघ कहे यह तीनों भकुआ उढर जाय पुनि रोवे॥
चलने को गाडी कहें नडे मान को नोया।
सरो को वही कहें बने दूध को खोया॥
सो की जोत पचासे जोते ऊंचा बांधे बारी।
सो का हिस्सा पचास करे तो दिया घाघ को गारी॥

नव युवती ।

एक दिन एक नव यौवन सुन्दरी चतुरी चरपरी वसन्त ऋतु में अपनी वहनेली के यहां गई और कुछ इधर उधर की भुन लगन बातें कर रही थी कि प्यासी हुई और पानी मांगा इसकी उस मुंह बोली वहन ने कोरे कुलडे में पानी भर कर ला दिया जो इससे मुंह लगा कर पिया तो कुलडा होठों से लग रहा, यह खिल खिलाकर हंसी और इस दोहे को पढने लगी ।

दोहा-रे माटी का कुलडा तोय डारों पटकाय ।
होठ रखे हैं पीव को तू क्यों चूसे जाय ॥

दोहा सुन कर उसकी वहनेली ने कुलडे की ओर से उत्तर दिया ।

दोहा—लात सही मूंके सहे उलटे सहे कुदार ।
इन होटन के कारने सिर पर धरे अंगार ।

आली मजमून—फारसी खत ।

वानी मुवानी मेहतरारी सलामत वाद तडातड इशतियाक पडापड मुलाकात की हद्दे व पायेननदारद, यके शिस्त संसनाती व फनाफनी चुनां आमर के अगर वैठ न जाऊं तो दर खोपडी लगीदा वूद राकिम मुंशी पीकदान अली मुकीम फूंस की मण्डी खास लखनऊ ।

एक वावू साहव ।

एक वावू साहव अपने वंगले में गेंद खेल रहे थे, एक तवायफ सलाम को हाजिर हुई आपको जो मजाक ने गुद

शुदाया तो हंस कर फरमाने लगे—क्यों बी अजीजन तुम गेंद नहीं खेलतीं ? वह देहली की रन्डी थी क्यों झेंपने लगी कहा कि आप मेरे आगे खेलते हैं तो अब मैं क्या खेलूं ?

शागिर्द ।

एक मास्टरने इम्तहानके वक्त शागिर्द से दरयाफ्त किया कि क्यो समुद्र में तुग्यानी (तूफान) नहीं आता ? शागिर्द ने जवाब दिया–क्योंकि खुदावन्द हकीमने इसमें बहुत से इस पंच (spoengo) वो दिये है ।

मैं तो अपना परलोक सुधारता हूं ।

एक कहार किसी अमीर के पास नौकर था एक बार उस अमीर के गुरु जेष्ठमास (महीना) में आये उस अमीरने गुरु के आसन को गुलाब और केवडे मे तर कर बिछा दिया और हाथ से पंखा डुलाने लगा इसही प्रकार (तरह) मे भोजन और पान भी शीतल गुरु को प्रदान किये (नजर किये) कहार भी इस बात को देखता रहा जब वह अपने घर गया और उस का भी गुरु आया तब उसने भी दरी को पानी से भिगो कर गुरु के नीचे बिछा दिया–और एक ओर खड़ा होके पंखे से हवा करने लगा पर वह मास जाड़े का था इस कारण गुरु ने घबड़ा कर कहा बेटा मैं सर्दी से मरा जाता हूं । इस बात को कहारने हाथ जोड़कर कहा महाराज ! आप मरें या बचें मुझे इससे क्या मतलब. मैं तो अपना परलोक सुधारता हूं ।

बाबू।

एक अय्याश बाबू एक मोती नामी वेश्या की तारीफ सुनकर उसके घर गये जब उसको देखा तो जितनी प्रशंसा सुनी थी ? वैसा न पाया उससे कहने लगे कि बीबी साहब हैं, आप मोती पर वे आब, वेश्या-हां सच है आप से लाल के आगे मोती की क्या आब हो सकती है? यह जवाब सुनकर बाबू बेदुम के बूदुम बहुत बिगड़े और ला जवाब हो अपनासा मुंह लेकर चल दिये।

दो शख्स।

दो शख्स नाच देखने वाले एक अन्धा था और एक बहरा दोनों किसी अमीर की महफ़िल में नाच देखने गये, रात भर तमाशा देखा किये सुबह को जब वापिस आते थे रास्ते मे एक शख्स ने पूछा कि भाई नाच कैसा था ? अन्धे साहब बोले आज तो सिर्फ गाना हुआ नाच कल होगा और बहरा कहने लगा कि आज तो सिर्फ नाच हुआ गाना कल होगा सुनने वाले इस बात पर बहुत हंसे कि दोनों ने सच कही।

जाट और पुरोहित।

एक धनवान जाट का पिता मरगया जब यह तेरहवीं कर के छुट्टी पागया तब उसके पिरोहित ने आकर कहा अरे! तेरे पिताने रात स्वप्न मे आकर मुझसे कहा कि मैं बिना सवारी के स्वर्ग में बडा दुख पाता हूं अगर मेरा लडका इस घोडी को पुण्य करदे जिस पर मै हमेशा चढा करता था तो मुझे सवारी का सुख प्राप्त हो ब्राह्मण की बात सुनकर जाटने वही घोडी देदी कई दिन पश्चात् जाट [illegible] के घर गया और

कहने लगा पुरोहित जी ! मेरे पिता ने रात स्वप्न में मुझ से कहा है कि घोडी तो मेरे पास आगई है और रोज मैं उस पर चढ के घूमता हूं कल जो घूमने गया तो घोडी से गिर गया इस कारण बांये पैर में बडा दर्द है अगर तुम लोहे को आग पर तपाके पुरोहितजी के पर को दागदो तो मेरा पैर अच्छा हो जाय, जाट की बात को सुनकर पुरोहित जी बडे घबडाये और कहने लगे कि भाई ! यहां का दागना वहां नहीं पहुंच सकता, तब जाटने कहा कि यहां की घोडी भी वहां नहीं जा सकती है, ला मेरी घोडी फेरदे या २००) रुपया दाम दे ।

गंजा ।

एक गंजा आदमी ऐब छिपाने के लिये हर वक्त बाल पर नरम सियाह पोस्तीन की टोपी ओढे रहता था दूर से ऐसा मालूम होता था कि गंजा नहीं है एक दफा बहुत से हमजोली जमा थे यकायक हवा का ऐसा झोंका आया कि टोपी उडगई और उनके सर को देखकर सब हंसने लगे, ये अकलमन्द भी सबके साथ हंसा और कहा यारों ख्याल करने की बात है कि जब खुदा की दी हुई कुदरती टोपी को न संभाल सका तो इस बनाई हुई टोपी को कब संभाल सकता हूं ?

कंजूस ।

बखील (कृपण) से किसी ने कहा कि तुम बडे गुनाहगार हो क्योंकि किसी को कुछ देते नहीं बखीलने कहा गुनहगार तुम हो जो आप खाजाते हो और लोगों को भी खिला देते हो।

और जब मरजाते हो तो किसी के वास्ते कुछ छोड नही जाते, अब हमारी सुनो हम न आप खाते हैं न दूसरे को खाने की हिदायत करते हैं जिस कदर हमारे पास जमा होता है बाद मरने के सब का सब छोड जाते हैं हमारा जमा किया लोग खाते हैं फ़रमाइये हम गुनहगार हैं या तुम ।

कंगाल गुंडे ।

एक दिन दिल्ली के दो कंगाल शाम के समय बाज़ार में गये तो उन्होंने देखा कि हलवाई मिठाई की थाली मुहां मुंह भरी आगे धरे बैठा है यह दोनों उसके सामने खडे हुए और एकने एक से कहा कि तुझे क्या सूझ नही पडता है ? दूसरे ने दो उंगलियां उसके आंख के सामने की वह बोला, है यह क्या करते हो इसने कहा हमने जाना था कि तुझे दीखता नही और जो दीखता है तो आगे धरी मिठाई किस लिये नहीं खाता, हलवाई बोला कि इसके खाने से घर जाता है इतनी बात के सुनते ही वह दोनों हलवाई की मिठाई खा यह कह चल दिये कि तेरा घर रहे भला हमारा ही घर जायगा और वह बिचारा हलवाई अपने कहने से आप लजाय कर रोकर बैठ रहा ।

लडका ।

एक लडके ने अपने हम जमायतों से कहा कि "तुम किस बाग की मूली हो" उसने जवाब दिया कि "मैं अपने बाप के बाग की मूली हूं" ।

उर्दू भाषा।

हाल में एक रियासती फौज के देशी कमान अफसर ने जो डोंगरा (जाति) था अपने रिजमेन्टल क्लर्क को कहा कि जनरल साहब की खिदमत में कुल मुआमले की रिपोर्ट लिखकर भेजदो क्लर्क-बहुत अच्छा हजूर-कमान अफसर 'जो लिखा है सुनादो' क्लर्क-मजमून तो बहुत दुरुस्त है मगर हमारे नाम के पहिले फिदवी क्या है ? क्लर्क-महाराज यों लिखा करते है, कायदा है, कमान अफसर-नहीं २ हम फौज के अफसर हैं फिदवी नहीं हैं-क्लर्क-हुजूर उर्दू अरजियो मे हमेशा यही लिखा करते है, कमान अफसर-अच्छा यही कायदा है तो हम मर्द हैं 'फिदवा' लिखा करो फिदवी तो 'औरत' होती है।

जमींदार।

एक जमींदार बैल हांक रहा था सामने से गुरु नजर पड़े जब नजदीक पहुंचे तो बैल गुरुजी की हैरत फजाई देखकर सहम गया-जमींदार-अरे क्यों डरते हो गुरुजी तुम्हें खाते तो नहीं, गुरु-अये जाहिल ऐसे वाहियात अलफाज, जमींदार—जरा कदमगाड़े इधर कीजिये मत्था तो टेकूं, गुरु—बड़ा अहमक है कदमगाड़े हैवान के होते है, चरन कहो, जमींदार इन जन्तों का नाम ही नहीं आता हम जमींदार भला क्या जाने ?

लाला ।

एक लाला साहब की नौकरी छूट गई थी, इस लिये उन्होंने अपने रसोइया ब्राह्मण से कहा कि देखो मिसरजी हमारी नौकरी छूट गई है इस सबब से थाली मे घी कम डालना, रसोइया ने लाला साहब की थाली मे तो थोडा घी डाला परन्तु अपनी थाली में खूब घी डाल के भोजन किया तब लाला साहब ने पूंछा कि क्यो मिसर जी ऐसा क्यों किया ? उसने उत्तर दिया कि साहब आपकी नौकरी छूट गई है आप कम घी खाइये, पर मेरी नौकरी तो आप के पास बनी है मै थोडा घी क्यों खाऊं ?

अमीर ।

एक अमीर निहायत कीमती और चमकदार जोडा पांव मे पहने हुए थे और निहायत बढाकर कुछ अपनी और कुछ जोडे की तारीफ करते थे हाजरीन मे से एक ने हाथ बाय अर्ज की कि आप जो कुछ फरमाते है वजा है इस अम्र की तो मै भी तसदीक करता हूं कि भले मानस का माल जूती है अमीर निहायत नादिम हुए।

हाजिर जवाबी ।

एक स्कूल मास्टर साहिब हाथ में बेत लिये हुए लडके पढा रहे थे, बेंत सीधा करके बोले हमारे बेंत के कोनेके सामने एक गधा बैठा है वह लडका जो बेंत के रूबरू बैठा था बडा ही गुस्ताख था फौरन कह उठा अजी मास्टर साहब सुनिये तो सही बेंत के दो कोने होते हैं आप किस तरफ के कोने का जिकर करते हैं, मास्टर बिचारे शरमिन्दा होकर चुप होरहे।

विलायत ।

विलायत में एक मनुष्य का विवाह होने वाला था उसने अपने मित्रों को बुलाया परन्तु बहुधा मित्रों ने किसी मुख्य कारण से विवाह मे शामिल न होवे के कारण लिख भेजा कि यदि हम वहां मौजूद न होंगे किन्तु हमारी रूह (आत्मा) वहां मौजूद होगी इस पर वीवी साहब ने कहा कि परमेश्वर कुशल करे सब कमरा भुतनियों से भर जायगा।

मथुराजी के चौबेजी ।

राजा सवाई जयसिंह ने मथुरा में एक पहलवान को मसजिद की गुमटी की ऊंचाई दिखाकर कहा कि इस पर से जो कोई कूदे तो सहस्र मुद्रा (हजार रुपये) इनाम दूं. यह सुन कर एक चौबे ने पूछा कि महाराज ! जो यापै ते कूदेगा वाहि सहस्र रुपये देउगे ? कहा हां इतनी बात सुनते ही वह अपने घर जा घर से एक बुढिया सौ बरस की कंठगत प्राण (लवंजां) हो रही थी उसे ले आया, उसे देख कर राजा ने कहा इसे क्यों लाये हो ! चौबेजी बोले यही गुमटी परसे कूदेगी सहस्र रुपये देव-तब राजा ने कहा बुढिया की शर्त (दांव) नहीं, चौबे जी ने उत्तर दिया-महाराज ! यापको बूढी वारी ते कहा काम तुम्हें एक हत्या लेनी है सो लेव, और मोकों सहस्र रुपये देव इस रहस्य और अवसर की वाणी से प्रसन्न (खुश) हो राजा ने उसे सहस्र रुपये दिये चौबेजी रुपया ले अपने घर आ भंग के रंग में मस्त हुये जै जमुना मैया की।

साला कह दिया (रोता है) साहब—मत रोओ हम ने तुमको गाली नहीं दिया तुम हमारा भाई न होकर हमारी मेम साहब का भाई हुआ इसमें दुःख क्या? बाबू साहब रोना छोडकर हंसने लगे।

इंग्रेज ।

अंग्रेज जिन्होंने उर्दू में आली इम्तिहान पास किया है, और इस जबान में बडा दावये नसीहत वगालत रखते हैं एक दिन हजामत बनवा रहे थे, हज्जाम की गफलत से उस्तरा रुखसार मुबारिक पर चिपक गया और खून निकल आया बहुत खफा होकर यों गुल अफशानी फरमाने लगे "टुम हमारा गाल खून किया हम टुमारा नाक खून करना मांगटा है" (हज्जाम की नाक पकडकर) सच है। जनाब बहुत मुशकिल है, अगर हिन्दुस्तानियों की अंग्रेजी हंसने के काबिल है तो अंग्रेजों की उर्दू रोने के काबिल है तो भी यह हिन्दुस्तानियों की तेज और लुताफत तबई है, कि इंग्रेजों में अहले जबां की हमसरी करते हैं।

कसावी ।

एक कोतवाल की सेवा में एक कसावी ने शिकायत की कि फलाना मुझे दिक करता है। सरकार से एक चपरासी का हुक्म हो कि उसको मना करे, कोतवाल ने कहा कि बीबी चपरास तो तुम्हारे भी पास है, फिर चपरासी की क्या जरूरत है, रंडी ने कहा खुदावन्द चपरास तो मेरे पास जरूर है मगर उस पर हजूर का नाम नहीं लिखा है।

लड़का ।

एक अनाथ छोटे लड़के को उसका कंजूस चचा जो उस का रक्षक था, बहुत तंग करता और भूखा रखता था, जिस के बाइस वह बहुत दुर्बल होगया एक दुबला शिकारी कुत्ता मिला चचा ने पूछा यह इतना दुबला क्यों है, लड़के ने उत्तर दिया कि मैं समझता हूं कि यह कुत्ता शायद अपने चचा के साथ रहता है ।।यह सुनकर वह बड़ा शरमिन्दा हुआ ।

बादशाह ।

सुनते हैं, कि बलख बुखारे के बादशाह की सेज सवामन फूलोंसे संभाली जाती थी एक दिन बांदीने सेज सजाके अपने जी में विचारा कि इस सेज पर सोने से कैसा सुख जी को होगा, यह सोच इधर उधर देख वह जो उस पर लेटी सुख पाकर बेहोश हो सोगई और फूलों के बीच छिपगई, कुछ देर बाद बादशाह आ उसी सेज पर लेट गया, यहीं दो एक पीछे उसने जो करवट ली बादशाह घबड़ाया और खड़ा होकर बोला कि देखो इस सेज में क्या आफत है ! एक के रहते दस दौड़े आये उन्होंने बांदी को निकाल बाहर किया, बांदी को देखकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बदज़ात नालायक को मेरे रूबरू सौ दुर्रे (कोड़े) मारो इस बात के कहते ही लोगों ने शुमार से सौ कोड़े गिनकर बांदी के लगाये उसने पचास तक रो रो कर और पचास से [illegible]

खाये, यह कौतुक देख बादशाह ने उसे बुलाकर पूछा कि सुने तो मारखाने से आदमी रोता है। तू जो हंसी और रोई दोनो इसका क्या कारण है ? बांदी बोली महाराज फूलों की सेज पर पहर भर सोने का दण्ड परमेश्वर के यहां न हो यहां ही हुआ इस बात को मैं हंसी और आपको परमेश्वर के यहां नित्त इस सेज पर सोने के न जाने क्या दंड होंगे, यह सोच कर रोई, कहते हैं कि बादशाह इस बात को सुनते ही राज पाट छोड फकीरी ले जंगल को चला गया।

पक्के बेवकूफ ।

एक मौलवी ने एक किताब में लिखा देखा ! कि जिसकी डाढी बडी और सर छोटा होता है। वह बेवकूफ होता है फिर उसने आइने में अपना मुंह देखा और बेवकूफी की अलामत साबित कर अपनी डाढी छोटी करने के इरादे से अन्दाजन अपने हाथ से पकड शेष को चिराग से जलाया जब आग ने हाथ को पकडा तमाम डाढी जल गई और अफसोस कर के बोला कि जो किताब में लिखा है सत्य है।

पढने वाली ऐनक ।

एक मनुष्य ऐनक बेचने वाले की दुकान पर गया और पूछा कि पढने-वाली ऐनक खरीदना चाहता हूं दूकानदार ने बहुत प्रकार के ऐनक दिखाये लेकिन खरीददार ने एक भी पसन्द न किया। आखिर कार दुकानदार ने झुंझला कर पूछा कि आपको पढनाभी आता है। खरीददारने कहा अगर पढना आता होता तो आपकी दुकान पर पढने वाली ऐनक क्या खोजता फिरता।

एक पादरी ।

एक बार पादरी साहब एक रेल गाड़ी में सवार थे, कि एक स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने, गाड़ी से सर निकाला और एक लड़के को देखकर कहा कि लो ये चवन्नी, लो और शीरमाल मुझे लादो और दूसरा तुम लेलो, थोड़ी देर बाद लड़का शीरमाल खाता हुआ लौट आया और दो आने पैसे, पादरी साहब के हाथ में देकर कहा कि उसके पास एकही शीरमाल था, आप अपने पैसे ले लीजिये।

एक विद्वान ।

एक विद्वान पाटली पुत्र में रहते थे, उनके एक कन्या थी उसको विवाह किसी श्रेष्ठ कुलवन्त ब्राह्मण लड़केके साथ कर दिया गया यद्यपि लड़का महा मूर्ख शरीर के मुचन्ड था, उस को पढाकर पंडित बनाया, परन्तु मनुष्य का स्वभाव जो पक्का पड़ गया है, उसका छुडाना कठिन है। विद्याध्ययन के पश्चात् दामाद शर्मा कुछ काम न करते थे, भोजन के पीछे लम्बोतानी और खोरहे, खर्राटे उड़ाने लगे यही उनका नियम था, दामादजू शर्मा को यह गति देखकर श्वसुर शर्मा ने उपदेश किया कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना ही धर्म है सो वह पुरुषार्थ उद्योग से जन्म पाता है, आलस्य से नहीं सो हे कुलीनशर्मा! आप पड़े न रहा कीजिये कुछ सटर पटर करते रहा कीजिये किसी कवि ने कहा है "उद्योगिनंपुरुषसिंहमुपैतिलक्ष्मी" अर्थात् उद्योग करने वाले साहसी व्याघ्र पुरुष के पास लक्ष्मी संपत्ति आपसे आप दौड़कर जापहुंचती है। इस उपदेश से व्याघ-

कारी दामादजू ने उसी दिवस यह उद्योग आरम्भ कर दिया, कि कुदारी से श्वसुर के घर को ढाने लगे इस अपूर्व वा अचम्भित उद्योग को देख कर श्वसुर ने कहा कि यह आप क्या कर रहे हो ? दामादजू ने उत्तर दिया कि अब आप छेड़िये मत इस उद्योग का जो कुछ फल होगा, वह आपको अन्त में समझ पड़ेगा। आपही का वचन है, कि कोई उद्योग निष्फल नही जाता, परन्तु जो चित्त लगाकर किया जावे सो अब मैं स्वस्थचित्त होकर कुदारी लिये तनमन से एक काम को तो कर रहा हूं इसमें विघ्न न डालिये, धैर्य धारण कीजिये और देखिये कि मेरे परिश्रम का फल क्या होता है ! तात्पर्य यह है कि इस विषय पर श्वसुर दामाद का तीन चार घंटे तक वाद विवाद और शास्त्रार्थ होता रहा जब दामाद किसी प्रकार पराजित न हुआ तब श्वसुर ने जलकर कहा कि घर खोदने से उद्योग नही होता जो ऐसा करना ही है तो हमारा आसरा छोड़कर परदेश को जाइये वहां कुछ अपना चमत्कार दिखाइये तब जानपड़े कि आपने कुछ उद्योग किया। यह रूखा वचन दामाद के लग गया और उसी समय कुदारी को फेंक कर परदेश को चल खड़ा हुआ, मैं ने कही पर पढ़ा है कि "पचभिःसह गन्तव्यम्" अर्थात् पांच के साथ चलना चाहिये, अकेले नहीं यह विचार कर रास्ते में उसी स्थान पर बैठ गया और देखने लगा कि जब पांच आदमियों का गोल निकले तब उसके साथ मैं भी चलदूं संपूर्ण दिन बीत गया और पांचका गोल न निकला संध्या होनेपर एक मृतक शरीर अर्थात् मुर्दे को चार मनुष्य कांधे पर लादे हुये उसी मार्ग होकर निकले तो दामाद ने देखते ही कहा कि अब शास्त्र की सम्मति है और अब "पचभिः सह गन्तव्यम्" सिद्ध करना चाहिये निदान उसके साथ २ ब्राह्मण देवता चल दिये जब वे नदी के तट पर पहुंचे तब उन्होंने मुर्दे को जल में रखकर

चिता रखना आरम्भ कर दिया ब्राह्मण के साथ एक कुत्ता भी चला गया था आपने नदी में स्नान करके कलेवा के लिये लड्डू निकाले और भोजन आरम्भ करने को हुए तब आपको स्मरण आया कि मैंने कहीं पर पढ़ा है कि "इष्टैः सह भुज्यताम्" अर्थात् इष्ट मित्र के साथ भोजन करना चाहिये इस कारण मुझको उचित है कि यह लड्डू दो दो एक २ चारों मनुष्यों और कुत्ते को भी देदूं जब यह सब लोग मेरे इष्ट मित्र खालेंगे तब मैं भी भोजन करूं यह सिद्धान्त अपने मनमें ठहरा कर शववाहकों (मुर्दा जलाने वालों) के पासगया और दूरसे लड्डू दिखलाये भला वे कैसे इस कुसमय में भोजन करसकते थे इसको मूर्ख जान कुछ बोले नही परन्तु लड्डू किसी ने न लिया तब आपने कुत्तेहीको लड्डू दानकर उसके साथ भोजन किया भोजनों के पश्चात् आगे चले तो एकऊंट सांडिया सड़क पर दौड़ता चला आता था उसको देख आप को याद आया कि मैं ने किसी पुस्तक में ऐसा लेख देखा है, "धर्मस्य त्वरितो गति" अर्थात् धर्म की तेज़ गति होती है। सो हो नहो यह लम्बग्रीव जो वेग से दौड़ कर जारहा है, अवश्य धर्म ही है अहो भाग्य साक्षात् धर्म के दर्शन हुये अब मुझको इसके साथ क्या करना चाहिये सो कर डालूं कर्तव्य को विचार ही रहा था कि आपको स्मरण आयाकि "इष्ट धर्मोनियोजयेत्" अर्थात् अपने इष्ट को धर्म के सुपुर्द कर देना चाहिये यही प्राचीन प्रणाली है उसी समय कुत्तेको उठाकर उसके ऊपर दे पटका कुत्ता चोट लगने से किकियाकर घोर शब्द से चिल्लाने लगा। और ऊंट भी कुत्ते की चिल्लाहट से घबड़ा कर बहुत भड़का और जल्दी भग न सका गिर पड़ा इससे उसका एक पैर टूट गया और लगड़ा हो गया वह सांड़िया राजा की डांक लिये जा रहा था शुतर सवार ने ब्राह्मण उस को पकड़ा और राजा

त्र ले चला और बहुत कुछ घुड़कियां बतलाईं ब्राह्मण
ण आया कि कहीं पर ऐसा लिखा है, "सगमयति
ोच्चगापि नरसरित्। समुद्रमिव दुर्धर्ष नपभाग्य मनः"
था ऐसी है, जैसे जल भली बुरी नदियों के संसर्ग से
क पहुंच जाता है, इसी प्रकार नीच मनुष्य के
ता के निकट पहुंचा ही देती है, जब राजा के निकट
ो याद आई कि कहीं ऐसा भी कहा है, "नृपसमीपे
णर्नगन्तव्यम्" राजा के पास खाली हाथ लटकाये
चाहिये, वरन मेरे पास इस समय न नारियल है, न
। है यह विचार करते २ उसका ध्यान और दृष्टिअप-
पर जा पड़ी उनको फलके समान कल्पना कर लिया
वचन पढ़कर "यद्दाशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति
अब सावधान होकर जूतों को दोनों हाथों में पकड़े
ोकर राजाके सन्मुख गया, राजा इस विलक्षण पुरुष
कर हंसा और पूछा कि महात्मा जी आप कौन हैं?

ाण--मैं पंडित हूं।

ा--इस बेअदबी से हमारे सन्मुख क्यों आये?

ाण- मैं लिखे के अनुसार चलता हूं आप लोगों के
ाली हाथ जाना मना है। यह वचन है, "रिक्तपाणिर्न
इससे जूतों को पकड़ लिया अब रिक्तपाणि का दोष
। और मैं अब फलोंको ग्रहण किये हुये आशीर्वाद देता
निये, इकसर सल्लो दूसर सल्लो यारे आठ यिम्सलो,इल्लो
तल्लो रक्षा करे सविल्लो-इकसरमल्लो १०००आंखवाला
सर सल्लो २००० आंख वाला शेष, १२ आंख वाला
र्तिक, = आंख वालाब्रह्मा, २० आंख वाला रावण,इल्लो
ख वाला, यिल्लो दो आंख वाला विष्णु, तिल्लो महादेव

यह सब देवता आपकी रक्षा करें। इस आशीर्वाद से राजा प्रसन्न हुआ और कुछ धन दान देकर ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया।

वकालत।

एक आदमी वकालत की परीक्षा के लिये तयारी कर रहा था, यह एक गुरू से न्याय (मन्तक) पढ़ने लगा—दोनों में यह होड़ (शर्त) ठहरी कि ५००) रु० तुरन्त देदे और ५००) रु० जिस समय सनद वकालत पाकर पहिला मुक़द्दमा अदालत में जीते उस वक्त अदा करे इस शर्त पर न्याय पढ़कर हज़रत वकालत के इम्तिहान में पास होगये पर बहुत दिनों तक न तो अदालत में गये और न उस्ताद के पास आये उस्ताद ने अब देखा कि शागिर्द की नीयत बाक़ी रुपया देने की नहीं तो उस पर नालिश करदी जब अदालत में इज़हार देने के समय दोनों मिले तो उस्ताद ने कहा बच्चा रुपये तो तुझसे हर सूरत से लेलूंगा जो मैं जीता तो अदालत दिलावेगी जो तुम जीते तो शर्त के मुताबिक़ देना पड़ेगा कि पहला मुक़द्दमा जीतने पर तुम ने देने को इकरार किया है। शागिर्द ने जवाब दिया कि उस्ताद—मैं आपको एक पैसा देनेवाला नहीं सब प्रकारसे मेरी जीत है जो मैं जीता तो आप को अदालत न दिलायेगी और जो हारा तो शर्त के मुताबिक़ न दूंगा क्योंकि शर्त यह है कि जीतूं तो दूं न कि हारूं तो दूं उस्ताद यह सुनकर चुपचाप हो रहे।

हज्जाम।

एक हज्जाम ने एक सय्यद के सर मूंडने २ उनकी डाढ़ी को साफ़ किया—सय्यदने ख़फ़ा होकर फरमाया कि क़ाफ़िर

मलाऊन तूने ग़ज़ब किया। हज्जाम ने जबाब दिया कि ख़ता जबराईल से भी हुई कि क़ुरान को ख़ुदा ने अली के वास्ते भेजा था, उसने पैग़म्बर साहब को दे दिया पस मेरे हाथ की ख़ता है। डाढ़ी शरीफ़ पर चला गया माफ़ कीजिये॥

हींगा कहार।

किसी नगर में एक वैरागी (बाबाजी) रहते थे उन्होंने बिना जाने एक कहार को चेला कर लिया वह कहार २—४ वर्ष बाबाजी के पास रह के तीर्थ यात्रा को गया। किसी तीर्थ का मार्ग उसके जन्मभूम के पास होकर ही जाता था। जब वह अपने ग्राम के निकट पहुंचा तब उसे मोह ने ऐसा दबाया कि वह अपने घर चला गया। और अपने घर वालों के कहने से कंठी माला तोड़ गृहस्थी होगया और बाबाजी को पत्र में लिख भेजा कि "कंठीमाला तोड़के दीनी गंग बहाय। बाबाजी को ज़ाहिर होवे हींगा मछली खाय॥" बाबाजी ने इसके उत्तर में हींगा कहार (चेला) को लिख भेजा "चेला नाहिं चांटी नाहिं, नाहीं है गुरु भाई। बाबाजी के......से हींगा ने मछली खाई" ॥

मुसलमान।

एक मूर्ख मुसलमान ने यह मसला सुन रक्खा था कि चांद देखकर रोज़ा रखना पड़ता है इससे कई दिन तक वह रात को घर से बाहर न निकला कि चांद न देखूंगा न रोज़ा रखना पड़ेगा, निदान एक रात पेशाब करने को जो बाहर निकला तो चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब (अक्स) उसको पेशाब में दिखाई दिया तो वह उस प्रतिबिम्ब को देखकर कहने लगा कि वाह!

आसमान से उतर कर रोज़ा रखाने को ज़मीन पर आगये इसकी नहीं बदी है जब तक आसमान पर न देखूंगा रोज़ा नहीं रखूंगा चाहे आप ज़बरदस्ती मुंहमें क्यों न घुस जाओ।

दो नौजवान औरतें।

दो कुमारियों (नौजवान औरतों) को एक जादूगरनी ने खूब ठगा उसने कहा कि हम एक रुपये में तुम दोनों को तुम्हारे भविष्यत पति (आयंदा खसम) का मुख दिखा देंगे और रुपया झुटाकर दोनों को एक आईना दिखा दिया, बेचारियों ने कहा यह क्या? तो वह जादूगरनी बोली "बलैया लू जब विवाह हो जायगा तो यही मुंह दूल्हे का हो जायगा।

चार चोर।

चार चोर किसी के घर से कपड़े और कुछ माल चुराकर लाये थे। उन्होंने अपने एक साथी को बाज़ार में बेचने को भेजा परन्तु बाज़ार में उसको एक ठग मिलगया ठग ने उस चोर को एक ऐसी गली के द्वारपर खड़ा कर दिया जो बाहर से आलीशान मकान जान पड़ता था। जब वह ठग शाम तक भी न आया और माल लेके चम्पत होगया तब वह चोर अपने साथियों के पास लौट आया साथियों ने पूछा क्योंजी माल बेच आये? चोर जी हां बेच आया। साथी किस भाव में बेचा। चोर जिस भाव खरीदा उसही भाव बेच दिया परन्तु नफ़ा कुछ न हुआ।

बुद्धिमानी।

एक महाराजा साहिब ने बेदख़ली (धनाधिकार) के समय में (८००) रु० महीने पर एक रण्डी नौकर रक्खी

एजैन्ट साहब ने गवर्नमेंट में शिकायत लिखदी मुलाकात के समय महाराजा साहब को एजेन्ट साहब के सन्मुख बड़े साहब ने कहा एजेन्ट साहब का मासिक तो केवल १४००) रु० है आप एक रंडी को १८००) रु० देते है महाराजा साहिब ने उत्तर दिया जो आपकी मरज़ी हो तो एजैन्ट साहब को भी रंड़ी के बराबर कर दिया जावे । वाहरी बुद्धिमानी क्या कहना है।

मसजिद ।

एक फ़क़ीर ने बादशाह के दरबार में जाकर थोड़ी सी ज़मीन मांगी और पाई, उस में उसने प्रथम एक शिवालय बनवाया कुछ समय के पश्चात् उसने देखा कि इसमें हिन्दू सब आते हैं परन्तु मुसलमान कोई नही आता है लेकिन फ़क़ीर साहब की गरज़ यह थी कि दोनों फ़िरके (ज़ातों) के मनुष्यों में परस्पर द्वेष भाव न रहे इस इच्छा के पूर्ण न होने पर उन्होंने मसजिद बनाने का विचार किया स्थान उतना नही था इस कारण मन्दिर तोड़ कर मसजिद बनाना पड़ी पर इससे भी वही झगड़ा बाक़ी रहा कि मुसलमान आने लगे किन्तु हिन्दू बन्द होगये इस द्वेष भाव पर शोका-कुल होकर फ़क़ीर साहब ने मसजिद भी तोड़ कर उसी स्थान पर वंमुलिभ (पैख़ाना) घर बनाया इस मतलब से कि अब तो नकोज (द्वेष) न रहेगा दोनों दल के मनुष्य बेधड़क चले आवेंगे) इस पर कुछ लोगों ने रञ्जीदा होकर बादशाह के आम दरबार में प्रार्थना की कि फ़लां फ़क़ीर ने मसजिद तोड़कर उसी स्थान पर पैख़ाना घर बनाया है इस पर बादशाह ने गुस्सा होकर उस फ़क़ीर को दरबार में तलब करके प्राणदण्ड की आज्ञा दी इस पर फ़क़ीर ने दोनों

हाथ उठाकर कहा कि हजूर अपनी बनाई हुई मसजिद के तोड़ने से मुझे मार डालने की सज़ा मिली किन्तु आप नही देखते कि मेरे दोनों हाथ मानिंद्र कगूरा और सर मिस्ल गुम्बज़ के है इस खुदा की बनाई हुई मसजिद के तोड़ने को आपको न जाने क्या सज़ा मिले बादशाह ने उस के जवाब और उपदेश पर खुश होकर माफ़ी का हुक्म दिया। तात्पर्य यह है कि परस्पर प्रीति चाहना सज्जनों का काम है और जीव हत्या का बड़ा घोर पाप होता है।

मियां बीबी।

मियाँ—बी साहबा! तुम तो मेरी तरफ़ इस तरह आंखें फाड़कर घूरती हो जिस तरह मुझको खा ही जाओगी।

बी साहबा—आदमी कुत्ते का गोश्त नही खाया करते।

भले मानस।

फ़क़ीर—मियाँ भले मानस अन्धे को खुदा की राह पर दो

मियाँ—जा दूर हो गधे बदज़ात शैतान तेरे अन्धे होने का कोई सबूत भी है।

फ़क़ीर—यही कि मैंने आपको भला मानस कहा।

मेरे लिये कुछ चिन्ता मत करो।

एक मनुष्य रात्रि के समय अपने एक मित्र के घर गया पर वहां जाते ही वर्षा होने लगी तब घर के स्वामी ने कहा भाई इस समय वर्षा अधिक हो रही है अब तुम भोजन करके

यही सो रहो, घर तक जाने में तुम को बड़ा कष्ट होगा मित्र महाशय ने इस बात को स्वीकार कर लिया और भोजन करके जब निश्चिन्त हुए तब घर का स्वामी भीतर पान लेने को गया और उनके मित्र उठ के अपने गृह को चल दिये कुछ समयानंतर मित्र जी फिर लौट आये तब गृह के स्वामी ने पूछा क्यों भाई साहब कहां गये थे उन्होंने उत्तर दिया कि भाई साहब अपने घर पर यही कहने गया था कि आज अधिक वर्षा के कारण घर पर खाने को नही आ सकता हूं इस लिये तुम लोग मेरे लिये कुछ चिन्ता मत करो।

शायर साहब।

एक उर्दू में कवि महाशय कूए पर खड़े जल भर रहे थे दैवात घड़े की रस्सी जो टूटी, तो उसके झटके से मुंडेर के नीचे आ गिरे अब शायर साहब पड़े पड़े क्या फ़रमाते हैं कि 'क़िस्मत को देखिये कि कहां टूटा क़मन्द दो तीन हाथ जब कि लबे बाम रह गया'।

बहुत ही खुश क़िस्मत।

वो तमाशबीन जिस पर तवायफ़ जानदे वो रंडी जिसकी नायका कूंच कर गई हो, वो यार जिसके दोस्तों की तवायफ हसीन हो, वो लालटेन जो नाज़ुक हाथ में सड़क पर रोशनी दिखावे, वो अफ़सर पुलिस जो शिकार में रंडियोंकेसाथ जाये

जगत में दोही बेईमान हैं।

यदि संसार को छान बीन के देखोगे तो केवल दोही बे-

मान अर्थात् ईश्वर की आज्ञा भंग करने वाले मिलेंगे एक फ़कीर दूसरे हिजड़े ईश्वर जिसको जिस कामके लिये बनाता है, उसे उस ही प्रकार के अंग देताहै, जैसे सन्तानोत्पत्ति के वास्ते स्त्री को रचा है, तो उसके वैसे ही अग भी बना दिये हैं, ऐसे ईश्वर ने संसारी व्यवहार के अयोग्य योगाभ्यासादिकों के करने को हिजड़े रचे थे, पर वह बेईमान होगये योग नहीं करते एवं पुरुष को प्रजा बढ़ाने के वास्ते ही रचा है, पर कितने ही लोग ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध सन्यासी वा ब्रह्मचारी बनते हैं सन्तानोत्पत्ति नहीं करते इससे वहभी बेईमान हैं

चातुर्य्य ।

किसी राजा ने अपनी प्रत्येक रानियों के पास एक २ अनार और सात २ सुपारियां महलों में भिजवादी रानियां सौगात समझ कर हड़प कर गईं परन्तु एक रानी जो बुद्धिमान और परम सुजान थी, मन में कहने लगी कि इस में कोई न कोई भेद अवश्य है निदान वह अभिप्राय समझ कर राजा के राज गृह में उपस्थित हुई—राजा ने पूछा कि हे प्राण प्यारी ! तुम क्या समझ कर आई ? रानी ने यह उत्तर दिया कि महाराज मैं इससे यह आज्ञा समझो कि "आ नारि सात सो, प्यारी,, राजा परम प्रसन्न हुआ।

एक अनोखी बेगम।

आप जानते हो कि नवाबों की बेगमें जो कुछ नाज़ुकपन बनाये रखती हैं। कि मख़मल की सेज पर पड़ने से उनका शरीर लाल पड़ जाता है, और पैरों में महावर भारी लगती है। उन्हीं किस्म की बेगमों में से एक ने स्वप्न में देखा कि मैं

चूहा निगल गई और होते ही हाय २ मचाने लगी और या अल्लाह २ कर शोर मचाया नवाब साहब को ख़बर हुई, कि बेगम साहिबा चूहा निगल गई; सुनते ही हजूर से हुक्म हुआ कि डाक्टर को इसी दम लाओ फ़ौरन डाक्टर साहब बुलवाये और मुलाहिज़ा हुआ, डाक्टर ने हाल पूछा तो बेगमसाहबाने फ़रमाया कि मैं स्वप्नमें एक चूहा निगल गई तबसे मेरे शिकम (पेट) में अज़हद दर्द हो रहा है। सुनते ही डाक्टर साहब चक्कर में आगये और सोचने लगे, सोचते २ एक बात बन आई झटसे आपने कहा कि बेगमसाहबा आप एक बिल्ली निगल जाइये तो अभी आराम हो जाय बेगमसाहबा को एक दम इस अनोखी दवा के सुनने से मौनव्रत धारण करने के सिवाय कुछ न बनआया और दर्द बंद गर्द होगया।

माकूल जवाब।

एक तवायफ़ बनाव शृङ्गार करके अदा के साथ अपने कमरे के बरामदे में खड़ी हुई थी और रेशमी पुरजर इज़ारबंद कमर में पड़ा हुआ था, इत्तफ़ाकन उधरसे एक खुशतबा अमीर की सवारी गुज़री तवायफ़ मज़कूर को मुखातिब करके बेइ-ख़्त्यार बोल उठे, ज़रा इस सहरे को उठालो, हम भी फ़ातहा पढ़ते जांय वह बाजारी औरत भला कब चूकने वाली थी, बोल उठी कि हुज़ूर आपके किबलेगाहे साहब का बाज़ार है ज़रा अदब से।

गोपाल भांड़।

महाराज कृष्णचन्द्र ने गोपाल भांड़ से एक रोज कहा कि हमारी और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, इस कारण मुझे

कुछ सन्देह होता है, सच कहना क्यों तुम्हारी माता तो कभी यहां नही आई थी ? गोपाल भांड़ ने तड़ से जवाब दिया कि महाराज माता तो नही आई थी, निसन्देह मेरे पिता एक बार यहां पर आये थे।

ज़िन्दा दिल।

एक ज़िन्दा दिल साहब अपने सहन में शाम को चहल क़दमी कर रहे थे। तबियत किसी क़दर सुस्त थी एक बाबू साहब मुलाक़ात को तशरीफ लेगये, बाबू साहब "क्यों जनाब सूरत उदास है! क्या बीमारी होगई? ज़िन्दा दिल हज़रत आरज़ा यह है कि जो आदमी शाम को मेरे सहन (आंगन) में मिलने आवे अन्धा दिखाई देता है।

मियांजी।

एक जगह एक मियांजी लडकों को पढ़ाया करते थे इत्तफाकन एक दिन उनकी मियांनी फट गई आप उसी हालत में बाहर तशरीफ ले गये लडके शैतान के अज्ञा होते हैं। देख कर लगे हंसने मियांजी ने डन्डे से ख़बर ली और शाम को घर जाकर पाजामा लौंडी के हवाले कर दिया। कि ले इसको दुरुस्त करदे मगर वह विचारी भूल गई मियांजीने आव देखा न ताव फिर सवेरे उसी को पहिन मकतब में आ बैठे अब लड़के आते जाते हैं और दरवाज़े में जमते जाते हैं। जब मियांजीने कहा भाई लडको अन्दर क्यों नही आते तो शैतानी लश्कर ने अर्ज़ किया कि हज़रत क्या आयें जिस कमबख़्त ने कल पिटवाया था वह फिर आप जामे से बाहर है।

तमस्सुक।

मैं कि मीरशफ़ी वल्द मीरसकी साकिन कस्बा लामकान का हूं; जोकि मुबल्लिग़ रुपया एक हज़ार अज़राह जुनी पैज़ार

लाला रामश्रौतार से कर्ज़ लेकर बज़रूरत वाहियात खुराफ़ात शुत्रपात नेकज़ात की आतिशबाज़ी में सर्फ़ कर डाले लिहाज़ा इकरार बसोहत तकरार बल्कि इनकार उलटी क़लम से लिखे देता हूं कि जिसको जमा कयामत से डुचन्द ज़माने नजदीक व दूर की जिसकी सवाई इस तरह पर लगादी कि रुपये के बारह आने बल्कि आने भी न दूंगा। लाला मौसूफ़ वो सख़्त बेवकूफ़ का रुपया अदा या वदा न हो तो बार उसका जिम्मे इस खाकसार के न होगा। मसल " घी के पूत किया व्यापार सोला सौ के रहे हज़ार,, जिसको बैठा वंदा मार, लिहाज़ा ये चन्द कलमा बतरीक़ तमस्सुक ख़राब बहालत नशे शराब में किसी नाखांदे से लिखवा दिया कि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम न आवे अल मरकूम ४५ माह गये सनद रहे बक़लम मुंशी फ़ज़ीहत राय नाखांदे गवाह सुलतानखां वलद बेईमानखां साकिन क़सबे फ़साद नगर पेशा बदमाशी।

छिनाल औरत।

एक मनुष्य अपनी स्त्री को मित्रों से फंसी देख अपनी स्त्री सहित परदेश को चला, स्त्री थोड़ी मिट्टी टोकरी में रख सिर पर धर साथ हुई, पति ने पूंछा कि तू इस मिट्टी को किस वास्ते ले चलती है? स्त्री ने कहा जहां चलकर रहेंगे वहां चूल्हा बनावेंगे पति ने कहा क्या वहां मिट्टी न मिलेगी स्त्री ने जवाब दिया कि तू पड़ोसियों के सबब से मुझे परदेश को ले चला है क्या वहां मुझे उपपति (यार) न मिलेंगे।

अफ़यूनी।

एक अफ़ीमची एक रोज़ लोटा ले जाकर पाखाने में बैठा हुआ था कि चोर आया और लोटा उठाकर लेगया दूसरे दिन

अफ़ीमची ने दिल में कहा कि चोर को किसी तरह पकड़ना चाहिये इसलिये वह पाखाने में जाकर सब मुंह पर कपड़ा लपेट लोटे की तरह हाथों से टोंटी बनाकर बैठ गया इतने में लोटे का चोर भी आया और इसने यह कैफ़ियत देखी चोर भी मसख़रा आदमी था उसने एक छोटा सा ढेला उठाकर उस जानदार लोटे को मार दिया अफ़ीमची ने टन की आवाज़ लगाई (गोया कि लोटे को ढेला लगा है) इस पर चोर ने लात मार कर उसको गिरा दिया तो अफ़ीमची गड़ २ करता हुआ लेट गया (कि गोया लोटे के गिरने से पानी के गिरने की आवाज़ आरही है) इस पर चोर भी मारे हंसी के लोट ही गया।

आपका जूता आपही का सर।

एक ज़मीदार अपने साहूकार के यहां से एक हिमयाती (थैली) रुपयों की चुरा लाया लेकिन गिरह न खोल सका दर हक़ीक़त हिमयाती की गिरह राज़दार होती है और आप उसे आसानी से नहीं खोल सकते जब कोई तदबीर समझ में न आई तो उसी साहूकार के पास चला गया और उसके नुक़सान पर इज़हार अफ़सोस के बाद कहा कि ख़ातर जमा रखिये जिस कमबख़्त ने चुराई है वह भी गिरह न खोल सकेगा शाहजी बोले उसे एसी क्या पडी है जो गिरह ही खोले दरांती या चाकू से काट न लेगा, ज़मींदार हंस पड़ा और हां हां करता उठ खड़ा हुआ और दिल में कहा अलहमदो लिल्लाह "आपका जूता आपका सर"।

अन्धेर नगरी।

किसी अन्धेर नगरी में दो मनुष्य रहते थे एक का नाम झूंठे का चेरा दूसरे का नाम हेराफेरा था इन दोनों में परस्पर

शास्त्रार्थ इस बात का हुआ कि मेरे बराबर कोई झूठ बोलने वाला न होगा इस लिये मैं दिग्विजयी झूठा हो सकता हूं कोई ऐसा चैतन्य पुरुष नहीं दीख पड़ता है कि जो मेरे मुख से निकली झूठी बात को सच्च कर देवे इस पक्ष को सुनकर प्रतिवादी ने उत्तर दिया कि आपके सात पुश्त को तलाक़ है कि जितना चाहो झूठ बोलो मैं खूब सच्चा साबित कर दूंगा निदान दोनों ने यह शर्त की कि जो मनुष्य जितने बार पराजय होता जावे उतनी ही बार विजयी को ५०) देता जावे यह वचन पक्का करके दोनों वादी एक गांव में गये वहां के ज़मीदारों से झूठे का चेरा बोला कि आज मैंने एक अचरज की बात देखी है वह सुनाता हूं मेरा साथी वह चेरा फेरा है इससे पूछ लीजिये–एक बात झूठे का चेरा–गूलर एक बीस गज़ भाय, ताकि फुनगी बकरी खाय। मैं देखा धरती पर ठाड़े देहु साख नहिं जहि को काढ़े, हेरा फेरा उत्तर अधिकुंवां रही गज़ बीस, गूलर तेहि भीतर हम दीस। यह नहिं बड़े अचरज की बात, धरो पचास रुपया। बात झूठे का चेरा प्रश्न–पिछली बाय पांव की खुरी हिरन की लेत, कान फोड़ गोली कढ़ी हिरना गिर्यो अचेतः हेराफेरा उत्तर–हिरना पिछले पांव से लग्यो खुजावन कान, तबही पारधी ने हनी गोली कन बिच तान। खुरी सो बाये पांव को लेत कान गई फोर अरु यामें अचरज कहा देह पचासक और बात ३ झूठे का चेरा प्रश्न–हिरना रोवे आंख से आसुन केरी धार गिरे सिंघ की नोक से याको कहा विचार, सरासरा अन्धेर हेराफेरा उत्तर–हिरना छूट्यो झुण्ड मे परो विरह की मार, झुन्ड गया जल पान को हिरना रुपर करार नीचे से हिरना लख्यो पति करार की होन, नाहि देर रोवन लगी नीचे कर २ सींग, आंसू तिन के आंख से बहि सींगन की ओर, नोकन से टपकन लगे होन दीजिये सर्ग। बात ४ झूठे का चेरा प्रश्न—एक हाथ की थी मक्खी दस हाथ

की मूरत खड़ी, मन्दर बिच नित पूजी जाय, करो पूर नहि देहु चुकाय, सरासर अन्धेर हेराफेरा उत्तर-एक हाथ का मन्दिर ठीक, दस भुज को तिहि मूरत नीक, बैठी मढ़ो नित पूजी जाय, दे पचास यह अचरज नाय।

देहाती अकल।

एक पादरी साहब एक देहाती को समझा रहे थे कि अगर तुम गुनाह से बाज़ नही आओगे तो तुम दोज़ख में भेजे जाओगे जहां महा अन्धकार होगा और आग गंधक जलती होगी देहाती ने सुनकर जवाब दिया कि मैं आपकी बात को नही मान सकता यह किस तरह हो सकता है कि जहां आग और गंधक जलती हो वहां अन्धकार हो।

अमीर।

एक अमीर ने अपने चाकर से मोती देने का वायदा किया था, मगर जब वह सामने आता तो उससे गरदन फेर लेते एक दिन अमीर ने किसी ऊटको देखकर उसी चाकर से पूछा कि यह गरदन हमेशा टेढ़ी क्यों रखता है वह खिदमतगार बोला कि हजूर इसने भी किसी को मोती देने को कहे होंगे अमीर बड़ा शरमिन्दा हुआ।

काज़ी अब्दुल्ला।

एक काज़ी जिसका नाम अबदुल्ला था और आंख से काना था एक बनियां उसके पास पहुंचा और बोला कि "काज़ी अब्दुल्ला सलाम" मुसाहिब काज़ी ने कहा कि अ-मक़ अब्दुल्ला को गब्दुल्ला क्यों कहता है शायद तू जाहिल आदमी है बनियां

ने जवाब दिया कि जो अब्दुल्ला की ऐन पर नुकता है गब्दुल्ला सही है तो ख्वान्दा बेवकूफ़ है या अरबी उस्ताद का शागिर्द है।

अफ़ीमची।

एक दिन एक अफीमची साहब मय अपनी बीबी के रात के समय चारपाई पर लेटे पीनक में आसमान की तरफ़ देख रहे थे। इत्तफाकन एक सितारा टूटा अफीमची साहब ने चकित होकर बीबी से फ़रमाया देखो आसमान में आग लगी है बीबी ने जो आसमान की ओर निगाह की तो वास्तव में बादल था उसको धुआं ख्याल कर के कहा कि ज़रूर धुआं ही नज़र आता है। अफ़ीमची साहब ने कहा अब क्या करें बीबी ने कहा कि हम तुम दोनों जल्दी से आस्मान की तरफ टांगें उठा कर पेशाब करें ताकि आग बुझ जावे। निदान दोनों ने ऐसा ही किया और कुल पेशाब उनके मुह पर गिरा।

फ़कीर।

एक फ़कीर साहब के पास कोई मनुष्य मुर्ग़ी के अण्डे ले गया। फ़कीर साहब—बाबा यह अण्डे किसने दिये हैं? दुनियांदार—मेरी वालदा (मां) ने, फकीर साहब—कितने रोज़ देती है? दुनियांदार—कुछ समझे और शर्मिंदा होकर कहने लगे कि जनाब! अण्डे तो मुर्ग़ी ने दिये हैं और मेरी मां ने आपके पास भेजे हैं।

शादी।

एक फ़कीर साहब से उनके मुर्शद ने कहा कि-दुनियां का लुत्फ (मज़ा) बे शादी नहीं होता, फ़कीर साहब फ़िकर में पड़े। एक रोज़ इसी फिक्र में एक कुए की मेंड पर लेट गये। स्वप्न में देखा कि मेरी शादी होकर एक लड़का पैदा हुआ मैं मय लड़के और बीबी के लेटा हूं बीबी कहती है कि ज़रा परे

हट कर लेटो लड़का रोता है। यह और हट गये फिर उसने कहा कि और हटो फिर हट गये तीसरी मरतबा औरत नें फिर कहा कि हटो, यहां तक हटे कि कुए मे जा रहे, जब गिरे तो होश आया गुल सुन कर लोगो ने निकाला वजह गिरने की पूछी सबको वही हाल सुनाया। लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी हम कर दें। फ़कीर साहब ने कहा कि स्वप्न में तो नतीजा शादी का मुझ को यह मिला जो सचमुच करूंगा तो खुदा जाने क्या हाल हो मै बाज़ आया।

हंसोड़।

एक हंसोड़ (जरीफ) किसी तेली की दुकान पर तेल ले रहा था, जब उसने तेल ले लिया तो दैवात तेल का बरतन हाथ से छूट गया और सारा तेल गिर गया, तेली ने तुरन्त कह दिया कि साहब आज शनिश्चर था अच्छा हुआ तुम्हारे पाप नाश हो गये तुम पर परमेश्वर प्रसन्न हो गया आप जानते हैं कि जरीफ़ों को सदा नई सूझती है झट उसने तेल का घड़ा उठा औंधा कर दिया और साथ ही यह कह दिया कि तेरे अगले पिछले नये पुराने पाप नाश हो गये परमेश्वर तुझ पर बड़ा प्रसन्न है। मुबारक हो।

ब्राह्मण।

एक ब्राह्मण का एक राजपूत ने निमंत्रण (दावत) किया और खाने को बदस्त खुद पकाया उस समय में राजपूत के गले में जुनार (जनेऊ) न था ब्राह्मण ने कहा कि जिसके गले में जनेऊ नहीं वह शूद्र, उसके हाथ का खाना ब्राह्मण को उचित नहीं, उसने कहा बक न मारो तुम्हारी ब्राह्मणी तुम्हें रोज़ खाना पकाकर खिलाती है और जिसके शिकम (पेट) से तुम

पैदा हुए हो वह भी जनेऊ नहीं रखती है तुम शूद्र के जने और शूद्र के हाथ के पकाये भोजन के खाने वाले हो।

भोले सैयद।

एक मुसाफ़िर राह चलता मोज़े भोर में पहुंचा वहां एक सैय्यद इन्तजार कर रहा था मुसाफ़िर ने पूछा कि यह वही भोर है जिसके सैय्यद भोले होते हैं उसने पाजामा को हाथसे छोड दिया कि बिरहना (नंगा) होगया और बोला कि अब ऐसे भोले नहीं होते हैं होशियार होगये हैं इसने जवाब दिया कि आपकी सूरत से आप की तमीज़ तांबाल है॥

जैसे उदई तैसे भान।

न उनके चुटई न उनके कान॥

बरसाती समागम

भोंदू बना की उलटी रीत। भर भादों में उठावें भीत॥
भोंदू कुंवर भोंदनी कानी। यह रचना नीकी विधि ठानी॥

(सत्य है)

जैसे मिले भोंदुआ दास। तैसो मिली मौसिया सास॥
इनको उनकी मिल गई जात। ढर्र गांव में गई बरात॥
जेई बामन तेई नाऊ। गोई दुलहा के नीके दाऊ।
एक काने एक ऐंचत ताने। एक अंधे एक कुंवर काने॥

पेंचे चेंचें अग विढगे । गये वरात भौंदू के संगे ॥
जब वरात पहुंची पुर भीतर । सजे लेन अगवानों खातर ॥

दोहा ।

लठ्ठ वसेंडा सूसरा बांध २ के जांय ।
डेठा नुकीले पाथरे टींका कीनों धाय ॥
एक खटा एक गिर्मा लियो । पकड २ जनवासो दियो ॥
जव भांवर की वेरा आई । भौंदू नंगे नचे वधाई ॥

साकोचार उभय ओर से ।

प्रश्न—(दुलहन की ओर से)
जग जीतो मोरी कानी, जग जीतो मोरी कानी ॥
उत्तर—(दुलहन की ओर से)
वर ठाड़ो होय जव जानी, वर ठाड़ो होय जव जानी ॥
प्रश्न—(दुलहन की ओर से)
भली भई जू भली भई, मडवा भीतर कुंवर गई ॥
उत्तर—(दुलहन की ओर से)
तुम जिन जानो हमई स्याने, कानी को टेंट देखिये म्याने

भोजन प्रशंसा ।

छटे दिना जव पंगत भई—सूखी लुचई और करो मई ॥
भुजो तनक चटनी सी यांटी—शक्कर जैसे पीरो मांटी ॥
घरे गांव से तुपके छूटे—मानों राज लेत हैं लूटे ॥

नेग को रुपया ।

दांता किनर दीन्ह रुपया—सुन दूल्हा को दा दैया ॥
धन्य जोरा न खाओ भात—विना फाग की चली वरात ॥

गाम वासी यह अपूर्व चरित्र लख चकित हो यह कहते हुये गृह को पधारे कि- जैसे उदई तैसे भान, न उनके चोटी न उनके कान ॥

खुदाज़ादा ।

एक मनुष्य को चलते २ मार्ग में दीर्घ शंका (पाख़ाना) लगा तो किसी के द्वार पर बैठ कर अपनी हाजत रफा करने लगा उसी समय में मालिक मकान अन्दर से निकला और पूछा कि तू कौन है ? उसने जवाव दिया कि मैं हूं खुदाज़ादा, मालिक मकान ने झुंझला कर उस की गरदन पकड़ी और मसज़िद के दरवाज़े पर लाकर ज़ोर से धक्का दिया और कहा कि खुदाज़ादा है तो अपने वावा के घर में क्यों नहीं हगता।

वृद्ध ।

एक युवा पुरुष (नौजवान) अपनी प्यारी के गृह पर जिस से विवाह होने वाला था गया वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ा खुर्राट सुफेद रेश उसी मतलव के लिये वैठा है। जवान ने मिहना (तनाजन) कहा मियां पीर मर्द ईमान से कहना तुम्हारी कितनी आयु (उमर) है। वूढ़ा वाचा वोला साहव ज़ादे मैं ठीक २ तो नहीं कह सकता हूं यह जानता हूं कि एक गधा वीस वर्ष की आयु में वृद्ध (वूढ़ा) होजाता है एक मनुष्य साठ वर्ष के पश्चात् ।

पुत्र ।

एक लड़के से उसकी माताने कहा कि मैं ने तुझे ९ मास उदर में रक्खा और दूध पिला हर तरह की सख्ती गवारा कर पालन पोषण किया—अब तू मुझे सख्त कहता है पुत्रने उत्तर

दिया कि तुमने इस अभिप्राय से मुझको गर्भ में नहीं रक्खा था कि मैं उत्पन्न (पैदा) हूं परन्तु तूने अपने मज़े के लिये किया था जिससे यह प्रगट (वजूद) हुआ।

राजा बीरबल।

एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार आम में फरमाया कि पत्तों में से कौनसा पत्ता बड़ा होता है ? बुद्धिमानों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार केला, दारवी, सागोन का पत्ता सोच२ कर चाहते थे कि हजूर में निवेदन (अर्ज़) करें और मन में ख्याल यह भी था कि ऐसा न हो कि कोई और पत्ता इन से बड़ा हो इस कारण चुप थे बुद्धिमान बीरबल को आज्ञा हुई तुरन्त बोल उठे कि सब से बड़ा पत्ता नागरवेल का है जो बादशाह के मुंह तक पहुंचता है सब ने प्रशंसा की और बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ।

पाखाना।

एक मनुष्य एक वाटिका में अंगूर चुराने को आया माली ने उसे देखकर ललकारा और कहा कि तू क्या करता है उस ने कहा कि पाख़ाना फिर रहा हूं बागवान ने कहा पाख़ाना कहां फिरा है ? उसने गोबर उठाकर दिखादिया। बागवान ने कहा अरे यह तो गोबर है तेरा पाख़ाना नहीं मालूम होता है उसने जवाब दिया कि तू ने जो ललकारा तो मैं डर कर आदमियत से न हग सका जानवरों की तरह पाख़ाना होगया।

पहुंचे साधु।

एक पहुंचे साधु एक महाराजा के सन्मुख गये महाराजा ने कहा बताओ कि खुदा (परमेश्वर) क्या करता है ?, फ़क़ीर

तुझे उचित है कि आप खडा होकर और मुझे सिंहासन पर बिठा के प्रश्न कर तब उचित उत्तर पावे क्या ऐसे प्रश्न का उत्तर इस दशा में दे सक्ता हूं कि मैं खड़ा हूं और तू सिंहासन पर बैठा है महाराजा तुरन्त सिंहासन से उतर खडा हुआ, और साधु को सिंहासन पर बिठा कर बोला कि बतलाइये! साधु ने कहा परमेश्वर का यही कर्म है कि तख्तनशीन (सिंहासनारूढ़) को नीचे और गदा (साधु) को तख्तपर बिठाताहै।

माकूल जवाब।

किसी दिल्लगी बाज़ ने एक हसीन लडके से सवाल किया कि साहबज़ादे अगर तुम्हारे सीने खजीने हुस्न पर दो नारंगियां रखदी जाय तो तुम कैसे मालूम हो लड़का था हुशियार बोला फौउल सिस्ल और वा आइन आपकी हमशीराजान (बहन) की मुवाफ़िक यह सुनकर जरीफ़ साहब ने फिर सांस न ली और दुम दबाकर रास्ता लिया।

आज़ाद फ़कीर।

एक आज़ाद को अमीर ने बहुत रुपये दिये आज़ाद ने अपने दोस्तों से पूछा कि इन रुपयों से क्या चीज़ बनवाई जाय जो हर एक के वास्ते मुफीद (फ़ाइदेमन्द हो।) एक हिन्दू ने कहा कि किसी देवता का मंदिर बनवाओ कि ब्राह्मण उस में शंख बजाया करें एक मुसलमान ने कहा कि मसजिद बनवाओ कि मुसलमान उसमें निवाज पढ़े दूसरे ने कहा कि इमामबाड़ा बनवाओ कि इमामये उसमें आकर मरसिया ख्वानी करें एक ईसाई ने कहा कि गिरजा बनवाओ कि उस में पादरी हिन्दू मुसलमानों के लड़कों को ईसाई होने की तरकीब दिया करें, गरज़ कि हर एक ने अपने खयाल के मुआफ़िक कहा आज़ाद

ने कहा कि मैं इस ज़रसे बैतुलखला (पाखाना) बनवाऊंगा ताके उस में हर मजहब व हर काम के मरद जाने पावें ।

वज़ू टूट गया ।

एक मुर्ग ने जंगल में बांग दी सुनते ही गीदड़ दौड़ आया मुर्ग देखते ही दरख्त पर चढ गया गीदड़ बोला भाई बांगदी है तो मिलकर नमाज पढ़लें देर हो जायगी मुर्ग ने कहा जब मेरा इमाम आवेगा तब पढ़ूंगा इतने में कुत्ता भी आ पहुंचा मुर्ग ने दरख्त पर से कहा भाई गीदड़ अब नमाज पढ़कर जाना इमाम आगया है गीदड़ भागता हुआ कहता जाता था, कि अब मेरा वज़ू टूट गया है फिर आऊंगा ॥

इंशा अल्ला ताला ।

एक सौदागर ने एक घोड़ा बेचा और अपनी बीबी से कहा कि कल इसकी कीमत लाके तुझे ज़ेवर बनवादूंगा उसने कहा [इन्शा अल्ला ताला] सौदागर ने कहा हरामज़ादी तू हर वक्त कलमा शक का कहती है क्या इसमें शक है जोरू खामोश हो रही सौदागर दूसरे रोज़ रुपये लेकर तेज कदम घर को आता राह में उसको हाजत पेशाब की हुई वह बैठा उचक्का रुपयों की थैली लेकर काफूर होगया खाली हाथ सौदागर घर पर आया और दरवाजा खोलने को पुकारा जोरू ने पूछा कौन है ? सौदागर ने कहा इन्शा अल्लाताला तुम्हारा शौहर (पति हूं) बीबी ने हंसकर कहा क्या इसमें कुछ शक है जवाब दिया कि आज तक शक न था आयन्दा हर काम में शक होगा ।

वैष्णव ।

एक मुसलमान ने एक वैष्णव से कहा कि हम तुम्हारे मच्छ औतार और पवित्र गाय को खाते हैं वैष्णव ने उत्तर

दिया कि जब आप हमारे वाराह औतार को भी खालें तब अपनी शेखी साबित करें।

पादरी साहब।

एक पादरी साहब बड़ी तकरीरी के साथ मज़हबी बात सुना रहे थे उनकी तकरीरी को पसन्द करके एक दिहाती ने पूछा कि साहब दुनिया को निजात (मुक्ति) देने वाले हज़रत ईसा कौन है और कहां रहते है। पादरी साहबने कहा कि वह खुदा का बेटा और खुदा के ही साथ रहता है दिहातीने पूछा भला खुदा अभी जीते हैं या मर गये, इस पर पादरीने कहा भाई वह कभी मरता नही है तो दिहाती बोल उठा कि क्या आप बाप बेटे में फ़ूट कराया चाहते हैं कि बाप की जिन्दगी में हम से कहते हो कि निजात बेटा देगा हमारे यहांकी चाल तो ऐसी नही है लिहाज़ा जब तक बाप जिन्दा है बेशक उसी को मानेंगे और उसीसे सब कुछ मांगेंगे जब वह न रहेगा तो बेटा ही मालिक है पादरी खिसकगये।

न भूतो न भविष्यति।

प्रेमी को दुःख, परसन्तापी को सुख, कामी के बल, खरी कहने वाले से छल, कवी की जड़ बुद्धि, मतवादी में हृदय शुद्धि, सच्चे बुद्धिमान से कुकर्म, चिड़चिड़े स्वभाव वाले की वृद्धि, भेड़ राज से देश मुक्ति, निरे पंडितों में विचार शक्ति बुड्ढों में इनलाइटिनमेन्ट (Enlightenment) अंग्रेजों का कोई काम अएट संट लखनौओं से कड़ी बात, हिंदुओं के किये कुछ करामात, अमीरों में जुरअत, सेठों में इन्सानियत, यवनों में दया, अखबारों के नादिहन्दी की हया ??

छत्तीसी बुद्धि ।

एक नाई कहीं चला जाता था मार्गमें उसको जो भूख लगी तो जी में विचारने लगा कि अब क्या करूं भूख भी लगी है और पास भी कुछ नहीं इतने में उसको याद आया कि हमारे गांव के चौधरियों की यहां रिश्तेदारी है पर उनसे मेरी जान पहिचान नहीं इसी विचारमें, गांव की तरफ चला अब देखिये उस नाई की छत्तीसी मार्गमें उसको एक लिफ़ाफ़ा पड़ा पाया और सादा कागज कहीं से लेकर उसमें बन्द किया और उन का घर बूझ करके जो पहुंचा जाते ही वह चिट्ठी (कोरी) उनके हाथमें देदी कि यह तुम्हारे फलां रिश्तेदार की है उन्हों ने उसको विठाया हुक्का पिलाया रोटी खिलाई और मुंशी के बुलाने को आदमी भेजा पर मुंशी के आने तक नाई रोटी खा उठा मुंशी ने आकर देखा और कहा कि लिफाफातो सफेद है यह सुनते ही नाई चट कह उठा कि जल्दी के मारे उन्होंने चिट्ठी में भी तो कुछ नहीं लिखा, वाहरी हिकमत ।

मुंह तोड़ उत्तर ।

एक परम सुन्दरी पर वृद्धा वेश्या को कोई मिया चले रसिया देखकर हास्य पूर्वक बोले कि बस्ती तो अच्छी थी मगर अब वीरान सी होगई है यह सुन्दरी थी एक आफ़त का परकाला सुनकर बोली जो वजा जब से आप ऐसे दो चार रईस इस बस्ती से निकल गये हैं तो आखिर को वीरान होगई ।

चौबों का जमघट ।

दो मथुरिया चौबे किसी के घर जीमने गये वहां उन्होंने इतना भोजन खाया कि नाक तक अफर गये वलवे घर सकने

दूसरे से कहा कि भाई मैं अपना पैर झुक कर नहीं देख सकता दूसरे चौवे जी बोले अरे भाई मुझे तो मारे अफरा के तुम भी नही दीख पडते कि इतने में तीसरे चौवेजी और कही से जीम कर चले आते थे इन दोनों को देख कर बोले कि भाई मेरे पेट में दर्द है क्या करूं ? यह बोले कि थोड़ा सा चूरन खालो चौवेजी बोले पेट में अब ज़रा भी सांस नही है अगर कुछ भी जगह होती तो एक लाडू और न खाय लेतो यह सुनकर सब हंस पड़े।

मोती।

एक समय का हाल है कि अकबर बादशाह के अहलकारो ने मसूबा करके कहा कि बीरवल को निकलवा देना चाहिये फतेपुर सीकरी के आम खास में कचहरी होरही थी एक दफे बीरबल को जो पाद आया तो रुक न सका भर्र से पाद हो तो दिया वहां जितने लोग आम खास में बैठे थे सब ने नाक बंद करके बादशाह से कहा कि जहां पनाह बीरवल बुरी हरकत करता है आपका लिहाज नही करता है आप कचहरी कर रहे हैं और वह पाद रहा है बादशाह ने यह हाल सुनकर कहा कि बीरवल को निकालदो हुक्म के साथ ही बीरबल निकाल दिया गया बीरबल यह कह के चले आये कि क्या डर है तुम्हारी ऊंची २ हवेली खडी हैं उनको तुडवाकर ईट २ निकलवाकर गधों के हल चलवा दूंगा । बीरवल चन्दरोज घर में दबके रहे । फिर बादशाह को याद आई कि कुट्टन नही दीखता चपरासियों को हुक्म दिया कि ढूंढ कर लाओ। सिपाही ढूंढने गये तो आप एक जंगल में हल जोतते हुये मिले. सिपाही से बोले मैं बादशाह के भरोसे नही हूं मैं मोती बोना मोल आया हूं सिपाही बोले कि आपको बादशाह ने

याद किया है आप चलिये, बीरबल ने कहा मैं उनका नौकर नहीं हूं मैं तो ऐसी चीज़ सीख आया हूं कि थोड़े ही दिन में बादशाह हो जाऊंगा मुझे उनकी क्या परवाह है। सिपाही बोले, आप क्या रसायन सीख आये हैं? बीरबल बोले रसायन क्या चीज़ है मैं मोती पैदा करना सीख आया हूं उनसे कहदो नहीं आते हैं। अपने मोतियों का खेत जोत रहे हैं सिपाहियों ने ज्यों का त्यों सब हाल जा कहा फिर बादशाह खुद उसे देखने को हाथी पर सवार हो चल दिये जहां बीरबल खेत जोत रहे थे वहां आकर देखा तो बीरबल ने हल खड़ा करके सलाम किया बादशाह बोले, क्यों क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा मैं मोती बो रहा हूं बादशाह बोले यहां मोती खराब मत करो शहर के अन्दर बोइये सो हमको भी देखना नसीब हो बीरबल ने कहा वहां खारी जमीन है, वहां नहीं जमेंगे बादशाह बोले जहां अच्छी जमीन हो आप देखलें बीरबल बोला बहुत अच्छा चलिये बादशाह हाथी पर सवार कराके शहर के अन्दर ले आये जब कई रोज़ होगये तो बादशाह ने कहा कि मोती बोने को कौनसी ज़मीन पसन्द की है बीरबल बोले कि जो आपके यहां मुल्कदीवान है उनकी हवेली के तले ज़मीन मोतियों के लायक है और उनके बराबर जितने मकानात हैं उतनी ही अच्छी ज़मीन जचती है बादशाह ने सब दीवान और मुसद्दियों को बुलाकर कहा कि जमीन सब खाली करदो हाली मुहाली लोग बोले हमारा बूता नहीं कि इनको तुड़वादें और नया बनवालें बादशाह ने हुक्म मज़दूरों को देदिया कि उस ज़मीन में जितने घर बने हों उनको खोदकर फेंकदो हुक्म के साथ सब मकान तुड़वादिये गये और बीरबल ने बड़े २ गधे मंगवा करके गधों के उस जमीन पर हल चलवाये और हाली मुहालियों को बुलाया फिर खेत जुत के तयार हुआ तो करके दो रुपये को

अरुई याने गुइयां उस खेतमें वोदी फिर उनको खूब पानी से सिंचवाया तो महीने एक में खूब बढ़कर पत्ते निकल आये तब उन पर माली रखवाली को रखदिये गये और कह दिया कि कोई आदमी कच्चे मोतियों को हाथ न लगावे नहीं सब पानी होकर वह जांयगे फिर तो हाली मुहाली रोज उस मोतीवाग़ को देखने जाया करें और माली से यह भी कह दिया कि जो आदमी इसे देखने आया करें उनका नाम लिख लिया करो जिस दीवान ने वादशाह से चुगली खाई थी वह रोज़ आता रोज जाता था वीरवल ने कहा कि उसका जाना अच्छा नहीं है फिर चुगली खावेगा एक दिन वादशाह से कहा कि मोती वाग़ की सैर कर आओ सो सुवह होतेही वाग़ को लिवा ले गये वहां पर क्या देखते हैं कि अरुई के पत्ते पर ओस जम रही है ज्योंही वादशाह ने मोती उठाने को हाथ फैलाया वीरवल बोला अभी नहीं छूना मोती कच्चे हैं। छूते ही पानी हो जांयगे वादशाह ने हाथ हटा लिया वाग़की सैर करके कचहरी चले गये थोड़ा दिन चढ़ा कि ओस के मोती अपढारे गिरगये और उक्त दीवान सैर करने को आया था इतने में वह दीवान घरको गया कि वीरवल ने कहा कि कोई कच्चे मोतियों को तोड़ ले गया वादशाह उठके वाग़में आ देखते हैं तो मोती एक नजर नहीं आता वह तो ओस के मोती थे सब झड़ गये। वादशाह ने सब मालियों को बुलाकर पूछा कि मोती किसने चुराये हैं माली वोले जहां पनाह दीवानके सिवाय और किसी ने इस वाग़ में पैर नहीं दिया वहही चुरा लेगये होंगे वादशाह ने सोचा कि दण्ड (सज़ा) ऐसे आदमी को यह देनो चाहिये कि मोतियों के वदले उसका सब माल जब्त हो और काला मुंह करके शहर के चारों तरफ फिराके मुल्क अपने से बाहर निकाल दिया जाय और खेत में मूठ मूठ वीरवल ने पानी देना

शुरू किया बीरबल ने दीवान को निकलवा दिया और, थोड़े दिन के बाद ओस के मोती दिखाये सब अमले को और बादशाह को ले गये और कहा खेत पक गया बादशाह बोले अच्छा मोती उसमें से तोड़ लाओ, बीरबल बोले जहां पनाह मोती आपही तोडिये क्योंकि मैं तो पादता हूं मेरे तोड़ने से पानी हो जांयगे बादशाह दिल में कहने लगे कि पादते तो हम भी हैं फिर अपने अमले फैल से कहा कि जो न पादता हो वह मोती तोडकर मेरे सामने लाओ ? बतलाओ ऐसा कौन होगा जो न पादता होगा किसी की ताकत न पडी फिर बीरबल बोले कि सरकारका हुक्म अदूली मत करो तोड़ो तब सब लोग पुकारने लगे कि हम सब पादते हैं बीरबल बोले जहां पनाह सब क्या कहते हैं। मैंने क्या न्यारा किया था, उस रोज पाद के निकलते ही आपने दरबार से मुझे निकलवा दिया था। बादशाह शरमिन्दा होकर जवाब न दे सके कहते हैं कि फतेहपुर में थाने चुंगी के पास उसी जमाने का मोती बाग मौजूद है और उसके पास ही हवेलिया के निशान हैं। जो खोद के फेंकी गई थी।

फिस किस को धिक्कार है।

नहर के पटवारी को हड्डिया के व्यापारी को, जुए के खिलाड़ी को कंगाल को शराब ख्वारी को, बूढ़े को जिनहकारी को. हाकिमों की रिशवत ख्वारी को, बेवफा की यारी को, कमीन की दिलदारी को, लौंडों के इश्क की गर्म बाजारी को, खुदरो कटारी को, खराब मटक पर इक्के की सवारी को, मूर्खों सरदारी को. गीदड़ों के शिकारी को, नाहिन्द समाचार पत्र के खरीददारों को, बेशरम नारी को. गबरगण्ड ब्रह्मचारी को.

मज़ेदार बातें।

बुजदिल बेगम (इनायत बेगम से) कहो बहन कभी तुमने अपनी चार पाई के नीचे चूहा भी देखा है ?

इनायत बेगम—जी हां एक दफे।

बुजदिल बेगम—वो कब।

इनायत बेगम—जिस रोज़ हमारे घर चोरी हुई थी तो मेरा मर्द (खाविन्द) चार पाई के नीचे छिप रहा था।

जुलाहा !

एक पठान ने अपने विवाह के अवसर पर एक जुलाहे से सूथन मांगकर पहिन लिया था ससुराल की औरतोंने बरातियो से आकर पूछा कि दुलहा कहांहै तो जुलाहे ने कहा कि नौशह तो वह बैठा है परन्तु सूथन मेरी है जब वह स्त्रियां चली गई तब नौशह (दूलह) जुलाहे पर बहुत खफा हुआ कि ससुराल की औरतो के सामने तूने सूथन की चरचा क्यों की. जुलाहे ने कहा आइन्दा ऐसा न करूंगा जब दूसरी स्त्रियां नौशह को देखने आई तो जुलाहा बोला क्या देखती हो नौशह यही हैं और सूथन भी इन्ही का है फिर भी पठान बड़ा नाराज हुआ कि मूर्ख सूथन के जिकका कौनसा अवसर था परन्तु कमीनपने से नहो चूकता जुलाहे ने कहा अब माफ़ करो आगे को कुछ न होगा तीसरी मरतबा जब दूलहा के साले इत्यादि कुटुम्ब के लोग आये तो कहा देखते क्या हो यही हमारे नौशहखां है और सूथन के जिक्र की कुछ जरूरत नही हा, हा, हा, क्या खूब जब पठानों में जाति के विषय वादाविवाद होने लगा तो जुलाहा बोला कि पठानोंमें से भी कोई पैगम्बर हुआ है? पठान बिगड़ कर बोला मूसाखां और ईसाखां जो दो भाई नबी हुए हैं वह हमारे चचा थे तो जुलाहा फिर बोला कि पठान तो दोगले होते हैं।

इनीशियल INITIAL

एक कचहरी में एक अहलकार पेशा और अंग्रेज़ी

बाबू जरीफ से गुफ्तगू-खुशीराम अहलकार पेशा बाबू साहब से-आप तो खूब दस्तखत करतेहैं चिड़िया कीसी टांग बना देते हैं यानी इनीशियल (Initial) और हमको दस्तखत करते २ आफत होतीहै-बाबू साहब जरीफ (हंसोड़) मुंशीजी आप भी इनीशियल कर दिया करें—आपका नाम है खुशीराम खरम लिख दिया करो—अगर इससे भी जल्दी ही मंजूर हो तो खर लिख दिया करो—मुंशी साहब बड़े शरमिन्दा हुए।

ज़िले ज़बानी।

एक लालची शराब के नशे में चूर तमोलन की दुकान पर पहुंचे और पैसा फेंक के दे दो बीड़ियां, तमोलन थी खुर्राट, लालची से कहा कहो लाला नये लगाऊं या पुराने, कै लगाऊं अब तो लालची चकराये कि जवाब क्या दें ज़रीफ तो सुना था ये जरीफन निकली मुंह की खाकर चल दिये।

ज़िले ज़बानी।

एक रोज़ चन्द अहबाल (मित्र) चले आ रहे थे राह में बाज़ार था गाड़ियां बहुत निकल रही थी एक बैलगाड़ी पुश्त (पीठ) की तरफ करीब आगई तो एक साहब बोले (मुंशीजी बैल) मुंशी साहब ने जवाब दिया हमारे सीध में।

ज़िले ज़बानी।

एक रोज एक नवायफ (वेश्या) अपने कोठे पर बैठी थी कि अपने एक आशना को सड़क पर आते देखा वो साहब बोली कि आप इस दम किधर से तशरीफ लाये हैं आशनाने

जवाब दिया मेला देखने गया था मगर सख्त कशमकश थी परेशान होकर चला आया, तवायफ़ ने अज़राह ज़राफ़त (हास्य पूर्वक) कहा कि धक्के तो खूब खाये होंगे, आप ना साहब चूंकि चलते पुरजा थे फ़ौरन ही बोल उठे कि हां जी साहब वाके (निःसन्देह) उस भीड़ में यह हालत थी कि तुम तले हम ऊपर, हम तले तुम ऊपर।

जाहिल।

एक नातजुर्बेकार जाहिल किसी फ़क़ीर के पास पहुंचे और कहा कि मुरीद होने को आया हूं कोई तरकीब ऐसी बतलाइये कि दिल साफ हो जाये फ़क़ीर बाबा बोले बाबा यह कौन बात जुलाब ले डालो नहीं तो निमक के पानी से कै कर डालो दिल क्या सारा पेट साफ हो जायेगा।

काहिल।

एक काहिल आदमी से पूछा गया कि मियां तुमने आज तक दुनियां का भी सफ़र किया है ? जवाब दिया वाह ! आप ने मुझको क्या तसव्वुर किया है ? जानिब ने तो तमाम बहर-उल काहिल छान डाली है।

आंखों के अन्धे।

अकबर बादशाह एक दिन बीरबल से बोले कि ऐ बीरबल आंखों का अन्धा कौन है ? बीरबल बुद्धिमान बोले महाराज ! आप मेरे साथ चलिये मैं आपको आंखों का अन्धा बताऊं बादशाह बीरबल के साथ उठ खड़े हुए और बाग के वक्त

कारवान की सराय में चन्दा भटयारी के यहां दोनों पहुंचे भटियारी बोली मुसाफ़िर यहां आइये बड़ी खातिर के साथ पेश आई बादशाह बैठ गये और बीरबल बोला क्या लोगी? भटियारी बोली जो खाइ लोगे तो दो पैसा लूंगी और खाइ न लोगे तो एक पैसा देदेना फिर सुबह गजरदम उठके बादशाह बोले कि बीरबल पैसा तो कोई नहीं है बीरबल बोले जहांपनाह आप बादशाह पैसा देते क्या अच्छे लगोगे, एक अशर्फ़ी देदो बादशाह ने एक अशर्फ़ी भटियारी को देदी, भटियारी खुश हो कर अपनी मा के पास ले गई कि अम्मा एक मुसाफ़िर भडुवे ने मुझे अशर्फ़ी दी है। गांठ का पूरा आंखों का अन्धा है। बीरबल बोले बादशाह साहब सुन लीजियें आंखों के अन्धे आप हैं भटयारी कह रही है बादशाह सुनके हंसे और बोले अबे कुट्टन आंखों का अन्धा हमी को बनाया और सरायसे उठ के चले आये और वो सराय अब तक मौजूद है।

उलटी समझ।

एक मीरासी एक रोज सफर में थक कर दुआ मांगता जाता था कि या इलाही मुझे सवारी के लिये अपनी दरगाह से १ घोड़ा अताकर इत्तिफ़ाक़न इस इन्तिज़ार में १ रिसाले का सवार उसी तरफ़ से गुजर रहा था और उसकी घोड़ी गर्भिन थी कि उसने रास्ते में बच्चा दिया उसने दौड़कर मीरासी को पकड़ लिया और जबरन उसको बछेरा उठवा दिया, मीरासी बिचारा क़िस्मत का मारा जो कि पहिले ही थका मांदा था अब उस पर क़हर नाज़िल हुआ, दिल में निहायत तंग होकर कहने लगा कि ऐ मालिक उलटी समझ वाले, मांगी थी घोड़ी सवार होने को तुमने दिया है यह बछेरा मुझे उठाने को. क़ुरबान इस समझ के।

वशीकरण का सच्चा मन्त्र ।

मित्रों को सत्यता से, शत्रुओं को शीलता से, कृपण को धन से, बड़ों को सेवा से, छोटों को क्षमा से, विद्वानों को विद्या से, मूर्खों को रमणीय कथाओं से, स्त्री को प्यार और लाड़ से, अभिमानी को प्रशंसा से, क्रोधी को शांति से, अपनों को स्नेह से, परायों को उपकार से, पड़ौसी को दया से, संसार को मित्रता से ।

कलि कोप ।

कचहरी—कच माने बाल और हरी माने हरण करने वाली अर्थात् मुन्डन (उलटे छुरे से मूंडन वाली) जहां गये मुंडाए)

सिर्फ़—दरबार दर्व द्रव्य का अपभ्रंश और अरि अर्थात् शत्रु जैसे सुरारि मुरारि इत्यादि भाषा में अन्त वाली ह्रस्व इ की मात्रा बहुधा लोप हो जाती है ।

अदालत—अदा अर्थात् छवि उनकी लत पोशाकें चमक २ के जा बैठने वालों का स्थान, अथवा होगा तो वही जो भाग में है पर अपनी दौड़ने धूपने की लत अदा करलो, अथवा अदा बनाके जाओ और लातें खाके आओ ।

हाकिम—दुःखी कहता है हा । (हाय) तो हजूर कहते किम अर्थात् क्या है वे अथवा क्यों बकता है वे ।

वकील—बु कील (जो सदा कलेजे में खटके) अथवा वग भाषा में वो की (क्या है) लाओ अर्थात् वह तुम्हारे पास है सो लाओ ।

मुख्तार—जिसके मुख से तार निकले अर्थात् मकड़ी (जाल फैलाने वाली) अथवा मुक्त्यारी (मुक्ति का अरि) जो फन्दे में आवे सो न छूटने पावे ।

मुअक्किल मुआ अर्थात् मेरा किल इति निश्चयेन (जरूर मरो)।

मुद्दई—ग्राम भाषा में शत्रु को कहते हैं (हमारे मुदइ आहिउ लरिका थोर आहिउ)।

मुद्दालेह—मुद अर्थात् आन आ! आ! ले! दोत अर्थात् आव! आव? मजा लेउ (अपने कर्मों का)।

इजलास-अंग्रेजी शब्द है इज (है) लास (हानि) अर्थात् जहां जाने से अवश्य हानि है? अथवा ई माने वह, जलास अर्थात् (कोयला सा काला आदमी आग में झोंकने लायक है अथवा फारसी तो शब्द ही है जेर के बदले जबर अर्थात् अजल (मौत) की आस (आशा) अथवा विना जल (पानी) के आस लगाये खडे रहो।

चपरासी—लेने के लिये चपरा के समान चिपकती हुई बातें करने वाला न देने वालो से चप (चुप) रासी फारसी में नेवला है तू (अर्थ हुआ) अर्थात् (चुपरहुनेवाले की तरह तू क्या ताकता है!) कहने वाला अथवा फारसी में चप के माने बायां अर्थात् अरिष्ट के हैं (विधि वाम इत्यादि रामायण में कई ठौर आया है) अर्थात् तू वाम नेवला है क्योंकि कोल डालता है।

अरदली-अरिवनद्दलतीतिभाव

देवाला।

एक बनियां किसी मन्दिर में देव दर्शन को गया पुजारी ने कुशल प्रश्न पूछा और कहा कि उदास क्यों हो बनियां ने उत्तर दिया कि मेरा देवाला खुल गया तब पुजारी ने कहा कि तुम्हारा तनक देवाला खुलनेका शोक है हमरा देवाला (देवालय)

रात दिन खुला रहता है और शोक का लेश भी नहीं वरन हर्ष ही रहता है।

आश्ना

किसी गरीब के लड़के को दैवात एक भारी नौकरी मिल गई चन्द रोज़ के बाद उसका बाप दरिद्र अवस्था में उसके दरबार में आया इसने उसका सत्कार कर मसनद पर बराबर बिठाया हाजरीन दरबार में से एक ने पूछा कि यह साहब कौन हैं इनकी तारीफ कीजिये उस लड़के को उस दरिद्र बाप को बाप कहते शर्म मालूम हुई कहा कि यह हमारे आश्ना हैं उसके बाप को ये कलमा खुश न आया यह कहके उठ खड़ा हुआ कि मैं इनका आश्ना तो नहीं हूं मगर इनकी मां का आश्ना हूं।

जवान।

एक शौहर और बीबी की बाहम तकरार होगई नतीजा ये हुआ कि बीबी ने शौहर के साथ बोलना छोड़ दिया कई दिन तक खामोश रही शौहर नेक नीयत का आदमी था और खुसूसन जब उसका गुसा उतर जाता तो बड़ा मिलन सार हो जाता था इस बीबी की खामोशी से बड़ा सदमा पहुंचा और सोच साच कर इसने एक दिन बीबी की खामोशी तोड़ने के लिये एक तजवीज की चुनाचे एक दिन दो पहरके वक्त जो वो घर आया तो उसने (शौहर ने) लम्प जलाया और उसे उठा कर मेज और कुर्सी के नीचे ढूंढने लगा इसकी बीबी उस कमरे में बैठी हुई कपड़ा सी रही थी। वह दिन दहाड़े लम्प जलना देख कर शौहर की इस नामसखराना (परिहास) हरकत पर

बे इख्तियार हंस पड़ी और कहने लगी तुम क्या ढूंढ रहे हो ? शौहर ने अपना मतलब निकलता देख कर बड़ी खुशी से कह तुम्हारी जवान ढूंढ रहा था।

सब मूरख।

एक दफ़ैका ज़िक्र है कि एक बेवकूफ़ परिडत के घरमें खीर पकाई गई, और जब खीर परोसी गई, तो परिडताइन से अचानक अपने बेटे की थाली में परिड़त से जियादा खीर पड़ गई इस पर परिडत ने नाराज होकर अपनी बीवी से कहा "मैं तेरा खसम हूं या यह है, कि जिसको तू अधिक हिस्सा देती है, इस पर साहवजादा विराग़ [पुत्र] को भी गुस्सा आया और इससे भी रहा न गया आखिर बेटा जिसका था। बोला यह मेरी मां है या तेरी मां है परिडतायन भलां कब चुप रहने वाली थी बोली भला देख तो मूरख मेरा यह बेटा है या तू है।

महामंत्र महोदधिः।

कं—कलकत्ता वासिभ्यः किराविभ्योनमः

खं—खुशामद सुदगरजीत्वादि भारत देवीभ्योनमः

ग—गोवर गनेश कलप कलेश पूरित पश्चिमोत्तरप्रदेश वासि हिन्दूभ्योनम.

घ—घाऊ घप्प मागप्प घंटाधारी घोघाचारीभ्योनम

च—चुसू मैं ,उसू भो भो और मुस् चौवेजीभ्योनमः ॐ जमना मैया की चकारात चुंगी महा प्रकिन्वै स्वाहा।

छं—छछूंदर के सिर में चमेली का तेल डालने वाले उदू शाशिकायनमः

ज—जौहरीभ्ये जमादारेभ्यो जमादारेभ्यश्च।

झ—झाझ खजरी धारी वैरागीभ्यश्च।

ट—टिकट कलेक्टरभ्यः

ठ—ठग ठाकुर और ठसकधारिभ्यः।

ड—डकती डिपार्टम्यएटाय—ढ—ढोलक सारंगीभ्या।

त—तहसीलदारान—थ—थानेदारान।

द—दारोगान—धंधूनाधिराजा।

न—नर्तकीः प्रणामामः—प—पुलिसाधिकारिषु।

फ—फिरंगीषु—ब—बूटधारिषु बाजार वासिनीषुच।

भ—भिक्षारीषु—म—म्युनीसिपेल मेंबरषु—मोचेहल माडधारिषुच नतयस्तराम।

य—यमदूतानां कानिस्टबिल भूतानाम्।

र—रेलगाड़ीनां—मंडीनांच—ल—लखनौआनां।

व—विलायतीनां—श—शायिन सेवकानां।

ष—षट (शठ) शास्त्रीणां,—स—सिविलाइजडाना।

ह—हाईकोर्ट वकीलानां; क्ष—क्षयरोग ग्रसित क्षत्रियानां।

त्र—त्राहिमांमिति रटंतीना ग्रह २ मटंतीनां बोल विधवान मात नादि प्रति बंधिरानां।

ज्ञ—ज्ञानिनां (ब्राह्मास्मीति) वादिनां वयसर्वे सर्व काल इति निश्चयेन गुलामाः।

खारिजी मजहब।

आलमगीर खारिजी मजहब था और :यामतखां आल राफजी आलमगीर ने एक कबर पर एक कुत्ते को पेशाब के

देखा कहा कि शायद ये कबर राफ़जी की होगी न्यामतखाँ ने जवाब दिया कि यह कुत्ता दर असल खारजी होगा जो तास्सुब से विद्दत करता है।

किसके मारे कौन रोता है।

इनकमटैक्स के मारे प्रजा हिन्दुस्तान, रंडो खानगियों के मारे युवा मनुष्य, चोरों के मारे धनवान मनुष्य, माशूक़ों के नखरे के मारे प्रेमोजन अर्थात् (हुस्न परस्त) दस बजे की हाजिरी के मारे अमला कचहरी कलक्टरी, अन्यान्य पुलिस के मारे इज़्ज़तदार, काम की अधिकताके मारे आलसी काहिल) रिशवत के मारे मुकदमे वाले, नादिहिन्दों के मारे अदालती कानून पेशा सरकार अंग्रेज़ी के मारे ज़ार रूस।

तवायफ़।

एक नवाब साहब ने एक तवायफ से निकाह कर लिया अय्याम पीरी (वृद्धावस्था) में एक रोज नवाब साहब ने शमा (दीपक) की तरफ देखकर फरमाया "सरसे पावों तक सफेदी आगई तिसपर यह हाल शमासा हमने नहीं देखी कोई बूढ़ी छिनाल,, इस पर बेगम साहब ने ये मारना जवाब दिया "परदय धानस में रखती हैं अजमत संभाल-काट तो उसकी जवाँ जो शमा को बोले छिनाल'।

साढ़े सात रोज़।

एक स्कूल में एक उस्ताद थे यक चश्म (एक आंख) आप एक रोज तुलवा (शिष्यों) को जुगराफिया (भूगोल) पढ़ा रहे थे लण्डन का हाल बयान करते वक्त आपने फरमाया कि लन्डन इतना बड़ा शहर है कि अगर कोई शख्स सिर्फ सरसरी तौर पर बाजारों में फिर दुकान की सैर करे तो १५ दिन चाहिये इस पर एक लड़केने कुछ मामूल ठहर करके पूछा हजरत आपके वास्ते, उस्ताद ने हैरत से पूछा क्योंकर शागिर्द साहब बोले हजरत अगर आप १५ रोज़ में सैर करें तो हम साढ़े सात रोज में।

इति



श्रीमान् महाशय पंडित जी नमस्कार !

आप के यहां से गत साल में ४ शीशी दाद की दवा मँगवाया था जिससे मैं और मेरे कई एक दोस्तों की दाद अच्छी हो गई, इस लिये पत्र द्वारा आशावान हूं, कि कृपा कर के ६ शीशी दाद की दवा इस पते से बहुत जल्द भेजिये दवा आने पर क़ीमत फ़ौरन अदा करूंगा।

श्रीयुत श्यामसुन्दरसिंह पटवारी मौ० रमवाँपुरसोर
पो० इटावा ज़िला वस्ती

श्रीगणेशायनमः

महाशय ! नीचे लिखे मुताबिक़ वी पो. द्वारा दद्रुगजकेसरी आज़मा कर ज़रूर आपकी दद्रुगजकेसरी से हमने बहुत लाभ उठाया। २ शीशी कृपा कर और भेज दीजिये।

बाबू बालकेश्वरसिंह मन्डी पालमपुर

महाशय !

आपका दद्रुगज केसरी बहुत अच्छा है दाद को फ़ायदा भी करता है मिहरबानी करके एक दर्जन शीशी और भेजिये।

मोहनलाल वैद्य, घेलनगंज, आगरा

इनके सिवाय और भी हजारों सार्टिफ़िकेट हैं पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये।

पता—क्षेत्रपाल शर्मा, मालिक, सुख संचारक कंपनी,
मथुरा।

हमेशा हँसने का उपाय।

यदि दाद से दुख पा रहे हो तो सुख संचारक कंपनी

मथुरा का बनाया २८ वर्ष का आज़माया हुआ

सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ

दद्रुगज केसरी

नामक चूर्ण मंगा कर लगाओ ज़रा भी जलन या चिर-मिराहट नही होती पानी या नीबू के अर्क़ के साथ घोल कर लगाते ही ठण्डक पड़ जाती है। दवा लगाकर चाहे तो १०-१५ मिनट बाद नहालो या भले ही चाहे जहां फिरते रहो, चाहे रात को लगाकर सोओ सुबह धोडालो आपका दाद अच्छा हो जायगा तब आप उन लोगों की नादानी पर हंसोगे जिन्हों ने दूसरी दवाइयों को मगा कर जलन बरदाश्त भी की परन्तु फिर दाद नही गया।

मिलने का पताः—

क्षेत्रपाल शर्मा,

मालिक,

सुख संचारक कम्पनी

मथुरा।

"आनन्दजीवन" कृत

॥ दन्तरक्षा ॥

जिसको

दांतों के रोगों की चिकित्सा के
साथ वैद्यक और डाक्टरी ग्रन्थों
से अनेक परीक्षित मंजन
मिस्सी आदि संग्रह करके

डाक्टर महेन्द्रलाल गर्ग
मिलिटरी हास्पिटल सब असिस्टेंट
सर्जन ने अपने परम मित्र पं० क्षेत्रपाल
शर्मा द्वारा प्रकाशित
कराया ।

मिलने का पता:—
सुख संचारक कम्पनी मथुरा

द्वितीयवार १००० } सन् १९१६ { मूल्य [illegible] जिल्द ।) आना

Printed [illegible]

श्रीमान् पं० क्षेत्रपाल शर्म्मा
मालिक सुख संचारक कम्पनी
मथुरा

मित्रवर !

संसार में सुख सञ्चार करना आपका व्रत है। रात्रि दिन इसी चिन्ता में आपका समय व्यतीत होता है। जिस किसी वस्तु से सर्व साधारण सुखी हों उनका प्रचार ही आप का व्यापार है। फिर आप अवश्य मेरी इस क्षुद्र पुस्तक को ग्रहण करेंगे। क्योंकि मनुष्य के शरीर में दांत बड़ा सुखदाता है और उसी की रक्षा यह लेख बताता है।

मथुरा
गनगौर सं० १६५३

आपका परम शुभचिंतक—
डाक्टर महेन्दुलाल गर्ग

प्रथम प्रकरण।

विवरण.

भोजन, भाषण और श्वास के मुख्य यन्त्र का नाम मुख है। नाक, कान, फेंफड़े और पेट की नालियां भी इसी के भीतर से आरंभ होती हैं। शरीर में जितनी नसें हैं उन सब का सिरा इस स्थान पर है अतः मुख विकार से सर्व शरीर में विकार और इसके सुधार से सब का सुधार बना रहता है॥

होंठ इस के दरवाज़े, गाल दीवार, तालू छत और नीचे का जबड़ा इसका चौक है, जीभ और दांत इस के निवासी हैं। पीछे की ओर श्वास और भोजन के निमित्त दो खिड़कियां हैं।

इस घर के सुकुमार निवासियों को शुष्कता से बचाने और उन के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिये परमात्मा ने अनगिनत जल की नालियां फाटक और दीवारों में लगा रक्खी हैं गाल और होंठों में से बहुत बारीक नालियों के द्वारा एक प्रकार का जल (थूक) निकलता रहता है और उसी से हमारा मुंह सदा तर रहता है। बोल चाल के लिये अक्षरों का उच्चारण भी इन्हींके सहारे तथा तालू के प्रताप से होता है। तालू की रोक से ही पानी पीते समय वह ठीक पेट में चला जाता है और जिन का तालू फटा होता है उन को पानी आदि निगलने में बड़ी कठिनता पड़ती है क्योंकि रोक

न होने से नाक के छिद्रों द्वारा सब कुछ बाहर निकल आता है ॥

जीभ देखने में मांस का लोथड़ा है परन्तु बड़े काम सारती है । भोजन का स्वाद कुस्वाद अर्थात् खट्टा मीठा बताने में पूरी चतुर है, दांतों से रोटी को चबवाने का भार भी इसीके ऊपर है । और यही जानती है कि अभी ग्रास इतना पिसा कि नहीं जो पेट में पहुंचाया जाय, रोटी का टुकड़ा दांत पर दांत पड़ते ही इधर उधर भागता है और बाहिर से दीवार और फाटक बन्द पाकर भीतर आश्रम चाहता है परन्तु वहां चतुर जीभ तनक भी ठहरने नहीं देती तुरन्त हटा कर चक्की तले पहुचा देती है। जब जानती है कि ठीक रवदोहर होगया चम्मच का आकार धारण कर निगला देती है । बोलने में जीभ को कितने बल खाने पड़ते है इसके कहने की आवश्यकता नहीं । जीभ की यह गति ईश्वर ने केवल मनुष्यों को ही दी है यदि यह न होती तो सिवाय एं एं करने के एक भी सार्थक शब्द का उच्चारण न होता ॥

जैसा पहिले कहा गया सांस और भोजन इन दोनों के लिये मुख के भीतर की ओर दो छेद हैं जिन में एक के द्वारा फेफड़े में वायु का आवागवन और दूसरे में होकर खाना पेट में जाता है । यहां एक बड़ी कारीगरी यह है कि दोनों छेद एक ही घर (मुह) में खुलने पर भी कभी ऐसा नहीं होता कि फेफड़े में रोटी और पेट में [illegible] दोनों छिद्रों के

बीच में एक ऐसा इकपल्ला किवाड़ लगा है जो भोजन करती समय फेंफड़े के द्वार को और सांस लेती बार पेट के दरवाज़े को बन्द कर देता है।

जीभ और कान का चोली दामन का सम्बन्ध है जीभ में किसी रोग की वृद्धि से कर्ण रोग का होना कुछ असम्भव नहीं है क्योंकि कान के भीतर की नली जिह्वा के पास ही खुलती है, बहमाता जब कभी पूरी जीभ बनाना भूल जाती है तब कर्णयन्त्र के पुरज़े भी अधूरे ही छोड़ देती है और इसीसे जन्म के गूंगे अवश्य बहरे भी हो जाते हैं आंख व नाक का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है जो शंका हो तो आज की दाल में मिर्चों की एक चुटकी मामूल से ज़ियादा डाल दीजिये पहिले ही ग्रास में जीभ के जलने की सहानुभूति से आंख और नाक दोनों से जल बहने लगेगा।

स्मरण रखना चाहिये कि जीभ पर जो झिल्ली मढ़ी हुई है उसीका बढ़ाव पेट की नली आमाशय और आंतों में है इसीसे जब पाचनेन्द्रिय में कहीं कुछ विकार उत्पन्न होता है तब उसी झिल्ली द्वारा उसका असर जीभ में देखा जाता है अंगरेजी वैद्यक में इसी कारण रोग दशा में जिह्वा में अनेक परिवर्तन होते हैं।

थूक की नालियां छः अर्थात् दांए बांए तीन २ हैं ये नालियां एक प्रकार की गिल्टियों में से आती हैं जिन्हें थूक की गिल्टी कहनी चाहिये इनमें से एक तो भीतर कान के पास होती है जिनके सूजन की बीमारी

का नाम कनफेर कहलाता है और वे आधी छटांक तक बोझ में होती है इन की नाली ऊपर की दूसरी डाढ़ के पास खुलती है और यदि ध्यान पूर्वक दृष्टि की जाय तो मुंह फाड़ने से उन के छिद्र प्रत्यक्ष आसक्ते हैं। दूसरी गिल्टियां जीभ की जड़ के नीचे और तीसरी नीचे के जवड़े के कोनों पर होती है कान के पास वाली गिल्टी ही सूखे टूक को रवदोहर बनाती है जैसा पहिले बताया गया कि इन की नालियों का मुंह डाढ़ के पास खुलता है जिन में से ज्यों ज्यों डाढ़ पीसती आती है त्यों२ इन में से पानी निकलता आता है। इस से खाना पतला ही नहीं होता बरन इस में एक ऐसा परिवर्तन भी हो जाता है कि फिर पेट को उसके पाचन करने के लिये अधिक ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। इस परिवर्तन में रोटी के आटे की शकर बन जाती है यही कारण है कि भोजन के बाद मुंह मीठा २ सा जान पड़ता है। अगर रोटी का टुकड़ा साबित विना थूक लगे निगल लिया जाय तो उस से आमाशय को इतनी पीड़ा होती है कि खाने वाला पेट पकड़े ही फिरता है। मुंह की कोमलता और दांतों की दृढ़ता भी थूक पर ही स्थिर है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां फोड़ा फुन्सी और घाव आदि न होता हो बाहिरी अंग पर इन रोगों की चिकित्सा अच्छे प्रकार होनी सम्भव है अर्थात् मरहमपट्टी लग सकती है परंतु मुंह में उक्त रोग होने से किसी औषधि का लेपन कठिन है अतः मुखरोगों की परमौषधि ईश्वर ने यह थूक ही

रक्खी है जिसके लगने से अल्प काल ही में मुंह के भीतर का घाव पुर जाता है। यही कारण है कि बहुतेरे अन्यजीव अपने घाव को जीभ से चाटा करते है मानों थूक के लेप से उसे आरोग्य करते हैं ॥

दूसरा प्रकरण ॥

दांत की बनावट

दांत की बनावट के बिना जाने सर्व साधारण को इस पुस्तक से पूरा २ लाभ नहीं पहुंच सक्ता अतः सब से पहिले हम इसी विषय को आरंभ करते हैं।

ऊपरी दृष्टि से यदि दांत देखा जाय तो उसके तीन हिस्से दीखते हैं। मसूड़े से ऊपर वाले चौड़े हिस्से को सिर, उससे नीचे वाले तङ्ग हिस्से को गर्दन, और उस नोंकदार सिरे को जो जबड़े की हड्डी में घुसा रहता है जड़ बोलते है।

जो किसी दांत को लम्बाई में से चीर कर दो टुकड़े कर लें तो दांत की भीतरी बनावट ठीक समझ में आ सकती है। उसी समय जान पड़ेगा कि हर एक दांत भीतर से पोला होता है। और यह पोल सिर से लेकर जड़ों तक फैली हुई होती है। जिस के भीतर रुधिर पहुंचाने वाली नसें और एक अत्यन्त कोमल पदार्थ अर्थात् दांत का गूदा होता है इस गूदे के आस पास हड्डी होती है इस में बहुत बारीक २ नली जो आंखों से नहीं

दिखाई देतीं होती हैं और इन्हीं के द्वारा गूद का रस दांत का पालन करता है। हड्डी के ऊपर एक और खोल होता है वह सब जगह एकसा नहीं होता वरन जड़ और सिर पर पृथक् २ रूप से पाया जाता है, जो खोल दांत के सिर के ऊपर होता है वह बहुत ही कड़ा है इसके बराबर सख़्त चीज़ शरीर के किसी अंग में नहीं है। दांत की चोटी पर किनारे की अपेक्षा इसकी अधिक मोटाई जहां पर यह चक्की का काम देती है दांत मांजने पर जो मोती की सी झलक देती है वही यह पदार्थ है। खोल का वह हिस्सा जो जड़ पर होता है वह ऐसा ठोस और कड़ा नहीं होता, इसकी बनावट हड्डी के समान होती है और इसमें नालियां भी देखी जाती हैं। इस खोल के ऊपर एक बारीक झिल्ली का अस्तर रहता है। यह झिल्ली जबड़े की हड्डी और दांत की जड़ दोनों के बीच में होती है इसी झिल्ली में होकर रुधिर की रगें जड़ के खोल का पोषण किया करती है और जब दांत को कीड़ा खा जाता है तो ऊपर का दांत झड़ जाने पर भी दांत का पालन इस झिल्ली की नसों से हुआ करता है। दांत के भीतर जो गूदा होता है वह असल में हड्डी का फालतू माद्दा है और क्रमशः उसमें से उसकी वृद्धि होती रहती है परन्तु जब कभी कीड़ा दांत में इस पोल तक छेद बढ़ाता आता है तो तत्काल इस गूदे में से पुर्ज़ा बनाकर पोल की रक्षा करता है दांत के भीतर जो नसें होती हैं वे जड़ की नोकों में होकर प्रवेश करती हैं ॥

दांत का पालन किस प्रकार होता है यह जानना भी आवश्यक है। जिन लोगों ने शारीरिक विद्या का अभ्यास किया होगा वह अवश्य जानते होंगे कि शरीर के सब अंग प्रत्यंगों का पालन रुधिर से होता है। जो सिरा खोपड़ी के बहिर्भाग में रुधिर ले जाता है उसी की एक शाखा दांतों में फैलती है इसी से उसको दंत-शिरा कहते हैं दांत के लिये जबड़े में जो गड्ढा होता है उसके पेंदे में से यह नस आकर दांत के जड़ के बाल से महीन छिद्र में प्रवेश करती है और फिर पोल में प्रवेश हो कर दांत के गूदे में पहुंचती है जहां से फिर अत्यंत सूक्ष्म नालियों में विभाजित होकर सब दांत में फैल जाती है। यह तो उस शिरा का विवरण हुआ जो दांत के पालन के लिये शुद्ध रुधिर पहुंचाती है परन्तु जब दांत उस रुधिर में से सार अंश खींच लेता है तब उस असार भाग को दांत से बाहिर ले जाने के लिये एक और नस है और वह ऊपर लिखे मार्ग से ही बाहिर आती है। वह नसें (स्नायु) जिनका काम स्पर्श और क्रिया है वह अधिक तर दांत का गूदा उन्हीं का अंश है। दांत के जड़ पर जो झिल्ली है उसकी नसें दांत के बहिर्भाग की रक्षा करती हैं और जब रोगादि के कारण दांत का गूदा सूख जाता है तो अन्दर से दांत मुर्दार होने पर भी उक्त झिल्ली से थोड़ा बहुत रुधिर पहुंच जाने के कारण दांत अपना कुछ काम दिये जाता है। यद्यपि गूदे के नष्ट हो जाने से दांत का शिरोभाग

भी क्रमशः झड़ जाता है परन्तु झिल्ली मढ़ी हुई जड़के बने रहने से भी कई लाभ हैं आस पास के दांतों के बीच में खाली जगह न रहने से दांत हिलते नहीं क्योंकि यह रीति है कि जब कोई दांत उखड़ जाता है तो साथ ही साथ उसका थांवला भी बैठ जाता है और इधर उधर के दांत भी हिलने लग जाते हैं। जब चोट आदि से कोई दांत हिल जाता है। या रोग के कारण हिलने लगता है तो इस झिल्ली ही से उस को शक्ति पहुंचकर फिर स्थिरता आजाती है।

सब दांत एक ही से नहीं होते जिस का जैसा आकार है रूप भी उसका उसी के अनुसार है। बीचों बीच सामने जो ऊपर नीचे चार २ दांत छेनी के आकार के हैं वे कुतरने के काम के हैं आस पास के दांतों की अपेक्षा बीच वाले मोटे होते हैं जड़ इनकी लम्बी और नुकीली है। और सिर छेनी सा धार दार। इन दांतों के आस पास दूसरे प्रकार का एक २ दांत है वह कीलरा अर्थात् मेख की शकल का होता है सिर इसका मोटा और जड़ गावदुम पाई जाती है इसका काम फाड़ने का है इसी दांत के होने से मनुष्य भी अपने तईं मांसभोजी होने का दावा करता है। कीलरों से पीछे हट कर दो २ दांत और भांति के हैं वे कीलरों से छोटे होते हैं उन के सिर पर दो दबाव पाये जाते हैं जड़ की नोंक दो हिस्सों में चिरी हुई होती है इनका नाम छोटी डाढ़ कहा जा सकता है। अन्त में तीन मोटे २ दांत

और रह जाते हैं जिनको डाढ़ कहते हैं जो चक्की का काम करते हैं पहिली डाढ़ सब से मोटी होती है ऊपर की पहिली और दूसरी डाढ़ में तीन और नीचली में दो जड़ होती है तीसरी डाढ़ इनसे छोटी होती है ऊपर वाली में १ और नीचे वाली में दो जड़ें पाई जाती हैं इन को अकल डाढ़ कहते हैं जब तक ये नहीं निकलतीं आदमी पूरा जवान नहीं गिना जाता ।

तीसरा प्रकरण

दान्तों का निकास

जन्मोपरान्त दूध पीने वाले जितने जीव हैं उन सब के जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं जिन में से पहिले दूध के और दूसरे पक्के दांत कहलाते हैं मनुष्य में दूध के दांत शिशुकाल में रहते हैं और पक्के दांत बाल्य काल में निकलने आरम्भ होते है जो युवावस्था में पूर्ण होकर मरने तक काम देने के लिये हैं।

दूध के दांत गिनती में २० होते हैं ऊपर नीचे दस दस हरेक जबड़े में सामने ४ छेनी के आकार वाले उन के इधर उधर एक २ कीलरा जिसके पीछे दो डाढ़ होती हैं। दोनों हाथों की पिछली पोरों के मिलाने से ऊपर के दांत तथा इसी भांति पैर के पोरों से नीचे के जबड़े की संख्या स्मरण रह सकती है। दांतों के निकलने के समय में बड़ा अन्तर है छेनी के आकार वाले चार

दांतों में सब से पहिले ६, ७वें महीने में बीच के दो दांत निकलते हैं तिस पीछे ९, १०वें महीनेमें शेष दो उपजते हैं उरली डाढ़ १२वें महीनेमें निकलती है और फिर १८ वें महीने जाकर कीलरे आते हैं सब से पीछे २ वर्ष में पिछली डाढ़ निकल आने से दूध के दांतों से मुंह भर जाता है। याद रहे कि ऊपर वाले दांतों की अपेक्षा बहुधा नीचे के दांत कुछ पहिले निकलते हैं।

लगभग जब दो मास गर्भ होजाता है तब जबड़ों में एक चिपकनासा रस होता है और महीने भर में उस के २० भाग विभाजित होकर दांत का आकार धारण करने लगते हैं और हर एक के चारों ओर हड्डी का पर्दा उठने लगता है जो जड़ों के चारों ओर से सहारा देकर दांत को मज़बूत बनाता है और साथ ही मसूड़े की झिल्लियां भी बनने लगती है। जबड़े के रस में से पहिले हड्डी का सा अंश बनता है और फिर इसके ऊपर के पर्दे बनने आरम्भ होते हैं पहिले दांत का सिर अपने खोल समेत बन चुकता है और साथही जबड़े की हड्डी का पर्दा बढ़कर और नियमित आकार पर पहुंच जाता है तथा इसके ऊपर की झिल्ली दांत के ऊपर के छिद्र को बन्द करलेती है।

गर्भ के चौथे महीने में पक्के दांतों का मसाला पैदा होता है और दूध के दांतों के ऊपर स्थित रहकर समयानुसार दांत का आकार बनाता रहता है मानों बचे

के उत्पन्न होती समय दोनों प्रकार के दांत [मसूड़ों के भीतर] मौजूद होते हैं ।

पहिले जबड़े के भीतर सिर बनना आरंभ होता है और जिस समय दांत बाहिर आता है उस समय भी सिर ही सिर निकलता है जड़ का बनाव पीछे होने लगता है। इसीलिये देखने में तो बच्चे के सब दांत २ वर्ष की अवस्था ही में निकल आते हैं परन्तु ४, ५ वर्ष में जाकर प्रत्येक दांत अपना पूर्ण कलेवर प्राप्त करता है। जबड़े में से निकलती वार दांत का पूर्ण रूप नहीं होता वरन बाहिर आजाने पर होठ, गाल और जीभ के दबाव से वे अपनी सीधी कतार में होकर व्यवहार के योग्य बन जाते हैं ऊपर के सामने और किनारे वाले दांत नीचे के दांतों से आगे होते है।

जबड़े में से बाहिर आने के लिये दांत को दो कठिनता पड़ती है प्रथम तो हड्डी वाले छिद्र को फाड़ना और दूसरे मसूड़े को छेदना. ईश्वरीय नियम से यह दोनों कार्य निष्कण्टक होने चाहियें. परन्तु ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जिन के बेखटके दांत निकल आते हों। परमात्मा की यह भी बड़ी कृपा है कि सब दांत एक साथ नहीं निकलते नहीं तो फिर कौन का क्या ठिकाना था। एक दांत के मारे ही बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। अस्तु प्रत्येक प्रकार के दांतों के निकलने के उपरान्त बच्चे को थोड़ा विश्राम रहता है उसमें वह पनप जाता है। दांतों के क्रम में भी ईश्वर की महिमा प्रगट

और तीसरी १७ से २५ वर्ष में उगती है। दन्तोद्गम के समय पर ध्यान देने से जान पड़ेगा कि ७ वें वर्ष से दूध के दांत गिरने प्रारभ होते हैं और सबसे पहिले सामने के दांत गिरते हैं। दांत के गिरने से बहुत पहिले उसकी जड़ कटने लगती है। पक्का दांत जों २ ऊपर उठने लगता है पहिला दांत उतना ही बेजड़ होता जाता है। परन्तु जो दूध के दांत को कीड़े ने खा लिया हो और दर्द के कारण उखाड़ दियागया हो तो उसके बदलेका पक्का दांत अपने उचित समय से पहिले भी निकल आता है। यह भी स्मरण रहे कि दूध की बड़ी डाढ़ों के गिरने से पहिले पक्की बड़ी पहिली और दूसरी डाढ़ निकल आती हैं। क्योंकि जो दूध की डाढ़ें पहिले ही गिरजांय तो बच्चा रोटी चबाने के योग्य न रहेगा दूध की बड़ी डाढ़ों के गिरने पर पक्की छोटी डाढ़ें उसी स्थान पर निकलती हैं।

कभी २ ऐसा भी होता है कि दूध के दांत उखड़ना ही नहीं चाहते कई ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें साठ वर्ष तक की अवस्था में दूध की डाढ़ें बनी रहीं, परन्तु जहां तक संभव हो वाल्य काल वीतने पर इन दांतों को भी मुंह में रहना नहीं चाहिये। परन्तु कभी२ ऐसा भी देखा गया है कि दूध के डाढ़ के बदले पक्की डाढ़ पैदा ही नहीं होती और जब उस डाढ़ के उखाड़ डाला गया तो वह जगह फिर योंकी योंही खाली रह जाती है।

दूध के दांतों में कीले सब से पीछे गिरते हैं। खास पास वाले, छेनी के आकार वाले, दांतों की जड़ का छिद्र तथा छोटी डाढ़ का छिद्र, जबड़े में पास २ होता है और

इन दोनों के बीच में पक्के कीलरे का घर बहुत नीचा होता है परन्तु उक्त दोनों दांतों को दूध का कीलरा पृथक् रख कर अपने पक्के भाई की राह साफ़ रखता है, परन्तु जो रोगादि के कारण यह नष्ट होजाय तो फिर उसके भाई का रास्ता आसपास वाले दांत घेर लेते हैं और पक्के कीलरे को लाचार राह कुराह टटोलनी पड़ती है।

चौथा प्रकरण।

दांत निकलने में कठिनता।

दांतों का निकलना एक ईश्वरीय नियम है यदि शरीर सब भांति स्वस्थ हो तो इस काल में कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिये, ऐसे बच्चे भी देखे गये हैं जिनके दांत निकलने की बात मा को भी नहीं मालूम होती परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं। नहीं तो सर्व साधारण में बच्चे के दांत निकलने का समय इतना कठिन समझा जाता है कि लोग अपने बच्चों के दांत निकल आने पर नया जन्म समझते हैं और अधिकतर बच्चों की मृत्यु इन्हीं दिनों में होती है। इस काल में बच्चों के पाचन यन्त्र में भी बड़ी गड़बड़ पड़ती है अर्थात् वह आमाशय जो अब तक केवल दूध को ही पचाता था दांतों को निकलते देख समझ जाता है कि अब उसे रोटी से काम पड़ेगा जिसके पचाने के लिये पेट और आंत दोनों को अपना आकार बढ़ाना पड़ता है [illegible]

विकार इन्हीं दिनों में उत्पन्न होते हैं। मा बाप को चाहिये कि जहां तक संभव हो बच्चों के खान, पान और शयन स्थान की शुद्धता का पूरा २ ध्यान रक्खें सर्दी और भीगी हवा से बचाने तथा निर्बल न होने देने की पूर्ण चेष्टा करें। दुर्बल बच्चों को दन्तोद्गम समय में अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। (बच्चों के स्वस्थ रखने के विषय में मेरी पुस्तक शिशुपालन में बहुत अच्छे २ उपदेश बताये गये हैं)।

मस्तिष्क की नसों तथा पेट और आंतों पर ही इस समय रोग की अधिक कृपा होती है इसलिये ठण्ड स बचाना पथ्य से रखना बहुत ही आवश्यक है। जब बच्चा इन कारणों से निर्बल हो जाता है और उधर दांत मसूड़े को फाड़ने की फिक्र करता है तब ही वह सब भयानकता उत्पन्न होती है जिनके भय से ही दांत निकलने का समय महा शंकित समझा जाता है। पुष्ट बच्चों में कई दांत निकल आने से भी इतनी दुर्बलता नहीं होती जितनी रोगग्रसित में एक दांत निकलने से होती है।

दांत जब निकलने को होता है तो पहिले थूक लार की अधिकता होती है जिससे मसूड़े में ठण्डक और तरी पहुंचती रहती है परन्तु जब दांत का सिर मसूड़े की झिल्ली को काटना प्रारम्भ करता है तब जलन पड़ती है और मुंह खुश्क और गरम हो जाता है, इसी समय अन्य बाधाएं भी उत्पन्न होती है अर्थात् हरारत होजाती है, क़ब्ज़ या दस्त लग जाते है। दस्त लगना बुरा नहीं है परन्तु इतनी अधिकता होनी बुरी है कि जिसमें बच्चा निढाल पड़ जाय। गालों पर सुर्खी होना कभी इस ओर कभी दूसरी ओर फैलना मस्तिष्क सम्बन्धी विकार

सूचित करता है। कभी गालों पर कभी सिर और कभी कभी समस्त शरीर पर फुन्सी भी निकल आती हैं, जीभ मसूड़े, होंठ और गालों के भीतर घाव भी पड़ जाते हैं, नाक में खुजली, हाथ पैर में ऐंठन, पुतलियों का फैलना, नींद न आना, प्यास की अधिकता, क्षुधा की न्यूनता आदि सब सूचित करते हैं कि दांत मसूड़े की झिल्ली पर टिक रहा है और इसी के अटक जाने से ये सब कुलक्षण हुए हैं। जब तक दांत की यह रोक दूर न होगी व्यथा बढ़ती जायगी। बच्चा चिड़चिड़ा होता, सोते में बर्राता, जगते में लगातार रोता, बार २ मुंह में उंगली डाल कर चूंसता जिससे कुछ आराम सा आता है। न खिलौने सुहाते हैं और न खेल की बातें पसन्द आती हैं, होंठ चबाता, रोशनी में चिल्लाता, सिर के बाल और कान नोंचता, और मा को नोचता खसोटता है। खाने की चीज़ भी कोई नहीं सुहाती, स्तन का दूध भी उलट देता है। ज्वर भयानक हो उठता है, उबकाई भरता, पनीले दस्त जाता और इठने तथा मूर्छित होने लगता है॥

इन दिनों कान में दर्द और कान का बहना जो बहुधा बच्चों के देखा जाता है वह भी कठिन दन्तोद्गम का कारण है, ज्वर की अधिकता और बार २ इठने के सिवाय बच्चा बहरा भी हो जाता है और भाषणशक्ति भी जाती रहती है। कभी २ इस विकार की वृद्धि मस्तिष्क तक पहुंच कर मृत्यु का कारण भी बनती है।

जिस जगह मसूड़े में दांत उगने को होता है वहां पर सुर्खी, सूजन, दाहाग्नि और कठोरता पाई जाती है,

और जब दांत किनारे आ लगता है तो उसकी सफ़ेद झाईं भी मारने लगती है। कभी २ इस स्थान पर फोड़ा या घाव भी होजाता है, दर्द की अधिकता इतनी अधिक होती है कि बच्चा स्तनपान तक नहीं कर सकता और मुंह में देते ही उछल पड़ता है जिसे अज्ञान माता उदर का शूल समझती है।

कभी २ ऐसा देखा गया है कि मसूड़े पर दांत निकलने का एक भी लक्षण नहीं दीखता परन्तु अन्य रोगो से शरीर जर्जरित रहता है इस दशा में बच्चे की अवस्था जानकर जो दांत निकलने वाला हो उसकी जगह पर चीरा दे दें इससे यदि दांत को मसूड़े की रुकावट होगी तो वह दूर हो जायगी।

चीरा लगाने में लोगों को बच्चे के उस थोड़े से दुख का बड़ा ध्यान रहता है परन्तु उस तत्काल के सुख पर दृष्टि नहीं पड़ती कि नश्तर लगते ही सब क्लेश हट जाते है। बच्चे के दुख का अनुमान आप अक्ल डाढ़के निकलने से कर सकते हैं जिसके कारण बाजे २ जवान तक अंटाचित्त हो जाते हैं परन्तु जब चीरा लगाया जाता है तो उसी समय शान्ति हो जाती है। चीरे से जो कुछ रुधिर स्राव होता है वह भी कुछ भय का कारण नहीं है क्योंकि यह बहुत ही कम होता है। मुंह का घाव बहुत ही शीघ्र अच्छा होता है इसी से चीरा बहुत जल्द पुर जाता है परन्तु यह पुरावट मसूड़े की असली बनावट की भांति कठिन नहीं होती और नीचे का दांत आसानी से पुराने को हटाता चला आता है।

सब दांतों पर एकसा ही चीरा नहीं लगाना पड़ता वरन " जैसा मुंह वैसा थपेड़ " कीलरे नोंकदार होते हैं उनमें कभी चीरा लगाना ही नहीं पड़ता। छेनी के सदृश दांतों को मसूड़े की लंबाई में चीरना ठीक है और दाढ़ों को सदा × गुणा के चिन्ह के अनुसार नश्तर करने से अच्छा होता है केवल एक लकीर करने से कुछ लाभ नहीं।

नश्तर से जब खून निकलने लगता, है तो बच्चा उसे गले में जाने से दूध जान चूसने लगता है और ऐसा करने से रुधिर बराबर निकलता रहता है इसलिये चीरा लगाने के पीछे स्तनपान करा देना उचित है उंगली पर रूमाल लपेट कर मसूड़े में से रुधिर का बंद होना जान लिया जाता है जब देर तक सुर्खी बनी रहे तो जरासी पिसी हुई फिटकरी लगा देनी चाहिये ॥

पांचवां प्रकरण ।

दांतों का कुढब्बापन ॥

कुरूपता—बहुधा ऐसा देखा जाता है कि दो दांत आपस में जुड़े हुए होते हैं. दूध के दांतों में यह बात छेनी के आकार वाले तथा कीलरों ही में देखी जाती है पहिले कहा जाचुका है कि मा के पेट ही में दांतों के चिन्ह होजाते हैं और जब दो दांतों का गूदा आपस में उसी समय मिल जाता है तो दांत भी मिले हुए ही निकलते हैं।

पक्के दांतों में ऐसा जोड़ छेनी और डाढ़ों में देखा गया है इनमें कभी तो दांत बिलकुल मिले हुए होते हैं

कभी केवल सिर ही सिर जुड़ा होता है। जुड़े हुए दांतों को उखाड़ने से सदा बचते रहना उचित है।

कभी दांत खूब घने और कभी बहुत अलग भी होते है बहुतेरे बच्चों में छैनी वाले दांत का रूप कीलरों के सदृश भी देखा गया है।

उपदंशग्रसित माता पिता की सन्तान के दांतों में ही उपाधिक कुरूपता देखी जाती है।

दांतों की न्यूनाधिकता।

दूध के दांतों में न्यूनता बहुत कम देखी जाती है परन्तु पक्के दांतों का कम होना कोई आश्चर्य नहीं गिना जाता, यही सामने के दांतों में अधिक देखी गई हैं अर्थात् कभी आस पास वाले छैनी से दांत ग़ायब होते हैं कभी कीलरे ही नहीं उत्पन्न होते, परन्तु कोई इस बात पर इसलिये ध्यान नहीं देता कि इस न्यूनता से मनुष्य के दांत संबंधी किसी कार्य में बाधा नहीं होती और उसकी जगह को आस पास वाले बंद कर देते है।

दोंनो प्रकार के दांतों की मामूली संख्या में अधिकता होना देखा गया है। अधिक दांत का रूप पास वाले दांत केही सदृश होता है ऐसे दांत कुछ काम न करने के कारण बहुत कम घिसते हैं।

कुठौर दांत।

दूध के दांत यदि कुठौर हों तो ऐसी कुछ चिन्ता की बात नहीं परन्तु पक्के दांतों का नियत स्थान से इधर उधर होना निस्संदेह ध्यान देने योग्य है। सब से बड़ा कारण इसका यह बताया गया है कि जब दूध का दांत

अपनी उमर बीत जाने पर भी अपनी जगह पर बना रहे और पक्के दांत के लिये स्थान न दे तो इस दशा में उसे ठौर कुठौर अपना घर बनाना पड़ता है अतः पाठकों को दूध के दांतों के गिरने और नये दांतों के निकलने का समय अवश्य स्मरण रखना चाहिये यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पक्की डाढ़ जो छटे वर्ष निकलती है वह किसी की जगह पर नहीं वरन जबड़े के कोने में नई जगह पाती है। इसके छः वर्ष पीछे जब जबड़ा और भी वर्द्धित हो जाता है तब दूसरी डाढ़ नवीन स्थान पर १२ वर्ष की अवस्था में निकलती है। अन्य दांत इस बीचमें गिरते और पक्के दांत पैदा करते चले जाते है दूध की डाढ़ों के बदले छोटी डाढ़ें (जो पहिले नहीं होतीं) निकलती हैं और १२ वर्ष की उमर में सिवाय अक्कल डाढ़ के सब मुंह में (२८) दांत भर आते हैं ॥

दांतों के नियत स्थान पर होने से केवल मुख शोभा और वाणी की मधुरता ही नहीं वरन रोटी चबाने का काम भी तभी ठीक बनता है जब ऊपर नीचे के दांत ठीक २ मिलजाते हैं एक ओर के उभार दूसरी ओर के दबाव में बैठ जाते हैं। जब ऐसा नहीं होता तभी दांतों के कार्य में अन्तर आजाता है अर्थात् भोजन न चबने से अजीर्णता, बोलने में अशुद्धता और दन्तधावन ठीक न हो सकने से दांत बिगड़ते, होट फटते, मसूड़े फूलते और चिहरा भी कुरूप होजाता है ॥

कभी २ ऐसा देखा जाता है कि नीचे के दांत ऊपर वालों के सामने आकर बंद होते हैं और रात दिन की रगड़ से थोड़े ही दिनों में घिसकर दूर होते हैं।

अथवा ऐसा होता है कि ऊपर के दांत इतने हटकर निकलते हैं कि नीचे के होठों पर आकर उनकी नोकें ठहरती हैं और ऊपर वाला होठ उन्हें छिपाने में असमर्थ होता है जिन्हें हमारे पंडित विद्वत्ता का चिन्ह बताते हैं।

दांतों का यह कुढब्बापन कई कारणों से कहा जाता है। चोट, बाल्यकाल में जबड़े के बल गिरना, अधिक दांत होना, या बचपन में अगूठा, जीभ या होठ दवाए रहना, दूध के दांत का नियत समय से पहले उखाड़ लेना या उक्त समय वीतने पर भी न उखड़ना अथवा दांतों की पुश्तैनी कुरूपता होना, जो बच्चे मुंह फाड़े सोते हैं उनके दांत भी टेढ़े पड़जाते हैं।

जिन बच्चों को दूध पिलाने की बोतल के मुंह को रात दिन मुंह में रखने की टेव होती है या दांत निकलने पर भी उंगली चूसने की आदत रहती है उनके दांत भी कुढब्बे हो जाते हैं।

अतः इन कारणों का ध्यान रखने से ही इस कुरूपता का न होना संभव है। बाल्यकाल में बच्चों को उक्त कुचेष्टाओं से बचाना परमावश्यक है। दूध की बोतल केवल नियत समय पर पिलाना, लकड़ी या खिलोना मुंह में न रखना चाहिये रात दिन उंगली चवाने की टेव भी बुरी है। उंगली पर एलुआ चुपड़ देने से कड़ुआ मुंह होने से यह टेव छुट जाती है, दिनमें तो अन्य प्रकार भी रोग होना संभव है परन्तु रात्रि में उंगली का मुंह में बना रहना बुरा है। ऐसे बच्चों को बगैर बाहों के गिलाफ में सुलाना चाहिये। जहां तक संभव हो इन आदतों के छुड़ाने में कदापि आलस्य करना न चाहिये।

जिन कारणों का ऊपर वर्णन किया गया है उनसे दांतों में क्यों कुरूपता आजाती है? इसके समझने के लिये यह कहना अवश्य है कि जबड़े के छेदों में केवल दांत का सिर ही सिर होता है और वह बाहिर निकलती समय छिद्र में एक चौड़ा छेद बना लेता है, जब सिर ऊपर आ गया तो दांत का अधोभाग पतला होने से उस छिद्र में ढीला रहता है इस दशा में जिधर उसको झुकाने की चेष्टा की जाती है उधर ही वह मुड़कर वैसाही रुख धारण करलेता है।

स्मरण रहे कि दांतों की बढ़वारी के साथ २ जबड़े भी बढ़ते जाते हैं परन्तु जब किसी कारण से उनकी पूर्ण बढ़वारी नहीं होती तब दांत बहुत घने या तरा ऊपर निकलते हैं।

जिन बच्चों को थोड़ी सी अवस्था से ही पढ़ाना शुरू किया जाता है उनकी शारीरिक वृद्धि में अवश्य अन्तर आजाता है। जो रुधिर हड्डियों के बढ़ाने के निमित्त तयार होता है वह इसमें अकल बढ़ाने के लिये चला जाता है इसीसे ऐसे बच्चे बड़ी उमर में भी पिचके से मुह के बने रहते हैं अर्थात् जबड़ा पूर्णाकार नहीं धारण करता और इसीसे दांत भी कुडौल और कुरूपे निकलते हैं। अतएव सन्तान के शुभाकांक्षी माता पिता को उचित है कि ७ वर्ष की अवस्था तक कदापि बच्चे के पढ़ाने लिखाने का नाम न लें ये दिन खाने खेलने ही में गुजार देने के पीछे पढ़ना आरम्भ करने से शरीर और बुद्धि दोनों की ठीक तरह से बढ़वारी होती है।

ठेनी के आकार के ऊपर के दांत जब पीछे हटकर

उत्पन्न हों तो उन्हें ढकेल कर सामने लाने की चेष्टा की जाती है। यदि नियत स्थान पर अभी तक दूध के दांत बन रहे हों तो उखाड़ डालें, फिर एक जंभूर के फलों पर रबर या मुलायम चमड़ा लपेटें जिस्से कि दांत में जरब न पहुंचे और फिर उस कुठौर हटे हुए दांत को पकड़कर सावधानी से हटाते हुए सामने लावें और चांदी के पतले तार से पास वाले दांतों के साथ बांध दें दांतों की जड़ ढीली न हो इस कार्य में क्लेश बहुत कम होता है। यह उपाय दांत के बाहिर आते ही करना चाहिये कि जब दांत की जड़ पुख्ता होजाती है तब फिर उसका हटना कठिन है। पक्के दांतों की जड़ जमने का समय इस प्रकार है॥

दांत	जड़ जमने का समय
छेनी के आकार वाले	१० वर्ष में
बीच के दांत	कुछ पीछे
ओर पास के	१२ वर्ष
छोटी डाढ़ें	कुछ पीछे
कीलरे	११ वें १२ वें वर्ष
पहिली छोटी डाढ़	९ वें १० वें वर्ष
दूसरी ,, ,,	१६, १७ वें वर्ष

छटवां प्रकरण।

दांतों के रोग और चिकित्सा।

दांत का नष्ट होना, कीड़ा लगना।

दांतों के रोगों में सबसे अधिक होने वाला रोग कीड़ा लगना

है कीड़ा सदा दांत के वहिर्भाग से लगना प्रारम्भ होता है तथा इसकी उत्पत्ति का कारण भी बाहिरी शारीरिक विकार से होता है। जिन दांतों का शरीर ही निकम्मा और दुर्बल होता है उनमें बिना कारण भी कीड़ा लग सकता है। कुठौर दांत होने या चोट लगने से भी दांत खिर जाते हैं।

दूध पीने की अवस्था में माता के रोगी रहने या इस काल में बच्चे के न पनपने से भी दांतों का पालन ठीक नहीं होता और उनमें अधिक कीड़ा लगा करता है, जो दांत कुठौर होते हैं वे या तो ऊपर नीचे के दांतों से रगड़ खाया करते हैं या उनमें फंसे हुए अन्नादि की सफाई नहीं होती और कीड़े अपना घर बनाने लगते हैं।

मुंह के बल गिरने, घूंसा लगने, कड़ी चीज काटने तोड़ने और दांत के ऊपर अस्तर छुटजाने से भी कीड़ा लगने लगता है। ये सब ऊपर लिखे हुए कारण आन्तरिक कहे जाते हैं परन्तु बाहिरे हेतु जो कीड़े के लगने में सहायक बनते हैं वे अनेक हैं, यथा तेजाब मिश्रित औषधि खाना या ऐसी ही दवाओं के मिले हुए मंजन लगाना या कुल्ली करना, दांतों पर मैल जमना, कनफेर और मुख के अन्य रोगों से थूक बिगड़ जाना, खाने के पीछे मुंह खूब साफ न करने और दांतों की जड़ों में भुक्त पदार्थ फंसकर सड़ जाना आदि।

इन सब में से पिछला कारण ही सब से मुख्य है बहुत से लोग यह बात जानते होंगे कि हरेक चीज सड़ने से खट्टी हो जाती है मानों उसका तेजाब बन जाता है। दही ज्यों ज्यों देर का होता जाता है त्यों त्यों तेज खट्टा होता जाता है

इसके सिवाय दाल रोटी सभी बासी होने पर सड़ने लगजाती है। यही चीज़ें गरमी के दिनों में और भी जल्दी सड़ती है यानी सड़ने वाली चीज़ का जलयुक्त और मौसिम का गर्म होना आवश्यक है। ये दोनों बातें मुंह में सदा मौजूद रहती है इसलिये रोटी आदि का जो अंश बत्तीसी की दरारों और मुह के कौनों में रहजाता है वह सड़कर तेज़ाब बनता और दांतों की खबर लेता है। दांतों की बनावट में चूना होता है और रसायन शास्त्र जानने वाले जानते होंगे कि चूना खार है जो तेजाब का दुश्मन है। यही दुश्मन (तेज़ाब) दांतों के चूने को खाने लगता है जिसे सर्व साधारण कीड़ा लगना कहते हैं। दांतों में कीड़ा ऐसी ही जगह लगता है जो छिपी हुई जगह है और जो बिना यंत्र के साफ़ ही नहीं होतीं, छोटी बड़ी डाढ़ों के गढ़ों पर बहुधा यह रोग देखा जाता है। जब एक बार किसी स्थान का उखड़ना शुरू हो जाता है तो फिर उसका रुकना कठिन होता है। दांत के सिर वाले अस्तर पर जब कीड़ा लगता है तब तो वह बहुत धीरे अपना गढ्ढा खोदता है परन्तु जब दांत के गूदे के खोल पर पहुंच गया तो बड़ी शीघ्र उसे छेद उस कोमल गूदे को स्पर्श करता है।

कीड़े लगने का छिद्र सब किसी में एकही रङ्ग का नहीं होता, किसी में काला, किसी में भूरा, किसी में खुरदरा और किसी में साफ दीखने में आता है।

शरीर की अन्य बाधाओं से भी यह रोग होजाता है। जब पाचनेन्द्रिय में कोई खराबी पड़ती है तो मुंह का थूक तेज़ाबी होजाता है इसी भांति गर्भवती स्त्रियों के मुंह का जल भी तेजाबी होजाने से इस समय में दांतों में कीड़ा

लग सकता है। इन सब बातों के सिवाय तमाकू के धुंए का मैल दांतों पर जमने से भी उक्त रोग का होना कहा जाता है परन्तु ग्रन्थकार इस बात को विश्वासनीय नहीं समझता।

ज़ियादा मिठाई खाना भी दांतों को दुख देता है अर्थात् शकर पेट में जाकर ठीक २ न पचने से तेज़ाब बनती और मुंह में उसका असर होकर दांत बिगड़ने लगते है। गन्ना चूसने में उसके रेशे जो दांतों में छिटक जाते हैं वे एक रात ही में कीड़े उत्पन्न कर देते है।

चिकित्सा।

इस रोग की मुख्य चिकित्सा मुखशुद्धि है जिसके लिये हमारे देश में दन्तधावन की रीति प्रचलित है। और अङ्गरेज इस काम को टूथ ब्रुश से लेते है। बात एक ही है हम भी दांतोंन के सिरे को कुचल कर ब्रुश के आकार का बना लेते है। वैद्यक ग्रन्थों में लिखा है कि दांतोंन १२ अंगुल की हो और मुटाई में छोटी उंगुली के समान चाहिये. न गाठें हों और न टेढ़ी हो जहां तक संभव हो ताज़ा तोड़कर काम में लाएं अथवा १२ घण्टे पहिले जल में भिगोलें सब से अच्छा नीम है जो अधिक सर-लता से प्राप्त हो सकता है। कुची बनाके हरएक दांत को घिसें और दरारों को साफ करें फिर चीर-कर जिह्वा का मैल दूर करना चाहिये आक, करञ्जा. कुटकी, अनार. कदम्ब, आम. चम्पक, सिरस. मौलसिरी आदि की दांतोंन भी अच्छी बताई हैं। दांतोंन के पीछे ताजे पानी से कम से कम १२ कुल्ले करने चाहियें।

जिन जगहों में दांतोंन न मिल सकती हो उस जगह कोयला और नमक महीन पीस दांतों से रगड़ना और खूब कुल्ली करनी चाहिये, दांतों के मांजने के कितने ही नुसखे इस अध्याय के अन्त में लिखे हैं पाठक अपनी व्यवस्थानुसार उनमें से चुन सकते है। दांतोंन कुल्ली मंजनादि से यदि मुख शुद्ध रक्खा जाय तो फिर दांतों को न कोई रोग हो और न कभी मुख दुर्गन्धि पूर्ण बने। दांतों के बने रहने से अनेक लाभ हैं प्रथम तो इच्छानुसार भोजन दांतों के ही सहारे हो सकते हैं। दांत जो नहों जैसा कि बुढ़ापे में, बहुतसी चीज़ों के लिये तरसना पड़ेगा। और ठीक २ भोजन न मिलने से तन्दुरुस्ती रहना भी असंभव है। दूसरे मनुष्य का भाषण सौंदर्य भी दांतों ही पर निर्भर है। पोपले और दांत वाले की बोल चाल में जो अन्तर है वह सभी जानते हैं इनके सिवाय मुख की शोभा भी दांतही हैं। अतएव दांतों के स्थिर और आरोग्य रखनेके लिये दांतोंन का करना बहुत ही आवश्यक है आज कल की बढ़ती सभ्यता में हमारे देशी सज्जन भी दांतोंन के बदले टूथ बुरुश काम में लाने लगे हैं अतः इसके लिये भी यह कहना आवश्यक है कि बुरुश बहुत कड़े बालों का नहो और न उनके सिरे एक से कटे हुए हों। बाल कुछ कड़ापन लिये मुलायम हों जो मुड़कर दांतों की गाढों में जासकें। ऊपर के दांतों पर बुरुश नीचे की, और नीचे वालों पर ऊपर की तरफ फेरना चाहिये कि जिसमें जड़ और गाढ़ में फंसा हुआ मैल निकल आवे। दांतों की चोटी पर आगे पीछे बुरुश फेरना चाहिये और उनके ऊपरी गढ़ेलों के मैल को सावधानी से

हटावें। दांतों के लिये खास साबुन मिलता है जो न हो तो कैस्ट्राइल या कार्बोलिक सोप काम में लावें। दांतोंन या बुरुश सवेरे ही करना चाहिये और भोजन के पीछे केवल गुनगुने पानी के कुल्ले काफी हैं इसमें सोडा, स्पिरिट एमोनिया, या लाइम वाटर मिलालें। दांतों में कुछ हिटका होतो दन्त कुरेदनी या बुरुश से दूर करके मुंह साफ करें। बार २ बुरुश या दांतोंन करने से मसूड़े छिल जाने का डर रहता है। पर की कुरेदनी धातु से अच्छी है॥

जब उक्त उपदेश पर चलने से दांतो में कीड़ा लग जाय और छिद्र बनालें तो फिर उसकी बढ़वारी रोकनी आवश्यक होती है। जिसके लिये उस गढ़ को भांति २ की औषधियों से भर देते हैं जिसका अधिकार केवल डाक्टरों को होना चाहिये, जब दांत नष्ट होगया हो तो उसके लिये उखाड़ डालने की सलाह लेनी उचित है। दांत के भरने या उखाड़ने के पीछे मुख की सफाई की बड़ी आवश्यकता रहती है॥

दन्त पीड़ा।

दांत में या उसके आस पास अनेक हेतुओं से दर्द हो सकता है। दांतों में गठिया होना या उसकी नस के बिगड़ने से बहुधा दर्द होता है

जब दांत की जड़ के आस पास से मसूड़ा हटजाता है और जड़ दीखने लगती है तो धीमा २ दर्द होता है, दांत के गूदे में विकार होने से बड़ा कठिन दर्द होता है जब दांत में गढ़े होते होते गूदे तक पहुंच जाता है तब

भी यही बात देखी जाती है मसूड़े के सूजने से भी दर्द होना साधारण बात है। जड़ पर जो झिल्ली होती है उस में विकार होने से जो दर्द होता है वह बड़ा भयानक है। शाकादि न खाने से जो स्कर्वी नामी रोग होता है उसमें दन्त पीड़ा विशेष होती है। केवल यही रोग है जिसके लिये लोग चिकित्सा कराने की इच्छा से वैद्य के पास जाते है। दांतों के दर्द की चिकित्सा कारण के अनुसार होती है। गढ़ा होने से उसमें अफीम का सत्त या क्रीआजोट, कारबोलिक एसिड तथा क्लोरोफार्म की फुरेरी लगने से तत्काल आराम देखा जाता है। जड़ में रोग होने से अर्थात् उसकी झिल्ली में जब पीड़ा होती है तो वहां पीव पैदा होकर फोड़ा बन जाता है जिस में से महीनों पीव बहा करता है। इसी फोड़े का जब मुह बाहिर होता है तो उसे नासूर कहते हैं यह एक सदा की बदसूरती है। चहरे पर नासूर बुरा जान पड़ता है जिसमें से बहुधा पीव बहा करता है। अतः इस कोठे पर आदि ही में शिगाफ मसूड़े पर लगना चाहिये अथवा दांत को उखाड़ दें। दांतों के इन रोगों तथा अन्य बाधाओं के लिये आगे के अध्याय में बड़े उत्तम २ नुसखे मिलेंगे।

दन्तरोग चिकित्सा।

देशी औषधियां।

दांत हिलते हों या दर्द करते हों तो दशमूल के

काढ़े की कुल्ली भी उपयोगी है मौलसिरी को चबाना भी लाभदायक बताया गया है।

महीन सज्जी, कूट, कसीस, हींग, वायविडंग और मालकांगनी को पृथक २ चूर्ण करके सब को मिलाकर बारीक वस्त्र में छान ले और इस चूर्ण को दांतों पर मलने से उनकी पीड़ादि व्याधि शान्ति होती है।

पीपर, सेंधानमक और जीरे को पीस कर दांतों से रगड़ा जाय तोभी उनकी अनेक कष्टदायक पीड़ाओं का नाश होता है। इस नुसखे में पीपर के बदले पिसी हर्र सेमर के कांटों का चूर्ण मिलाकर मला जाय तो मसूड़ों को भी अधिक लाभ पहुंचता है।

नागरमोथा, हर्र, त्रिकुटा, वायविडंग, नीम के पत्ते इनको गाय के मूत्र के साथ पीस कर गोलियां बनालें और धूप से बचाकर सुखाने के उपरान्त एक गोली सोती समय गाल के भीतर रख उसका रस दांतों पर लगने दें तो हिलना बन्द होता है।

सेंधानमक, कत्था, कूट, धनिया, मिर्च, सोंठ, जीरा (भुना हुआ) और नीलाथोता इनको पीस कर कपड़े में छान दांतों पर रगड़ने से हिलना बन्द होता है।

दांतों में पहिले कडुआ तेल लगाकर नीचे लिखे मंजन को लगावें और घंटे भर पीछे दूसरी लिखी हुई दवाई से कुल्ली कर डालें तो सब भांति के दन्तरोगों में लाभ होता है।

मंजन।

माजूफल, रूमी मस्तंगी, मोचरस, छोटी इलायची,

ढाक का गोंद, कत्था, सोंनमक्खी, लोह चूर्ण ये सब चीज़ें बराबर २ लें परन्तु तूतिया की मात्रा आधी ही रहनी चाहिये जिसे भून कर चूर्ण करें तथा अन्य दवाओं को भी खूब ही महीन पीस कपड़े में छानें लोह चूर्ण उम्दा इस्पात का होना चाहिये और सो भी बहुत बारीक करके काम में लावें। दांतों में लगा कर फिर

कुल्ली की दवा।

वायविड़ंग, हलदी, माजूफल, और फिटकरी इन चारों को महीन पीस पानी में उबाल उस जल से कुल्ली ऊपर की दवा के लगाने से एक घण्टे पीछे करें। ध्यान रहे कि इस दवा के पीछे कम से कम घण्टे भर तक ठण्डा पानी कदापि न पीना चाहिये।

कीड़े दूर करने का यत्न।

एक मिट्टी की हांड़ी लेकर एक छेद उस के पेंदे में और दूसरा एक बगल से करै फिर एक कटोरे में पानी भर कर हांडी उलट कर ढांक दें अब एक लोहे के चम्मच को गरम करके उस में खुरासानी अजवाइन रख बगल के सूराख़ की राह हांडी के भीतर करे जब पेंदे के छेद से धूंआं निकलने लगे तो दांत का रोगी मुंह फाड़ कर कीड़े खाये दांत में उक्त धूआं लगने दें इससे कीड़े सब झड़ पड़ते हैं।

एक कोरे मिट्टी के वर्तन को पानी से भर उसमें तुख्म धुरफा (कुलफे के बीज) डालकर रात को ओस में रखदें और सवेरे होते कुल्ले करें दांत और मसूड़ों के दर्द को फ़ायदा होता है।

मञ्जन ।

जावित्री, सोंठ की जड़, गजपीपल, कूट, वच, सोंठ, आक की जड़ की छाल सब को बराबर लें और बारीक पीस कपड़छन करें। इससे दांत मज़बूत होते हैं।

कूट, दारु हलदी, नागरमोथा, मजीठ, पाढ़गिलोय, मालकांगनी, महीन पीस छान लगाने से मसूड़ों का रुधिर बन्द होता है।

सेंधा नमक, पीपर, माजू, नौसादर इन सबका बना हुआ मंजन डाढ़ की टीस हरता है।

गरम पानी के लगने से दन्तशूल हो तो सिरका और गुलाब जल के कुल्ले करे और शर्वत शिकञ्जबीन खाय जिसके बनाने की यह रीति है कि आध सेर मिश्री लेकर दो सेर जल में जोश दें और जब गाढ़ा शर्वत हो जाय तो उसमें आधपाव सिरका मिलावें फिर दुबारा जोश देकर ठंडा करके छानलें।

जो ठंडे पानी के लगने से दर्द हो तो सोंठ, काली मिर्च, अकरकरा, राई, सेंधानोन आदि को बारीक पीस मञ्जन की भांति मलें और जंजबील तथा काली मिर्च कूट के पानी में जोश दें और सिरका मिला उस पानी से कुल्ली करें।

दांतों के कीड़े ।

बकरी की चर्बी और गंदनी दोनों मिला गरम करके या लोहे के चम्मच में रख धूआं लें।

कुलफा घोट के पीने से दांत की खटाइट दूर होती है।

मसूड़े से खून ।

जंगली प्याज को सिरके में जोश देकर सुखावें और पीस कर मसूड़ों से मलें।

समुद्र झाग, प्याज़ की जड़ को बराबर मिला पीस कर मलें ।

काला नमक कपड़े में लपेट, मिट्टी का संपुट दें सूखने पर आग में जला कर उस की भाफ़ लें । ठंडा होने पर मोथा और दालचीनी उसीके बराबर लें पीसें और दांत पर मलें ।

अकरकरा, अनार के फूल, ज़ीरा किरमानी, वशलोचन बराबर कूट छान मलें ।

ज़ीरा सफेद, शोरा, काली मिर्च और शोरे का नमक कूट छान मलें ।

मिस्सी ॥

मिस्सी लगाने से पहिले दांतों को खूब शुद्ध कर लेना चाहिये, दांतों की दरारों में मैल या कोई चीज़ छिटकी न रहे फिर नीबू या किसी और खटाई से खूब साफ़ करके तब मिस्सी मलनी उचित है ।

कसीस, त्रिफला, माजूफल जंगीहड़ लोध, पीली मिट्टी, मस्तङ्गी, चब, सुपारी, कपूर, खैरसार, सोनमक्खी, लोह चूर्ण, अनार की छाल, मजीठ सब को पृथक् पृथक् महीन पीस फिर सब को मिला कर रगड़ें और कपड़ छान कर के काम में लावें ।

फिटकिरी, माजूफल, सोनमक्खी, छोटी हड़, इमली या नीबू के रस में पीस कर सुखालें फिर दुबारा पीस कर लगावें इससे दांत मज़बूत भी होते हैं ।

सुर्ख़ रंग लाने वाली मिस्सी ।

कत्था १ हिस्सा, भिदरफ १ हिस्सा, लाख दो हिस्सा

मजीठ दो हिस्सा, कत्था और सिंदरफ को पीसलें और लाख को १६ हिस्से पानी में डाल कर औटावें और चौथाई रह जाने पर उसमें पहिली पिसी हुई दवाएं मिलादें । मजीठ को भी इसी भांति पानी में औटा कर इसमें छोड़ दें और सबको जलयुत खरल करें और सुखाकर फिर चूर्ण करलें । इसके लगाने के ४ घन्टे तक कुछ खाना पीना न चाहिये पश्चात् बीडी खाय ।

दांतों के मंजन ।

सोंठ, काली मिर्च, पीपल छोटी इन तीनों को बराबर लेकर चूर्ण करले फिर कपड़ छन कर शहत मिला कर रख ले इस से नित्य दांतों को मांजा करें ।

सेंधा नमक मीठे तेल में पकाकर दांतों से मले ।

तेजपात पीस कर उसके चूर्ण से दांतों को मांजे ।

मौलसिरी की जड़की बकल छाया में सुखा पीस छान कर शीशी में रखले और उससे नित्य प्रति दांत मांजा करै उपरोत क्रिया करने से बीमारी नहीं होती और अधिक उमर तक दांत दृढ़ रहते है । मुख में दुर्गन्धि नहीं होती और चित्त प्रसन्न रहता है ।

दांतों में दर्द होता हो और खून निकलता हो तो ।

(१) सेंधानोन, काली मिर्च, हुलास, चूल्हे की मिट्टी (जली हुई) इन चारों को पीस छान रखले प्रातः संध्या दोनों समय मंजन करै तो दांतों का दर्द खून निकलना और हिलना दूर हो ।

(२) बबूल की फली छाया में सुखावें और पीसकर दांतों का मंजन करे तो उपरोक्त रोग दूर हो ।

ये दोनों औषधि परीक्षा की हुई हैं ।

फुलाई फिटकिरी, नीलाथोथा, तेजपात, पपरियाकत्था, पीपल का बक्कल, लाख, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, आंवले, हीराकसीस, माजूफल, मजीठ, रूमीमस्तङ्गी, मोलसिरी का बक्कल, सेंधानोंन, दक्षिणी सुपारी बराबर ले कूट कपरछन कर निर्गुंठी के रस की २१ पुट दे फिर मौलसिरी के बक्कल के २१ पुट दे हरेक पुट पीछे धूप में सुखाता जाय फिर महीन पीस सेंधानोंन थोड़ासा मिला पीछे मर्दन करे तो सब रोग जांय।

दांत दुखने की औषधि।

कूट ५ टं० हड़ की छाल ५ टं० खुरासानी अजवान ५ टं० कत्था ५ टं० महीन पीस दांतों को मर्दन करे तो दर्द बन्द हो।

II

गङ्गा पारकी तमाकू, अकरकरा, कायफल, वायविडंग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, नोंन इन्हें महीन पीस दांतों से मर्दन करे।

जिस पीयाबांस में पीले फूल निकलते हों उसके पत्ते दांतों से ४० दिन रगड़े जांय तो हलते हुए दांत जम जाते हैं और उनका दुख दर्द भी मिटजाता है।

तमाकू के डांठरे चबाने से या अकरकरा चबाने से दांतों की पीड़ा थोड़ी देरही में कम होजाती है।

मौलसिरी की छाल के अर्क में माजूफल और फिटकरी पीस के मिलाले और दांतों से लगावे तो दांत दृढ़ और दर्द रहित होते हैं।

तमाकू की छानस १ भाग, नमक पिसा हुआ ४ भाग और चूल्हे की मिट्टी ८ भाग लेकर सब का महीन चूर्ण कर मळने से मसूड़ों का दर्द दूर होता है।

भीगे हुए चूने में नौसादर मिलाकर सींक से दर्दीले दांत पर लगाकर लार टपकने दें तत्काल दर्द मिट जायगा।

कटकरञ्जा को आग पर भून मिंगी निकाल कर पीसलें उसमें कच्ची फिटकिरी को महीन करके फिर दोनों को मिलावें और दांतों से मलकर थूकते रहें टीस सब हट जाती है।

अलौआ (आल) के फळ को कुतरने से दांत मज़-बूत होते हैं।

मसूड़े ।

रुधिर पीछे कढना—सोंठ, सरसों, त्रिफला, हीराकसीस पठानी लोध, पीपल, मैनासिल, फूळ प्रियगु, तेजबळ बरा-बर ले महीन पीस शहत में मिला मसूढ़े पर लगावे या तेल या घृत का कुल्ला करे।

पांचों नोन, जवाखार, शहत डाल काढ़ा करे।

लोध, पतंग, महुआ, लाख, बेल, सिरस का बक्कल, इन्हें महीन पीस चूर्ण कर मलें।

नागरमोथा, हड़की छाल, सोंठ, मिर्च, पीपल, वाय-विडंग, नीम के पत्ते, महीन पीस गोमूत्र में गोली करे सोते समय मुंह में रक्खे।

लोध, नागरमोथा, रसौत, सहत, महीन पीस लेप करे पीछे दूध के कुल्ले करे।

सोंठ, सरसों, त्रिफला, के काढ़े का कुल्ला।

दांतों को दृढ़ करने वाला तेल।

लाख का रस ऽ। तिलों का तेल ऽ। गौ का दूध ऽ। भर, लोध १ टके भर कायफल १ ट० मजीठ १ ट० कमलगट्टे १ ट० कमल की केशर १ ट० रक्तचन्दन १ ट० मुरहटी १ ट० इन सबका काढ़ा करके इस काढ़े में मधुरी आंच से आध सेर तेल पकावे सब जलने पर जब खाली तेल रहजाय तब इस तेल को १ घड़ी मुंह में रक्खे तो दांत के सब रोग जायं, दांत दृढ़ होंय।

कीड़ों के यत्न।

हींग को थोड़ा गरम करके दांतों के बीच रक्खे।

कागज़, हरी नील की जड़, कड़ुवी तूंबी की जड़ इन्हें महीन पीस मर्दन करे॥

खट्टे दांत।

सांभर नोंन, नरकचूर, सोंठ, अकरकरा महीन पीस दांतों से मर्दन करै।

सर्व रोग हर।

पांचों नोंन, नीलाथोथा, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपलामूल, हीराकसीस, माजूफल वायविडग महीन पीस दांतों को मर्दन करै।

पुष्टक मिस्सी।

हीराकसीस, माजूफल, लोह का चूर्ण, सोना मक्खी, मजीठ, फुलाई फिटकरी, त्रिफला, ये सब बराबर ले इन्हें खरल कर महीन पीस कज्जल के समान करै। फिर १ माशे ले दो घड़ी दांतों को मसले ८ दिन लगाने से दांत काले और स्याह गाढ़े होंगे।

मुंह में छाले होना।

दारु हलदी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दाख, अजवाइन और त्रिफला इन सबका काढ़ा करके कुल्ली करने से लाभ होता है।

चमेली के पत्ते चवाने से भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं।

अङ्गरेज़ी नुसखे।

जिन नुसख़ों में ईथर या एल्कोहोल शामिल हो उन्हें हमेशा डाट वन्द रखना चाहिये क्योंकि ये चीज़ें खुली रहने से उड़ जाती हैं।

लाइकर इमोनिया	१ हिस्सा
एल्कोहाल	३, ४ हिस्स

इस में थोड़ा सा लौंग का तेल मिलादें। ठीक लगा देने से फौरन दर्द दूर होता है

ईथर एलकोहोल }	डेढ़ २ ड्राम
केम्फर	१ ड्राम

मिलाकर कपूर गलजाने पर आधा ड्राम लाइकर एमोनिया मिला लें। दर्द के लिये बड़े काम की दवा।

कीआज़ोट	१ ड्राम
एल्कोहाल	१ ,,
लौंग का तेल	आधा ,,

मिलालें। यह कीड़े खाए हुए दांत के दर्द में उत्तम है।

एलम (फिटकरी)	१ ड्राम
स्वीटस्पिरिट आफ नाइटर	१ औंस

तब इस्तेमाल करें परन्तु इसमें मिहनत बहुत पड़ती है।

ओपियम	आधा ड्राम
केम्फर	४ ड्राम
आइलक्लोव्ज़	२ ड्राम
एलकहाल	१$\frac{१}{२}$ ड्राम

मिलाकर एक सप्ताह तक रक्खो और रोज़ हिला दिया करें फिर सातवें दिन विना हिलाए ऊपर के निथार को डालदें। यह भी दर्द की अच्छी दवाई है।

पिसी हुई अफीम	१० ग्रेन
कपूर	१० ग्रेन
लोंग का तेल	१ ड्राम
आइल केजूपुट	१ ड्राम
एल्कहाल	आधा औंस
ईथर	आधा औंस

इसको भी पहिले की भांति कई दिन रक्खें और हिलाते रहें।

क्रीआजोट	५ ड्राम
रेक्टीफाइड स्पिरिट	५ ,,
स्ट्रांग टिं० कोचनील	२ ,,
आइल पिपरमेण्ट	आधा ड्राम

मिलालें।

हाइड्रो क्लोरैट मार्फिया	२० ग्रेन
टिंक्चर पेलटोरी	२॥ ड्राम
आइल क्लोव्ज	आधा औंस
क्लोरोफ़ार्म	आधा औंस

खूब डाट लगाकर रखें और लगाने से पहिले हिला-लिया करें।

पेलीटरीरूटबार्क	१ ड्राम
हाइड्रो क्लोरेट आफ़ मार्फिया	५ ग्रेन

दोनों का बारीक चूर्ण करें और

शहद	३ ड्राम
लौंग का तेल	३० बूंद
टिंक्चर पेलीटरी	यथावश्यक

मिलाकर उक्त चूर्ण हल करलें और लेहीसा पतला होने पर रुई डुबोकर मसूड़े या दांत के दर्द पर लगावें। ये दवाएं पेट में न निगलनी चाहियें।

पेलीटरी रूट पौडर }
मेस्टिक ,, } बराबर लेकर
वाइट शुगर ,, }

क्लोरोफार्म में लेही सी बनाकर उक्त रीति से लगावें ठण्डी जगह और डाट वाली बोतल में रखना चाहिये।

ओपियम पौडर	आधा ड्राम
केम्फर ,,	१ ,,
एक्सट्रैक्ट बिलाडोना	१ ,,
,, हेनबीन	१ ,,
आइल केजूपुट	१५ बूंद
टिंक्चर कंथरडीन	१५ ,,

लिट्मस वाटर के साथ लेई सी बनालें।

ओपियम पौडर	१० ग्रेन
एक्सट्रैक्ट हेनबीन	२० ,,
पेलीटरी रूट पौडर	२० ,,

एक्सट्रैक्ट बिलाडोना	२० ग्रेन
आइल क्लोवस	१५ बूंद

खूब मिलालें।

पेलीटरी रूट पौडर		१ ड्राम
लंपशुगर	,,	१ ,,
केम्फर	,,	३० ग्रेन

टिंक्चर पेलीटरी जितने में लेईसी बनजाय।

ड्रेगन्स ब्लड	१ ड्राम
अफीम	२ ,,
गम मैस्टिक	४ ,,
गम सण्डेरिक	४ ,,
आइल रोज़मेरी	२५ बूंद

इन सबको टिंक्चर आफ ओपियम के साथ लेहीसा पतला करलें।

प्रेसी पिटेटेड चाक	५४ हिस्से
अरारोट	५ हि०
पौडर्डमर	७ हि०
सिनेमन	१ हि०

ग्लीसरीन के साथ लेहीसा पतला करे अथवा ग्लीसरीन और क्लोरोफार्म दोना मिलाकर पतला करे।

शुगर मिल्क	१०० हिस्सा
टेनिन	१५ हि०
लाख	१० हि०

एनीसीड ओरेंज फ्लावरमिण्ट का तेल यथा रुचि लाख और टेनिन को पीस फिर शुगर आफ मिल्क मिलाएं पीछे तेल डालदें।

दन्तधावन अर्क।

टर्कोस्टोन चूर्ण	२ औंस
सिलेंडर चारकोल चूर्ण	२ ,,
प्रपेयर्ड चाक	२ ,,
कोचनील	१॥ ड्राम
क्लोवज	१॥ ,,
हनी	६ औंस

यूडीक्लोन जितने में गाढ़ा अर्क बन जाय।

मुंह से तमाकू की दुर्गन्धि दांत सड़ने और दुर्गंध श्वास आने में बड़े काम की दवाई है। दांतों पर मलकर कुल्ला करले।

कटल फिशबोन	१ हिस्सा
कनजर्व आफ रोज	२ हि०
ओटो आफ रोज	२,३ बूंद

पहिली भांति मिलालें। इससे दांत साफ और सफेद होजाते हैं।

प्रपेयर्ड चाक	३ औंस
कटल फिशबोन चूर्ण	२ ,,
वाइट शुगर	२ ,,
आरिस रूट पौडर	१ ,,
एमालूम	२,३ ड्राम

इनको मिलाकर बनफ्शा के शर्बत के साथ गाढ़ा अर्क बनालें। इसके लगाने से मुंह में सुगन्धि दांतों में स्वच्छता और सुन्दरता आजाती है।

मसूड़े दुखते हों तो ।

प्रपेयर्ड चाक	२ ऑंस
मर्र	आधा ,,
रिटानी रूट	आधा ,,
कटल फिशवान	आधा ,,
ओरिस	$\frac{1}{4}$,,
शहद	३ ,,

मसूड़े सूजे में जखमी और खून देते हों, दांत हिलते हों तो इसके लगाने से यह सब बातें दूर होती हैं ।

प्रपेर्ड चाक	३ ऑंस
कटल फिशवोन	२ ,,
ओरिस रूट	१॥ ,,
आनीनियन बोल	१॥ ,,
आइल क्लोव्ज	१५,२० बूंद
वाइट मारबल डस्ट	२ ऑंस
पूमिसस्टोन पौडर	१॥ ऑंस
रोज़पिंक	आधा ऑंस
हनी	४ ऑंस
ओटो आफरोज़	७, ८ बूंद

पहिली भांति गाढ़ा अर्क बनालें इससे दांत शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं कभी २ लगावें ।

केस्ट्राइल सोप पौडर	२ ऑंस
कटल फ़िशबोन	२ ऑंस
नारबोन हनी	४, ५ ऑंस

खुशबू यथा रुचि मिलालें । यह सब से उम्दा दांत साफ करती और मैल हटाती है ।

मञ्जन ।

पेसीपिटेटेड चाक	१ पौंड
ओरिस पौडर	१ पौंड
कारमाइन	आधा ड्राम
पौडर्डशुगर	चौ. पौंड

ओटो आफ रोज़ और निरोली हर एक एक ड्राम ।

दर्द नाशक ।

हनी	आधा पौंड
पेसीपिटेटेड चाक	आधा पौंड
ओरिस पौडर	आधा पौंड
टिंकचर ओपियम और मर हरेक	चौ. औंस
एसेंस क्लोव्ज़	आधा ड्राम
,, नटमग	आधा ड्राम
,, रोज़	आधा ड्राम

कटलफिश पौडर	८ औंस
रौक एलम	१ औंस
क्रीमटार्टार	२ औंस
आरिस रूट	१ औंस
वर्न्टहार्ट शार्न	२ औंस
आइल रोडियम	६ बूंद

पपेर्ड चाक	२ औंस
कटलफिशबोन	१ औंस
आरिस रूट	१ औंस
मर	आधा औंस
सल्फेट कुनीन	१० ग्रेन

मसूड़े दुखते हों तो ।

प्रपेयर्ड चाक	२ औंस
मर्र	आधा ,,
रिटानी रूट	आधा ,,
कटल फिशबान	आधा ,,
ओरिस	$\frac{1}{4}$,,
शहद	३ ,,

मसूड़े सूजे में जखमी और खून देते हों, दांत हिलते हों तो इसके लगाने से यह सब बातें दूर होती हैं ।

प्रपेर्ड चाक	३ औंस
कटल फिशवोन	२ ,,
ओरिस रूट	१॥ ,,
आनीनियन बोल	१॥ ,,
आइल क्लोव्ज	१५,२० बूंद
वाइट मारबल डस्ट	२ औंस
पूमिसस्टोन पौडर	१॥ औंस
रोजपिंक	आधा औंस
हनी	४ औंस
ओटो आफरोज	७, ८ बूंद

पहिली भांति गाढ़ा अर्क बनालें इससे दांत शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं कभी २ लगावें ।

केस्ट्राइल सोप पौडर	२ औंस
कटल फिशवोन	२ औंस
नारवोन हनी	४, ५ औंस

खुशबू यथा रुचि मिलालें । यह सब से उम्दा दांत साफ करती और मैल हटाती है ।

मञ्जन ।

पेसीपिटेटेड चाक	१ पौंड
ओरिस पौडर	१ पौंड
कारमाइन	आधा ड्राम
पौडर्डशुगर	चौ. पौंड

ओटो आफ रोज़ और निरोली हर एक एक ड्राम ।

दर्द नाशक ।

हनी	आधा पौंड
पेसीपिटेटेड चाक	आधा पौंड
ओरिस पौडर	आधा पौंड
टिंकचर ओपियम और मर हरेक	चौ. ओंस
एसेंस क्लोव्ज़	आधा ड्राम
,, नटमग	आधा ड्राम
,, रोज़	आधा ड्राम

कटलफिश पौडर	८ ओंस
रौक एलम	१ ओंस
क्रीमटार्टार	२ ओंस
आरिस रूट	१ ओंस
बर्न्टहार्ट शार्न	२ ओंस
आइल रोडियम	६ बूंद

पपेर्ड चाक	२ ओंस
कटलफिशबोन	१ ओंस
आरिस रूट	१ ओंस
मर	आधा ओंस
सल्फेट कुनीन	१० ग्रेन

आरिस रूट	४ औंस
कटलफ़िशबोन	२ औंस
क्रीमटार्टर	१ औंस
मर	आधा औंस
आइल क्लोव्ज	१६ बूंद

पेरू वियनबार्क	१ औंस
क्रीमटार्टार	२ ड्राम
मर	१ ड्राम
कटलफिशबोन	४ ड्राम
ओइल क्लोव्ज़	८ बूंद

कटलफिशबोन	८ औंस
क्रीमआफ़ टार्टर	४ औंस
आरिस रूट	२ औंस

सोप पौडर	४२ हि.
स्टार्च	४४ ,,

लिवेंटाइनसोपवर्ट	१२ ,,

प्रपेर्ड चाक, बर्नट्हार्टशार्न, कटलफिश बोन बराबर लेकर पीस लें और खुशबूदार बना लें।

सुगन्धित मंजन।

कटल फ़िशबोन	४ औंस
रेडबोल	२ औंस
केलेमस एरोमेटिकस	१॥ औंस
बाई कार्बोनेट सोडा	२ ड्राम
काशिया	१॥ ,,
क्लोव्ज	१॥ ,,
मस्कसीड	१॥ ,,
फ्लोर्सेडक तुक	आधा ,,

प्रपेर्ड चाक — २ ऑंस
नोनआश — २ ऑंस
थूमिसस्टोन — १॥ ऑंस
रैडवोल — १॥ ऑंस
कार्डेमम सीड्स — चौ० ऑंस
क्लोव्ज — आधा ऑंस
काशिया — चौ० ऑंस
आरिस रूट — चौ० ऑं०
आइल ओफ आरेन्जपील — १५ बूंद
एसेंस रुएली — १५ बूंद

कुल्ली ।

पुटासियम कार्वोनेट — आधा ऑंस
हनी — ४ ऑंस
एलकोहल — २ ऑंस
पानी — १० ऑंस

आइल विंग्टर ग्रीन और आइल आफ रोज से खुशबूदार कर कुल्ली करे।

प्रेसी पिटेटेड चाक — १ पौंड
आरिस रूट पौडर — आधा पोंट
कैम्फर पौडर — चौं० पौं०

कपूर को स्पिरट में नम करके पीसे और फिर सब को मिलाकर रगड़लें।

कोइले पिसेहुए — १ ऑं०
शक्कर — १ ऑं०
लौंग का तेल — ३ बूंद

मिलाकर खूब रगड़ें।

बोतल में डाल कर खूब हिला २ कर मिलालें दांत हिलते हों, मसूड़े दुखते हों, या उनमें घाव पड़ गये हों तो इस दवा के लगाने से बड़ा ही लाभ होता है।

एनीसी	१ औंस
क्लोब्ज	२ ड्राम
सिनेमन	२ ड्राम
आइलमिंट	२० ग्रेन
ब्रांडी	१॥ पौंड
टिंक्चर एम्बर	१ ड्राम

मिलालें इसमें से छटांक भर लेकर आध सेर जल में डाल कुल्ली करने से सब बाधा दूर होती हैं।

मंजन।

मेगनेशिया हैवी	१ औंस
प्रपेर्ड चाक पौडर	१ औंस
पुटासियम क्लोरेट	२ औंस
एसेंस एनीसी	१० बूंद

मिलाकर दांतों से मलें।

दांत धोना।

कैस्टाइनसोप	साढ़े तेरह औंस
वाटर	३१ पौंड ६ औंस

दोनों को हरारत से पिघलाकर—

ग्लिसरीन	३६ औंस
एल्कोहल	३ पौंड ६ औंस
आइल पिपरमेंट	१ औंस साढ़े २ ड्राम
आइल विंटरग्रीन	१ औंस ५॥ ड्राम

सिरप	४॥ पौंड
टिंक्चर कड़वीअर	यथावश्यक

मिलावें और फिल्टर करलें।

यह सुगन्धित अर्क है। इससे दांत साफ होते, जमते और मसूड़ों २ में दृढ़ता आती और मुंह में यदि दुर्गंधि आती हो तो नष्ट होकर सुगंधि आने लगती है। दांत के ब्रुश को पानी में भिगोकर उसको इस अर्क में डुबावें और दांतों से रगड़ें इससे जो झाग पैदा हों उन्हें मुंह में ही सूखने देना चाहिये।

अर्क।

क्लोरैल
केम्फर
कारवोलिक एसि
ग्लिसरीन

चारों चीज बराबर मिलालें रुई की फुरेरी बनाकर रुई को दांत के भीतर ठूंस दें।

१ औंस
१ औंस
२ औंस
१० बूंद

एसिड सेलीसिलि	१५ ग्रेन
क्लोरोफार्म	३ ड्राम
टिंक्चर वेनजाइन	३ ड्राम
,, मर	४ औंस

साढ़े तेरह औंस

एक पाव जल में दस बूंद डाल कर दांतों की कुल्ली करें।

३१ पौंड ६ औंस

मंजन।

३६ औंस [illegible]रामीपरेटा १ औंस. गमनर ८ ड्राम. [illegible] ९ ड्राम.
३ पौंड ६ औंस [illegible]नारी १ औंस. केम्फर ४ ड्राम. [illegible] ८ ड्राम
[illegible] क्लोरा २० बूंद [illegible] कारवोलिक [illegible]